अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका/Index 01

02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07

03. निर्णायक मण्डल 08

04. प्रवक्ता साथी 10/11

(Science / विज्ञान)

05. A Green Method For Waste Water Treatment - Photocatalytic Degradation Of Methylene Violet Dye Using TiO_2 And Visible Light (David Swami, Brijesh Pare) 12

06. Synthesis and Pharmacological Evaluation of 2:4 -Dinitro-3-methoxy stilbane Derivatives (Malti Dubey (Rawat)) 19

07. Comparative Study Of Groundnut, Soyabean And Cotton Oil Cake Affecting Productivity Of Phytoplankton (Anjali Bhayal, Dr. Hemant Pandit, Dr. R. R. Kanhere) 23

08. Towards Motivation And Development Of Scientific Attitude Among College Science Students (Raghunath Mahajan, Sandip Patil, Suhasini R Mahajan) 27

09. Efficiency Of Sub Surface Flow Constructed Wetland System Using Reed Grass In Grey Water Treatment (Dr. Shalini Saxena) 31

10. Method For Estimation Of Avilable Manganese In Soils Of Madhya Pradesh (Dr. S. K. Udaipure) 35

11. Social Forestry And Environment Management Through Carbon-Sequestration - A Study In East Nimar Region (Dr. Kumud Dubey, Dr. Avinash Dube) 37

12. Environmental Assessment Of Newaj River Water Quality Of Malwa Region (Dr. G. D. Agrawal) 39

13. Review On A Traditional Medicinal Plant - Ocimum Sanctum Linn (Tulsi) (Dr. Shail Bala Sanghi) 41

14. Atomic Physics (Dr. Neeraj Dubey) 43

(Home Science / गृह विज्ञान)

15. सामाजिक क्षेत्र द्वारा आर्थिक विकास (ग्रामीण महिलाओं के विशेष संदर्भ में) (डॉ. गीताली सेनगुप्ता) 45

16. किशोरियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरुकता का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. दीपशिखा पाण्डेय) 47

17. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या प्रेरणा महीला बचत गटाचा अभ्यास (रूपाली सुरेश देवलेकर) 51

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

18. A Comparative Study Of Services To Borrowers By Abhinavsahakari Bank Ltd. And Dnsbank Ltd. With Special Reference To Dombivli City (Omanakuttan N. Nair) 56

19. मध्यप्रदेश वित्त निगम की ऋण वितरण से पूर्व एवं पश्चात् की औपचारिकताओं का अध्ययन (वर्ष 2006 से 2010 तक) (डॉ. शैलेन्द्र मिश्रा, डॉ. पुरूषोत्तम गौतम) 61

20. भारत में कालेधन की स्थिति का एक आर्थिक सर्वेक्षण (डॉ. राजू रैदास) 64

21. खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत गरीबों पर प्रभाव व जागरूकता (मेघा अग्रवाल, डॉ. एन. के. पाटीदार) 67

22. पर्यावरण प्रदूषण तथा उसका संरक्षण (डॉ. रायकू जमरा) 70

23. कृषक कल्याण कार्यक्रम (सीमा नागर) 72

24. शेयर बाजार एवं सेबी (सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)(क्षितिज कुशवाह) 74

25. जी.एस.टी. चुनौतियाँ – समाधान (डॉ. पी. पी. पाण्डेय) 76

(Economics / अर्थशास्त्र)

26. Socio-Economic Development And Women Entrepreneurship - An Indian Scenerio (Dr. Sushma Saini) 77

27. Demonetisation - Its Effect On Indian Economy (Dr. Deepali Behere) 81

28. लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास तथ्यपरक विश्लेषण (डॉ. कविता भदौरिया) 84

29. भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृष्य – एक अध्ययन (डॉ. लक्ष्मी वास्केल) 87

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

30. Environment Issues And Gandhian Thought (Dr. Abha Saini) 89

31. MNREGA - Benificial For Rural Society ? (Laxman Singh Rawat) 91

32. डॉ. हेडगेवार का सामाजिक-राजनीतिक चिन्तन और उसकी प्रासंगिकता (डॉ. रवीन्द्र कुमार सोहोनी) 94

33. भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की स्थिति – एक विश्लेषण (डॉ. मीनाक्षी पँवार) 98

34. सत्याग्रह एवं उसके साधन (डॉ. संजय कुमार यादव) 101

35. मानवाधिकार प्राचीन भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में (अभिलाषा साठे, संजय साठे)....................................... 104

36. प्रजामण्डल को दिशा देने वाले जुझारू नेतागण और उनका परिचय (सेवक चौहान) 106

37. पश्चिम में महिला आन्दोलन (डॉ. शिप्रा वर्मा) 109

38. सत्याग्रह का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रभाव (डॉ. संजय कुमार यादव) 111

39. जनादेश एवं विपक्ष की भूमिका (डॉ. कान्ता अलावा) 113

40. कारगिल युद्ध 1999 - एक विश्लेषण (डॉ. कविता चौकसे) 115

41. संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति के रुप में उपवास (डॉ. देशराज वर्मा) 117

(History / इतिहास)

42. 1857 ई. के समर में महू के अल्पज्ञात स्मारक और स्थल, एक ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. आकाश ताहिर) 119

43. 1857 और गोरखपुर की क्रान्ति (डॉ. संजय कुमार सिंह) 123

44. मेवाड़ की काष्ठ कला (लक्ष्मण लाल कुम्हार) 126

45. झाबुआ राजघराने का आदि पुरूष - केशवदास मारू (प्रेम सिंह मोरे) 129

(Sociology / समाजशास्त्र)

46. कोरकुओं में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति एक अध्ययन (खालवा विकासखण्ड के संदर्भ में) 131
(डॉ. मीना जैन, निकिता नागोरी)

47. जनजातीय समाज - परिवर्तन, प्रक्रियाऐं व प्रभाव (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण) (डॉ. रश्मि दुबे) 134

48. जनजातीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव एवं सरकारी प्रयास (डॉ. रेखा माली) 136

49. भारतीय युवा दशा -दिशा 'राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका एवं भागीदारी' (ज्योति सिंह (राफिया आबिद)) 138

50. छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) 140
(फरहत मंसूरी, डॉ. अर्चना गौर)

(Geography / भूगोल)

51. Geomorphology of Katghora Block Korba District, Chhattisgarh using Remote Sensing and GIS techniques (Bineeta Toppo) 142

52. मण्डला जिले में जल संसाधन उपयोग -एक अध्ययन (डॉ. राम सिंह धुर्वे) 146

53. उज्जैन नगर की गन्दी बस्तियों का स्थानिक वितरण (डॉ. ललित किशोरी तिवारी) 151

54. बैतूल जिले में कृषि संसाधन का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. प्रताप सिंह राजपूत) 156

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

55. Karnad's Interpretation of History : Tughlaq (Dr. Anurodh Chadar) 159

56. Relevance Of ICT In Education For Sustainable Development (Dr. Manjari Agnihotri) 164

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

57. मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में स्त्री-विमर्श (प्रीति शुक्ला) 166

58. राजतंत्र में आय-व्यय का प्रबन्धन (महर्षि श्री शुक्राचार्य रचित शुक्रनीति के संदर्भ में) (डॉ. विम्मी बहल, डॉ. अनिल शिवानी) 170

59. जगदीश गुप्त के काव्य में बिम्ब विधान (डॉ. मंजुला जोशी) 173

60. दिनकर की काव्य विषयक आलोचना एवं प्रगतिशील पक्ष (डॉ. रेखा सनवाल) 176

61. दिनकर का बाल साहित्य - एक विवेचनात्मक अध्ययन (डॉ. रेखा सनवाल) 179

(Sanskrit / संस्कृत)

62. संस्कृत और प्राकृत साहित्य के विकास में मुनि श्री प्रणम्यसागरजी का योगदान (डॉ. संगीता मेहता) 181

63. रामायण में वर्णित आर्थिक जीवन का स्वरूप (डॉ. चारू मिश्रा) 185

(Drawing / चित्रकला)

64. New Formations In Art World (Prof. Pintu Mishra) 188

(Education / शिक्षा)

65. शाजापुर जिले में प्राथमिक एवं माध्यमकि स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों का समालोचनात्मक अध्ययन (बालेन्द्र श्रीवास्तव, डॉ. एम. के. तिवारी) 190

66. शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका का एक अध्ययन (डॉ. अंजनी कुमार मिश्र) 193

(Law/ विधि)

67. The Dowry Prohibition Act, 1961 (Deeksha Dubey) 195

(Others / अन्य)

68. ICT And Next Generation Libraries (Devendra Prasad Kushwah) 197

69. साम्प्रदायिक हिंसा और पुलिस (डॉ. भरत कुमार चौधरी) 199

70. मीडिया का सामाजिक सरोकार (डॉ. सीमा कदम) 201

71. राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं का उभरता नेतृत्व (डॉ. हरिचरण मीना) 204

(Naveen Shodh Sansar / नवीन शोध संसार)

72. MEMBERSHIP CUM AUTHOR'S BIO-DATA FORM 207

****

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर.................. फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार .... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू .... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी .... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव .... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. .... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. .... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. .... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम .... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा................ अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(14) प्रो. डॉ. संजय खरे .... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय........ परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. अखिलेश जाधव .... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(18) प्रो. डॉ. कमल जैन .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से .... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन................. प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार .... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी............. सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव .... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेज्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया .... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी .... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम .... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी .... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(31) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे .... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता .... पूर्व अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(33) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़.............. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा .... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. के.एल. साहू................ प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन .... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित............ एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव ....प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत ....निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन ....पूर्व सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी ....प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय ....प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल ....प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर ......प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र ....प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट ....प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा ....पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान ....प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड..............संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी...........अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल...........अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे ....संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी ....प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव ....प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत
(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा ....प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव ....प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(20) प्रो.डॉ. कान्ता अलावा............. प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन.............प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. किशन यादव ....एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शोध केन्द्र, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी (उ.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. बी.आर.नलवाया ....प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(24) प्रो. डॉ. नत्थरलाल गुप्ता ....अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(25) प्रो.डॉ. पुरुषोत्तम गौतम ....संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म.प्र.) भारत
(26) प्रो. डॉ. एस. सी. मेहता...........प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

****** विज्ञान संकाय ******

गणित:- .... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो.डॉ. नीरज दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:- .... **(1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़,** शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्ज्ैन (म.प्र.)

वनस्पति:- .... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:- .... **(1) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा,** एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:- .... **(1) डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:- .... **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सूक्ष्म जीव विज्ञान:- .... **(1) अनुराग झँवेरी,** बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

****** वाणिज्य संकाय ******

वाणिज्य :-...................... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल , शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

****** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ******

प्रबंध :- .... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी , शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:- .... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:- .... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा ,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

****** विधि संकाय ******

विधि:- .... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

****** कला संकाय ******

अर्थशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:-...................... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्रः- .... (1) **प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन ,** शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. उमा लवानिया ,** शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दीः- .... (1) **प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) **प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला,** वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) **प्रो. डॉ. कला जोशी,** श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजीः- .... (1) **प्रो. डॉ. अजय भार्गव,** शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री,** शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृतः- .... (1) **प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहासः- .... (1) **प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोलः- .... (1) **प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. काजल मोइत्रा ,** डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

मनोविज्ञानः- .... (1) **प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. सरोज कोठारी,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकलाः- .... (1) **प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव,** महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीतः- .... (1) **प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर,** राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

****** गृह विज्ञान संकाय ******

आहार एवं पोषण विज्ञानः- .... (1) **प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. मधु गोयल,** स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) **प्रो. डॉ. संध्या वर्मा,** शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकासः- .... (1) **प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) **प्रो. डॉ. आभा तिवारी,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंधः- ... (1) **प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा,** वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

****** शिक्षा संकाय ******

शिक्षा............................ (1) **प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** महींद्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बैंगलुरू (कर्नाटक)
(2) **प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर,** प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) **प्रो. डॉ. नीना अनेजा,** प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)
(4) **प्रो. डॉ. सतीश गिल,** शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

****** आर्किटेक्चर संकाय ******

शारीरिक शिक्षा .... (1) **प्रो. किरण पी. शिंदे ,** प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

****** शारीरिक शिक्षा संकाय ******

शारीरिक शिक्षा .... (1) **प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला,** अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

****** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ******

ग्रन्थालय विज्ञान .... (1) **डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़ .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत .... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर .... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी .... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन .... शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा .... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित .... जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार .... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा .... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक .... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान .... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान .... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र .... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन .... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान .... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित .... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी .... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी .... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े .... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित .... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता .... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना .... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे .... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी .... आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी .... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट .... शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद .... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर .... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल .... शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया .... शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी .... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल बाला सांधी .... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा .... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव .... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे .... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान .... शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर .... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया ....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय ....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार ....शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल ....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता ....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश..........................शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव ....सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा-बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी ....शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे ....शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे ....शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन ....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी ....शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल ....शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल ....शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन ....शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे ....शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन ....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर..........................शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा..........................शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव ....शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला ....शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया ....शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल ....शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल ....शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान ....शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा..........................शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला- रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा ....शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा..........................शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी ....शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान ....शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी..........................शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर ....शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा ....पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश ....शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे ....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित ....छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा ....एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री ....सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला..........................शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. अपराजीता भार्गव..........................अध्यापक ,आर. डी. पब्लिक स्कूल, बैतूल (म.प्र.) भारत
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई ....शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन ....वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ..........................राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख..........................एस.एस.जी. पारीख स्नातकोत्तर कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा ....पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया ....हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह ....केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल ....शोध सलाहकार, नई दिल्ली
(96) प्रो. डॉ. कविता भदौरिया ....शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

A Green Method For Waste Water Treatment - Photocatalytic Degradation Of Methylene Violet Dye Using Tio_2 And Visible Light

David Swami * Brijesh Pare **

Abstract - Inordinate population growth, fast industrialization, rapid urbanization, modified agricultural operations, advance technology and globalization has most vigorously stimulated the change in nature. Technological development if on one hand has bettered the life of humans; on the other hand it has sharply intensified the environment contamination. Industrial effluents , agricultural runoff and chemical spills contaminate the water. Of all these effluents dyes pose a great threat to the environment. Industrial effluents not only causes water pollution but also causes environmental damage to living organism by blocking sunlight and stopping the re-oxygenation capacity of water there by disturbing natural growth activity of plants and animals. These effluents have significant impact on human health. The treatment of waste water containing hazardous pollutants is one of the growing needs of the present time to allow industrial effluents to be disposed without bringing danger to human health as well as to protect natural environment. In recent years research in new non-biological methods as led to processes which actually destroy toxic pollutants instead of simply extracting them form water. Advanced oxidation process is eco-friendly method of destroying organic pollutants by using semiconductor and visible light. Advanced oxidation processes generate a very reactive hydroxyl radical which react rapidly and non-selectively with the pollutant and completely mineralize them. Titanium dioxide is an excellent photo-catalytic oxidation material. The present study summarizes the photocatalytic degradation of Methylene violet dye in present of TiO_2 and visible light. In the present work, we have studied the influence of pH, catalyst loading, effect of $FeCl_3$, COD removal and UV-Vis spectral Analysis. Advanced oxidation processes have proved very effective in treatment of the various hazardous dye pollutants in water. The photo-catalytic degradation rate depends on dye structure, dye concentration, TiO_2 concentration and pH of the medium. The proposed technology has found to be quite using effective using artificial visible light as well as solar light, thus making the processes safe and enexpensive.
Key words - Titanium dioxide, COD, Photo-catalytic Degradation, Dye Pollutants, Advanced Oxidation Processes.

Introduction - Paper, rubber, cosmetics, leather, ink, dyeing, plastic and textile industries use color for dyeing their products and thus use as huge amount of water which results in the production of dye-containing wastewater with hazardous effects on the environment. Dye containing wastewater produces huge amount of polluted effuents that are normally discharged on the surface water bodies and ground water aquifers. This wastewater causes damages to the ecological system of receiving surface water capacity and certain a lot of disturbance to the ground water resources (1). TiO_2 photocatalytic degradation technique has large capability for wastewater treatment. Among the new methods of colorful wastewater tretment TiO_2 photocatalysis based on the generation of very reactive species such as hydroxyl radicals have been proposed to oxidize quickly and none selectiviely a broad range of organic pollutants (2). This technique can be utilized for the decomposition of organic and inorganic compounds and romoval of dyes (3). The TiO_2 semiconductor has been reported to be the most promising photocatalyst because of its low cost, non toxicity and relatively high efficiency and the possibility of using sunlight as a source of irradiation (4). Titanium dioxide shows its unique photocatalytic activity at an excellent choice of photocatalysis application. How to improve the photocatalytic activity of TiO_2 in the visible region is the main focus of the recent TiO_2 photocatalysis research. Many efforts have been made to achieve the utilization of visible light for TiO_2 material such transitional metal ion doping, non metal element doping and dye sensitization. Dye sensitization photocatalysis begins with the light absorption of dye and a subsequent electron transfer from the excited dye to the conduction band of TiO_2 and thereby the formation of dye radical cation and reactive oxygen species would lead the degradation of the dye (5). The main objective of this work is to study the mineralization of Methylene Violet dye by using TiO_2 in the presence of artificial radiations.

Experimental -

(A) Reagents - Titanium dioxide (Loba Chemie) and

* Deptt. of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA
** Deptt. of Chemistry, Govt. Madhav Science College, Ujjain (M.P.) INDIA

Methylene Violet Dye (Loba Chemie) were used. Titanium dioxide is mainly anatase (80%). All other chemicals used were of analytical grade. Double distilled water was used throughout the study to prepare the solution. The catalyst and dyes were used without further purification.

(B) Photo reactor and light source - A 500- W halogen lamp was used as the light source. The photocatalytic reaction was carried out in a batch reactor with dimension of 7.5 x 6.0 cm (height x diameter) provided with an external water flow jacket connected to a thermostatic bath and able to maintain the temperature in the range of 25-30^{0}c

(C) Procedure - For irradiation experiment 100ml aqueous solution of the dye of desired concentration was taken in the photoreactor and the solution was stirred and bubbled with air for at least 10 min in the dark to establish the adsorption equilibrium. Aliquots were taken at 10 min time intervals and centrifuged to separate the catalyst from the solution. The solution was then analyzed spectrometrically. A visible spectrophotometer (Systronic model no. 116) was used for measuring the absorbance of the reaction mixture. The intensity of light was measured by Digital lux meter (Lutron LX-101). The pH of the solution was measured using a digital pH meter. The desired pH of the solution was adjusted by the addition of previously standardized sulphuric acid and sodium hydroxide solution. To quantify the extent of mineralization of mixture, COD was measured at regular time intervals using closed reflux titrimetric method.

Results and Discussion -

1. Effect of initial dye concentration - The initial dye concentration is very important parameter in wastewater treatment. It is important from an application point of view to study the dependence of photocatalytic degradation efficiency on the initial concentration[6]. The photocatalytic degradation of the methylene violet dye was studied by varying the initial concentration from 1.0 x 10^{-5}mol dm^{-3} to 7.0 x 10^{-5} mol dm^{-3} at pH 9.5 and with catalyst loading 150 mg/100 mL. Rate constant increases with increase in dye concentration from 1.0 x 10^{-5} mol dm^{-3} to 4.0 x 10^{-5} mol dm^{-3} (Fig.1). Rate constant is maximal at 4.0 x 10^{-5} mol dm^{-3} of dye concentration. Thereafter, rate constant decreases with increase in concentration of dye above optimal value because at high dye concentration more dye molecules are adsorbed onto the surface of TiO_2 and the generation of ÿOH radicals on the surface of catalyst is reduced since the active sites are covered by dye molecules. But the adsorbed dye molecules are not degraded immediately because the intensity of the light and the catalyst amount is constant. As the initial concentration of dye increases, the color of dye solution becomes deeper and deeper resulting in the reduction of the penetration of light to the surface of the catalyst [7].

Table1 (See in the last page)

Fig.1: Effect of initial dye concentration

2: Effect of amount of catalyst:

The effect of different dosages of TiO_2 on the photocatalytic degradation of methylene violet was examined. To avoid the use of excess amount of catalyst, it was necessary to find out the optimum catalyst loading for efficient removal of the dye [8]. The rate of degradation increased rapidly with increasing catalyst concentration form 50 mg/100 mL to 150 mg/100 mL (Fig.2). Increase in the degradation rate was due to an increase in the number of active sites of TiO_2, available for the reaction which in turn increased the rate of hydroxyl radical formation. Further increase of TiO_2 concentration result in a decrease of rate constant. The decrease in the rate constant may be due to the reduction in the penetration of light with surplus amount of TiO_2, the surplus addition of the catalyst made the solution more turbid and light penetration got retarded [9]. 150 mg of TiO_2 in 100 mL was found to be the optimum condition for treatment which showed maximum photodegradation efficiency.

Table 2: Effect of amount of catalyst: [MV] = 4.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 9.5
Light intensity = 14 ×10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

TiO_2 mg/100mL	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
50	1.84	3.76
100	2.11	3.28
150	2.87	2.41
200	2.25	3.08
250	2.00	3.46
300	1.65	4.20
350	1.53	4.52

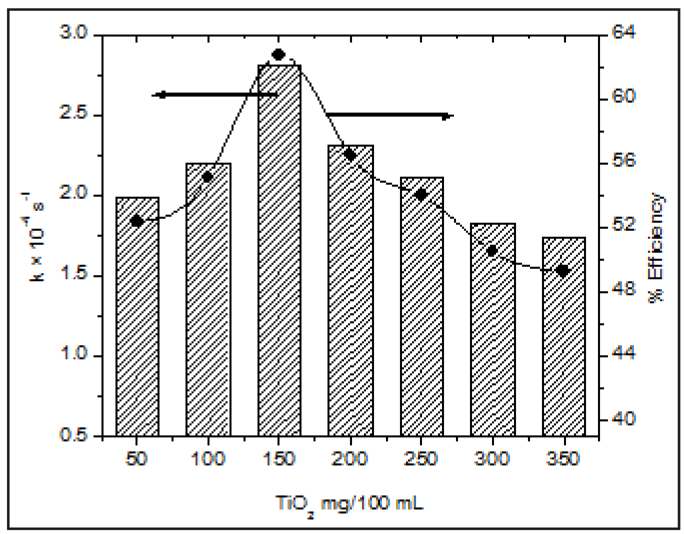

Fig.2: Effect of amount of catalyst

3. Effect of solution pH - pH is an important parameter in the photocatalytic reactions. The surface charge of TiO_2 is also affected by the pH of the solution. This is because TiO_2 is amphoteric in nature. When TiO_2 is in contact with water, its surface becomes hydroxylated. The point of zero charge (pzc) of TiO_2 is 6.8. Upon changing the pH, the surface hydroxyl group could undergo protonation and deprotonation according to the following reactions: [10].

$$TiOH + H^+ \rightleftharpoons TiOH_2^+ \qquad (1)$$

$$TiOH + \rightleftharpoons OH^- \; TiO^- + H_2O \qquad (2)$$

TiO_2 surface will remain positively charged in acidic medium and negatively charged in alkaline medium. Since methylene violet dye is cationic dye. In the acidic pH there was a poor adsorption, because the TiO_2 surface and cationic dye both positively charged in the acidic medium. Therefore decrease in pH causes decrease in degradation rate. High pH favors adsorption on the catalyst surface which results in high decolorization efficiency because at higher pH electrostatic interactions between the negative TiO_2 surface and cationic dye lead to strong absorption and enhancing degradation rate. The photocatalytic reactions are conducted at different pH values ranged from 5.50 to 11.50 and dye concentration 4.0 x 10^{-5} mol dm^{-3} at catalyst loading of 150 mg/100 mL (Fig.3). The results indicated that the photodegradation of methylene violet was most efficient in alkaline medium and that the optimal pH was observed at about 9.50. At optimized conditions better photocatalytic degradation HHhhas been reported. In the present case, it can be presumed that the main reaction is presented by the hydroxyl radical attack, which can be favored by the high concentration of the hydroxyl radical at pH 9.50. After optimal pH value when pH was further increased the rate of degradation found to be decreased. This might be due to the fact that at high pH values the hydroxyl radicals are rapidly scavenged and they do not have the opportunity to react with dyes.

Table 3 - Effect of solution pH: [MV] = 4.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 =150 mg/ 100 mL, Light intensity = 14 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

pH	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
5.50	1.99	3.48
6.50	2.30	3.01
7.50	2.76	2.51
8.50	3.30	2.10
9.50	3.41	2.03
10.50	3.33	2.08
11.50	2.26	3.06

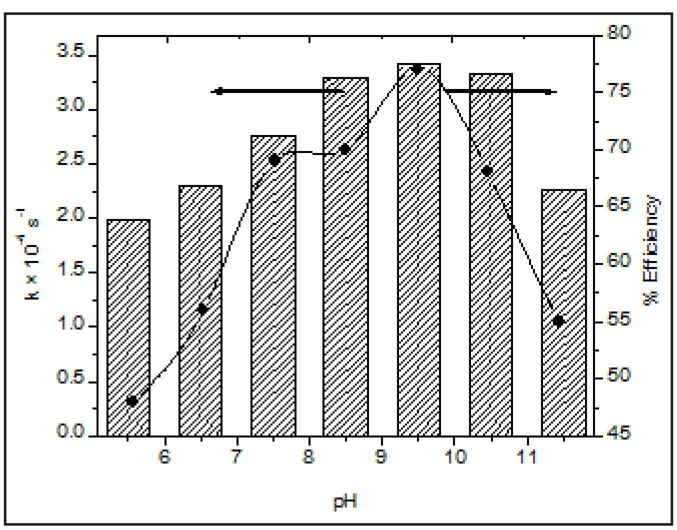

Fig.3 Effect of solution pH

4 - Effect of $FeCl_3$ - The addition of $FeCl_3$ had an important influence on the processes of the photocatalytic decolorization of the solutions of methyl violet dye studied in the presence of TiO_2. Efficiency of degradation of MV dye increased together with an increase of $FeCl_3$ concentration varying from 2 × 10^{-5} mol dm^{-3} to 8 × 10^{-5} mol dm^{-3}. $FeCl_3$ behave as an electron scavenger (Fe^{3+} + e> Fe^{3+}) thus preventing the recombination of electron hole pair. Under the experimental conditions the following reactions become significant. The above two reactions increase the amount of ${}^{\bullet}OH$ and H_2O_2 thus enhance the efficiency of photocatalytic degradation. In TiO_2, when Fe^{3+} concentration is in excess of 10 × 10^{-5} mol dm^{-3}, the rate of reaction decreased gradually dye to the deposition of Fe^{3+} ions on the TiO_2 particles. Active sites of the TiO_2 are covered with Fe^{3+} ions and hence the photon absorption by the semiconductor decreases[11]. **(See in the last page)**

Table 4: Effect of $FeCl_3$: [MV] = 4.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 =150 mg/ 100 mL
pH =9.50, Light intensity = 14× 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

$FeCl_3$ × 10^5 mol^{-1} dm^3	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
0.0	3.41	2.03
2.0	5.37	1.29
4.0	5.64	1.22
6.0	6.33	1.09
8.0	7.90	0.87
10.0	5.37	1.29
12.0	4.36	1.58
14.0	2.61	2.65

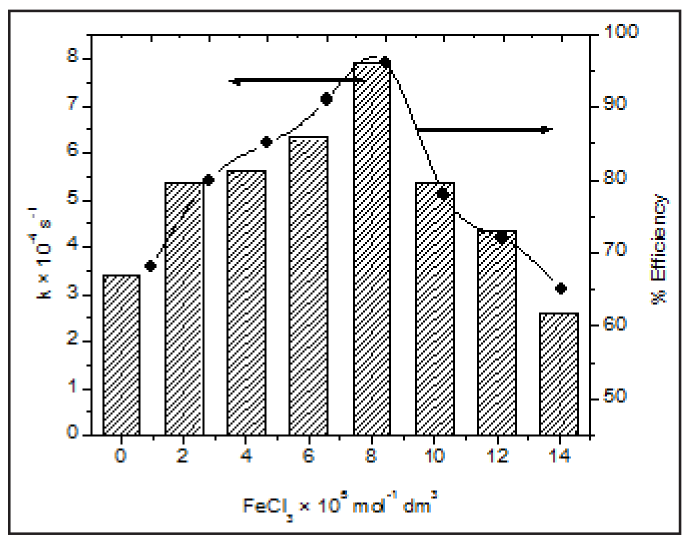

Fig. 4 - Effect of $FeCl_3$

5. Effect of N_2 and O_2 purging - The rate of photocatalytic degradation of organic substrates is significantly affected in the presence of dissolved gases such as oxygen and nitrogen. It is observed that photodegradation efficiency is severely retarded by bubbling pure nitrogen but the photodegradation efficiency increases rapidly with increasing oxygen flow. The degradation of MV decreased

from $2.26 \times 10^{-4}\ s^{-1}$by bubbling of pure N_2 but increased rapidly from $3.41 \times 10^{-4}\ s^{-1}$ to $6.06 \times 10^{-4}\ s^{-1}$. Oxygen is an electron scavenger, free radicals ($^{\bullet}OH$ and $O_2^{-\bullet}$) are generated by the breakdown of oxygen with the flow of oxygen in the photodegradation. The molecular oxygen is primarily acted as an efficient conduction band electron trap and suppresses the electron-hole recombination. The superoxide ions ($O_2^{-\bullet}$) and hydroxyl radical ($^{\bullet}OH$) formed in the presence of oxygen these species are highly active and can attack the dye molecule and degrade them into CO_2 and H_2O. However, in the presence of nitrogen, the formation of superoxide anion radical was prevented; hence the reaction rate got suppressed.

$$O_2 + e^- \longrightarrow O_2^{-\bullet} \quad (12)$$
$$H_2O_2 + TiO_2(e^-) \longrightarrow HO^{\bullet} + HO \quad (13)$$
$$O_2^{\bullet} + H_2O_2 \longrightarrow HO^{\bullet} + HO + O_2 \quad (14)$$
$$O_2^{\bullet} + H^+ \longrightarrow HO_2^{\bullet} \quad (15)$$
$$^{\bullet}HO_2 + TiO_2(e^-) \longrightarrow HO_2^- \quad (16)$$
$$HO_2^- + H^+ \longrightarrow H_2O_2 \quad (17)$$
$$2\,HO_2^{\bullet} \longrightarrow O_2 + H_2O_2 \quad (18)$$

Fig.5 (See in the last page)

6. Effect of solar light - The effect of visible light on the degradation of MV dye by photocatalytic process has been investigated. The comparative study has been carried out for the degradation of dye solution in solar /visible light. The aqueous suspension of TiO_2 containing MV dye was exposed to solar light. Fig 5 shows that that the degradation rate as a function of irradiation time on illumination of an aqueous suspension of dye under sunlight and visible respectively. The rate of degradation was found to be much more in the solar light (k = 5.22). Blank experiments were also carried out under sunlight in absence of TiO_2 where no observable loss of dye was observed.

7. COD and CO_2 measurements during mineralization process- The measurement of the chemical oxygen demand of the irradiated solution is used for monitoring the mineralization of the dye. This is an effective technique to measure the organic strength of polluted waste water(10). The COD of the remaining dye in the solution was measured at regular intervals to examine whether the dye was mineralized on photo degradation. The aqueous solution of a mixture of methylene violet (4×10^{-5} mol dm^{-3}) was exposed separately to visible light in the presence of TiO_2 at a dose of 150 mg/L. Aliquots were taken at regular intervals and COD was measured using closed reflux titrimatric method(12). As the irradiation time increased dye molecule got degraded to compounds in the estimated COD value from 300 mg /L to 4 mg /L. Further increase CO_2 value from 22 mg /L to 110 mg /L in 8 h of illumination indicated photodegradation of treated dye solution (Table5). The reduction in pH and increase conductivity of solution is observed with increase in the extent of mineralization. This effective technique allows measurement of waste in terms of the total quantity of oxygen required for oxidation of organic to CO_2 and water.

Table 5 - (See in the last page)

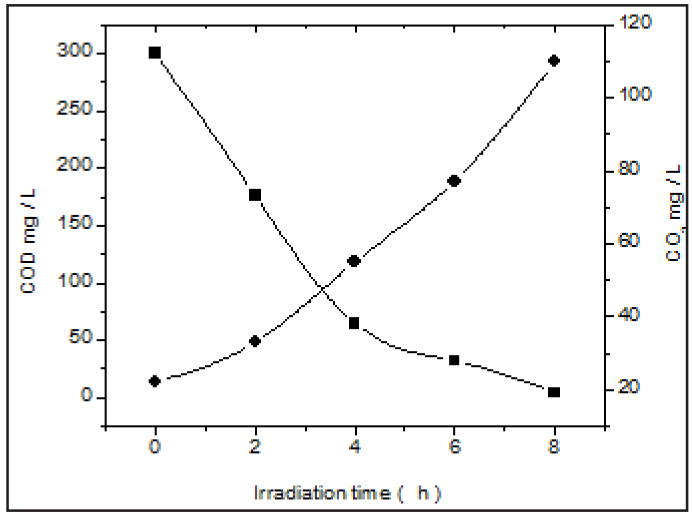

Fig. 6.1 -
[MV] 4.0×10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 =150 mg/ 100 mL, pH =9.50
Light intensity = 14×10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

Fig. 6.2 - COD and CO_2 measurement and formation of NO_3^- during photodegradation - (See in the last page) process:

8. UV- Vis spectral analysis during mineralization - The UV-Vis absorption spectra of MV were studied at different times of irradiation. MV is phenoxazine dye in which the chromophore part of molecular structure contains phenoxazine group and shows a strong absorbance in the visible region, which the absorbance peaks of aromatic rings are appeared in the UV region. The changes in the absorption spectra of MV solution during the photocatalytic degradation at different irradiation times are presented in Fig.7. The MV textile dye shows a main band with a maximum absorption at 500 nm. The decrease of absorption peak actually indicates a rapid degradation of MV dye(13). The nearly perfect disappearance of peaks in UV and visible region reveals that MV dye is eliminated in presence of TiO_2 after 8 h of irradiation(14).

Fig. 7: (See in the last page)

Conclusion - This study confirms that TiO_2 photocatalytic degradation technique is an efficient process for decolorization and mineralization of Methylene Violet dye. The photodegradation process is highly pH dependent. The result showed that Methylene Violet dye underwent massive degradation in alkaline pH. The addition of $FeCl_3$ increase the photocatalytic activity singnificantly. It is observed that photodegradation efficiency is severely retarded by bubbling pure nitrogen but the photodegradation efficiency increases rapidly with increasing oxygen flow. UV visbile spectra and estimated COD, evolution of CO_2 and formation of NO^{3-} ions confirmed the mineralization of dyes during

photocatalytic degradation.

Acknowledgement - Authors acknowledgement the support and laboratory facilities provided by Chemistry Department, Govt. Madhav Science P.G. College, Ujjain (M.P.) India.

References :-

1. Iqbal M.J. and Ashiq M.N., J Res Sci, 18 **(2007)** 91.
2. Sano T., Puzenat E., Guillard C. and Geantet C., J Mole Catal A: Chem, 284 **(2008)** 127.
3. Hoffman M.R., Martin S.T. and Choi W., Bahnemann D.W., Chem Rev, 95 **(1995)** 69.
4. Alex S. Santhosh U. and Das S., J Photochem Photobiol A: Chem, 172 **(2005)** 63.
5. Tariq M., Chuncheng C., Dan Z. and Jincai Z. J Envion Sci, 21 **(2009)** 263.
6. Subramani A. K., Byrappa K., Ananda S. and Lokanatha Rai M. K., Bull. Mater. Sci., 30 **(2007)** 37.
7. Guettai N. and Ait Amar H., Desalination, 185 **(2005)** 427.
8. Timothy T. Y., Ph. D. Thesis, The School of Chemical Engineering and Industrial Chemistry The University of New South Wales, Sydney Australia, **(2003)**.
9. Bhatkhande D. S. and Pangarkar V. G., Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77 **(2001)** 102.
10. Gupta A. K., Pal A. and Sahoo C., Dyes and a Pigments, 69 **(2006)** 224.
11. Abdullah A. M., Low G. K. C. and Matthews R. W., J. Phys. Chem., 94 **(1990)** 6820.
12. Poulios A. I. and Tsachpinis I., Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 52 **(1999)** 713.
13. Nishimote S., Ohtani B., Kajiwara H. and Kagiya T., Journol Chem. Soc., 81 **(1985)** 61
14. Evgenidou E., Fytianos K. and Poulios I., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 175 **(2005)** 29.

Table 1 - Effect of initial dye concentration: TiO_2 = 150mg/100 mL, pH = 9.5
Light intensity = 14 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

[MV] × 10^5 mol^{-1} dm^3	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
1.0	2.07	3.34
2.0	2.34	2.96
3.0	2.99	2.31
4.0	3.41	2.03
5.0	2.84	2.44
6.0	2.30	3.01
7.0	2.11	3.28

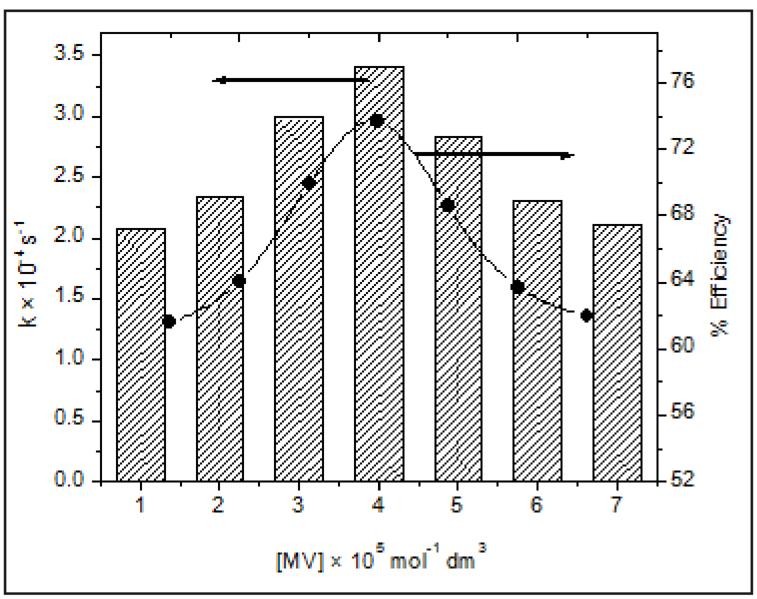

Fig 1 - Effect of intial dye concentration

Effect of $FeCl_3$ (Reactions)

Fe^{3+} + hv ⟶ Fe^{2+} + $^{\cdot}OH$ (3)

$Fe(OH)_2$ + hv ⟶ Fe^{2+} + $^{\cdot}OH$ (4)

Fe^{2+} + H_2O_2 + H^+ ⟶ Fe^{3+} + $^{\cdot}OH$ + H_2O (5)

Fe^{2+} + $HO^{\cdot}_2$ + H^+ ⟶ Fe^{3+} + H_2O_2 (6)

MV + $hv_{visible}$ ⟶ $_1MV^{\cdot}$ or $_3MV^{\cdot}$ (7)

$_1MV^{\cdot}$ or $_3MV^{\cdot}$ + $TiO_2(Fe^{3+}OH^-)$ ⟶ $TiO_2(Fe^{2+}\ ^{\cdot}OH)$+$MV^+$ (8)

hv

$TiO_2(Fe^{2+}\ ^{\cdot}OH)$ + H_2O_2 ⟶ TiO_2 (e^-_{CB}) + TiO_2 ($Fe^{3+}\ ^{\cdot}OH$) (9)

H^+

TiO_2 (e^-_{CB}) + O_2 ⟶ $O^{\cdot-}_2$ ⟶ $HO^{\cdot}_2$ (10)

MV /$MV^{+\cdot}$ + $^{\cdot}OH$ / $O^{\cdot-}_2$ / $HO^{\cdot}_2$ ⟶ Degradation products (11)

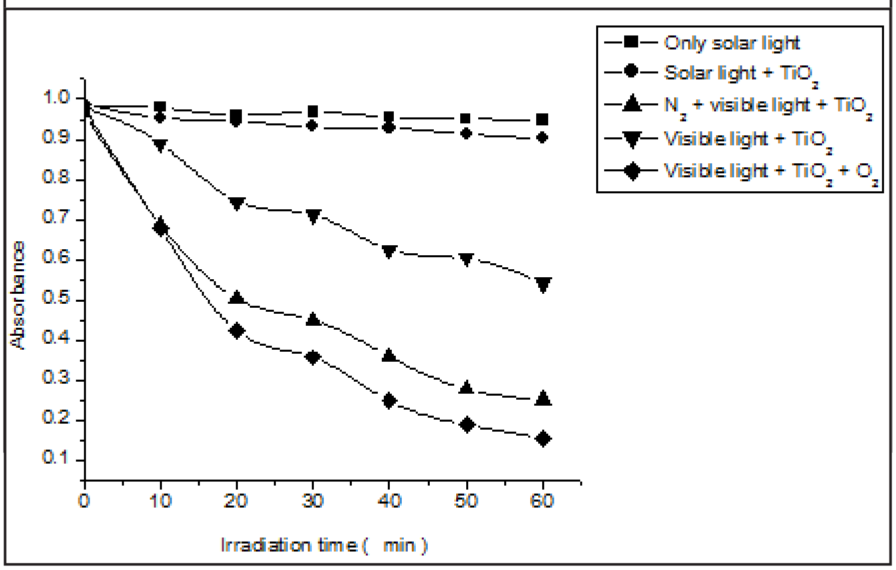

Fig.5 -x Effect of N_2 and O_2 purging

Table 5 - COD and CO_2 measurement during photodegradation process -
[MV]= 4.0× 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 =150 mg/ 100 mL, pH =9.50
Light intensity = 14 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

Irradiation time (h)	COD (mg/L)	CO_2 (mg/L)	Efficiency (%)	NO_3^- (mg/L)	pH
0	300	22	0	0	8.7
2	176	33	41	7	8.5
4	64	55	78	13	8.2
6	32	77	89	14	7.9
8	4	110	98	19	7.7

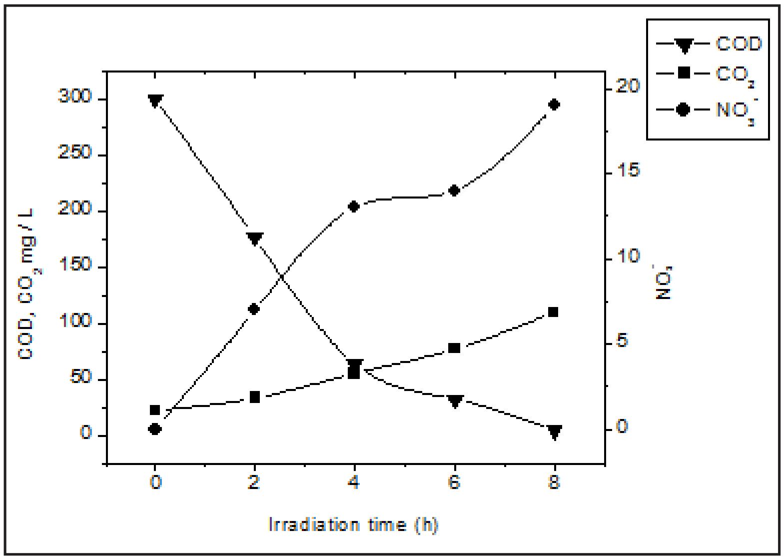

Fig. 6.2 - COD and CO_2 measurement during photodegradation process
[MV] 4.0× 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 =150 mg/ 100 mL
Light intensity = 14 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

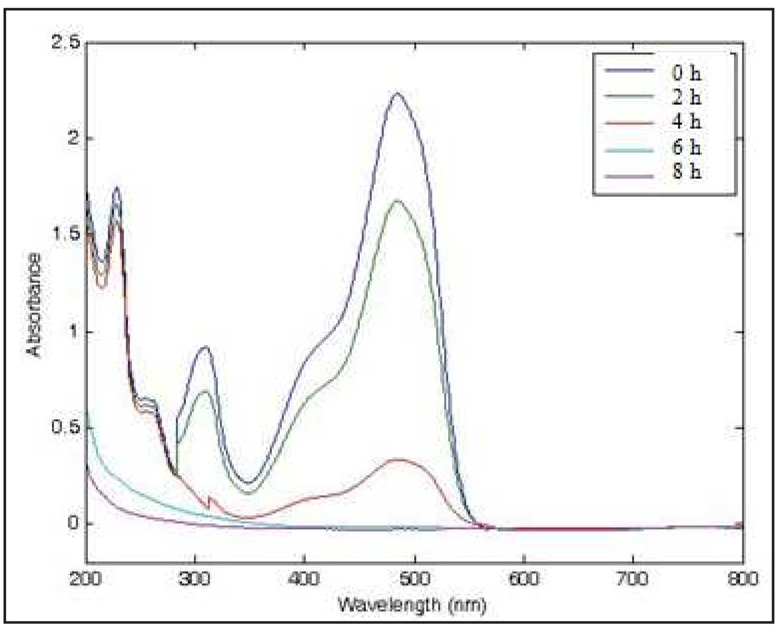

Fig. 7 - UV - Vis spectrum of Methylene Violet
[MV] = 4.0 × 10^{-5} mol dm^{-3} TiO_2 =150 mg/100 mL, pH = 11,
Light intensity = 14×10_3 lux
Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

****

Synthesis and Pharmacological Evaluation of 2:4 - Dinitro-3-methoxy stilbane Derivatives

Malti Dubey (Rawat) *

Abstract - A series of substituted 2:4-Dinitro -3[1] -methoxy-stilbene compounds have been synthesised by the reaction of 2:4 -Dinitro Toluene with number of substituted 3-methoxy-benzldehides, in presence of pyridine and piperidine. The chemical structures of these compounds were confirmed by elemental analysis and IR. The synthesised compounds are screaned for their antibacterial activity against staphylococi and streptococci.
Key words - 2:4-Dinitro Toluene stilbene, 3-methoxy benzaldehydes, Antibacterial activity.

Introduction - Stilbene derivatives have been found to possess the oestrogenic[1], fangistative[2] and antibacterial activety[3]. Looking to the usefulness of stilbenes, I have therefore synthesised 2:4-dinitro-3-methoxy stilbenes in the following sequence of the reaction.

A number of routes for the synthesis of stilbenes have been mentioned in literature[4,5,6,7] knovenagel reaction has been used in the preparation of stilbene derivatives [8,9,10,11]

2:4 -Dinitro Toluene is condensed with number of substituted -3methoxy-benzaldehyde in presence of pyridene and piperidine, yielded 2:4 -Dinitro -3- methoxy stilbene(I)

Compound (I) was studied in presence of eight condensing agent, pyridine and piperidine have found to be the most effective condensing agent. Most suitable temperature 135-140^{0}c has been found for preparation of compound (I). condensation in presence of triton B, Morpholine or sulphuric acid were unsuccessful.

Introduction of halogen in compound (I) has increases the antibacterial activity. Therefore compound I was brominated by keeping it in atmosphere of bromine in a desicator for five days when dark red tetrabromo-2:4-dinitro-3[1]-methoxy stilbene obtained.

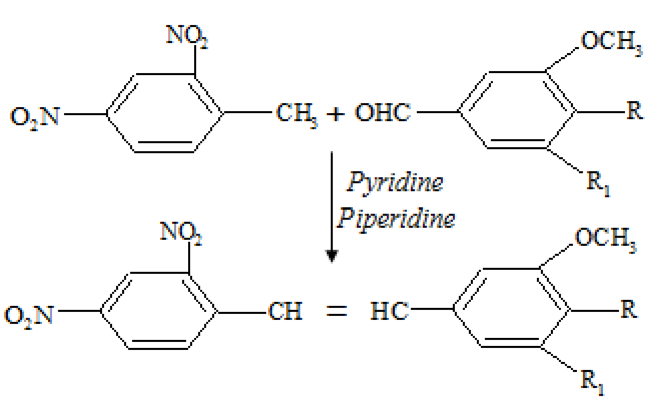

Compound (I)

	R_1		R_2
1	OCH_2 - CH = CH_2	i)	H
2	OH	ii)	CH_2 - CH = CH_2
3	O - SO_2 - CH_3	iii)	CH_2 - CH = CH_2
4	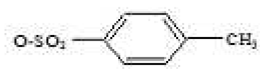	iv)	H
5	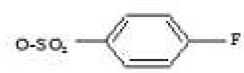	v)	H

Expeimental - All melting points were uncorrected and measured using an Electro thermal IA 9100 apparatus (Shimadzu, Japan). The purity of compounds was checked by TLC on silica gel G coated glass plates (Merck, Damstadt, Germany). IR spectra were recorded as potassium bromide pellets on a Perkin-Elmer on Unicam FTIR and perkin-Elemer FT-IR spectrum 1000 spectrophotometers (Shimadzu, Japan)

General Method for the sythesis of Compounds - Equimolecular quantities of derivatives of 3-methoxy benzaldehyde and 2:4 -Dinitro-toluene, Pyridine (one drop and Piperidine (one drop) were refluxed on a water bath for eight hours. the reaction mixture was cooled and the solid was filtered .The residue was recrystallised from ethanol when 2,4-Dinitro-3-methoxy stilbene was obtained as yellow, Red, Brown crystals. Similarly the compounds 1-7 were synthesised by adopting similar methodology. The physical and spectral data of compounds 1-7 have been incorporated in Table 1 and 2.

The present investigation records the condensation of 3-methoxy-4 allyloxy benzaldehyde with 2:4 Dinitro toluenes in presence of the following condensing agents-

1. Pyridine
2. Piperidine
3. Pyridine/Piperidine

* Deptt. of Chemistry, Govt. Auto. Girls P.G. College of Excellence, Sagar (M.P) INDIA

4. Quinoline
5. Quinaldine
6. Morpholine
7. Triton B
8. Sulphurinc acid

The products 3-methoxy-4-allyloxy-2:4 Dinitro stilbene has been isolated when condensation carried out in the presence of (1to 5) aforementioned condensing agents. There was no reaction when condensation was attempted in the presence of morpholine, B-Triton, When sulphuric acid was used as the condensing agents the reactants charred and only tar was obtained from when no solid product could be isolated (Table-2)

Antibacterial Activity- Stilbene derivatives were tested in vitro for their bactericidal action.

They have bactericidal activity against staphylo-cocci and streptococci. The purified product was screened by cup-Plate method. Testing was carried out in ethanol solution at the concentration of 10 mg ml^{-1}. The zone of inhibition of the test solution was recorded.

Table -4

in vitro **ANTIBACTERIAL ACTIVITEES OF STILBENE DERIVATVES**

Table - IV

Compound	Zone of inhibition after 24 h (mm)	
	Staphylo cocci	Strepto cocci
1	11	12
2	14	16
3	15	16
4	13	14

The compound 1, 2, 3, and 4 showed promising activity against staphylo cocci and strepto cocci other compounds showed moderate activity (Table)

The minimum inhibitory concentrations as the chemical compounds were record as the lowest concentration of each chemical compounds,

Ampicillin was used as the standard for comparing the result. (Table-3)

Muellor -Hinton agar was used for testing the susceptibility of micro organisms to antibacterial agents by well diffusion method" C.H. Collin and P.M. Lyne, microbiological- methods, Buterworh, london edu. 3, (1970)

Results and Discussion – A number of stilbene derivatives were obtained in good yield (35-75%) from the reaction of 1. The proposed reaction pathway shown in scheme-I. The elucidation of the structure 1 to7 was deduced mainly from elemental analysis and Ir. It was stated that when various substituted benzaldehyde were added to 2:4-Dinitrotoluene with the knovenagel reaction in pyridine and piperidine. 2:4-Dinitro-3[1]-methoxy stilbene compounds were obtained. In IR spectrum of compounds (1) The $-NO_2$ group in aromatic ring absorption bands were at 850, $-OCH_3$ in aromatic ring at 1150 phenyl substituted (1:2:3) 915 cm^1. (Alkene distributed).

Table 2, all compounds shows antibacterial-activity of the tested compounds. As can clearly be seen from Table-2 all compounds show antibacterial-activity against both Gram -positive and Gram- negative bacteria. When the results obtained were compare to those of standard antibiotics .It was determined that compound 3 has the highest antibacterial effect against all tested bacteria.

Conclusion – The stilbene derivatives are synthesised by the thermal reaction of 2:4 Dinitro tolulene with substituted Benzaldehyde in the presence of pyridine piperidene Antibacterial activity in vitro were determined by using cup-plate diffusion method. The components demonstrating broad spectrum activities may help to discover new chemical classes of antibiotics

Acknowledge - Thanks due to the Director CDRI Lucknow for providing spectra.

References :-

1. Dodds et al: Nature 139, 25-36 (1948)
2. J.C Mc Gowan, P.W Brain and H.G Heming Ann. Applied Biol 35, 25-36 (1938)
3. G Brownlee, F.C Copp, W.M. Deffin Biochem: J. 3 7,572 -7(1943)
4. Hell Ber, 37, 453 (1904) 37, 1431 (1904)
5. Meerwein, Buchrer and Emster, J. Prokt. Chem, 152, 237(1939).
6. L Ecauger and Oliver, Cmand, J. Res., 27B, 6891949) :28B 648(1950)
7. Thiele and Escales, Ber., 39, 1306(1906). Ullman and Gschwind Ber., 41, 2296 (1908)
8. Dornor and Boberg: Ann 578,107(1952)
9. S.K. Latta, Ph.D. Thesis A.P.S. University Rewa 1974
10. Text book of Organic Chemistry: Vol. I page 675-676, I.L. Finar (Longman 1975)

Table I
Stilbenes derived from 2:4 –Dinitro-toluene

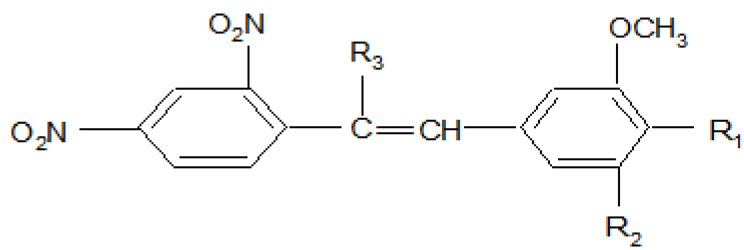

S. No	Aldehydes	Stilbenes			Colour	M.P ^{0}C.	Yield %	Formula	Nitrogen %	
		R_1	R_2	R_3					Found	Regd.
1	3-methoxy-4 allyloxy benzaldehyde	$-OCH_2-CH=CH_2$	H	H	Red	106	57.58	$C_{18}H_{16}N_2O_6$	7.72	7.86
2	3-methoxy-4 hydroxy benzaldehyde	-CH	$-CH_2-CH=CH_2$	H	Brown	153	22.72	$C_{18}H_{16}N_2O_6$	8.02	7.86
3	3-methoxy-4 mesyloxy-5-allylbenzaldehyde	$-O-SO_2CH_3$	$-CH_2CH=CH_2$	H	Brown	38	9.95	$C_{19}H_{18}N_2O_8S$	6.95	6.79
4	3-methoxy-4 tosyloxy benzaldehyde	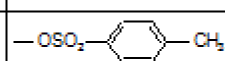	H	H	Yellow	159	49.36	$C_{22}H_{18}N_2O_8S$	5.72	5.95
5	3-methoxy-4 fluorosulfonyloxy benzaldehyde	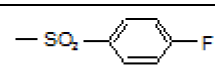	H	H	Brown	118	12.20	$C_{21}H_{15}N_2O_8FS$	3.85	4.17
6	3-methoxy-4-(benzamidazole)-sulfonyloxy benzaldehyde	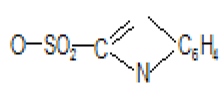	H	H	-	-	-	-	-	-
7	3-methoxy-4 allyloxy benzaldehyde	$-OCH_2-CH=CH_2$	H	COOH	Yellow	103	0.50	$C_{19}H_{16}N_2O_8$	6.27	6.08

Table - II
Yield of 2 nitro-3'methoxy-4'allyloxy- stilbene and formed in presence of different condensing agents

S. No.	Condensing agent Used	Quantity	Aldehyde in gram	Yield %	M.P.^{0}C.	Stilbene formed in g. G.	Yield%	M.P.^{0}C.
1	Pyridine	One drop	0.19	0.32	82	0.016	9.68	175
2	Piperidine	One drop	0.19	0.32	82	0.016	9.65	175
3	Pyridine & Piperidine	One drop	0.19	0.64	82	0.03	19.3	175
4	Quinoline	One drop	0.19	0.85	82	0.018	5.14	175
5	Quinaldine	One drop	0.19					
6	Triton B	One drop	0.19					
7	Morpholine	One drop	0.19					
8	Sulphuric acid	One drop	0.19					

Table – III
Infra red absorption frequencies of 2:4-dinitro -3'- methoxy -4'- allyloxy- stilbene

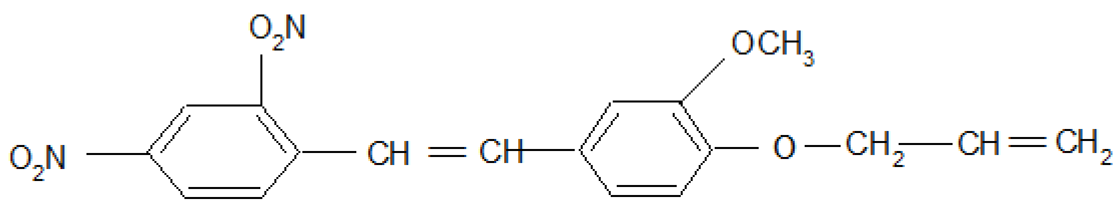

S.No.	Band or Group	Absorption band cm.$^{-1}$	Band Intensity
1.	-No_2 (in aromatic ring)	8501300	Medium and sharp strong
2.	-OCH_3 (in aromatic ring)	1150	Strong and sharp
3.	Allyloxy (in aromatic ring)	1265	Strong and sharp
4.	Phenyl substituted (1,3, 4)	1590	Strong and sharp
5.	Alkene disubstituted	975	Medium and sharp
6.	Phenyl conjugated	1070 1520 1440	Medium and sharp Strong and sharp Medium and sharp
7.	Phenyl substituted (1,2,4)	810 820	Sharp and medium Medium and sharp

Data on 2-4-dinitro stilbene derived from aldehydes are collected in Table (1, 2, 3).

****

Comparative Study Of Groundnut, Soyabean And Cotton Oil Cake Affecting Productivity Of Phytoplankton

Anjali Bhayal * Dr. Hemant Pandit ** Dr. R. R. Kanhere ***

Abstract - An experiment was conducted to evaluate the nutritive potential of groundnut oil cake, soyabean oil cake and cotton oil cake based treatments for rearing of productivity of phytoplankton under aquarium. One aquarium was control ($Treatment_0$) and other three aquariums were treated 10 gm groundnut oil cake ($Treatment_1$), 10 gm soyabean oil cake ($Treatment_2$) and 10gm cotton oil cake ($Treatment_3$). Water and plankton sample was collected at an interval of 7 days for the physico-chemical and quantitative analysis. During experiment period mean physico-chemical qualities of water obtain following ranges temperature 27° C to 30.1 1° C, DO 6.5 to 8.0 mg/lit and pH 7.4 to 8.2. Four group s of phytoplankton viz. Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Cyanophyceae and Euglenophyceae consiting of 27 species were identified. Among identified Chlorophyceae 12 species, Bacillariophyceae 8 species, Cyanophyceae 6 species and Euglenophyceae 1 species. Bacillariophyceae group dominated among the four classes. In $Treatment_0$ were observed Chlorophyceae 53%, Bacillariophyceae 36%, Cyanophyceae 10% and Euglenophyceae 1%. In $Treatment_1$ were observed Chlorophyceae 40%, Bacillariophyceae 45%, Cyanophyceae 13% and Euglenophyceae 2%. In $Treatment_2$ were observed Chlorophyceae 32%, Bacillariophyceae 53%, Cyanophyceae 14% and Euglenophyceae 1%. In $Treatment_3$ were observed Chlorophyceae 41%, Bacillariophyceae 43%, Cyanophyceae 14% and Euglenophyceae 2%. Studies have revealed productivity of phytoplankton increase and soyabean oil cake was best treatment than use of three treatments.
Key words - Groundnut oil cake, Soyabean oil cake, Cotton oil cake, Phytoplankton, Physico-chemical parameter.

Introduction - Planktons are weakly swimming but mostly drifting small organisms that inhabit the water column of ocean and bodies of freshwater. The name comes from Greek term plankton meaning “Wandere” or “drifter”. Fertilization of fish pond actually increase the production of beneficial phytoplankton, microscopic free floating algae that act as the basis of the food chain by increasing the phytoplankton in a pond, more food item are for smaller fish. This is increase productivity thereby increasing the amount of harvestable fish. The harvest of a fertilized pond can be triple that of unfertilized pond.

There are two types of fertilizers used- inorganic and organic. Organic manures, chemical fertilizers and artificial feed can be used to increase the plankton biomass, on which fish mainly feeds. The ultimate goal of fertilization is to achieve suitable environmental condition for the production of natural food for fish, but in comparison with organic manure, fertilizers increase the level of primary productivity, algal abundance, DO, pH and total phosphate. (Afzal *et al.* 2007 and Jana *et al.* 2001)

Oil cakes have been widely used for the production of industrial enzymes, antibiotics, bio-pesticides, vitamins and other bio-chemicals. They have been commonly used as supplementary feed. Oil cake rich protein content, they are used animal feed and fish. Banerjee and Banerjee (1967) studied fertilization of fish ponds with trace element manganese for increased production of plankton.

Materials and Methods - The experiment was run in four glass aquaria with dimension of (2 feet x 1 feet x 1 feet) each having 20L of ground water without a soil base. Groundnut, Soyabean and Cotton oil cake used in present investigation. For experiment measuring 10 gm/20L water was selected treatment. The $Treatment_0$ (Control) and other $Treatment_1$ (Groundnut oil cake), $Treatment_2$ (Soyabean oil cake) and $Treatment_3$ (Cotton oil cake) were given in Table-1. The conventional mixture of groundnut, soyabean and cotton oil cake 10 gm were used in three aquariums. Water and plankton sample was collected at an interval of 7 days for the physico-chemical and quantitative analysis respectively. Physicochemical parameter was analysis using standard method. The plankton sample were collected of following Lind (1938) and Welch (1953) by filtering 40 liter of water through small plankton net made up of bolting silk no. 25 (64µ mesh size). The concentrate was preserved in 5% formalin solution for phytoplankton study respectively. The environmental variables such as temperature, pH, DO,

* Deptt. of Zoology, Shahid Bhima Nayak Govt. P. G. College, Barwani (M.P.) INDIA
** Madicaps College, Rao, Indore (M.P.) INDIA
*** M.P. PSC Exam Controller, Indore (M.P.) INDIA

nitrogen and phosphate play a decisive role in altering the phytoplankton density. The systematic identification of phytoplankton was made by standard Keys of Prescolt (1951), Edmonson (1959), Adoni (1985), APHA (1998).

Results and Discussion - The experiment period, mean physico-chemical qualitative of water as obtain from the different experiment aquarium was presented. The following values of the water quality parameter were recorded:

*Water temperature = 27 to 30.11° C,

*Dissolved oxygen = 7.5 to 8.3 mg/liter,

*pH = 7.4 to 8.2.

A total of 21 species belonging to four groups have been identified. Chorophyceae to 12 species, Bacillariophyceae to 8 species, Cyanophyceae 6 to species and Euglenophyceae to 1 species contributed to phytoplankton in to aquarium. Some species were *Ankistrodesmus sp., Chaetophora sp., Closterium sp., Cosmarium sp., Scendesmus sp. and Spirogyra sp.* mostly observed in Chlorophyceae group. *Amphora sp. and Diatoma sp.* were highly observed in Bacillariophyceae group. *Microcystic sp., Spirulina sp.* and *Oscillotoria sp*. were dominant in Cyanophyceae group.

Table No. 1 (See in the last page)

Soyabean oil cake had the highest protein, crude lipid, crude fiber content while Groundnut and Cotton oil cake protein, Crude lipid, Crude fiber Shown in table 1. In Control $treatment_0$ average abundance of Chlorophyceae were found 467 No/lit, Bacillariophyceae was 322 No/lit, Cyanophyceae was 89 No./lit and Euglenophyceae was 12 No/lit in shown table 2 and fig 1.In Groundnut oil cake $treatment_1$ average abundance of Chlorophyceae were found 4870No/lit, Bacillariophyceae was 5470 No/lit, Cyanophyceae was 1575 No./lit and Euglenophyceae was 200 No/lit in shown table 2 and fig 1. In Soyabean oil cake $treatment_2$ average abundance of Chlorophyceae was found 7900 No/lit, Bacillariophyceae was 13190 No/lit, Cyanophyceae was 3500 No/lit and Euglenophyceae was 400 No/lit in shown table 2 and fig 1. In Cotton oil cake $treatment_3$ average abundance of Chlorophyceae was found 2480 No/lit, Bacillariophyceae was 2595 No/lit, Cyanophyceae was 850 No./lit and Euglenophyceae was 110 No/lit in shown table 2 and fig 1. These oil cakes are in order in dominance as Soyabean oil cake> Groundnut oil cake > Cotton oil cake. It is evident from the plankton data obtained during the present experiment that the average abundance of total plankton was significantly higher in soyabean oil cakes than other. Suitable water quality is a prerequisite for the maintenance of healthy aquatic environmental condition of the aquarium water. In the present study better planktonic population and optimum productivity were obtained through the application of fertilizer in ponds which agree with the report of Jhingran & Pullin (1985). In present study, experimental treatment were a protein level of 22-28% which a fairly balanced treatment for better growth of plankton and fish. Singh (1986), Singh and Dhawan (1996), Jahan *et al.* (2013) obtained almost similar result. Protein content in the diet has significantly affected the growth of carp fingerlings and plankton.

Table No. 2 (See in the last page)

Fig. 1 (See in the last page)

Conclusion - The result of the present study indicates that groundnut oil cake; cotton oil cake gave lower productivity of plankton compared to soyabean oil cake. The use of soyabean oil cake is best for plankton productivity and carp fingerlings because quantity of protein in high other oil cake.

References :-

1. **Adoni, A.D. (1985)**. Work book on limnology. Pratibha Publisher C-10 Gour nagar, Sagar-470003, 191-195
2. **Afzal, M., RAB, A., Akhtar, N., Khan, M.F., Qayyum, A.B. (2007):** Effect of organic and inorganic fertilizers on the growth performance of Bighead carp (Aristichthys nobillis) in polyculture system. International J. of Agriculture & Biology, 9(6): 931-933.
3. **APHA (1998).** Standard method for examination of waterand waste water American public health association 20th Ec. APHA New York.
4. **Banerjee, S.M. and Banerjee, S.C. (1967).** Fertilization of fish ponds with trace element manganese for increased production of plankton: FAO Fish. Reo.,3 (44): 132-152.
5. **Edmonson, W.T. (1971).** Population dynamics and secondary production. *Ergeb. Limnol.,* 8: 56-64.
6. **Lind, E.M. (1938).** Studies in periodicity of algae in the beau chief ponds, Shaffiels. *J. Ecol;* 26:257-274.
7. **Jahan, D.A., L. Hussain, Islam, M.A. and M.Khan. (2013).**Comparative study of mustard oil cake and soyabean meal based artficial diet for rohu, Labeo rohita (Ham.) fingerlings. *The Agriculture* 11(1): 61-66 (2013).
8. **Jena, J.k., Mukhopadhyay, P.K. and Aravindakshan, P.K. (1999).** Evaluation of a formulated diet for raising carp fingerlings bin field condition. *Journal of Applied Ichthyology,* 15 : 188-192.
9. **Jhingran, V.G. and Pullin, R.S.V. (1985).** A hatchery manual for the common, Chinese and Indian major carps. ICIarm studies and Riviews 11. Asian Devlopment Bank, Manila, Philippines and ICLARAM, Manila, Philippines, 191p.
10. **Prescott, G.W.A. (1951).** Algae of the western great lakes areas; Insitute of Science, Bulletin, No. 31: 946p.
11. **Singh, R. and Dhawan, A. (1996).** Effects of formulted diets on growth and ovarian maturation in common carp Cyprinus carpio commnunisLinn. *Indian Journal of fisheries,* 43 (4): 349-353.
12. **Singh, S.D.(1986).** Relationship between primary productivity and environmental parameters of tropical lake statistical analysis. *Poll. Res.*, 5(3-4): 103-110
13. **Welch, P.S. (1953).** Limnology methods Mcgran hill book Co. New York.

Table No. 1 - Chemical composition of oil cakes (%)

Ingredients	Crude protein	Crude lipid	Crude fiber	Ash	Nitrogen free extract
Groundnut oil cake	41.73	**8.60**	**4.61**	**5.76**	**31.99**
Soyabean oil cake	43.30	15.55	**4.95**	**5.71**	**30.49**
Cotton oil cake	**24.79**	**8.91**	**29.60**	**6.27**	**34.46**

Table No. 2 - The ranges of cell density of different Phytoplankton species in four treatments throughout the study period of study

S.No.	Name of group and species	Treatment 0	Treatment 1	Treatment 2	Treatment 3
	Chlorophyceae				
1	Ankistrodesmus sp.	50	700	1400	300
2	Chlorella sp.	70	350	500	200
3	Chaetophora sp.	50	800	1100	400
4	Closterium sp.	62	600	900	300
5	Gonium sp.	30	50	100	120
6	Oedogonium sp.	50	200	300	300
7	Cosmorium sp.	30	300	500	100
8	Pediastrum sp.	30	200	200	200
9	Scendesmus sp.	60	750	1200	450
10	Spriogyra sp.	20	720	1200	70
11	Ulothrix sp.	10	100	200	40
12	Volvox sp.	5	100	300	0
	Total	**467**	**4870**	**7900**	**2480**
	Bacillariophyceae				
1	Amphora sp.	100	2000	5000	1000
2	Diatoma sp.	52	2500	7000	400
3	Frugilaria sp.	55	220	200	0
4	Frustulia sp.	60	110	150	700
5	Synedra sp.	20	150	300	325
6	Tabellaria sp.	10	100	300	0
7	Novicula sp.	15	200	120	100
8	Pinnularia sp.	10	190	120	70
	Total	**322**	**5470**	**13190**	**2595**
	Cyanophyceae				
1	Anabeanopsis sp.	15	200	700	100
2	Spirulina sp.	20	350	700	100
3	Oscillotoria sp.	10	450	1000	100
4	Merismopidea sp.	10	125	200	100
5	Microcystis sp.	22	400	800	400
6	Nostoc sp.	12	50	100	50
	Total	**89**	**1575**	**3500**	**850**
	Euglenophyceae				
1	Euglena sp.	12	200	400	110
	Total	**12**	**200**	**400**	**110**

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

Fig. 1 Phytoplankton density in aquarium use of 10gm/20 lit. three Oil Cakes

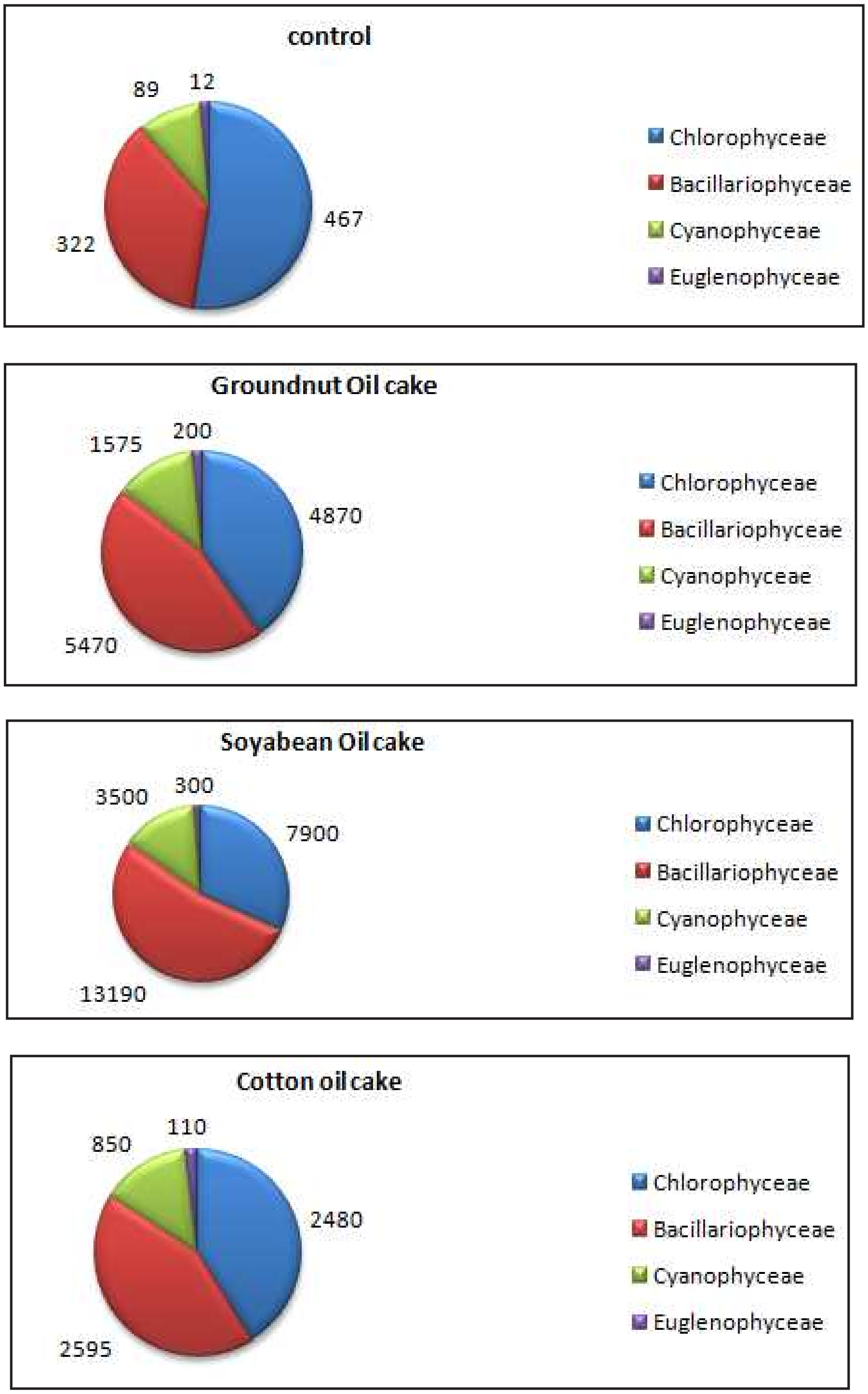

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

Towards Motivation And Development Of Scientific Attitude Among College Science Students

Raghunath Mahajan * Sandip Patil ** Suhasini R Mahajan ***

Abstract - Attitude is an expression of favour or disfavour towards a person, place, thing or event. It influences view of science. In this perspective of revolution of science and technology, importance of science education has become more noteworthy and pertaining to this developing a science temperament among the learners is necessary. Scientific attitude has three basic component, belief, feeling and action. With the help of selective characteristics of Nobel Prize winners as they inherent, objectivity, open mindedness, persistence, creativity and flexibility like attitudes are describe. The belief that their contribution to world definitely proposes relevant directives to improvement in learner's attitude towards not only in science but also concerning development and aspiration in various fields and need of the society. Some advance teaching techniques are also suggested to develop scientific attitude. For simplicity, three approaches of practical work to understand the meaning of teaching and learning in context to motivation and development of scientific attitude at college level among the science students have proposed. Teacher is an aspirator, a facilitator, a good narrator; and an educator. Science teachers should accustom themselves with latest developments in the field of science and technology and skills so as to attract learners toward science. Teacher's role is aspiration and strengthening new generation for better society. What are we teaching? What are they learning? What are we auditing? Answer to this is discussed in this paper.
Key words - descriptor, mentor, aspirator, educator, scientific attitude.

Introduction - The investigation of student's attitude towards study science has been a substantive feature for the work of science education community for last 20 years. Many facts as gender, teacher, curricula and other variables are important to inculcate science attitude among the learners. It is the aspiration to know and understand, Attitudes towards science and scientists influence views of science. (Jonathan Osborne ,2003, Farahhnaz Movahdzadeh, 2011). It encourages questioning mind and a spirit of enquiry. An attitude in science encourages learners to develop safe and sound, accountable and collaborative working practices when carrying out experimental work. Developing attitude in science would help nation to cope up with vigorous advances in technology all around the world. (Rajib Mukhopadhyay, 2014) Career consciousness, and classroom participation, television programs, commercials, books, and the social network around the learners strongly influence attitude towards science. Belief is the cognitive basis of scientific attitude, which provides learner scientific information of several phenomenon's, eminent scientists, and inventions etc. Science teachers should accustom themselves with latest developments in the field of science and technology and skills so as to attract learners toward science.

Twenty general science attitudes found among the learners are,

1. **Empiricism** Knowledge comes only or primarily from sensory experience. A scientist prefers to "look and see."You do not argue about whether it is raining outside-just stick a hand out the window,
2. **A thirst for knowledge, an "intellectual drive**
3. **Determinism** "Cause-and-effect" underlies everything**,**
4. **Precision** Scientists are impatient with vague statements,
5. **Parsimony** Prefer the simple explanation to the complex,
6. **Skepticism** All statements make assumptions of prior conditions,
7. **Respect for paradigms** Universally recognized scientific achievements that, for a time, provide model problems and solutions for a community of practitioners,
8. **Aversion to superstition and an automatic preference for scientific explanation** A scientist

*Deptt. of Microbiology, KCE Society's, Post Graduate College of Science & Technology and Research, Jalgaon (Maharashtra) INDIA
** Deptt. of Microbiology, KCE Society's, Post Graduate College of Science & Technology and Research, Jalgaon (Maharashtra) INDIA
*** Dr. Annasaheb G. D. Bendale Mahil Mahavidyalaya, Jalgaon (Maharashtra) INDIA

rejects superstition and prefers science paradigms out of an appreciation for the power of reality based knowledge,

9. **A respect for power of theoretical structure** "That is all right in theory but it won't work in practice",
10. **Scientists** are addicted puzzle-solvers,
11. **Awareness of assumptions** Good scientist starts by defining terms, making all assumptions very clear, and reducing necessary assumptions to the smallest number possible. Scientists are very specific about what they "know" or will say with certainty,
12. **Suspended judgment** Difficult to give an opinion already investigated matter,
13. **Willingness to change opinion** When Harold Urey, author of one textbook 'theory on the origin of the moon's surface', examined the moon rocks brought back from the Apollo mission, he immediately **recognized this theory did not fit the hard facts** laying before him. **"I've been wrong!"**he proclaimed without any thought of defending the theory he had supported for decades,
14. **Loyalty to reality** Dr. Urey above did not convert to just any new idea, but accepted a model that matched reality better. He would never have considered holding to an opinion just because it was associated with his name,
15. **Ability to separate fundamental concepts from the irrelevant or unimportant,**
16. **Respect for quantification and appreciation of mathematics as a language of science,**
17. **An appreciation of probability and statistics,** Effectiveness of results is proved by analyzing data by its probability and statistical significance,
18. **An understanding that all knowledge has tolerance limit** Values that scatter at least slightly around the average point. E.g. Human's core body temperature,
19. **Empathy -** the capacity to place oneself in another's position, Capacity to share or recognize emotions experienced by another sentient it means ability to feel, perceive, or to experience subjectivity.
20. **A belief that problems have solutions** perhaps not easily, but possible.

Earlier researchers found common aspects of teaching that, we perceived to be effective by both teachers and pupils, these are:

I. Clear goal for pupil learning
II. Use of preview and review of lesson content
III. Clarity of communication of lesson goal and agenda to pupils
IV. An ability and willingness to allow for different cognitive styles and of engaging with learning process among pupils. The interpreted a range of components in the measures of attitudes to science include:

I. Nature of classroom environments
II. Motivation towards enjoyment of science and the value of science
III. The perception of science teacher
IV. Anxiety towards science
V. A fear of failure course
VI. Self-esteem of science
VII. Attitudes of peer, friends and parent's towards science
VIII. In achievements in science (Munby,1983, Kobella et al, 1889, Utibe et al, 2013)

Learners attention could be drawn by judging properly student's aptitude level that is important decide teaching parameter accordingly the level of learner. We have defined following descriptor to decide student's achievement level at 10 scale attitude? **(See in the last page)**

Many teaching techniques are evolved and suggested to develop scientific attitude.(Hakan 2010 , Chandrashakar, 2014,and Deshpande, 2010). Some out of them are, innovative teaching plans, designing of animation, use of power point presentation, screening of science documentaries and movies, use of ICT, smart class rooms as well as designing simple experiments to demonstrate laboratory course, Virtual classroom practical's and lessons Organization of Seminars, Science fair, Science exhibition, Conferences, Science quiz's, competitions, Workshops, Anveshan and Avishkar could fascinate learners to develop science attitude. Organization of academic visits to institute and industries boosts clarification of future ideas about carrier in science. (Mahajan et al 2016)

Additional attention could be strained from emphasis on Computer literacy (ICT) among the learners and teachers. Good mentor- mentee relations, Quality of teacher, clarity in communication, help of teaching aids, defining learners vision, mission and goal could help to develop scientific attitude and science related values among learners of science faculty.

Improving social wellbeing through education, research and innovations -

Argumentation: Teaching and learning using practical work - Practical work we mean tasks in which learner, observe or manipulate real objects or materials or witness a teacher's demonstration.

Practical work can -

I. Motivate pupil by stimulating interest and enjoyment
II. Teach laboratory skills
III. Enhance the learning of scientific knowledge
IV. Give insight into scientific method and develop expertise in using it
V. Develop scientific attitudes such as open-mindedness and objectivity

We put following point to learners knowledge to make practical work more effective

I. The teaching objectives should be clear ,relatively few in number for any given task
II. The task design highlights the main objective and keeps noise to minimum.
III. A strategy is used to stimulate the students thinking before hand, so that the practical task is answering a question, the student is already thinking about.

IV. In the context of teaching scientific knowledge; practical work is best seen as communication and not as discovery.

We would like to suggest some examples of simple experiments to motivate and to develop scientific attitude among science students

Experiment 1 - Innovative ideas to demonstrate various practical exercises based on titration using 0.1 N HCl and 0.1 N NaOH . Such experiments not only provide practical knowledge on different aspects but also facilitate to conduct examination at graduate and post graduate level students. Acidity or alkalinity of a given sample is calculated by simple titration using appropriate indicator, standard 0.1 N NaOH and 0.1 N HC1 solutions are used for such study. The utility of this practical exercise is applied for number of practical's routinely carried out at post graduate and under graduate courses of biosciences. Such study includes analysis of i. fermentation ii.urine excretion iii. Stomach function iv. Protein chemistry v. Applied chemistry vi. Enzymology vii., Oil chemistry and viii. Metabolic study. This classroom activity is useful as teaching tool to students who are not opted chemistry as subject at S Y B. Sc level at several Universities. At low cost time saving, economic kit prepared serves as a tool for chemical education which improves skill, better understanding chemical principles. It has been found that SY students of above category are slow learner and sensitive for these practical's

Experiment 2 - Use of edible and non edible oil cake as source of nitrogen for culturing various organisms Oil cakes are rich in protein ,fibre and energy contents. Owing their availability at low cost they may be included in the studies concerning microbiological and biotechnological practicals. They could be used as fermentation substrates in developing bioprocesses for the production of organic chemicals and bimolecular, for the studies of industrial enzymes, antibiotics, biopesticides, and vitamins and other biochemicals production using microbes

Experiment 3 - Standardization of simple protocol to study proteolytic enzyme activity of locally available laticiferous garden plants

In our laboratory a simple protocol established to study proteolytic activity of latex of garden plants to introduce enzyme chemistry and its utilizations for commercial industrial application. Native plants of Khandesh region belonging to various families such as *Apocynaceae, Asclepidaceaae, Caricaceae, Moraceae* and *Euphorbiaceae* possess caseinolytic , gelatinolysis and milk clotting properties . The latter is used for searching a substitute for animal rennet to clot milk, in turn, used for cheese production.Simple protocols are i. Digestion of casein ii. Degradation of gelatin from X- ray film iii. Clotting of milk. All these protocols are simple, time and money saving and can be taught to UG and PG students of life sciences without much complications. Setting and conducting all above experimental approach, lead to improvement in student's skills , attitude and research culture is motivated at college level.

To develop scientific attitude in science and related values in subject, here are examples of some Nobel laureates, explaining nature of their work with keywords, these are:

i. Curiosity An eager or desire to know, Galileo Galilei's curiosity about the heavenly bodies made him the first person to use a telescope to study the moon, the sun, the planets, and the stars. With his telescope, he discovered the moons of Jupiter, the craters on the earth's moon, and the sunspots

ii. Logical and systematic behavior, careful and accurate record keeping among the reasons why Gregor Mendel discovered the principles of heredity when others have failed was his logical experimental methods and his careful and accurate record keeping.

iii. Open Mindedness and Free of Bias, An open minded person is one who can modify or discard hypothesis, if necessary. Johannes Kepler- develop evidence that planet moved along perfect circles But after 15 years of work, he broke away from that idea and discovered that planets follow elliptical orbits.

iv. Intellectualy honest, Newton built his laws of motion on the previous work of Gallileo and others. In fact, Newton's fist law was very similar to Galileo's concept of inertia. He never claimed that he worked out his laws by himself.

v. Work Hard and Is Persistent, Marie Curie was the first person ever to be awarded the Nobel Prize twice. It was not surprising considering how hard she worked in a small wooden shed with a dirt floor and a leaky roof. This is where she discovered radium and polonium.

vi. Creativity, Albert Einstein was able to derive his theory of relativity because he went beyond what was given and known at that time. He studied links and connections where others did not. He looked at things from different perspectives.

Nobel Prize is the most coveted award of the world, awarded to eminent personalities contributing valuably to various walks of life. The following Indian have made us proud by winning the Nobel Prize

i. Ravindra Nath Tagore – in literature (1913) for his work "Gitanjali"
ii. Sir C. V. Raman, in physics (1930) for "Raman Effect"
iii. Dr. Hargovind Khorana in medicine and physiology (1968) for interpreting the genetic code and analyzing its function in protein chemistry
iv. Dr. Subramaniam Chadrashrkar in Physics (1983) for his theoretical work on stars and their evolution
v. Mother Teresa, in Peace (1979) she dedicated her life serving the poor , and sick people around the world
vi. Dr. Amartya Sen in Economics (1998) for social support in development appeared humane and wise
vii. Dr. Rajendra Kumar Pachauri In Peace (2007) on the behalf of the intergovernmental panel on climate change

Conclusion - This paper provides information regarding many facets of teaching on student's attitude to science. Science educators have much to learn from the growing body of the literature on the study of motivation and update recent information Teachers training, quality of teacher, infrastructure and learning resources offer opportunity to students to achieve excellence in learning outcomes. The amount of research or studies being done on the science topic is continuously increasing. Motivation offers important pointer to the kind of classroom environment and activities that are raise pupils interest in study science and lead to focus for future research. This is our general observation, based on last 30 years of teaching at science College students. Research culture among UG and PG college student is initiated, such initiatives inculcate student's ability to participate and present their research work as budding researchers in seminar, workshop and Avishkar etc.

References :-

1. Akcay H ,Yager RE, Iskander S M., & Turgut H, Change in student beliefs about attitudes toward science in grades 6-9Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching**;** 2010.**11**. 1, 1
2. Candrasekaran S, Developing Scientific Attitude, Critical Thinking and Creative Intelligence of Higher Secondary School Biology Students by Applying Synectics Techniques: International Journal of Humanities and Social Science Invention; 2014. 2319 – 7714
3. Deshpande L, Challenges in Measurement of Scientific Attitudehttp://www.hbcse.tifr.res.in/episteme/episteme-1/allabs/leena_abs.pdf
4. Farahhnaz M, Importance of students attitude towards science through blended learning, science education and civic engagements summe 2011seceij.net /secelj/ summer-im html
5. Farahnaz M, Improving Students' Attitude toward Science through Blended Learning science education and civic engagement summer '2011.3:2
6. http://skylinepdx.weebly.com/uploads/6/6/7/3/6673645/ib_science_assess_criteria.doc
7. http://www.k-state.edu/biology/pob/modern_attitudes.html
8. http://www.preservearticles.com/2012041730555/how-to-develop-scientific-attitudes.html
9. Jonathan Osborne, Attitude towards science a review of the literature and its implication, international journal. sci. educ; 2003.**9.**1049-1074
10. Mahajan S, Rane S And Ladhe Y, recent aspects on tools, techniques and skills applied in teaching – learning vocational and technical education, In Book Emerging Trends In Technical And Vocational Education And Training, Lenin Media ,Bhopal; 2016.395-402
11. Mukhopadhyay R, Scientific attitude – some psychometric considerations IOSR Journal of Humanities and Social Science. 19.1. 2014. 98-100
12. Munby H, An investigation into the measurement of attitudes in science education Columbus,OH: ';SMEAC, INFORMATION CENTER ,OHIO, State University1983
13. Patrice P, and Abdelrim H., ''studies in science education, 2014.**50** 85
14. Thomas R. K, and Athens G A, Changing and Measuring Attitudes in the Science Classroom Research Matters - to the Science Teacher No. 1989.8901
15. Utibe C, Atah A and Ogumogu E, An Investigation of the Scientific Attitude among Science Students in Senior Secondary Schools in Edo South Senatorial District, Edo State. Journal of Education and Practice; 2013. **4**. 11

Achievement level	Level indicator Student requires
0	The student does not reach a standard described by any of the descriptors below
1-3	**Some guidance** to work safely and **some assistance** when using material and equipment. **Some guidance** to work responsibly with regards to the living and non-living environment. When working as part of a group, needs **frequent reminders to cooperate with others**
4-6	**Little guidance** to work safely and **little assistance** when using material and equipment.**Works responsibly** with regards to the living and non-living environment. When working as part of a group cooperates **with others on most occasions.**
7-10	**No guidance** to work safely and uses material and equipment **competently**.Works responsibly with regards to the living and non-living environment. When working as part of a group, cooperates **with others**.

****

Efficiency Of Sub Surface Flow Constructed Wetland System Using Reed Grass In Grey Water Treatment

Dr. Shalini Saxena *

Abstract - For past so many years wetlands have served functions like providing habitat for aquatic and terrestrial plants and animals, for recreational activities and for treatment of polluted water. Both natural and constructed wetlands gave been used for treatment for wastewater from sewage, septic tanks, agricultural activities, industries, landfills and highways, etc. Treatment of wastewater in a wetland includes process like sedimentation, filtration, removal of BOD and COD and removal of nutrients. The removal of nutrient includes removal of nitrogen and phosphorus. Removal of nitrogen takes place by the process of nitrification and denitrification, which results in removal of nitrogen in the form of N2 gas.Phosphorus is removed by process of adsorption to the ions of metals like Fe, Al, Mg, etc. The removal of nutrients in wetlands is effected by factors like inflow rate, outflow rate, pollutant loading rate, hydraulic retention time (HRT), hydraulic loading rate, climatic conditions, temperature, pH, oxygen availability, wetland design components – substrate, vegetation and living organisms. Case studies presented in the paper provide an insight on the efficiency of contracted wetlands to remove the nutrients and changes in the efficiency of nutrient removal by the change in the factors affecting it.

Key words - Constructed wetlands, nutrient removal, nitrogen, phosphorus.

Introduction - The term wetland is defined as "those areas that are inundated or saturated by surface or ground water at a frequency and duration sufficient to support, and that under normal circumstances do support, a prevalence of vegetation typically adapted for life in saturated soil conditions.Wetlands generally include swamps, marshes, bogs and similar areas."Wetlands are the areas where water table is at or near the land surface and rocks and gravel are submerged in the water during some time or the whole growing season. Hydrophytes (water tolerant plant species) are adapted to grow in the hydric soils of the wetlands. The types of plant and animal communities surviving in the wetland and development of the soil depend upon the saturation state of the soil in the wetland. Wetlands exist naturally in our ecosystem, but wetlands can also be constructed to simulate the processes and functions of natural wetlands. Natural wetlands are transitional areas between the terrestrial and aquatic systems (Sundaravadivel 2001). USEPA categorizes four types of natural wetlands: marshes, swamps, bogs and fens..Constructed treatment wetlands also have some limitations such as, large land area required, long time period required for growth of vegetation and achieve efficient treatment capacity, large open area with standing water can be a breeding ground for mosquitoes and insects, construction of wetlands can be affected by areas with high water table and steep topography, and wetland performance is based on usage and climatic conditions. Constructed treatment wetlands are designed such that wastewater from a source flows in the wetland and exits after some period of time. Constructed wetlands are lined such that there is no effect on groundwater. The time for which water remain in the wetland is called the hydraulic residence time (HRT). One of the important factors in designing of a wetland is the hydraulic loading rate – which is loading on a water volume per unit area basis. Inflows to a wetland include wastewater inflow, precipitation and storage.Losses from a wetland include effluent discharge, evapotranspiration and transpiration from the plants.Generally, wastewater treatment constructed wetlands are of two types: Surface flow wetland and subsurfaceflow wetland (Internet reference 1). Surface flow constructed wetland (figure 1) are very similar to natural wetlands as they are designed to maintain a 4-18 inches deep water level above the soil. Subsurface flow constructed wetlands (figure 2) have a 1-2 feet media layer of rock or gravel and are designed to maintain the water level just below the media layer.

Figure 1 - Surface flow constructed treatment wetlands (Constructed wetlands 2002). **(See in the last page)**

The media surface is unexposed to the atmosphere in the sub-surface constructed wetlands whereas the water surface is exposed to the atmosphere in the surface flow wetlands. The biological treatment in the sub-surface flow wetlands is anaerobic as the media is unexposed to the atmosphere but aerobic treatment of wastewater occurs in the surface flow wetlands. The presence of media in the sub-surface flow wetlands makes it more efficient than the other type, because the rocks (used as media) create a lot

*Professor (Chemistry) Govt. M.L.B. College Bhopal (M.P.) INDIA

of pores and crevices for the microorganisms to react with the wastewater.

Figure 1- Working Method & Components of a constructed wetland (See in the last page)

To understand the wastewater treatment processes and nutrient removal processes in the wetland, it is important to know the main components of the wetland and the factors that influence the wetland performance. The main components of the wetland are wetland vegetation, soil or substrate or media, water column and living organisms in the wetland.

- **Wetland vegetation -** Plants used in wetlands should be able to adapt to water logged conditions and local climatic conditions. Such emergent plants should be resistant to high pollutant levels.Commonly used hydrophytes in the constructed wetland are reed canary grass, softstem bulrush, sedges, wild rice, soft rush, etc. Some of the important functions of vegetation in the wetlands are: to produce oxygen (needed for aerobic reactions) during photosynthesis, reduce velocities of inflowing water and thereby create better conditions for sedimentation of suspended solids, improve hydraulic conductivity of the substrate or media, and uptake nutrients from wastewater, stabilize substrate and enhancing its permeability.
- **Soil or substrate -** Substrates for wetland include soil, sand, gravel, rocks, etc. Constructed wetlands generally use gravel as the substrate as it provides a larger surface area for biological and chemical processes to take place and also provide site for suspended solids and removed pollutants. Course gravel as opposed to soil or fine gravel will provide high hydraulic conductivity in the wetland, which is required to stabilize the hydraulic retention time of the wetland.
- **Water column -** Water in the wetland is required for the occurrence of the biochemical reactions. It also acts a medium of transport for organic solids, nutrients, gases, etc.
- **Living organisms -** Of all the living organisms found in a wetland, microorganisms like bacteria, fungi, protozoa, etc play an important role in the treatment of wastewater. These microorganisms help in biochemical reactions taking place in the wetland as a part of the treatment process.

Wastewater treatment in wetlands - Wastewater treatment in wetlands include removal of pollutants like organic material, suspended solids, pathogens, toxic waste, etc and nutrients like nitrogen and phosphorous. Processes of removal of pollutants and nutrients in wetlands can be broadly classified in to physical, chemical and biological processes.

- **Physical processes -** Physical processes include filtration and sedimentation. Vegetation in the wetland acts as hindrance for the flowing water, there by reducing velocity and helping in sedimentation of suspended solids. The substrate in the wetland acts as a medium for filtration process.
- **Chemical processes -** some chemical processes that occur in constructed wetlands are precipitation of heavy metals, destruction of pathogens due to photochemical reactions.
- **Biological processes -** The main biological processes occurring in wetlands that results in removal of pollutants and nutrients are: photosynthesis, respiration. Fermentation, nitrification, denitrification and phosphorus removal. Photosynthesis helps in maintaining the oxygen supply for plants. Respiration helps in maintaining dissolved oxygen content in the water. Fermentation leads to decomposition of organic carbon. Nitrification and denitrification are processes of nitrogen cycle that results in removal of nitrogen. Phosphorus removal process results in removal of phosphorous from the wetland.

Removal of BOD (biochemical oxygen demand), which is a measure of rate of oxygen consumption of organic matter by microorganisms), is removed by processes of biological degradation and sedimentation.

Biological degradation of organic carbon in the organic matter takes place in the wetland in aerobic conditions to produce CO2 and in anaerobic conditions to produce methane. Suspended solids are removed by sedimentation, filtration. Suspended solids are removed by adsorption on the substrate (gravel).

Pathogens trace metals are removed by sedimentation, filtration, adsorption and exposure to sunlight. Trace metals are reduced by processes like plant uptake, soil or substrate adsorption and precipitation of the compounds of the metals.

Removal of nutrients - Nitrogen and phosphorous are two main nutrients found in wastewater in high quantities. Nitrogen is mostly found in the form of nitrates in the water. Some of the problems associated with high levels of nitrates in drinking water or surface water are: serious health effects in humans and eutrophication in lakesand ponds. High levels of Phosphorus in surface water can also cause eutrophication in lakes. Wastewater from agriculture and sewage contains high levels of these nutrients and constructed treatment wetlands are capable of reducing their levels.Phosphorus is present in the water in the form of orthophosphate and organic phosphorus. It is found in the wetlands as part of sediments. Phosphorus cycle in wetlands is the most beneficial process.

Adsorption of is the most important phosphorus removal process in the wetlands. Adsorption of phosphorus occurs due to reactions with iron, calcium and magnesium present in sediments. Adsorption of phosphorus to iron ions takes places under aerobic and neutral to acidic conditions to form stable complexes. If the conditions are anaerobic, adsorption to iron ions is less strong. Adsorption to calcium ions takes place under basic to neutral pH conditions. Thus adsorption of phosphorus to the ions removes it from the wastewater. Adsorption is reversible process and each substrate has a particular capacity until it cannot adsorb any more phosphorus. (Verhoeven 1999) Phosphorus can also get precipitated with iron or aluminum ions. Under this process, phosphate from the water is fixed in the matrix of

phosphates and metals. Decomposition of litter (dead plants) and organicmatter in the wetland also takes up phosphorus. This process results in storage of phosphorus in the organic matter which will be released eventually. Growing plants take up nutrients like phosphorus, there by reducing levels in the wetland. The plant uptake of phosphates varies from 30 to 150 Kg ha-1year-1. (Sundaravadivel 2001)

As compared to nitrogen, removal of phosphorus does not result in its complete removal from the wetland system. Nitrogen is eliminated form the system, in the form for N2 gas, but phosphorus is only removed from the water and is either adsorbed to the metals ions, or taken up by plants or fixed in the clay minerals.

Observation & Performance of Wetland - The performance of a constructed treatment wetland is defined as the efficiency of the wetland in removing pollutants and nutrient from the wastewater. The performance of wetland depend upon the following factors: inflow rate, outflow rate, pollutant loading rate, hydraulic retention time (HRT), hydraulic loading rate, climatic conditions, temperature, pH, oxygen availability, wetland design components – substrate, vegetation and living organisms. (DeBusk 1999). The wetland design factors, that include influent and effluent concentrations, inflow and outflow rates, HRT, loading rate, etc, should be selected accurately to meet the objectives of the constructed wetland. The wetland performance tends to decrease if the influent concentration becomes close to the background concentration of the wetland, while the effluent concentration is in its desired range. But the wetland performance will increase if the loading rate increases while the outflow concentration may or may not change.. Presence of oxygen concentration of the sediments in the wetland, increase the rate of processes in the nitrogen cycle. In phosphorus removal, oxygen content of the sediment increases the binding capacity of phosphorus to metal ions.The two important factors effecting nutrient reduction in the wetland are temperature and the type of vegetation used in wetlands. According to the study by Sakadevan 1999, Constructed wetlands are capable of removing N and P and thereby treating wastewater. The wetland performance also depends on the design of wetland. Low hydraulic loading and higher retention times increase the P and N removal. Some case studies presented show efficiency of wetlands to remove nutrients from wastewater and the relationship between various factors affecting the nutrient removal performance.

Conclusions - Nutrient removal depends upon seasons; hence it depends upon the temperature. The nutrient removal was higher in growing season rather than colder months. Planted microcosm outperformed unplanted microcosms, which proves the importance of macrophysics in a wetland. These plants help in nutrient cycling and microbial processes, which are major processes involved in nutrient removal.The results based on the literature review, prove that reduction in N and P loadings depend upon the following three factors: the degree of water logging, the rate of nutrient loading and duration of nutrient loading (figure 7). Removal of N and P requires a different type of wetland for each. The removal of P increases if the substrate is non- reducing, which is in contrast to the condition required for efficient N removal. Hydraulic loading and retention times are significant in determining sedimentation rates, the contact time between nutrient load and wetland sediment and vegetation. The studies also showed that P removal is positively related to P loading and N removal is negatively related to N removal. The main objective of the experiment was to find out that whether this particular wetland design will be a net source or sink of nitrates and phosphates, how effective is the wetland deign in reducing nutrient levels from storm events in that watershed and finally how effective the wetland would be for nutrient removal with complex surface hydrology of the watershed.

Results - The average reduction of nitrate and nitrite concentration in the first year was 35.6 % and 49.2% in the flowing year. The significant difference in the net reductions was due to increase in plant cover, which helped in increasing HRT of the wetland and with increase in time, accumulation of the organic material increase the rate of denitrification.Total phosphorus (TP) reduction for the first year was 74.4% and the reduction decreased in the second water year to 40.6% for an overall reduction of 59.2%.The average overall reduction of SRP (soluble reactive phosphorus) was 54.4% and 59.4% in the first and the second year respectively.

Over the two year period, the wetland showed effective reductions in the nitrate and phosphorous levels. The wetland design did prove to a sink for nutrients, even during the high nutrient loading times of the year. The phosphorus reduction decreased in the second year, because with time, sediment and litter in the wetland becomes saturated with phosphorus. The wetland has to be design according to the type of nutrient it is designed to remove. . Difference in the N removal rates between the wetlands was due to the different inflow concentrations and hydraulic loads. Comparing the two plants that received biologically and chemically treated wastewater, the second one had a greater nitrate removal rate than the other.

Nitrate, nitrite and sulfate concentrations at the outlet were reduced by 70%, 60% and 44%, whole ammonium concentration doubled. Mineralization of organic matter is a good source for ammonium, which was not nitrified, because of low oxygen concentrations. Inorganic N was reduced by 53% of the incoming concentrations. Calcium and alkalinity concentrations were reduced by 65 and 37% respectively. Both the small-scale and the large-scale wetlands efficiently removed metals from the effluent of a metallurgic plant. The small-scale and the large scale wetlands reduced Cr, Ni, Fe concentrations by 81%, 66%, 82%, and 86%, 67%, 95%, respectively.

References :-

1. Bastviken, S. 2006. Nitrogen removal in treatment

wetlands – Factors influencing spatial and temporalvariations. Dissertation No 1041. Linköping University, Sweden
2. Davis, L. 1993. A handbook for constructed wetlands. Available at : http://www.epa.gov/owow/wetlands/pdf/hand.pdf
3. DeBusk. W.F. 1999. Wastewater Treatment Wetlands: Applications and Treatment Efficiency. Available at: http://edis.ifas.ufl.edu/SS294
4. Fink, D.F., W.J.Mitsch. 2004. Seasonal and storm event nutrient removal by a created wetland in an agricultural watershed. *Ecological Engineering*, 23(4-5); 313-325
5. Fisher, J. and Acreman, M.C. 2004. Wetland nutrient removal: a review of the evidence. *Hydrology and earth systems sciences*. 8(4), 673-685
6. Maine, M.A., N. Sune, H.Hadad, G. Sanchez, C. Benetto. 2006. Nutrient and metal removal in a constructed wetland for wastewater treatment from a metallurgic industry. *Ecological Engineering*. 26(4); 341-347

Figure 1. Surface flow constructed treatment wetlands (Constructed wetlands 2002).

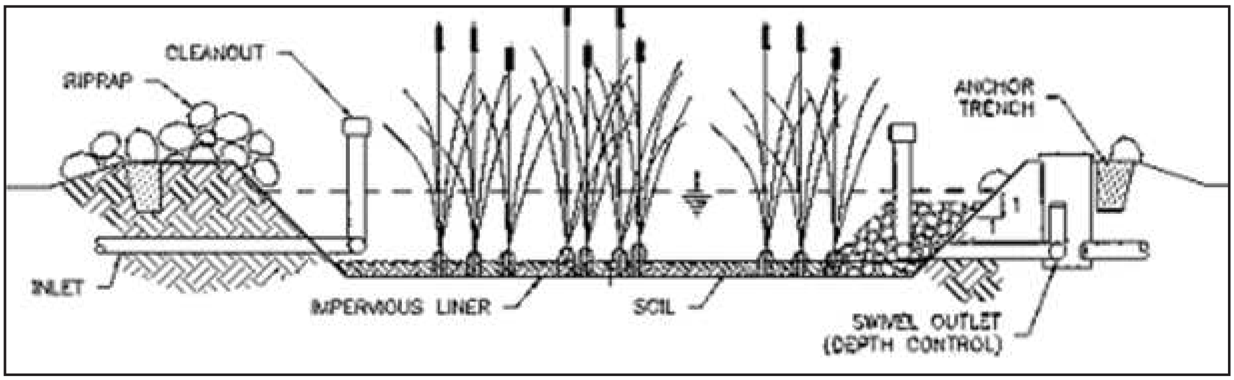

Figure 1- Working Method & Components of a constructed wetland

****

Method For Estimation Of Avilable Manganese In Soils Of Madhya Pradesh

Dr. S. K. Udaipure *

Abstract - Soil samples representing different soil groups of M.P were cropped in green house using the short term cropping technique and the coefficient of correlation between Mn uptake values thus obtained and extractable Mn values in soil determined by different solutions, ammonium acetate with and without hydroquinone, 1M magnesium nitrate 0.1N phosphoric acid, Morgan's reagent, and 1M ammonium dihydrogen phosphate were worked out. A highly significant correlation was noted between managanese uptake by plants and exchangeable (ammonium acetate extractable), magnesium nitrate extractable and 1M ammonium dihydrogen phosphate extractable managanese, suggesting these as good indices of available manganese in various soils of M.P

Introduction - There are conflicting concepts of available manganese as different workers have suggested different extractants for the estimation of soil manganese available to the plant the choice of an extractant will ultimately depend upon a significant correlation between Mn-values obtained by soil extraction and amounts of the nutrient taken up by plants grown on the soil. Usually, water soluble and exchangeable forms of maganese comprise what is known as the available maganese may become available to plants under suitable conditions active maganese to represent available manganese to plants 0.1N phosporic acid and 1M ammonium dihydrogen phosphate, as extractants for available maganese. Other extractants used by different workers are E.D.T.A. neutral nomal ammonium acetate with and without 0.2% hydroquinone and Morgan's reagent.

In view of these conflicting concepts of available manganese ,it was felt necessary to find out a suitable index of available Mn in soils of M.P.

Experimental - Soil samples representing various soils of Madhya Pradesh, namely: (i) alluvial, (ii) deep black (iii) medium black (iv) shallow black (v) mixed red and black (vi) mixed red and yellow and (vii) skeletal soil, were cropped using the short term, cropping technique (unpublished). The technique consists of growing plants is sand culture without added Mn in bottomless plastic circular boxes till the development of a root-mat at the bottom. The rootmats with intact plants are placed . in contact with 60 gm (oven dry basis) of different soils and allowed to grow for 20 days. plant roots are then separated from soil and those along with stems and leaves analyses for Mn content.

For chemical extraction, various extractants, neutral normal ammonium acetate (ii) neutral normal ammonium acetate with 0.2% hydroquinone (iii) 1M magnesium nitrate (iv) 0.1N phosphoric acid (v) 1M ammonium dihdrogen phosphate (vi) Morgan's reagent were used

Results And Discussion - The data on plant uptake of Mn obtained by short cropping in greenhouse and the result of chemical analysis are given in table 1, with the degree of correlation

Table 1 (See in the last page)

Between the manganese uptake by oat plants and the amount of soil manganese extracted by various methods are shown in table 2. The regression equation expressing the relationship between Mn-uptake and soil extracted values have also been given, where 'r' value is statistically significant.

As shown in table 2, a highly significant correlation exists between the Mn- uptake values and the amounts of soil-Mn extracted with molar Mg(No3)2 neutral and normal NH_4OAc, and $NH_4H_2PO_4$. Accordingly, any of these three extractants can be used to determine available mn in M.P. Soils also active (exchangeable + reducible) Mn and 0.1N H_3PO_4 extract Mn in the soils, are not at all related to uptake of Mn

Table 2 (See in the last page)

By plants. As such, these values do not give any idea about the availability of Mn in soil.

*Asst. Professor (Chemistry) Govt Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

Table 1
Plant uptake and chemical extraction values of manganese
(mg.per 60 gms. soil)

		Mn extracted by					
Soil type	**Mn uptake (Average of 3 reps)**	**Neutral normal NH OAC**	**NH,OAC +0.2% Hydroquinone**	**1M Mg (NO3)2**	**0.1N H3PO4**	**Morgan's regent**	**1M NH4H2PO4**
Alluvial soil	0.450	0.637	0.803	0.082	6.112	6.50	8.024
Deep black soil	0.340	0.217	0.430	0.518	0.809	0.513	1.242
Shallow black soil	0.355	0.135	0.850	0.823	1.542	1.227	1.601
Medium black soil	0.407	0.370	0.564	0.213	2.201	3.412	3.812
Red Soil	0.387	0.220	0.897	0.765	1.631	0.808	1.736
Yellow soil	0.520	0.190	0.064	0.560	6.634	4.193	7.320
Skeletal soil	0.410	0.506	0.553	1.222	4.967	3.133	4.520

Table 2
Correlation coefficients for various Mn extraction methods

S.No	Extractant used	Correlation coefficient	Regression equation
1	1N NH_4OAc	+0.903**	Y=0.358+0.129X
2	1NNH_4OAc+0.2%hydroquinone	-0.360(N.S)	—
3	1M $Mg(NO_3)2$	+0.960**	Y=0.396+0.022X
4	0.1N H_3PO_4	+0.613(N.S)	—
5	Morgan's regent	+0.873**	Y=0.315+0.0417X
6	1M $NH_4H_2Po_4$	+0.902**	Y=0.303+0.0336X

** Significant at 1%
* Significant at 5%

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Social Forestry And Environment Management Through Carbon-Sequestration - A Study In East Nimar Region

Dr. Kumud Dubey * Dr. Avinash Dube **

Abstract - Carbon-sequestration removes carbon in the form of carbon dioxide. Through terrestrial sequestration there is long term storage of carbon in trees and plants takes place. Carbon dioxide removed from the atmosphere is stored in growing plants in the form of biomass. Human community is familiar with social forestry as it is additional and barren land use method which help our environment, social and rural development. Adoption of proper plant species and crop management practices help to sequester greater amount of carbon in the soil and thus become important in environment management of carbon in soil. Therefore decrease the concentration of Carbon dioxide in atmosphere.
Key words - Carbon sequestration, social forestry.

Introduction - Social forestry is a participating forestry which aims at continuosly providing protection and recreation benefits for the community. It is one of the largest inventions designed to improve the productivity and use of communal kind. Social forestry recommended growing trees on lands accessible to people in order to reduce the pressures on forests and fulfill the demand for fuel, fodder and other forest products. Social forestry mainly aims with the management and protection of forests and afforestation on barren lands with the purpose of helping in the environmental, social and rural development. Through social forestry we can improve the environment with protecting agriculture from adverse climatic factors and thereby reducing the pressure on the conventional forest area.

Planting more and specific types of plants also behaves a natural technique for Carbon- sequestration. Carbon-sequestration is an important phenomenon where environmental carbon is stored.

One type of Carbon- sequestration is the long term storage of carbon in trees and plants. Carbon dioxide removed from the atmosphere is either stored in growing plants in the form of biomass. Sequestering carbon helps to reduce or slow the buildup of Carbon dioxide concentration in the atmosphere and thus become beneficial in management of environmental pollution. Present study is made to analyse various plant species grown under social forestry at different localities of Khandwa city. As solution for carbon dioxide mitigation is reforestration and conservation of biodiversity. Enhancing carbon sequestration has been recommended as it is valuable measure for environment management.

Methodology - A preliminary survey was made to find out the plants grown in area for the purpose of social forestry. The plants are identified with the help of relevant literature. Distribution percentages of the plants are also analyzed.

For this survey four sites in the different directions of the Khandwa city were selected. They were civil line area (site I), Amrawati road Ram Nagar area (site II), Indore road (site III), and Chhoti Borgaon area (site IV).

Table – (See in the next page)

Results And Discussion - Social forestry improves environmental quality with protecting it from adverse climatic factors by increasing the conventional forest area and reduces carbon dioxide pressure through carbon sequestration. Studies with four selected sites of the area shows floral diversity in social forestry system.

Many plant species are found abundant at all sites. But at the same time barren areas are also noted near the city.

Social forestry is a way to increase the natural beauty of the landscape, create recreational areas and also provide jobs for unskilled workers. For improvement of environment social forestry also helps and tremendously improves and manages through carbon sequestration. Through carbon sequestration atmospheric carbon dioxide levels are reduced as soil organic carbon levels increases. If the soil organic carbon is undisturbed it can remain in the soil for many years as stable organic matter. This carbon is then sequestered or removed from the pool available to be recycled to the atmosphere. This process reduces carbon dioxide levels in the atmosphere and thus reducing the chances of global warming.

Soil is one of the important sinks for carbon sequestration. Adoption of appropriate soil and crop management practices holds promise to sequester greater

*Asst. Professor (Botany) M.L.C. Govt. Girls College, Khandwa (M.P.) INDIA
**Asst. Professor (Physics) S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

amount of carbon.

References:-

1. Kishore P. (2010) Agrobios Newsletter;Agrobios India Jodhpur pp 386-387.
2. Pilania P.K. etal (2014) Env.conservation journal 15 (3) pp101-107.
3. Pradeep K. (2013) A Field Guide For Tree, Spotters' Jungle Trees of Central India, Penguin Books, India.

Table –Plant species in social forestry at different sites

S. No.	Plant Species	Site I	Site II	Site III	Site IV
1	Acacia nilotica L	+	+	+	+
2	Aegle marmelos L	-	+	+	-
3	Albizzia lebbeck L	+	+	-	+
4	Azadirechta indica A juss	+	+	+	+
5	Bauhinia verigeta L	+	+	+	+
6	Bombax ceiba L	+	-	-	+
7	Butea monosperma Lam.	+	+	+	+
8	Cassia fistula L	+	+	+	+
9	Casurina equisetifolia L	+	+	+	+
10	Dalbergia sissoo Roxb.	+	+	+	+
11	Dendocalamus strictus Roxb	+	-	-	+
12	Delonix regia (Hook)Raf.	+	+	+	+
13	Emblica officinalis Gaertn	+	+	+	+
14	Eucalyptus sps	+	+	+	+
15	Eugenia gambolana(Lamk)	+	+	+	+
16	Ferronia elephantum Correa	-	-	-	+
17	Ficus religiosa L	+	+	+	+
18	Ficus bengalensis L	+	+	+	+
19	Hardwickia binata Roxb.	-	+	+	+
20	Leucaena leucocephala Lam.	+	+	+	+
21	Madhuca longifolia L	+	+	+	+
22	Mangifora indica L	+	+	+	+
23	Melia azedarch L	+	+	+	+
24	Moringa oleifera Lam.	+	+	+	+
25	Murraya paniculata L	+	+	+	+
26	Peltoforum sps	+	+	+	+
27	Pithcellobium dulce (Roxb)	+	+	+	+
28	Pongamia pinnata L	+	+	+	+
29	Polyalthia longifolia Sonn.	+	+	+	+
30	Tamarandus indica L	+	+	+	+
31	Tecoma stans L	+	+	+	+
32	Tectona grandis L	+	+	+	+
33	Terminalia sps	+	+	+	+
34	Vitex negundo L	+	+	-	+
35	Ziziphus jujuba Mill	+	+	+	+

*****road side and nearby areas, + and **-** signs represents presnt & absent of plant species respectively.

****

Environmental Assessment Of Newaj River Water Quality Of Malwa Region

Dr. G. D. Agrawal *

Abstract - Newaj river is the main source of drinking water, irrigation, fish culture and other activities in the Malwa region. In this study 08 water sample were collected from different monitoring points on the Newaj river water during the year. 2014 on the monthly basis. To know the quality of water pH, TDS, Chloride, fluoride, TH, DOD, BOD, COD, Nitrate etc were determined by chemical and instrumental method.

Introduction - The Newaj River is the left bank tributary of the river Parwan which is turns in a right bank principal tributary of Kalisindh River.

Newaj River originates near the western boundary of the Sehore district. It flows towards the north centre Shajapur, after flowing for about 48 km in Shajapur district it passes through Rajgarh district and it finally join the Parwan River in Jhalawar District of Rajasthan. Total length of the river is 220 km out of which 205 km in M.P. The catchments area of the river up to confluence with Parwan River is 4372 sq km.

Due to urbanization, environment pollution is increasing day by day. The disposal of city waste and sewage is becoming a major problem. The present study has been carried out to evaluate the impact of environmental changes on the water quality through variation in the chemical and microbial properties at different locations of Newaj River in Malwa region.

Materials and Methods - The river Newaj has been surveyed throughout the year. 08 sampling sites were selected. Two sampling sites were selected in Shajapur district; 05 sampling sites in Rajgarh district and one site in Jhalawar district. At all sampling sites people take bath daily and wash their clothes. Site VII is situated at Shiv Ghat Rajgarh where continuous discharge of domestic sewage of the city in the river.

The various physic-chemical and biological parameters were determined as per methods suggested by of APHA (1976).

Temp. pH and DO were recorded immediately after collection of sample at the sites while other parameters were analyzed in the laboratory within 24 hours.

TABLE-1 **(See in the next page)**

Results and Discussions - The values of various water quality parameter of Newaj River have been summarized in table.1. The values of pH fluctuated from 7.6-7.9 which is within the permissible limit. EC is an indicator of ionic forms of TDS that affects the taste of potable water (WHO 1994). The EC value of water sample ranges from .3.7-1.74. Hardness of water is due to presence of dissolved salts of calcium and magnesium ions. The range of total hardness is 136.255 ppm. BOD is a measure of biologically degradable organic matter. COD is chemically oxidisable organic matter. Average value of BOD ranges between 2.4-2.7 ppm. At all the sampling sites COD value was observed more than permissible limit. DO value ranges between 4.5-6.1 ppm. Iron value exceed in site I, V and VIII than permissible limit. Site I and site VIII has higher nitrate value than permissible limit (45 ppm).

Conclusion - Newaj River is polluted by dumping of untreated sewage in to the river. It demands treatment of sewage and minimum ecological flow in dry season for its survival as a river. Increasing trend of BOD and faecal coliform however exceeding at all stations. The higher value of nitrate, Ca hardness, total hardness TDS, and COD was observed at stations VIII. The higher value of nitrate was due to the presence of sewage and generally leads to water borne diseases such as gastrointestinal disorder and jaundice. The presence of faecal coliform indicates the bacterial contamination.

References :-

1. Satar M.D .Jain, K.C Vashistha, R.P. Distribution of heavy metals in Betwa river water pollution, Ashish publishing house, New Delhi:179-187.
2. Dora M.M and Ray N.N Investigating of water quality of Subernarekha River for irrigation, India J .Env .Hlth 28 (4)292-298, 198.
3. Sinah Band Beshavi SR, Quality of underground irrigation water in Barnala Tehsil of Sangrur district (Punjab) India 1.ECO 20(1) 17-21 1993.
4. A.V. Rao, B.L. Jain and I.C. Gupta *Indian Jour. Environ. Hlth.,* 35:132 (1993).
5. WHO Guidelines for Drinking Water Quality, Vol. 1: Recommendations, World Health Organizations,

*Deptt. of Chemistry, Government P.G College, Rajgarh, Biaora (M.P.) INDIA

Geneva, P.1 (1984).
6. ISI Specification for Drinking Water, IS: 10500:1983, Indian Standards Institution, New Delhi (1983).
7. Manivasakam, n. Physicochemical Examination of Water, Sewage and Industrial Effluents Pragati Prakashan, 234 (2002).
8. Munawar M., *The Bitope Hydrobiologia, 35:127—162 (1970).*
9. Ranjana Yadav and O.N. Choubey, Environmental Assessment of Kareli-Sugar mill effluent on local ground water. Jr. of Industrial pollution control 26 (1) 2010 pp 115-118.

Table -1 Mean value of physic-chemical parameters of Newaj River.

Parameters		Site I Lalpura	Site II Shujalpur	Site III Talen	Site IV Mohanpura	Site V Pachore	Site VI Shamshan Ghat	Site VII Shiv Ghat	Site VIII Lhas
1.	W. Temp	33.5	32.5	31.9	33.2	33.5	33.6	33.4	33.3
2.	P^H	7.895	7.849	7.895	7.68	7.83	7.885	7.830	7.766
3.	Conductivity	.834	1.74	.80	.56	.39	.37	.39	.88
4.	TDS	174	178.7	210.6	152.2	109.7	118.1	117.5	308
5.	DO	6.1	5.7	5.8	5.0	5.7	5.7	5.6	4.5
6.	BOD	24.5	2.56	2.7	2.4	2.49	2.4	2.4	2.7
7.	COD	19.2	176.8	202	197.8	189	219.1	214.2	281.5
8.	Chloride	40.41	25.25	23.08	37.16	23.58	24.16	25.41	48.5
9.	Fluoride	1.1	.90	.85	1.0	1.10	1.00	1.05	.78
10.	Phosphate	.95	.45	.63	1.3	.90	1.32	.75	2.0
11.	T .hardness	180	186.6	198.1	169.9	136.5	145.9	140.5	255.2
12.	Ca .hardness	107	96.2	95.3	90.9	70.4	73.7	73.3	96.2
13.	Mg .hardness	73.0	90.4	102.8	79.0	66.1	72.2	67.2	159
14.	Co_2	8.0	6.0	7.6	6.5	8.1	6.3	6.4	7.0
15.	No_3	58.8	16.5	13.5	28.6	15.2	14.0	13.7	57.0
16.	So_4	12.7	1.93	9.1	9.0	9.8	8.26	6.57	8.97
17.	Na	47.6	44	40.16	27.66	24.75	21.0	21.5	67.66
18.	K	10	9	4.1	3.5	4.2	4.0	3.6	6.0
19.	Fe	1.29	1040	0.45	0.05	1.20	0.75	.68	1.48
20.	Pb	0.06	101	0.15	0.35	.02	.03	0.25	0.4
21.	Coli forms	733.33	.550	555.	625	640	591.6	358.33	666.66

****

Review On A Traditional Medicinal Plant - Ocimum Sanctum Linn (Tulsi)

Dr. Shail Bala Sanghi *

Abstract - Traditional remedies are an integral part of Indian culture. Ocimum sanctum (Tulsi) is the most sacred herb in India, which possesses various healing medicinal properties of human life. Here is a review on ethno medicinal uses of the various parts of Ocimum sanctum .Leaves, flowers, roots, stem and the whole plant is being used in the treatment of various diseases such as skin disease, cold and cough, malaria fever, diarrhea, dysentery, swelling etc. Research shows Ocimumsanctum possesses antioxidant, antimicrobial, anticancer, antidiabetic, antimalarial, antipyretic, and hypolipidemic properties.

Key words - Ocimum sanctum, Tulsi, Traditional Ethnomedicinal.

Introduction - Ocimum sanctum Linn., the plant of genus Ocimum, belonging to family Lamiaceae, is very important for its therapeutic potentials[1].This small herb is found throughout India and is cultivated mainly for the worship in temples and houses of Hindus.It is commonly known as Tulsi in Hindi and Holy Basil in English. Two types of Ocimum are met within cultivation; Tulsi plant with green leaves is known as Sri Tulsi and Tulsi plant with purple leaves is known as Krishna Tulsi[2]. Ocimumsanctum is believed to be sacred by Hindus and is used as a medicinal plant in day to day practice in Indian homes for various ailments[3].

Morphology - O. Sanctum is widely branched,erect, stout and aromatic,about 75cm high.The leaves are ellipticoblong, acute, entire, with minutely gland dotted. The flowers are purplish,raceme verticillasterinflorescence, seeds are small, sub globose and white in colour.

Traditional uses of Ocimum sanctum L inn. (Tulsi) - Tulsi is an aromatic plant and has several medicinal properties. Leaves, flowers,stem,roots, seeds etc. of Tulsi plant are known to possess therapeutic potentials and have been use by traditional medical practitioners, as expectorant, analgesic ,anti-microbial, anti-cancer, anti-diabetic, hypolipimic and anti-stress agents[4,5]. In Ayurvedic literature, one can find several references mentioning the usefulness of Tulsi in the treatment of all kinds of fevers.

Common cold and fever - Tender leaves of Tulsi boiled with tea act as preventive medicament against malaria and dengue fever which are usually prevalent during the rainy season. Ayurvedic preparation containing Ocimum sanctum, Piper nigrum (Kali Mirch), Curcuma longa (Haldi) has been shown to possess anti-malarial activity against Plasmodium vivax and highly effective against Plasmodium falciparum. A decoction prepared from the roots of Tulsi plant is used as diaphoretic in malaria fever[1].Chewing Tulsi leaves relieves cold andflusymptoms.

Antibiotic property - Essential oil present in most of Ocimum species is responsible for its anti- bacterial and anti-viral properties. Ocimum sanctum is effective against Klebisella (causes pneumonia and urinary tract infection), Escherichia coli, Salmonella typhi, Psedomonas pyocynaeus, Vibrio cholerae within specified contact time[6].

Anti-diabetic properties - Traditionally diabetes has been treated orally in folk medicine with variety of plant extracts. In India, research institutes discovered new biological active compounds and potential drugs for diabetes. Leaves of Ocimum sanctum have been shown to possess hypoglycemic effects in experimental animals[7]. A study conducted on rats has suggested that constituents of O. sanctum leaf extract have stimulatory effects on physiological path way of insulin secretion.

Anti-cancer activity - Research reported that anti-cancer activity is present in the leaves of O. sanctum. It has been found that ethanolic extract of O. sanctum medicated a significant reduction in tumor cell size[8].

Skin treatment - Persons affected with skin diseases like itches, ringworm, leprosy should drink the juice of Tulsi[9].In eczema, paste of Tulsi leaves is applied to affected area[10].

Stress release - Stress is common phenomenon that is experienced by every individual. O.sanctum leaves are regarded as adaptogen or anti-stress reagent it afford significant protection against stress. If taken twice a day[4, 5].

Anti hyperlipidemic - The anti hyperlipidemic action of O.sanctumfixed oil mainly resulted fromthesuppression of liver lipid synthesis. O.sanctum fixed oil was possibly responsible for lipid lowering against hyperlipidemic[11].

Conclusion - Tulsi is a common herb grown in many a house hold with a wide range of therapeutic properties.

* Deptt. of Botany, Govt. M. L. B. Girls P. G. College, Bhopal (M.P.) INDIA

Many research institutes discovered that this plant contains many chemical constituents which are responsible for varied bio- pharmacological and medicinal properties. Still more clinical trials need to be conducted which can be used for the welfare of the man kind to contribute a lot towards economy and health problems.

References :-

1 Gupta S. K, Prakash J., Srivastava S., Validation of claim of Tulsi, Ocimum sanctum Linn as a medicinal plant, J Experimental Biology 2002;40 (7) 765-773.

2 Pandey B.P. Anita. In; Economic Botany (Published by Chand and Company Ltd, Ramnagar, New Delhi), 294, 1990.

3 Ocimum sanctum. The Indian home remedy, Current Medical Scene, March-April 1992 (Edited and published by S. Rajeshwari, Cipla Ltd, Bombay Central, Bombay).

4 Kirtikar K. & Basu B. Indian Medicinal Plants, 1993, New Delhi ,India; Periodical Expert Book Agency, 3-6.

5 Bhargava K.P. & Singh N. 1981 Anti-stress activity of O. sanctum. Indian Journal of Medical Research 73: 443-451.

6 Sadgir Parag, Nilosey Vijayshree, Bhandari Ranu and Patil B.R., Research Journal of Chemistry and Environment, 2010; 14 (3): 46-50.

7 Kochhar A., Sharma N. and Sachdeva R., Effect of supplementation of Tulsi and Neem Leaf power on Diabetic symptoms, Anthropometric Parameters and Blood pressure of non Insulin Dependent Male Diabetic, Ethno-Med 2009 ;3 (1): 5-9.

8 Gajula D., M. Verghese, Boateng J., Shackelford L., Mentreddy S. R. , Asiamah D., Walker L.T., Basil reduces azoxymethane induced colon tumor in fisher 344 male rats . Research Journal of Phytochemistry 2010; 1-10.

9 Nadkarni K. M. and Nadkarni A. K. (1996) Indian Materia Medica, Popular Prakashan Pvt. Ltd. Bombay. 1: 865-867.

10 Shakhavat D. and Batra A. (2006) House hold remedies for Kesavraipatan Tahsil in Bundidist. Rajasthan, Indian J. Traditional Knowledge. 5 (3): 362-367.

11 Sarkar A., Pandey D.N., Pant M.C., Change in the blood lipid profile level after administration of Ocimum sanctum (Tulsi) leaves in the normal albino rabbits. Indian J Physiology Pharmacology 1994; 38 (4): 311-312.

✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

Atomic Physics

Dr. Neeraj Dubey *

Introduction - The branch of physics concerned with the structure of the atom and the characteristics of subatomic particles.Atomic physics is the field of physics that studies atoms as an isolated system of electrons and an atomic nucleus. It is primarily concerned with the arrangement of electrons around the nucleus and the processes by which these arrangements change. This comprises ions, neutral atoms and, unless otherwise stated, it can be assumed that the term *atom* includes ions.

The term *atomic physics* can be associated with nuclear power and nuclear weapons, due to the synonymous use of *atomic* and *nuclear* in Standard English. Physicists distinguish between atomic physics — which deals with the atom as a system consisting of a nucleus and electrons — and nuclear physics, which considers atomic nuclei alone.

Atomic physics, the scientific study of the structure of the atom, its energy states, and its interactions with other particles and with electric and magnetic fields. Atomic physics has proved to be a spectacularly successful application of quantum mechanics, which is one of the cornerstones of modern physics.

The internal structure of the atom, however, became clear only in the early 20th century with the work of the British physicist Ernest Rutherford and his students. Until Rutherford's efforts, a popular model of the atom had been the so-called "plum-pudding" model, advocated by the English physicist Joseph John Thomson, which held that each atom consists of a number of electrons embedded in a gel of positive charge; the total negative charge of the electrons exactly balances the total positive charge, yielding an atom that is electrically neutral. Rutherford conducted a series of scattering experiments that challenged Thomson's model. Rutherford observed that when a beam of alpha particles struck a thin gold foil, some of the particles were deflected backward. Such large deflections were inconsistent with the plum-pudding model.

This work led to Rutherford's atomic model, in which a heavy nucleus of positive charge is surrounded by a cloud of light electrons. The nucleus is composed of positively charged protons and electrically neutral neutrons, each of which is approximately 1,836 times as massive as the electron. Because atoms are so minute, their properties must be inferred by indirect experimental techniques. Chief among these is spectroscopy, which is used to measure and interpret the electromagnetic radiation emitted or absorbed by atoms as they undergo transitions from one energy state to another. Each chemical element radiates energy at distinctive wavelengths, which reflect their atomic structure. Through the procedures of wave mechanics, the energies of atoms in various energy states and the characteristic wavelengths they emit may be computed from certain fundamental physical constants—namely, electron mass and charge, the speed of light, and Planck's constant. Based on these fundamental constants, the numerical predictions of quantum mechanics can account for most of the observed properties of different atoms. In particular, quantum mechanics offers a deep understanding of the arrangement of elements in the periodic table, showing, for example, that elements in the same column of the table should have similar properties.

In recent years the power and precision of lasers have revolutionized the field of atomic physics. On the one hand, lasers have dramatically increased the precision with which the characteristic wavelengths of atoms can be measured. For example, modern standards of time and frequency are based on measurements of transition frequencies in atomic cesium , and the definition of the meter as a unit of length is now related to frequency measurements through the velocity of light. In addition, lasers have made possible entirely new technologies for isolating individual atoms in electromagnetic traps and cooling them to near absolute zero. When the atoms are brought essentially to rest in the trap, they can undergo a quantum mechanical phase transition to form a super fluid known as a Bose-Einstein condensation, while remaining in the form of a dilute gas. In this new state of matter, all the atoms are in the same coherent quantum state. As a consequence, the atoms lose their individual identities, and their quantum mechanical wavelike properties become dominant. The entire condensate then responds to external influences as a single coherent entity, instead of as a collection of individual atoms. Recent work has shown that a coherent beam of atoms can be extracted from the trap to form an "atom laser" analogous to the coherent beam of photons in a conventional laser. The atom laser is still in an early stage of development, but it has the potential to become a key element of future technologies for the fabrication of microelectronic and other nanoscale devices.

Atomic physics primarily considers atoms in isolation.

*Professor & H.O.D. (Physics) Govt. Arts & Commerce P.G. College, Sagar (M.P.) INDIA

Atomic models will consist of a single nucleus that may be surrounded by one or more bound electrons. It is not concerned with the formation of molecules, nor does it examine atoms in a solid state as condensed matter. It is concerned with processes such as ionization and excitation by photons or collisions with atomic particles.

While modeling atoms in isolation may not seem realistic, if one considers atoms in a gas or plasma then the time-scales for atom-atom interactions are huge in comparison to the atomic processes that are generally considered. This means that the individual atoms can be treated as if each were in isolation, as the vast majority of the time they are. By this consideration atomic physics provides the underlying theory in plasma physics and atmospheric physics, even though both deal with very large numbers of atoms.

The majority of fields in physics can be divided between theoretical work and experimental work, and atomic physics is no exception. It is usually the case, but not always, that progress goes in alternate cycles from an experimental observation, through to a theoretical explanation followed by some predictions that may or may not be confirmed by experiment, and so on. Of course, the current state of technology at any given time can put limitations on what can be achieved experimentally and theoretically so it may take considerable time for theory to be refined.

Atomic energy is the source of power for both nuclear reactors and nuclear weapons. This energy comes from the splitting (fission) or joining (fusion) of atoms. To understand the source of this energy, one must first understand the atom.

An atom is the smallest particle of an element that has the properties characterizing that element. Knowledge about the nature of the atom grew slowly until the early 1900s. One of the first breakthroughs was achieved by Sir Ernest Rutherford in 1911. He established that the mass of the atom is concentrated in its nucleus. He also proposed that the nucleus has a positive charge and is surrounded by negatively charged electrons, which had been discovered in 1897 by J. J. Thomson.

This theory of atomic structure was complemented by Niels Bohr in 1913. The Bohr atom placed the electrons in definite shells, or quantum levels. Understanding the atom continues to be a focus for many scientists.

The program in atomic physics involves work with simple atomic and molecular systems in the gas phase, at surfaces, and in solids. The inherent precision of measurements on simple atomic and molecular systems is used in studies of fundamental physics as well as for certain applications. Experimental work frequently involves the use of Nd:YAG lasers, dye lasers, diode lasers, Ti:sapphire lasers, argon and krypton ion lasers, optical, ultraviolet and infrared spectrometers, microwave and radiofrequency spectrometers, signal processing equipment, and computers and their interfacing to apparatus. Students often need a detailed theoretical understanding of certain aspects of quantum mechanics, group theory, electricity and magnetism, nuclear physics, surface physics, physical chemistry, fluid dynamics, and plasma physics to complete their dissertation work.

An important area of active research is the study of spin interactions of atoms and nuclei. Princeton has historically been, and continues to be, a world center for such activities. For instance, optical pumping is used to produce high polarizations in vapors of alkali-metal atoms. Hyperpolarized Helium Lung Image Through spin-exchange collisions, the polarization of the alkali-metal atoms can be transferred to a variety of noble-gas nuclei. The use of “optical pumping spin-exchange” makes it possible to polarize the nuclei of large quantities of gases such as He-3 and Xe-129 for a variety of applications. One such application is a new technique for doing magnetic resonance imaging (MRI). Polarized noble gases are introduced into the lungs of an animal and subsequently imaged using fairly standard MRI techniques. The use of laser-polarized noble gases results in enormous increases in signal strength, thus opening many new possibilities for medical imaging. Another application is the production of polarized nuclear targets for accelerator-based experiments. Many of the innovations that make laser-polarized gas targets a practical possibility were developed at Princeton.

On the more fundamental side, the spin interactions of atoms offer a huge and rich area for study. The interaction of polarized light with atoms, of polarized atoms with each other, and of polarized atoms with surfaces, is all active areas of research. Important questions include identifying the mechanisms that cause spin relaxation, as well as the means by which polarization can flow from one system to another. Research topics include the spin interactions of atoms that are in the solid state, such as xenon ice and alkali-metal hydrides. In much of this work, laser techniques are used in combination with nuclear magnetic resonance to produce powerful new experimental probes.

References :-

1. Bransden, BH; Joachain, CJ (2002). Physics of Atoms and Molecules (2nd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-582-35692-X.
2. Foot, CJ (2004). Atomic Physics. Oxford University Press. ISBN 0-19-850696-1.
3. Herzberg, Gerhard (1979) [1945]. Atomic Spectra and Atomic Structure. New York: Dover. ISBN 0-486-601153.
4. Condon, E.U. & Shortley, G.H. (1935). The Theory of Atomic Spectra. Cambridge University Press. ISBN 0-521-09209-4.
5. Cowan, Robert D. (1981). The Theory of Atomic Structure and Spectra. University of California Press. ISBN 0-520-03821-5.
6. Lindgren, I. & Morrison, J. (1986). Atomic Many-Body Theory (Second ed.). Springer-Verlag. ISBN 0-387-16649-1.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

सामाजिक क्षेत्र द्वारा आर्थिक विकास (ग्रामीण महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

डॉ. गीताली सेनगुप्ता *

प्रस्तावना – मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाएँ है और वे इस प्रकार देश की आर्थिक सम्पदा के आधे हिस्से की मालिक है। यदि मानव संसाधन के इस आधे हिस्से की उपेक्षा की जाए तो देश की प्रगति में रूकावट अवश्य भावी होगी। भारत सरकार ने विकास गतिविधियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है और उनके लिए कई कार्यक्रमों और स्कीमों के रूप में कई सकारात्मक कदम उठाए है ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार के इन कदमों से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशाओं में प्रत्यक्ष बदलाव दिखायी पड़ने लगा है। महिलाओं की साक्षरता दर जो 1951 में केवल 8.86 प्रतिशत थी, 2001 में बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई। 1981 में महिलाओं की कार्य सहभागिता जहां 19.7 प्रतिशत थी, 2001 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गई हैं।

देश में संपूर्ण विकास का सपना तभी साकार हो सकता है, जबकि ग्रामवासी महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न, सुशिक्षित और पिछड़ेपन से मुक्त हो। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी विकास की पूरी प्रक्रिया में बराबर की हो। इस दृष्टि से केन्द्र और राज्य की सरकारें ग्रामीण विकास के लिये कृत संकल्प है ग्रामीण महिलाओं की दशा सुधारने के जो प्रयास हुए है, उन्हीं का सुफल हैं कि तरक्की की राह पर अब केवल शहरी महिलाएँ ही नहीं वरन् ग्रामीण महिलाएँ भी प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों, शिक्षा और जागृति की लहर ने महिलाओं को भी गहरे रूप से प्रभावित किया हैं।

उद्देश्य –अध्ययन का उद्देश्य निम्न हैं –

- ग्रामीण महिलाएँ शिक्षा के प्रति जागरूक हो रही हैं।
- ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु सरकारी प्रयास पर्याप्त हैं।
- ग्रामीण महिलाएँ स्वालम्बन की ओर बढ़ रही है।
- ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक प्रयास देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्राकल्पना –

- ग्रामीण महिलाओं का झुकाव साक्षरता की ओर बढ़ रहा हैं।
- ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलम्बी की दिशा में प्रयासरत् हैं।

अध्ययनपद्धति –अध्ययन को ठोस रूप प्रदान करने हेतु खण्डवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया साथ ही अवलोकन एवं साक्षात्कार विधि का भी उपयोग किया गया।

ग्रामीण महिलाओं की प्रगति एक सफर है, मंजिल नहीं। ग्रामीण महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए अभी और प्रयास करना आवश्यक है, तभी स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा।

स्त्री परिवार की केन्द्र बिंदु है, वह दिशा प्रदान करती है , इसीलिए उसका शिक्षित एवं स्वस्थ्य रहना अति आवश्यक है यह बात वर्तमान में आम लोगों को समझ में भी आने लगी हैं। अत: बालिका शिक्षा की दिशा में प्रगति हो रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास की पहली सीढ़ी है, अत: इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निर्देशन में ग्रामीण बैंकिंग के क्षेत्र में महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। उद्यमिता के विकास हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण, नवविकसित प्रौद्योगिकी की जानकारी तथा ऋण सुविधाएँ सहज उपलब्ध है, जिसका लाभ ग्रामीण महिलाएँ उठा रही हैं। मुख्यरूप से लघु ग्रामीण, कुटीर तथा अति लघु क्षेत्रों में महिलाओं ने करिश्मा दिखाया हैं। 'नारी के अबला होने की कहावत को नारी की सबला होने में परिवर्तित कर दिया है।'

ग्रामीण महिलाओं ने न केवल परिवार की तस्वीर बदली है वरन् देश के आर्थिक विकास में भी वह सहभागी बनकर अपना परचम लहरा रही हैं। विभिन्न कार्यो को दृढ़तापूर्वक एवं कड़ी मेहनत से सम्पन्न करते हुए ग्रामीण महिलाओं ने आर्थिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं – ये आर्थिक विकास के क्षेत्र निम्न हैं – **(देखे अगले पृष्ठ पर)**

इन विभिन्न कार्यो को ग्रामीण महिलाएँ बखूबी निभाकर आर्थिक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य भागीदारी दर्ज करवा रही है।

निष्कर्ष –

- ग्रामीण महिलाओं की मानसिकता में तेजी से बदलाव आ रहा हैं।
- ग्रामीण कन्याओं का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा हैं।
- अब वे भी पढ़ लिखकर पहले स्वावलम्बी बनना चाहती हैं।
- ग्रामीण परिवेश में परम्परागत मान्यताओं पर्दा प्रथा, बालविवाह, अंधविश्वास का काला साया उजाले में परिवर्तित हो रहा हैं।
- ग्रामीण महिलाऐं अब किसी से पीछे नहीं है।
- विज्ञान और तकनीकी ने भी ग्रामीण महिलाओं के जनजीवन को प्रभावित किया हैं।
- ग्रामीण महिलाओं की कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हुई हैं।
- उनके जीवनशैली एवं कार्यशैली में बदलाव आया हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए वे न केवल परिवार वरन् देश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

सुझाव – यदि विकास की गति तीव्र करना है, तो अभी भी अनेक दिशा में सार्थक प्रयास की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं। इन खामियों को दूर करने का प्रयास केन्द्रशासन और राज्य शासन को करना होगा इस हेतु निम्न झुकाव है –

- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में और अधिक प्रयास

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

की आवश्यकता हैं।

- विकास योजनाओं के विषय में जागरूकता की कमी अभी भी महसूस की जा रही हैं।
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक विकास के क्षेत्र में भागीदारी हेतु और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है।
- ऋण एवं अनुदान का पर्याप्त ज्ञान ग्रामीण महिलाओं को नहीं हैं।
- ग्रामीण महिलाओं की दक्षता में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक हैं।
- अशिक्षित एवं अकुशल ग्रामीण महिलाएँ जो श्रमसाध्य कार्य करते हुए भी कम वेतन पाती हैं। अत: वे शोषण का शिकार होती हैं।

वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है, इससे कोई अछूता नहीं है, चाहे वह शहरी जनता हो चाहे ग्रामीण उसने सबके मन – मस्तिष्क को झकझोर दिया हैं। संकोच, श्रम और उदासीनता को त्यागकर कर्म क्षेत्र में कदम रखने की आवश्यकता हैं। गाँव में आर्थिक गतिविधियाँ चाहे कृषि क्षेत्र से संबंधित हो या ग्रामोद्योग से संबंधित ग्रामीण महिलाएँ स्वयं को सशक्त और विकसित करने के लिए प्रयासरत् है।

उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठा सकती है, अवसर अनेक है किंतु जागरूकता का अभाव हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल जे.सी. – भारत में नारी शिक्षा विद्या विहार, नई दिल्ली।
2. भारत में महिलाएँ सांख्यिकीय प्रोफाइल राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, होज खास, नई दिल्ली।
3. वर्मा (डॉ.) सवालिया बिहारी – महिला जागृति एवं सशक्तीकरण सोनी (डॉ.) एम.एल गुप्ता (डॉ.) संजीव – आविष्कार पब्लिसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 302003 (राज)।

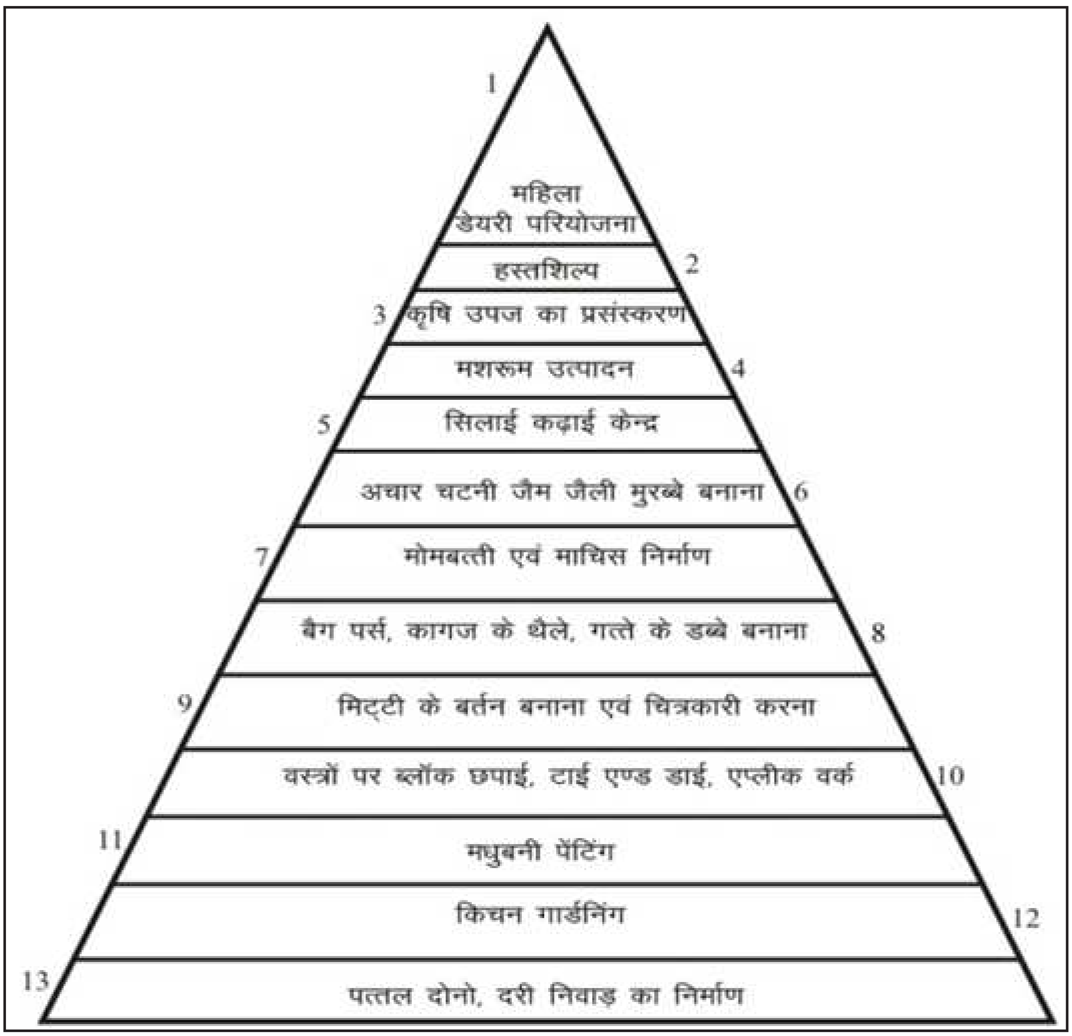

****

किशोरियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरुकता का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. दीपशिखा पाण्डेय *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध प्रपत्र किशोरियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरुकता का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर आधारित है। बच्चों एवं किशोरों के व्यवहार में परिवर्तन का प्रमुख दायित्व माँ एवं शिक्षक में होता है। माँ एक शिक्षिका के रुप में भी होती है। अत: यह आवश्यक होता है कि आज की युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितनी जागरुक हैं, विशेषकर किशोरियाँ। अत: किशोरियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरुकता को जानने का प्रयास प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। अध्ययन हेतु 200 छात्राओं का चयन रेण्डम विधि द्वारा गोरखपुर के चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0जी0 कालेज से किया गया है। आँकड़ों का एकत्रीकरण प्रश्नावली विधि द्वारा तथा सांख्यिकीय विश्लेषण प्रतिशत विधि द्वारा किया गया है। आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि अधिकांश किशोरियाँ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक हैं और पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में पूरी तरह से सहमति व्यक्त करती हैं।

शब्द कुंजी – पर्यावरण संरक्षण, जागरुकता, जैव विविधता, प्रदूषण।

प्रस्तावना – पर्यावरण शब्द दो शब्द से मिलकर बना है परि+आवरण। जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढ़का हुआ। अर्थात् प्राणी के चारों ओर कुछ भी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएँ हैं वह उसका पर्यावरण है।

कैम्ब्रिज एनसाइक्लोपीडिया (1990) के अनुसार– किसी स्थान की वे परिस्थितियाँ जिनमें एक जीवधारी रहता है, पर्यावरण है। सामान्य तौर पर भौतिक पर्यावरण किसी भू-भाग की विशेषताओं का वर्णन करता है जो कि मानव प्रभाव द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों से अछूता रहता है जबकि भौगोलिक पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण के साथ किसी भी रुपान्तरण का समावेश है।

पर्यावरण की धारणा अत्यधिक व्यापक है। वायु जल, भूमि, वनस्पति, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मानव सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रकृति में इन सबकी मात्रा कुछ इस प्रकार व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलनमय जीवन चलता रहे।

आज समस्त विश्व में पर्यावरण असंतुलन के गंभीर परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हाल में आये भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, कैटरीना आदि समुद्री तूफान इस श्रृंखला के नये नाम है।

आज यह घटनाएँ प्राकृतिक न होकर प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम हैं। आज सम्पूर्ण प्रकृति को प्रदूषण ने घेर लिया है, जिसका ताजा उदाहरण दिल्ली में फैले धुँध रुपी प्रदूषण के रुप में देखा जा रहा है और जिसका असर पूरे राज्यों में भी फैल रहा है। प्रदूषण को रोकने में समय-समय पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास एवं आन्दोलन भी किए गए। जिसमें चिपको आन्दोलन, एप्पिको आन्दोलन, शाँत घाटी आन्दोलन तथा नर्मदा बचाओं आंदोलन प्रमुख रहे। परन्तु यह आन्दोलन तब तक सफल पूरी तरह से नहीं बन पायेगा, जब तक कि आम जनता भी इस दानव रुपी प्रदूषण के प्रति जागरुक न हो।

अत: जरुरत है कि इस पर्यावरण संकट को समाप्त करने की ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। मानवीय अस्मिता दीर्घयामान हो सके। इसके लिए युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जागरुक हो। महिलाओं के लिए यह जागरुकता-विशेषकर है क्योंकि महिलाएँ आज गृहणि हैं तो शिक्षिका बनकर अनेकों बच्चों को जागरुक बना रही हैं, वही देश की सामाजिक आर्थिक एवं भौतिक संरक्षण में भी विशेष भूमिका निभा रही हैं। आज इन महिलाओं का जितना योगदान घर के संचालन में है, उतना पूरा योगदान पर्यावरण संरक्षण में भी है तथा पूरा योगदान पर्यावरण संरक्षण में भी है। अत: पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरुकता बच्चों में प्रारम्भ से ही शुरु कर देनी चाहिए। बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने में माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे में माँ एक शिक्षिका के रुप में भी एक अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि विद्यार्थी जीवन में किशोरियों को अन्य शिक्षा के साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरुकता लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज की किशोरियाँ ही कल की भावी माताएँ हैं।

अत: इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस विषय का चुनाव किया गया कि- 'किशोरियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरुकता का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अध्ययन का उद्देश्य – किशोरियों में पर्यावरण संबंधी जागरुकता का अध्ययन करना।

शोध विधि – शोध कार्य में अध्ययन हेतु 200 स्नातक स्तर की किशोरियों का चयन गोरखपुर क्षेत्र के चन्द्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर से रेण्डम विधि द्वारा किया गया है। आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया है तथा अध्ययन का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रतिशत विधि पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश
↓
गोरखपुर क्षेत्र
↓
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0जी0 कालेज गोरखपुर

* वरिष्ठ प्रवक्ता (गृह विज्ञान) डॉ. चन्द्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. महाविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.) भारत

200 छात्राओं का चयन (स्नातक स्तर पर)

↓

रेण्डम विधि द्वारा

↓

तथ्य संकलन
(प्रश्नावली विधि)

↓

तथ्य विश्लेषण
(प्रतिशत विधि द्वारा)

परिणाम एवं विश्लेषण – (सारणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

निष्कर्ष –

1. सारणी संख्या 1.1 में प्रदूषण संबंधी जानकारी प्राप्त करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 180 छात्राएँ यह मानती हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जागरुक होना अनिवार्य हैं। 155 छात्राएँ पूर्णत: सहमत है कि प्रदूषण जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि 200 छात्राऍं इस कथन से पूर्णत: सहमत हैं कि पर्यावरण संरक्षण सभी का महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए।
2. सारणी संख्या 1.2 में जल के समुचित उपयोग के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर यह पाया गया कि 98 छात्राऍं जल के दुरुपयोग पर रोक लगाने के प्रति पूर्णत: सहमति व्यक्त करती हैं। 102 छात्राऍं इस कथन से पूर्णत: सहायक है। 91 छात्राऍं केवल सहमति व्यक्त करती हैं कि औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को स्वच्छ कर पुन: प्रयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। 180 छात्राऍं पूर्णत: सहमत हैं कि से निकलने वाला पानी व्यर्थ हो जाता है अत: उसका पुन: प्रयोग करने का कोई अवश्य उपाय निकालना चाहिए जबकि 116 छात्राऍं इस कथन से असहमत है कि रसोईघर के सिंक से निकलने वाले पानी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। उनका यह मानना है कि सिंक से निकलने वाले पानी की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे घर में लगे पौधों एवं सब्जियों को पानी उपलब्ध हो सके।
3. सारणी संख्या 1.3 में वनों के संरक्षण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि 112 छात्राऍं इस कथन से असहमत है कि भवनों एवं सड़कों के निर्माण के लिए वनों की कटाई आवश्यक है। 122 छात्राऍं इस कथन से पूर्णत: सहमत हैं कि लकडियों को काटकर ईंधन के रुप में प्रयोग नहीं करना चाहिए वह सहमत भी हैं कि नगरों का विस्तार तभी हो सकता है, जब वनों की कटाई होगी। 64 छात्राऍं ही पूर्णत: सहमत है कि वनों की कटाई नें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है। 36 छात्राऍं स्नातक कला वर्ग की होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग शब्द से कम परिचित हैं, जिसके कारण वह असहमति व्यक्त करती हैं। 72 एवं 58 छात्राऍं ही ऐसी हैं जो मृदा अपरदन एवं वनों की कताई से भूमि की उर्वरता में कमी आने की स्वीकार करती हैं जिसका कारण है मृदा अपरदन के कारणों से कम परिचित होना।
4. सारणी संख्या 1.4 में वायु प्रदूषण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि 172 छात्राऍं इस कथन से पूर्णत: सहमत है कि औद्योगिक नगरों में धुंध छाने का कारण वायु प्रदूषण भी हो सकता हैं। 99 एवं 112 छात्राऍं इस बात से सहमत हैं कि ग्रीन हाउस एवं ओजोन परत में छेद होने का कारण वायु प्रदूषण है। 53 छात्राऍं ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस एवं ओजोन परत जैसे वैज्ञानिक शब्दों से कम परिचित होने के कारण कथन के प्रति अनिश्चितता व्यक्त करती हैं। 91 छात्राऍं ऐसी हैं जिन्हें सौर ऊर्जा एवं सोलर पैनल के संदर्भ में जानकारी है जो वायु प्रदूषण को रोकने में इन्हें सहायक मानती हैं। जब छात्राओं को इस संदर्भ में बताया गया तब 140 छात्राएं सहमति व्यक्त करती हैं कि विद्यालयों में ऊर्जा संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए।
5. सारणी संख्या 1.5 में ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि 82 छात्राऍं इस कथन से पूर्णत: सहमत हैं कि ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति को शारीरिक रुप के साथ ही मानसिक रुप से भी प्रभावित करता है। 21 छात्राऍं ऐसी हैं जो इस संदर्भ में असहमति व्यक्त करती है। 191 छात्राऍं पेट्रोल एवं डीजल गाड़ियों के स्थान पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए पूर्णत: सहमत हैं।
6. 130 छात्राऍं मानती हैं कि पुरानी गाड़ियों के सैलेन्सर को नियमित जाँच कराते रहना चाहिए। 200 छात्राऍं इस कथन से पूर्णत: सहमत हैं कि आवाज करने वाले यंत्रो पर पूर्णत: रोक लगाना चाहिए। 100 छात्राऍं इको फ्रेण्डली पटाखों के प्रति अपनी पूर्णत: सहमति व्यक्त करती हैं, जबकि 82 छात्राऍं यह मानती हैं कि उच्च ध्वनि स्नायुतन्त्र के साथ बौद्धिक क्षमता का भी ह्रास करता है। अत: अधिकांशत: छात्राऍं ध्वनि प्रदूषण एवं उसके भयंकर दुष्परिणामों के प्रति जागरुक हैं।
7. सारणी संख्या 1.6 में पर्यावरण जागरुकता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि 120 छात्राऍं इस कथन से पूर्णत: सहमत हैं कि विद्यालयों में प्रदर्शिनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा पर्यावरण संबंधी जागरुकता लाया जा सकता है। 112 छात्राऍं जैव विविधता की विलुप्तता के प्रति सहमति व्यक्त करती हैं कि पेड़ पौधो को सुंदरता के लिए लगाया जाता है न कि पर्यावरण संरक्षण के लिए। इस प्रकार अधिकांश छात्राऍं पर्यावरण के प्रति अपनी जागरुकता को प्रदर्शित करती हैं। 172 छात्राऍं इस बात से असहमत है कि कीटनाशक युक्त जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। जबकि 130 छात्राऍं पर्यावरण प्रदूषण देश के लिए गंभीर समस्या नहीं है, इस बात से असहमत हैं।

अत: सम्पूर्ण सारणी का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि अधिकांशत: किशोरियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, बी0बी0 (2001) पर्यावरण शिक्षा,
2. द्विवेद्वी, अर्चना (2008) गोरखपुर विश्वविद्यालय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के पर्यावरण जागरुकता का एक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, दी0द0उ0गो0वि0वि0गो0
3. www.disableed.world.com/health/respiratory/pollution,Health effects caused by air pollution. (2013)
4. The Air you Breathe-News articles
5. Air pollution sources-Airpollution sources.gif (2016)

N=100

सारणी 1.1 प्रदूषण संबंधी जानकारी के संदर्भ में

क्र.सं.	कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णत: असहमत
1.	क्या सभी को पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जागरुक होना अनिवार्य	180	20	-	-	-
2.	प्रदूषण सभी जीवों के लिए हानिकारक हैं।	155	40	5	-	-
3.	क्या पर्यावरण संरक्षण सभी का प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिए।	200	-	-	-	-

सारणी 1.2

जल के समुचित उपयोग के संदर्भ में

क्र.सं.	कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णत:
1.	जल के उपयुक्त उपयोग के लिए आवश्यक है कि जल का अनावश्यक दुरुपयोग रोका जाए।	98	82	10	5	5
2.	जल की उपलब्धता वन्य एवं जीव के लिए आवश्यक है।	102	70	18	8	2
3.	कारखानों से निकले जल को पुन: स्वच्छ करके पुन: प्रयोग किया जाना चाहिए।	102	70	18	8	1
4.	RO-फिल्टर से निकलने वाले जल का सदुपयोग किया जाना चाहिए।	180	20	-	-	-
5.	रसोई घर के सिंक से निकलने वाले पानी का प्रयोग पौधों के लिए किया जाना चाहिए।	28	116	2	53	1

सारणी 1.3

वनों के संरक्षण के संदर्भ में

क्र.सं.	कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णत:
1.	भवनों, सड़कों के निर्माण एवं खनिज पदार्थों के खनन के लिए वनों की कटाई आवश्यक है।	30	52	4	112	2
2.	वन संरक्षण के लिए लकडियों का प्रयोग ईंधन के रुप में नहीं किया जाना चाहिए।	122	40	10	15	13
3.	नगर विस्तार हेतु वनों की कटाई आवश्यक है।	62	70	33	35	-
4.	वनों की कटाई ने वर्षा के जल को कम कर दिया है।	52	98	20	30	-
5.	वनों की कटाई ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया है।	64	62	18	36	20
6.	मृदा के अपरदन को वनों की कटाई ने बढ़ा दिया है।	41	72	40	32	15
7.	वनों की कटाई से भूमि की उर्वरता में कमी आई हैं।	39	58	53	34	16

सारणी 1.4 – वायु प्रदूषण के संदर्भ में जानकारी

क्र. सं.	कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णत: असहमत
1.	औद्योगिक नगरों पर छाने वाले धुंध का कारण है वायु प्रदूषण	172	22	2	3	1
2.	ग्रीन हाउस वायु प्रदूषण का एक परिणाम है।	38	99	53	10	–
3.	ओजोन परत में क्षय होने का कारण है वायु प्रदूषण	81	112	07	–	–
4.	वायु प्रदूषण को रोकने में सौर ऊर्जा पैनल एक सही कदम है।	40	91	58	9	2
5.	विद्यालयों में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	140	40	20	–	–

सारणी 1.5 – ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में जानकारी

क्र. सं.	कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णत: असहमत
1.	ध्वनि प्रदूषण ने व्यक्ति को शारीरिक रुप के साथ ही मनोवैज्ञानिक रुप से प्रभावित किया है।	82	73	13	21	11
2.	पेट्रोल एवं डीजल वाले वाहनों के स्थान पर बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए।	191	09	–	–	–
3.	वाहनों के साइलेंसरों का नियमित जाँच आवश्यक है।	130	40	19	08	03
4.	आवाज करने वाले यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगना आवश्यक है।	200	–	–	–	–
5.	पटाखों का प्रयोग इको फ्रैण्डली होना चाहिए।	100	78	13	06	03
6.	उच्च ध्वनि स्नायुतन्त्र के साथ व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभातिव कर रही है।	78	82	38	02	–

सारणी 1.6 – पर्यावरण जागरुकता के संदर्भ में जानकारी

क्र. सं.	कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णत: असहमत
1.	विद्यालयों में प्रदर्शिनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा पर्यावरण संबंधी जागरुकता लाया जा सकता है।	120	40	20	10	10
2.	पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीव संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है।	82	91	20	05	02
3.	प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए गॉवों का संरक्षण आवश्यक है।	52	89	24	18	17
4.	जैव विविधता की विलुप्तता एक बहुत बड़ा संकट है।	72	112	12	04	–
5.	पेड़ पौधो को लगाया जाता है सुदंरता को बढ़ाने में न कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।	09	23	17	122	29
6.	कीटनाशक का छिड़काव, सिंचाई के लिए प्रयोग किये गए रासायन से युक्त जल स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं।	02	03	10	172	13
7.	सामान्यजन के सहयोग से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है।	179	21	–	–	–
8.	जैव विविधता को बनाए रखना एवं पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा परम कर्त्तव्य होना चाहिए।	191	09	–	–	–
9.	पर्यावरण प्रदूषण देश के लिए कोई गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि देश इससे भी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है।	06	20	04	130	40

****

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या प्रेरणा महीला बचत गटाचा अभ्यास

रूपाली सुरेश देवलेकर *

प्रस्तावना – भारताला स्वतंत्र्य मिळण्यापुर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही गेल्या कित्येक दशकामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास घडवुन आणण्यासाठी प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये भर देण्यात आला. भारतासारख्या विकसनशिल देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टये लक्षात घेतली असता गरीबी, बेरोजगारी, दारिद्रय, कमी दरडोई उत्पन्न, मानवी विकास निर्देशांक (कमी) निरक्षरतेचे जास्त प्रमाण इत्यादी वैशिष्टयांचा त्यात सामावेश करता येईल.

भारत हा अतिरिक्त लोकसंख्येचा देश आहे. जागतिक दृष्टया विचार करता भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी 17.5% लोकसंख्या भारतात वास्तव्य करते. भारतातील वाढती लोकसंख्या ही विकासासाठी बाधा ठरत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला या वाढत्या लोकसंख्यामुळे दारीद्रय, बेकारी, आरोग्य कमी दरडोई उत्पन्न, कमी राहणीमान, इत्यादी समस्यांमध्ये वाढ होतांना दिसते. भारतात रोजगाराच्या संधी ज्या दराने वाढतात त्यापेक्षा जास्त दराने लोकसंख्या वाढत असल्याने भारतात बरेच लोक बेकार किंवा अर्धबेकार अवस्थेत राहतात. 1983 पासुन भारतात बेराजगारीचा सरासरी दर 7.32% दिसुन आला. 2013 मध्ये हा दर 8.8% इतका होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात बेरोजगारांची संख्या 33 लाख होती ती वाढुन आठव्या पंचवार्षिक योजनेत 230 लाख एवढी झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झालेली दिसुन येत असली तरी वाढत्या लोकसंख्येमुळे दरडोई उत्पन्नातील वाढीचा आकडा कमी होत असल्याचे दिसुन येते.

खालील तक्त्यात काही महत्वाच्या देशांसोबत भारताच्या दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली आहे.

दरडोई उत्पन्नाची तुलना

तक्ता क्र. 1.1

देश	दरडोई उत्पन्न (U.S.$) 2014
नार्वे	97,307.4
अमेरिका	54,629.5
चीन	7,590.0
श्रीलंका	3,819.0
भारत	1,581.5
पाकीस्तान	1,316.6

स्त्रोत–जागतिक बँक अहवाल 2013–14

वरील तक्त्यावरुन असे दिसुन येते की, ज्या देशाची लोकसंख्या कमी आहे त्याचे दरडोई उत्पन्न जास्त असल्यामुळे तो विकसीत देश म्हणुन गणले जातात. या उलट त्यादेशाची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यांचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्यामुळे ते विकसनशील देश म्हणुन गणले जातात. वरील देशांची भारताच्या दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली असता भारताचे दरडोई उत्पन्न अतिशय कमी असल्याचे दिुसन येते.

भारतीतील दारिद्रय – स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातही भारतात आर्थिक समस्या आढळून आल्याचे दिसून आले. नव्या आर्थिक धोरणामुळे भांडवलशाही आर्थिक मक्तेदारी वाढत आहे. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर वाढत असला तरी उत्पन्नातील विषमतेत वाढ होताना आढळून येत आहे. म्हणनूच गरीबांच्या संख्येत वाढ होताना दिसते. जागतिक बँकेच्या 2011 च्या अहवालानुसार 41.6% भारतीय लोक दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगत आहे.

दारिद्रयाची संकल्पना – सन 2000–2001 च्या जागतिक विकास अहवालानुसार 'सुस्थितीपासून संपूर्णपणे वंचित असणे म्हणजे दारिद्रय होय' जागतिक बँकेनुसार दरदिवशी 1.25 (U.S.$) पेक्षा कमी उत्पन्न मिळविणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे दारिद्रयरेषेखालील व्यक्ती होय. दारिद्रय म्हणजे अशी परिस्थिती की, ज्यामध्ये समाजातील एखादा विशिष्ट घटक आपल्या मुलभूत गरजा भागवू शकत नाही किंवा किमान जीवनमान जगता येईल एवढे उत्पन्न व्यक्ती किंवा समुहाकडे नसते' दारिद्रयाच्या बाबतीत अनेक तज्ञांनी आपले विचार व्यक्त केले असले तरी त्यात एक वाक्यता दिसुन येत नाही. काहिंनी किमान जीवनमान (Minimum Level of Living) काहिंनी वाजवी जीवनमान (Reasonable Level of Living) विचारात घेऊन आपले विचार मांडलेले आहेत' 1997 पासुन मानव विकास अहवालात मानव दारिद्रय निर्देशांक काढला जातो' 2010 पासून या बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index) काढला जातो' या निर्देशांकावरुन लोकसंख्येच्या राहणीमानातील आरोग्य व जीवनातील तीव्रता आणि गरिबी विचारात घेतली जाते.

दांडेकर व रथ यांच्या अंदाजानुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्तिला दररोज किमान 2250 उष्मांक मिळविण्यासाठी 1960–61 च्या स्थिर किंमतीनुसार ग्रामीण भागातील व्यक्ती प्रतिमहा 15 रु. व शहरी भागातील व्यक्तीस 22.50 रु. खर्च करावा लागेल. यावरुन असा निष्कर्ष काढला जातो की, 1968–69 मध्ये ग्रामीण भागात 40% लोक व शहारी भागात 50% लोक दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगत होते.

रंगराजन गटाचा अंदाजानुसार 2011–12 या वर्षी देशात 36.39 % लोक दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगत होते. देशाच्या एकुण लोकसंख्येशी प्रमाण 29.5 % होते. रंगराजन यांच्या अहवालामुळे देशात साधारण 36 कोटी 30 लाख नागरिक गरीब म्हणुन घेण्यास पात्र ठरतील. 10 कोटी इतके अधिक गरीब आपला देशात मोजले जाणार आहेत. म्हणजेच दर 10

* संशोधक विदयार्थिनी, एस.एन.डी.टी. महीला विदयापिठ, मुंबई (महाराष्ट्र) भारत

नागरिकातील तीन जण आपल्या देशात आता गरीब म्हणवून घेण्यास पात्र ठरतील. म्हणजेच भारताचे विकासाचा विशिष्ट टप्पा गाठला असला तरी दारिद्र्य कमी होत नसल्याचे दिसुन येत आहे.

महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे वास्तव – राज्य सरकारने प्रकाशीत केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात, नियोजन आयोगाने पुरविलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे प्रमाणे हे 30.7% आहे जे जे राष्ट्रीय दारिद्र्याच्या (27.5:) 3.2% ने जास्त आहे. महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य असुनही भारतात दारिद्र्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा उत्तरप्रदेश आणि बिहार पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्रामध्ये 3.17 कोटी लोक दारिद्र्यरेषे खाली आहेत तर उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये अनुक्रमे 5.90 आणि 3.69 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. 1993-94 मध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण सारखे होते. परंतु 2004-2005 मध्ये तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या कमी होते. महाराष्ट्रातील दारिद्र्य रेषेखाली लोकसंख्येत यादरम्यानच्या काळात 12.2 लाखाने भर पडली. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येत झालेली वाढ ही विशेष करुन शहरी भागात झाली आहे.

1997 मध्ये ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण हे 34.6% इतके होते ते वाढुन 2002 मध्ये 35.8% इतके झाले तर शहरी भागातील प्रमाण 8.8% वरुन 13.9% इतके वाढले.

संदर्भ साहित्याचा आढव –आदिवासी विकास विभाग, बचतगट आणि आदिवासी महिला, 'लोकराज्य ऑगस्ट 2016 (पृष्ठ 34) महाराष्ट्र श्शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने बचत गट आणि आदिवासी महिला यांच्या बाबतीत गोळा केलेली माहिती असे निर्देशीत करते की, बचत गटातुन आर्थिक उन्नतीने देशभर महिलांच्या सशक्ती करणामध्ये मोठे योगदान दिले आहे. बचत गटापासुन आदिवासी समाजही दुर राहिलेला नसुन आंबेगांव तालुक्यातील तिरपाडा गावात बचत गटातुन मोठया प्रमाणात परिवर्तन घडुन आले.

आंबेगांव तालुक्यातील तिरपाडा हे गाव अती दुर्गम डोंगराळ भागात आहे. तिरपाड ही ग्रामपंचायत 1800 आदिवासी लोकसंख्येचे गाव आहे. या ग्रामपंचायतीत तिरपाडे, डोण, नानवडे, नाव्हेड ही महसुली गावे आहेत येथील लोकांचा मुख्य व्यवसाय केवळ भात, नाचणी शेती व वनामधुन हिरडा गोळा करुन विकणे. याशिवाय निश्चित अशा रोजगाराचे कोणतेही साधन नाही. अशा परिस्थितीत या ठिकाणी बचत गटाने मोठी क्रांती घडवुन आणली. सुरुवातीला या गावात बचत गट स्थापण्यासाठी मोठया प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. बचत गटाच्या माध्यमातुन त्या तशा सक्षम होवु शकतात ते त्यांना पटवुन देण्यात आले. सुरुवातीला 4 बचतगट स्थापन करण्यात आले. या गटाच्या माध्यातुन गटाच्या सभा घेणे, त्यांना आपले मनोगत व्यक्त करु देणे त्याच्या कल्पना मांडणे इत्यादींची संधी या महिलांना देण्यात आली. त्यानंतर महिला स्वत:च भाग घेवु लागल्या व एकत्र येवु लागल्या. हळुहळु गावातील बचत गटाच्या संख्येत वाढ होवुन आता एकुण 15 बचतगट स्थापन झाले आहेत. महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण देवुन त्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम बनविणे हा बचत गटाचा उद्देश होता. त्यासाठी तिरपाडच्या जंगलात जो कच्चा माल उपलब्ध होईल त्यावर प्रक्रीया करुन जर काही व्यवसाय करता आला तर कमीत कमी भांडवलावर जास्तीत जास्त नफा कमावता येईल यांचा विचार तिरपाडच्या जंगलात उपलब्ध वनोउपज जसे करवंद, कैऱ्या इत्यादी रानमेव्याचा उपयोग करुन लोणची बनवण्याचे तसेच नाचणीचे पापड बनवण्याचे व्यवसाय करण्याचे बचत गटाच्या महिलांनी ठरवले त्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्राने बचत गटाच्या 40 महिलांना त्या संबधीचे प्रशिक्षण दिले. त्याची फळश्रुती म्हणुन या महिलांनी भाग्यलक्ष्मी महिला बचत गटाच्या माध्यमातुन लोणची बनविण्याचा व्यवसाय सुरु केला. बनवलेली लोणची त्यांनी विविध शासकीय संस्था, बँक कर्मचारी इत्यादींना विकली. लोणच्याचा दर्जा उत्तम असल्यामुळे या लोणच्यासाठी ग्राहका कडुन मोठया प्रमाणात ऑर्डर्स मिळत आहे.

अर्थात बचत गटाच्या माध्यमातुन महिला सक्षमीकरण करणे शक्य आहे हे यातुन दिसुन येते. महिला बचत गटांना बिनव्याजी कर्ज लोकराज्य मार्च 2016 (पृष्ठ 40), 21 फेब्रुवारी 2016 रोजी नागपुर येथे विभागीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी राज्यातील महीला बचत गटाना बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल व त्याच्या व्याजाची बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल व त्याच्या व्याजाची रक्कम शासन भरेल अशी घोषणा महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.देवेन्द्र फडणवीस यांनी या प्रसंगी केली. बचत गट घेत असलेल्या कर्जाची 100% परतफेड करतात. त्याचा प्रामाणिकपणा व स्वाभिमान इतर कर्ज परत न करणाऱ्या उद्योगपतींच्या तुलनेत कितीतरी मोठा आहे. म्हणनुनच देश व राज्यांच्या प्रगतीत महिलांचा सक्रीय सहभाग महत्वाचा असल्याची आश त्यांनी व्यक्त केली. समाजातील स्त्रीयांची आत्मशक्ती वाढविली पाहिजे त्यासाठी मोठया प्रमाणात स्वयंसहायता बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री सौ. पकंजा मुंडे यांनी व्यक्त केले. राज्यशासन महिलांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहुन त्यांची प्रगती घडवुन आणण्यात मोलाचा वाटा उचलेल असेही त्या म्हणाल्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सबळीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी शासन नवनवीन धोरणे राबवत आहे. महिला सबळीकरण हा सुध्दा ग्रामविकासाचा महत्वाचा भाग आहे.

या वरुन असे लक्षात येते की, महिलांचा आर्थिक विकास घडवुन आणण्यामध्ये शासन आशावादी आहे असेच दिसुन येते. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात बचत गटाच्या माध्यामुन महिलांचा आर्थिक विकास झपाटयाने घडुन येऊ शकतो असे मानायला हरकत नाही.

- अभ्यासाची उद्दिष्टये : प्रस्तुत अभ्यासाची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत

1. स्वयंसहाय्यता बचत गट संकल्पना समजून घेणे.
2. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेअंतर्गत येणाऱ्या प्रेरणा महिला बचत गटाचा प्रतिनिधिक स्वरुपात अभ्यास करणे.
3. प्रेरणा या स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या कामगिरीचा अभ्यास करणे.
4. स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या आणि सदस्यांच्या सामाजिक /आर्थिक विकासासाठी कृती आराखडा तयार करणे.

- संशोधन पद्धती : प्रस्तुत (Case Study) अभ्यास हा प्राथमिक आणि दुय्यम स्त्रोतांवर आधारित आहे. प्राथमिक माहिती मिळविण्यासाठी स्वयंसहायता बचत गट आणि त्यामधील सदस्यांसाठी प्रश्नावली तयार करण्यात आली. स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे अध्यक्ष आणि सभासदांचे प्रत्यक्ष मुलाखत घेवुन त्यांच्याकडुन माहिती गोळा करण्यात आली. प्रस्तुत Case Study साठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या प्रेरणा महिला बचत गटांची निवड करण्यात आली या बचत गटात 5 सभासद आहेत त्यांची आणि बचत गटांची प्रश्नावली भरुन घेण्यात आली. त्यासोबतच संदर्भ साहित्याचा आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक

माहितीबरोबरच दुय्यम माहिती देखील गोळा करण्यात आली. एकुणच प्रस्तुत अभ्यासाच्या माध्यमातुन प्रेरणा महिला बचत गटाच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करण्यात आले.

● कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका आणि स्वयंसहाय्यता बचतगट- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची स्थापना : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका ही दीडशे वर्षांपासूनचा इतिहास असलेली ठाणे जिल्हयातील सर्वात जुनी महानगरपालिका आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका ही 67.65 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळात विखुरलली आहे. महानगरपालिकेअंतर्गत 2011 च्या जनगणनेनुसार 12 लाखाहून जास्त नागरिक सध्या वास्तव्य करित आहेत. कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेची स्थापना 1 ऑक्टोबर 1983 रोजी झाली व या अंतर्गत एकुण 7 प्रभागाचा समावेश होतो. या महानगरपालिकेच्या सीमा पश्चिमेला कोपर, भोपर, डोंबिवली, उत्तरेला वाडेघर, ठाकुर्ली, बारावे आणि कोलीवली, पूर्वेला टिटवाळा, अटाळी, मोहने आणि दक्षिणेला कोळसेवाडी, काटेमानिवली ते भाल व निळजे इत्यादी आहे. कल्याण हे मध्य रेल्वेवरील महत्वाचे जंक्शन असुन ते दुर पल्याच्या व उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीसाठी मुंबई महानगरपालिकेतून बाहेर जाणाऱ्या व बाहेरुन महानगरकडे येणाऱ्या गाडयांचे थांबवण्याचे मुख्य ठिकाण म्हणुन प्रसिध्दीला आलेले आहे.

● **कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची लोकसंख्या -** 2011 च्या जनगणनेनुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची एकुण लोकसंख्या 12,47, 327 एवढी आहे. त्यापैकी 6,49,626 एवढे पुरुष तर 5,97,701 एवढी स्त्रियांची संख्या आहे. अर्थात 52.08% इतके पुरुषांचे प्रमाण तर 47.95% इतके स्त्रियांचे प्रमाण आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत साक्षरतेचे सरासरी प्रमाण हे 91.37% आहे. जे राज्यस्तरीत सरासरी साक्षरतेच्या प्रमाणापेक्षा (82.34%) जास्त आहे. पुढील तक्त्याच्या माध्यमातुन कल्याण डोंबिवलीतील लोकसंख्या साक्षरता दर आणि पुरुष स्त्रि दर लक्षात येईल

तक्ता क्र. 1.2 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

● **कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची धर्मानुसार लोकसंख्या-** कल्याण डोंबिवली शहरातील 80.75% हिंदु लोकसंख्या आहे तर त्या खालोखाल बौध्द धर्माची लोकसंख्या 7.28% इतकी आहे. इस्लाम धर्माची लोक संख्या 6.76% तर ख्रिश्चन धर्माची लोकसंख्या 2.12% इतकी आहे. जैन धर्माची 2.67% सिख धर्माची लोकसंख्या 0.19% इतकी आहे तर इतर धर्माची लोकसंख्या 0.9% इतकी आहे. जवळपास 0.15 %इतक्या लोकसंख्येचा कोणताही धर्म नमुद नसल्याचे दिसुन येते हे पुढील तक्त्यानुसार धर्माची लोकसंख्या व त्यांचे प्रमाण दर्शविलेले आहे.

धर्मानुसार लोकसंख्या 2011

तक्ता क्र. 1.3

विवरण	एकुण	टक्केवारी
हिंदू	1,007,228	80.75%
बौद्ध	90,815	7.28 %
मुस्लिम	84,312	6.76%
जैन	33,264	2.67 %
ख्रिश्चन	26,397	2.12%
शिख	2,364	0.19 %
नमुद नाही	1,874	0.15 %
इतर	1,073	0.09 %

स्त्रोत: http://www.census2011.co.in/census/city/396-kalyanand-dombivali.html

● **कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची अर्थव्यवस्था -** डोंबिवलीच्या औदयोगिक भागात विविध काराखाने असुन त्यात तैलरंग, औदयोगिक आणि शेतीसाठी लागणारी रसायने यांचा समावेश होतो. या भागात जड धातुची सामुग्री बनवणारे कारखाने आहेत. काही प्रमुख औदयोगिक संख्या जसे घरडा केमिकल, विको लॅब, लाईट स्टिल, दिपक फर्टिलायझर यांचे उत्पादन कारखाने या ठिकाणी आहेत. डोंबिवली, दिवा-वसई रेल्वे मार्गावरील कोपर, ठाकुर्ली ही मध्य रेल्वेमधील एकुण तीन स्थानके डोंबिवली शहराच्या हद्दीत आहेत.

● **गलिच्छ वस्ती सुधारण कार्यक्रम - कल्याण-**डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत गलिच्छ वस्त्यामधील लोकसंख्या ही 1991 मध्ये 96,000 इतकी होती. तर त्यात वाढ होवून ही लोकसंख्या 2007 मध्ये 1,60,000 इतकी वाढली हयाची टक्केवारी लक्षात घेता 1991 मध्ये गलिच्छ वस्त्या मधील लोकसंख्येचे प्रमाण हे 40% इतके होते. तर 2007 मध्ये ते 44% पर्यंत पोहचले. शहर विकास आराखडा 2007 नुसार शहरी दारिद्र्य आणि गलिच्छ सुधारणा कार्यक्रमासाठी 19.78कोटी रु.तरतूद करण्यात आली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत दारिद्र्य निर्मुलन कार्यक्रमाकरिता JNNURM या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य निर्मुलन कार्यक्रमकरिता जी 100% रक्कम दिली जाते त्यात केंद्रसरकारचा वाटा हा 50% आहे. तर 30% वाटा हा राज्य सरकारचा आहे. आणि 20% वाटा हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातुन लाभार्थीकडून घेतला जातो. या निधीचा वापर हा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच आवश्यक सेवा पुरविण्यासाठी केला जातो.

दारिद्र्य निर्मुलनासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या माध्यमातुन जे कार्यक्रम राबविले जातात. त्यात सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ही एक प्रभावी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांची स्थापना करण्यात येते. तसेच महिलांना विविध व्यवसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते त्याची यादी पुढील प्रमाणे आहे.

तक्ता क्र. 1.4

अ.क्र	प्रशिक्षण प्रकार
1	ऑटोमोबाईल इंजिनिअरींग
2	ए.सी. रिपेरिंग
3	मोबाईल रिपेरिंग
4	इलेक्ट्रिक इंजिनिअरींग
5	कॅाम्प्युटर हार्डवेअर
6	कॅाम्प्युटर सॉफ्टवेअर
7	ऑटोमोबाईल मॅकनिक
8	इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अप्लायसेस रिपेरिंग
9	नेटवर्किंग
10	ब्युटिपार्लर
11	स्पेशल मसाज व हेअर ट्रिटमेंट, कटिंग
12	टेलरिंग, फॅशन डिझायनिंग
13	कॅाम्युटर ट्रेनिंग

स्त्रोत - कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, झोपडपट्टी सुधारणा विभाग सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वरील यादीनुसार प्रशिक्षण महानगरपालिकेमधून देण्यात येते.

बचत गट – 'सुवर्ण जयंती शहर रोजगार योजनेअंतर्गत बचत गटांची स्थापना करण्यात येते त्यामधील सर्व बचत गट हे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. यामध्ये महिला व पुरुष याचे बचत गट आहेत. 1997 –2011 पर्यंत बचत गटात 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त सभासद एका बचत गटात होते व 2011 नंतर ते आतापर्यंत प्रत्येक गटात 5 सभासद हया एका बचत गटात आहेत. या बचत गटाचे खाते 'राष्ट्रीयकृत बँकेत' सुरु केले जाते.

फिरता निधी – बचत गटाची स्थापना झाल्यानंतर गटाला 2 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर प्रति मेंबर 2000 इतका फिरता निधी हा एकदाच देण्यात येतो. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अंतर्गत महिला बचत गटाची वाटचाल–

सन 1998 –1999 ते 2009–10 पर्यंतची बचत गटाचे उद्दिष्टय व साध्य पुढील तक्त्यानुसार स्पष्ट करता येते.

तक्ता क्र. 1.5

	बचत गट	
सन	उद्दिष्ट	साध्य
1998–99	—	—
1999–00	—	—
2000–01	—	—
2001–02	—	—
2002–03	40	45
3003–04	51	30
2004–05	108	110
2005–06	108	110
2006–07	110	102
2007–08	152	133
2008–09	102	99
2009–10	171	629

स्त्रोत – कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, झोपडपट्टी सुधारणा विभाग सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सन 1998 –88 ते 2009–10 पर्यंतची माहिती.

प्रेरणा महिला बचत गटाची यशस्वी वाटचाल – (Case Study) – कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेअंतर्गत 'सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेद्धारेय प्रेरणा महिला बचत गटाची स्थापना 2011 साली करण्यात आली. प्रेरणा महिला बचत गट हा माउली कृपा चाळ, चाळ नंबर 2, रूम नं. 6, गौरीपाडा तलाव, कल्याण–पश्चिम या ठिकाणी कार्यरत आहे. या बचत गटातील महिला या सर्व हिंदु धर्माच्या आहे या गटातील 4 महिलांचे शिक्षण हे 7 ते 9 वी पर्यंत झालेले असुन 1 महिलेचे शिक्षण हे प्रथम वर्ष कला पर्यंत झालेले आहे. या वरुन असे लक्षात येत की या गटातील सर्व महिला या शिक्षित आहेत. यापैकी 4 महिलांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत शिवणकामाचे 6 महिन्यांचे व्यवसायिक प्रशिक्षण घेतलेले आहे. महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे, महिलांचा सामाजिक व आर्थिक विकास करणे, बचत गटामार्फत लघु उद्योग सुरु करणे हा प्रमुख उद्देश हा या महिलांचा बचत गट स्थापन करताना होता. हा बचत गट स्थापन करताना महिलांना हा गट सुरु करण्यासाठी काही महिलांना घरातुन परवानगी नव्हती, पैशाची अडचण, वेळेचे बंधन अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले त्यातुन या महिलांनी एकत्रित येवुन विचार विनिमय करुन बचत गटातून आपला सर्वागिण विकास कसा होवू शकतो यावर आपले लक्ष केंद्रित करुन बचत गट स्थापन केला. या बचत गटाच्या स्थापनेच्या वेळी सभासद संख्या ही 5 इतकी होती व आजपर्यंत ही सभासद संख्या 05 इतकीच आहे. या बचत गटाचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, खडकपाडा, कल्याण,पश्चिम या बँकेत खाते उघडले असुन बचत गटामार्फत जमा होणारी रक्कम या बँकेत जमा केली जाते. प्रेरणा महिला बचत गटामार्फत प्रत्येक महिन्याला वर्गणी जमा केली जाते. या वर्गणीची रक्कम सुरुवातीला प्रति महिना प्रति सभासद 100 रुपये इतकी होती. आता वर्गणीची रक्कम ही 200 रुपये प्रति सभासदांकडुन जमा केले जातात. एकुण प्रति महिना बचत गटाची रक्कम ही 1000 रुपये जमा होते. प्रेरणा महिला बचत गटाने बँक ऑफ महाराष्ट्र, कल्याण–पश्चिम या बँकेकडून 2011 साली, रु.2,50,000 रुपयांचे कर्ज घेतले होते व 2013 साली रु.9,00,000 रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे. या कार्जाच्या रक्कमेतून त्यांनी 22 आसने असलेली बस खरेदी केलेले आहे. या कर्जावर त्यांना 12: व्याजदर आकारण्यात आला असुन कर्जाचा हप्ता हा रु. 20,000 रुपये प्रति महिना आहे. या बचत गटाला 3 लाख इतकी सबसिडी देण्यात आलेली आहे. या बचत गटामार्फत 10 ते 20 प्रकारच्या मसाल्याच्या पदार्थाचे उत्पादन घेतले जाते. उदा. लाख मिरची पावडर, हळद पावडर, विविध प्रकारच्या चटण्याचे उत्पादन कले जाते. तसेच फिनेल बनवणे, वॉशिंग पावडर बनविणे याचेही उत्पादन घेतले जाते. हे उत्पादन बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल हा वाशी या ठिकाणी महिला जावुन घाऊक प्रमाणात खरेदी करतात. अंदाजे 30 किलो मसल्याच्या पदार्थाचे उत्पादन हे रोज घेतले जाते. साधारणत: 1 किलो साठी 300/– ते 350/– रुपये इतकी मसाल्याच्या पदार्थांची किंमत आकारण्यात येते. या मसाल्याच्या पदार्थांना घरगुती मागणी जास्त आहे. तसेच बाजारपेठेतील दुकानदार मसाल्याच्या उत्पादनाला जशी मागणी येते तशा प्रकारे त्यांना मालाची विक्री केली जाते. मालाची विक्री ही डोअर टू डोअर सुद्धा केली जाते. हा माल रोज विक्रीस काढत असुन कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा, शहाड इ. ठिकाणी विकला जातो. प्रेरणा महिला बचत गट हा इतर महिलांना व आपल्या आजूबाजूच्या बचत गटांना विविध प्रकारचे उत्पादन घेण्याविषयी प्रशिक्षण देतात. जसे, लोणचे बनविणे, पापड बनविणे, सेंट, वॉशिंग पावडर, फिनाईल बनवणे, विविध 56 प्रकारच्या मसाल्याचे पदार्थ कसे बनवण्याचे यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण महिन्यातून किंवा पंधरा दिवसातून महिलांना देण्यात येते. हे प्रशिक्षण देण्यामागे त्यांचा प्रमुख उद्देश हा महिलांना आर्थिकदृष्टया सबल करणे हा असुन त्यामार्फत विविध बचत गटांची स्थापन होणे हा आहे. प्रेरणा महिला बचत गटामार्फत हळदी कुंकू, डोळयाचे शिबिर, रक्तदान शिबिर, जयंती इ. कार्यक्रम घेण्यात येतात. तसेच या बचत गटातील महिलांचा राजकिय उपक्रमांमध्येही सक्रीय सहभाग असतो. बचत गटाची सभा ही महिन्यातून होत असते व या सभेला सर्व सभासदांची उपस्थिती असते. बचत गटाची रचना ही अध्यक्ष, सचीव, खजिनदार, सदस्य अशी असुन या पदाधिकाऱ्याचा कालावधी हा एका वर्षाचा आहे. पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ति ही सर्व साधारण सभेद्धारे होते. सभेच्या कामकाजाचा इतिवृत्तांत हा सचिवामार्फत लिहिल्या जातात. तसेच बचत गटाचे सर्व हिशोब सुद्धा स्वत: सचिव लिहितात.

- **प्रेरणा बचत गटाची प्रगती –** प्रेरणा महिला बचत गटामुळे गटातील महिलांना बचतीची सवय लागली. आर्थिक,सामाजिक व राजकीयदृष्टया त्या सबल झाल्या. बचत गटामार्फत महिलांना आपल्या अनेक प्रकारच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करता आल्या. तसेच गटातील सभासद महिलांना घरगुती आर्थिक समस्यांसाठी तसेच कार्यक्रमांसाठी निधीची उपलब्धता करुन दिली जाते.

या बचत गटाचे भविष्यातील उपक्रम हे जास्तीत जास्त महिलांना प्रशिक्षणामार्फत रोजगार उपलब्ध करुन देणे हा आहे. उत्पादनाला मागणी वाढवणे, लघू उदयोग सुरु करणे. गरीब महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे हे आहेत.

या बचत गटातील महिलांची सरकारकडून बचत गटांना हक्काची बाजरपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच, बचत गटांना एकत्र आणून उदयोगांची उभारणी करुन दिल्यास महिलांना जवळपासच मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होवू शकतो व त्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारु शकतो आणि जास्तीत जास्त वित्तीय मदत सरकार मार्फत मिळावी अशी अपेक्षा आहे.

● **उपा ीजना –** महिला बचत गट आणि त्यातील सदस्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा उंचावण्यासाठी त्याचप्रमाणे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा सर्वांगिण विकास घडवून आणण्यासाठी स्वयंसहाय्यता बचत गट हे एक प्रभावी साधन असले तरी त्यांच्या कार्यपध्दतीमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये काही सकारात्मक उपा ीजना होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खालील सूचना या नक्कीच महिला सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त ठरतील.

1. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारने आपल्या केंद्रिय अंदाजपत्रामध्ये जी वित्तीय तरतुद केलेली आहे त्यात भरीव वाढ करणे गरजेचे आहे.
2. बचत गटाच्या प्रत्येक सभासदाला बचत गटाचे कार्य, उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणी इत्यादिच्या बाबतीत माहिती दिली पाहिजे.
3. बचत गटाच्या माध्यमातून जे उपक्रम राबविले जाते त्या उपक्रमांच्या संबंधित आवश्यक ते सर्व प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे.
4. सरकारी संस्था, बिगर सरकारी संस्था, खाजगी संस्था इ. च्या माध्यामातून लघु उदयोगविषयक, स्वयंरोजगारविषयक प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे.
5. पुरुष आधारित समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रि–पुरुष समानता आणण्यासाठी मोठया प्रमाणात सरकारी पातळीवरुन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
6. महिंलाच्या निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढविण्यासाठी सर्व पातळीवर त्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे.
7. वित्तिय नियोजन, वित्तिय व्यवस्थापन, जमा खर्च इत्यादी बाबत प्रशिक्षण केले गेले पाहिजे.
8. स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल हा कमीतकमी एक वर्षाचाच असावा व त्यानंतर दुसऱ्या सभासदाला संधी देण्यात यावी.
9. साधारणत: असे दिसून येते की, स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे सभासद कमी किंवा अल्पशिक्षित आहेत त्यांना आणखी शिक्षित करण्यासाठी सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले पाहिजे.
10. स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून उत्पादित झालेल्या मालाला योग्य ती बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे.
11. स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून उत्पादित झालेल्या उत्पादनाला सरकारने हमी मिळवून दिला पाहिजे.
12. स्वयंसहाय्यता बचत गटाकडून चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांसाठी लागणारे साहित्य, यंत्रसामुग्री, वित्तिय सहाय्य इ. सरकारने उपलब्ध करुन दिले गेले पाहिजे.

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महिला बचतगटांना बिनव्याजी कर्ज, कर्तृत्वाला आधार सामर्थ्याचा, 'लोकराज्य' मार्च 2016, पृष्ठ क्रमांक 40
2. बचत गट आणि आदिवासी महिला, आदिवास ते अग्रक्रम 'लोक राज्य ऑगस्ट 2016, पृष्ठक्रमांक 34
3. शहरी विकास आराखडा 2007
4. NIUA KD CPD Appraisal Report (2008)
5. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, पर्यावरण सद्यस्थितीही अहवाल 2014–2015.
6. गायकवाड मुरलीधर पंडीत (2016), दारिद्र्याचे चिकित्सक मूल्यमापन, Publihed in Challenges before Indian Economy in Global Era, 12th – 13th February, 2016,ISBN-978-93-83342- 24-2 Page No.235 and 236.
7. प्रेरणा महिला बचत गटाची प्राथमिक माहिती (प्रश्नावलीच्या माध्यमातून)

Website -

i) http://www.census2011.co.in/Census/City/369-Kalyan-and-dombivli.html.
ii) http://mr/wikipedia.org/s/bhe
iii) http://en.wikipedia.org/wiki/Dombivli
iv) http://en.wikipedia.org/wiki/Kalyan

कल्याण डोंबिवली शहर लोकसंख्या 2011

तक्ता क्र. 1.2

कल्याण डोंबिवली शहर	एकुण	पुरुष	स्त्रीया
लोकसंख्या शहर	12,47,327	6,49,626	5,97,701
साक्षरता	10,29,041	5,49,217	4,79,824
मुले (0 ते 6 वयोगट)	1,21,122	63,695	57,427
सरासरी साक्षरता दर	91.37%	93.73 %	88.81%
स्त्रि–पुरुष प्रमाण	920	—	—

स्त्रोत–http://www.census2011.co.in/census/city/396-kalyanand-dombivali.html

****

A Comparative Study Of Services To Borrowers By Abhinavsahakari Bank Ltd. And Dnsbank Ltd. With Special Reference To Dombivli City

Omanakuttan N. Nair *

Introduction - The last fifty years of growth of Indian Industry has been largely financed by banks who mobilizes deposits from households. The expected future growth of the Indian Economy is also based on the financing capacity of the banks through borrowed funds. The newly growing segments of our Industry also required an incremental long term and short term credits. Even though the share of credit in the existing industry keep declining, in the view of fast growing infrastructure and the projects based on knowledge , the demand for banks credit is increasing very fast and resulting a wider range of clientele to the banks and the requirements of mega loans.

Here comes the importance of the co-operative banks. It is an institution formed by individuals to accumulate the surplus savings, controlling the profits of the bankers and ordinary money lenders with an intention of distributing the same to the borrowers and depositors

The chief aim of a Co-operative bank is to provide financial help to the economically backward people who are always under the trap of money lenders. In India we have a powerful structure of co-operative institutions which are involved in various activities like production, marketing and processing, distribution and servicing, banking etc…..Co-operative banks are the part of such mechanism. This institution acclaims great importance in the society because the members of this institution are also the customers and owners of the bank and they are from the same geographical locality shares a common interest. As a commercial institution, a co-operative bank also provides various financial and banking services like loans, banking accounts, deposits etc. In India co-operative banking system has a comprehensive network character. It work in a micro level and focusing on local people and in middle and low income group of a society with an intention of creating benefits to rural areas mainly for agricultural development. When compared to scheduled commercial banks, co – operative banks share a small part but it has become an important segment of the banking system in India. The elaborate branch network could help them to reach remote areas and create banking habits in lower and middle income people and an overall strengthening of the rural credit delivery system.

In this paper I am trying to analyse the Services to Borrowers by two major co-operative banks functioning in the city of Dombivli named the AbhinavSahakari Bank Ltd and Dombivli NagriSahakari Bank Ltd.

Profile of the Banks under Study - The urban co-operative Banks covered in the study are situated in Kalyan –Dombivli Municipal corporation area. Thane (dist) Maharashtra state.
The AbhinavSahakari Bank Ltd.
Dombivli NagriSahakari Bank Ltd.

Comparative analysis of the banks under study
The below Tablegives the profile of the Urban Co-operative Banks covered in the study.

Table 1.1 (See in the last page)

The above table shows comparative information of the banks covered under study. It clearly gives the date of formation and present status of branches and members of the banks which are under consideration.

Objectives of the study -
1. To study co-operative banking services to customers in the locality in general.
2. To analyze the borrowers services and timeline services of the staff of the co-operative banks to customers as per their age group, Gender and Experience.
3. To study the different categorical efficiency of the staff in lending operations.

Scope of the study -
1. To achieve the objectives set for the study.
2. To identify the area requiring corrections so as to have proper lending activities.

Limitations of the study - The study does not cover nationalized, non-nationalized, Third Generation banks but only Primary Urban Co-operative banks.
The study is conducted in a limited locale but not in a larger involvement of geographical area.

Though the results of the study are indicative in nature, before generalizing the findings, a macro study can be desirable.

Research Methodology - The Study is mainly based on Primary data collection. The primary data were collected with references the two different banks and its branches located in Dombivli City.

***Principal, Eknath B. Madhavi Sr. College, Ayre Road, Dombivli (East) Dist. Thane (Maharashtra) INDIA**

From each bank, information was collected from 50 staff. A total of 100 staff were analysed through well designed questionnaire.

Analyasis - The results were statistically analysed and suggestions and conclusion were made.

The discussions and interactions were conducted in an informal manner with the bank staff which helped in understanding the research matters more clearly and effectively.

Analysis of Staff -

Bank - As the topic studies the services to borrowers by co- operative banks, I consider two leading co-operative banks having a good quantum of customers functioning in Dombivli City. For the said paper two banks are considered. They are AbhinavSahakari Bank Limited (ASB), Dombivli NagrikSahakari Bank Limited (DNSB) To maintain uniformity of the study, equal numbers of respondents are considered.

Bank name	Number of respondents	Percent
ASB	50	50.0
DNSB	50	50.0
Total	100	100.0

The above Table shows that from each bank, information collected through 50 respondents (staff).

Age group - Information about age of respondents is collected. It is classified and presented in thebelow table

Age group	Number of respondents	Percent
Below 30 yrs	23	23.0
30 yrs to 45 yrs	35	35.0
Above 45 yrs	42	42.0
Total	100	100.0

Above table indicate that out of 100 respondents (staff), 35 are of age group between 30 to 45 years, 42 respondents belongs to 'Above 45 yrs' and remaining 23 respondents belongs to below 30 years.

Gender - The said research also considers gender-wise analysis of staff i.e Male and Female.

Gender	Frequency	Percent
Female	35	35.0
Male	65	65.0
Total	100	100.0

Thetable indicate that out of total 100 respondents 35 are females and remaining 65 are male respondents.

Experience - The analysis considers three groups of staff experience-wise i.e. 5-15 yrs, Above 15 yrs and Below 5 yrs.

Experience	Number of respondents	Percent
Below 5 yrs	34	34.0
5 to 15 yrs	33	33.0
Above 15 yrs	33	33.0
Total	100	100.0

The above table indicate, Out of 100 respondents, 33 respondents are having 5 to 15 years of experience, 33 respondents having above 15 years of experience and 34 have below 5 years of experience.

Education - The analysis considers two groups of staff qualification-wise i.e. Graduate and Post Graduate

Qualification	Frequency	Percent
Graduate	69	69.0
Post graduate	31	31.0
Total	100	100.0

From the above table it is clear that out of 100 respondents 69 are just graduates and 31 are post graduates.

Analysis and Conclusions - The Anova tables are used to find the service and timeline scores of the banks under consideration.

ANOVA of

Borrowers_services_score

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1814.815	1	1814.815	52.898	.000
Within Groups	4048.354	118	34.308		
Total	5863.169	119			

The above table indicate that F- calculated value is 52.898 which is greater than F table value. Therefore test is rejected. Conclusion is there is significant difference in mean scores of borrowers satisfaction in two different banks.

O, ANOVA

Time_line_services_score

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3843.895	1	3843.895	48.330	.000
Within Groups	9385.127	118	79.535		
Total	13229.022		119		

The above table indicate that F- calculated value is 48.330 which is greater than F table value. Therefore test is rejected. Conclusion is there is significant difference in mean scores of Time line services in two different banks.

Mean satisfaction scores of each bank are obtained and presented in the following table.

Borrowers_services_scoreTime_line_services_score * Bank_name

Mean

Bank name	Borrowers services score	Time line services score
ASB	66.8611	68.6667
DNSB	75.2500	80.2500
Total	71.0556	74.4583

The Above table indicate that the borrowers service mean score of DNSB is 72.25 and of ASB is 66.86 and the conclusion is Dombivli NagriSahakari bank is providing better services to the borrowers in comparison to The AbhinavSahakari bank.

In the same way, the Time line service score of DNSB is 80.25 which is more than the score of ASB's 68.66, shows that DNSB provides better Timeline services.(Graph see

in the last page)

Null Hypothesis (H_{01}) - There is no significant difference in borrowing services for different age group of staff members.

Alternate Hypothesis (H_{11}) - There is significant difference in borrowing services for different age group of staff members.

Null Hypothesis (H_{02}) - There is no significant difference in Time line services for different age group of staff members.

Alternate Hypothesis (H_{12}) - There is significant difference in Time line services for different age group of staff members

To test above hypothesis Anova is obtained and F test is applied.

Anova for AGE Group (See in the last page) - The above table shows that the calculated "P" value for F test is 0.964 and it is greater than standard P value 0.05. Therefore test is accepted. Conclusion is there is no significant difference in borrowing services according to different age groups.

The table also shows that the calculated P value for F test is 0.481 and it is greater than standard P value 0.05, therefore test is accepted. It is concluded that there is no significant difference in time line services to different age groups.

Age	Borrowers services score	Timeline services_score
30 yrs to 45 yrs	71.3492	74.0476
Above 45 yrs	70.8003	75.3968
Below 30 yrs	71.0749	73.3696
Total	71.0556	74.4583

In the above table, it is observed that there is no significant difference between the mean values for different age groups. Hence it is concluded that there is no notable difference in borrowers services and time line services in various age groups.

Null Hypothesis (H_{03}) - There is no significant difference in borrowing services for different gender of staff members.

Alternate Hypothesis (H_{13}) - There is significant difference in borrowing services for different gender of staff members.

Null Hypothesis (H_{04}) - There is no significant difference in Time line services for different gender of staff members.

Alternate Hypothesis (H_{14}) - There is significant difference in Time line services for different gender of staff members

To test above hypothesis Anova is obtained anf F test is applied.

ANOVA For Gender (See in the last page) -The above table shows that the calculated "P" value for F test is 0.990 and it is greater than standard P value 0.05. Therefore test is accepted. Conclusion is there is no significant difference in borrowing services according to different gender. The table also shows that the calculated P value for F test is 0.577 and it is greater than standard P value 0.05, therefore test is accepted. It is concluded that there is no significant difference in time line services to different gender.

Borrowers services score and Time line services score according to Gender

Mean

Gender	Borrowers services score	Time line services score
Female	70.5952	73.3333
Male	71.3034	75.0641
Total	71.0556	74.4583

It is observed from the table that there is no significant difference between the mean values for different gender. Therefore it is concluded that there is no difference in borrowers services and time line services in different gender is concerned.

Null Hypothesis (H_{05}) - There is no significant difference in borrowing services for different gender of staff members.

Alternate Hypothesis (H_{15}) - There is significant difference in borrowing services for different gender of staff members.

Null Hypothesis (H_{06}) - There is no significant difference in Time line services for different gender of staff members.

Alternate Hypothesis (H_{16}) - There is significant difference in Time line services for different gender of staff members

ANOVA Experience (See in the last page)

The above table shows that the calculated "P" value for F test is 0.890 and it is greater than standard P value 0.05. Therefore test is accepted. Conclusion is there is no significant difference in borrowers services according to the experience. The table also shows that the calculated P value for F test is 0.000 and it is less than standard P value 0.05, therefore test is rejected. It is concluded that there is significant difference in time line services according tothe experience.

Mean

Experience	Borrowers services score	Time line services score
5 to 15 yrs	71.2963	81.0606
Above 15 yrs	71.0017	69.4444
Below 5 yrs	70.8742	72.9167
Total	71.0556	74.4583

The table mean scores shows that there is no significant influence of experience in the borrowers services as the scores have no notable difference. However the experience has tremendous influence in time line services. It shows that more experience creates more efficiency in the service

Recommendation and Suggestions -

1. Score of services to borrower is significantly lesser for ASB. Therefore is recommended that services to borrowers score can be improved by staff of ASB in all categories.
2. According to age group there is no significant difference in score of services to borrower. Therefore it is recommended that any particular age group does not require improvement but overall improvement in services is possible.
3. According to gender there is no significant difference in scores of services to borrower. Therefore it is recommended that both male and female staff members can improve services to borrower.

4. According to experience borrower satisfaction score has no significant difference. But for time line service score of less experience group is significantly lesser. Therefore it is recommended that less experienced staff may given training to improve timeline satisfaction score.

References :-

1. Annual reports of AbhinavSahakari Bank Ltd, and Dombivli NagariSahakari Bank Ltd.
2. www.rbi.org.in
3. www.Banknetindia.com
4. www.rbi.org.in/scripts/publication
5. www.schedule_commercial_banks.html
6. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 10, October 2012 1 ISSN 2250-3153 Jyoti Gupta, Suman Gupta.
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_bank

Table 1.1
Profile of Urban Co-operative Banks

Sr. No.	Name of the Banks	Date of Registration	Date of RBI License	No. of Branches	Total No. of Memberships
1.	ASB	5th February, 1976	20th September, 1976	15	43300
2.	DNSB	4th July, 1970	9th October, 1980	45	94496

Anova for AGE Group

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p-value
Borrowers services score	Between Groups	3.667	2	1.834	.037	.964
	Within Groups	5859.501	117	50.081		
	Total	5863.169	119			
Time line services score	Between Groups	164.450	2	82.225	.736	.481
	Within Groups	13064.572	117	111.663		
	Total	13229.022	119			

ANOVA For Gender

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Borrowers services score	Between Groups	.008	1	.008	.000	.990
	Within Groups	5863.161	118	49.688		
	Total	5863.169	119			
Time line services score	Between Groups	35.012	1	35.012	.313	.577
	Within Groups	13194.010	118	111.814		
	Total	13229.022	119			

ANOVA Experience

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Borrowers services score	Between Groups	11.676	2	5.838	.117	.890
	Within Groups	5851.493	117	50.013		
	Total	5863.169	119			
Time line services score	Between Groups	2553.243	2	1276.621	13.991	.000
	Within Groups	10675.779	117	91.246		
	Total	13229.022	119			

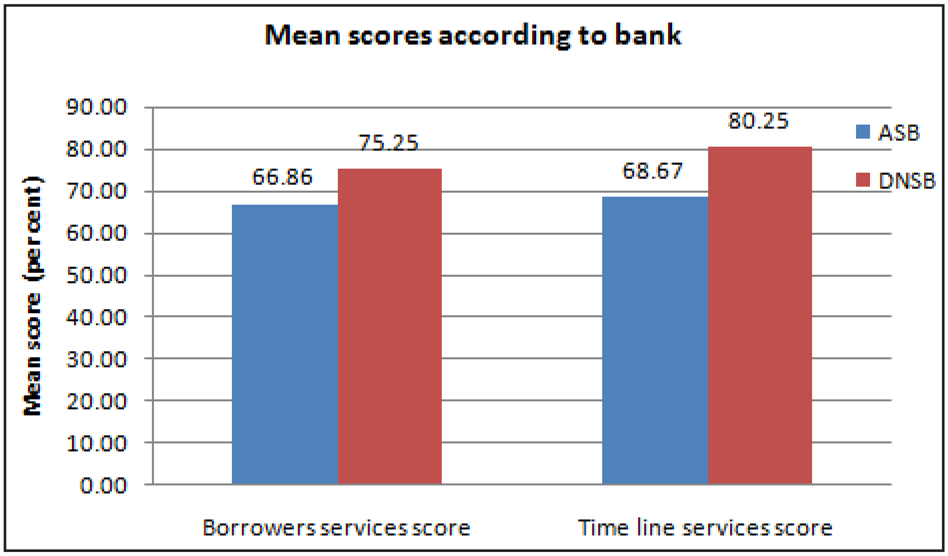
Mean scores according to bank
Mean score (percent)
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
66.86
75.25
68.67
80.25
ASB
DNSB
Borrowers services score
Time line services score

****

मध्यप्रदेश वित्त निगम की ऋण वितरण से पूर्व एवं पश्चात् की औपचारिकताओं का अध्ययन (वर्ष 2006 से 2010 तक)

डॉ. शैलेन्द्र मिश्रा * डॉ. पुरूषोत्तम गौतम **

प्रस्तावना – म.प्र. में वित्त निगम की स्थापना सन् 1956 में की गई थी। जिसका प्रधान कार्यालय इन्दौर जिले में स्थापित है। निगम का मुख्य उद्देश्य म.प्र. में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है साथ ही बेरोजगारों, तकनीकी व्यक्तियों एवं कुशल व्यक्तियों को रियायती शर्तों पर ऋण प्रदान करके उनमें उद्योगों की स्थापना के प्रति उत्साह उत्पन्न करना। इसी के चलते मेसर्स क्वालिटेट वेरीटॉस क्वालिटी एश्योरेंस, नार्वे के दल द्वारा निगम की विभिन्न कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के उपरांत वर्ष 2007-08 में म.प्र. वित्त निगम को अन्तर्राष्ट्रीय नामक संस्था 9001 : 2000 का प्रमाण पत्र जारी किया गया। पुन: वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में भी निरंतर इसी कड़ी के अंतर्गत म.प्र. वित्त निगम को सतत् समीक्षा के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया।

स्त्रोत : संबंधित वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट –

अध्ययन का उद्देश्य – म.प्र. वित्त निगम की ऋण वितरण की औपचारिकताओं जैसे हितग्राही शर्ते, संलग्न किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्र, प्रारूप, ग्यारंटी, प्रतिभूतियाँ इत्यादि का अध्ययन करना।

ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र संस्थाएँ – म.प्र. वित्त निगम द्वारा निम्नलिखित कार्य या कार्यों में सक्रिय हैं या सक्रिय होना चाहती हैं, संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अधिकृत हैं –

1. वस्तुओं के निर्माण, परिरक्षण व संरक्षण हेतु।
2. खनन कार्य हेतु।
3. होटल उद्योग हेतु।
4. सड़क, जल या वायु साधनों द्वारा यात्रियों या माल के यातायात हेतु।
5. विद्युत तथा अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण करने हेतु।
6. विभिन्न प्रकार की मशीनरी, वाहन, जलपोत, ट्रेक्टर या ट्रेलर्स के रखरखाव, मरम्मत, परीक्षण अथवा सुधार कार्य हेतु।
7. मशीनरी या शक्ति की सहायता से किसी वस्तु के संयोजन, मरम्मत या पैकिंग कार्य हेतु।
8. भूमि के किसी भाग को औद्योगिक संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु।
9. मत्स्य उद्योग या मत्स्योद्योग हेतु किनारों पर लगने वाले साधनों या उनके रखरखाव हेतु।
10. तौलकांटा सुविधा प्रदान करने हेतु।
11. उद्योगों को यांत्रिकी तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधन, विपणन या अन्य सेवाएँ/सुविधाएँ प्रदान करने हेतु।
12. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु।
13. पर्यटन संबंधी सुविधाओं की स्थापना एवं विकास हेतु (मनोरंजन पार्क, सम्मेलन केन्द्र, रेस्टॉरेन्ट, यात्रा एवं परिवहन सहित) टूरिस्ट सेवा एजेन्सी, गाईड सेवा एवं पर्यटकों को परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु।)
14. सड़कों के निर्माण, विकास एवं रखरखाव कार्य हेतु।
15. व्यावसायिक केन्द्रों (सामुदायिक केन्द्र) आदि हेतु।
16. सेवा उद्योग जैसे परिवर्तन, विभूषण, पालिशिंग, ऑइलिंग, वाशिंग इत्यादि के उपयोग, विक्रय, परिवर्तन हेतु।

कानूनी व्यय की तालिका (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

आवेदकर्ता द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्व वर्णित जानकारियों एवं प्रपत्रों के साथ जब भरकर निगम को भेज देता है, तो संबंधित शाखा कार्यालय उनकी जाँच-पड़ताल शुरू करता है। शाखा कार्यालय सम्पत्ति की जाँच के लिए विशेषज्ञ भेजता है। प्रबंध संचालक, तकनीकी विशेषज्ञ एवं अन्य अधिकारियों का प्रवास व्यय ऋण चाहने वाली संस्था वहन करती हैं।

आवेदन-पत्रों का निरीक्षण – आवेदन-पत्रों का परिनिरीक्षण सहानुभूतिपूर्वक एवं व्यावहारिक तथा कठोर सत्यों एवं तात्कालिक तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर होगा। आर्थिक सहायता प्राप्त करने की इच्छुक औद्योगिक इकाईयों की आवश्यकताओं को समझने का निगम हर प्रकार से प्रयास करता है। लघु उद्योगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सामान्यत: ऋण के आवेदन पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है –

1. औद्योगिक संस्था की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता और प्रस्तावित विस्तार या आधुनिकीकरण की योजना के पूर्ण होने उत्पादन और लाभ में वृद्धि की संभावना/नवीन इकाईयों के संबंध में अर्थ संरचना (केपिटल स्ट्रक्चर) उत्पादन-मूल्य, स्वयं की पूँजी का स्त्रोत, लाभ की मात्रा, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादित वस्तु की बिक्री के लिए उचित बाजार, प्रवर्तकों और थोक उपभोक्ताओं से की गई निश्चित एवं पक्की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह भी देखा जाता है कि प्रवर्तकों के पास राज्य/केन्द्रीय अनुदान राशि स्वीकृत एवं वितरित होने तक उतनी राषि विनियोग करने की क्षमता है अथवा नहीं।
2. प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) का मूल्य तथा प्रकार
3. प्रबंध की पिछली उपलब्धियों का विवरण,
4. अनुभवी यांत्रिकी एवं प्रबंधकों तथा प्रशासकीय व्यक्तियों की उपलब्धता,
5. योजना की यांत्रिकी और वित्तीय सुदृढ़ता एवं आर्थिक गुणवत्ता,
6. बंधक रखने वाले या सम्पत्ति पर (स्पष्ट) पूर्ण स्वामित्व और उसकी

* प्रध्यापक (वाणिज्य अध्ययनशाला) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

विक्रय योजना,

7. क्या प्रस्तावित उत्पाद/काई भारत सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी नकारात्मक सूची में सम्मिलित हैं?
8. लेखा-जोखा रखने का ढंग,
9. ऋण प्राप्तकर्ता की साख एवं विश्वसनीयता,
10. क्या महत्वपूर्ण वैधानिक स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ जैसे कि-

(i) मध्यम उद्योगों के लिए उद्योग आयुक्त द्वारा पूर्व स्थल अनुमोदन/लघु उद्योगों के लिए आयुक्त स्तरीय समिति द्वारा पूर्व स्थल अनुमोदन, उन इकाईयों के लिए जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रदूषण कारी उद्योगों की सूची में सम्मिलित हैं।
(ii) दवाईयाँ बनाने वाली इकाईयों के लिए नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा पूर्व स्थल अनुमोदन।
(iii) मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली गई है।

11. इकाई के स्थल की उपयोगिता एवं उस तक राजमार्ग/राष्ट्रीय मार्ग/लोक निर्माण विभाग रोड से पहुँच मार्ग एवं आधारभूत सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चरल फेसिलिटीज) की उपलब्धता,
12. स्वयं के स्वामित्व की भूमि के संबंध में -

(i) नगर पालिका/नगर निगम की सीमा के बाहर आने वाली भूमि का दृष्टिकोण भिन्न आशय हेतु व्यपवर्तन, प्रस्तावित उद्योग स्थल एवं पटवारी द्वारा दी गई मूल खसरे की प्रति का परीक्षण।
(ii) नगर पालिका/नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाऊन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

आवेदकों के हित में यह आवश्यक है कि वे ऋण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय अपने कार्यों का पूर्ण विवरण दें और अपनी कठिनाईयों को यदि कोई हों तो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। इससे आवेदन-पत्र पर विचार करने में विलम्ब नहीं होगा। इस प्रकार पारस्परिक विश्वास उत्पन्न होगा जो कि ऋण प्राप्तकर्ता और निगम के मध्य अच्छे संबंध के लिए आवश्यक हैं। प्रस्तावित इकाई की आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु एवं ऋण भार कम करने हेतु प्रवर्तकों को चाहिए कि वे अनुत्पादक सम्पत्ति जैसे कि प्रशासकीय कार्यालय, जल-पान गृह, बाउण्ड्री वाल इत्यादि पर योजना के शुरू के चरणों में खर्व डाले।

ऋण स्वीकृति के पश्चात् की पूर्तियाँ - म.प्र.वित्त निगम द्वारा जब किसी आवेदनकर्ता का ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है तो स्वीकृति पश्चात् ऋणग्राही को निम्नलिखित कार्यवाही करनी पड़ती हैं -

1. ऋण स्वीकृत हो जाने पर आवेदनकर्ता को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होते है -

(क) भूमि और भवनों के संबंध में समस्त मूल स्वत्वाधिकार पत्र।
(ख) खसरा तथा स्वत्व संबंधी रेकार्ड की गत 3 वर्ष की प्रतिलिपियाँ।
(ग) आवेदक तथा उसके पूर्वाधिकारी के स्वामित्व के नामांतरण का तहसीलदार का आदेश।
(घ) उद्योग हेतु प्राप्त की गई भूमिका मध्यप्रदेश लैण्ड-रेवेन्यू कोड के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रमाण पत्र (डायवर्शन सर्टिफिकेट) उन संस्थाओं के लिए जिन्होंने कृषि भूमि का उपयोग किया है।
(ड) भू-राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की गई मालगुजारी की आज तक की रसीदें।
(च) ऐसे प्रकरण जिसमें सम्पत्ति नगर पालिका तथा पंचायत की सीमा में हों-
(i) गत 20 वर्षों में सम्पत्ति को प्रदान किया गया नम्बर
(ii) गत 20 वर्षों के भवन पर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
(iii) वर्तमान दिनांक तक भवन कर की रसीदें या आज तक चुकाए गए भवन कर के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
(iv) आवेदक तथा उसके पूर्वाधिकारी के स्वामित्व के नामांतरण का पंचायत/नगर निगम का आदेश।
(v) ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि पट्टे पर ली गई हो -
(i) मध्यप्रदेश वित्त निगम के पास कारखाने की भूमि/भवन के पट्टेधारी अधिकारी बंधक रखने के संबंध में पट्टादाता का अनुमति-पत्र।
(ii) आज तक चुकाए गए पट्टा किराए की रसीदें।
(ज) गत 30 वर्षों में प्रत्येक सम्पत्ति के संबंध में हुए व्यवहारों, बंधक या हस्तांतरण सहित विवरण।
(झ) चल और अचल सम्पत्ति पर वर्तमान में किसी प्रकार का भार हो तो बंधक पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
(ट) निर्धारित प्रारूप में भवन व मशीनरी के संबंध में विस्तृत जानकारी।
(ठ) भूमि एवं भवन के नक्षे (चार प्रतियों में) साईट प्लान और विस्तृत निर्माण योजना सहित।
(ड) कर अदायगी का प्रमाण-पत्र :-
(i) आयकर (हिस्सेदारी संस्था के प्रकरण में संस्था के साथ हिस्सेदारों के व्यक्तिगत प्रमाण-पत्र)।
(ii) विक्रय कर।
(iii) प्रॉव्हिडेन्ट फण्ड अंष अदायगी प्रमाण-पत्र।
(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अंश अदायगी प्रमाण-पत्र।
(ढ) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के प्रकरण में -
(i) कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा-293 (I) (द) के प्रावधानानुसार प्रस्ताव जो निगम द्वारा मान्य प्रारूप के अनुसार हो, जिसमें इस ऋण प्रावधान का विरोधाभास नहीं हैं, का उल्लेख हो एवं संस्था की साधारण सभा द्वारा कंपनी एक्ट की धारा-293 (I) (द) के अनुसार इस संबंध में पारित किए गए प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी जाए जो साधारण सभा के अध्यक्ष से प्रमाणित हो।
(ii) कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा-293 (I) (अ) के अनुसार साधारण सभा द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव निगम द्वारा मान्य प्रारूप के अनुसार जिसमें संस्था के संचालक मण्डल को यह अधिकार दिया हो कि वह समस्त सम्पत्ति को निगम के पास बंधक रख सके। इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

2. उपरोक्तानुसार दस्तावेजों के उपलब्ध होने के पश्चात् सब-रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के कार्यालय में निगम द्वारा जाँच की जाएगी जिसका व्यय ऋणगृहिता पर होगा।
3. उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं कण्डिका-2 के अनुसार जाँच होने पर यदि निगम इस निर्णय पर पहुँचे कि ऋणगृहिता को सम्पत्ति में स्पष्ट एवं विक्रय योग्य स्वत्व प्राप्त हो तो निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी -

(i) प्रस्तावित बंधक पत्र जमानत-नामा शपथ पत्र तथा अन्य कागजात तैयार कर ऋणग्रहिता के पास अपेक्षित स्टाम्प पेपर पर टंकण (टाईप) हेतु भेजे जाएगे।

(अ) ऋणग्रहिता प्रस्तावित बंधक की एक प्रति समस्त निष्पादकों और जमानतदारों (अगर हैं तो) के स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर कराकर भेजें।

(ब) समिति संस्थाओं के प्रकरण में प्रस्तावित बंधक पत्र पर संचालक मंडल की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा इस संबंध में निगम के मान्य प्रारूप के अनुसार पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि के सहित बंधक पत्र निगम को भेजा जावेगा।

(स) कंपनी की पूँजी संरचना का, लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र।

(ii) आयकर कानून की धारा-230 (अ) के अंतर्गत प्रमाण पत्र यदि ऋण राशि रूपये 50,000/- से अधिक हो।

(iii) शहरी सीलिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1976 के अंतर्गत अनुमति पत्र (जहाँ आवश्यक हो)।

(iv) निगम के अधिकारी, तकनीकी सलाहकार तथा अन्य विशेषज्ञ द्धारा निरीक्षण तथा सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

(v) संस्था के व्हाउचर्स तथा हिसाब की जाँच निगम के शाखा प्रबंधक तथा अन्य अधिकारियों द्धारा की जायेगी।

(vi) ऋण हेतु बंधक रखी जाने वाली सम्पत्ति का बीमा सम्पत्ति के मूल्य पर (जमीन का मूल्य कम करके) कराना होगा। यह बीमा, निगम एवं ऋणग्रहिता के संयुक्त नाम से बीमा कंपनी से किया जाना चाहिए।

(vii) टंकण किए गए दस्तावेज, बीमा पॉलिसियों तथा प्रीमियम रसीदें निगम के जाँच हेतु भेजी जाना चाहिए। जाँच के पश्चात् उक्त दस्तावेज ऋणग्रहिता के पास उसके निष्पादन तथा पंजीकरण हेतु भेजे जावेंगे।

(viii) बंधक पत्र तथा अन्य कागजात निष्पादन में लगने वाला स्टाम्प खर्च तथा पंजीकरण खर्च ऋणग्रहिता को वहन करना होगा।

(ix) लिमिटेड संस्था के प्रकरण में बंधक पत्र निष्पादन तथा पंजीकरण के साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के कार्यालय के रजिस्टर में पंजीकृत करना होगा। (क्रमांक-11-ब)

(x) बंधक पत्र आदि दस्तावेज के निष्पादन के पश्चात् निगम ऋणग्रहिता को ऋण उचित किश्तों में बैंक द्धारा प्रदान करेगा।

म.प्र. वित्त निगम अपनी ऋण नीति के माध्यम से उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण नीति के माध्यम से ही योग्य औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और लंबी अवधि के लिए औद्योगिक के रुप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ऋण स्वीकृति होने पर कुछ निर्धारित शर्तें हैं, उन्हें पूर्ण करने पर उद्यमी अपने ऋण का उपयोग कर सकता है। निगम सभी प्रकार के उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। केवल उन्हीं संस्थाओं को जो कि त्रुटिकर्ता है या जनहित में नहीं, ऋण प्रदान नहीं करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव -

निष्कर्ष - आवेदकों की ऋण राशि की मांग की तुलना में म.प्र. वित्त निगम के पास पर्याप्त वित्त के अभाव में बहुत से आवेदकों को निराशा ही हाथ लगती है। वित्त की अपर्याप्तता के कारण म.प्र. वित्त निगम को अपने कार्यपालन में कठिनाई होती है। म.प्र. वित्त निगम का व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा है। म.प्र. वित्त निगम से ऋण की माँग बड़ी मात्रा में की जाने लगी है, क्योंकि म.प्र. वित्त निगम से ऋण स्वीकृति के नियम भले ही ज्यादा हो परन्तु ऋण नीति उद्योग हितैषी है।

सुझाव व अनुशंसाएँ - प्रबंधकीय स्तर पर म.प्र. वित्त निगम की कार्य-प्रणाली तथा नीति एवं नियमों में समयानुसार आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रबंधकीय स्तर पर मध्यप्रदेश वित्त निगम में ऋण स्वीकृति, ऋण वितरण तथा ऋण वसूली तथा औद्योगिक पुनरुत्थान का समावेश है। इन समस्त क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ ही त्वरित ऋण प्रवाह की आवश्यकता है।

ऋण आवेदन का सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित एवं अशिक्षित किसी भी व्यक्ति को दलालों के चंगुल से बचाया जा सकें। आवेदन एवं औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए आवेदक को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सर्वाधिक श्रेष्ठ तो यही होगा कि ऋण स्वीकृति के पश्चात् ही समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करवाई जाये। ऋण उपलब्ध करवाने की विलम्बकारी प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनुसंधान की प्रविधि और प्रक्रिया-राजेन्द्र मिश्र-तक्षशिला परिसर नई दिल्ली 2002
2. योजना - सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय भारत सरकार-नई दिल्ली।
3. प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (1948-50)।
4. म.प्र. वित्त निगम के पत्र-पत्रिकाऐं।
5. म.प्र. वित्त निगम की वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की वार्षिक रिपोर्ट।

कानूनी व्यय की तालिका

ऋण का आकार (रूपये में)	भवन एवं मशीनरी के परीक्षण/ मूल्यांकन का व्यय (रूपये में)	कानूनी व्यय (रूपये में)	योग (रूपये में)
2,00,000 रूपयों तक	150	50	200
2,00,001 से 4,00,000 तक	300	200	500
4,00,001 से 6,00,000 तक	650	350	1,000
6,00,001 से 10,00,000 तक	800	500	1,300
10,00,001 से 20,00,000 तक	1,200	800	2,000
20,00,001 से 30,00,000	2,500	1,000	3,000
40,00,001 से 60,00,000	3,000	2,000	5,000

स्त्रोत - म.प्र. वित्त निगम एक परिचय, पृष्ठ-19

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

भारत में कालेधन की स्थिति का एक आर्थिक सर्वेक्षण

डॉ. राजू रैदास *

शोध सारांश – किसी भी देश के लिए सामान्तर अर्थव्यवस्था अत्याधिक घातक स्थिति होती है। इससे न केवल राजस्व की हानि होती है बल्कि लक्ष्यों को प्राप्त करना भी कठिन होता है। विकास के लिए चलाए जा रहें कार्यक्रमों एवं योजनाओं का भी प्रभाव कम हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कई दुष्प्रभाव देखने को मिल रहें है, जैसे कि कर राजस्व की हानि नियोजित प्रक्रिया के वांछित परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई , मुद्रा स्फीति के कारण, साधनों के वितरण पर बुरा प्रभाव, सामाजिक मुल्यों का पतन, मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई, अर्थव्यवस्था के सही विश्लेषण में बाधक जैसे अनेक जब प्राप्त आय पर कर नहीं दिया जाता है। सही प्राप्त आय नहीं बताई जाती है। तो जितना कर प्राप्त होना चाहिए नहीं होता। जिससे राजस्व की हानि होती है। और सामान्तर अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है। सामान्तर अर्थव्यवस्था का संचालन स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिनका विकास के निर्धारित लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं होता देश में संपन्न व्यक्तियों के पास कालाधन काफी मात्रा में दबा हुआ है। इसके कारण प्रचित मुद्रा का सही आकलन नहीं लगा सकती है। सरकार को यह ज्ञात हो जाए कि देश में मुद्रा संकट उत्पन हो गया है। तो घाटे के बजट बनाती है। जिससे मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने लगती है।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत देश को अध्ययन क्षेत्र बनाया गया है। शोध का समय वर्तमान समय रखा गया है।

यअध्ययन का मुख्य उद्देश्य – इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. यह अध्ययन करना कि कालेधन में किस राशि को शमिल किया जाता है।
2. वर्तमान समय में भारत में तथा भारत से बाहर कालेधन की राशि।
3. कालाधन सृजन के कारण।
4. कालाधन के सृजन को रोकने के लिए किये गये एवं किये जा रहे सरकारी प्रयास।
5. किए गए प्रयासों के अतिरिक्त ऐसे प्रयास जो अभी वर्तमान समय में किये जा रहें है।

भारत में 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए। उस चुनाव में मुख्य मुद्दा काला धन वापसी का था। देश के वर्ममान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतवासियों में कालेधन वापसी की एक विशेष इच्छा जागृत की जिसके प्रति लोगों में आस्था भी जागी है। कालेधन की जॉच के लिए सरकार द्वारा गठित एस आई टी ने सर्वोच्च न्यायालय को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि भारतीयों का स्विस बैकों में जहॉ 4479 करोड़ रूपये का कालाधन जमा है, वहीं अपने देश में 14995 करोड़ रूपये का काला धन है। यह जानकारी हमें चौकाने वाली जरूर है कि देश के बाहर से ज्यादा देश के अन्दर कालेधन की मात्रा ज्यादा है। ऐसा धन जिस पर कोई कर नहीं चुकाया गया कालाधन कहलाता है। कालाधन कितना है इसको लेकर अनेक तरह के ऑकलन किये जाते है। नेशनल इंस्ट्यूट फॉर पब्लिक फांइनेंस एण्ड पॉलिसी(एनआईपी एफपी) के एक गोपनीय माने जाने वाले अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2013 में भारत की काली अर्थव्यवस्था कुल जी डी पी के 75 प्रतिशत के बराबर थी। वर्ष 1984 में जब एन आई पी एफ पी द्वारा इस तरह का अध्ययन किया गया था। तब कालाधन जी ड़ी पी के 21 प्रतिशत के बराबर पाया गया था। तीन दशक में कालाधन तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। भारत सरकार द्वारा करों और शुल्कों से जिस आय की आशा की जा रही है। इस आय में 75 प्रतिशत कालेधन पर जगाए गए करों से वापसी की सम्मलित नहीं किया गया है। यदि इस 75 प्रतिशत कालेधन पर कर से वसूली की जाए तो सरकार को 10.40 लाख करोड़ रू0 प्राप्त हो सकते हैं। जब देश में आधिकारिक अर्थव्यवस्था या लेखे की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ गैर कानूनी अर्थव्यवस्था भी चलती रहती है, तो इस तरह के अर्थव्यवस्था को काली अर्थव्यवस्था कहते हैं। काली अर्थव्यवस्था का संचालन कालेधन से होता है। इसकी गतिविधियाँ अवैधानिक होती है। धन का परिभ्रमण ठीक उसी प्रकार होता है जैसा की मूल अर्थव्यवस्था में होता है। जब किसी देश में आधिकारिक अर्थव्यवस्था के साथ–साथ अस्वीकृत अर्थव्यवस्था भी क्रियाशील होती है और ये गतिविधियाँ सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों से सरोकार न रखती हो तो अर्थव्यवस्था काली अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में काले धन का प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय से हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अनिवार्य वस्तुओं की कमी को दूर करने के उद्देश्य से नियंत्रण की व्यवस्था प्रारंभ की। सरकारी नियंत्रण एवं वितरण प्रणाली के कारण भारत में गुप्त बाजार एवं चोर बाजार का जन्म हुआ। इन बाजारों में निर्धारित कीमतों के स्थान पर मनमानी कीमतें वसूली जाती थी। जिससे व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को बहुत लाभ हुआ। इस प्रकार से कमाये लाभ को वे न तो अपने हिसाब में दिखाते थे और न ही बैकों में जमा कराते थे। इस राशि को काले धन की राशि के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में यह राशि कम थी लेकिन समय के साथ– साथ यह राशि बढ़ती जा रही है।

यह काला धन विभिन्न प्रकार से अर्जित किया जा सकता है –

1. अबैध कार्यो से अर्जित धन।
2. वैध कार्यो से अर्जित धन।

अवैध कार्यो से अर्जित आय का कोई हिसाब – किताब नही रखा जाता और नहीं इस पर किसी प्रकार का कोई कर चुकाया जाता है। इस आय में

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

रिश्वत, जुआ, तस्करी, विदेशी विनियम, लेनदेन से प्राप्त आय, सम्पत्तियों का क्रय विक्रय पगडी से प्राप्त आय निधार्रित मुल्य की वस्तुओं को उचित कीमत से अधिक पर बेचने से आय आदि को रखा जाता है। नशीली एवं तस्करी की बिक्री से प्राप्त आय भी अवैध कार्य से आय में रखा जाता है। इस कार्य को अनेक छोटे एवं बड़े पैमाने पर संगठित एवं असंगठित रूप से किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों के द्धारा भी ये कार्य किए जा रहे है। कुछ आय ऐसी होती है जो वैध कार्यो से अर्जित की जाती है, किन्तु सरकार को इसका कोई हिसाब – किताब नहीं बताया जाता है। जिससे सरकार द्धारा लगाए गए कर को बचाया जा सके। भारत में अनेक छोटे बड़े व्यापारी, वकील, डॉक्टर, अभिनेता, चार्टड एकाउन्टेन्ट, आदि अपनी आय की सही जानकारी नहीं देते है। भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं विकासशील देश में काले धन की उत्पति के लिए कोई कारण नहीं है। बल्कि यह एक व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में काले धन का सृजन हो रहा है। भारत में काले धन के प्रमुख कारणों में –

1. नियंत्रण की कठोर नीति।
2. काला बाजारी एवं सट्टे बाजी।
3. दोषपूर्ण चुनाव पद्धति।
4. कराधान की ऊँची दरें।
5. कर चोरी रोकने के ढीले प्रयास।
6. तस्करी।
7. सम्पतियों के सौदे।
8. मुद्रा स्फीति।

पंचवर्षीय योजनाओं के शुरू होने के पश्चात् अर्थव्यवस्था में सभी विभागों में कठोर नियंत्रण नीति अपनाई गई। नीति की वजह से सभी स्तरों पर कालेधन का सृजन हुआ है। द्धितीय विश्व युद्ध के समय अपनाई गई अनिवार्य वस्तुओं पर नियंत्रण की नीति ने देश में काला बाजारी को जन्म दिया। ये बाजार स्वंतंत्रता के बाद अब तक फल फूल रहे है। सभी को वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है, लेकिन प्रषासनिक व्यवस्थाओं के चलते इसमें भी भ्रष्ट्राचार एवं कालेधन का सृजन हो रहा है। वर्तमान चुनाव पद्धति में लोकसभा एवं विधान सभाओं में अत्याधिक धन राशि व्यय होती है।

राजनैतिक पार्टियों को चुनाव के इन खर्चों के लिए व्यावसायी उद्योगपति, भू–माफिया एवं अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्ति चंदे के रूप में राशि देते है। राजनैतिक पार्टियों को सरकार बनाने पर इन पार्टियों द्धारा वसूलने का प्रयास किया जाता है। जिससे समान्तर अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। भारत में काले धन को उत्पन्न करने वाला एक बहुत बड़ा कारण करारोपण की ऊँची दरे है। धनी से धनी व्यक्ति भी करों से बचने के लिए अपनी सही आय का व्यौरा नहीं देते है। आज भारत में केवल 3.5 करोड़ लोग आयकर चुकाते है। इसमें 89 प्रतिशत ने 0 से 5 लाख रूपये तक के स्लैब में अपनी आमदनी प्रदर्शित की है। इसका मतलब है कि केवल 11 प्रतिशत करदाता ऐसे है जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से अधिक है। इस आकड़ें को वावजूद भी बहुत से लोगों ने विलासिता की वस्तुऍ खरीदी, यह तभी संभव है जब लोग अपना कर नही चुका रहें होगें। प्रत्यक्ष करों की आय अप्रत्यक्ष करों की आय की तुलना में तेजी से घट रही है। जो करों की अत्याधिक चोरी को प्रकट करती है। व्यावसायिक एवं उद्योगों में यह प्रवृत्ति तुलनात्मक अधिक है। भारत में कर चोरी को रोकने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास न तो सख्त है और न ही संबंधित विभाग इसे गंभीरता से लेते है। छापे या तलाशियों की जो कार्यवाही की जाती है उसका उद्देश्य या तो राजनैतिक संतुष्टि या बदनाम करने के लिए होती है। अत: ये कार्यवाही उपयोगी सिद्ध नहीं होती। कृषि भूमि, प्लाट, निर्मित भवन एवं अन्य सम्पत्तियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया को जन्म देती है। मकानों के निर्माण से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें काले धन का निर्माण होता है। कुछ असामाजिक तत्व भी चोरी से देश का समान देश के बाहर भेजते है तथा बाहर का समान देश में मंगाते है। इन कार्यो का असर देश की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। सरकारी राजस्व की भी हानि होती है। वस्तुओं की कमी और मुद्रा की वृद्धि भी कालेधन को प्रोत्साहन देती है। काले धन से साधनों के आबंटन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संपन्न वर्ग द्धारा काले धन का एक भाग अनुत्पादक कार्यो में लगाया जाता है। इससे प्रचुर मात्रा में पूँजी उपलब्ध होने के बाद भी प्राकृतिक साधनों के विदोहन की समस्या बनी रहती है। कालेधन में वृद्धि से समाज में अनैतिक प्रक्रियाऍ जन्म लेती है। अवाँछित तरीके से कमीई गई आय का गलत कार्यो में प्रयोग किया जाता है। जिसस भ्रष्टाचार व अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। इससे समाज में ईमानदारी व परिश्रम के स्थान पर भ्रष्टाचार व अनैतिकता को बल मिलता है। जब काले धन का उपयोग तस्करी जैसे कार्यो में होने लगता है, तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों पर अत्याधिक प्रभाव पड़ता है।

कालेधन में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्यस होता है। काली मुद्रा की उपलब्धता के कारण मौद्रिक अधिकारियों को अर्थव्यवस्था में मुद्रा के नियंत्रण में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कालेधन का सही ऑकलन नहीं होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था का सही विश्लेषण नहीं किया जा सकता हैं। आकलन सही नहीं होने से अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने में कठिनाई होती है। कालेधन को लोग प्रदर्शन में व्यय करते है जिससे कमजोर वर्ग के लोगों में हीनता की भावना जागृत होती है। कालाधन, सट्टा, चोर बाजारी एवं तस्करी जैसी गतिविधियों को जन्म देता है। कालेधन के कारण आर्थिक अपराधों को बल मिलता है। जिसके कारण सरकार को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कैश एण्ड कैरी की प्रवृति भी कर चोरी की प्रवृति को बढ़ावा देती है। बहुत से राजनेता ऐसे भी होते है जिनमें से अधिकांश बिना किसी रोजगार के बिलासिता पूर्ण जिंदगी बिताते है। राजनैतिक पार्टियों को चंदा देने वाले लोगों में कुछ तो ज्ञात होते है और कुछ अज्ञात होतें है। पिछले कुछ वर्षो में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि विदेशों में जमा धन को भारत लाया गया तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रूपये होगें और यह भी कि विदेशों में जमा यह रकम महज 100 दिनों में भारत ले आई जायेगी। विदेशों में जमा कराये गये धन का एक बड़ा हिस्सा एफडीआई के रूप में पुन: भारत लौट आता है। अकेला मॉरीशस जो कि एक बड़ा टैक्स हैवन है से ही भारत को उसका 50 प्रतिशत एफडीआई मिलता है।

दोषपूर्ण चुनाव पद्धति के कारण चुनाव के दौरान राजनेताओं द्धारा कालेधन का उपयोग कर लिया जाता है। कालेधन का बड़ा हिस्सा भारत में मौजूद रहता है और उसे निर्माण परियोजनओं, उपभोक्ता व्ययों , परिवहन और पर्यटन इत्यादि में खपाया जाता रहता है। भारत आज भी मुख्यत: नगद रूपयों में संचालित होने वाली अर्थव्यवस्था है। जिसकी वजह से सरकार को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। कालेधन के सृजन को रोकने के लिए पूर्व की सरकारों एवं वर्तमान सरकार के द्धारा जो प्रयास किए जा रहें है उन प्रयासों से देश में कालाधन के सृजन में कोई विषेश रोक नहीं लगाई जा सकी है। कालेधन की समस्या के समाधान इन सुझावों का पालन करके भी

किया जा सकता है। जैसे चुनाव प्रक्रिया में सुधार बिना नाम के लेनदेनों को समाप्त करना, कण्ट्रोल एवं लाइसेंस को न्यूनतम किया जाए, कर संरचना को सरल करना एवं अन्य प्रयास किये जायेगें तो कालेधन सृजन को एवं बढ़ती मात्रा को रोका जा सकेगा। कालेधन को यदि रोकना है, तो सबसे बड़ा एवं पहला सुधार करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना होगा। जिससे राजनैतिक के क्षेत्र में बढ़ती कालेधन की मात्रा को रोका जा सकता है। देश की सभी सरकारों ने इस काला धन की समस्या को स्वीकार करके इसके नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए है, लेकिन देश में काला धन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास किए गए है जैसे, पुरानी 500/– एवं 1000/– हजार की नोटों को बन्द करके सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा कराया गया है।

विमुद्रीकरण (स्वैच्छिक आय घोषणा योजना) – विशिष्ट वाहक बाण्ड, नियंत्रणों व कर ढॉचे ये सुधार, छापे व तलाशियॉ आदि। कालेधन को कम करने के लिए सरकार ने दो बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया है। इस उद्देश्य के लिऐ सरकार ने पुरानी 500/– एवं 1000/– के नोटों को रद्द जो विमुद्रीकरण इसके अन्तर्गत सरकार ने बड़ें नोट जैसे पुरानी 500/– एवं 1000/– के नोटों को रद्द करने की योजना बनायी जाती है। बहुत सारा काला धन जो बड़े नोटों को संचित करके रखा गया था। समाप्त हो गया है, अब सरकार ने 500/– रू. और 2000/– रू. के नोट जारी कर दिए है। भारत सरकार ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए 1997 में स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (VDIS) शुरू की जिसमें सरकार को 10500 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस 33000 करोड़ रू. का कालाधन, सफेद धन परिवर्तित हुआ है। इस प्रक्रिया में काला धन रखने वालों को कोई विशेष हानि नहीं हुई है। यह योजना वर्तमान में भी लागू है। सरकार के द्वारा कालेधन को सामने लाने के लिए जन धन योजना, विशिष्ट वाहक पत्र प्रचलन में लाए गए। इन योजनाओं में जमा करने वालों से स्श्रोत नहीं पूछे जाते है। देश में कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे आम जनता आसानी से कर का भुगतान कर सके। ऐसे प्रयास किये जा रहे है। जिससे आसानी से करों का भुगतान हो सके। सरकार द्वारा समय समय पर काले धन होने के शंका पर छापे व तलाशियों की कार्यवाही की जाती रही है। अभी इस प्रयास का उपयोग किया जाता है।

सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायो के बावजूद बहुत से ऐसे उपाय है। यदि उन उपायो को अपनाया जाए तो देश के कालेधन के सृजन के साथ–साथ उसकी बढ़ने वाली मात्रा को भी रोका जा सकता है। इन

सुझावों के अन्तर्गत –

1. बिना नाम के व्यवहारों को समाप्त करना।
2. सरकार के द्वारा चुनाव कोष की स्थापना।
3. नियंत्रण को कम किया जाए।
4. इन उपायों के साथ–साथ तस्करी को रोकने के लिए विशेष गुप्तचरों की व्यवस्था करना।
5. भर्ती पदोन्नति, स्थानान्तरण के लिए निर्देशितत नियमों का पालन करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को राजनीति से दूर रखना।
6. कृषि आय को न्यूनतम आय में सम्मलित किया जाए।
7. तस्करी एंव काला बाजारी करने वाले व्यापारियों की जानकारी देने वाले लोगों को पुरूस्कार प्रदान करना।?
8. कर निर्धारण का कार्य शीघ्र निपटाना ।
9. राजनैतिक प्रणाली में प्रशासनिक अधिकारियों के नैतिक स्तर में सुधार आवश्यक है। जिससे कर नियमों एवं आर्थिक नियमों में बिना किसी पक्षपात के सुधार किया जा सके।

वर्तमान सरकार के द्वारा यदि किए गए वादों के अनुसार कार्य की नीति बनाई गई और उसका ईमानदारी से पालन किया गया तो आने वाले वर्शो में निश्चित तौर पर कालेधन की सृजन को देश में रोका जा सकेगा।

संदर्भ गंथ सूची :–

1. आर्थिक नियोजन एवं विकास, रीता माथूर, अर्जन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
2. लोक अर्थशास्त्र, पी.डी.माहेश्वरी,कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
3. नव भारत नवम्बर 2016
4. google.com/wikipedia.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत गरीबों पर प्रभाव व जागरूकता

मेघा अग्रवाल * डॉ. एन. के. पाटीदार **

शोध सारांश – देश और समाज में लोग भुखमरी के शिकार किसी भी परिस्थिति में न हों और उन्हें पोषण युक्त पर्याप्त भोजन मिले, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। अपने आप में खाद्यान्न सामग्री पर दी जाने वाली रियायत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीति का अहम् विषय है। 1960 के दशक में जब रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, बदले हुए चरित्र के बीजों, कृषि व्यवस्था के मशीनीकरण के कारण जब हरित क्रांति हुई थी तब देश में उत्पादन की मात्रा तेजी से बढ़ी थी। महत्वपूर्ण यह है कि इस क्रांति के हितग्राही बड़े और सम्पन्न किसान थे। कीटनाशक का उपयोग करने की क्षमता सम्पन्न और बड़े रकबे वाले किसानों के पास ही थी। जब यह उत्पादन बढ़ा तो स्पष्ट नजर आने लगा कि इतने उत्पादन के लिए बाजार तो उपलब्ध है, नहीं। लोग गरीब हैं और भण्डारण क्षमता कम होने से सरकार को उनके हितो के संरक्षण के लिए आगे आना पड़ा जो कृषि व्यवस्था का उद्योग की तरह इस्तेमाल करते हैं। तब सरकार ने अनाज खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया। यह तय हुआ कि सरकार किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये खुले बाजार के भावों के आसपास ही खरीद करेगी। इस व्यवस्था का लाभ भी बड़े किसान ही उठा पाये और छोटे किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बड़े किसानों या आड़तियों को बेचना पड़ी। सरकार ने जमकर खाद्यान्न खरीदा। उसी माहौल में विश्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। वास्तव में तब संकट यह था कि इतनी मात्रा में खरीकर रखे गए अनाज का भण्डारण कैसे किया जायेगा? और ऐसे में यह तय हुआ कि ज्यादा दामों पर खरीदे गए अनाज का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उपयोग किया जाएगा और फिर गरीबों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाने लगा। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि कई दशकों तक सरकारी खरीद पर पंजाब-हरियाणा के किसानों का एक छत्र राज रहा। देश के किसी और हिस्से से खाद्य निगम के भण्डारण भरे ही नहीं जाते थे।

प्रस्तावना – गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम – गरीबी दूर करने के लिए वैसे तो कई कार्यक्रम होते रहते है लेकिन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उन सभी से महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार हैं :-

1. अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 1993 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
2. वर्ष 2000 से 2015 तक विकास के एजेंडे का मुख्य विषय अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के अंतर्गत 'विकास का लक्ष्य' है।
3. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून है।
4. अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के फलस्वरूप 1990 से वर्ष 2010 के मध्य लगभग 650 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है।

खाद्य सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- गरीबी के कारण जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं उनके अन्दर छिपे कौशल को विकसित करना।
- योजनाबद्ध तरीके से गरीबों और गरीब नौजवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना।
- गरीबी को दूर करने के साथ-साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में नया सामर्थ भर के आगे बढ़ने का आत्मविश्वास लाना तथा देश में नयी ऊर्जा लाने का प्रयास करना।
- सभी राज्यों और संघ राज्यों को संगठित करके आई.आई.टी. की इकाईयों के माध्यम से दुनिया में स्वंय को स्थापित करना।
- भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या (जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है) को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल एंव अवसर प्रदान करना।
- देश के युवा और नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्धा कराने के लिए उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिये पूरी एक व्यवस्था के निर्माण को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करना।
- आने वाले दशकों में पूरी दुनिया में कार्यकुशल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने के लिये विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन करके उसके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आज से ही कुशल बनाना।
- देश के युवा जिस कौशल (जैसे-गाड़ी चलाना, कपड़े सिलना, अच्छी तरह से खाना बनाना, साफ-सफाई करना, मकैनिक का काम करना, बाल काटना, आदि) को परंपरागत रुप से जानते हैं, उसके उस कौशल को और निखारकर व प्रशिक्षित करके उस व्यक्ति के कौशल को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना।
- कौशल विकास के साथ उद्यमिता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
- सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।

अनाज के वितरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्देश दिए गए हैं –

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं अध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, पिपल्या मण्डी, जिला-मन्दसौर (म.प्र.) भारत

राशन की दुकानों के वे संचालनकर्ता –

1. जो अपनी दुकानें पूरे माह निर्धारित समय तक न खोलते हों,
2. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को उनके लिए निर्धारित दरों पर अनाज उपलब्ध न करवाते हों,
3. बी.पी.एल. परिवारों के कार्ड अपने पास रखते हों,
4. बीपीएल. कार्ड में गलत सूचनाएं भरते हों,
5. राशन के अनाज को खुले बाजार में बेंचते हों या उन व्यक्तियों को बेच देते हों जो बी.पी.एल. सूची के बाहर हो और राशन की दुकानें दूसरे व्यक्तियों/संस्थाओं को चलाने के लिए देते हों, उनका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी इस सम्बन्ध में कोई ढिलाई नहीं देंगे।
6. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को अपने हिस्से का अनाज किश्तों में खरीदने की अनुमति होगी।
7. इस आदेश को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाए ताकि बी.पी.एल. परिवार अनाज के अपने अधिकार के बारे में जान सके।
8. भारत सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भी अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल करें।
9. बूढ़े, लाचार, विकलांग, बेसहारा पुरूष व महिलाएं, गर्भवती महिलाएँ व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएँ।
10. विधवा व वे एकल महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं हैं।
11. 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा हैं व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं है। वे परिवार जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति है।
12. ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति-रिवाजों, विकलांग व्यक्ति की देखभाल तथा अन्य किन्हीं वजहों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो घर के बाहर कमाई के लिए जा सके।
13. आदिम जनजातियां।

सूचनाओं के द्वारा जागरूकता – उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरलीकृत और सशक्त बनाने वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 इस साल संसद में पेश किया गया। केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, जिसे उत्पादों को वापस लेने और खुदरा कारोबारियों सहित दोषी कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के अधिकार देने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता अदालतों में शिकायतों की ई-फाइलिंग और समयबद्ध स्वीकृति इस विधेयक में किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है।

सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण के लिए उद्योग के साथ 6 सूत्रीय संयुक्त कार्य योजनाएँ बनाई है। इसकी मुख्य बातें हैं –

1. शिकायत निवारण के लिए उद्योग स्वयं मानक बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें।
2. उद्योग संघों के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ जोड़ना।
3. संयुक्त जागरूकता अभियान चलाना।
4. उपभोक्ता कल्याण कार्यो के लिए उद्योग जगत कॉर्पोरेट उपभोक्ता जिम्मेदारी फंड बनाएं।
5. भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ स्व-नियमन संहिता बनाएं।
6. नकली, घटिया और जाली उत्पादों के विरुद्ध कार्रवाही करें।
7. उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएं और अन्य विभागों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया गया। इस वर्ष उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग ने जागो ग्राहक जागो के बैनर तले अपना मल्टी मीडिया अभियान तेज कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर पर विशेष बल देते हुए इस अभियान ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों/उत्तरादायित्वों के बारे में जागरूक बनाया।
8. उपभोक्ताओं से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों यथा- कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य सेवा, आवास, वित्तीय सेवाएं और परिवहन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया गया, ताकि उपभोक्ताओं के संबंध में नीतिगत सामंजस्य और समन्वित कार्रवाई की जा सके।
9. भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए, एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में समर्थ बनाने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों यथा- खाद्य एवं कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रियल एस्टेट, परिवहन एवं वित्तीय सेवाओं को इस उद्देश्य से शामिल किया गया है। दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित प्राधिकरणों अथवा क्षेत्र के विनियामकों के समक्ष उठाया गया है और कार्रवाई करने के बाद उपभोक्ता को सूचित किया गया है।
10. उपभोक्ता सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए छह स्थानों अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, कोलकाता, पटना और दिल्ली में 18 मार्च 2015 को ग्राहक सुविधा केंद्र प्रारम्भ किए गए। ऐसे केंद्र चरणबद्ध रूप से प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाएंगे। वे उपभोक्ता कानूनों, उपभोक्ताओं के अधिकारो, उपभोक्त अदालतों का दरवाजा खटखटाने की प्रक्रिया और उत्पादों की गुणवत्ता का भरोसा और सुरक्षा सहित उपभोक्ताओं से जुड़े अन्य मामलों के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

प्रचार-सह जागरूकता अभियान योजना – योजना स्कीम 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उनकी पात्रता ओर शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता', 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुद्दढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण' का एक घटक हैं, जिसके अंतर्गत राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच ऊँची पात्राता ओर शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

स्कीम के इस घटक का मुख्य उद्देश्य डीएवीपी के माध्यम से/द्वारा डीएवीपी दरों पर, मुद्रित माधयमों तथा निजी टीवी एवं रेडियो चैनलों पर दूरदर्शन ओर आकाशवाणी के लिए डीएवीपी/प्रसार भारती/दूरदर्शन की अनुमोदित दरों पर एक प्रभावी, बोधागम्य, निरंतर और गहन जागरूकता अभियान शुरु करना है, जो शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सके।

निष्कर्ष – सरकार वास्तव में रियायत किसानों को देती है या फिर गरीबों को। एक नजर से देखा जाए तो खाद्य सब्सिडी का लाभ किसानों के हित में आता है क्योंकि जो घाटा सरकार वहन करती है वह उसके नाकारापन के कारण होता है। वहीं दूसरी ओर किसानों को सरकारी खरीद के कारण भण्डारण और बाजार की उतार-चढ़ाव भरी कीमतों से कुछ हद तक निजात मिलती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दो वर्षों में भी अपने विभिन्न आदेशों में इस मामले पर गहरी चिन्ता जाहिर की है। एक आदेश में कोर्ट ने यह कहा है कि बूढ़े लाचार व्यक्तियों, विकलांगो, बेसहारा महिलाओं व बूढे पुरूषों जो कि भुखमरी के कगार पर हों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दूध पिलाने

वाली माताओं तथा बेसहारा बच्चों को भोजन उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। खासकर उन मामलों में जहां उनके पास या उनके परिवार के पास इतना भोजन उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। अकाल के समय में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन यहां वास्तविक स्थिति यह है कि काफी मात्रा में भोजन है परन्तु उसका वितरण बहुत गरीब व बेसहारा लोगों के मामलों मे या तो बहुत कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से कुपोषण, गरीबी व इनसे जुड़ी दूसरी समस्याएं पैदा हो रही है। मुख्य चिंता यह है कि समाज का कमजोर तबका भूख या भुखमरी से त्रस्त न हों। लोगों को भूख से बचाना केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की मुख्य जिम्मेदारी है। केवल योजनाएं बना देना जिनका क्रियान्वयन न हो किसी काम का नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भोजन भूखे तक पहुंचे।

संविधान के 21 वें अनुच्छेद में हर नागरिक को 'मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार' दिया गया है क्या वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अपने जीने के लिए सही किस्म की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के अभाव में संविधान में दिए गए इस अधिकार से वंचित नहीं है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें जरूरी मदद दी जाए ताकि ये जी सके। इसी संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला भी दिया जा सकता है जिसमें यह कहा गया है कि अपने नागरिकों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधाार सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खाद्य परीक्षण, साहित्य प्रकाशन।
2. भारत में समाज कल्याण, कैलाश पुस्तक।
3. पीडीएस के संगठन एवं प्रबंधन, अनमोल पब्लिकेशन।
4. पीडीएस एवं ग्रामीण निर्धनता, दिल्ली।

****

पर्यावरण प्रदूषण तथा उसका संरक्षण

डॉ. रायकू जमरा *

प्रस्तावना – पर्यावरण अर्थात् पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परतों से ढका हुआ आवरण है। पर्यावरण का मानव जीवन में चोली दामन के साथ है। यह मानव के प्रत्येक क्रियाकलापों को न केवल प्रभावित करता है। वरन् अपनी उपेक्षा का भी अहसास कराता है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जीव-जन्तु, ,पेड़-पोधों आदि सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे-जैसे मानव औद्योगिक प्रगति के शिखर पर पहुँचता जा रहा हैं। वैसे-वैसे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही है और इसी के द्वारा प्रकृति की पूँजी को नष्ट होने या दूषित होने की संभावनाएँ बढ़ती जा रही है। मानव अपने आर्थिक लाभ के लिए पड़ों की कटाई करता जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आज मानव के समक्ष बाढ़ एवं अनावृष्टि जैसे विनाषकारी परिणाम आ रहे हे। पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है। जन सामान्य की परम्परागत सोच अभी तक जितनी बदलना चाहिए थी, उतनी बदली नहीं है। वर्तमान में पर्यावरण का अर्थ महज कुछ सुन्दर पेड़, जानवर ओर साफ हवा पानी ही नहीं है। आज पृथ्वी पर प्रदूषण, पर्यावरण के विनाश का कारण बनकर उभर रहा है। पर्यावरण दूषित होने के अनेकानेक कारण है। दिनों-दिन वाहनों के धुएँ एवं कल कारखानों के धुएँ से हमारे पर्यावरण के ओजोन गैस की परत नष्ट होती जा रही है। अंधा धुंध पेड़ो की कटाई से जमीन सूखती जा रही है। भूमि का कटाव हो रहा है। मानव आज अपनी वैज्ञानिक शक्ति द्वारा स्वयं एंव जीव जंतु को समाप्त करने में लगा हुआ है। बढ़ती जनसंख्या का भी पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा हैं। वातावरण प्रदुषित होता जा रहा है। प्रकृति के वातावरण की संरचना वायु, मिट्टी, पानी, वनस्पति पशु-पक्षी एंव समस्त प्राणी जगत मिलकर करते है। ये सभी घटक पारस्परिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते है। जब मानव द्वारा प्रकृति के संतुलन एवं विकास की गति में सामंजस्य नहीं बनाए रखा जाता हैं, तो पर्यावरण में ऐसा भीषण अंसुतलन उत्पन्न होने लगता है। जिससे पृथ्वी पर विद्यमान प्राणियों पर संकट मंडराने लगता है। इसी असंतुलन से उत्पन्न घातक विष ही प्रदूषण है। पृथ्वी के वातावरण में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन, तथा 3 प्रतिशत कार्बनडाई-ऑक्साइड षामिल है। इस तरह पर्यावरण में अपशिष्ठ पदार्थो का इस अनुपात में मिलना, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगडता है।

प्रदूषण के कई रुप है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। जल में अपशिष्ठ पदार्थो का मिलना जल प्रदूषण, वायु में विषैली गैसों का मिलना वायु प्रदूषण, भूमि में रसायनिक अपशिष्टों का मिलना-भूमि प्रदूषण एंव वातावरण में अत्यधिक शोर की स्थिति-ध्वनि प्रदूषण कहलाते है।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण – पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम सामने आए है। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। आज मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। मनुष्य को खुद को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें कौनसी बीमारी ने घेर लिया है। जनसंख्या विस्फोट, ग्रीन हाउस प्रभाव औद्योगिक उत्सर्जन ओजोन परत को नुकसान अम्ल वर्षा, दूषित गैस एवं धुँआ, ध्वनि प्रदूण, प्रदूति होता जल, अपशिष्ट पदार्थो से प्रदूषण मिट्टी एवं घटते वन के कारण प्रदूषण फैलता जा रहा है। वृक्षों की अंधा धुंध कटाई से भी पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुँच रहा है। वातावरण में घुली विषैली गैसो एवं धुएँ के कारण शहरों में मनुष्य का सॉस लेना भी दूभर होता जा रहा है। विश्व की जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन का कारण भी पर्यावरणीय असन्तुलन एंव प्रदूषण ही है।

'पर्यावरण को नहीं पहुँचाओं नुकसान,
यह है जीवन का अपमान।'

विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नये अविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज मानव प्रकृति पर पूर्णतया: विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहाँ प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्रणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सन् 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने 30 से भी अधिक कानून बनाए हैं। केन्द्र सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु 1974 में जल (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974 बनाया। वायु प्रदूषण रोकने हेतु वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया जिसे 1988 में संशोधित किया गया। सन् 1986 में केन्द्र सरकार ने एक विस्तृत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सन् 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया तथा सन् 2002 में जोहान्सवर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गये। पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है। अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन-चक्र भी एक दिन समाप्त हो जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारी अभिकरणों का भी प्रमुख योगदान रहा

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

है। इसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पारिस्थितकीय विकास बोर्ड तथा भारतीय राष्ट्रीय मानव तथा जीवमंडल समिति और पर्यावरण अनुसंधान समिति आदि प्रमुख है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक एंव पेपर के द्धारा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि समाज या मनुष्य पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए और पर्यावरण को सुरक्षित करें। सन्तुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है किन्तु ऐसा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो तथा इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक तथा कृषि वानिकी के माध्यम से अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है।

**'पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान,
प्रकृति का मत करो षोषण, सब मिलकर बचाओ पर्यावरण,
जहाँ न पेड़-पौधे है ,न चिड़िया है न हरियाली है, वहाँ जीवन केवल एक बोझ हैं।'**

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. निबंधमाला 221; अरिहन्त पब्लिकेशन्स लिमिटेड।
3. hi. Wikipedia.org/wiki)%25 Eo%25A4%25

****

कृषक कल्याण कार्यक्रम

सीमा नागर *

प्रस्तावना – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए कृषि क्षेत्र का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषकों का सुविधा सम्पन्न होना आवश्यक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था 'जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश तथा समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।' गाँवों में हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है। जब तक कृषक समृद्ध नहीं होंगे, तब तक देश की समृद्धि संभव नहीं है। अत: कृषक कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम, योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है–

1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–** 16 अगस्त 2007 को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस मिशन में प्राथमिक रूप से धान, गेहूँ तथा दालों के उच्च उत्पादन व उत्पादकता तथा किसानों को उच्च आय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य राज्यों को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ तथा 2 मिलियन टन दाल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. **राष्ट्रीय किसान आयोग–**वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसान समर्थक सेवाएँ, लाभकारी विपणन व्यवस्था, भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना, कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं संप्रभुता बोर्ड का गठन किया जाए।

3. **किसान कॉल सेन्टर तथा कृषि चैनल–**21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेन्टर तथा कृषि चैनल का प्रारंभ किया गया। ये सेन्टर देश के आठ महानगरों में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों पर उपस्थित विशेषज्ञ किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ ही कृषि चैनल भी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया हैं।

4. **किसान क्रेडिट कार्ड योजना–** अगस्त 1998 में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। इसका क्रियान्वयन 27 वाणिज्यिक बैंकों, 368 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड में तब्दील हो जाएंगे।

5. **ज्ञान ग्राम केन्द्र–**राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ज्ञान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केन्द्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार का उपयोग करके किसानों को वांछित जानकारी उपलब्ध करवाना है।

6. **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग–**1965 में प्रो. दातेवाला की अध्यक्षता में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य कृषकों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना है ताकि उनमें उत्पादन करने की प्रेरणा बनी रहे। इसकी अनुशंसा पर सरकार वर्ष में दो बार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

7. **राज्य कृषि उद्योग निगम –**केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के रूप में 17 राज्य कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इनका उद्देश्य कृषि मशीनों के निर्माण व वितरण, कृषि निवेशों का वितरण, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना व संचालन को प्रोत्साहन, किसानों को तकनीकी सुविधाएँ व परामर्श उपलब्ध करवाना है।

8. **राष्ट्रीय कृषि नीति –**भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य भारतीय कृषि की विधिक संवृद्धि क्षमता का पूर्ण उपयोग करना, कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण आधार संरचना को मजबूत बनाना, मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहन देना कृषि व्यवसाय के विकास को तीव्र करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कृषकों एवं कृषि श्रमिकों व उनके परिवारों के लिए उचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना, आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना है।

9. **प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना –**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर खरीफ मौसम 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। यह योजना आपदाग्रस्त कृषकों के लिए वरदान साबित होगी। इसके अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए 5500 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें से पूरे देश में फसलों के लिए वास्तविक प्रीमियम में कृषकों के लिए हिस्से को तर्कसंगत रूप प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–इस योजना में जल भंडारण, जल संरक्षण, जल के उचित उपयोग के तरीकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें 28.5 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के दायरें में लाया जाएगा। 2015-16 में इसके लिए 4510 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 2016-17 के बजट में 12517 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें 80.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए 89 सिंचाई परियोजनाओं को तीव्रता से कार्यान्वित किया जाएगा। इनमें से 231 परियोजनाओं को 31 मार्च 2017 से पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

राष्ट्रीय कृषि मंडी – कृषि उपज विपणन प्रणालियों की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना प्रारंभ की गई है। सरकार ने 200 करोड़ रूपये के बजट के वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान एग्री टैक, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना को मंजूर किया गया है। कृषि सहकारिता तथा कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन स्मॉल फॉर्मर्स एग्री बिजनेस कंर्सोटियम के द्वारा राष्ट्रीय कृषि मंडी का कार्यान्वयन किया जायेगा।

सॉईल हेल्थ कार्ड योजना– कृषकों को उनके खेत के पोषण के स्तर की जानकारी देने के लिए सॉईल हेल्थ कार्ड योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि कृषक उर्वरकों के उपयोग के बारे में सही निर्णय ले सकें। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2017 तक समस्त 14 करोड़ खेतों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मृदा स्वास्थ्य तथा उत्पादकता से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना के लिए 368 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त आगामी तीन वर्षों के दौरान उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के मृदा तथा बीज परीक्षण सुविधाओं सहित 2000 मॉडल रिटेल आउटलेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

मूल्य स्थिरीकरण कोष– कृषकों को सदैव मूल्य अस्थिरता की समस्या का सामना करना पड़ता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना कृषि तथा बागवानी से संबंधित वस्तुओं की खरीद व वितरण के लिए की गई है। इसका लक्ष्य कृषि तथा बागवानी से संबंधित खराब हो जाने वाली वस्तुओं की खरीद व वितरण के लिए तथा कृषकों के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्यशील कार्मिक पूंजी उपलब्ध करवाना है।

राष्ट्रीय कामधेनु योजना – पशुओं की स्वदेशी प्रजातियों के विकास व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए एक केन्द्र उत्तर तथा दूसरा दक्षिण भारत में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित किए जा रहे है। उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केन्द्र हेतु क्रमश: मध्यप्रदेश तथा आंध्रप्रदेश केा 25 करोड़ रूपये की राशि दी गई है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन – कृषि क्षेत्र में पशुओं का अमूल्य योगदान है। ये पशु 21 मिलियन के लगभग लोगों के लिए रोजगार सृजित करते हैं। वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य पशुओं की स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत एकीकृत मवेशी केन्द्र तथा गोकुल ग्रामों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए 50 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

परम्परागत कृषि विकास योजना – भारत में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फसल की पैदावर बढ़ाने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना प्रारंभ की है। जिसके द्वारा अगले तीन वर्षो के दौरान पांच लाख हेक्टेयर भूमि जैविक खेती के अंतर्गत लाई जायेगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास नामक जैविक खेती योजना भी सरकार ने प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों को घरेलू तथा विदेशी बाजार मुहैया करवाना है। इन दोनों योजनाओं पर कुल 412 करोड़ रूपये की राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

ई–बाजार सूचना सेवा– इस ई सेवा के अंतर्गत कृषि तथा कृषि विपणन से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करने वाली बेबसाइट लिंक की जानकारी दी जाती है ताकि कृषक उसका लाभ उठा सके। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र को ई–शासन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने इसकी वेबसाइट – http://mkishn.gov.in/hindi/ के द्वारा कृषक हित से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को बिना इंटरनेट के भी मोबाईल पर उपलब्ध करवाया है। इसमें कृषकों को उचित समय पर उचित जानकारी प्राप्त हो जाती है।

निष्कर्ष – स्पष्ट है कि कृषक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा वृहद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। सरकार ने कृषक कल्याण के लिए एक और जहां सिचाई सुविधाओं के विस्तार पर पर्याप्त ध्यान दिया है, वहीं दूसरी ओर फसल बीमा, मूल्य स्थिरता, राष्ट्रीय कृषि मंडी, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आदि के द्वारा कृषि में जोखिमों को कम करने का भी प्रसास किया है। इसके साथ ही कृषकों को नई तकनीकों से भी जोड़ने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें कृषि क्षेत्र की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

सरकार की नीतियों की नींव कृषक कल्याण कार्यक्रम पर ही रखी गई है। इस नींव पर मजबूत इमारत तभी निर्मित की जा सकती है, जबकि वास्तव में कृषकों तक इन विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ पहुँचे। जागरूकता व ज्ञान के अभाव में वे इनका लाभ नहीं ले पाते है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ उनके प्रति कृषकों में जागरूकता होना अति आवश्यक है, तभी कृषक कल्याण कार्यक्रम सफल हो पाएंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – धनकड़ प्रकाशन मेरठ।
2. योजना – भारत सरकार का प्रकाशन।
3. कुरूक्षेत्र – ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रकाशन।
4. Wikipedia the free encyclopaedia

****

NSS Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

शेयर बाजार एवं सेबी (सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)

क्षितिज कुशवाह *

प्रस्तावना – भारतीय आम निवेशक शेयर बाजार, उसकी कार्यप्रणाली तथा सुरक्षा उपायों को लेकर अनजान है। समय परिवर्तन के साथ- साथ निवेशक की सुविधानुरूप शेयर बाजार (बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) एंव नेंशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)) पुर्णरूप से स्वचलित तथा इलेक्ट्रानिक हो गया है। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए तथा शेयर बाजार के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्धारा सेबी की स्थापना की गईं। सेबी का कार्य शेयर बाजार को सुचारू रूप से संचालित करना तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना है।

अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से बचत को कई जगह पर विनियोग किया जाता है। वर्तमान में शेयर बाजार एक नये विनियोग क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, परंतु भारत की जनसंख्या का एक बडा भाग शेयर बाजार की कार्य प्रणाली तथा सुरक्षा उपायो से अनभिज्ञ है। खासतौर पर भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार अपने बचत को शेयर बाजार में निवेश करने में संदेह करता है।

इन्ही कारणों से निवेशकों के हितो की रक्षा तथा कपटों से बचाने के लिये केन्द्र सरकार द्धारा 4 अप्रैल 1992 को सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) अधिनियम 1992 पारित किया तथा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते है। यदि कम्पनी द्धारा दिशा-निर्देशों तथा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो भारी पेनल्टी लगाई जाती है ।वर्तमान में सहारा इंडिया परिवार v/s सेबी इसका सबसे बडा उदाहरण है।

शेयर बाजार – शेयर बाजार के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों के शेयर का क्रय-विक्रय किया जाता है। किसी भी कम्पनी की स्थापना तथा परिचालन के लिये बडी मात्रा मे पूंजी की आवश्यकता होती है। कम्पनी के प्रवर्तक धन की प्राप्ति के लिए शेयर प्रमाण पत्र आवंटित करते है ,जो शेयर कहलाते है। जो व्यक्ति शेयर को धारित करता है, शेयर धारक (शेयर होल्डर) कहलाता है। शेयर धारक ही शेयर विक्रय का अधिकार रखता है। निवेशक दो तरह से शेयर धारण करते है -ट्रेडिंग एवं इन्वेस्टमेंट। शेयर का क्रय या विक्रय ब्रोकर/ सबब्रोकर के माध्यम से किया जाता हैं। ब्रोकर को शेयर बाजार में कार्य करने के लिये सेबी से लायसेंस प्राप्त करना होता है। ब्रोकर अपने अधिनस्थ के रूप में सबब्रोकर नियुक्त करते हैं। आम निवेशक इन्हीं के माध्यम से शेयर में निवेश करते है। ब्रोकर अपने कार्य के लिये निर्धारित दर से ब्रोकरेज लेते है।

भारत में कई शहरो में शेयर बाजार स्थापित है -

मुम्बई – बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)
नई दिल्ली – नेंशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)
इन्दौर – मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज

वर्तमान में सबसे चर्चित शेयर ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल , शेयर खान आदि है।

पुराने समय में शेयर क्रय-विक्रय के लिये रिंग सिस्टम अपनाया जाता था। जिसमें शेयरों का हस्तान्तरण भौतिक रूप में निलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता था। शेयर धारक की ओर से ब्रोकर बोली लगाते थे।

वर्तमान शेयर का क्रय-विक्रय इलेक्ट्रानिक रूप में इंटरनेट के द्धारा किसी भी स्थान से किया जा सकता है । इस प्रक्रिया में निवेशक को डी-मेट एकाउण्ट ब्रोकर के माध्यम से खोलना होता है। डी -मेट एकाउण्ट में शेयर इलेक्ट्रांनिक रूप में स्टोर रहते है। यह डी -मेट एकाउण्ट बैंक बचत खाते से लिंक रहता है। जब शेयर खरीदा जाता है, तो डी -मेट एकाउण्ट मे शेयर आ जाता है और बचत खाते से भूगतान हो जाता है। इसी तरह विक्रय में विपरित प्रक्रिया होती है । अब कई बैंक भी डी -मेट एकाउण्ट की सुविधा देते है जैसे SBI, ICICI,PNB आदि।

भारत में सबसे प्रचलित शेयर बाजार बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेंशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) है। बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना और ट्रेडिंग के आधार पर दुनिया का अग्रणी शेयर बाजार है। यह छोटे निवेशकों का बाजार है ।बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाजार के उतार-चढ़ाव को जिस सूचकांक से दर्शाया जाता है उसे सेन्सेक्स 30 कहलाता है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रो की निर्धारित 30 कम्पनियों के शेयर मुल्य के उतार -चढ़ाव के आधार पर गणनीय होता हैं।

इसी तरह नेंशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला डी - मटेरलाइस्ड शेयर बाजार है। इसका प्रवर्तक भारत सरकार है। इस बाजार का सूचकांक निफ्टी 50 है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों की निर्धारित 50 कम्पनीयो के शेयर मुल्य के उतार - चढाव के आधार पर गणनीय होता हैं।

सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) – शेयर बाजार की जटिलताओं और पूर्ण स्वचलित इलेक्ट्रांनिक प्रक्रिया के कारण निवेशकों को सदैव ठगे जाने का भय बना रहता है। इन्हीं कारणो से केन्द्र सरकार ने सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) अधिनियम 1992 पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सेबी के प्रबंधन के लिये एक कमेटी बनाई जाती है, जो बाजार को नियंत्रित तथा गतिविधियो पर नजर रखती है। इस अधिनियम का उद्देश्य निवेशकों के हितो की रक्षा, शेयर बाजार का नियंत्रण तथा विकास करना है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेबी निम्न कार्य करता है -

- बाजार नियंत्रण के लिए नियम तथा दिशा-निर्देश जारी करना।
- ब्रोकर, सब ब्रोकर का पंजीयन तथा इनके लिए नियम जारी करना।
- इन - साईडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना।
- कम्पनी, ब्रोकर की पुस्तकों का निरीक्षण, तथ्यों की जॉच तथा ग्रहणाधिकार करना।
- प्रास्पेक्टस जारी करने के नियम बनाना।
- संदिग्ध व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना।

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय हरसुद, खण्डवा (म.प्र.) भारत

- निवेशको को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाना।
- कम्पनी , ब्रोकर और मध्यस्थों पर फीस , अन्य चार्ज तथा गलती की दशा में पेनाल्टी लगाना।

सेबी द्वारा लिस्टेड कम्पनियों तथा लिस्टेड होने की इच्छुक कम्पनियों के लिए निम्न प्रक्रियाओं के सबंध में दिशा –निर्देश जारी किये है , जिनका पालन करना अनिवार्य है –

- कम्पनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाना।
- कम्पनी द्वारा फालोंऑन पब्लिक ऑफर (FPO) लाना।
- पब्लिक इश्यु के लिए शेयर प्राइस का निर्धारण।
- प्रवर्तक के अनुदान प्रतिशत का निर्धारण।
- ग्रीन शु ऑप्शन।
- बुक बिल्डिंग प्रक्रिया।
- पूर्वाधिकार निर्गमन।
- बोनस शेयर निर्गमन।

केतन मेहता कांड के बाद निवेशकों का शेयर बाजार से विश्वास उठ गया था, किन्तु सेबी ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।सेबी की कार्य प्रणाली से जालसाजों को कठिन दंड मिला तथा धोखाधड़ी की संभावना कम हुई। अब शेयर बाजार मे निवेश सुरक्षित तथा सरल हो गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992
2. सेबी गाईड लाइन –सेबी (इश्यू ऑफ केपीटल एण्ड डीसक्लोजर रिक्वायरमेंट) रेगुलेशन 2009
3. द चार्टड एकाउण्टेड जर्नल।
4. दैनिक भास्कर तथा इकोनोमिक टाइम्स समाचार पत्र।
5. wwww.hindi.webdunia.com
6. https://em.m.wikipedia.org.

****

जी.एस.टी. चुनौतियाँ - समाधान

डॉ. पी. पी. पाण्डेय *

प्रस्तावना - जिस प्रकार वस्तुओं की बिक्री पर विक्रय कर या मूल्यवर्धित (वेट) लगाया जाता है, उसी प्रकार सेवाओं की प्रदायगी पर सेवाकर लगाया जाता है दोनों के संयुक्त प्रावधान को वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के नाम से जाना जाता है। भारत में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगभग 75 वर्षो से कर लगाया जा रहा है। लेकिन सेवाओं पर 1994 तक कोई कर नही लगता था। ऐसे छोटे सेवा प्रदायकों को सेवा कर से मुक्त रखा गया है। जिनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का करयोग्य मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है जो वर्तमान में भी लागू है। भारत में सकल राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 60 प्रतिशत से ऊपर पहुँच गया है। जी0एस0टी0 भारत में कर प्रणाली के सरलीकरण की ओर बड़ा कदम है किन्तु इस प्रणाली की जटिलता ने देश में अभी तक कर चोरी और कालेधन को ही बढ़ावा दिया है। किसी समय अपारदर्शी जटिल रही भारतीय कराधान प्रणाली अब पारदर्शी, सरल एवं भविष्योन्मुखी हो गई है। वर्तमान सरकार इसे और भी आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है ताकि भारत दुनिया भर में निवेश तथा विनिर्माण का सबसे पंसदीदा ठिकाना बन सके।

जी0एस0टी0 पर केन्द्र और राज्यों के बीच सबसे चर्चित मुद्दा था- टैक्स की दरे। राज्य चाहते है कि राजस्व बढ़ाने के लिए करो की दर उच्च हो और केन्द्र चाहता है कि मंहगाई को कम करने के लिए टैक्स की दरे कम रखी जाए। भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति की दर इस दशक में सबसे कम रही है। जी0एस0टी0 कर सुधारों का अंत नहीं है। अभी हमें प्रत्यक्षकर संहिता। डी0टी0सी0 जैस बडे क़ानून बने जिससे एक बड़ी आबादी लाभान्वित हो। वर्तमान बहु-स्तरीय कर संरचना में राज्यों एंव केन्द्र सरकार के अलग-अलग शुल्क है, जो करो के व्यापक प्रभाव की ओर ले जाते है। इसमें विभिन्न दरों एवं विभिन्न बिन्दुओं पर कर विद्यमान है। केन्द्र के पास आयकर सेवाकर, केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क एवं सुरक्षा लेने-देन कर जैसे कर है। जबकि राज्य स्तर पर वेट या विक्री कर चुंगी, राज्य उत्पाद शुल्क, सम्पत्तिकर, प्रवेश कर एवं कृषि आय पर कर लागू है। ये कर घरेलू बाजारों के साथ-साथ अर्न्तराष्ट्रीय बाजारों में भी मूल्यों और बिक्री को प्रभावित करते है। इसके समाधान के लिए राज्यसभा 03 अगस्त 2016 को तथा लोक सभा में 08 अगस्त 2016 में पारित होने तथा 50 प्रतिशत से अधिक राज्य विधान मण्डलों के अनुसर्मथन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार केन्द्र एवं राज्यों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करने के लिए अप्रैल 2017 तक जी0एस0टी0 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक रूप से भिन्न हितो वाले केन्द्र, 29 राज्यों एवं जटिल संघात्मक व्यवस्था में विस्तृत रातनीतिक सहमति की अपेक्षा रखने वाले लगभग 75 लाख कर इकाइयों को प्रभावित करने वाले तथा कर-कार्यान्वन क्षमता के उपयोग एवं उसमें सुधार के लिए नवीनतम तकनीक का निर्धारण करने वाले एक संविधान संशोधन के माध्यम से इस वैश्विक इतिहास में महत्वपूर्ण दिन के रूप में जाना जावेगा।

वर्तमान में हर राज्य में कर की दरे अलग-अलग है। जी0एस0टी0 इनमें एक रूपता लाएगा, कर को असमानता निवेश (इनपुट टैक्स क्रेडिट) द्वारा इन करो के व्यापक प्रभाव को कम करेगा। जी0एस0टी0 में न्यूनतम छूटों के साथ व्यापाक कर आधार पर उद्योगों की सहायता करेगा, जो सामान्य प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए क्रेडिट का दावा करने में सामर्थ होगी। उपभोक्ताओं को सस्ती एवं समानदर पर वस्तुए उपलब्ध होगी। भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) लगभग 02 प्रतिशत बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

जी0एस0टी0 से लाभ-

1. गरीब एवं पिछड़े राज्यों के अधोसंरचना के विकास में लाभदायक सिद्ध होगा।
2. एक समान आधार एवं समान दरे प्रशासन तंत्र के कार्य प्रणाली को सुगम बनायेगी। खासतौर पर तम्बाकू पेट्रोलियम एवं भराब पर राज्यों की स्वायत्ता बरकरार रहेगी।
3. जीएसटी भारत को एकल कर प्रणाली के प्लेटफार्म पर ले आने से कर संरचना, राज्यों के साथ भारतीय बाजारों को तोड़-फोड़ की समस्या हल होगी।
4. आम आदमी बोझ हस्तान्तरण, बिक्री, वस्तु-विनियम एवं किराया आदि पर जीएसटी एक होगा।
5. अनेक केन्द्रीय एवं राज्य करो का एक एकल कर में सम्मिलित दोहरे कराधान को कम करने समान राष्ट्रीय बाजार की आदर्श परिकल्पना जो वर्तमान में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अनुमानित है।
6. कीमतों की कमी से उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर वस्तुए मिलने की संभावना का जन्म होगा।
7. निम्नतर अनुपालन एवं प्रक्रियात्मक लागत अलग-अलग रिकार्ड रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
8. जी.एस.टी. विदेशी निवेशकों को भारत के व्यापार को सुगम बनाने की क्षमता के बारे में एक अच्छा संकेत साबित होगा।
9. जी.एस.टी. उत्पादकों पर बोझ कम करेगा और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगा।
10. विभिन्न कर बाधाओं जांच-चौकियों एवं टोल प्लाजा के अवरोधों से मुक्ति मिलेगी।
11. उत्पादकों पर एक कराधान का प्रभाव उपभोक्तओं के टैक्स का बोझ कम पड़ेगा।
12. जी.एस.टी. निर्यातों पर लागू निर्यात शुल्कों को भी समाप्त कर देगा। लेन-देन की कम लागत के कारण विदेशी बाजारों में हम अधिक प्रतिर्स्पधाशाली बनेंगे।

जी.एस.टी. का सारांश यह है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिष्कृत दर पर कर लगेगा। एक राष्ट्र एककर सकारात्मक सोच से निर्णायक सिद्ध होगा। केवल आम आदमी ही नहीं देश के वित्तीय विकास में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर ।

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.) भारत

Socio-Economic Development And Women Entrepreneurship - An Indian Scenerio

Dr. Sushma Saini *

Abstract - Social and economic scenario of India has undergone a windfall change, and so has the status of women. Women have come out of the precincts of their home and have made significant contributions towards development in all fields, be it Research and Development, Business, Information Technology, Education etc. you name it and there is bound to be a woman achiever in it. There was a time when the boss was regarded to be only a man. The woman has successfully been able to erase this notion and has acquired the role of decision maker and team leader with great expertise.

The transformation of social fabric of the Indian society, in terms of increased educational status of women and varied aspirations for better living, necessitated a change in the life style of Indian women. She has competed with man and successfully stood up with him in every walk of life and business is no exception for this. These women leaders are assertive, persuasive and willing to take risks. They managed to survive and succeed in this cut throat competition with their hard work, diligence and perseverance. Her sympathetic nature and benevolence combined with the sharp business acumen like that of an astute businessman has helped her click with her colleagues and subordinates. She has vehemently challenged any opposition to her achievement of objectives and has ensured success in the work. The woman power is here to stay with all its might. No matter what hurdle comes; she will overcome it with sheer grit and gust. The present paper endeavors to study the Concept of Women Entrepreneur, socio-economic development, challenges, and schemes for promotion & development of women entrepreneurship and suggestions for the growth of women entrepreneurs in India.

Key words - Entrepreneurs, Business, Transformation, Expertise, Development etc.

Introduction - The knowledgeable Indian women have to go a long way to achieve equal rights and position because customs are deep rooted in Indian society where the sociological set up has been a male dominated one. Women are considered as weaker sex and always made to depend on men folk in their family and outside, throughout their life. The Indian culture made them only subordinates and executors of the decisions made by other male members, in the basic family structure. While at least half the brainpower on earth belongs to women, women remain perhaps the world's most underutilized resource. Despite all the social hurdles, India is brimming with the success stories of women. They stand tall from the rest of the crowd and are applauded for their achievements in their respective field.

Review of Literature - Women empowerment is as a re-distribution of social power and control of resources in favor of Women (Goswami, 2013). So, it is a multidimensional social process that helps people to gain controls their own lives and thus enhancing their position in the power structure of the society (Baruah, 2013). Empowering women and girls with more choices and more freedoms is crucial to achieving a better future for all. He also added that Women agency and freedom are among the crucial means for enhancing development (Sen, 2012).

In the latest commitment endorsed by the World Bank and the United Nations (UN), in addition to several other development goals, Promoting Gender Equality and Empower Women have got the high position. But, gaining control over their own lives is not an easy task as long as we cannot wither away the enormous gender gap in the provision of educational opportunities, and in the labor market, with women considerably disadvantaged which we notice in most developing countries (Thirlwall, 2007).

Gender gaps are widespread in access to and control over resources, in economic opportunities, in power and political voice (World Bank, 2001). Recently, the World Bank has made gender mainstreaming a priority in development assistance which identifies both gender equality and women empowerment as a major development objectives and means to promote growth, reduce poverty and support better governance, as described by Kabeer (2001).

It is generally perceived that women executives at the top inculcate a sense of balance, intelligence, higher emotional quotient and respect to the management team. They tend to bring in team spirit and compassion in the workplace. But in India, this trend has not caught its top gear yet. In Indian corporate sector, women comprise of 2% of the total managerial strength (Saini, 2006).

Objectives and Research Methodology of the Study - The study is based on secondary data which is collected from the published reports of RBI, NABARD, Newspapers,

* H.O.D. (Economics) D.A.V. P.G. College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Journals, Websites, etc.

The objectives of present study are -

- To assess the factors responsible for encouraging women to become entrepreneurs
- To study the impact of support by the government on women's entrepreneurship.
- To study the policies, programmes, institutional networks and the involvement of support agencies in promoting women's entrepreneurship.
- To importantly study the problems faced by women entrepreneurs.

Concepts of Development - Development is a phenomenon that is taking place in all walks of life. It aims at improving the quality of life of all people regardless of their sex or caste. Social development has to be construed along with the economic development and individual development. Social and economic developments go hand in hand, and this in turn, leads to sustainable development. Present paper focuses on those areas where it is felt the need for addressing and maintaining the status quo of sustainable development. For the development of society, it is necessary to develop the women folk. The advancement of a fraction of Indian women has resulted in remarkable positive changes in the economic condition of our country, and if there is an overall development of the women lot, then the positive changes will definitely magnify.

Historical Perspective - The role of woman in Indian society is known to be that of a homemaker. The status of women has undergone a windfall change from what it was in the Vedic age to till the era of globalization. In the Vedic era, women were not incarcerated to the precincts of the house. They were free to attend fairs, festivals and assemblies. In the post Vedic period, woman started to lose her status in society. During the Moghul rule, the socio economic status of women deteriorated a lot. Purdah system, child marriage and other social evils which were detrimental to the social status of women came into force. During the British rule in India, legislations were enforced to modify the structure of society. Reforms were initiated for the upliftment of women. In continuation with this, post-independence, at least legally, men and women are considered to be equal. But in reality, the situation is something different. Outside the educated elite and often within it, girls are considered as economic liability because of the tradition that requires a girl's parents to provide her with a dowry at the time of her marriage. The Indian constitution aimed at attainment of equal status for women in every sphere of life.

The glass ceilings are shattered and women are found indulged in every line of business. The entry of women into business in India is traced out as an extension of their kitchen activities, mainly 3P's, Pickle, Powder and Pappad. But with the spread of education and passage of time women started shifting from 3P's to modern 3E's i.e., Energy, Electronics and Engineering. Skill, knowledge and adaptability in business are the main reasons for women to emerge into business ventures.

Concept of Women Entrepreneurs - Women Entrepreneurs may be defined as the women or a group of women who initiate, organize and operate a business enterprise. The Government of India has defined women entrepreneurs as an enterprise owned and controlled by women having a minimum financial interest of 51 percent of the capital and giving at least 51 percent of the employment generated in the enterprise to women.

Women Entrepreneur is a person who accepts challenging role to meet her personal needs and become economically independent. A strong desire to do something positive is an inbuilt quality of entrepreneurial women, who is capable of contributing values in both family and social life. With the advent of media, women are aware of their own traits, rights and also the work situations.

Women Luminaries - With the changing times and globalization, employability has seen an increasing trend. Owing to the inherent nature of woman which identifies with empathy and benevolence combined with strong determination and sharp business acumen, many firms have had significant success with a woman on the decision making chair. Women have proved to be good team leaders. India's most successful female entrepreneurs are –

1. Indra Nooyi is the current chairman and CFO of the second largest food and beverage business, Pepsi Co.
2. Naina Lal Kidwai is presently the Group General Manager and Country Head of HSBC India. Indian government conferred Padma Shri award on Naina for her contributions in the field of Trade and Industry.
3. Kiran is the founder Chairman and Managing Director (CMD) of Biocon Limited.
   Today Biocon under Shaw's leadership has established itself as a leading player in biomedicine research with a focus on diabetes and oncology. Kiran is also a member of the board of governors of the prestigious Indian School of Business and Indian Institute of Technology Hyderabad.
4. Chanda Kochar is currently the MD & CEO of india's largest private bank ICICI Bank.
5. Indu Jain used to be the chairperson of India's largest and most powerful media house – The Times Group. A strong votary of women's rights and women entrepreneurship, Indu contributed immensely to the growth of Times group.
6. A woman with 'never-say-die' spirit, Neelam Dhawan is presently the Managing Director of Hewlett-Packard (HP), India. She had successful and rewarding stints with other leading players like IBM and HCL.
7. Sulajja Firodia Motwani is the Joint Managing Director of Kinetic Motors. She has single-handedly designed and developed marketing strategies to spearhead the company's growth forward.
8. Ekta Kapoor is JMD & Creative Director of Balaji Telefilms. She has created a niche for herself in TV serial and film production. She can easily be termed

as the most successful female producer of entertainment world.

9. Ritu Kumar is one of the big names in Indian fashion industry. She has carved a niche for herself in designing a variety of wardrobes.
10. Jyoti Naik, is currently the President of Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad, an Indian women's co-operative based in Mumbai. The Khadi and Village Industries Commission of India has conferred the Best Village Industry award on Lijjat Papad from the period 1998-99 to 2000-01.

Problems Faced By Women Entrepreneurs - The problems and constraints experienced by women entrepreneurs have resulted in restricting the expansion of women entrepreneurs. The major barriers encountered by women entrepreneurs are

1. The greatest restriction to women entrepreneurs is that they are women. A kind of patriarchal-male dominant social order is the building block to them in their way towards business success. Male members think it a big risk financing the ventures run by women.
2. Women entrepreneurs have to face a stiff competition with the men entrepreneurs who easily involve in the promotion and development area and carry out easy marketing of their products with both the organized sector and their male counterparts. Such a competition ultimately results in the liquidation of women entrepreneurs.
3. The old and outdated social outlook to stop women from entering in the field of entrepreneurship is one of the reasons for their failure. They are under a social pressure which restrains them to prosper and achieve success in the field of entrepreneurship
5. Women‘s family and personal obligations are sometimes a great barrier for succeeding in business career. Only few women are able to manage both home and business efficiently, devoting enough time to perform all their responsibilities in priority.
6. Many women take the training by attending the Entrepreneurial Development programme without an entrepreneurial bent of mind. Women who are imparted training by various institutes must be verified on account of aptitude through the tests, interviews, etc.
7. High production cost of some business operations adversely affects the development of women entrepreneurs. The installations of new machineries during expansion of the productive capacity and like similar factors discourage the women entrepreneurs from venturing into new areas.

Steps Taken By The Government - Development of women has been a policy objective of the government since independence. Until the 70s the concept of women‘s development was mainly welfare oriented. In 1970s, there was a shift from welfare approach to development approach that recognized the mutually reinforcing nature of the process of development. The 80s adopted a multi-disciplinary approach with an emphasis on three core areas of health, education and employment. Women were given priorities in all the sectors including SSI sector. Government and non government bodies have paid increasing attention to women‘s economic contribution through self employment and industrial ventures.

The First Five-Year Plan (1951-56) envisaged a number of welfare measures for women. Establishment of the Central Social Welfare Board, organization of Mahila Mandals and the Community Development Programmes were a few steps in this direction. In the second Five-Year Plan (1956-61), the empowerment of women was closely linked with the overall approach of intensive agricultural development programmes. The Third and Fourth Five-Year Plans (1961-66 and 1969-74) supported female education as a major welfare measure. The Fifth Five-Year Plan (1974-79) emphasized training of women, who were in need of income and protection. This plan coincided with International Women‘s Decade and the submission of Report of the Committee on the Status of Women in India. In1976, Women‘s welfare and Development Bureau was set up under the Ministry of Social Welfare. The Sixth Five-Year Plan (1980-85) saw a definite shift from welfare to development. It recognized women‘s lack of access to resources as a critical factor impending their growth. The Seventh Five-Year Plan (1985-90) emphasized the need for gender equality and empowerment. For the first time, emphasis was placed upon qualitative aspects such as inculcation of confidence, generation of awareness with regards to rights and training in skills for better employment. The Eight Five-Year Plan (1992-97) focused on empowering women, especially at the Gross Roots Level, through Panchayati Raj Institutions. The Ninth Five-Year Plan (1997-2002) adopted a strategy of Women‘s Component Plan, under which not less than 30 percent of funds/ benefits were earmarked for women related sectors. The Tenth Five-Year Plan (2002-07) aims at empowering women through translating the recently adopted National Policy for Empowerment of Women (2001) into action and ensuring Survival, Protection and Development of women and children through rights based approach. At present, the Government of India has over 27 schemes for women operated by different departments and ministries. Some of these are -

(a) Prime Minister's Rojgar Yojana
(b) Entrepreneurial Development programme
(c) Management Development progammes
(d) Women‘s Development Corporations
(e) Marketing of Non-Farm Products of Rural Women
(f) Assistance to Rural Women in Non-Farm Development schemes
(g) Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development
(h) Micro & Small Enterprises Cluster Development Programmes
(i) National Banks for Agriculture and Rural

Development's Schemes
(j) Rajiv Gandhi Mahila Vikas Pariyojana
(k) Priyadarshini Project- A programme for Rural Women Empowerment and Livelihood in Mid Gangetic Plains
(i) NABARD- KfW-SEWA Bank project

Exhibitions for women, under promotional package for Micro & Small enterprises approved by CCEA under marketing support. The efforts of government and its different agencies are ably supplemented by NGOs that are playing an equally important role in facilitating women empowerment.

Suggestions for the Growth of Women Entrepreneurs - Right efforts from all areas are required in the development of women entrepreneurs and their greater participation in the entrepreneurial activities. Entrepreneurship basically implies being in control of one's life and activities and women entrepreneurs need to be given confidence, independence, and mobility to come out of their paradoxes. The following measures are suggested to empower the women to seize various opportunities and face challenges in business.

1. There should be a continuous attempt to inspire, encourage, motivate and co-operate women entrepreneurs.
2. Attempts should be there to enhance the standards of education of women in general as well making effective provisions for their training, practical experience and personality development programmes, to improvise their over-all personality standards.
3. Organize training programmes to develop professional competencies in managerial, leadership, marketing, financial, production process, profit planning, maintaining books of accounts and other skills. This will encourage women to undertake business.
4. International, National, Local trade fairs, Industrial exhibitions, seminars and conferences should be organized to help women to facilitate interaction with other women entrepreneurs.
5. Women in business should be offered soft loans & subsides for encouraging them into industrial activities. The financial institutions should provide more working capital assistance both for small scale venture and large scale ventures.
6. The weaker section could raise funds through various schemes and incentives provided by the government to develop entrepreneurs in the state.
7. Attempts by various NGO's and government organizations to spread information about policies, plans and strategies on the development of women in the field of industry, trade and commerce. Women entrepreneurs should utilize the various schemes provided by the Government.
8. Women should try to upgrade themselves in the changing times by adapting the latest technology benefits. Women must be educated and trained constantly to acquire the skills and knowledge in all the functional areas of business management. This can facilitate women to excel in decision making process and develop a good business network
9. To establish all India forums to discuss the problems, grievances, issues, and filing complaints against constraints or shortcomings towards the economic progress path of women entrepreneurs and giving suitable decisions in the favor of women entrepreneurs and taking strict stand against the policies or strategies that obstruct the path of economic development of such group of women entrepreneurs.

Thus by adopting the following aforesaid measures in letter and spirit the problems associated with women can be solved.

Conclusion - It can be said that today we are in a better position wherein women participation in the field of entrepreneurship is increasing at a considerable rate. Efforts are being taken at the economy as brought promise of equality of opportunity in all spheres to the Indian women and laws guaranteed equal rights of participation in political process and equal opportunities and rights in education and employment were enacted. But unfortunately, the government sponsored development activities have benefited only a small section of women i.e. the urban middle class women. Women sector occupies nearly 45% of the Indian population. At this juncture, effective steps are needed to provide entrepreneurial awareness, orientation and skill development programs to women. The role of Women entrepreneur in economic development is also being recognized and steps are being taken to promote women entrepreneurship.

References :-

1. Dhameja S K (2002), Women Entrepreneurs: Opportunities, Performance and Problems, Deep Publisher (P) Ltd., New Delhi.
2. Gordon E. & Natarajan K.: (2007) Entrepreneurship Development – Himalaya Publication House, Second Revised edition.
3. James Petras "Globalization : A Socialist perspective," Economic and Political weekly, Feb 20,1999.
4. http://www.impowr.org/journal/impact-globalization-women-workers-india#sthash.QgxlwMDB.dpuf
5. Kadam, R. N. (2012) : Empowerment of Women in India - An Attempt to Fill the Gender Gap. International Journal of Scientific and Research Publications, 2(6), 11-13.
6. Padma (2004): Women workers in India in the 21st century: Unemployment and underemployment,
7. Seth, M. (2004) : Women and Development- The Indian Experience. New Delhi: Sage Publication.
8. Suguna, M., (2011) : Education and Women Empowerment in India. ZENITH: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(8), 19-21.
9. Sumit Roy, "Globalisation, Structural Change, and Poverty," Economic & Political Weekly, August 16-23, 1997, p. 23.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

Demonetisation - Its Effect On Indian Economy

Dr. Deepali Behere *

Introduction - Demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as. The old unit of currency must be retired and replaced with a new currency unit.

On November 8, Indian Prime Minister Narendra Modi announced that, at the stroke of midnight, some 14 trillion rupees worth of 500- and 1,000-rupee notes – 86% of all the currency in circulation – would no longer be legal tender. With that, India's economy was plunged into chaos.

Modi's stated goal was to make good on his campaign pledge to fight black money. Modi came out with his master stroke on corruption, counterfeit currency, terrorism and black money by announcing demonetization and ceasing Rs 500 and Rs. 1000 notes as a part of legal tender in India. The Reserve Bank of India manages currency in India and derives its role in currency management on the basis of the Reserve Bank of India Act, 1934 and a new redesigned series of Rs 500 banknote, in addition to a new denomination of Rs 2000 banknote is in circulation since November 10, 2016.The new redesigned series is also expected to be introduced to the banknote denominations of Rs 1000, Rs 100 and Rs 50 in the coming months. The term demonetization is not new to the Indian economy. The highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India was the Rs 10,000 note in 1938 and again in 1954. But these notes were demonetized in January 1946 and again in January 1978, according to RBI data. Since less than 5 percent of population in India had access to such notes and most banks never had such currency notes, demonetization did not have a big impact on the country.

However, with the latest round of demonetization, the common public and bankers are undoubtedly facing hardship since more than 85 percent of currency in circulation has been rendered illegal in one single stroke. Demonetization is surely hampering the current economy and will continue to do so in the near term and will also impact India's growth for the coming two quarters but will have positive long lasting effects . There are certain pros and cons of demonetization.

.0bjective of The Study-

1. To study about the concept of demonetization.
2. To explain demonetization effects on Indian economy**.**

Research Methodology - This is descriptive research paper based on secondary data. Data have been collected through the book, magazines, journals, research paper and websites.

Effects of Indian Economy-

Equities fall, but prospects are better - Indian equity markets have been on a near secular falling trend since the government demonetized the 500 rupee and 1,000 rupee currency notes after midnight on November 8, 2016. The two benchmark equity indices—the Nifty 50 and the S&P BSE Sensex—fell on each trading day since the demonetization except for November 10 and November 22. While the Nifty 50 fell 6.3% from November 8 until November 22, the S&P BSE Sensex fell 5.9% during the same period. Due to the rise in the US dollar, the dollar equivalents of the Sensex and the Nifty fell more than 8% each. **(Graph See in the last page)**

The S&P BSE 100 Index, which is comprised of 100 stocks compared to the Sensex's 30, fell 6.6% during this period. Mid and small-cap indices have been hit much harder than broader market indices. Even after a rise on November 22, the S&P BSE Midcap and the S&P BSE Small Cap indices fell 8.2% and 10.9%, respectively, in the previously mentioned period.

Banks and ATMs - The banks and ATMs are shut only on Nov 9 which is used to distribute new currency notes throughout the country and for planning a smooth transition from old currency bills to the new ones. Imagining the size of our economy and the bills of 500 and 1000 in use (white money), a huge supply of new currency notes are required to fulfill the demand created or it can cause serious trouble because people will have less cash than required. They can of course transact online or through debit/credit card but still a huge supply is required in ATMs and banks for smooth transition from old bills to the new one.

If the government is taking only a day to roll out this transition then it means they are either very well prepared or not prepared at all. The judgement on this will be out in this week (Nov 9–13).

Now let's take a comprehensive look on how this move will affect the market and different industries -

Jewelry Sector - The jewelry sales will soar sky high today (Nov 9) and will remain high for a couple of weeks/months. It will then reach a balance or how others call it, it will correct itself and come to a regular price (higher than the current

***Asst. professor (Economics) Career College, Bhopal (M.P.) INDIA**

prices). Why?

Gold prices will shoot up on Nov 10 because it would be in high demand since people would like to buy gold from their excess black money to save it. Simply because it is easier to carry/hide a few bars of Gold than carry/hide the same amount of cash. According to current unofficial numbers (from a friend in Jewelry industry), the rate has already crossed INR 39,000 (per 10gm) for Nov 10 trading. Unless something changes today, the gold prices will soar. In fact go out to any jewelry store today and nobody would sell you gold and even if they do, the prices would be >INR 36,000.

Diamond prices are not standardized and varies based on their cut, color, clarity and carat-weight (4 C's of diamond quality) and hence their value will increase marginally (if any) as compared to gold. People can later sell those diamonds and take a 15–25% hit on the original cost and still retain rest of their money. You can deposit the excess amount in banks as well but that also means you're now accountable to the government and will also be liable to pay taxes which will be higher than 30%.

Terrorism - One of the biggest beneficiaries of black money was the terrorist groups which will now have their hands tied due to lack of white money. This will likely reduce the illegal trade of arms and ammunition which will ultimately help in curbing the menace of terrorism.

Also, the economy of Pakistan would take a hit too. Foreign tourists were caught unawares and most simply do not have the time or patience to stand in line for long hours for minor sums of money. A substantial proportion of the 25-million-strong Indian Diaspora is likely to have $100 to $300 in the high-denomination rupees as convenient small change on arrival in India. For these groups the shock therapy amounts to a minor inconvenience rather than a major hardship. But several million mildly irritated people among a country's most likely overseas goodwill ambassadors is not to be disregarded

Real Estate - Real estate is known to have excess of black money in flow. All the money that has already gone in buying assets (building material, land etc) is safe but all the black money that was planned to be used by the builders in the housing projects and otherwise is as good as a common printed paper.

A lot of people also invest heavy amounts (upwards of INR 20 lakhs) with these builders (usually without a written contract if it's black money) so they don't have to stack that money in the bank and pay taxes. Depending on how these builders handle this situation, many people would lose their hard earned savings. And rightly so because these people were evading taxes which is illegal. Also, giving your money to an investor without a written contract is a strict no-no so it is bound to affect a lot of families.

Job Market - All the companies majorly operating with black money will not have any more of it so they would utilize the white money which will increase cost and eat into their profits. This will force the companies to reduce operational cost and will result in layoffs, in almost every sector.

The worst affected would be lower middle class people in blue collar jobs in private sectors (tailors, welders, workmen etc). The rise of unemployment (at least initially) can't be ignored and will result in increased crime rates and a slight social imbalance (worst case scenario). This would also depend on how government handles the situation of unemployment.

Because of unemployment the competition for the limited jobs will increase. This means no laid back attitude and job security in private sector. If you perform, you stay, if you don't, you're out.

Private Educational Institutions - Similar to real estate and other sectors, private educational institutions (primarily engineering and medical colleges) will now have no support of black money and will have to manage their expenses from the legal earnings. This would again result in some adverse effects which will directly impact the quality of education being imparted to the students.

If you know about the state of Indian private colleges, you'd know that students would have to face more issues with college cutting corners and degradation of the quality of teaching staff (less money in college means less money to hire good teaching staff and the staff is already quite terrible).

Since many companies big and small alike would stop hiring, the placements in college will suffer these coming seasons. The rise in competition would be massive.

Fishing industry - Which depends on cash sales of freshly caught fish, is wrecked? Traders are losing perishable stocks. Farmers have been unloading produce below cost, because no one has the money to purchase it, and the winter crop could not be sown in time, because no one had cash for seeds.

Foreign Companies Operating in India - They have much to gain from this. They would likely have no black money in India so they will get ahead in the competition (assuming all Indian companies have some amount of black money that will impact them negatively), at least till the time Indian companies readjust and get back in the race.

Also, since unemployment is likely to rise, the salaries will come down a bit. This means a larger pool of skilled people will be available for cheaper rates. This will tip the scale in foreign companies' favor.

Drugs - Drug trade will reduce because the black money in drug trade will be rendered useless and will disrupt the supply of drugs to different parts of the country (not enough money to hire transporters and other operational costs of the industry).

All the mary-jane devotees, you'll soon have no source to get it and even if you do, the prices would be much higher.

Luxury Products - In India a lot of people use to buy luxurious products from the fanciest brands with the black money. Since that will be gone, the sales of luxury stores will take a hit and if it gets worse, some international brands might leave India because they won't be able to break even

their operational cost.

Conclusion - There are many more sectors which will be impacted by this rule in one way or the other. I personally feel it will have quite grave consequences initially but over the long term, this would be one of the finest moves in India's growth history and will be taught to future economic students as a case study.

If you look at it, this rule is in accordance with the Darwanian principle of 'survival of the fittest' because now that black money is gone, the playing field has been leveled; the unfair advantage has been eliminated. In this situation whoever adapts and performs better would attain the vast glories of this world and others, not so much.

References :-

1. India todanov 2016
2. Pratiyogita darpan
3. Money and banking.—RAMESH BOOK DEEPO JUIPUR
4. www. Forbes .com.
5. www.indianeconomy.net
6. https./www.quora.com
7. marketrealist.com/2016/11/can
8. www./ india-demonetization.

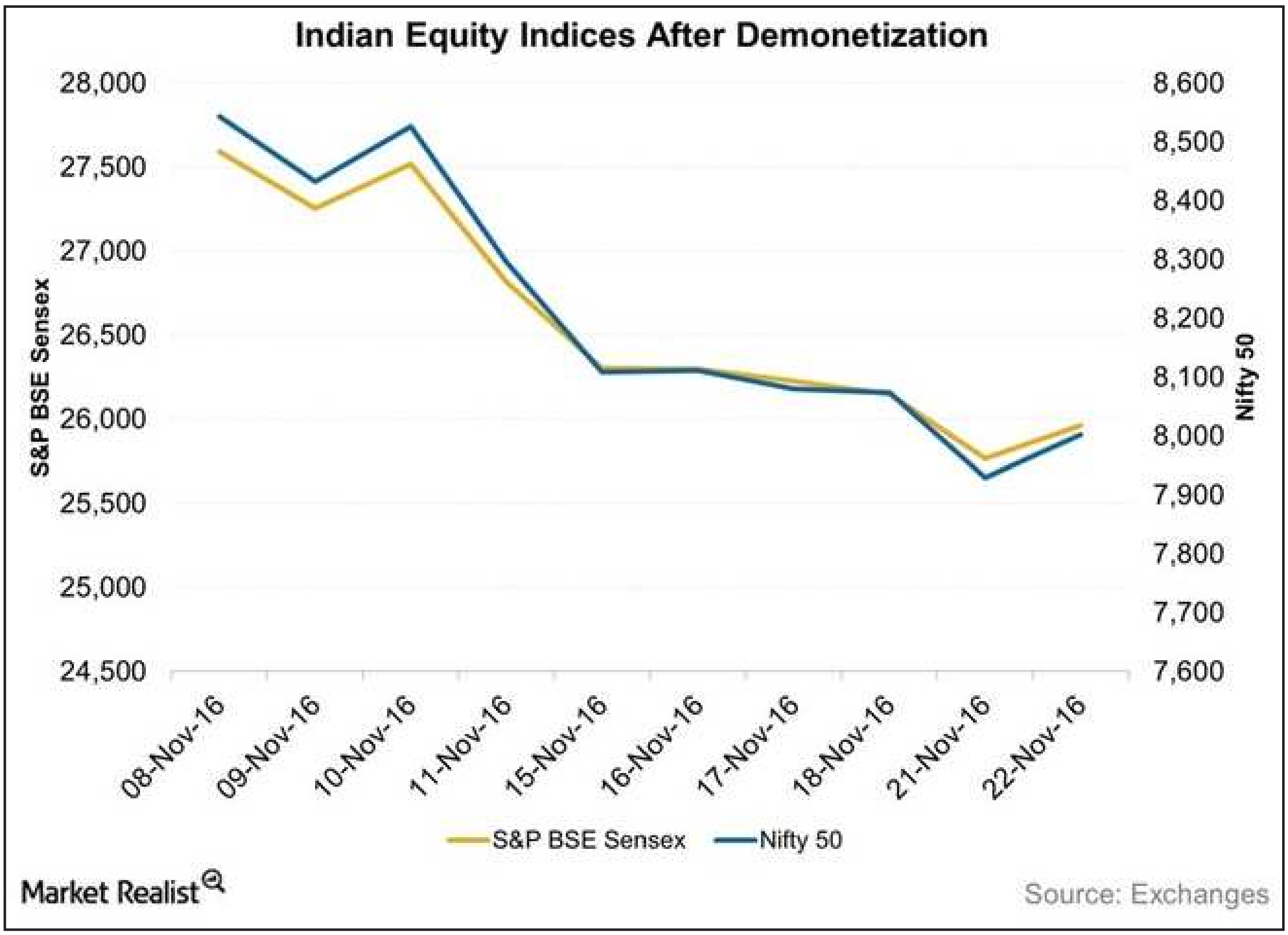

****

लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास तथ्यपरक विश्लेषण

डॉ. कविता भदौरिया *

शोध सारांश – महिला व पुरूष समाजरूपी के दो महत्वपूर्ण पहिये है। इनकी समान भागीदारी से ही देश, समाज व परिवार पल्लवित एवं फलता, फूलता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में जितनी अहम भूमिका पुरूषों की होती है, उतनी ही अहम भूमिका महिलाओं की भी है। क्योंकि आर्थिक विकास एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास से तात्पर्य सकल घरेलु उत्पाद प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि मात्र नहीं है, वरन् इसका संबंध अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं एवं उनके परिवर्तनों से भी होता है। आर्थिक विकास का तात्पर्य अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। अत: आर्थिक विकास का तात्पर्य अर्थव्यवस्था को उच्चतर स्तर की ओर ले जाने से है।

आर्थिक विकास के अनेक घटक हैं जैसे प्राकृतिक साधन, पूँजी निर्माण, तकनीकि, शिक्षा शोध एवं विकास, साहस एवं नव-प्रवर्तन, जनसंख्या अर्थात मानव-संसाधन।

आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण घटक है। मानव संसाधन का विकास करके ही दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर देश का चहुँमुखी विकास कर सकता है। मानव संसाधन विकास से तात्पर्य महिलाओं व पुरूषों की शिक्षा, ज्ञान, कौशल, पोषण, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे बुनियादी तत्वों से होता है। इन तत्वों से होता है। इन तत्वों के विकास से आर्थिक विकास को बल मिलता है तथा राष्ट्र का सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक विकास संभव होता है।

आर्थर लिविस के अनुसार – 'विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों एवं पूँजी का उपयोग जनशक्ति के द्वारा ही किया जाता है किंतु आर्थिक विकास केवल जनसंख्या के आकार पर ही निर्भर नहीं होता बल्कि उसकी कुशलता पर निर्भर करता है ।'

प्रस्तुत 'शोध पत्र में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास का तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत जैसे विकासशील देश में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक पर्यावरण के क्षेत्र में लैंगिक असमानता व्याप्त है। जिसका प्रभाव आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर देखने को मिलता है। अत: देश में लैंगिक समानता स्थापित कर महिला सशक्तिकरण एवं देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है।

शब्द कुंजी – आर्थिक विकास, लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार , राजनीतिक भागीदारी, निर्णय क्षमता आदि।

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध-पत्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण का देश के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र निम्न उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है।

1. शिक्षा में लैंगिक समानता एवं आर्थिक विकास।
2. रोजगार में लैंगिक समानता एवं आर्थिक विकास।
3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैंगिक समानता एवं आर्थिक विकास।

आर्थिक विकास के संदर्भ में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण का विषय भारत सहित पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुरूष एवं महिलाओं में असमानता एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव एक सार्वभौमिक घटना है। भारत में यद्यपि प्राचीन समय में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान दिया गया था किंतु सभी क्षेत्रों में सहभागिता का अधिकार नहीं दिया गया था। अत: आवश्यकता है दुनिया की आधी आबादी को शिक्षित व जागरूक कर आर्थिक विकास करने की, क्योंकि सशक्त महिलाए ही आर्थिक-विकास का प्रमुख आधार होती है। देश में स्त्री पुरूष असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं में शिक्षा का अभाव या कमी है। समाज, परिवार एवं भेदभाव पूर्ण नीति इसके लिए जिम्मेदार है।

1. शिक्षा में लैंगिक समानता एवं आर्थिक विकास – शिक्षा में लैंगिक समानता और बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता को प्रोत्साहन दिए जाने पर तीन अंतर्सबंधित मुद्दों : शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति की सर्वागिणता एवं प्रक्रिया का प्रभाव होता है।

भारत प्रचुर विविधता वाली भूमि और अत्यधिक विषमता वाला देश है। अत: सामाजिक-आर्थिक असमानताओं एवं लैंगिक असमानता का एक जटिल जाल है। जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की क्षमता को या तो बढ़ाता है या उसमें बाधा उत्पन्न करता है। अत: शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता एक बड़ी चुनौती है। इसके प्रमुख कारण है –

1. नामांकन, उपस्थिति एवं शिक्षा पूर्ण करने के मामले में शहरों एवं गांवों का अंतर पुरूष एवं महिला अंतर से अधिक है।
2. अत्यंत गरीब परिवारों एवं उच्चतम तबके बीच विषमता लैंगिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय अंतरों की अपेक्षा बहुत अधिक है।
3. सामाजिक समूहों विशेषकर जन-जातीय समुदायों, मुसलमानों एवं अनुसूचित जातियों के विशेष उप-समूहों, ईसाईयों एवं अन्य धर्मो के बीच बहुत अंतर है। धर्म संबंधी आंकड़ों के आधार पर देखे तो विभिन्न धर्मो में महिला-साक्षरता की स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका क्रं. 1**(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका के अनुसार सभी धर्मो में महिला-साक्षरता, पुरूष-साक्षरता दर से नीची है, देश के प्रमुख धर्मो, हिन्दु-मुस्लिम, सिख, ईसाई में महिलाए सबसे कम साक्षर है, जैन महिलाए सर्वाधिक साक्षर है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जबकि पुरूष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है, विश्व में 12.3 करोड़ युवा पढ़ने और लिखने की बुनियादी क्षमता से वंचित है, जिनमें 61

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रतिशत लड़कियों का है। आज भी हमारे देश में ज्यादातर ग्रामीण लड़कियों के लिए स्कूल जाना एक सपना है। महिलाए यदि शत-प्रतिशत शिक्षित हो तो न केवल बाल-विवाह जैसी कुरूति को रोका जा सकता है, बल्कि निमोनिया, हैजा, कुपोषण, बाल मृत्यु-दर, मातृत्व मृत्यु-दर में भी कमी लाई जा सकती है, शिक्षा महिला को सामर्थ्यवान बनाकर अन्याय, अंधविश्वास, कुरूतियों व कुप्रथाओं के विरूद्ध लड़ने की ऊर्जा देती है, उसकी सोच के दायरे का विकास होता है, उसमें निर्णय क्षमता का विकास होता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर ही घरेलु हिंसा, कन्या भ्रुण हत्या, यौन हिंसा आदि समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। सार्वभौम तथ्य यह है कि शिक्षा स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिये महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा व विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है। स्त्रियों को शिक्षा व अधिकार दिए बिना कोई समाज खुशहाल नहीं हो सकता। व्यक्ति, परिवार, समुदाय व राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विकास में स्त्रियों की शिक्षा व साक्षरता का महत्व निर्विवाद स्वीकार किया गया है।

तालिका क्र. 2

भारत में 1901 से 2011 तक साक्षरता वृद्धि के आँकड़ों में महिलाएँ

वर्ष	कुल वृद्धि	पुरूष	स्त्री	वृद्धि में अंतर
1901	5.35	9.83	0.60	9.23
1911	5.92	10.56	1.05	9.57
1921	7.16	12.21	1.81	10.40
1931	9.50	15.59	2.39	12.60
1941	16.10	24.90	7.30	17.60
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.56	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.8	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	84.14	65.46	16.68

स्त्रोत - भारत जनगणना 2011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारी प्रयासों के द्वारा महिला शिक्षा में निरंतर वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना में जहां साक्षरता की दर 74.04 दर्शायी गई है। वहां स्त्री साक्षरता की दर में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्त्री-साक्षरता की दृष्टि से निम्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की स्त्री-साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से उच्च है। केरल, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचाल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गुजरात, चंडीगण, असम, मेघालय, दमन एवं दीव इत्यादि।

महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण बिंदु लिंगानुपात की दृष्टि एवं साक्षरता की दृष्टि से देखे तो भारत देश में 'केरल' सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणनानुसार केरल में पुरूष साक्षरता की दर 96.1 प्रतिशत व महिला साक्षरता की दर 92.1 प्रतिशत है। महिला-साक्षरता का प्रभाव बच्चों की जन्म-दर पर भी देखने को मिलता। पढ़ी-लिखी महिलाएं अधिक बच्चों के जन्म व उनके लालन-पालन में नहीं फंसना चाहिए, जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोकने में भी मदद मिलती है। साथ ही शिक्षा बालक व बालिका के जन्म के भेदभाव को समाप्त करती है। यही कारण है कि केरल में लिंगानुपात की स्थिति भी 2011 की जनगणनानुसार 1084 है।

2. रोजगार एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैंगिक समानता एवं आर्थिक विकास - रोजगार - रोजगार की दृष्टि से लैंगिक असमानता को समाप्त कर दिया जाए एवं महिलाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करें तो 12 लाख करोड़ डॉलर वार्षिक की अतिरिक्त भागीदारी हर देश अपने क्षेत्र के विकास में कर सकता है। यह रकम, जापान, जर्मनी, और ब्रिटेन की संयुक्त जीडीपी के बराबर व यदि पूरे विश्व में पूर्णरूप से महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो जाए, तो वैश्विक जीडीपी में 28 लाख करोड़ डॉलर की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान में 75 प्रतिशत महिलाए विश्व में लैंगिक असमानता की शिकार है। वैश्विक जीडीपी में 37 प्रतिशत महिलाएं विश्व-भर में बिना वेतन के कार्य करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महज 17 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता को दूर कर दिया जाए तो सामान्य परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था 2025 तक 16 प्रतिशत बढ़ सकती है और यह वृद्धि 70 हजार करोड़ डॉलर के बराबर होगी। जिसका लाभ सम्पूर्ण विश्व की महिलाओं को मिलेगा।

शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य के उद्देश्यों के आधार पर विश्लेषण करने पर पाया गया है कि पुरूष एवं महिलाओं में असमानता का मुद्दा विश्वव्यापी है। आर्थिक विकास मानव-संसाधन विकास पर निर्भर है। विकास को मापने हेतु मानव-संसाधन सूचकांक तैयार किया गया है। वर्ष 1995 की मानव-विकास रिपोर्ट में मानव-विकास सूचकांक के साथ दो अतिरिक्त सूचकांक जोड़े गए है।

1. लैंगिक समानता विकास सूचकांक।
2. महिला- सशक्तिकरण माप।

लैंगिक समानता सूचकांक प्रमुख महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण की स्थिति के आधार पर बनाया गया है।

वर्ष 2012 के मानव विकास रिपोर्ट में 'लैंगिक असमानता सूचकांक' में नये सूचकांक की गणना की गई है इसमें निम्न महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है।

1. महिलाओं का पुनर्उत्पादनीय स्वास्थ्य।
2. आर्थिक भागीदारी।
3. संसाधनों पर अधिकार।
4. राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी।
5. श्रम-बाजार में भागीदारी।

महिला सशक्तिकरण (संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत तथा माध्यमिक शिक्षा में दोनों लिंगो की सहभागिता पर आधारित) एवं आर्थिक गतिविधियों (श्रम शक्ति में पुरूषों व महिलाओं के अनुपात पर आधारित) आदि का समावेश किया जाता है। इस सूचकांक के आधार पर भारत की स्थिति कोई अच्छी इनमें नहीं बताई गई है।155 देशों के लिए आकलित इस सूचकांक के आधार पर भारत को 155 देशों में 130 वाँ स्थान दिया गया है, जबकि पड़ोसी देशों में बांग्लादेश का 111 वाँ व पाकिस्तान का 121 वाँ स्थान इसमें है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में संसद की 12.2 प्रतिशत सीटों पर ही महिलाएँ काबिज हैं, जबकि बांग्लादेश व पाकिस्तान में यह अनुपात क्रमश: 20 प्रतिशत व 19.7 प्रतिशत है। वयस्क महिलाओं में 27 प्रतिशत महिलाएं ही सेकण्डरी स्तर या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है। पाकिस्तान में यह अनुपात 19.3 प्रतिशत व बांग्लादेश में यह 34 प्रतिशत है। मातृत्व मृत्यु दर के मामले में भी भारत की स्थिति इन पड़ोसी देशों की तुलना में खराब इस रिपोर्ट में बताई गई है। (रिपोर्ट के अनुसार प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर एमएमआर भारत में जहाँ 190 है, वहीं बांग्लादेश व

पाकिस्तान में यह 170 ही है।)

मानव विकास रिपोर्ट के मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एक ही परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रहन–सहन के स्तर के वंचन का आकलन किया जाता है। वर्ष 2015 की मानव विकास रिपोर्ट में 2005–06 में भारत की 55.3 प्रतिशत जनसंख्या को 'मल्टी डाइमेंशनली पुअर' बताया गया है।

लैगिंक समानता एवं आर्थिक विकास – 'पंडित जावाहरलाल नेहरू के अनुसार समाज को जाग्रत करने हेतु आवश्यक है, महिलाओं को जाग्रत किया जावे। यदि महिला आगे वढ़ती है,तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है तथा राष्ट्र आगे बढ़ता है।'

लैगिंक समानता राष्ट्र के आर्थिक विकास में निम्नलिखित रूप में सहायक है –

1. आर्थिक लाभ।
2. निर्धनता में कमी।
3. कार्यकुशलता में वृद्धि।
4. राष्ट्रीय विकास।
5. भ्रष्टाचार में कमी।
6. समाज का समग्र विकास।
7. घरेलू हिंसा में कमी।
8. अन्य प्रभाव।

लैगिंक समानता के उपाय ––

1. लैगिंक हिंसा पर रोक।
2. शिशु लिंग अनुपात में सुधार।
3. शिक्षा एवं कौशल विकास।
4. भूमि अधिकार।
5. सूक्ष्म साख।
6. उत्तरदायित्व एवं सहभागिता।
7. सरकारी नियमों व कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन।

उपरोक्त उपायों को अपनाकर लैंगिक समानता लाकर देश का आर्थिक विकास तेजी किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. यूनीफाइड अर्थशास्त्र पंचम सेमेस्टर, डॉ. अनुपन गोयल, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, खजूरी बाजार इन्दौर।
2. प्रतियोगिता दर्पण, समसायिकी वार्षिकी, 2016 Volume– 1 4845 अंसारी रोड़ दरियागंज नई दिल्ली 110002

तालिका क्रं. 1
जनगणना 2011 में भारत में विभिन्न धर्मो में साक्षरता

धर्म	**कुल जनसंख्या**	**पुरूष जनसंख्या**	**महिला जनसंख्या**	**साक्षरत दर में लैंगिक अंतराल**
हिन्दू	73	82	64	17
मुस्लिम	69	75	62	13
ईसाई	85	88	81	6
सिख	75	80	70	10
बौद्ध	81	88	74	14
जैन	95	97	93	04
अन्य धर्मावलंबी जिन्होंने धर्म का	60	71	49	22
उल्लेख नहीं किया	75	82	67	15
अखिल भारत	73	81	65	16

****

भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृष्य - एक अध्ययन

डॉ. लक्ष्मी वास्केल *

प्रस्तावना - शिक्षा आर्थिक विकास की कुंजी एवं समाज की आत्मा है। शिक्षा के वैश्वीकरण, उदारीकरण, व्यावसायीकरण और आधुनिकीकरण ने इस क्षेत्र को व्यापक और सम्भावनाओं से भरपूर बना दिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार 'मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा पर किया गया विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक सार्थक विनियोग माना जाता है। साक्षर व्यक्ति देश की प्रगति के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा एवं प्रजातंत्र की सफलता भी साक्षरता पर निर्भर है। इसी तरह उच्च शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक विकास तथा सभ्य सुसंस्कृत समाज की स्थापना का आधारभूत बिंदू होती है। भारत उच्च शिक्षा व्यवस्था तंत्र विस्तार की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान पर है। भारत देश में वर्ष 2012-13 लगभग 659 विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष उच्च संस्थान है। इसी अवधि में लगभग 33033 महाविद्यालय हैं, विडम्बना यह है आवश्यक धनाभाव ने उच्च शिक्षा को निजीकरण के हाथों की कठपुतली बता दिया है। इसके पीछे सरकार का ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रीत होना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसे एक मजबूत आधार प्रदान किया। उच्च शिक्षा का संबंध जीवन के गुणात्मक मूल्यों के विस्तार से है, जिससे सभ्यता के विकास क्रम में अर्जित मानवता के दीर्घकालिन अनुभवों को आत्मलब्धि की दिशा में समाजीकरण के साथ अग्रसारित किया जा सके। ऐसे अनुभवों के समुच्चय ही कालान्तर में मूल्य बनते है जिन्हें अपनाने की परम्परा ही संक्षेप में संस्कृति कहलाती है।

विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों की संरचना इसलिए की जाती है, कि इस परिसर में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान की प्रक्रिया तीनों मिलकर एक हो जाए। देश में अनेक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय मानदंड स्थापित किए है, क्योंकि उच्च चिन्तन के बिना भारतीय परम्पराओं और मूल्यों के अनुरूप संस्थाओं को आकार देना संभव नहीं है। ज्ञान विज्ञान की नितनयी शाखा प्रशाखाओं के आभार में तिथि बाह्य पाठ्यक्रमों का पुनर्निमाण करने तथा उसे विद्यार्थियों के भावी जीवन से जोड़ने के लिए विगत वर्षों में अनेक प्रयत्न किए गए है। किंतु यह अपर्याप्त है। उल्लेखनीय है, कि देश में हर साल बड़ी संख्या में विकास योजनाएँ बनती है और उन पर भारी धनराशि भी खर्च की जाती है। इन योजनाओं को अमली जामा किस हद तक पहनाया गया। इसके लिए कोई खास पैमाना नही है। और जो निर्धारित भी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। गौरतलब है कि 24 अप्रैल, 2000 को प्रस्तुत अम्बानी - बिड़ला रिपोर्ट 'ए पॉलिसी फ्रेम वर्क और रिफार्म्स इन एजुकेशन' में प्रदत्त ऑकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2015 तक उच्च शिक्षा पर आने वाला व्यय 42000 करोड़ रू. वार्षिक हो जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों के निर्माण पर आने वाला खर्च 15 वर्षो में 11000 करोड़ रूपये हो जायेगा। सरकार द्वारा इतना व्यय करना संभव नहीं लगा। अत: शिक्षा में सरकारी निवेश 40.0 प्रतिशत तक सीमित रखा गया तथा शेष 60.0 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा परन्तु इससे शिक्षा केवल धनी वर्गो तक ही सिमट कर रह गई। उच्च शिक्षा के निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर चारों और विकास ही विकास दिखाई दे रहा है और विकास भी दुर्भाग्यवश एकांगी जिसमें केवल धनाढ्य वर्ग ही फलीभूत हो रहा है। इसके मूल में राज्य व केन्द्रीय सरकारों का मूलत: समाशोधन लचीलापन और स्वायत्ता प्रदान करना रहा है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के निजीकरण का आसमान को छू रहा है। वर्ष 2012-13 में वित्त मंत्री ने सर्वशिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी कौशल विकास पर जोर दिया। उच्च शिक्षा और अनुसंधान आदि क्षेत्रों को भी वित्त मंत्री ने संज्ञान में लिया है, जिसमें कृषि अनुसंधानों तकनीकी शिक्षा आदि हेतु 64679 करोड़ रू. आवंटित किए गए है। उच्च शिक्षा का संबंध सीधा कॉलेज और विश्वविद्यालयों प्रांगणों एवं अन्य आकस्मिक संस्थाओं में शिक्षा के क्षेत्र में होने गवेशणाओं और नवाचारों, आकस्मिक गतिविधियों, पठन - पाठन, शोध आदि कार्यो से है। वित्तमंत्री ने वर्तमान बजट वर्ष 2012-13 में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास और संवर्द्धन के लिए 15000 करोड़ रू. निर्धारित किये है। वर्ष 2012-13 के वित्तीय वर्ष में राशि आबंटन में उच्च शिक्षा के नाम पर जिन संस्थाओं का समावेश है, इससे एक तथ्य साबित होता है कि सरकार की नजर में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की श्रेणी में अधिकतर कृषि संस्थान ही है। सारे समाज को गहराई से संस्कारित करने में उच्च शिक्षा की महान भूमिका है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए उच्च शिक्षा के सभी आयामों पर ध्यान देना जरूरी है। बढ़ती तकनीकी निर्भरता के समय में विद्यार्थियों को मूल्य परक रोजगारों को शिक्षा देना समय की मांग है। वैश्विक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अधोसंरचनात्मक ढांचे में बदलाव की महती आवश्यकता है।

उद्देश्य- उक्त शोध पत्र निम्नांकित उद्देश्यों पर आधारित है-

1. देश में शासनार्थ योजनाओं की क्रियान्विति और आवश्यक वैश्विक मानकों पर उच्च शिक्षा में जो प्रयोग चल रहे है। उनका अल्पांश भी हमारी मानसिकता को गतिमान करने के लिये पर्याप्त रहे पर प्रकाश डालना।
2. आवश्यक कर्तव्यों की ओर अभिनिविष्ट करने के साथ- साथ दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिये भी उत्प्रेरक का काम करने हेतु प्रेरित करना।
3. सामान्य जन तक उच्च शिक्षा के मूल्य प्रसारशील हो सके। इस हेतु तथ्यात्मक सुझाव व निष्कर्ष प्रदान करना।

शोध प्रविधि- शोध पत्र द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त समंकों पर आधारित है। जिसका संकलन विषय से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आलेख जर्नल्स एवं विभिन्न शासकीय व अशासकीय विभाग आदि से किया गया है।

तालिका क्रमांक -01 - देश में शिक्षा पर व्यय का विवरण

वर्ष	शिक्षा पर व्यय	कुल व्यय (प्रतिशत में)
2010-11	2,44,156	11.4
2011-12	2,77,0563	11.4
2012-13	3,34,480	11.8
2013-14	3,75,427	11.7

Source - Economic Survey : 2013-14 page 232

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

तालिका में देश में शिक्षा पर किया कुल व्यय वर्ष 2010-11 में 2,44,156 करोड़ रूपए जो कुल व्यय का 11.4 प्रतिशत था जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 3,75,427 करोड़ रूपए हो गया कुल व्यय का प्रतिशत 11.7 वृद्धि के साथ दर्ज किया गया। चार वर्षीय अवधि में 131271 करोड़ रूपए की आंशिक वृद्धि असंतोषजनक रही। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विशाल निवेश विशेषत: अभियान्त्रिकी तकनीकी, कृषि, चिकित्सा एवं प्रबन्धन के क्षेत्रों में इन संस्थानों के अधिकांश के स्नातक अपने लिए विदेशों में कार्य ढूंढते है। इस तरह देश में उनके शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय किए गए दुर्लभ संसाधन बेकार चले जाते है। हमारी शिक्षा नीति अमेरिका व पश्चिमी देशों की तरह होनी चाहिये जहां विद्यार्थी हाईस्कूल स्तर तक पढ़ाई कर अध्ययन समाप्त कर देते है तथा स्वरोजगार आरम्भ कर देते है। उनका अध्ययन, प्रशिक्षण विस्तृत आधार व अत्यधिक प्रायौगिक और सन्दर्भ के साथ सरोकार रखने वाला होता है। अत: हमारी शिक्षा पद्धति को कम पूंजी आधारित एवं अपनी आवश्यकताओं के ज्यादा अनुरूप बनाना चाहिये।

तालिका क्रमांक-02

भारत की उच्च शिक्षण संस्थाएं

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या	योग
1950-51	20	496	516
1960-61	28	578	606
1970-71	45	1819	1864
1980-81	93	3227	3320
1990-91	123	4738	4861
2000-01	184	5748	5932
2004-05	266	17625	11412
2005-06	348	18064	17973
2006-07	355	19000	18419
2007-08	367	20677	19367
2008-09	416	22000	21093
2009-10	480	25951	22480
2010-11	504	31324	26455
2011-12	544	33033	31868
2012-13	659	-	33692

Source - Economic Survey: 2013-14 page 232

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1950-51 में विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 20 थी इसी अवधि में महाविद्यालयों की संख्या 496 व कुल योग 516 मात्र रहा। परन्तु वर्ष 2012-13 में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 659 व महाविद्यालयों की संख्या 33033 व कुल 33692 हो गया। तालिका के समग्र विश्लेषण से यह तथ्य साबित होता है, कि देश में उपरोक्त अवधि में उत्तरोत्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। समय के साथ शैक्षणिक विकास भारत के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिये हमें ऐसे संस्थान चाहिए, जो कृषि एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों, अभियान्त्रिकों, चिकित्सकों एवं ग्रामीण प्रबन्धकों को जमीनी प्रशिक्षण प्रदान करे बजाय इसके कि ऐसे संस्थान जो उच्च परिष्कृत प्रशिक्षण प्रदान करे वर्तमान शिक्षा नीति में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह पुरानी पड़ गई है और बदले हुए वातावरण में अप्रासंगिक भी हो गई है। आज व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की महती आवश्यकता भी है।

सुझाव-

1. **कौशल विकास** के पहलू को उच्चतर शैक्षणिक ढाँचे में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
2. उच्च शिक्षा के निजीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन तैयार करने के लिये अंग्रेजी भाषा को पहली कक्षा से ही प्राथमिकता दी जाए।
3. विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के न्यूनतम मानक स्तरों को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु नियमित जाँच करते रहना चाहिए।
4. प्रत्येक आयु वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के अनुपात को वर्तमान में 10.0 प्रतिशत से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 15.0 प्रतिशत करना।
5. उच्च शिक्षा के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना।
6. उच्च शिक्षा के विवेकपूर्ण वृहद् प्रबंधन ढाँचे में गुणात्मक सुधार हेतु विविध नीतियों को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष- प्रस्तावित शोध पत्र अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि जिस गति से संसाधनों की संख्या बढ़ रही है उसके अनुरूप मानव संसाधनों की कुशलता, योग्यता और गुणवत्ता में वांछित तालमेल नहीं होने से समस्याएँ भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा में दो प्रमुख स्थितियाँ दृष्टिगोचर होती है एक तो विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा शोध आदि में छात्रों की घटती रूचि संख्या एवं अध्ययन अध्यापन की दयनीय स्थिति और निजी विश्वविद्यालयों की तेजी से फैलती बैले। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शिक्षा के वृहत्तर उद्देश्य धूमिल हो गए व तकनीकी प्रौद्योगिकी होटल मेंनेजमेंट का बोल बाला हो गया। सारे मानविकी विषय हाशिये पर डाल दिये गये है। उच्च शिक्षा विकास के नियोजक इन चुनौतियों को लेकर पर्याप्त गंभीर और संवेदनशील है। निजीकरण और वैश्वीकरण भारत को एक ज्ञान समाज बनाने में जरूर सफल होंगे। इस तरह से वैश्विक समाज में भारत उच्च शिक्षा का एक आकर्षक गंतव्य स्थल बन सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्यागी गुरूसरन दास : भारतीय शिक्षा का परिदृश्य विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 2005
2. योजना-अगस्त , 2012
3. योजना-अप्रेल , 2012
4. कटारसिंह- ग्रामीण विकास: सिध्दान्त, नीतियां एवं प्रबन्ध रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
5. UGC Annual report 2010-11 ministry of human resource development {HRD}5. Selected educational statistics 2006- 07 statistics of Higher Technical Education [2009-10]

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

Environment Issues And Gandhian Thought

Dr. Abha Saini *

Introduction - The protection of environment is integral to human development. Good environment is also essential to ensure basic human rights, even the right to life. No human right can be secured in a degraded environment. Misuse of our natural resources, a key environmental issue, has direct impact on fundamental human rights such as right to food, right to water, right to air and right to life itself. The environment is a pre-requisite for the enjoyment of human development. Now-a-days environment has been degraded due to many reasons. It's mainly effects is climate change which is a main constraint in the path of the development. Gandhiji was a down to earth person. The best part of Gandhi's ideas was that they empower the individual and to simplify his or her life; to share his or her resources to maintain the sustainable development.

Objective of the Paper-The objective of the present paper is to make awareness about the relevance of Gandhian thought about environment in contemporary world. The paper deals the problem as well as the solution.

Review of Literature- During the last two- three decades, many experts have drawn attention to the close links between environment and development. In their study The limits to growth, D.H. Meadows, D.L. Meadows and R. Rander (1972) have drawn attention to the fact that there are a number of non- renewable resources whose present levels of consumption are such that the known reserves will be exhausted in not so distant future. Many later studies have also highlighted the danger of climate change. Many studies discuss environment issues in context of gandhiji.In Mahatma Gandhi and the environment ,T.N.Khoshoo and J.S. Moolakattu presents Mahatma Gandhi's views on sustainable use of resources and minimal damage to the environment.

Environment issues and Gandhian thought- Environment that is necessary for the development of a human as a 'human being' whether it is men or women, old or young, child or young age person but in the contemporary scenario, it is becoming apparent that change in the environment will have implications for the enjoyment of human rights. The United Nations Human Rights Council recognized this in its resolution 7/23"Human rights and climate change" (28 March 2008), expressing concern that climate change "poses an immediate and far-reaching threat to people and communities around the world".

Because of the **greenhouse gas emissions**, global climate system is warming. As HDR2011 says, Green house gas emission in the world was 1.7 tones of carbon dioxide equivalent in high and medium human development countries and it was simultaneously 2.9 and 1.2 tones in 2005.The scientists expect heat trapping resulting in global warming. This could, in turn, result in drier soils in mid continental areas and substantial rise in sea levels. **Global warming** will affect, and already is affecting, the basic elements of life for millions of people around the world. **Deforestation, poor air quality, Water pollution, nuclear disaster** affects directly the right to human life. **Poverty, Population growth** are social cause of this problem.

Actually, Development strives to provide maximum comfort and a plethora of conveniences to man. This led to a passive, affluent lifestyle with no regard for physical labor, giving birth to newer diseases, illnesses and disorders. The western approach of development is significantly related the idea of materialistic, consumerism and exploitation of nature for human benefit. But Gandhi's life begin with this message," Be natural". His personal lifestyle was the most sustainable one simple, austere, clean, need-based, adequate worldly possessions, and reasonably comfortable. He believes in physical labour according to its own needs.

Gandhiji was a century ahead in his thinking and forecasting. Gandhiji absorbed from his Indian background the idea of the unity of all things in the universe and this can lead naturally to a respect for all human beings. Gandhiji had put into practice a life based on simplicity. His experiments with living with nature were manifested in the Phoenix Ashram, Tolstoy farm ventures in South Africa and Sabarmati ashram in India. He believed in yoga and naturopathy for cure the diseases. Indeed, Gandhiji's thoughts on environment are more relevant today, than they were ever before.

Mahatma Gandhi never used the word environment protection however what he said and did makes him an environmentalist. Although during his time environmental problems were not recognized as such however with his amazing foresight and insight he predicted that things are moving in the wrong direction. As early as in 1909 in his

*Asst.Professor (Political Science) J.K.P. P.G. College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

book 'Hind Swaraj' he cautioned mankind against materialistic .He want to every individual to limited his needs and conserve their natural resources for further human generations and to care for his and her surroundings. So he was in favour of sustainable development. The term sustainable development was not much discussed at Gandhi's time, but his ideal vision of the world known as Sarvodaya safeguard the rights of future generations; through the welfare of all.As a believer of Truth, Non-Violence and Satyagarh he illustrated the example of self purification. Village swaraj of gandhiji has been considered as a main part of his environmental philosophy. He envisioned that every individual should use the charkha and to employ by small scale industries. He was a great believer of swadesi and by production of masses.

Conclusion - The fundamental moral and legal obligations to protect and promote full enjoyment of the human life enshrined to build a green economy to lift people out of poverty without destroying the environment.The future generations should be afforded at least same capacity for human well being as the present generation therefore we should change in our consumption pattern and our lifestyle.It is not only belonged to a nation or organization and it is individual's responsibility to address the problem of environmental degradation at ground level.Gandhiji said "**Be the change you want to see in the world**".

References :-

1. Khoshoo T.N.and Moolakattu J.S.(2009):Mahatma Gandhi and the environment";TERI Press,New Delhi.
2. Mathur J.S.And Sharma P.C.(1975):Facets of Gandhian thought";Navajivan Publishing House.
3. Prasad Chandra Dev(2014):Gandhi Darshan";Atlantic Publishers &Distributors Pvt. Ltd.,New Delhi.
4. PearceDavid,BarbierEdwardand Markandya Anil (2001):Sustainable Development: Ecology and Economic Progress;Oxford University Press, New York.
5. UNDP, Human Development Report 2011
6. http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HR Climate ChangeIndex.aspx1

****

MNREGA - Benificial For Rural Society ?

Laxman Singh Rawat *

Abstract - Lack of adequate employment opportunities generally induces migration from rural to urban areas. In India, internal migration has been accorded very low priority by the government.Therefore, it was imperative that the State had to take a strong policy initiative to restore the balance. This was why the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS, later named after Mahatma Gandhi to be called as MGNREGS) was initiated by the government of India during 2006 .

Introduction - Labor is the key factor for the growth of any economy and is of particular importance in developing economies as these economies primarily depend on human force for development. Therefore, the growth by way of gainful employment of the labor is essential for the sustainable development. India is no exception to this phenomenon. The annual growth of labor force at 2.5 per cent has outpaced that of employment at 2.3 per cent in India. This, coupled with the backlog of unemployed, is a major cause of concern for the planners. The unemployment rate in the country increased from 8.35 to 9.22 per cent during 1973 to 1983; later decreased to 6.06 by 1993 and again increased to 8.28 per cent in 2005 (Planning Commission, 2011). There was increase in the unemployment rate at the country level especially among female youth during the period 1999-2000 to 2004-2005.

Lack of adequate employment opportunities generally induces migration from rural to urban areas. In India, internal migration has been accorded very low priority by the government, partly due to a serious information gap on its extent, nature and magnitude. Rural to urban migration to a certain extent has eased the unemployment stress in rural areas while benefiting the urban areas in sectors like construction and industrialization. However, seasonal unemployment, under-employment and resultant poor income levels in the rural areas remain a cause of concern.

Unemployment, especially among the landless and small farmers who have very poor asset base accentuates during drought years, particularly in rainfed agriculture dominated regions. Therefore, it was imperative that the State had to take a strong policy initiative to restore the balance. This was why the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS, later named after Mahatma Gandhi to be called as MGNREGS) was initiated by the government of India during 2006.

It ensured the legal right to work for a hundred days to poor people whoever is willing to work at a minimum wage rate, particularly in the rural areas, which in turn would reduce the flow of rural to urban migration.

Historical Background - It was realized that a sustainable strategy of poverty alleviation has to be based on increasing the productive employment opportunities in the process of growth itself. In the Sixth Five Year Plan stress was laid on employment generation and poverty alleviation. To generate additional gainful employment in rural areas, Ministry of Rural Development, Government of India launched **National Rural Employment Programme (NREP)** in October 1980. Under this programme, an outlay of 1620crores was provided which was to be shared equally between the Centre and the States. The creation of durable assets was an important objective of this Programme.

On 15th August 1983, **Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP),** a Programme to supplement NREP was introduced by the Ministry of Rural Development, Government of India, with the objective of improving and expanding employment opportunities for the rural landless.

Experience in the Sixth Plan in certain states indicated that if integrated projects are developed, this stipulation would still allow substantial scope for productive works to be planned within a decentralized framework at the district level. Hence both the projects viz., NREP and RLEGP were merged as **JawaharRozgarYojana (JRY)** in the last year of 7th Five Year Plan. JRY was launched with a total allocation of 2600crores to generate 931 million mandays of employment. The primary objective of the programme was generation of additional employment on productive works which would either be of sustained benefit to the poor' or contribute to the creation of rural infrastructure. Under this programme, Centre's contribution was 80 percent while States' share was 20 percent. The JRY was implemented in all villages in the country.

In this direction the next schem launched by Indian government is **SampoornaGrameenRozgarYojana** .The

*Research Scholar (Public Administration) M.L.S.U., Udaipur (Raj.) INDIA

SampoornaGrameenRozgarYojana was launched on 25 September 2001 by merging the provisions of Employment Assurance Scheme (EAS) and Jawahar Gram SamridhiYojana (JGSY). The programme is self-targeting in nature and aims to provide employment and food to people in rural areas who lived below the poverty line was a scheme launched by the Government of India to attain the objective of providing gainful employment for the rural poor.

The **National Food for Work Programme** was launched by minister of rural development,central government on 14 November 2004 in 150 of the most backward districts of India with the objective of generating supplementary wage employment. The programme is open for all Indian poors who are prepared to do manual unskilled labour work and are in the need of wage employment. It is implemented as a centrally-sponsored scheme. Food grains are provided to the States free of cost.The transportation cost, handling charges, and taxes on food grains will, however, be the responsibility of the States.

National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), now Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA from October 2, 2009) was passed in the year 2005. The ongoing programmes of SampoornGrameenRozgarYojna and National Food for Work Programme were subsumed within this programme in the 200 of the most backward districts of the country. First, it ensured the legal right to work for a hundred days to poor people whoever is willing to work at a minimum wage rate, particularly in the rural areas, which in turn would reduce the flow of rural to urban migration .In addition to this, another important objective of the Act has been to strengthen the PRIs. NREGA addresses mainly to rural poor and their fundamental right to work with dignity. It is noted from the above mentioned employment programmes that NREGA envisaged a paradigm shift from all precedent Wage Employment Programmes (WEP) operating in the country since 1980. Earlier WEP were allocation based where as NREGA is demand-driven. NREGA has extensive in-built transparency safeguards. The act is designed to offer employment within 15 days of application of work, if the employment cannot be provided by the authorities then daily unemployment allowance has to be paid.

Unique features of NREGA - Time bound employment guarantee and wage payment within 15 days; Incentive-disincentive structure to the state governments for providing employment as 90 percent of the cost for employment provided is borne by the Centre while payment of unemployment allowances are borne by state governments (at their own cost); and emphasis on labour intensive works prohibiting the use of contractors and machinery. The Act mandates 33 percent participation for women.

When compared to preceding programmes like the NFFWP, the NREGA has generated roughly three to four times the number of work days. The Programme has therefore succeeded in providing the much needed wage employment in many states.

Apart from providing economic security and creating rural assets, NREGA was lunched with the vision of protecting the environment, empowering rural women, reducing rural-urban migration and fostering social equity. The law provided many safeguards to promote its effective management and implementation. The act explicitly mentioned the principles and agencies for implementation, list of allowed works, financing pattern, monitoring and evaluation, and most importantly the detailed measures to ensure transparency and accountability.[

Mnrega The Ground Reality - The idea of NREGA has been accused of as just income redistribution and hence might cause inflation. Inflation in 2008did hit a 3-year high with the wholesale price index hitting 7% for the year up to March 22, 2008.

NREGA fails to fulfill its objective in following aspects-

1. The NREGA has not been successful in providing stipulated 100 days employment to all the registered persons. It is because of willingness of panchayatsasthey become bias at the time of allocating work to the all categories worker of that particular area (in terms of their cast and status in particular panchayat).That indicates that unless participants are given work for the stipulated 100 days, NREGA shall not be able to make any significant dent on the rural poverty and would fail in its basic objective.
2. The other important reason is lack of fund as it is not being provided to the Panchayat officials on time; and money is being provided only for few months and not the whole year.
3. Another reason for authorities not being able to provide stipulated days of employment to all registered persons was that many times Panchayat (or other concerned authorities) ran out of ideas as in what activity labor force should be engaged to keep them working. In many cases labor force under NREGA was used just for digging, clearing jungle, sweeping, dust-cleaning, collecting waste and filling mud into the tractor and so forth as there was no long term durable asset creation work available with the Gram Panchayats. most of the registered persons were worried for continuity of the NREGA works and suggested for allowing the private farm work under NREGA.
4. Panchayats have to pay at least equal to minimum wagesdetermined for the state during a particular period. however actual wage paid under NREGAwere found very lower. Only 1.4% labor were paid equal to or above stipulated minimum wage.
5. Despite its progress due to improved implementation and governance, the NREGA still has to deal with the corruption and other discrepancies that are associated with any Govt. Programme in India. The CAG review said that in as many as 70% of the villages checked, there were no proper records available on

number of households who demanded jobs and the actual number of people who benefited from the job guarantee scheme.

6. Farmers across the board are feeling that they are facing labor shortage for agricultural activities because of the diversion of labor caused by NREGA activities. With a meticulous planning, this problem can be solved without affecting anyone adversely.

References:-

1. Delgado, et.al.(1999), "Livestock to 2020: The Next Food Revolution, Food, Agriculture and The Environment", Discussion Paper 28, International Food Policy Research
2. Dreze, Jean, Nikhil Dev and ReetikaKhera (2006), "Employement Guarantee: A Primer", New Delhi, NBT.
3. Dreze, Jean, Nikhil Dev and ReetikaKhera (2008), "Corruption in NREGA: Myths and Reality", The Hindu dated 22 January.
4. http://www.nrega.nic.in/
5. Impact of MGNREGA on Socio-Economic Upliftment of the Beneficiaries – A Case Study of Pali District of Rajasthan Submitted by Dr. Md. Noor AlamJV'n Ms. Asha
6. K. Kareemulla, P Ramasunderam,Shailander Kumar," Impact of National Rural Employment Guarantee Scheme in India on Rural Poverty and Food Security". CURRENT AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL ISSN: 2347-4688, Online ISSN: 2321–9971 Vol. 1(1), 13-28 (2013).
7. NREGA (2011), "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGA)", Ministry of Rural Development (MRD), Government of India, New Delhi.
8. Planning Commission (2001), "Evaluation Study on Employment Assurance Scheme (EAS)", Programme Evaluation Organization, Planning Commission, Government of India, New Delhi.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

डॉ. हेडगेवार का सामाजिक-राजनीतिक चिन्तन और उसकी प्रासंगिकता

डॉ. रवीन्द्र कुमार सोहोनी *

शोध सारांश – भारतीय परम्परा और संस्कृति की पृष्ठभूमि में जितने भी सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए है, उनमें डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का नाम सर्वप्रमुख है। भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय समस्याओं का निराकरण और भारतीय आदर्शों का मूल्यांकन जितने विविध और विस्तृत स्वरूप में डॉ. हेडगेवार ने प्रस्तुत किया है, उतना संभवत: किसी अन्य विचारक ने नहीं। डॉ. हेडगेवार ने भारतीय समाज तथा जनता के निचले स्तर तक उतरकर और उसके साथ धुल मिलकर जिस प्रकार का मानसिक तादात्म्य स्थापित किया वह केवल अनुकरणीय नहीं अपितु है। डॉ. हेडगेवर ने अपने समय की भावनाओं, समस्याओं और वास्तविकताओं को न केवल पहचाना अपितु उनके ठोस निदान भी प्रस्तुत किए।

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का सामाजिक-राजनीतिक चिन्तन जहां एक ओर हमें नैतिक तत्वों पर आधारित होकर आदर्शवादी प्रतीत होता है वहीं उनका चिन्तन यथार्थ के ठोस धरातल पर खड़ा कालजयी और उसकी प्रासंगिक दिखलाई पड़ता है। किसी भी वास्तविक चिन्तक के चिन्तन का मूल्य और प्रासंगिकता इसी में निहित है कि समय की सीमाएँ उसे अपने में न बांध सके। डॉ. हेडगेवार का समूचा सामाजिक-राजनीतिक चिन्तन अतीत से प्रभावित, समकालीन चिन्तन है, जिसकी दृष्टि भविष्य पर टिकी हुई है।

प्रस्तावना – डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल, 1889 को वर्ष प्रतिपदा (नव वर्ष का प्रथम दिन) के दिन बलिराम पंत के यहां नागपुर में हुआ।1 वर्ष प्रतिपदा का वैभव और महत्व वैसे तो सम्पूर्ण हिन्दू समाज में है, लेकिन महाराष्ट्र में यह दिन '**गुड़ी पड़वा**' के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र का समाज इस दिन परम्परागत ढंग से '**भगवा ध्वज**' फहरा कर नववर्ष का अभिनंदन करता है।

बलिराम पंत का परिवार मूलत: आंध्रप्रदेश के निजामाबाद क्षेत्र के बोधन तहसील के कुन्दकुर्ती नाम गाँव से सम्बद्ध था। बलिरामजी की वंश परम्परा का आश्वलायन सूत्र की शाकल शाखा के महाराष्ट्रीयन तैलंग अर्थात् 'देशस्थ ब्राह्मणों' के काश्यप गौत्र से है।[2] बलिरामजी हेडगेवार के पूर्वज लगभग डेढ़-दो सौ वर्ष पूर्व आंध्र के तैलगांना क्षेत्र को छोड़कर भौसलें शासित नागपुर में आकर बस गए थे। बलिराम हेडगेवार के पितामाह नरहर शास्त्री जब नागपुर आकर बसे तो वे अपने धर्म और शास्त्र की निष्ठाओं के साथ प्रतिष्ठित हुए। समय के साथ भौसलें वंश का पराभाव हुआ और सन् 1853 में नागपुर में भौसलें वंश के स्थान पर अंग्रेजी राज की स्थापना हो गयी। भौसलें वंश के पराभव के परिणामस्वरूप हेडगेवार परिवार को प्राप्त 'राज्याश्रय' स्वत: समाप्त हो गया। हेडगेवार परिवार ने अपने स्वाभिमानी की स्वरूप का परिचय देते हुए 'पौरोहित्य कार्य' को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया।

डॉ. केशव, बलिराम पंत की छ: संतानों में पाँचवी संतान थे। चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन सौभाग्यवती रेवतीबाई की कोख से जन्मा यह बालक आगे चलकर हिन्दू राष्ट्र का द्दष्टा और संघटन का सृष्टा बना। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने हिन्दी की इस युक्ति को 'होनवार वीरवान के होत चिकेकने पात' को सत्य चरितार्थ किया।

जीवन पर प्रभाव – डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर अनेक व्यक्तियों एवं विचारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। सामान्यत: यह कहा जाता है कि अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बालक अपने माता-पिता को चुनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. हेडगेवार ने शककर्ता शालिवाहन की विजय वह भी रविवार सूर्य के तेज व प्रचण्ड पराक्रम का दिन चुनकर अपनी मार्मिक समयज्ञता का परिचय दिया। डॉ. हेडगेवार में जहाँ एक ओर अपने पिता के सात्विक, स्वाभिमानी और अनुशासन प्रियता के गुण थे वहीं दूसरी और अपनी माता रेवतीबाई जो नागपुर के प्रतिष्ठित पैठणकर परिवार से सम्बद्ध थी का प्रभाव परिलक्षित होता है। रेवतीबाई साधु स्वभाव की थी, सेवा परायण थी, वात्सल्य से भरपूर थी, उच्चाशयी और उदार हृदय की थी। केशव ने माता के ये सभी गुण ग्रहण किए।

'अपने उच्च अध्ययन के दौरान कलकत्ता में उनका सम्पर्क श्यामसुन्दर चक्रवर्ती और मोतीलाल घोष से हुआ।'[3]

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार पर शिवाजी एवं अन्य मराठा नेताओं के कार्यो का गंभीर प्रभाव पड़ा था। उनको बाजीराव प्रथम के द्वारा प्रतिपादित '**हिन्दू-पद-पादशाही**' के आदर्शो से भी प्रेरणा प्राप्त हुई थी।'

शिवाजी के चरित्र और समर्थ रामदास के शिक्षाप्रद एवं व्यावहारिक उपदेशों ने डॉक्टर साहब की चिन्तन प्रक्रिया को राष्ट्रोन्मुखी बनाने में सहायता प्रदान की। डॉ. हेडगेवार की चिन्तन प्रक्रिया को लोकमान्य तिलक तथा नागपुर के प्रमुख राष्ट्रवादी डॉ. बी.एस. मुंजे ने भी काफी सीमा तक प्रभावित किया।

राष्ट्रवादी विचारों का पल्लवन – डॉ. हेडगेवार बाल्यकाल से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उनके क्रांतिकारी स्वभाव की पहली झलक तब मिलती है जब वे केवल आठ वर्ष के थे। 22 जून, 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की साठवीं सालगिराह का जश्न भारत में मनाया जा रहा था। इस अवसर पर स्कूल में बंटने वाली मिठाई का तिरस्कार करते हुए नन्हें केशव ने कहा था 'लेकिन वह हमारी महारानी तो नहीं है। देशभक्ति की यह भावना समय के साथ और प्रगाढ़ होती चली गयी। दूसरी घटना 1901 में

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

घटी तब ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर नागपुर में मनाएं जा रहे उत्सव का प्रतिवाद करते हुए आपने कहा था 'विदेशी राजा का राज्यारोहण उत्सव हमारे लिए शर्म की बात है।'

1908 में राष्ट्र विरोधी भाषण देने के अपराध में आप पर धारा 108 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। किंतु प्रतिष्ठित वकील पी.एस. देव के प्रयासों से मुकदमा वापस ले लिया गया। हेडगेवार पर भाषण देने के लिए एक वर्ष का प्रतिबंध लगा। नागपुर, यवतमाल और पूना में अपनी आरंभिक पढ़ाई को पूर्ण कर हेडगेवार चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता पहुंचे। उस समय कलकत्ता, क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थान था। डॉ. मुंजे और नागपुर के राष्ट्रवादियों की सहायता से आप कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कालेज में प्रविष्ठि हुए। वर्ष 1911-12 एवं 1912-13 के लगातार दो शैक्षणिक सत्रों में हेडगेवारजी ने फिजियोलॉजी में विशेष योग्यता प्राप्त की। वर्ष 1914 में 70.0 प्रतिशत अंक लेकर आपने मेडिकल की डिग्री प्राप्त की। 1915 में कलकत्ता के विक्टर चिकित्सालय में चिकित्सक का व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

प्रथम महायुद्ध और डॉ. हेडगेवार – 28 जुलाई, 1914 को सर्बिया के विरूद्ध आस्ट्रिया और हंगरी के द्धारा युद्ध की घोषणा के साथ ही प्रथम महायुद्ध का सूत्रपात हुआ। अपनी क्रांतिकारी योजनाओं की असफलताओं तथा सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए डॉ. हेडगेवार ने अपना मार्ग बदला और उन्होंने अपने आपको संगठित जन आंदोलन के मार्ग पर चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया और जन-जागृति का कार्य प्रारंभ किया।

अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत कलकत्ता से नागपुर आने पर आप पहले 'राष्ट्रीय मंडल' जैसी राष्ट्रवादी एवं साम्राज्यविरोधी संस्था के सदस्य बने 'राष्ट्रीय मंडल' ने जैसे ही अपनी तेजस्विता को खोने लगा। डॉ. हेडगेवार दो कदम आगे चलकर 'नागपुर नेशनल यूनियन' नामक एक अलग संस्था का निर्माण किया। इसमें उन्हें मंडलेकर, बोवड़े, केलकर और चोरघड़े जैसे 'राष्ट्रीय मंडल' के पुराने साथियों का सहयोग मिला। मध्य प्रांत में 1 फरवरी, 1919 में नवीन हिन्दी साप्ताहिक 'संकल्प' का कार्य प्रारंभ हुआ। डॉ. हेडगेवार ने 'संकल्प' साप्ताहिक के प्रचार-प्रसार और ग्राहक विस्तार का दायित्व अपने कंधों पर लिया। डॉ. हेडगेवार ने 'संकल्प' को स्थापित करने के लिए सत्त मध्य प्रांत की यात्राएं की और रायपुर से हरदा तक क्षेत्र में उन्होंने उस काल में एक हजार से अधिक पाठकों को सदस्य बनाने में सफल रहें।

कांग्रेस नागपुर अधिवेशन –दिसम्बर 1920 में कांग्रेस का बीसवां अधिवेशन नागपुर में होना निश्चित हुआ। इस समय डॉ. हेडगेवार कांग्रेस की नागपुर शहर इकाई के संयुक्त सचिव थे। इस अधिवेशन में आपका प्रयास था कि महर्षि अरविन्द कांग्रेस की बागडोर संभाले किंतु यह संभव नहीं हो पाया। कांग्रेस के साथ काम करते हुए भी डॉ. हेडगेवार बराबर यह महसूस कर रहे थे कि युवाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण की दृष्टि से कांग्रेस यथेष्ट भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रही है।

असहयोग आन्दोलन और डॉ. हेडगेवार –कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात डॉ. हेडगेवार की गिनती प्रान्त के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नेताओं में होने लगी थी। राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप डॉ. हेडगेवार 'तिलक स्वराज्य फण्ड' के सदस्य भी चुने गए। असहयोग आन्दोलन के समय डॉ. हेडगेवार को लोकप्रियता नागपुर सहित प्रान्त में स्थापित हो चुकी थी। प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के संकट डॉ. हेडगेवार भारत के लिए एक सुअवसर मानते थे। असहयोग आन्दोलन में डॉ. हेडगेवार की भागीदारी भावावेश में उठाया गया कदम न होकर एक सोची समझी रणनीति का भाग थी। डॉ. हेडगेवार ने असहयोग आन्दोलन के दौरान भारतवर्ष के सामाजिक-आर्थिक विषयों को सामने रखकर समाज के दलित-शोषित एवं पीड़ित वर्ग के लोगों के मध्य राष्ट्रीय चेतना और जनजागरण की मशाल को बुलन्द किया।

मई 1921 में डॉ. हेडगेवार पर उनके भाषणों एवं राजनीतिक क्रिया-कलापों को दृष्टि में रख कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 108 में राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया। इस मुकदमे में डॉ. साहब ने अपनी पैरवी स्वयं की जो उनके प्रगाढ़ आत्म-विश्वास का सबल प्रमाण है। डॉ. हेडगेवार ने अपनी लगातार पैरवियों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को अपने शब्द बाणों से भेद दिया। डॉ. हेडगेवार ने इस मुकदमे में जमानत लेने से अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप न्यायाधीश ने उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।[5]

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की स्थापना – 5 फरवरी, 1922 को 'चोरी-चोरा' (गोरखपुर) की घटना से विचलित होकर महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन असमय ही स्थगित कर दिया। आन्दोलन की सफलता के इस काल में पूर्ण स्वराज्य की अवधारणा का प्रचार करने की महत्ती अवश्यकता थी। 'डॉ. हेडगेवार ने पूर्ण स्वातन्त्र्य' के हेतु को ध्यान में रखकर 1923 के मध्य में अपने चुने हुए प्रमुख साथियों-विश्वनाथ केलकर, डॉ. खरे, वासुदेव, फड़णीस, गोपालराय ओगले तथा बलवन्तराव मण्डलेकर आदि ने मिलकर नागपुर से 'स्वातन्त्र्य' नाम का एक दैनिक पत्र निकालने का निश्चय किया।[6]

धनाभाव और लोगों की पढ़ने में विशेष रूचि न होने के फलस्वरूप यस्वातन्त्र्य' 1925 के प्रारंभ में ही बन्द हो गया। इसी दौर में डॉ. हेडगेवार ने युवाओं के साथ अपने सम्पर्क बढ़ाकर एक संघटन बनाने की विचारभूमि तैयार की।

सन् 1925 में विजयादशमी के दिन 25 विशेष रूप से निमंत्रित, वर्षो से परखे हुए व्यक्तिओं के साथ विचार-विमर्श करके उन्होंने एक नये संगठन एवं नई कार्य पद्धत्ति का श्रीगणेश किया। अण्णा सोहोनी, विश्वनाथराव केलकर, बालजी हुद्दार, बापूराव भेदी उपस्थित लोगों में प्रमुख थे।[7]

'संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रिया कलाप होंगे सब कुछ समय के साथ धीरे-धीरे तय होता गया। यहाँ तक की संघ का नामकरण भी 17 अप्रैल, 1926 को हुआ। इस दिन डाक्टर साहब को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सर संघचालक नवम्बर, 1929 में बनाए गए।'[8]

हिन्दू राष्ट्र की विराट, उदात्त और सनातन संकल्पना को लेकर संगठित संघ आज 90 वर्ष का हो गया है। इस समय 51,331 दैनिक शाखाएं संचालित हो रही है। 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश ही हर तहसील और 55 हजार गाँवों में संघ की शाखाएं लग रही है। संघ परिवार में संघ के 40 से ज्यादा आनुशांगिक संगठन है। वर्ष 1948,1975 तथा 1992 तीन बार संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय राष्ट्रवाद संघ का मूलमंत्र है। सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यो से उपजी ऊर्जा का प्रभाव भारत के राजनीतिक और वैचारिक जीवन दोनों में हुआ। वर्तमान में भी संघ सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों से रूबरू होता है, दलित विमर्श से लेकर नव उदारवाद के प्रति उसकी अपनी दृष्टि है।

डॉ. हेडगेवार का समाज दर्शन – डॉ. हेडगेवार हिन्दू-समाज का विनाशकारी विघटन देखकर अत्यन्त दुखी थी जाति, भाषा, प्रान्त पंथ और सम्प्रदायों में विभाजित हिन्दू समाज का स्वरूप उनके हृदय में शूल की

भाँति चुभता था। डॉ. हेडगेवार एक ऐसे सामुदायिक जीवन का निर्माण और विकास करना चाहते थे। जिससे हिन्दुओं की आपसी एकता और सुदृढ़ता का विकास हो तथा राष्ट्र को '**परम वैभव**' की स्थिति में पहुँचाया जा सके। आपकी मान्यता थी कि अतीत के गौरव और महानता की चेतना के द्वारा प्रगाढ़ सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना की जा सकती है। डॉ हेडगेवार ने हिन्दू चेतना का आधार समुदाय को न बनाकर व्यक्ति को बनाया। आपकी सुदृढ़ मान्यता थी कि प्रत्येक हिन्दू में एक व्यक्ति के नाते जीवन संस्कारों का बीजारोपण करना होगा।

हिन्दू पुनरूत्थानवाद – डॉ. हेडगेवार हिन्दू पुनरूत्थानवाद के प्रबल समर्थक थे। डॉक्टर साहब के अनुसार भारतवर्ष हिन्दुओं की पितृभूमि और पुण्यभूमि है। डॉ. हेडगेवार ने हिन्दुओं को संगठित होने की प्रेरणा दी तथा हिन्दुओं में व्याप्त अस्पृश्यता का विरोध किया। आपने हिन्दुत्व की सेवा और राष्ट्र सेवा के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए बताया कि जो व्यक्ति, जितना सच्चा हिन्दू होगा वह उतना ही अधिक–अच्छा देशभक्त भी होगा। हिन्दू पुनरूत्थानवाद और अस्पृश्यता का विरोध कर नवीन सामाजिक संरचना की नींव रखी।

भारतीय संस्कृति – अपने समाज दर्शन में डॉ. हेडगेवार का ध्यान भारतीय संस्कृति और उसके सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति था। हिन्दू धर्म की परम्पराओं और मूल्यों के प्रति उनकी अगाध आस्था निर्वचन से परे है। आपकी मान्यता थी कि राष्ट्र के विकास के लिए जिस प्रकार की गतिशीलता की आवश्यकता होती है, वह सब सांस्कृतिक एकता के माध्यम से ही संभव है। भारतवर्ष की समस्याओं का समाधान का मार्ग भारतीयकरण से ही गुजरता है। हिन्दू–संस्कृति की श्रेष्ठता तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता को उन्होंने संजीवनी निरूपति किया। डॉ. हेडगेवार वास्तविक अर्थो में तथा सच्चे समग्रतावादी चिन्तक थे। जिन्होंने भारतवर्ष के लिए नवीन सामाजिक भाव–भूमि तैयार करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया।

स्त्री शक्ति और समाज कुटुम्ब के प्रणेता – डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार अत्यन्त ही संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी यह संवेदनशीलता केवल विचारों में ही नहीं अपितु उनके कर्म में भी परिलक्षित होती है। सामाजिक कष्टों और कार्यों के निदान हेतु वे अपनी व्यक्तिगत सुविधा और व्यस्तता पर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। अनाथ बच्चों और महिला अधिकारों के लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। आपने समाज के समक्ष प्रश्न उठाया कि – हमें अनाथाश्रम क्यों खोलना पड़ता है? उन्होंने आग्रह किया कि हम ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को निर्माण करे जिससे कि कोई भी बालक अनाथ महसूस न करे सके। आपने समाज को कुटुम्ब स्वरूप में परिवर्तित कर समस्या का निदान सुझाया जो वास्तव में अद्वितीय एवं अद्भूत है। डॉ. हेडगेवार महिला अधिकारों और सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भूमिका को लेकर सतत् प्रयत्नशील रहे। आप महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक भूमिका के प्रति कितने जागरूक थे, इसका पता इस बात से चलता है कि देश के सर्वाधिक पुराने महिला संगठनों में से एक–राष्ट्र सेविका समिति–के वह प्रेरणा स्त्रोत थे।[9]

डॉ. हेडगेवार का राजदर्शन –डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार प्लेटो, अरस्तू या अन्य किसी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की भाँति राजनीतिक चिन्तक और सिद्धान्तकार तो नहीं थे, किन्तु आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन जो 19 वीं शताब्दी के औपनिवैशिक काल में पुष्पित और पल्लवित हुआ उसके प्रमुख अग्रणी हस्ताक्षरों में से एक अवश्य थे। इस दौर की भारतीय राजनीति की आकाश गंगा पर जितने भी नक्षत्र उदित हुए वे उनमें वे अपना प्रमुख स्थान बनाने में सफल रहे।

स्वतन्त्रता और स्वाभिमान – डॉ. हेडगेवार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार रहकर मानव मात्र की गरिमा और अस्मिता को स्थापित करने का अथक प्रयास किया। राष्ट्र भाषा हिन्दी में 'संकल्प' जैसे समाचार–पत्र के प्रचार–और प्रसार के लिए प्रयास स्वतंत्रता के लिए उनकी ललक को दर्शाते है। कालांतर में स्वतंत्रता के इन्हीं प्रयासों की कड़ी में आपने नागपुर से 'स्वातन्त्र्य' नामक एक और समाचार पत्र की नींव रखी।

आपने साम्राज्यवादी विरोधी आन्दोलन में सहभागी होकर इस सनातन के राष्ट्र के स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने का अथक प्रयास किया जो निर्वचन से परे है।

राष्ट्रवाद (हिन्दुस्तान हिन्दुओं का) – राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 'असहयोग आन्दोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन' के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर कर भागीदारी करने के पश्चात् भी वे कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति से क्षुब्ध थे। आपकी मान्यता थी कि हिन्दुओं में जो हीनता और दीनता की भावना घर कर गयी है, उसे समूल रूप से नष्ट करना होगा। आपकी यह मान्यता कि 'हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है' के कारण आपको विरोधियों ने दक्षिणपंथी और अतिवादी तक निरूपित किया किंतु आप कभी इससे विचलित नहीं हुए। 'हिन्दू राष्ट्रवाद' के प्रति अपनी असीम श्रद्धा के परिणामस्वरूप आप अपना एक अलग स्थान बनाने में सफल रहे। डॉ. हेडगेवार के राष्ट्रवादी चिंतन को सकारात्मक और सही परिप्रेक्ष्य में यदि समझा गया होता तो आज परिस्थितियां और भिन्न होती। डॉ. हेडगेवार साम्राज्यवाद से समझौता अथवा उसके प्रति नरम रूख को 'राष्ट्रवाद' के प्रति घोर अन्याय निरूपित करते थे। आपने विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार समझौतावादी प्रवृत्तियों एवं नेतृत्व का आजीवन प्रबल विरोध किया। आपने सबल राष्ट्रवाद के संदर्भ में यह मत प्रतिपादित किया कि राष्ट्र का आधार अस्त्र–शस्त्र न होकर नि:श्चल राष्ट्रप्रेम की भावना और राष्ट्र की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की आत्मशक्ति में निहित है।

लोकतंत्र में प्रबल आस्था – राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना और तेजी से बढ़ते उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपके विरोधियों ने बड़ी चतुराई से इस बात को प्रचारित किया कि डॉ. साहब दक्षिणपंथी और अतिवादी विचारक और नेतृत्वकर्ता है। वास्तविकता यह है कि डॉ. हेडगेवार की लोकतंत्र शासन पद्धति में अपार श्रद्धा थी, उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में कोई फर्क नहीं था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के तीन वर्ष पश्चात् सन् 1928 में जब गुरू पूर्णिमा के दिन 'गुरू पूजा' की परम्परा का शुभारंभ हुआ तो डॉ. साहब ने व्यक्ति विशेष के स्थान पर 'भगवा ध्वज' को ही सम्मानित करने की घोषणा कर दी। डॉ. साहब का यह कार्य इस बात का सबल प्रमाण है कि वे व्यक्ति पूजा के घोर विरोधी थे, यह विचार यह भी स्पष्ट करता है कि वे सही अर्थो में लोकतांत्रिक थे। 90 वर्ष बाद आज भी व्यक्ति पूजा का निषेध संघ संस्कृति का अंग है। व्यक्ति के स्थान पर आपने समाज देवता और राष्ट्र देवता की स्थापना की।

महाप्रयाण और विचारों की प्रासंगिकता – भारतीय समाज वैज्ञानिक के लिए डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका अध्ययन किए बिना विशुद्ध भारतीय विचारधारा को नहीं समझा जा सकता। आपका सामाजिक–राजनीतिक दर्शन भारतीय उपज है। डाक्टर साहब के पास जीवन के विषय में आदि से अंत तक के पूर्ण विचार थे, जिज्ञासा थी और उसकी साधना के लिए सत्त पुरुषार्थ था। डॉ. हेडगवार अपने विचारों और कार्यो से आजीवन यह सिद्ध करने में लगे रहे कि भारतीय

जीवन धर्म पर आधारित है और यहाँ धर्म तथा संस्कृति की उपेक्षा करना कठिन ही नहीं असंभव है।

दिसम्बर, 1939 के पश्चात् बढ़ती आयु और लगातार परिश्रम के परिणामस्वरूप डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य गिरने लगा था। 16 मई, 1940 को डॉ. साहब काफी बीमार हो गये। इस समय नागपुर में एक माह का संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ था, 20 जून को उनकी हालत और बिगड़ गयी। 21 जून, 1940 को प्रात: 09 बजकर 27 मिनिट पर इस महामानव ने नश्वर संसार को छोड़कर महाप्रयाण किया। 'हितवादी' ने अपने सम्पादकीय में लिखा – 'डॉ. हेडगेवार से अधिक कुशल संगठनकर्ता का देश को मिलना दुर्लभ होगा।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिन्हा, राकेश – डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण), सन् 2003, पृष्ठ1
2. पालकर, एन.एच. – डॉ. हेडगेवार चरित्र, लोकहित प्रकाशन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ (उ.प्र.), पृष्ठ 22
3. अवस्थी, अमरेश्वर व अवस्थी, आर.के.–आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर 2007, पृष्ठ 391
4. पूर्वोक्त – पृष्ठ 391
5. केसरी, 23 एवं 30 अगस्त 1921, पृष्ठ 7 (नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली)
6. पालकर, एन.एच., पूर्वोक्त पृष्ठ 156 एवं 160
7. सिन्हा, राकेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 73
8. दैनिक नईदुनिया (प्रथम संस्करण), 22 अक्टूंबर, 2015, इन्दौर, पृष्ठ 11 सिन्हा, राकेश, पूर्वोक्त, पृ. 208

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की स्थिति - एक विश्लेषण

डॉ. मीनाक्षी पँवार *

प्रस्तावना - ब्रिटिश शासन ने व्यापार के माध्यम से भारतीय समाज को दरिद्र एवं परावलम्बी बनाते हुए, आर्थिक दृष्टि से विघटित कर दिया और मुगलकाल से चली आ रही कठोर जाति व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देते हुए प्रमुख जातियों को एक-दूसरे के विरूद्ध खड़ा कर दिया। उनका उद्देश्य यह रहा कि भारतीय समाज में एकता, सौहार्द तथा सहयोग की भावना समाप्त हो जाए और वह छोटे-छोटे टुकड़ो में बंटकर आर्थिक-सामाजिक सत्ता के पद सोपान में इस प्रकार समा जाए कि स्वयं समाज का एक वर्ग दूसरे को दबाता रहे। ढेबर समिति के अनुसार 'स्वतन्त्रता पूर्व के कबीला क्षेत्र की दशा का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि अलगांव एवं निष्क्रियता की नीति का उद्देश्य मात्र यथास्थिति बनाए रखना था। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत के अधिकतर भागों में आदिम जातियां दरिद्रता की स्थिति में रह गयी।'

राष्ट्र के नेतृत्व के सक्षम भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की जिम्मेदारी आयी। विकास के लिए ऐसे जीवट तथा एकीकृत समाज की आवश्यकता थी, जो राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक तक शासन की पहुंच के लिए एकतन्त्र स्थापित करना तथा शासन की प्रत्येक क्रिया में अधिकतम नागरिकों के हिस्से [1] को उत्साहित करना और उसे अन्तरजातीय तथा अन्तरजाति सामन्ती ढ़ांचे के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक दबाव से मुक्त करना आवश्यक था।

संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि कुछ जाति तथा क्षेत्र ऐसे है, जो अन्य जाति तथा क्षेत्र की तुलना में बहुत पिछड़े है। राष्ट्रीय एकता एवं विकास की दृष्टि से इन पिछड़े वर्ग एवं क्षेत्रों का विकास अत्यधिक आवश्यक एवं कठिन कार्य माना गया। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान रखा गया कि 'राज्य जनता के दुर्बलतम वर्गो के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथ अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करे या सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए हाथ में ली गई परियोजनाओं के लिए भारत की संचित निधि से मूल तथा आवर्तक राशियाँ दी जा सकेगी। अनुसूचित जनजातियों की दशा जानने एवं उनके उत्थान के लिए विशेष पदाधिकारी तथा आयोग नियुक्त करने का भी प्रावधान है।[2]

अनुसूचित जनजातियों की पहचान - अनुसूचित जनजातियों को सन् 1931 की जनगणना के द्वारा अन्य जातियों से अलग स्वीकार की गयी। भारत के संविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक सूचना द्वारा ऐसी जातियों का उल्लेख कर सकेगा। प्रत्येक राज्य के लिए वहां की जातियों के अनुसार इसकी अलग-अलग सूचियां बनायी गयी हैं। अनुच्छेद 34 तथा 342 राष्ट्रपति को इन जातियों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता हैं। राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा उन जातियों को उल्लेखित करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति समझी जायेगी।

अनुसूचित जनजातियाँ वे जातियां है, जो ऐसे क्षेत्रों में रही है, जिनका भौतिक विकास नहीं हुआ या जो घुमक्कड़ रही है जैसे आदिवासी, भील आदि। इन जातियों तक सभ्यता बहुत कम पहुंच पायी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है, जो कुल आबादी का 8.2प्रतिषत है। आधे से ज्यादा जनजातीय आबादी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, उड़िसा, झारखण्ड, और गुजरात राज्य में रहती है। जनजातीय समुदाय देश के15 प्रतिशत क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों में, जंगलों, पहाड़ों और न पहुँच सकने वाले अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में है, जबकि एक ओर कुछ जनजातीय समुदायों में रहन-सहन के गैर जनजातीय तौर तरीके अपना लिए है, वहीं दूसरी ओर ऐसे 75 अनुसूचित जनजातीय समूह है जो (क) कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी (ख) स्थित अथवा घटती हुई जनसंख्या (ग) बहुत ही कम साक्षरता तथा (घ) अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर की विशेषताओं के लिए जाने जाते है।[3] इस प्रकार ये जनजातियां बाकी समाज से कटकर अलग हो गयी। इन्हें विकास की धारा के साथ जोड़ने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता समझी गयी।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एवं सुविधाएँ - संविधान सभा में कतिपय सदस्यों का मत था कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सेवाओं एवं संसद व विधान मण्डलों, पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान किया जाए ताकि इनका सरकार और विभिन्न सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में कतिपय ऐसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एवं सुविधाएँ उपलब्ध है।

भारतीय संविधान समानता और न्याय के आदर्शो पर प्रतिष्ठित है। ऐसी समानता और न्याय की स्थापना का प्रयास राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में किया गया है, इसलिए संविधान धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर व्यक्तियों के किसी वर्ग में भेदभाव का प्रतिषेध करता है। इस आदर्श की प्राप्ति के उद्देश्यों से ही इसने धर्म के आधार पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व या विधान मण्डलों या सरकारी नौकरियों के लिए पदों के आरक्षण की प्रथा को समाप्त कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उक्त आदर्शो को मूर्त देने के लिए देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए समुचित उपबन्ध किया है, क्योंकि वे जानते थे कि अब तक इनको प्रारंभ में सहायता न दी जायेगी,

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

देश के विकास की गति अवरूद्ध हो जायेगी। प्रजातन्त्रिक समानता के आदर्श केवल तभी साकार हो सकते है, जबकि देश के समस्त वर्गो को एक स्तर पर लाया जाए। इसीलिए हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों को देश के अन्य वर्गो के स्तर पर लाने के लिए कुछ प्रावधान है ताकि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न कर सके।[4]

अनुच्छेद 46 राज्य को जनता के दुर्बलतर और विशेष तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करने तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करने का निर्देश देता है।

संविधान के भाग 3 में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अनेक उपबन्ध है। अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता ओर विधियों के समान गारंटी करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मुलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो या अनुसूचित जतियां या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध करने में बाधक न होगी अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता की गारंटी करता है और इसके संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव की वर्जना करता है, किन्तु राज्य अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए, यदि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है, नियुक्तियों या पदों का आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छे 17 अस्पृष्यता का उन्मूलन करता है जो भारतीय समाज का एक महान कलंक था। अनुच्छेद 19 (5) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्रता के अधिकार को परिसीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों का एक पृथक समुदाय है, जिनकी अपनी सांस्कृतिक एवं सम्पत्ति संबंधी परम्पराएँ है। ये सीधे –सादे लोग काफी पिछड़े हुए है, इनकी संस्कृति या पिछड़ेपन का कारण उन्हें पूर्णत: पृथक रखना चाहे युक्तिसंगत नहीं है तथापि इनके हितों की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है वह न्यायोचितों जान पड़ती है। इन सुरक्षाओं के अभाव में समाज में अधिक चतुर एवं सभ्य लोग इन सरल अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मूर्ख बनाकर इनका शोषण करने में समर्थ हो सकते है। इसलिए ऐसे अनेक उपबंधों का आयोजन किया गया है। जिनसे इन व्यक्तियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा। इन लोगों की सुरक्षा एवं लाभ के लिए, साधारण नागरिकों द्वारा इनके क्षेत्रों में बसने अथवा सम्पत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगाए गए है।

अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य को निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों का विशेष रूप से संरक्षण व उन्नति का प्रबन्ध करें।

अनुच्छेद 164 उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्री का उपबबन्ध करता है।

अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, ऐंग्लो इंडियन्स और पिछड़े वर्गो के लिए विशेष उपलन्ध किये गये है। [5]

लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में स्थान का आरक्षण – लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी, 1960 तक के लिए की गई थी, किन्तु संविधान में संशोधन कर इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा है अब 79 वें संवैधानिक संशोधन (1999) के आधार पर इन प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी, 2010 ई. तक के लिए बढ़ा दिया। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है (अनुच्छेद 332)। अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के प्रारंभ में 10 वर्षो के लिए था। वर्तमान में यह वर्ष 2020 तक चलेगा। [6]

वर्तमान में लोकसभा में कुल निर्वाचन स्थानों की संख्या 543 है, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान सुरक्षित है।

संविधान के अनु. 335 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आष्वासन दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों को शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो रियायते प्रदान की गयी है, उनमें मुख्य है– आयु सीमाओं में छूट, योग्यता स्तर में छूट, कार्यकुशलता का निम्न स्तर पूरा करने पर उनका चयन, नीचे की श्रेणियों में उनकी नियुक्ति और पदोन्नति का विशेष प्रावधान।

अखिल भारतीय सेवाओं में खुली प्रतियोगिता के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसी प्रकार समूह ग तथा घ केन्द्रीय सेवाओं में भी क्षेत्रीय आधार पर उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था है। समूह 'क' और 'ख' सेवाओं में पदोन्नति भी उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसी अनुपात में की जाती है। वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भी आरक्षण के प्रावधान है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में दावों की व्यवस्था अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के विकास के उद्देश्य से बनायी गयी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के लिए विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। अनु. जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने, नि:शुल्क शिक्षा देने तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में स्थान रखने के प्रावधान किए गए हैं।

पंचायती राज संस्थाओं – ग्राम, मध्य तथा जनपद में आरक्षण – 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, सभी स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं – ग्राम, मध्य तथा जनपद में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रत्येक पंचायत में कुल निर्धारित स्थानों में अनु. जनजातियों के लिए उसी अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे जो अनुपात उस पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या से उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का है। (अनुच्छेद 243 (डी) की धारा (1)।

अनुच्छेद 243 डी की धारा (2) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण वास्तविकता में इस प्रकार लागू किए जाने की व्यवस्था है। पंचायत में जितने स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, उनमें से एक तिहाई अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के पक्ष में आरक्षित होंगे।

73 वें संशोधन के अनुसार सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, परन्तु आरक्षण विधि सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित की जावेगी।[7]

स्थानों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 334 के विनिर्दिष्ट अवधि के

अवसान के पश्चात् समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में यह अवधि वर्ष 2026 तक है।

नगर स्थानीय निकायों में आरक्षण – 73वें संशोधन के समय 74 वें संशोधन भी नगर स्थानीय निकायों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 243 की धारा (1) के अनुसार प्रत्येक नगर स्थानीय निकाय में सीधे निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से उतने स्थान आरक्षित होंगे, जो अनुपात उस निकाय में, उनकी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से है।[8]

आरक्षित स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से आबंटित किए जाऐंगे। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जनजातियों और जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे।

आरक्षण सदस्यों तक ही सीमित नहीं है। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का पद भी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। राज्य विधि द्धारा उपबंधित करेगा कि अध्यक्ष के पद का आरक्षण किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अभी यह अवधि सन् 2026 तक है।

आरक्षण प्रशासन में कार्य पटुता को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए– अनुच्छेद 325 के अनुसार केन्द्र या राज्य के कार्यो से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन में कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा। इसी प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 16 में इन पिछड़े हुए वर्गो के लिए पदों के रक्षित करने का प्रावधान किया गया है, इनमें अनुसूचित जनजातियां भी शामिल है।

आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति – संविधान द्धारा दिए गए संरक्षणों का समुचित रूप से पालन हो सके, इसके लिए राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों लिए अनच्छेद 335 के अन्तर्गत एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करता है। यह पदाधिकारी अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान द्धारा प्रदत्त संरक्षणों से सम्बद्ध सभी विषयों का अनुसंधान करेगा और उन्हें संचालन के विषय में समय-समय पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा। राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।[9]

अनुसूचित जनजाति आयोग –13 मार्च, 1992 को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा की। 89वें संविधान संषोधन अधिनियम, 2003 के फलस्वरूप अनुच्छेद 338 को संशोधित कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिए गए है। इन आयोगों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। दोनों आयोग को दीवानी न्यायालय के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान द्धारा प्रदान किए गए अधिकारों और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर नजर रखते है। आयोग समय-समय पर अनुसूचित जनजातियों के हितों के परिप्रेक्ष्य में नए उपाय सुझा सकते हैं।

उपसंहार – भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुविधाएँ और उनके स्वरूप के विश्लेषण से हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि –

1. आरक्षण से लोक सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है।
2. आरक्षण से लोक सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक उन्नति संभव हो पायी है।
3. प्रदत्त सुविधाओं से अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया है।
4. प्रदत्त सुविधाओं से अनुसूचित जनजातियों के गरीबी के निवारण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
5. आरक्षण से संविधान के सामाजिक और आर्थिक न्याय सम्बन्धी प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन हुआ है।
6. आरक्षण से अनुसूचित जनजातियों में सत्ता में भागीदारी और समान अधिकारों पर जोर देने की भावना बढ़ी है।
7. आरक्षण से अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
8. आरक्षणा से अनुसूचित जनजातियों को भी शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी अदा करने का अवसर मिला है।
9. आरक्षण तथा प्रदत्त सुविधाओं से अनुसूचित जनजातियों में राजनीतिक चेतना बढ़ी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Riggs. : “Prigmatic societies and public administration' – Administrative chang, Vol. I , No. 2, 1973, P.P. 18-24
2. डॉ. पुखराज जैन तथा डॉ. बी.एल. फड़िया : भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगर 2010, पृष्ठ 648
3. वार्षिक रिपोर्ट 2001-02, भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, अध्याय-1
4. डॉ. डी.डी. बसु – इन्ट्रोडक्शन टु दि कान्सिट्यूषन ऑफ इण्डिया, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 196
5. डॉ. मीनाक्षी पँवार : जनजातियों के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ 15-16
6. डॉ. ब्रज किशोर शर्मा : भारत का संविधान : एक परिचय, नई दिल्ली, 2012
7. हरीश कुमार खत्री, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2011, पृष्ठ 166-167
8. वहीं, पृष्ठ संख्या 179-180
9. डॉ. मीनाक्षी पँवार : जनजातियों के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ 18

****

सत्याग्रह एवं उसके साधन

डॉ. संजय कुमार यादव *

प्रस्तावना – सत्याग्रह के विभिन्न तौर–तरीकों को तथा उनमें से कई को समय–समय पर विभिन्न अवस्थाओं व स्तरों पर स्वीकार कर शामिल किया जाता है। इसमें से महत्वपूर्ण हैं बुनियादी शिक्षा, रचनात्मक कार्यक्रम, युक्तियों के द्धारा रजामंदी, आत्म दु:ख भोग द्धारा ह्रदय परिवर्तन तथा अहिंसक प्रत्येक कार्यवाही या अहिंसक असहयोग के द्धारा अपनी बात मनवाने की दृढ़ धारणा जो हड़ताल, धरना, बहिष्कार तथा अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आदि किसी भी रूप में हो सकता है।

गांधीजी ने स्वीकार किया कि सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सत्याग्रह किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सत्याग्रह शब्द में ही अन्तर्निहित है, यह केवल न्याय सम्मत और उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है। गांधीजी ने कहा है कि सत्याग्रह के माध्यम से व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की अपेक्षा करना अनुचित है। गांधीजी ने सत्याग्रह के अनेक रूपों को स्वीकार किया है। जिनका प्रयोग बहुत ही सोच समझकर एवं आत्मसंयम के द्धारा किया जाना चाहिए।[1]

सत्याग्रह एक ऐसा तरीका है,जिसमें व्यक्ति द्धारा अपने नैतिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षार्थ शासक, संस्था या व्यक्ति के प्रति आपत्ति प्रकट की जाती है। जो विभिन्न कानूनों नीतियों तथा व्यवस्थाओं का निर्माण कर व्यक्ति के नैतिक अधिकार और स्वतंत्रता को आघात पहुंचाते है। वास्तव में यह बुरे शासक या व्यक्ति के विरोध का तरीका नहीं वरन् बुराई के विरोध का तरीका है, जिन्हें एक या अनेक व्यक्तियों की आत्मा तथा विवेक स्वीकार नहीं करती। इसी क्रम में गांधी जी की राजनीति को अनूठी देन सत्याग्रह के उन सबल साधनों की खोज तथा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण है, जिनके द्धारा कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा तथा विवेक का अनुसरण करते हुए असत्य व अन्याय के विरूद्ध संघर्ष कर सकता है।

असहयोग – गांधीजी का विचार था कि 'किसी भी शासन द्धारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इंकार कर दे, तो शासन के द्धारा कार्य नहीं किया जा सकेगा। सन् 1919–20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया गया था।'[2]

असहयोग, सत्याग्रह संघर्ष का प्रमुख अस्त्र है। इसका तात्पर्य ऐसे सभी व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रति असहयोग करना है, जो अन्याय, अत्याचार अथवा शोषण के लिए उत्तरदायी है। ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के नियमों या कानूनों का समर्थन न करना, कर न देना, सरकारी व्यवस्था को अस्वीकार करना आदि असहयोग के प्रमुख घटक माने जाते हैं। गांधीजी कहते है कि असहयोग बुराई में अनजाने और अनिच्छापूर्वक भागीदारी करने के विरूद्ध किया गया प्रतिवाद है। बुराई के साथ असहसयोग करना उसी प्रकार मनुष्य का कर्त्तव्य है, जिस प्रकार उसके साथ सहयोग करना।[3]

गांधीजी ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अहिंसक असहयोग के तरीके को टॉलस्टाय से सिखा। अहिंसक असहयोग एक पवित्र कर्त्तव्य है तथा अराजकता का एक बेहतर विकल्प है। यह विश्व को ज्ञात विरोधियों को परास्त करने का सबसे कारगर व त्वरित माध्यम है किसी बुरे के प्रति असहयोग की रणनीति अधिक सफल भले न हो लेकिन व्यापक जन आंदोलन का रूप देकर इसे अत्यंत सटीक विश्वस्त व सुनिश्चित माध्यम बनाया जा सकता है।

सविनय अवज्ञा – सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधीजी इसे पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का मूल अर्थ है– सरकार द्धारा निर्मित, सभी अनैतिक एवं अन्याय पूर्ण कानूनों का अहिंसात्मक उपायों द्धारा विनयपूर्वक उल्लघंन करना। व्यापक अर्थ में सविनय अवज्ञा का अर्थ है– सरकार की किसी नीति पर विरोध प्रकट करने या किसी राजनीतिक सुधार के लिए सरकार का ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से जब कोई कानून तोड़ा जाता है। तो उसे सविनय अवज्ञा कहा जाता है। इसलिए गांधी का विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्धारा नहीं वरन् कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्धारा किया जाना चाहिए और किन कानूनों का उल्लघंन किया जाए, यह बात सत्याग्रहियों द्धारा नहीं, वरन् नेता द्धारा ही निश्चित् की जानी चाहिए। सन् 1931 में नमक आंदोलन के रूप में गांधीजी द्धारा इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया था।

धरना – शांतिपूर्णधरना भी अहिंसा का एक वैध व उपयोगी तरीका है। हड़ताल ही की तरह धरने का स्वरूप भी रजामंदी वाला होना चाहिए न कि बल प्रयोग वाला। असहयोग आंदोलन तथा 1930–31 से सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों के दौरान गांधीजी ने दोनों से विशेषकर महिलाओं विदेशी तथा देसी शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने का आह्वाहन किया। यद्यपि गांधीजी ने धरने को पिकेटिंग के एक तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने धरना को एक, बर्बर, क्रूर तथा बाध्यकारी कायराना कार्यवाही बताया। सत्याग्रह के एक अंग के रूप में पिकेटिंग का पूर्ण रूप से अहिंसक होना अनिवार्य है।

धरना देने का उद्देश्य विचारों को बदलने से होता है। यह अनिवार्य रूप से शांतिमय होना चाहिए। इसमें असभ्यता का व्यवहार, जोर–जबरदस्ती, धमकी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह दबाव, पुतलों को जलाने या गाढ़ने

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

अथवा भूख हड़ताल से रहित होना चाहिए। गांधीजी के शब्दों में शांतिमय धरना उस व्यसन के खिलाफ एक दोस्ताना चेतावनी है, जिसे सुधारक बुरा समझता है। उदा. यदि शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए, तो शराबी या नशेबाज को शराब की हानियां बताकर उसके विचरों को बदला जाए न कि उसके मार्ग में बाधा प्रस्तुत की जाए।

बहिष्कार – गांधीजी बहिष्कार को घेरे बंदी की संज्ञा देते हैं। उन्होंने बहिष्कार को ऐसा कड़ा अस्त्र माना है, जिसका प्रयोग मर्यादा में रहकर किया जा सकता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि विरोधी को अनिवार्य सामाजिक सेवाओं (जैसे-सेवक की सुविधाएं, भोजन तथा वस्त्र की सुविधाएं या डॉक्टरी सहायता की सुविधाओं) से ही वंचित कर दिया जाए। ऐसा करना हिंसा होगी। इस तरह से उन्होंने मर्यादित सामाजिक बहिष्कार की परिकल्पना की है।

सामाजिक अनुशासन और आचार भंग करने वालों का सामाजिक बहिष्कार का तरीका बहुत पुराना है। जनमत के प्रतिकूल आचरण करने वालों के विरूद्ध ही ऐसा कदम उठाया जा सकता है। गांधीजी ने विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के विरूद्ध इसको प्रभावी रूप से काम में लिया था। गांधीजी ने बहिष्कार का प्रयोग विदेशी चीजों, न्यायालयों, सरकारी नौकरियों, विद्यालयों, उपाधियों आदि को त्याग कर किया था। स्वयं गांधीजी ने रोलेट एक्ट के विरोध में उन्हें प्राप्त 'केसर हिन्द', जुलू विद्रोह पदक एवं बोअर युद्ध पदक का बहिष्कार किया।

हड़ताल – सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किन्तु हड़ताल के संबंध में गांधीजी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है। गांधीजी वर्ग-संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधीजी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगे नितान्त स्पष्ट और उचित होनी चाहिए।

गांधीजी के अनुसार हड़ताल विरोध स्वरूप कार्य को स्वेच्छा पूर्वक बंद करने को हड़ताल कहते हैं। हड़ताल एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा व्यक्तियों का समूह या समाज अपने भावों को प्रकट कर सकता है। हड़ताल जनता के दु:ख-दर्द को प्रकट करने का माध्यम है। यह सरकार के कार्य के प्रति अपनी असहमति या अप्रसन्नता प्रकट करने का तथा लोगों में जागृति लाने का सर्वोत्तम साधन है। राष्ट्र की राय प्रकट करने का यह तरीका विराट सभाओं की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल है।

उपवास – सत्याग्रह का सबसे नाजुक रूप उपवास है। सत्याग्रह के अन्य स्वरूपों की तुलना में उपवास गांधीजी का खुद का अपना तरीका था। उपवास मुख्य रूप से व्यक्तिगत शुद्धि व आत्मालोचना का माध्यम है।[4]

उपवास ऐसा अस्त्र है जिसे व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं लागू करता है। यह सत्याग्रह के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसके परिणाम भंयकर होने से इसका प्रयोग बड़ी सावधानी और समझ से करना चाहिए। इसका सहारा तभी लेना चाहिए जब सभी संवैधानिक तरीके, याचिकाएं तथा प्रार्थना पत्र असफल हो गए हों। यह 'आध्यात्मिक औषधि' है। उपवास कई आधारों पर किए जा सकते हैं, आत्म-शुद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पश्चाताप के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए या बुराई करने वाले का हृदय परिवर्तन करने के लिए। उपवास कैसा भी हो प्रत्येक में सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है।

वर्तमान में भारत में अनेक आंदोलन हुए हैं, जिन्हें गांधीवादी आंदोलन का नाम दिया जाता रहा है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर) में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसमें सेना को संदेह के आधार पर किसी को भी बंदी बनाकर पूछताछ करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया। इसे 'आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट' कहा जाता है इसके खिलाफ वहां की एक युवती इरोम शर्मिला चानू ने पिछले 12 वर्षों से इस एक्ट के विरोध में आमरण अनशन कर रही हैं, उन्हें सरकार द्वारा जबरदस्ती नली के माध्यम से आहार दिया जा रहा है। हाल ही में उन्हें लेखकगणों ने पुरस्कृत करना चाहा, लेकिन उन्होंने पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया। यह दुनिया का सबसे लम्बे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है।[5]

आंध्रप्रदेश के ख्यातिनाम नेता के. चन्द्रशेखर राव ने (2009) में पृथक तेलंगाना राज्य की मांग की, इस हेतु उन्होंने 9 दिन का उपवास रखा। कांग्रेस प्रमुख द्वारा इस मांग को मान लिया गया, इसे भी के. चन्दशेखर राव ने गांधीवादी सत्याग्रह का एक रूप देने की कोशिश की। अगस्त 2011 में दिल्ली में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों श्री अन्ना हजारे और अरविन्द केजरीवाल आदि ने जन लोकपाल को लागू करवाने के लिए सरकार से आग्रह किया और उपवास भी रखा। यद्यपि सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया और विशाल जन आंदोलन स्थगित हुआ। इसे भी एक गांधीवादी सत्याग्रह का रूप देने का प्रयास किया गया।

मध्यप्रदेश (अक्टूबर, 2012) में सत्याग्रह का एक नया व अनोखा आंदोलन हुआ। यह एक कृषक आंदोलन था जो 'जल-जंगल और जमीन' के लिए किया गया था। इसमें वहां के कृषक पानी के अन्दर उकडूं (घुटने के बल) बैठकर निरन्तर अनशन करते रहे। इसे 'जल सत्याग्रह' कहा गया।[6]

हिजरत या प्रवर्जन – हिजरत का अर्थ है अन्यायी शासक और उसके द्वारा बनाए गए अनैतिक कानून के विरोध में स्वेच्छा से उस देश या स्थान को छोड़ कर चले जाना। हिजरत का प्रयोग सन् 1928 में बारदौली एवं जम्बूसर की जनता ने 1930 में किया। ये लोग बडौदा राज्य में जाकर बस गए। 1939 में बिठलगढ़, लिम्बडी के सत्याग्रहियों ने भी हिजरत किया था। गांधीजी ने 1939-40 में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान सिंध प्रांत के लोगों को हिजरत की सलाह दी।

बुनियादी शिक्षा – गांधीजी समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास चाहते थे। उनका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास से समाज में उसकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना था। व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास से उनका तात्पर्य शारीरिक मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास था। वे जानते थे कि मानव सिर्फ बौद्धिक पुतला या पाश्विक शरीर अथवा हृदय या आत्मा मात्र नहीं है। वरन् इन तीनों के समरस व उपयुक्त मिलन से ही व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण संभव है।म इसलिए उन्होंने एक ऐसी बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा तैयार की जो व्यक्ति के दिव्य गुणों को उभारकर उसे एक संतुलित, समर्थ चेतना व प्रबुद्ध व्यक्तित्व प्रदान कर सके।

रचनात्मक कार्यक्रम – रचनात्मक कार्यक्रम गांधीजी के 1920 के बाद के सत्याग्रह आंदोलन का एक अभिन्न व सकारात्मक पहलू था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा स्वदेशी भावना का प्रसार था। इसे चलाने के पीछे सामाजिक सौहार्द का प्रतिस्थापन तथा छुआ-छूत, बेरोजगारी व अशिक्षा जैसे सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन का निहित उद्देश्य काम कर रहा था।

विश्वासोत्पादक युक्तियों के द्वारा परिवर्तन – गांधीजी का मानना था कि जन शिक्षा तथा रचनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि किसी अंतिम क्रांति या आमूल-चूल परिवर्तन के लिए व्यक्तियों व

समूहों की कुछ निश्चित विचारों, संवेदनाओं तथा अवधारणाओं के प्रति आसक्ति को पहले दूर किया जाए। और यह सिर्फ विश्वासोत्पादक व सौम्य युक्तियों द्वारा परिवर्तन से ही संभव है न कि जबरन या बाध्यकारी तौर-तरीकों से।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, पी. के चढ्ढ़ा, सोढी, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, पृ. 245
2. पुखराज जैन, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिशिंग आगरा, पृ. 221
3. यंग इंडिया , 1 जूप 1921
4. एम.के. गांधी, आटोबायोग्राफी, पृ. 429
5. लोकतंत्र और सत्याग्रह संपादकीय, जनसत्ता, 2 दिसम्बर, 2009
6. जनसत्ता एवं दैनिक भास्कर, अक्टूबर, 2012
7. हरिजन, 8.5.1937

****

मानवाधिकार प्राचीन भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में

अभिलाषा साठे * संजय साठे **

प्रस्तावना – मानवाधिकार वह नैतिक सिद्धांत होते हैं, जो मानवीय व्यवहार के प्रतिमानों को व्यक्त करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि में वैधानिक अधिकारों के रूप में संरक्षित है। इनका आशय ऐसे अपरिहार्य, सार्वभौम, निरपेक्ष तथा अप्रतिबंधात्मक अधिकारों से है, जो मनुष्य को मानव मात्र होने से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं एवं जो राष्ट्र, स्थिति, धर्म, जन्म अथवा सामाजिक परिस्थिति से परे होते हैं.

यदि विगत डेढ़ शताब्दी के राजनीतिक,सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य को देखें तो उसके चरित्र को समग्र रूप से जिस शब्द संयोजन से व्यक्त किया जा सकता है और वह है, अधिकारों के लिए संघर्ष. अधिकार यह समस्त समकालीन बौद्धिक परिचर्चाओं में प्रमुख रूप से मुखरित होता है वरन इतना ही नहीं बल्कि विगत इतने वर्षो में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक सिद्धांत भी इसके ही इर्द गिर्द ही प्रतिपादित किए गए हैं। मानव जीवन के अस्तित्व ही नहीं बल्कि अंत को भी अधिकारों के सन्दर्भ में ही परिभाषित किया गया है और इतना ही नहीं मानव के समाज व अन्य मनुष्यों के परस्पर संबंधों को भी प्राथमिक रूप से इसी के परिप्रेक्ष्य में समझाया जाता रहा है। वास्तविकता तो यह है कि तमाम राजनैतिक, सामाजिक, वैधानिक, सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक संस्थाएं अपने अस्तित्व के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अधिकारों की अवधारणा का आश्रय लेते हैं। लगभग सभी जटिल समस्याओं के मूल में यही अधिकार केन्द्रित दृष्टिकोण है.

इस अवधारणा के तहत मनुष्य को एक क्षुद्र देवता के समान समझ लिया जाता है। जिसके पास अधिकारों के रूप में निरंकुश शक्तियां निहित हैं, जिनका उपयोग वह सहजीवी मनुष्यों अथवा समग्र समाज के विरुद्ध प्रतिरक्षक शस्त्र के रूप में करता है. इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत अहम् ने सामुदायिक भावना का अधिग्रहण कर लिया है तथा मानव समाज जाति, वर्ग, संस्कृति, लिंग, समूह, व्यवसाय, धर्म एवं विचारधाराओं या विचार पद्धतियों में विभक्त हो गया है। मानवता के एकात्मकता का सिद्धांत कहीं विलुप्त हो गया है व मनुष्य एक विमुक्त एकाकी तत्व में बदल गया है। जिसका निसर्ग की विराट वास्तविकता से कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा है। यथार्थ में इससे मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य एवं अर्थ ही विस्मृत हो गया है.

इस समस्या का एक संभावित समाधान समाज के अधिकार केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर कर्तव्य केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाने से हो सकता है। इसके अंतर्गत मनुष्य जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए दायित्वबोध की भावना, अधिकार बोध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन में इस दृष्टिकोण को ऋण, योग्य तथा पुरुषार्थ की अभिधारणा के आधार पर व्यक्त किया गया है।

सर्वसामान्य रूप से मानवाधिकारों के पैरोकार यह प्रतिपादित करते हैं कि, मनुष्य को मानव मात्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से कतिपय सार्वभौम अधिकार प्राप्य है। किन्तु भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य सुनिश्चित ऋणभार के साथ जन्म लेता है एवं यह उसका प्राथमिक धर्म अथवा दायित्व होता है कि वह उससे उऋण हो। यह नितांत सत्य है कि इस हेतु उसे निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता या सुविधाएँ देनी होगीं। यही स्वतंत्रता ही उसके अधिकारों को परिभाषित करती है।

हिन्दू धर्म में ऋणों के निस्तारण के लिए यग्य अर्थात मनुष्योचित कर्म एवं उन कर्मो के संपादन के लिए वर्गीकृत आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है :-

ऋण – 1. देव ऋण 2. पितृ ऋण 3. ऋषि ऋण
यग्य – 1. देव 2. पितृ 3. ऋषि 4. भूत
5. मनुष्य
पुरुषार्थ – 1. अर्थ 2. काम 3. धर्म एवं 4. मोक्ष.

उपरोक्त में पुरुषार्थ को गुणानुक्रम के अनुसार रखा गया है जहाँ मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों का अंतिम एवं सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्ति माना गया है, परन्तु समाज एवं व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की दृष्टि से धर्म को केंद्र में रखा गया है जो दायित्वों तथा अधिकारों की संकल्पना की आधारशिला है। यहाँ धर्म के सिद्धांत का विस्तारपूर्वक वर्णन आवश्यक है।

धर्म यह धृ धातु से व्युत्पन्न है जिसका आशय धारण करना होता है.। एतद्धारा यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था को इंगित करता है जो ब्रह्मांड को एक एकीकृत व्यवस्थित समष्टि के रूप में संधारित करता है। यह प्रत्येक सूक्ष्म इकाई के आवश्यक तत्व के रूप में व्याप्त माना जा सकता है जिससे कि वह प्रत्येक इकाई स्वधर्म का पालन करते हुए ब्रह्मांड के साथ सम्पूर्ण एकात्मकता के साथ अस्तित्व में रहती है.

धर्म के विभिन्न आयाम मूलत: दो श्रेणीयों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं – 1. साधारण धर्म व 2. स्वधर्म.

स्वधर्म को आगे दो में विभक्त किया जाता है – 1. वर्ण धर्म तथा 2. आश्रम धर्म इसके अतिरिक्त आपाद धर्म एवं युग धर्म का उल्लेख भी शास्त्रों में वर्णित है।

वर्ण धर्म के अंतर्गत समाज में क्रिया-कलापों के आधार पर इसे विभिन्न वर्णो में बांटा गया है, वहीं आश्रम धर्म के अंतर्गत जीवन सोपान में भिन्न भिन्न अवधियों में मनुष्य के क्रिया कलापों के अनुसार उसके उत्तरदायित्वों का उल्लेख है. और यहीं से अधिकारों का प्रादुर्भाव होता है।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था में अब यह स्पष्ट होता है कि, – 1. मनुष्य इस व्यवस्थित ब्रह्मांड में निवासित एक सामाजिक प्राणी है। 2. ब्रह्मांड की वास्तविक संरचना को इसकी सकारण रुपरेखा के आधार पर ही समझा जा सकता है। 3. मनुष्य सुनिश्चित उत्तरदायित्वों को लेकर अस्तित्व में आता है व उसके समस्त क्रिया कलाप इनके निर्वहन के प्रति उद्देशित होने चाहिए। 4. इन उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को कतिपय सुविधाएँ एवं अधिकार प्राप्य होते हैं। 5. धर्म के भिन्न–भिन्न स्वरूपों के अनुसार यह अधिकार भी भिन्न–भिन्न प्रकृति के होते हैं व ये तभी तक अधिमान्य होते हैं, जब तक कि उनका अनुप्रयोग सुनिश्चित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किया जाये।

उपरोक्त से स्पष्ट है की साधारण धर्म के परिपालन से उपजे अधिकार सार्वभौम होते है व उनकी तुलना आधुनिक व्यापक मानव अधिकारों से की जा सकती हैं। साधारण धर्म के अनुसार अन्य मनुष्यों के प्रति मानवीय व्यवहार करना, उनकी प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा तथा स्वतंत्रता का सम्मान करना इत्यादि अपेक्षाएं समाहित हैं। स्वाभाविक रूप से इनसे मूल अधिकार यथा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आत्म निर्णय का अधिकार, एवं संपत्ति का अधिकार व्युत्पन्न होते हैं। यह अधिकार सर्वसामान्य हैं एवं अंततोगत्वा स्वधर्म के पालन के स्तर पर विशिष्ट अधिकारों का सृजन होता है। इस स्तर पर वर्ण एवं आश्रम के आधार पर अधिकार परिभाषित होते हैं व वे अपेक्षया अधिक सुस्पष्ट होते हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यदि वर्ण विशेष के व्यक्तियों के लिए कोई विशेष सुविधाएँ अथवा अधिकार हैं। तो तदनुसार उत्तरदायित्वों का भार भी अधिक है और यही नहीं बल्कि व्यवस्था के उल्लंघन पर अपेक्षा अधिक कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। आश्रम धर्म में भी उदाहरण के लिए यदि गृहस्थ आश्रम में संपत्ति का अधिकार मान्य है तो सन्यास आश्रम में यह वर्जित है.

संक्षेप में यह सम्पूर्ण व्यवस्था स्वभाव, स्वधर्म तथा स्वाधिकार के परस्पर अंतर्संबंध पर निर्भर करती है.अर्थात स्वभाव के अनुसार कुछ कर्तव्य जनित होते हैं, जिनसे स्वयमेव सुनिश्चित अधिकारों का प्रादुर्भाव होता है। स्वभाव भिन्नता के कारण अधिकारों की प्रकृति भी भिन्न होती है परन्तु सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक अधिकारों की यह भिन्नता समाज की उन्नति में बाधक नहीं होती. इसके विपरीत यह जनतंत्रीय समाज के विकास एवं स्थायित्व में सहायक होती है. इस व्यवस्था में कर्तव्य एवं अधिकारों का परस्पर समन्वय है। यहाँ अधिकार साध्य न होकर साधन हैं जिनसे सुनिश्चित उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा सके। अधिकारों की अपरिहार्यता, सार्वभौमिकता, निरपेक्षता तथा अप्रतिबंधात्मकता उन कर्तव्यों की विशिष्टताओं पर निर्भर करती है। जिनके लिए ये अधिकार साधन के रूप में अनुप्रयुक्त किए जाते है। इस कर्तव्य अथवा दायित्व केन्द्रित वैश्विक दृष्टिकोण में अधिकार ध्येय दैशिक प्रकृति ग्रहण कर लेते हैं। इसकी यह एक अतिरिक्त विशिष्टता है कि यह नए–नए अधिकारों (जो वर्तमान में कुकुरमुत्तो की तरह उद्भासित होते रहते हैं) के सृजन/संश्लेषण पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध आरोपित करता है.

अतः अधिकारों की यह ध्येय/साध्य –दैशिक प्रकृति समाज अथवा राज्य की सत्ता/प्रभुत्व एवं मानव की स्वायत्तता के मध्य संतुलन स्थापित करता है जो वर्तमान में राजनीतिक–सामाजिक स्थिति का एक ज्वलंत प्रश्न है. यह दायित्व आधारित अधिकार व्यवस्था इनके महत्तव को कम करने के स्थान पर उन्हें सुनिश्चित, सुदृढ़, व्यावहारिक एवं अधिक प्रभावी बनता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. काणे, पांडुरंग वामन– धर्मशास्त्र का इतिहास, भांडारकर प्राच्य अनुसंधान केंद्र, पुणे।
2. ट्रॉय विल्सन ऑर्गन – 'The Hindu Quest for the Perfection of Man',ओहियो वि.पि., एंथेंस ओहियो।
3. मनु धर्मशास्त्र, VII, 336–338,

****

प्रजामण्डल को दिशा देने वाले जुझारू नेतागण और उनका परिचय

सेवक चौहान *

प्रस्तावना – प्रजामण्डल एक व्यापक आन्दोलन था जिसका प्रभाव राजस्थान और मध्य भारत में विशेष रूप से गहराई तक फैला हुआ था। प्रजामण्डल आन्दोलन का उद्‌भव कांग्रेस की गर्भनाल से हुआ था। प्रजामण्डल आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में 'उत्तरदायी शासन' की स्थापना करना था। जिसके लिए उसे एक लम्बी लड़ाई लड़ना पडी। इस लम्बे संघर्ष में उसे एक और आंग्ल सत्ता से लड़ना पड़ा तो दूसरी ओर उसे भारत के रियासती राजाओं से जूझना पड़ा था। इस लम्बे संघर्ष में अन्तत: विजयश्री ने प्रजामण्डल का ही वरण किया। इस लम्बे संघर्ष में जीत का श्रेय प्रजामण्डल के जुझारू नेताओं को जाता है।

प्रजामण्डल के जुझारू और कर्मठ नेताओं के परिचयन लेखन के अभाव में प्रजामण्डल आन्दोलन आधारहीन ही रहेगा। इस आन्दोलन के जुझारू और कर्मठ नेताओं ने ही आन्दोलन को दिशा देने वाले और आन्दोलन के पोषक तत्व थे, जिन्होंने आन्दोलन के प्रत्येक स्तर पर न केवल आन्दोलन को संगठित किया अपितु आन्दोलन को पुष्पित और पल्लवित भी किया था। इन्दौर राज्य प्रजामण्डल के जुझारू और संगठन कर्ताओं का संक्षिप्त परिचय इन प्रकार है –

1. **सर्वश्री बैजनाथ महोदय –** श्री बैजनाथ महोदय प्रजामण्डल के पितृ पुरूष और मण्डल संगठन की आत्मा थे। उनका जन्म 11 मई, 1897 ई. को नार्मदीय ब्राम्हण परिवार में हुआ था। ये मूलत: मण्डलेश्वर, पश्चिम निमाड़ के निवासी थे। स्नातक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वे गांधीजी के अनुयायी होकर सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने गांधी सेवा संघ वर्धा में भी काम किया। साथ ही 'हिन्दी नव जीवन' (गांधीजी के यंग इंडिया का हिन्दी रूपान्तरण) में काम करने के बाद अहमदाबाद चले गए और वर्ष 1938 के दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में वे इन्दौर आ गए।[1]

श्री बैजनाथ महोदय के परिवार में आरम्भ से ही राजनैतिक जागृति और स्वाधीनता का अलख जगाने का वातावरण बना हुआ था, जो उन्हें विरासत में प्राप्त हुआ। मण्डलेष्वर में उनके आवास पर राजनीतिज्ञों का आना जाना बना रहता था। उनके निवास पर ही राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित होती रहती थी। उनके पिता श्री जगन्नाथ महोदय स्वयं 'पैसा फण्ड' और 'मुष्ठि फण्ड' एकत्र करते थे। विदेशी वस्तुएं उनके घर में प्रतिबन्धित थी। मण्डलेश्वर के अनेक परिवारों ने उन दिनों विदेशी शक्कर का बहिष्कार किया हुआ था। श्री बैजनाथ महोदय का मण्डलेश्वर निवास खुफिया पुलिस की निगरानी में रहता था।

वर्ष 1921 ई. से वे स्वाधीनता आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और स्वाधीनता आन्दोलन के कारण ही उन्हें 6 माह का कारावास दिया गया था।[2]

ई. 1921 में जब 'राज्य प्रजा परिषद' की स्थापना हुई, उन्हीं दिनों प्रजामण्डल सदस्यता का भार श्री बैजनाथ महोदय को सौंपा गया था। लोक सेवक संघ और प्रजामण्डल सदस्यता अभियान का श्रेय बैजनाथ महोदय को ही जाता है।

श्री बैजनाथ महोदय के सफल प्रयासों से ही 'प्रजामण्डल पत्रिका' का उद्‌भव और विकास हुआ। उन्हीं दिनों प्रजामण्डल के नेताओं ने राजकुमारी अमृत कुंवर को इन्दौर आमंत्रित किया। अमृत कुंवर उन दिनों गांधी जी के सचिव के रूप में काम करती थी। अमृत कुंवर के आगमन से प्रजामण्डल को बड़ा बल मिला और उन्हीं के आर्शीवाद के साथ प्रजामण्डल ने अपना मुख पत्र 'प्रजामण्डल पत्रिका' शुरू कर दिया।[3] यह पत्रिका प्रजाजनों में काफी लोकप्रिय हो गई और एक प्रकार से यह पत्रिका समाज की आषा अपेक्षाओं का आईना थी। राज्य के और ब्रिटिश अधिकारी भी इसे ध्यान पूर्वक पढ़ते थे। रेसीडेन्सी में इसके हर अंक का अंग्रेजी अनुवाद होता था।[4]

प्रजामण्डल पत्रिका का सम्पादन संचालन गांधीजी के सिद्धांत के अनुसार ही होता था। कोई भी बात गलत नहीं निकले, भाषा में संयम हो, शासन की आलोचना में शिष्टता भंग न हो, जनता में स्वावलम्बन, सच्चाई, निर्भयता और तेजस्विता का विकास हो इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता था। इसी कारण से यह पत्रिका की मदद से प्रजामण्डल के प्रभाव का काफी विस्तार हुआ।[5]

श्री बैजनाथ महोदय के दौरा कार्यक्रम के दौरान लगभग 5000 से भी अधिक प्रजामण्डल के सदस्य बनाए गए और उनके नेतृत्व में प्रजामण्डल की 35 शाखाऐं स्थापित की गई थी।

श्री बैजनाथ महोदय ने ग्रामीण जनता को जाग्रत किया। उन्होंने ग्रामीणों को स्वराज्य का महत्व बताकर उन्हें स्वराज्य प्राप्ति के लिए तैयार किया था। वे प्रजामण्डल के एक सक्रिय और संवेदनशील तथा जुझारू नेता थे। उन्ही के सतत संघर्ष से इन्दौर राज्य में 'उत्तरदायी शासन' की मांग सफल हो सकी थी।

श्री बैजनाथ महोदय ने सत्याग्रह आन्दोलन के समय लाठियाँ खाई, शरीर पर चोटे झेली और कई – कई दिनों तक जेल में भी बन्द रहें।

कालान्तर में श्री बैजनाथ के पिता श्री जगन्नाथ महोदय मण्डलेष्वर को त्याग कर इन्दौर आ गए और 14/2 नार्थ राज मोहल्ला के निवासी बने। इन्दौर में ही रहकर उन्होंने प्रजामण्डल आन्दोलन को संचालित किया। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी विरासत 'प्रजामण्डल पत्रिका' के समस्त अंक 'नईदुनिया' को सौप दिए। आज भी प्रजामण्डल के ये समस्त अंक नईदुनिया समाचार पत्र इन्दौर के ग्रन्थालय में देखे जा सकते है।

2. **श्रीमती तुलसी बाई बैजनाथ –** श्रीमती तुलसीबाई, बैजनाथ महोदय की धर्म पत्नी थी। जिनका जन्म सन् 1900 ई. में हुआ था। कक्षा 7 वी तक

* वरिष्ठ अध्यापक (इतिहास) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुकडोल, जिला- खरगोन (म.प्र.) भारत

उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। सन् 1933 में स्वाधीनता आन्दोलन में उनकी सतत् भागीदारी रही थी। वे अपने पति के साथ संयुक्त रूप से रहकर कार्य करती रही। स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें तीन माह का कारावास भी हुआ था।[6]

3. श्री काशीनाथ त्रिवेदी एवं श्रीमती कलावती त्रिवेदी – श्री काशीनाथ, बैजनाथ महोदय की तरह प्रजामण्डल के एक प्रखर नेता थे। काशीनाथ का जन्म 16 फरवरी सन् 1906 ई. को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री नारायण त्रिवेदी था। काशीनाथ की शिक्षा स्नातक स्तर की थी। सन् 1942 के आन्दोलन के दौरान वे 2 वर्ष 1 माह और 2 दिन के लिए गिरफ्तार होकर कारावास में रहे। आप साजन नगर, इन्दौर के निवासी थे। वे साप्ताहिक और मासिक पत्रों के सम्पादक भी रहे।[7]

काशीनाथ की भार्या का नाम कलावती था, जिनका जन्म 19 जनवरी सन् 1915 को हुआ था। वे केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थी। वे सन् 1931 ई. में खेडा जिला गुजरात में सत्याग्रही बहनों के साथ हुए लाठी चालन में आहत हुई थी। सत्याग्रही बहनों साथ उनकी गिरफ्तारी हुई और तीन माह का उन्हें कारावास हुआ। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर प्रजामण्डल का कार्य किया था।[8]

4. स्वर्गीय श्री विश्वनाथ खोडे (1897 – 1975 ई.) – स्व. श्री विश्वनाथ खोडे का जन्म 9 अक्टूबर सन् 1897 ई. को धार जिले के कुक्षी नामक शहर में हुआ था। उनके पिता श्री सखाराम जी खोडे टंका कौडी और घी का व्यवसाय करते थे। उनका पैतृक स्थान बड़वाह था।[9]

श्री खोडे ने अपने सार्वजनिक जीवन का आरम्भ 'स्वराज्य आन्दोलन' और समाज सेवा से आरम्भ किया था। समाज सेवा जैसे रचनात्मक कार्यो के लिए उन्होंने अनेकानेक सहयोगी साथियों को भी तैयार किया था।

भारत में होने वाले बंग – भंग, स्वराज्य और स्वदेशी आन्दोलनों ने खोडे को अत्यधिक प्रभावित किया था। श्री खोडे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और उनके रचनात्मक कार्यो से सर्वाधिक प्रभावित थे। श्री खोडे अपनी जीवनी में लिखते है कि वे संत विनोबा जी के भू–दान, ग्रामदान और स्वराज्य आन्दोलन ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था।

अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में खोडे जी को महात्मा गांधी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और गांधी जी ने अपनी शुभकामनाओं के साथ उन्हें ग्रामोद्योग संयोजक नियुक्त किया।

सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में खोडे जी ने निमाड़ जिले का नेतृत्व किया। कई आन्दोलनों में भाग लेने के कारण वे सितम्बर 1942 से नवम्बर 1943 तक भारत रक्षा कानून के तहत नजरबन्द रहे थे।[10]

निमाड़ में प्रजामण्डल की स्थापना करना और उसके विकास एवं विस्तार का कार्य करना खोडे जी के ही जिम्मे था। निमाड़ में प्रजामण्डल आन्दोलन की जिम्मेदारी को उन्होंने बखुबी निभाया और प्रजामण्डल की जड़ो को गहरे तक रोप दिया था। पश्चिम निमाड़ में उन्होंने गांधी दर्शन और गांधी साहित्य के साथ – साथ खादी ग्रामोद्योग तथा अस्पृश्यता निवारण जैसे रचनात्मक कार्यो का जोर शोर से प्रचार किया था। निमाड़ के लोगों ने श्री खोडे के रूप में गांधी को देखा था। अत: आगे चलकर श्री खोडे 'निमाड़ के गांधी' के रूप में ही ख्यात हुए।

26 जनवरी सन् 1948 को विश्वनाथ सखाराम खोड़े इन्दौर राज्य के लोकप्रिय मंत्रीमण्डल में राजस्व मंत्री बने तथा 28 मार्च 1948 से 16 जून 1948 ई. तक इन्दौर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रशासन को पूरी तरह से जन सेवा की दिशा में मोड़ दिया था और छ: माह में उतना कर दिखाया, जितना बाद के कई वर्षो में न हो सका था।

श्री काशीनाथ जी 'विश्वसखा जीवन दर्शन' में उनके विषय में लिखते है कि 'हम तो श्री खोडे जी को ऊपर – ऊपर ही देखते और जानते रहे। उनके अन्तरतम की थाह हम नहीं ले पाए, जिसके लिए हम चूक गए। यही कारण है कि हमारे बीच से धूल भरे हीरे का सा जीवन जीकर वे हमसे हमेशा–हमेशा के लिए बिछुड गए। हमने तो केवल अपनी कल्पना दरिद्रय का परिचय दिया।[11]

वर्तमान समय में खरगोन स्थित श्री खोडे का निवास 'प्राकृतिक चिकत्सा केन्द्र' के रूप में जाना जाता है, जहां प्रसिद्ध रंगकर्मी डी.जे. जोषी द्वारा निर्मित उनकी सुन्दर मूर्ति आज भी उनकी स्मृति को ताजा कर रही है।

5. श्री पुरूषोत्तम विजय (हनुमान सत्याग्रही) – श्री पुरूषोत्तम विजय प्रजामण्डल के एक धाकड़ नेता एवं आन्दोलनकर्ता थे। उनका जन्म 15 जुलाई सन् 1915 ई. को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सीताराम नानेरिया था। उनकी शिक्षा– दीक्षा केवल मेट्रिक तक हुई थी। पुरूषोत्तम विजय प्रारम्भ से ही प्रजामण्डल से जुड़े हुए थे और उनकी गणना एक जुझारू नेता के रूप में होती थी। इन्दौर के सराफा बाजार में उन्होंने जो सत्याग्रह आन्दोलन किया था, वह आन्दोलन 'हनुमान सत्याग्रह' आन्दोलन के नाम से जाना जाता था। सन् 1930 के स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 18 माह के कारावास की सजा हुई थी।[12]

6. श्री कन्हैयालाल खादीवाला – श्री कन्हैयालाल खादीवाला के पिता का नाम श्री जगन्नाथ खादीवाला था। श्री कन्हैयालाल खादीवाला का जन्म सन् 1860 में हुआ था और वे इन्दौर के मूल निवासी थे। वर्ष 1922–23 में वे आर्य समाज से जुड़े और कालान्तर में फिर कांग्रेस के ही होकर रह गए। सन् 1930 में आपने 'गोपालकृष्ण खादी भण्डार' की स्थापना की तथा खादी के प्रचार–प्रसार में ही अपना जीवन खफा दिया। अत: इसी कारण से वे 'खादीवाला' के नाम से प्रसिद्ध हुये।[13] इन्दौर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के बहुत पूर्व से ही आप राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रियता से भाग लेने लगे थे। राष्ट्रीय गतिविधियों का आपने संचालन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण कई बार जेल भी गए। अजमेर, भोपाल आदि रियासतों के स्वतंत्रता आन्दोलनों में आपका यशस्वी योगदान रहा था।[14]

सन् 1940 में आपने युद्ध विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। कलकत्ता कांग्रेस के लिए भाग लेने में जाने के लिए आसनसोल की जेल में आप महामना मालवीय जी के साथ नजरबंद रहे। 1932 ई. में झण्डा सत्याग्रह तथा पिकेटिंग के लिए आपको जेल हुई। सन् 1942 में बम्बई कांग्रेस महासमिति के लिए आपको जेल हुई। सन् 1942 में बम्बई कांग्रेस महासमिति के आयोजन पर पुन: गिरफ्तार किए गए और अजमेर जेल में बंद रहे। कालान्तर में आप प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नियुक्त किए गए।[15]

7. श्री दत्तालत्रय शान्तादत्त सरमंडल – श्री सरमण्डल इन्दौर राज्य प्रजामण्डल के सक्रिय और समर्पित नेता रहे थे। श्री सरमण्डल का जन्म 28 अप्रेल सन् 1906 ई. को इन्दौर में हुआ था। वे कला संकाय के स्नातक थे। उन्होंने सन् 1939 से प्रजामण्डल के विभिन्न आन्दोलन तथा स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया था। आन्दोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें चार बार जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। उनके कारावास की अवधि 2 वर्ष से अधिक रही।[16]

8. श्री बाबू लाभचंदजी छजलानी (नईदुनिया के पितृ पुरूष) –

नईदुनिया समाचार पत्र, इन्दौर के पितृ पुरूष तथा प्रजामण्डल आन्दोलन के जमीनी कार्यकर्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबू

लाभचंद जी के पिता का नाम श्री हरकचंद जी छजलानी था। बाबू लाभचंद्र जी जैन परिवार से संबंधित थे। बाबू लाभचंद छजलानी इंदौर में स्वदेशी आन्दोलन तथा प्रजामण्डल के जमीनी कार्यकर्ता और आन्दोलन के प्रेरणा स्त्रोत थे।

प्रजामण्डल के सचिव श्री बाबूलाल पटोदी बाबू लाभचंद जी के विषय में लिखते है कि – ' मैंने सबसे पहले बाबू जी को तब देखा था, जब इन्दौर में महात्मा गांधी आए थे। बाबूजी उस समय काफी कार्यक्षम थे, उस समय मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी।[17]

बाबूजी का जहाँ तक संबंध है, वे कभी किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं रहा कि जिसमें उन्होंने आगे आकर हिस्सा नही लिया हो और सुचारू रूप से चलाया नहीं हो। वर्ष 1940–41 के दौरान गोकुलदास जी धूत और लाभचंद जी दोनों ही राजकुमार मिल में काम करते थे।[18]

होलकर राज्य के कर्नल दीनानाथ प्रजामण्डल आन्दोलन को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। घटाना 1942 की है – 15 सितम्बर 1942 को प्रजामण्डल के नेताओं को इन्दौर जेल में रखा गया था। तब बाबूजी का वह रूप भी देखने में आया जो एक माँ का होता है। बाबूजी ने जेल में बंद नौजवानों को सवा साल तक प्यार दिया, दुलार दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, कपड़े आदि की व्यवस्था की और उनके परिवार की व्यवस्था की। जेल के अन्दर बैठकर भी उन्होंने बाहर से प्रजामण्डल पत्रिका का संचालन करवाया था।[19]

प्रजामण्डल के कार्यकर्ता होने के नाते बाबू लाभचंद छजलानी तथा उनके साथियों को इन्दौर रियासत की नौकरशाही के जुल्मों को भी सहा था। बाबू लाभचंद छजलानी तथा उनके कई साथियों के जुल्मों सितम् के कई कडुवे अनुभवों के दौर से गुजरना पडा था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. बैजनाथ महोदय का आलेख – 'इन्दौर राज्य प्रजामण्डल की कहानी' नईदुनिया अंक – 26 जनवरी 1972, पृ.1415
2. कन्हैयालाल खादीवाल – मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, इन्दौर संभाग, पृ.33
3. – वही – पृ. 33
4. बैजनाथ महोदय का आलेख – 'इन्दौर राज्य प्रजामण्डल की कहानी' – नईदुनिया अंक – 26 जनवरी 1972, पृ. 18
5. – वही –
6. कन्हैयालाल खादीवाला – मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, पृ. 23
7. – वही – पृ. 84
8. – वही – पृ. 84
9. विश्वसखा जीवन दर्शक, अंक 1971, पृ. 1
10. – वही – पृ. 3
11. – वही – पृ. 5
12. कन्हैयालाल खादीवाला – मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, पृ. 28
13. – वही – पृ. 28
14. – वही – पृ. 55
15. सत्यकेतु विद्यालंकार – मध्यभारत जनपदीय अभिनंदन ग्रन्थ, पृ. 705–706
16. कन्हैयालाल खादीवाला – मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, पृ. 23
17. बाबूलाल पाटोदी का आलेख – 'प्रजामण्डल से सत्ता तक' नईदुनिया अंक 26 जनवरी 1972, पृ. 27
18. – वही –
19. – वही – पृ. 29

****

पश्चिम में महिला आन्दोलन

डॉ. शिप्रा वर्मा *

शोध सारांश – पश्चिम अर्थात पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों में महिलाओं के हितों के प्रति जो आंदोलन चला और जिसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। दुनिया भर का लेखन केवल पुरूष केन्द्रित रहा एवं महिलाए इतिहास के पन्नों से गायब ही रही इसीलिए हमें उनकी सफलताओं–असफलताओं के बारे में जानकारी कम ही मिलती रही। महिला आन्दोलनों ने अपने लिए एक मार्ग प्रशस्त किया और विश्व क्षितिज पर अपनी एक अलग पहचान बनायी। पहला तो उन्नीसवीं सदी से लेकर बीसवीं सदी के आरंभिक दशक तक और दूसरा 1960 के दशक से अब तक जारी है।

प्रस्तावना – पश्चिम में महिला आंदोलन की शुरूआत 19 वीं और 20 वीं सदी के आरंभिक दशक में हुई लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे पहले महिलाए राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं थी। इतना अवश्य है कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह नहीं मिली। पुरूषात्मक सत्ता के वर्चस्व ने उन्हें आगे आने के अवसर सुलभ नहीं कराए।

19 वीं सदी के महिला आंदोलन की खास बात यह है कि इसे विश्व स्तर पर पहचान प्राप्त हुई। महिला अधिकारों की मांग केवल यूरोप या उत्तरी अमेरिका में ही नहीं अपितु दक्षिण अमेरिका और एशिया में भी उभरी। बिट्रेन में मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की पुस्तक विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन 1972 में छपी जिसे आधुनिक काल में नारीवादी विचारों की सबसे पहली पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक में मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने कहा कि 'महिलाओं और पुरूषों के बीच का फर्क उनकी निजी प्रकृति से नहीं बल्कि शिक्षा और महिलाओं को मिलने वाले सामाजिक परिवेश की वजह से है।'[1] जान स्टुअर्ट मिल की किताब सबजेक्शन ऑफ विमेन 1873 में आई जिसमें महिलाओं के हितों की बात कही गयी। ऐंजल्स की पुस्तक दि ओरिजन ऑफ दि फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दि स्टेट में महिलाओं की समानता और नागरिक अधिकारों के बारे में बताया गया। इस किताब के प्रकाशन के दस साल बाद एक महिला आंदोलन के द्वारा स्त्रियों को मताधिकार दिलाने हेतु एक सभा का आयोजन किया गया और एक लम्बे राजनैतिक संघर्ष द्वारा इसे सफलता भी मिली। 19 वीं सदी से ही महिलाएं कई विषयों को लेकर सजग थी। उन्होंने राजनैतिक और सामाजिक कई तरह के मुद्दों को उठाया। स्त्री लेखिकाओं का कथन था 'हमें याद रखना चाहिए कि जो थोड़े बहुत अधिकार मध्यम और उच्च वर्ग की श्वेत महिलाओं को बेटी की हैसियत से उपलब्ध थे। वे भी विवाह के बाद समाप्त हो जाते थे, क्योंकि विवाहित महिलायें अपने पति की संपत्ति बन जाती थी और स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकती थीं'[2]

पश्चिमीं देशों की कुछ महिलाए इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी तो उतनी ही इसका विरोध भी कर रही थी। दो महायुद्धों और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के उद्‌भव ने इस आंदोलन को कमजोर करने में महती भूमिका निभायी लेकिन यह आंदोलन कमजोर अवश्य हुआ पर थमा नहीं। इस समय तक फ्रांसिसी लेखिका सिमोन द बोउवार की पुस्तक द सेकेंड सेक्स पर्याप्त चर्चा पा चुकी थी। सिमोन द बोउवार आधुनिक नारीवादी आंदोलन का सबसे परिचित नाम है। केवल अपनी पुस्तक की वजह से ही नहीं अपितु नैतिक मूल्य बोध की वजह से भी। अपने पूरे अध्ययन में बोउवार ने यह दिखाया कि 'स्त्री पैदा नहीं होती अपितु बनायी जाती है।' वे यह मानती है कि 'अपनी शारीरिक सीमाओं से उबर कर ही औरत एक पूर्ण मनुष्य बन सकती है। अब महिलाए अपनी काया को लेकर कोई शर्मिन्दगी महसूस नहीं करती लेकिन फिर भी स्त्री काया में किसी भी प्रकार की विशेषता को स्वीकार करने से उन्होंने इन्कार किया।'[3] यह पुस्तक महिला आंदोलन के अगले चरण को आगे ले जाने की आधारशिला बनी।

महिला आंदोलन की दूसरी लहर 1960 के दशक से आरम्भ हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नया आशावाद उभर रहा था। इन देशों में अपूर्व आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, तकनीकी विकास हुआ जिससे श्रम की मांग बढ़ी और महिलाओं ने भी घर से बाहर निकलकर काम करना शुरू किया। समाज में उनकी भागीदारी बढ़ी। अब वे स्वयं के बारे में भी सोचने लगी। द्वितीय महायुद्ध का समय पश्चिमी देशों में महिलाओं के लिहाज से एक वैचारिक क्रान्ति लेकर आया। इस माहौल में बेट्टी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक द फेमिनिन मिस्टीक 1963 में लिखी। फ्रीडन ने कहा 'यदि हम इसी प्रकार लाखों युवा माताओं को पैदा करते रहे जिन्होने अपना विकास तथा अपनी पहचान बनाने से पहले ही अपनी शिक्षा को बंद कर दिया है, जिनके पास अपने बच्चों को देने के लिये मानवीय या कोई ठोस संदेश नहीं है। सीधे अर्थो में हम एक जन हत्या का अपराध कर रहे हैं। जिसका प्रारम्भ अमेरिकी महिलाओं के सामूहिक दफन से हो रहा है तथा जिसका अन्त उनके बेटे–बेटियों के अधिक से अधिक अमानवीयकरण से होगा।'[4]

60 के दशक के ही उत्तरार्द्ध में छात्र आंदोलन के साथ ही नारीवादी मुक्ति आंदोलन को जोड़कर देखा जाने लगा। इस नारी मुक्तिवादी संगठन में अधितर महिलायें काफी बड़ी उम्र की थीं। ये नारीवाद के व्यापक स्वरूप की बात किया करती थीं। वोगेल लिखती है 'भरपूर शक्ति और सृजनात्मकता से भरी हुई इन युवतियों ने ऐसे–ऐसे मुद्दे खोज निकाले जो उस वक्त बिल्कुल नये थे। बच्चों का लालन पालन, घरेलू काम, लैंगिकता, महिलाओं का स्वास्थ्य, प्रजनन का अधिकार, कार्य स्थल पर यौन शोषण, समलैंगिकता, घर पर पिटाई, व्याभिचार तथा बलात्कार आदि की तरह के विषय उनकी तीखी आलोचना और सक्रियता के विषय बने।'[5] इन्हीं औरतों में बहुत सी औरतें नागरिक अधिकार आंदोलन के साथ जुड़ी थी। वे नस्ल भेद और वर्ग के आधार पर भेद की चर्चा किया करती थीं। यह आंदोलन मजदूर एवं काली महिलाओं के वर्ग की तरफ से था। कई जगहों पर नारी मुक्ति आंदोलन में

* सहायक प्राध्यापक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अनौंगी, जिला- कन्नौज (उ.प्र.) भारत

केवल मजदूर वर्ग की ही महिलाए थी। इसी कड़ी में सुलामिथ फायरस्टोन की पुस्तक डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स का जिक्र किया जा सकता है। इसमें आर्थिक स्तर से कहीं आगे यौन उत्पीड़न की समस्याओं की चर्चा की है। इस पुस्तक में उन्होंने यौन राजनीति का भी जिक्र किया है। सुलामिथ ने इसमें एंगेल्स के विचारों को यौन क्रान्ति के रूप में पेश किया। जहाँ तक विद्रोही नारीवादियों का तर्क है कि घरेलू शोषण के बजाय यौन शोषण कहीं अधिक बड़ी समस्या है। फायरस्टोन कहती हैं 'वर्तमान समाज में सिर्फ बच्चों का लालन-पालन नहीं, बल्कि प्रेम महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण है।'[6]

इतना कुछ आंदोलनकारी स्वरूप जागरूकता तो अवश्य लाया लेकिन इस वर्ग को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि पश्चिम जगत के महिला आंदोलन को एक क्रान्तिकारी स्वरूप मिला और इसने वैश्विक स्तर पर एक पहचान बनायी और यही इस आंदोलन के सफल संघर्ष के लिए अनिवार्य भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नारीवाद का पश्चिमी संदर्भ - सरला महेश्वरी ; पृ. 15
2. पश्चिम में समकालीन महिला आंदोलन - साधना आर्य ;पृ. 107
3. नारीवाद का पश्चिमी संदर्भ - सरला महेश्वरी ; पृ. 35
4. द फेमिनिन मिस्टीक - बेट्टी फ्रीडेन ;पृ. 38
5. वही पृ.2
6. नारीवाद का पश्चिमी संदर्भ - सरला महेश्वरी ; पृ. 46

****

सत्याग्रह का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रभाव

डॉ. संजय कुमार यादव *

प्रस्तावना – गांधी जी का सत्याग्रह एक आदर्श है, कर्मयोग का एक व्यवहारिक दर्शन है और एक क्रियाशील उदाहरण है। गाँधी जी का सत्याग्रह दर्शन सत्य के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ है। सत्य के पुजारी का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि सत्य की कसौटी तथा उसके आधारो से रक्षा करे। प्रचलित भाषा में सत्याग्रह का अर्थ अहिंसात्मक प्रतिरोध से लिया जा सकता है। लेकिन सत्याग्रह केवल अहिंसात्मक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, धरना आदि तक ही सीमित नहीं है। सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोध से कही अधिक व्यापक है और इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य पर डटे रहना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। गाँधी स्वयं सत्य एवं सत्याग्रह की महागाथा थे। सत्याग्रह एक व्यापक अर्थ के लिए एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समूह या समाज के सन्दर्भ में प्रयुक्त किया जाता है।

सत्याग्रह का मूल उद्देश्य क्या है ? सत्याग्रह विरोधी को किस प्रकार प्रभावित करता है ? क्या सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बुराईयों का निवारण कर सत्य, न्याय और न्यायोचित व्यवहार की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य है या इससे भी व्यापक ?

गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों एवं अन्य जनजातियों पर हो रहे अत्याचार एवं अन्याय के विरूद्ध ही यह आन्दोलन प्रारम्भ किया। दक्षिण अफ्रीका का शासित वर्ग राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित था जिसके कारण ही गांधीजी ने वहां सत्याग्रह किया, तत्पश्चात् भारत में उन्होंने विदेशी शासन पद्धति के खिलाफ इस आन्दोलन को और तेज किया। विदेशी सरकार की अनैतिक नीति से चारों ओर अन्याय और अत्याचार का साम्राज्य व्याप्त था इस अन्याय एवं अत्याचार को दूर करने के लिए उन्हें प्रतिरोध के ऐसे उपयोग और कार्य विधि की खोज करनी पड़ी जो उनका मार्गदर्शन करने वाले मूलभूत नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। गांधी जी ने अहिंसात्मक आन्दोलन को अपनाया सत्याग्रह एक ऐसा ही अहिंसात्मक आन्दोलन है जो निरंकुश एवं अनैतिक शासन व्यवस्था का अंत करता है। चूंकि हिंसक क्रांति के द्वारा अन्याय का प्रतिकार करना अपने आत्मबल एवं नीति बल को कमजोर करना होता है। इसलिए गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह किया[1]।

गांधी जी के मत में सत्याग्रह मानव–भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है। उनके अनुसार संसार के सभी मुनष्य परस्पर भाई–भाई हैं। गांधी जी न तो जीव विज्ञान के सिद्धांत 'जीवन संघर्ष' को मानते हैं और न ही हाब्स के 'सबके विरूद्ध संघर्ष' को ही स्वीकार करते हैं बजाय इनके वह प्रेम, सहयोग और पारस्परिक सहायता को ही सामाजिक व्यवहार और मानव प्रगति का मूल आधार मानते हैं। वेदांत के इस सिद्धांत को वे स्वीकार करते हैं। कि सृष्टि में सभी प्राणी एक ही सूत्र में आबद्ध हैं। वे इस ईसाई मत से भी सहमत हैं कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। सच तो यह है, मानव जीवन और समाज को एक सजीव देह के रूप में स्वीकार करते हैं।

सत्याग्रह के दर्शन के मूल में यह धारणा विद्यमान है कि इस विश्व में केवल सत्य का अस्तित्व है और सत्य का चिन्तन और मनन हमें विकास की ओर ले जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में अन्यायी शक्तियों का दमन करने के लिए धर्मयुद्ध की बात की गई है। गांधी जी ने धर्मयुद्ध को तो स्वीकार किया है लेकिन उसके अहिंसात्मक स्वरूप को स्वीकार न कर उसे अहिंसात्मक स्वरूप प्रदान किया है। सत्याग्रह आत्मशुद्धि की लड़ाई है, यह एक धार्मिक युद्ध है। सत्याग्रह स्वयं सत्याग्रही तथा विरोधी दोनों की आत्मशुद्धि के लिए संघर्ष है। सत्याग्रही विरोधी को बिना यातना पहुंचाए स्वयं कष्ट सहकर अपनी आत्मशक्ति द्वारा विरोधी की आत्मशुद्धि के लिए संघर्ष करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि सत्याग्रह का लक्ष्य विरोधी का दमन करना न होकर उसमें उपस्थित बुराईयों का निवारण कर अहिंसात्मक स्वरूप को प्रकट करना है[2]।

सत्याग्रह के उद्देश्य के बारे में गांधी जी कहते हैं कि इसका प्रयोग व्यापक रूप से सामाजिक कल्याण होना चाहिए, न कि व्यक्गित लाभ अथवा स्वार्थपूर्ति। जो व्यक्ति सदैव अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त रहता है और सामाजिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग नहीं करता वह सत्याग्रही होने के योग्य नहीं है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया अहिंसात्मक प्रतिरोध वास्तव में सत्याग्रह नहीं है, क्योंकि इसमें सत्याग्रह के मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं मानव मात्र की सेवा की उपेक्षा होती है। इस दृष्टि से जो लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए समय–समय पर तथा कथित सत्याग्रह करते रहते हैं, वे गांधी जी के इस महान सिद्धांत का दुरूपयोग करते हैं। सच्चा सत्याग्रही अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं अपितु सामाजिक कल्याण में बाधक किसी बुराई का अन्त करने के लिए सत्याग्रह करता है। अपनी इस मान्यता के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में अन्याय और अत्याचार से पीड़ित लाखों व्यक्तियों के कल्याण के लिए ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था।

सामाजिक हित संबंधी अपने महान एवं व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्याग्रही सहर्ष सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करता है। अपने विरोधी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना स्वयं अधिकाधिक कष्ट सहन करके ही सत्याग्रही अपने विरोधी को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार सहर्ष कष्ट सहन करने की क्षमता को गांधीजी सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रभावशाली हथियार मानते हैं। वे सत्याग्रह को सत्य के लिए तपस्या तथा दु:ख सहने का सिद्धांत मानते हैं। उनका कथन है कि 'कुछ भी मेरे लिए इस विश्वास से मुझे विचलित नहीं कर सकता कि यदि

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

लक्ष्य शुभ हो तो उसके लिए कष्ट सहन करना, जितना उसकी प्राप्ति में सहायक होता है, उतना अन्य कोई नहीं हो सकता है[3]।'

प्राय: यह कहा जाता है कि सत्याग्रह ऐसे विरोधी को तो प्रभावित कर सकता है जिसमें मानवता की भावना विद्यमान हो, किन्तु वह चोरों, डाकुओं, हत्यारों तथा अन्य कठोर अपराधियों एवं निरंकुश शासकों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि ऐसे कुप्रवृत्ति वाले लोगों को सुधारने के लिए सत्याग्रह करना व्यर्थ है। परन्तु गांधी जी का मूल सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्य मूलत: अच्छा और सद्गुणी प्राणी होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रकार का अपराधी हो, इसका अपवाद नहीं हो सकता। गांधी जी की इस मान्यता के आधार पर कहा जा सकता है कि कठोर से कठोर व्यक्ति को सत्याग्रह द्वारा सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। यदि सत्याग्रही सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए विरोधी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, उसे कभी धोखा न दे और उससे प्रतिशोध लेने का प्रयत्न न करे तो वह अपने व्यवहार द्वारा उसे अवश्य ही प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में यहां एक उदाहरण देना आवश्यक होगा। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान एक बार जनरल स्मट ने कहा था कि 'मैं तुम्हारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और न रत्तीभर उनकी परवाह करता हूँ, परन्तु मैं क्या करूं, तुम लोग जरूरत के समय मेरी मदद करते हो। मैं अक्सर चाहता हूँ कि तुम हिंसा को और तब बताये कि तुमसे कैसे निपटा जाता है। परन्तु तुम तो अपने शत्रु को भी नुकसान नहीं पहुंचाते'[4]।

विश्व में नस्लवाद, सैनिकवाद एवं तानाशाही के विरूद्ध चलाए गये आन्दोलन गाँधी चिन्तन से प्रभावित हैं। इक्कीसवीं सदी के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक चिन्तन के कतिपय मुद्दो में गाँधी का व्यक्तित्व मुखर हो उठता है। समकालीन समस्याओं के सामाधन के बारे में जब गम्भीर चिन्तन होने लगता है, तो बड़े से बड़ा आलोचक भी गाँधी के नाम को इससे पृथक नहीं कर सकता। विशेषता यह है कि अब तक शासकों ने समाज के माध्यम से हिंसा का कोई ठोस विकल्प नहीं ढूंढा। ऊपर से दिखने वाली जनतांत्रिक पद्धति भी हिंसक बल पर टिकी हुई है। विशाल सेना, पुलिस एवं अपरिमित तथा अनियंत्रित अस्त्र-शस्त्र आधुनिक जनतांत्रिक राज्य की जीवन-रेखाऐं हैं[5]। गाँधी चिन्तन यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि क्या मनुष्य जिसे विवेकशील प्राणी कहा जाता है, उस रास्ते को चुनता रहेगा जो उसका नहीं, पशु का है। क्या वह इससे ऊपर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान अपने शिखर पर पहुँच गए हैं। वहाँ क्या नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को जगाकर वह चुनौतियों का मानवीय हल ढूंढने में सक्षम नहीं हो सकता ? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इसके साथ अनिवार्यत: जुड़ा हुआ गाँधी का चिन्तन है। इससे गाँधी के चिन्तन का प्रभाव, शाश्वतता एवं उपादेयता स्वत: स्पष्ट होती है। जिसका अध्ययन अति आवश्यक है।

गाँधी का अहिंसा एवं सत्याग्रह का चिन्तन सार्वकालिक महत्त्व रखता है। गाँधी के सत्याग्रह की शक्ति भी अणु शक्ति जैसी प्रभावकारी है। प्राय: सत्याग्रह के उपयोग में उसकी मर्यादाओं एवं कसौटियों का हनन हो रहा है और उसमें गाँधीयुग जैसी शुद्धता का अभाव है लेकिन जिस सीमा तक ऐसा है वहां तक परिमाणात्मक प्रभाव भी संकुचित एवं शिथिल हैं। यदि शुद्धतम् स्वरूप में सत्याग्रह का प्रयोग हो तो आज भी उसकी प्रभावोत्पादकता सार्थकता असंदिग्ध मानी जाती है[6]।

अत: सत्याग्रह दर्शन से सामाजिक मूल्यों व भारतीय संस्कृति की प्रवृतियों को पुन: प्रतिष्ठित करना है। विश्व में शांति एवं सौहार्द कायम रखने के लिए सत्याग्रह की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हैं। राष्ट्र की राजनैतिक समस्याओं को हल करने में सत्याग्रह की बड़ी भूमिका हो सकती है। जिससे वर्तमान समय में सत्याग्रह की प्रासंगिकता प्रतीत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यंग इण्डिया, 12 नवम्बर, 1929
2. गांधी, एम.के.आर. देसाई, द नेशनल वाइस प्र. -235
3. गोपीनाथ धवन, सर्वोदय तत्व दर्शन जनजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद- 1963
4. हरिजन, 11 अगस्त - 1946
5. हरिभाऊ उपाध्याय-बापू कथा सर्व सेवा संग वाराणासी- 1969
6. कुमारप्पा जे.सी.-गाँधी आन्दोलन क्यों अखिल भारतीय सेवा संघ वाराणासी- 1960

****

जनादेश एवं विपक्ष की भूमिका

डॉ. कान्ता अलावा *

प्रस्तावना – लोकतंत्र में 'लोक' अथवा 'जनता' ही संप्रभु होती है और संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसदीय लोकतंत्र लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है, जिसमें सरकार के सदस्यों से निर्मित होती है। यह संसद में बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। यह संसद के प्रति जिम्मेदार तथा जवाबदेह होती है। संसद, जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों से बनती है। यह विधान की रचना करती है। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती है और सरकार के कामकाज पर निगरानी रखती है।

संसदीय प्रणाली में सरकार के कार्यो का आकलन दैनिक व नियतकालिक होता है। दैनिक आकलन संसद में प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, संकल्पों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्तावों तथा अभिभाषणों पर वाद–विवाद के माध्यम से होता है। सरकार के कार्यो के मूल्यांकन में विपक्ष विशेष रूप से विपक्षी नेता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष के नेता को कार्यालय, सहायक स्टाफ तथा अन्य वह सब सुविधाएँ प्राप्त होती है, जो कार्यकारिणी के सदस्यों को मिली होती है, जिससे उसे सरकार के कार्यो पर निगरानी रखने और संसद व जनता के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करने में कठिनाई ना हो।[1]

संसदीय जनतंत्र की सफलता में वाद–विवाद के साथ संवाद की महत्ता है। जहाँ जनादेश प्राप्त बहुमत सरकार चलाता है। जनादेश से ही आया अल्पमत प्रतिपक्ष का दायित्व निभाता है। दोनों पक्षों की महत्ता है। चूंकि विपक्ष देश के अल्पमत का प्रतिनिधि है, इसीलिए विपक्षी नेता की भी विशिष्ट भूमिका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरल्ड मैकमिलन ने कहा था कि – विपक्ष के नेता की स्थिति कठिन होती है, दोष निकालना व आलोचना करना उसका काम है। संसद और राष्ट्र के प्रति विपक्ष और विपक्ष के नेता की विशेष जिम्मेदारी है। विपक्ष को रचनात्मक, आक्रामक होना चाहिए। उसे सरकारी नीति व कार्यक्रमों का विकल्प देना चाहिए। वर्तमान में भारतीय विपक्ष अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में नाकाम है। जीएसटी जैसे विधेयक विपक्ष की नीति का हिस्सा थे, लेकिन विपक्ष ने जीएसटी सहित सारे विधेयकों का लगातार विरोध किया। व्यर्थ के मसलों पर संसद का काम रोका गया, राज्यसभा में संख्या बल का दुरूपयोग हुआ। नेशनल हेराल्ड का मसला न्यायालय के आदेश का भाग है। विपक्ष ने इसे सरकारी षड़यंत्र बताया। विपक्ष बुनियादी सवालों से लगातार दूर रहा।

विरोध और सहमति संसदीय प्रजांतत्र के दो हथियार है, दूसरे हथियारों की तरह इनका फायदा भी तभी मिलता है, जब सही तरीके और समय पर इस्तेमाल हो। लेकिन जब से केन्द्र में मोदी सरकार आई है, विपक्षी दलों ने विरोध को तो अपनाया है, लेकिन सहमति को पीछे धकेल दिया है। इसे लोकतांत्रिक विरोध कैसे कहा जा सकता है कि मामूली बातों के लिए भी सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाए या उनसे जवाब मांगा जाए। विपक्ष को सार्थक बहस से प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए न की गैर जरूरी विरोध से।[2]

भाजपा पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव के जरिए भारत की केन्द्रीय सत्ता में आई है। विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है। विरोध करने के लिए विरोध किया जाए, यह सही नहीं है।

1998 में बारहवी लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने अटलबिहारी वाजपेयी ने विपक्ष को डपटते हुए कहा था कि 'विपक्ष का काम बोलना है, लेकिन इसकी उम्मीद् करता हूँ कि विपक्ष ये भी समझेगा कि कहां बोलना है, क्या बोलना है और किस तैयारी से बोलना है। मेरा अनुरोध है कि विरोध करे तो तैयारी से करें।'

राज्य विधानसभाओं की बैठके अब संवैधानिक आवश्यकता की खानापूर्ति भर के लिए बुलाई जाती है। विपक्ष शोरगुल ओर हंगामें से सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सत्तारूढ़ दल विधानसभा सत्र को एक आवश्यक बुराई की तरह स्वीकार करते है। पिछले कई दशकों में किसी विधानसभा में राज्य के किसी अहम मुद्दे पर कोई गंभीर और सार्थक बहस हुई हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। सत्तारूढ़ दल की कोशिश होती है कि सदन कम से कम दिन चले। विपक्ष की भी कोई खास रूचि सत्र की अवधि बढ़ाने में नहीं होती। संसद से विधानसभा तक सत्र की अवधि लगातार कम होने पर चिंता तो सभी राजनीतिक दल जाहिर करते है पर कोई कुछ करता नहीं। विपक्ष को अच्छी बहस के जरिए सरकार को घेरने के बजाय हंगामा कर कामकाज बाधित करना ज्यादा फायदेमंद लगता है, क्योंकि हंगामे के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती और प्रचार भी ज्यादा मिलता है।[3]

वामपंथ, कांग्रेस और कुछ दूसरी विपक्षी दलों के सस्ती राजनीति असंयमित भाषा के विरोध के उदाहरण उल्लेखनीय है –

- पूर्व सैनिक सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या मामले में विपक्षी नेताओं का सैनिकों की भावनाओं से खेलना।
- वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के मामले में सत्तापक्ष को कठघरे में खड़ा करना।
- पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना, कुटनीति घेरेबंदी करना।
- जवानों के खून की दलाली 'मौत के सौदागर' जहर की खेती जैसी शब्दावली की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना।
- नोटबंदी पर विपक्ष द्वारा भारत बंद, संसद को ठप्प करना।

दरअसल, इन सवालों के पीछे सत्तारूढ़ दल को कठघरे में खड़ा करने की होती हैं। वैसे कोई भी सत्तारूढ़ दल विरोध का बुरा नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विरोध आपकी बात और आपके काम को सार्थकता प्रदान करता हैं।

वस्तुत: उपर्युक्त उदाहरणों की वास्तविकता यह है कि 40 साल पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी करने से विपक्ष की बोलती बंद हो गई। वन रैंक वन पेंशन के तहत सैनिकों को लगभग दोगुनी वृद्धि का लाभ तो मिला, किन्तु कागजी गड़बड़ी के चलते उनके खातों में कुछ धन कम पहुंचा। संभव है कि वह इस गड़बड़ी को सही तरह न समझ सके हो और पूर्व सैनिक (सूबेदार रामकिशन) ने आत्महत्या की हो। दूसरी त्रुटि ओआरओपी की परिभाषा, पेंशन की समीक्षा अवधि (5–2 वर्ष) का मामला भी विवाद का विषय रहा।

मुंबई में आतंकी हमले के बाद से देश में पाक–प्रायोजित छद्म युद्ध को

* विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

सहन करने की सीमा समाप्त हो गई थी, जो सेना के मनोबल को कमजोर कर रहा था। सेना को सर्जिकल स्ट्राईक की मंजूरी देकर सत्तापक्ष ने राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देकर एक कमजोर-नरम राष्ट्र की छवि से मुक्ति का उल्लास आम जनता ने खुलकर प्रकट किया। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल सेना का बल्कि देश का भी मनोबल बढ़ता है।

सेना की सर्जिकल कार्रवाई एक गोपनीय, सुनियोजित और साहसिक अभियान था, जिसे सत्तापक्ष ने सेना को अपने हिसाब से नियंत्रण रेखा के पार आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने की छूट दी जो कि उचित फैसला था। क्योंकि कोई भी देश राष्ट्रीय हित में इस प्रकार के सैन्य अभियान के ब्यौरे सार्वजनिक नहीं करता। सर्जिकल स्ट्राईक के कारण भारत को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। दुनिया आतंकवाद के मामले में भारत की चिंताओं को समझने लगी है, इसका श्रेय वर्तमान सत्तापक्ष को ही दिया जायेगा न कि विपक्षी दल को।

एक लोकतांत्रिक ढ़ांचे में समस्याओं और खासकर संवेदनशील समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से ही खोजा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ विपक्षी दल यह चाहते ही नहीं कि ऐसे मामले बातचीत से सुलझे। वस्तुत: उनकी कोशिश भावनाओं को भड़काकर सियासी स्वार्थ साधने की रहती है। इसलिए विपक्ष पूर्व सैनिकों को मोहरा बना रहे है। यदि राजनीति के स्तर को बनाए रखना है तो विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सत्तापक्ष के नेताओं को भी तौर-तरीकों और बयानों के प्रति सतर्क रहना होगा।

नोटबंदी सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए ही नहीं विपक्ष के लिए भी एक अच्छा अवसर था। यह अवसर था - सकारात्मक राजनीति का । यह अवसर सत्तारूढ़ दल का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन करके श्रेय लेने का। जिन्हें परेशानी हो रही है, उनकी मदद करके आम लोगों की सहानुभूति व समर्थन हासिल करने का। विपक्ष इस अवसर का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता था। आम लोगों के धैर्य और समर्थन से एक बात साफ है कि लोगों का भरोसा देश के नेतृत्व पर है। यह देश से भ्रष्टाचार, कालाधन, अवसरवादिता, भाई-भतीजावाद, लालच, दमन, शोषणकारी ताकतों, चाटुकारिता समाप्त करने की दिशा में सही कदम है। हाल ही के गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान के स्थानीय निकाय के चुनाव नतीजों से भी साफ हो गया है कि जनादेश का रूख किस ओर है? लेकिन विपक्ष है कि मतदाता के इस संदेश को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। खराब बात यह है कि विपक्ष नोटबंटी के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए तथ्यों -तर्को के बजाय दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था नकदी आधारित से कैशलेस की ओर बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। देश को कैशलेस व्यवस्था की ओर ले जाने की नीवं कांग्रेस के राज में रखी गई। 'नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008' में बना और 2009 में इसने काम करना आरंभ कर दिया, जिससे बैंक खाते के जरिए मजदूरी का भुगतान और सामान की खरीदफरोख्त को सकती हैं। सत्तारूढ़ दल ने कैशलेस व्यवस्था के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का श्रेय तो कांग्रेस ही ले सकती थी। इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाई। इस समय जरूरत है, लोगों को इसके इस्तेमाल का तरीका समझाने की विपक्षी दल इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।

2014 के जनादेश ने देश के किसी भी दल को मान्यता प्राप्त विपक्षी दल लायक नहीं रखा। राष्ट्रीय दल कांग्रेस की सदस्य संख्या सिमटकर 44 रह गई। वाम दल सहित अन्य पार्टियाँ भी सिकुड़ गई। कांग्रेस ने जिम्मेदार विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभायी, परम्परागत जिम्मेदार विपक्ष से प्रेरणा भी नहीं ली। कांग्रेस की दीर्घकालिक सत्ता के समय जनसंघ-भाजपा, लोहिया, सोशलिस्ट पहले किस्म के विपक्ष रहे है। कांग्रेस की विपक्षी जिम्मेदारी लंबी सत्ता के 22 बरस बाद तब शुरू हुई जब कांग्रेस टूट गई। विपक्षी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हुआ। जनसंघ और सोशलिस्ट ही कारगर विपक्ष थे।[4]

वामदल अप्रासंगिक और कालबाह्य हो रहे हैं। सूखा, जल संकट, गरीबी, शिक्षा, सर्वसमावेशी विकास और आतंरिक सुरक्षा जैसे मूलभूत प्रश्न विपक्ष के एजेन्डे में नहीं आए। राष्ट्रवाद और भारतमाता जैसे राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के भावप्रवण मुद्दों पर भी विपक्ष सत्तापक्ष के साथ एकजुटता नहीं दिखा पाया। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों का अस्तित्व संकट में है।

उपसंहार - पं. नेहरू ने ठीक लिखा है कि संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता है, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग भी आवश्यक होता है।'

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में लंबे अंतराल बाद गंभीर और सार्थक बहस हुई। राजनीतिक दल दलगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में एक साथ खड़े नजर आए। एक बार फिर आम सहमति, हर मुद्दे और हर परिस्थिति में विरोध की राजनीति पर भारी पड़ी। यह जनतंत्र की बड़ी ताकत है। लेकिन भारतीय संसदीय प्रणाली में ऐसे क्षण अब कम ही आते हैं।

देश में कहीं पर भी कोई भी सरकारी कार्यालय एक दिन भी बंद हो जाए तो शासन कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने में जरा भी विलंब नहीं करता। फिर हमारे लोकतंत्र की शीर्ष संस्था संसद जिसके लिए हमारे जन-प्रतिनिधियों को देश की जनता ने चुनकर भेजा है, उसे न चलने देना क्या न्याय संगत है? क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? इसके लिए देश की जनता को आवाज उठाना चाहिए, ताकि संसद नियमित चल सके। केन्द्रीय सरकार को भी चाहिए कि वह देशहित में ऐसा कोई विधेयक लेकर आए जिससे संसद की कार्यवाही अनिवार्य रूप से चलने की राह प्रशस्त हो सके। इसके साथ ही प्रत्येक सांसद के लिए संसद में उपस्थित होना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

अपेक्षा यह है कि कांग्रेस 2014 के जनादेश से सबक सीखेगी।वह विपक्ष की भूमिका में गांधी, पटेल, लोहिया आदि के विचारनिष्ठ तेवर अपनाएगी। गलती का ही विरोध करेगी। विपक्षी दलों का यह नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि जनता को गुमराह करने, भड़काने के बजाय भ्रष्टाचार, कालेधन के खिलाफ इस लड़ाई में सत्तापक्ष का समर्थन करें। स्वच्छ भारत के जरिए तन, मन और धन के रूप में एक नए और उदीयमान भारत का निर्माण करने में सहयोग दें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. रामगोपाल सिंह - 'भारत में संसदीय लोकतंत्र विधायनी-शासन प्रणाली विशेषांक, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल अंक जुलाई-सितम्बर, 1993, पृष्ठ 65
2. दैनिक, नई दुनिया 13 अगस्त, 2016 -पृष्ठ 06
3. हृदयनारायण दीक्षित - उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा विधायक दल के प्रमुख- लेख 'विपक्ष की हताशा के भी दो साल' दैनिक, नई दुनिया -2016 पृष्ठ 6
4. वेंकैया नायडू - केन्द्रीय शहरी विकास व सूचना प्रसारण मंत्री - 'जनता के सामने बेनकाब होता विपक्ष' दिसम्बर, 2016 दैनिक, नई दुनिया, पृष्ठ 6
5. नरेन्द्र मोदी - प्रधानमंत्री - 'संवाद के लिए संसद से बड़ा मंच नहीं' जागरण फोरम के दिए वक्तव्य के संपादित अंश, दैनिक नई दुनिया, दिसम्बर, 2015 पृष्ठ 6

****

कारगिल युद्ध1999 - एक विश्लेषण

डॉ. कविता चौकसे *

प्रस्तावना – कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में 1999 में मई से जुलाई के बीच हुए इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने-सामने थी। पाकिस्तान सेना ने द्वारा कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेनाओं ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना तथा मुफहिद्दीनों के रूप में उसके पिस्तुओं को परास्त किया था।

पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध को 1998 से ही अंजाम देने की कोशिश में थी। इस कार्य के लिए उसने अपने 5000 जवानों को कारगिल पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश थी। लेकिन भारत भी पीछे नहीं हटा, थल सेना के सपोर्ट में भारतीय वायुसेना ने 26 मई को आपरेशन सफेद सागर शुरू किया। जबकि जल सेना ने कराची तक पहुँचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने पूर्वी इलाके पहाड़ी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा किया। दो महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ कारगिल युद्ध में मिग-27 और मिग-29 का प्रयोग किया था। इन की वजह से भारत को इस युद्ध में अहम बात मिली थी । कारगिल की पहाड़ियों पर विमान उड़ाना बेहद खतरनाक है। हमारी वायुसेना के जाबांज सैनिकों को अपनी जान की परवाह किए बिना कारगिल में आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर जीत पा ली।

ऐसे आए पाकिस्तानी घुसपैठिए और ऐसे हमारी सेना ने उन्हें खदेड़ा-

3 मई – स्थानीय गड़रियों ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी दी

5 मई – भारतीय सैन्य दस्ता भेजा। पांच भारतीय सैनिक पकड़े, यातनाएँ देकर जान ली।

9 मई – पाक सेना की बमबारी में कारगिल में हथियारों का भंडार नष्ट ।

10 मई – द्रास, काकसर और मुश्कोह में भी घुसपैठ की सूचनाएं।

मई के मध्य में – घाटी से कारगिल में और भारतीय सेना भेजी गई।

26 मई – घुसपैठियों पर भारतीय वायुसेना ने हवाई हमले किए।

27 मई – भारतीय वायुसेना के मिग-21, मिग-27 नष्ट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता युद्धबंदी बनाए गए।

28 मई – भारतीय वायुसेना के एमआई-17 पर हमला। चार चालक सदस्यों की मौत।

31 मई – हवाई अभियान गहरा किया गया मिराज तैनात।

1 जून – पाक की नेशनल हाईवे-1ए पर बमबारी

5 जून – भारतीय सेना ने तीन पाक सैनिकों से हासिल पाक की भागीदारी दर्शाते दस्तावेज जारी किए।

6 जून – भारतीय सेना की कारगिल और द्रास में आक्रामक रणनीति।

11 जून – भारतीय सेना ने पाक की भागीदारी दर्शाता पाक सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ और ले. जनरल अजीज खान की बातचीत का ब्योरा पेश किया।

12 जून – विदेश मंत्री जसवंत सिंह और सरताज अजीज की नई दिल्ली में मुलाकात, पर बातचीत का कोई हल नहीं निकला।

13 जून – द्रास में तोलोलिंग को भारतीय सेना ने सुरक्षित किया।

15 जून – अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को पाक सेना को कारगिल से बाहर निकालने को कहा।

29 जून – भारतीय सेना ने टाइगर हिल के निकट प्वॉइंट 5060, प्वॉइंट 5100 पर कब्जा वापस लिया।

4 जुलाई –भारतीय सेना का टाइगर हिल पर पुन: कब्जा।

5 जुलाई –सेना का द्रास पर नियंत्रण, शरीफ का वाशिंगटन में क्लिंटन से मुलाकात के बाद कारगिल से वापसी का ऐलान।

7 जुलाई – बटालिक में जुबार हाइट्स पर भारतीय सेना का नियंत्रण।

11 जुलाई – पाक ने कारगिल से बाहर निकलना शुरू किया। बटालिक की महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण।

14 जुलाई – 'आपरेशन विजय' की सफलता की घोषणा।

26 जुलाई – भारतीय सेना ने घोषणा की कि पाक घुसपैठिए खदेडे ग़ए।

ये था युद्ध का कारण – कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के जरिये घुसपैठ करने की साजिश के पीछे तत्कालीन पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार माना जाता है। मई 1999 में एक लोकल ग्वाले से मिली सूचना के बाद बटालिक सेक्टर में ले. सौरभ कालिया के पेट्रोल पर हमले ने उस इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का पता दिया। असल में यह योजनाबद्ध ढंग से और बड़े स्तर पर की गई घुसपैठ थी, जिसमें केवल जिहादी ही नहीं, पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। ये समझ में आते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया।

1999 से प्रत्येक पाक कारगिल किले में भारत एवं पाकिस्तान के बीच छिडे युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले जवानों की याद में 26 जुलाई को 'कारगिल विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। **(देखे अगले पृष्ठ पर)**

निष्कर्ष – कारगिल युद्ध खत्म हुए 17 साल बीत चुके हैं। देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों को याद कर हम कई बार गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन कई शहीदों के परिवार आज भी इस विजय को याद रखना नहीं चाहते। जब भी कारगिल युद्ध की बात सामने आती है, इन परिवारों के दिल में जख्म गहरे हो जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा न होता देख ये परिवार दर्द के साथ कहते हैं..........बस, अब और नहीं..........

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक दबंग दुनिया जुलाई 2014
2. दैनिक भास्कर ।
3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध डॉ. फडिया

* राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय, हरसूद, खंड़वा (म.प्र.) भारत

तथ्य	हताहतों की संख्या और हानि	पाकिस्तान
250000 गोले और रॉकेट दागे थे, भारतीय सेना ने 5000 बम फायर किए थे। रोजाना भारतीय सेना ने 300 भारतीय विमान रोजाना भरते थे, उड़ान 200 बम गिराए थे रोजाना पाकिस्तान के इलाकें में	**भारत** (आधिकारित आंकड़ों के अनुसार) 30 हजार जवान थे। युद्ध में शामिल 527 शहीद 1363 घायल 01 को बनाया कैदी 01 लडाकू विमान मार गिराया गया 01 हेलिकॉप्टर मार गिराया गया। 1600 शहीद हुए पाकिस्तान के दावे के अनुसार	**पाकिस्तान** (आधिकारित आंकड़ों के अनुसार) 5000 जवान थे युद्ध में शामिल 453 मारे गए 665 से ज्यादा घायल हुए 08 को बनाया गया कैदी 4000 पाक सैनिक मारे गए पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के अनुसार 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए भारत के दावे के अनुसार

****

संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति के रुप में उपवास

डॉ. देशराज वर्मा *

शोध सारांश – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में विभिन्न अवसरों पर उसे अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं के पूरा न होने के कारण होते हैं। इन संघर्षों के समाधान के लिए हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में हिंसात्मक पद्धति के दुष्परिणामों के जानने के बाद मनुष्य का विश्वास संघर्ष समाधान की गाँधीवाद अहिंसात्मक पद्धति में दृढ़ हुआ है। संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति संघर्षो का स्थायी समाधान करती है, इससे दोनों ही पक्ष सन्तुष्ट हो जाते हैं। उपवास संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति का सबसे समर्थ हथियार हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिगत ओर सामूहिक दोनों ही स्तरों पर किया जा सकता है। उपवास दोषी पक्ष को उसकी गलतियाँ सुधारने का संदेश देता है। यह स्वेच्छा से आत्मपीड़न का एक तरीका है। सत्याग्रह के अन्तिम अस्त्र के रुप में आमरण अनशन या मृत्यु पर्यन्त उपवास होता है। इसका प्रयोग सभी अहिंसात्मक प्रयासों के असफल हो जाने पर किया जाता है। यह विरोधी का हृदय परिवर्तन कर संघर्ष समाधान के लिए प्रेरित करता है। यह विरोधी पक्ष को सत्य के पथ पर लाता है और आपसी सहमति के आधार संघर्षो का स्थायी समाधान करता है। संघर्ष समाधान के बाद दोनों ही पक्षों में एक-दूसरे के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रहती है।

प्रस्तावना – संघर्ष मानव जीवन में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्यत: संघर्ष दो या दो से अधिक पक्षों के हितों के आपसी टकराव का परिणाम होता है। संघर्ष लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं के पूरा न होने के कारण भी होते हैं। मनुष्य की यह प्रवृत्ति हैं कि वह संघर्षो के साथ-साथ उनका समाधान भी कर लेता हैं। कुछ संघर्षो को तो मनुष्य आसानी से सुलझा लेते हैं, परन्तु कुछ संघर्षो का समाधान करने के संघर्ष में निहित कारणों का समाधान आवश्यक है। यदि संघर्ष में निहित कारणों का सही समाधान हो गया है तो संघर्ष समाधान स्थायी होता है।

संघर्ष का प्रारम्भ एक परिवार से होता है, फिर यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल जाता है। सामान्यत: संघर्ष समाधान के लिए पूरे विश्व में दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं- पहली हिंसात्मक संघर्ष समाधान पद्धति और दूसरी अहिंसात्मक संघर्ष समाधान पद्धति। मानव ने दोनों ही संघर्ष समाधान पद्धतियों का प्रयोग किया हैं। हिंसात्मक संघर्ष समाधान पद्धति युद्ध या हिंसा के द्वारा बलात समाधान करती है। इसमें हार-जीत की स्थिति होती है। युद्ध या हिंसा द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष पर बलात अधिकार कर लेता है फिर उसका अपनी इच्छानुसार शोषण करता है। यह शोषण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हर क्षेत्र में होता है। यहाँ दोनों ही पक्षों में मनुमुटाव या वैमन्यस्य कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जाता है। यहाँ शोषित पक्ष धीरे-धीरे विद्रोह करने लगता है, यह छोटे-छोटे विद्रोह जो विभिन्न समस्याओं के कारण होते हैं, अन्तत: एक बड़े संघर्ष का रुप ले लेते हैं। इसलिए संघर्ष समाधान की हिंसात्मक पद्धति को आज सम्पूर्ण विश्व अपनाना नहीं चाहता क्योंकि इसमें जन धन की अपार क्षति होने के साथ-साथ संघर्षो का स्थायी समाधान नहीं होता है। इसलिए आज घरेलू और वैश्विक दोनों ही स्तरों पर संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति को अपनाने की वकालत की जा रही है।

संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति को गाँधीवादी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। गाँधीजी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चम्पारन में किया। सत्याग्रह हिंसा, प्रेम, करुणा एवं दया पर आधारित होता है। इसमें सत्याग्रही के मन में बदले की भावना या द्वेष नहीं होता। गाँधी ने 7 जुलाई, 1920 ई0 को सत्याग्रह की प्रविधि को नौ चरणों से विभाजित किया।[1] इसमें समझौता वार्ता, आत्मपीड़न, उपवास, असहयोग सविनय अवज्ञा, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, धरना और हिजरत (स्वैच्छिक प्रवजन) शामिल हैं। सत्याग्रही इन माध्यमों के द्वारा विरोधी पक्ष का हृदय परिवर्तन कर संघर्ष समाधान करता है।

उपवास को गाँधी जी ने सत्याग्रह की रणनीति में सबसे अन्तिम स्थान प्रदान किया। उपवास या अनशन पर आधारित सत्याग्रह का उद्देश्य स्वयं की आत्मशुद्धि या अत्याचारी का हृदय परिवर्तन करना होता है। गाँधी के अनुसार- यह सत्याग्रह के संघर्ष का अत्यन्त समर्थ हथियार है।[2] इसका प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर उपवास करने का अभिप्राय अपनी अप्रसन्नता और सहमति प्रकट करना है, यह अपने प्रिय की चेतना जाग्रत करने के लिए एक उपाय के रुप में अधिकतर परिवारों या छोटे समूहो में किया जाता है।[3] जब उपवास सामूहिक स्तर पर किया जाता है तो यह दोषी पक्ष/पक्षों द्वारा किए गये गलत कार्यों को पुन: सुधारने का संदेश देता है। यह विरोध के तुरन्त समाधान की आवश्यकता पर ध्यानाकर्षित करता है। उपवास को सही कार्य करने के लिए या सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए एक नैतिक उद्‌बोधन के रुप में माना जाता है।

उपवास और सार्वजनिक प्रार्थनाए भारत में सत्याग्रह के दो सर्वाधिक व्यापक आत्मशुद्धि के चरण रहे हैं।[4] उपवास स्वैच्छा से आत्मपीड़न और आत्म त्याग का तरीका है। यह प्रदर्शित करता है कि सत्याग्रही एक नेक उद्देश्य के लिए पीड़ित होने के लिए और इस नैतिक शस्त्र के साथ अन्त तक लड़ने को तैयार है। यह विरोधी को यह संदेश देता है कि उसके मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। सत्याग्रही आत्मपीड़ा या उपवास के

* डॉ. वी.पी.एस. कॉलेज, फिरोजाबाद (उ.प्र.) भारत

माध्यम से मुद्दे का महत्व बढ़ा देते हें। ये मुद्दे को झगड़े का मामला बनने से रोक देता है। मुद्दा विवाद को न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए चारों ओर घूमने लगता है। इस प्रकार संघर्ष का स्तर बढ़ जाता है। विरोधी उदारता से उच्च स्तर पर कार्य करने के लिए विवश हो जाता है।[5] इसी प्रकार महात्मा गाँधी ने विभिन्न संघर्षो का समाधान किया और अपने विरोधियों को झुकाने के लिए (हृदय परिवर्तन के लिए) समय-समय पर उपवास किया।

गाँधी के अनुसार उपवास का उद्देश्य उस व्यक्ति का विरोध नहीं वरन उसका हृदय परिवर्तन करना है, जिसके विरुद्ध वह हो रहा है। इसमें विरोधी के प्रति द्वेष नहीं बल्कि प्रेम, दया, करुणा भाव जरुरी है। इसमें एक पुत्र अपने पिता के प्रति भी उपवास सत्याग्रह कर सकता है जो शराबी हो।[6] यह सत्याग्रह का अन्तिम हथियार है।[7] उपवास का अपना एक विज्ञान है। अत: इसका ज्ञान रखने वाले अधिकारी व्यक्ति द्वारा ही इसका प्रयोग होना चाहिए।[8] गाँधी ने उपवास को बल प्रयोग के रुप में नही माना बल्कि इन्होंने इससे विरोधी का हृदय परिवर्तन करने का नैतिक साधन माना। यह विरोधी का सत्याग्रही की ओर ध्यानाकर्षित करता है। उपवास का प्रयोग इस तकनीक की समुचित जानकारी रखने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। यदि विरोधी अत्याचारी और अपरिवर्तनशील प्रवृत्ति का है तो उपावास को संघर्ष समाधान के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति या समूह के परिवर्तन होने की सम्भावना होने के मामलों में ही प्रभावी तरीकों से किया जा सकता है। आर0 दिवाकर ने अपनी पुस्तक सगा ऑफ सत्याग्रह (पृ0 107-108) में उपवास की निम्न शर्तों का वर्णन किया है।[9]

1. उपवास सीमित या मृत्यु होने तक या आमरण हो सकता है।
2. क्रोध में उपवास नहीं करना चाहिए।
3. उपवास का उद्देश्य दण्डात्मक या प्रचारात्मक नहीं होना चाहिए।
4. उपवास के दौरान शरीर की देखभाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
5. उपवास का उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्ति की जानकारी में होना चाहिए।
6. उपवास के दौरान अधिकांश समय प्रार्थना, आत्मविश्लेषण, ध्यान और मस्तिष्क को उदात्त बनाने में व्यतीत करना चाहिए।
7. व्यक्ति को उपवास करने से पूर्व अपने उद्देश्यों की बड़ी सावधानी से जाँचकर लेनी चाहिए। इसमें अशुद्धि का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
8. जिस व्यक्ति ने अहिंसा का पालन नहीं किया है और जिसे उपवास पद्धति का ज्ञान नहीं है, उसे उपवास नहीं करना चाहिए।

सत्याग्रह को अपने परिणामों की प्राप्ति तक उपवास के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। अपने उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में आमरण अनशन या मृत्यु पर्यन्त उपवास एक अन्तिम कदम हेता है। आमरण अनशन या मृत्यु पर्यन्त उपवास सत्याग्रह का एक रुप है और उसे सत्याग्रह का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अस्त्र कहा जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।[10] इसका प्रयोग जब किया जाता है, जब संघर्ष समाधान के सभी उपाय असफल हो गए हों। इसे इस विश्वास के साथ करना चाहिए कि यह अन्तिम उपाय उस सत्य को सिद्ध कर देगा जिसके लिए यह संघर्ष किया जा रहा है। इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और इसमें हिंसा का बिल्कुल भी स्थान नहीं होना चाहिए।

उपसंहार – संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक पद्धति में उपवास एक महत्वपूर्ण साधन है। उपवास अहिंसात्मक संघर्ष समाधान की पद्धति में सबसे अन्तिम अस्त्र है। जब संघर्ष समाधान के सभी प्रयास असफल हो जाए तो अन्तिम प्रयास के रुप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह परिवारों में परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपनी माँग या बात पर, परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान आकर्षण करने के लिए किया जाता है। सामूहिक स्तर पर यह दोषी पक्ष की गलतियों को सुधारने तथा तुरन्त समाधान की आवश्यकता पर बल देता हैं। उपवास स्वैच्छा से आत्मपीड़न होता है, इसमें विरोधी के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता है, बल्कि यह हृदय परिवर्तन द्वारा दोषी पक्ष से संघर्ष समाधान के लिए प्रेरित करता है। आमरण अनशन या मृत्यु पर्यन्त उपवास का प्रयोग सबसे अन्त किया जाता है। इसके लिए व्यक्ति को इस तकनीक का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसे सत्याग्रह का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अस्त्र कहा जाता है। इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें हिंसा के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं होता है। इसमें सत्याग्रही अपने परिणामों की प्राप्ति तक उपवास के नैतिक नियमों का पालन करता है। वर्तमान में संघर्षो के भयाभय परिणामों के आधार पर संघर्ष समाधान के लिए अहिंसात्मक संघर्ष पद्धति ही सबसे उपयुक्त है। इस पद्धति में उपवास संघर्ष समाधान का अन्तिम प्रभावशाली साधन है जो विरोधी का हृदय परिवर्तन करता है। यह संघर्ष का स्थायी समाधान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कृष्ण कान्त पाठक, गाँधीवाद और मार्क्सवाद, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2010 पृ0 20
2. हरिजन 18 मार्च, 1939ई0
3. एन. राघवन, अय्यर, दी मोरल एण्ड पॉलिटिकल थॉर ऑफ महात्मा गाँधी' यूनीवर्सिटीज प्रेस, दिल्ली, 1973, पृ0 261।
4. जे.एन. शर्मा यसत्याग्रह गाँधीज एप्रोज टू कंफ्लीक्ट रिसोल्यूशन (रिडिसकवरिंग गाँधी सीरिज, खण्ड-3), कंसेप्ट पब्लिकेशन कम्पनी इन कोलोब्रेशन विद गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली, 2008 पृ. 34
5. जे.एन. शर्मा, पृ. 36
6. यंग इण्डिया, 1 मई 1930
7. यंग इण्डिया, 17 अप्रैल, 1930
8. हरिजन 13 अक्टूबर, 1940
9. आर दिवाकर, सगा ऑफ सत्याग्रह, पृ. 107-108
10. यंग इण्डिया 6 फरवरी 1922

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

1857 ई. के समर में महू के अल्पज्ञात स्मारक और स्थल, एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. आकाश ताहिर *

प्रस्तावना - भारतीय राज्यों पर अपने आधिपत्य को स्थायी और सुदृढ़ करने हेतु अंग्रेजों ने सर्वत्र अपने राजनैतिक प्रतितिधियों के साथ ही सैनिक छावनियों का जाल बिछाकर वहाँ के राजा महाराजाओं ,जागीरदारों आदि पर अपना बड़ा पंजा जकड़ कर वहाँ के जन साधारण पर भी अपना आतंक स्थापित कर दिया। स्वदेश हितार्थ राज्य करने वाले अंग्रेजों ने भारत को अपने शोषण की मण्डी बना लिया। यहीं नहीं, उनके शासन की मूलगत तात्विक विभिन्नता के कारण ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद में यहाँ की परम्परागत ग्राम्य व्यवस्था भी तहस-नहस हो गई।

19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में अंग्रेजों ने होल्कर व सिंधिया राज्यों को अपने अधीन कर और मालवा के अन्य राजपूत, मुस्लिम व मराठा शासकों से संधियाँ करके समस्त भू-भाग का गठन सेन्ट्रल इण्डिया एजेन्सी के रूप में कर इन्दौर को अंग्रेजी रेजीडेन्ट का मुख्यालय बना दिया। सेण्ट्रल इण्डिया एजेन्सी पर सैनिक अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक छावनियाँ स्थापित की थी इनमें प्रमुख थी- मुरार, शिवपुरी, गुना, नवगांव, सागर, सीहोर, महू, मंडलेष्वर, सरदारपुर, भोपावर, आगर, महिदपुर और नीमच।

भारतीय राजाओं की आपसी शत्रुता एवं आतंक ने अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार करने में सफलता दिलाई। साथ ही डलहौजी की हड़प नीति के कारण भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में बड़ी आसानी से मिलाया गया। डलहौजी की हड़प नीति भारतीय राज्यों पर शांतिपूर्वक आक्रमण का तरीका थी।[1] ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीतियों ने देशी राजाओं को व्याकुल कर दिया। सम्पर्ण देश के राजाओं के मन में अंग्रेजों की नीतियों के कारण आक्रोश उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों की इस नीति से मालवा भी अछूता नहीं रहा और यहां के जन साधारण एवं सिपाहियों में अंग्रेजों के प्रति आस्था समाप्त हो गई तथा राजाओं में असुरक्षा के भाव उत्पन्न हो गए। अंग्रेजों की नीति के अन्तर्गत नि:संतान राजाओं के राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता था। मालवा में भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हुई और विवाद हुआ। इन्दौर के तात कालिक अधिकारी केप्टन फेनविक ने कहा कि इस प्रकार की नीति में दूसरे राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाने के कारण ही मालवा में ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने के षड़यंत्र रचे जाने लगे।[2] इस प्रकार मालवा में कम्पनी के शासन के प्रति भारतीय नरेशों और जनता में धीरे-धीरे विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी।

मेरठ तथा नीमच में विद्रोह फैलने का समाचार प्राप्त होते ही कैप्टन हंगरफोर्ड ने महू की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए थे।[5] बैरकों के सामने तोपखाना लगाया गया और सैनिकों तथा घुड़सवारों को सूचना मिलते ही आक्रमण का सामना करने के लिये, तैयार रखा गया। यूरोपीय परिवारों के बंगलों के सामने 23वीं भारतीय पैदल सेना के रक्षक तैनात किए गए।[6] पहली जुलाई की सुबह इन्दौर की ओर तोपों के धमाके सुने गए। दोपहर के लगभग कर्नल प्लाट ने ट्रेवर्स की कमान के अधीन और लेफ्टीनेंट वेस्टमेंकाट के साथ 23वीं रेजीमेन्ट एन. आई. की दो कम्पनियों को बम्बई मार्ग से भेजा और यह आदेश दिया कि महाराजा की दो नौ पौंड वाली पीतल की तोपों को, जो दो घंटे पहले महू से गुजरी थी, हर प्रकार की कठिनाईयों के बावजूद छावनी में वापस लाया जाए, इस प्रकार कैप्टन ब्रुक्स ने उन्हें घेर लिया और पैदल सेना के आने तक किसी भी प्रकार उन्हें रोक रखा। यह कार्य संतोषजनक रीति से किया गया तथा 3 बजे के लगभग तोपें महू के किले में वापस लायी गई और टुकड़ी के किसी सैनिक को अपने प्राण नहीं खोने पड़े।[7]

इसी बीच कर्नल प्लाट इन्दौर से होल्कर की टुकड़ियों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण से छावनी की रक्षा के लिए प्रबंध करता रहा। उसी शाम तोपखाना बैटरी के साथ की यूरोपीय महिलाओं तथा बच्चों को किले के सुरक्षित आंगन में चले जाने का आदेश दिया।[8] इन्दौर सड़क पर लगभग पाँच मील दूर तक दो लेफ्टिनेन्टों के अधीन घुड़सवार सैनिकों का एक दल तथा लेफ्टिनेंट सिम्पसन के अधीन पचास सिपाहियों का एक दूसरा दल छावनी के उत्तर की ओर नाले के पास तैनात किया गया।[9] सभी अधिकारियों को लाईनों में जाने तथा वहाँ रातभर रहने का आदेश दिया गया, जिससे वे सूचना मिलते ही तत्काल आ सके। इन्हें शस्त्रों से लैस रखा गया। शस्त्रागार रक्षकों में 30 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए और इस प्रकार आक्रमण होने पर उसका सामना करने की पूरी तैयारी कर ली गई।[10]

पहली जुलाई की रात को लगभग 10:15 बजे भारतीय टुकड़ियों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कर्नल प्लाट को अपनी टुकड़ियों की निष्ठा पर इतना अधिक विश्वास था कि उसने ड्यूरेण्ड को कुछ समय पूर्व ही एक पत्र भेजा था जिसमें उसने लिखा था 'सब ठीक है, रिसाला तथा पैदल सेना दोनों खुश तथा तैयार है।'[11] 23वीं देशी पैदल सेना के अनेक अधिकारी ग्रेनेडियर कम्पनी की लाईनों के सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे, और उसी समय बायीं ओर की रिसाला लाईनों से पहले एक गोली और उसके बाद अनेक गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी।

यह देखकर कि वे कुछ भी नहीं कर सकते ओर चूंकि लाईनों की ओर से उन पर बरसाई जा रही गोलियों से परेड मैदान गुँज रहा है, अधिकारियों ने भागकर किले में शरण ली। कर्नल प्लाट तथा उसका एड्जुटेन्ट केप्टन फैगन साथ-साथ ही घोड़े पर सवार होकर 23वीं देशी पैदल सेना की लाईनों में गए। प्लाट सैनिकों को सम्बोधित कर जोरदार तकरीर कर रहा था, और इससे पहले कि उनकी रक्षा की जा सकती, सैनिकों ने उन दोनों को गोली

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

मार दी।[12] उसी समय फर्स्ट लाईट केवेलरी के मेजर हेरिस को उसके ही सैनिकों द्वारा मार डाला गया।[13]

इस बीच कैप्टन हंगरफोर्ड अपनी तोपों के साथ परेड मैदान में पहुँच गया। उसे कोई शत्रु तो नहीं दिखाई दिया किन्तु उसे जलते हुए बंगले दिखाई दिए, जिनमें उस समय तक अधिकारी रहा करते थे। उसने अपनी दोनों तोपों से लाईनों पर गोलाबारी करने का आदेश दिया और वहाँ रहने वालों को वहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया। सभी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़कर छावनी से बाहर भागे। इसके पश्चात् विद्रोही रात भर महू नगर में लूट–पाट मचाते रहे और उन्होंने रेजीमेन्ट के भोजनालय तथा अनेक अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी। तड़के वे शासकीय खजाना लूटने के विचार से रेसीडेंसी के विद्रोहियों में शामिल होने के लिए रिसाले के साथ इन्दौर की ओर अग्रसर हुए। उसके पश्चात् वे इन्दौर के विद्रोहियों के साथ मिलकर ग्वालियर, आगरा तथा दिल्ली की ओर बढ़े।[14] महू में विद्रोहियों का नेता मुराद अली खान था।[15] तथापि, अधिकांश अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर किले में शरण ले ली थी। केप्टन ब्रुक्स तथा लेफ्टिनेन्ट मार्टिन और लेफ्टिनेन्ट चेपमेन का, जो किले में ही थे, विद्रोहियों ने किले के आस–पास कुछ दूरी तक पीछा किया और उन्हें एक बुर्ज की दीवाल पर फँसा लिया।[16]

हंगरफोर्ड ने किले की सुरक्षा और महू तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की जोरदार तैयारियाँ प्रारंभ की। उसने भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले आक्रमण का सामना करने की भी तैयारियाँ प्रारंभ की। उसने भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले आक्रमण का सामना करने की भी तैयारियाँ की।[17] ड्यूरेण्ड की अनुपस्थिति में उसने राजनैतिक प्राधिकार ग्रहण कर लिए और होल्कर के दरबार में भारत सरकार के प्रतिनिधि का कार्य भी किया।[18] इन्दौर रेसीडेन्सी खाली की जाने के पश्चात् इन्दौर और महू के विद्रोहियों ने रेसीडेंसी खजाने से नगद 9 लाख रूपये लूट लिए।[19] जिन लोगों ने उसका विरोध किया उनकी उन लोगों ने हत्या कर दी। सम्पन्न व्यक्तियों को लूटने में सैकड़ों अवसरवादियों ने विद्रोहियों का साथ दिया। इन्दौर पहुँचने पर महू के विद्रोहियों ने उन यूरोपियों के सौंपे जाने की मांग की, जिन्हें महाराजा ने पिछले दिन अपने महल में शरण दी थी। महाराजा ने उत्तर दिया 'जब तक वे जीवित हैं, तब तक उन अंग्रेजों का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता।'[20] विद्रोही नगर से बलपूर्वक गाड़ियाँ ले गए और रेसीडेंसी से लगभग 9 लाख रूपए, अनेक हाथी और गाड़ियाँ लेकर 4 जुलाई, 1857 की सुबह 3 बजे इन्दौर से ग्वालियर तथा आगरा के लिए रवाना हुए।

उनके इन्दौर से रवाना होने के तुरंत बाद ही लूटे गए खजाने के बँटवारे के प्रश्न पर इन्दौर की टुकड़ियों तथा महू के सैनिकों के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। अत: होल्कर सैनिकों की कुछ टुकड़ियाँ 6 तारीख को इन्दौर लौट आई।[21] कुछ तो वर्षा काल के कारण और कुछ व्यक्तिगत कारणों से बेबी ड्यूरेण्ड और श्रीमती एच. एम. ड्यूरेण्ड की मृत्यु हो गयी। कर्नल ड्यूरेण्ड रेसीडेन्सी पर पुन: अधिकार करने का कोई प्रयास किए बिना अगले तीन महीनों तक महू में ही रूका रहा।[22]

20 अक्टूबर, 1857 को सैनिक टुकड़ी ने महू स्थित छावनी से प्रस्थान किया और गूजरी होते हुए धार की ओर प्रयाण किया। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक धार के किले की घेराबन्दी की गई और 31 अक्टूबर की रात्रि को उस पर अधिकार कर लिया गया। किन्तु किले का 700 सैनिकों का गैरिसन एक गुप्त भूमिगत मार्ग से किले से भाग निकला और उसकी कोई हानि नहीं हुई।23 ड्यूरेण्ड ने धार के किले को तहस नहस करने और शासन द्वारा अन्तिम निर्णय किए जाने तक राज्य पर अधिकार कर लेने का आदेश दिया।[24]

धार पर अधिकार करने के पश्चात् ड्यूरेण्ड ने अमझेरा के विद्रोह को दबाने और लालगढ़ के किले पर कब्जा करने के लिए एक सैन्यदल भेजा।[25] किले पर कब्जा कर लिया गया और 11 नवम्बर को लालगढ़ के जंगलों के निकट अमझेरा के राजा को बन्दी बना लिया गया। तत्पश्चात् उसे महू लाया गया और एक झूठे मुकदमे के पश्चात् 10 फरवरी, 1858 को इन्दौर में उसे फाँसी पर लटका दिया गया।[26] मन्दसौर नगर पर कब्जा करने के पश्चात् कर्नल ड्यूरेण्ड इन्दौर की ओर अग्रसर हुआ। यह सैन्य टुकड़ी महीदपुर और उज्जैन होती हुई 14 दिसम्बर, 1857 को इन्दौर के निकट पहुँची।

अगली सुबह ड्यूरेण्ड ने होल्कर के रिसाले से हथियार डलवा लिए और दोपहर को स्वयं महाराजा ने बिना किसी विरोध के पैदल सेना से हथियार डलवा दिए।[27] इसके पश्चात् ब्रिटिश सेना ने अन्दर प्रवेश किया और उसने रेसीडेंसी मैदान में पड़ाव डाला। ड्यूरेण्ड ने महाराजा से विद्रोही सैनिकों को दंड देने की मांग की।[28] 16 दिसम्बर को ड्यूरेण्ड ने सेंट्रल इंडिया फील्ड एजेन्सी का कार्यभार रॉबर्ट हैमिल्टन को सौंप दिया। उसके साथ ह्यूरोज था, जिसे सेंट्रल इन्डिया फील्ड फोर्स नामक बम्बई स्थित सैन्य टुकड़ी का प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसमें केवल यूरोपीय सैनिक और रिसाला था तथा जिस पर सेंट्रल इंडिया में सैनिक कार्यवाहियाँ करने और विद्रोह को दबाने का उत्तरदायित्व था।[29] तदनुसार, वर्ष 1858 ई. के प्रारम्भ में सेन्ट्रल इन्डिया में शांति स्थापित करने का अभियान प्रारम्भ किया जो चार महीनों से अधिक समय तक चला। यह अभियान अन्तत: ग्वालियर पर अधिकार, जोरा–आलापुर के विद्रोहियों के तितर–बितर किए जाने और अप्रैल, 1859 ई. के लगभग मध्य तक तात्या टोपे का पीछा किए जाने के साथ समाप्त हुआ।

महू के स्मारक और स्थल –

महू छावनी – सन् 1818 ई. में इन्दौर के समीप महू छावनी बनाई गई। मंदसौर संधि के 7 वें अनुच्छेद के तहत सर जॉन मॉल्कम द्वारा महू छावनी का निर्माण किया गया। सन् 1821 तक महू छावनी, मध्य भारत में राजनीतिक और सामरीक मुख्यालय के रूप में रही। इस पर गवर्नर जनरल के एजेण्ट का नियंत्रण था। इस छावनी के भारतीय सैनिकों तथा इन्दौर राज्य के सैनिकों में 1857 ई. के पूर्व से ही विद्रोह की भावना भड़क रही थी।[30]

इम्पिरीयल गजेटियर के अनुसार महू छावनी, इन्दौर राज्य के अन्तर्गत् मध्य भारत में $22^0 33'$ उत्तर और $75^0 46'$ पूर्व में स्थित है। मालवा पठार के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। यह पठार पथरीला है और समुद्र तल से लगभग 1800 फीट की औसत ऊँचाई पर स्थित है। इस पठार की सर्वाधिक ऊँचाई ब्रिटिश छावनी के वर्तमान के मिलिटरी कॉलेज ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग लगभग 1919 फीट की ऊँचाई पर है। पश्चिम में ढलान लिए हुए है। छावनी का ब्रिगेड परेड ग्राऊण्ड दूर तक समतल है।

महू का किला – महू किला का निर्माण सन् 1821 में मेजर जनरल जॉन माल्कम द्वारा करवाया गया था। समुद्र तल से 1900 फुट की ऊँचाई पर स्थित यह किला एक छोटी पहाड़ी पर वर्गाकार रूप में बनाया गया है। यह किला दस एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों कोनों के बुर्जो के नाम अंग्रेज जनरल अल्फ्रेड ड्यूरेण्ड, फायर और हार्डिंग के नाम पर रखे हैं। यह किला गहरी खाई और बनावटी ढलान से घिरा हुआ है। 01 जुलाई सन् 1857 में भारतीय आजादी के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज अधिकारियों व इनके परिवारों ने इस किले में शरण ली थी। किले के माल्कम बुर्ज पर तत्कालीन स्टेशन कमाण्डर कर्नल जॉन प्लाट 23 वीं बंगाल रेजीमेण्ट के

कमाण्डिंग अफसर और कुछ अन्य अधिकारी जो युद्ध के दौरान मारे गए थे की यादगार में एक संगमरमर की सिल्ली लगाई गयी है।

इसके पश्चात महू छावनी मध्य भारत में ब्रिटिश सेना का एक मजबूत गढ़ बनकर उभरा किले का उपयोग सेना आयुध विभाग के शस्त्रास्त्र भण्डार के रूप में होने लगा। 24 सितम्बर सन् 1907 को शस्त्रास्त्र भण्डार को ले जाया गया। परन्तु किला अंग्रेजी सेना की आन्तरिक सुरक्षा योजना के तहत बाहरी सुरक्षा पोस्ट के रूप में प्रयोग होता रहा।[31]

सी. के. एम्स की कब्र, महू – कब्र पर उल्लेखित कथनानुसार, 'स्मृति के लिए पवित्र, जो कि बहुत स्नेह से बनवायी गयी है। महू में डी. पी. डब्ल्यू के पद पर थे जिनका निधन 31 वर्ष की उम्र में 25 मई, 1858 को हो गयी।'[32] यह कब्र महू कब्रस्तान में स्थित है, महू के पूराने कब्रिस्तान में अंग्रेजों की अनेक कब्रें स्थित है, साथ ही सन् 1857 ई. के समर में महू में मारे गए विभिन्न अंग्रेजों के साथ यह कब्र भी बनायी गयी है। कब्र पुरानी होने से प्लास्टर निकल गया है, कब्र का शिलालेख भी खण्डित है। कब्र चारों ओर से जर्जरित हो रही है। यह कब्र सन् 1857 ई. के समर से संबंधित होने के कारण ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण है।

कर्नल प्लॉट, केप्टन फैगन, मेजर अल्फ्रेड हेरीस की कब्र, महू – महू कब्रस्तान में दफनाए गए तीनों अंग्रेज अधिकारियों की कब्र पर उल्लेखित अभिलेख के अनुसार–'स्मृति के लिए पवित्र, कर्नल जॉन प्लाट 23 बंगाल रेजीमेन्ट के जिनकी उम्र 55 वर्ष, इनके साथ कैप्टन जेम्स फैगन 23 बंगाल रेजीमेन्ट के जिनकी उम्र 37 वर्ष, इनके साथ मेजर अल्फ्रेड हेरिस पहली बंगाल केवेलरी के जिनकी उम्र 41 वर्ष थी, ये अधिकारी जब अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब 1 जुलाई 1857 ई. की रात को महू की 23 वीं बंगाल टुकड़ी के विद्रोही सिपाहियों के हाथों मारे गए।'[33]

मेरी ईला, ऐलिजाबेथ ऐंजलीना, ऐमीलिया फ्रांसीस मेरी की कब्र, महू – महू कब्रस्तान में दफनाए गए तीनों अंग्रेज महिलाओं की कब्र पर उल्लेखित अभिलेख के अनुसार–'स्मृति के लिए पवित्र, मेरी ईला जिनकी उम्र 56 वर्ष 9 महिने और 15 दिन यह कब्र ई.टी. क्यूवेइस जो मालवा स्टेट के शासकीय मेल विभाग में सुप्रिन्टेन्डेन्ट थे की प्रिय पत्नि थी तथा ऐलिजाबेथ ऐंजलिना की कब्र जिनकी उम्र 23 वर्ष 4 महिना और 7 दिन तथा एमेलिया फ्रांसीस मेरी जिनकी उम्र 3 वर्ष 6 महिना और 21 दिन थी यह क्रॉउले सहायक अफीम एजेण्ड की प्रिय पत्नी और बच्ची की कब्र है। ऊपर के तीनों महिलाओं को इन्दौर में उनके घर पर होल्कर टुकड़ी के विद्रोही सिपाहियों द्वारा निर्दयता से मारा गया था सुबह 8 बजे 1 जुलाई 1857 ई. को।'[34]

डब्ल्यू. सी. मैकेन्जी की कब्र, महू – कब्र पर उल्लेखित अभिलेख के अनुसार–'स्मृति के लिए पवित्र, विलियम क्लेमेन्ट मेकेन्जि सार्जेन्ट, पुत्र मेजर मेकेन्जि मद्रास आर्मी, यह बहुत ही कम आयु में मात्र 17 वर्ष 6 माह में 26 सितम्बर 1857 ई. को उत्तर पश्चिम में हुए विद्रोह के समय मारा गया।'[35]

कब्र पुरानी होने से प्लास्टर निकल गया है, कब्र का शिलालेख भी खण्डित है। कब्र चारों ओर से जर्जरित हो रही है। यह कब्र सन् 1857 ई के समर से संबंधित होने के कारण ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण है।

यदि होल्कर ने 'उन विद्रोहियों को सक्रिय सहयोग दिया होता, जो उसे अपना नेता बनाना चाहते थे, तो विद्रोह का रूप दूसरा ही होता। संभवत: भारत बहुत पहले ही विदेशी आधिपत्य से मुक्त हो चुका होता, यदि सिन्धिया और होल्कर विद्रोहियों के नेता बनना स्वीकार कर लेते।' 1857 ई. के महान् विद्रोह के समय होल्कर द्वारा ब्रिटिश शासन को दी गई सहायता की वायसराय लार्ड केनिंग ने 1860 में विशेष रूप से महाराजा के लिये आयोजित दरबार में खुले दिल से प्रशंसा की थी। उसमें तुकोजीराव द्वितीय तथा वायसराय के बीच खिलअतों का यथा विधि आदान–प्रदान हुआ था। इन्दौर में निर्मित एक रिवाल्वर भी लार्ड केनिंग को भेंट स्वरूप दी गई थी।[36]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इश्यु नं. 103 लेखांक 602 आर.एन.सी. हॅमिल्टन एजीजी मध्यभारत से सेक्रेटरी भारत सरकार दि. 22 दिस. 1858 ई. मिलीटरी रिपोर्ट सी.आय.ए. फाइल क्र. 1163 लोकल कापर्स(सेन्ट्रल इण्डिया) जनरल रिकॉर्ड फाइल क्र. 1372 रिपोर्ट दि. 11नवं. 1857 ई. आउटवर्ड रजिस्टर्ड क्र. 125 जन. नं. 2589 लेखांक 433 आर शेक्सपियर एजीजी (मध्यभारत) से एचीसन सेक्रेटरी भारत सरकार इन्दौर 13 सित. 1860 ई. इशु नं. 235 एजीजी मध्यभारत से सेक्रेटरी भारत सरकार।
2. ओल्ड रिकॉर्ड फाईल क्र. 82 मालवा भील कॉपर्स लेटर बुक नं. 98, सर आर.एन. सी. हेमिल्टन एजीजी मध्यभारत से सेक्रेटरी भारत सरकार लेखांक 139 दि. 23 अक्टूबर 1854 ई. आउटवर्ड खण्ड क्र. 125 जन. क्र. 2589 दि. 13 सित. 1860 (सी.आय.ए.) इशु क्र.235 एजीजी मध्यभारत से सेक्रेटरी भारत सरकार।
   इश्यु नं. 103 लेखांक 602 आर. एन. सी. हॅमिल्टन एजीजी मध्यभारत से सेक्रेटरी भारत सरकार दि. 22 दिस. 1858 ई. मिलीटरी रिपोर्ट सी. आय. ए. फाइल क्र. 1163 लोकल कापर्स (सेन्ट्रल इण्डिया) जनरल रिकार्ड फाइल क्र. 1372 रिपोर्ट दि. 11 नव. 1857 ई. आउटवर्ड रजिस्टर्ड क्र. 125 जन. नं. 2589 लेखांक 433 आर शेक्सपीयर एजीजी (मध्यभारत) से एचीसन सेक्रेटरी भारत सरकार इन्दौर 13 सित. 1860 ई. इशु नं. 235 एजीजी मध्यभारत से सेक्रेटरी भारत सरकार
3. के. एल. श्रीवास्तव, दि रिवाल्ट ऑफ 1857 इन सेंट्रल इंडिया– मालवा, पृ. 123–124।
4. वही, पृ. 7–8।
5. रिपोर्ट ऑफ ब्रेवेट–मेजर कूपर, 23वीं नेटिव इन्फेन्ट्री, हेडक्वाटर्स, महू, 9 जुलाई, 1857 (एनाल्स ऑफ दि इंडियन रिबेलियन, पृ. 846)।
6. एनाल्स ऑफ दि इंडियन रिबेलियन, पृ. 848.
7. वही,पृ.848–849.
8. जी. डब्ल्यू. फारेस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द तीन,पृ. 104.
9. दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इंडिया, 1857–59, पृ. 8.
10. काये, ए हिस्ट्री ऑफ दि सिपॉय वार इन इंडिया, 1857–58, जिल्द तीन, पृ. 144.
11. एनाल्स ऑफ दि इंडियन रिबेलियन, पृ. 846–847.
12. दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इंडिया, 1857–59, पृ. 8–9.
13. एस. बी. चौधरी, सिविल रिबेलियन इन दि इंडियन म्यूटिनीज, 1857–59,पृ. 232
14. जी. डब्ल्यू. फारेस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द तीन,पृ. 104.
15. दि रिवोल्ट इन सेन्ट्रल इंडिया, 1857–59, पृ. 9.
16. काये, ए हिस्ट्री ऑफ दि सिपॉय वार इन इंडिया, 1857–58, जिल्द तीन, पृ. 156.
17. एनाल्स ऑफ दि इंडियन रिबेलियन, पृ. 842.

18. वी. के. कुण्टे, बायोग्राफीकल स्केच ऑफ राव रामचंद्र राव भाऊ साहिब रेशिमवाले,पृ. 53. साथ ही देखिए एस. एन. सेन, एट्टीन फिफ्टीसेवन, पृ. 316.
19. सेलेक्शन फ्रॉम दि लेटर्स, डिस्पैचेज एंड अदर स्टेट पेपर्स प्रिचर्वड् इन मिलिटरी डिपार्टमेंट ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1857-58, जी. डब्ल्यू. फारेस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन म्यूटिनी, जिल्द चार परिशिष्ट डी, पृ. 64.
20. के. एल. श्रीवास्तव, दि रिवाल्ट ऑफ 1857 इन सेंट्रल इंडिया- मालवा, पृ. 132-133.
21. वही, पृ. 134.
22. काये, ए हिस्ट्री ऑफ दि सिपॉय वार इन इंडिया, 1857-58, जिल्द तीन, पृ. 49.
23. के. एल. श्रीवास्तव,-दि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन सेंट्रल इंडिया- मालवा, पृ. 171.
24. वही, पृ. 173-174.
25. काये, ए हिस्ट्री ऑफ दि सिपॉय वार इन इंडिया, 1857-58, जिल्द पाँच, पृ. 56.
26. वही, जिल्द तीन, पृ. 57.
27. वही, पृ. 90-95.
28. वी. के. कुण्टे, बायोग्राफीकल स्केच ऑफ राव रामचंद्र राव भाऊ साहिब रेशिमवाले,पृ. 47. विक्रम युनिवर्सिटी जर्नल, जिल्द दो क्रमांक दो, मई 1958, पृ. 98.
29. विक्रम युनिवर्सिटी जर्नल, जिल्द दो क्रमांक दो, मई 1958, पृ. 104.
30. कर्नल जी. बी. मेलेसन-द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, पृ. 260।
31. महू किले के बाहर बने स्मारक के पत्थर अभिलेख के अनुसार।
32. महू कब्रस्तान में स्थित सी.के. एम्स की कब्र के अभिलेख के अनुसार, ओ.एस. क्रॉफ्टन-इन्डियन मोन्यूमेन्टल इन्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ इन्सक्रिप्शन राजपुताना एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया, 1934, पृ.116।
33. महू कब्रस्तान में स्थित कर्नल प्लॉट, केप्टन फैगन, मेजर अल्फ्रेड हेरीस की कब्र के अभिलेख के अनुसार, ओ.एस. क्रॉफ्टन-इन्डियन मोन्यूमेन्टल इन्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ इन्सक्रिप्शन राजपुताना एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया, 1934, पृ.116।
34. महू कब्रस्तान में स्थित महू कब्रस्तान में स्थित मेरी ईला, ऐलिजाबेथ ऐंजलीना, ऐमीलिया फ्रांसीस मेरी की कब्र के अभिलेख के अनुसार, ओ.एस. क्रॉफ्टन-इन्डियन मोन्यूमेन्टल इन्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ इन्सक्रिप्शन राजपुताना एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया, 1934, पृ.116।
35. महू कब्रस्तान में स्थित डब्ल्यू. सी. मैकेन्जी की कब्र के अभिलेख के अनुसार, ओ.एस. क्रॉफ्टन-इन्डियन मोन्यूमेन्टल इन्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ इन्सक्रिप्शन राजपुताना एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया, 1934, पृ.115।
36. एम. डब्ल्यू. बर्वे, पूर्वोल्लिखित पुस्तक, पृ. 193-94.

****

1857 और गोरखपुर की क्रान्ति

डॉ. संजय कुमार सिंह *

प्रस्तावना – सन् 1857 भारत के इतिहास में अतिशय महत्व का वर्ष रहा है। मुस्लिम काल में देश में विद्यमान अधिकांश राज्य ऊपरी तौर पर ही मुस्लिम सत्ता को स्वीकार करते थे। मुस्लिम साम्राज्य से उनका सम्बन्ध केवल कर एवं आवश्यकता पड़ने पर है यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतन्त्र था। किन्तु अंग्रेजों के आने के पश्चात स्थितियाँ बदलने लगी थी। अंग्रेजों ने शताब्दियों पुराने ढाँचे को तोड़ने का प्रयत्न किया। जिससे देशी राज्यों के साथ-साथ वहाँ की जनता में भी अंग्रेजी राज्य के विरूद्ध असन्तोष की आग सुलगने लगी थी। इस असंतोष का प्रथम विस्फोट 10 मई, 1857 ई0 को फौज के सिपाहियों में शुरू हुआ। जिसने धीरे-धीरे पूरे देश में फैलकर देश के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का स्वरूप ले लिया।[2] 1857 के विप्लव में प्रमुख रूप से भाग लेने वालों में अंग्रेजी सत्ता से क्षुब्ध मराठे, दिल्ली और लखनऊ के मुसलमान और अवध के हिन्दू थे।[3] विद्रोह की लपटें गोरखपुर (उ0प्र0) भी पहुँची।

1857 के समय गोरखपुर शहर में आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर (पड़ौराना), मऊ आदि जिलों के क्षेत्र सम्मिलित थे। गोरखपुर जनपद 14 तहसीलों (बस्ती, नौगढ़, खलीलाबाद, बांसगांव, गोरखपुर, महाराजगंज, पड़रौना, हाटा, देवरिया, सलेमपुर, सगड़ी, मऊ, आजमगढ़ और लालगंज) में विभाजित था। इस जनपद की कलेक्ट्री का सदर मुकाम आजमगढ़ में स्थापित था तथा सरयूपार के इस भू-भाग पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ एक ए.डी.एम. की नियुक्ति की गयी थी तथा उसकी मदद के लिए एक सेशन कोर्ट स्थापित किया गया था। जिला जज की अदालत बस्ती में बनायी गयी। गोरखपुर कलेक्ट्री के साथ सरकार का कोष कार्यालय स्थापित हुआ तथा शेषपुर मुहल्ले के समीप एक जेल बनायी गयी।[4]

सन् 1857 के विद्रोह के समय पूरा गोरखपुर जनपद आग का अंगारा बन चुका था। शहर के अलावा आरा के कुँवर सिंह, अतरौलिया के राजपूत, माहुल के मुसलमान और आजमगढ़ के व्यापारी सभी लोग एक जुट हो गए थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ अंग्रेजों के लिये मौत का कुआं बन चुका था। बस्ती का हरैया क्षेत्र और यहाँ के राजपूत अंग्रेजों के लिए यमदूत बन चुके थे। डुमरियागंज के मुसलमान भी इस जंग में पीछे नहीं थे। जैसे सरयू के पानी में एक नयी रवानी आयी हो। इस समय गोरखपुर के कलेक्टर मिस्टर पेटर्सन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बर्ड, जज बिनवार्ड और सेना के कप्तान स्टील आजमगढ़ में रहते थे।[5] इन अंग्रेज अधिकारियों को क्रान्तिकारियों का सामना करना पड़ा। देश के अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में पूर्वांचल के कई राज घरानों ने भी अहम भूमिका निभायी थी।

देवरिया मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रूद्रपुर के सतासी राज पर प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के समय राजा उदित नारायण सिंह का शासन था। 'प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उन्होंने 8 मई, 1857 को गोरखपुर से नाव के द्वारा आजमगढ़ जा रहे खजाने को लूट कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का एलान कर दिया तथा अपने सैनिकों के साथ घाघरा नदी के तट पर डेरा डाल लिया। इससे गुस्साए तत्कालीन जिलाधिकारी डब्लू पेटर्सन से राजा को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। घाघरा तट पर पहुँचने के पूर्व ही राजा को इसकी सूचना मिल गयी, अत: उन्हें छापामार पद्धति से अंग्रेजों से संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। उनके इस प्रयास को व्यापक समर्थन मिला। राजा उचित नारायण सिंह के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिये बड़ी संख्या में सहयोगियों के जुट जाने से अंग्रेजों की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके पश्चात उत्साहित राष्ट्र भक्त, ब्रिटिश नौकाओं द्वारा भेजे जाने वाले रसद पर निगाह रखने लगे और मौका मिलते ही उसे लूटने लगे। सतासी राज को सबक सिखाने के लिए बिहार व नेपाल से सैन्य दस्ते मंगाऐ गये, बावजूद उसके राजा व उनके सैनिकों के हौसले में कोई कमी नहीं आयी।

गोरखपुर में क्रान्ति की ज्वाला फैल चुकी थी। कुसम्ही जंगल के दक्षिण में वर्तमान झगहाग्राम के पास सतासी राजा उदित नारायण सिंह की अध्यक्षता में बढ़यापार के कौशिक राजा तेज प्रताप बहादुर चन्द, नरहरपुर (चिल्लुपार) के विसेन राजा हरिप्रसाद सिंह, शाहपुर के राजा शाहइनायत एवं नगर बस्ती आदि के राजाओं की एक सभा हुई। इसमें डुमरी राज के बाबू बन्धु सिंह तथा पाण्डेपार, तिघरा आदि के श्रीनेत बबुआन भी काफी संख्या में सम्मिलित हुए।[7] उस सभा में सर्वसम्मति से एक जुट होकर अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध की घोषणा की गयी। इस घोषणा का असर व्यापक हुआ। कई अंग्रेज बन्दी बना लिए गए और कठेन नाला के किनारे उनका कत्ल कर दिया गया। जनश्रुतियों के अनुसार कत्ल किये गये अंग्रेजों के रक्त से कठेन नाला का पानी लाल हो गया तथा तभी से उसका नाम गोर्रा पड़ गया।[8]

31 मई, 1857 को पैना के जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर दिया।[9] इन लोगों ने गोरखपुर आजमगढ़ जिले के बीच का घाघरा नदी मार्ग को अवरूद्ध कर अंग्रेजों के यातायात का राज एक मात्र रास्ता बन्द कर दिया तथा गल्ला लदी अंग्रेजी हुकूमत की नावों को अपने कब्जे में ले लिया और उनके खजानों को लूट लिया।[10] इसकी जानकारी तब के गोरखपुर के अंग्रेज कलेक्टर डब्ल्यू0एस0 पैटर्सन ने दो जून को स्थापन कमिश्नर डब्लू0 विनियार्ड को पत्र द्वारा दिया। इस सूचना के बाद बरहज चौकी के जमादार की सहायता के लिए सलेमपुर के तत्कालीन थानेदार को भेजा गया। ताकि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को कुचला जा सके तथा अवरूद्ध मार्ग को खोलने के साथ सरकारी नावों व खजाने की रक्षा की जा सके। कुछ समय पश्चात नरहरपुर के राजा हरिप्रसाद सिंह के वफादार नाविकों

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अनौगी, जिला, कन्नौज (उ.प्र.) भारत

को जानकारी मिली कि वाराणसी से 200 अंग्रेज सैनिक दोहरीघाट के समीप घाघरा नदी पार कर रहे है। राजा के सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किये बिना उन सैनिकों पर आक्रमण कर उन्हें नांव सहित पानी में डुबो दिया। लेकिन यह प्रयास क्रान्तिकारियों के हौसले व जज्बे को कोई असर नहीं डाल सका। छह जून को नरहरपुर के राजा हरि प्रसाद सिंह तथा उनके सैनिकों तथा पैना के जमींदारों ने बड़हलगंज कस्बे पर आक्रमण कर वहाँ बन्द 50 राष्ट्र भक्तों को छुड़ा लिया।' इसके बाद कैप्टन एस0 हील के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी पैना पहुँची। पैना के हिन्दू व मुसलमान सपूतों ने अंग्रेजी सेना का जोरदार मुकाबला कर उसे भागने को मजबूर कर दिया। इससे उत्साहित बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्त आजमगढ़–गोरखपुर मार्ग पर अधिकार कर लिया। सतासी राज्य लक्ष्मीपुर राज्य तथा नरहरपुर के राजाओं के साथ राष्ट्र भक्तों ने पहले से ही नदी के तट पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इस सफलता के बाद राष्ट्रभक्तों ने छोटी–छोटी टुकड़ी में बंट कर संघर्ष प्रारम्भ किया।

29 जून, 1857 बड़हलगंज के समीप जनरल वुड्र्स के नेतृत्व वाली विशाल सेना ने झाड़ी में छिपे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों पर हमला बोल दिया। कुछ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों से भी जा मिले। परिणामत: सेनानियों को हटना पड़ा। इसमें कई सेनानी घायल हुए कईयों को बेरहमी से पीटते हुए बड़हलगंज के कारागार में बन्द कर दिया गया। इस घटना के बाद इधर–उधर छिपे सेनानी एकत्रित हो गए और हथियारों के साथ अंग्रेजों की नौका व रसद लूटने लगे। पाँच जुलाई को सेनानियों ने बड़हलगंज चौकी पर हमला कर दिया। इसमें कई पुलिस कर्मी मारे गए तथा वहाँ के कोतवाल को जान बचा कर भागना पड़ा। जनरल वुर्ड्स के नेतृत्व में सेना बड़हलगंज की तरफ बढ़ी। अभी वह सेना बड़हलगंज पहुँची ही थी कि सेनानियों ने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में भारी संख्या में सेना के जवान घायल हुए तथा जनरल वुड्स गोरखपुर की तरफ भागा। रास्तें में उसे सूचना मिली कि गोरखपुर पर मुहम्मद हसन का कब्जा हो गया है। वह इस खबर से इतना भयभीत हुआ कि घायल सैनिकों को छोड़कर फरार हो गया।[12]

गोरखुपर जनपद मुख्यालय से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में बसे कुआनों व घाघरा नदी के बीच शाहपुर स्टेट में सन् 1857 (प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान) में राजा शाह इनायत अली का शासन था।[13] पन्द्रह मई, 1857 को आजमगढ़ के अंग्रेज अधिकारी एलिस ने शाह इनायत अली को पत्र लिख कर कहा कि वे अपनी रियासत के रास्ते अंग्रेजी फौज के जाने का इंतजाम करें। यह पेशकश इनायत अली ने स्वीकार कर ली। 22 मई, 1857 को एलिस अपनी सेना के साथ आजमगढ़ से पहुँचा और इनायत अली से एक नाव मुहैया कराने को कहा। तीस दिन बाद एक नाविक नाव के साथ पहुँचा, जिसमें सवार होकर एलिस व उसकी सेना नदी पार करने लगी। अभी नाव बीच रास्ते में ही थी कि नाविक ने अपनी जान की परवाह किए बिना नाव को पानी में डुबो दिया। उस नाव में सवार सभी अंग्रेजो की डूबने से मौत हो गयी। यह घटना शाहइनायत के निर्देश पर ही घटी थी। इसी समय एक अंग्रेज रूप में धुरियापार स्थित नील कोठी में अपने परिवार के साथ रहकर वहाँ चल रहे नील कारखाने की देख–रेख करता था। चूँकि नील की खेती के कारण किसानों की जमीन बंजर हो रही थी। इसीलिए वहाँ के किसानों में इसको लेकर काफी गुस्सा था। काश्तकारों का गुस्सा देखकर रूपम खुद तो भाग गया लेकिन उसका परिवार छूट गया। प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान क्रान्तिकारियों द्वारा फिरंगियों के खिलाफ छेड़े गए संघर्ष से भयभीत अंग्रेजों को यह आशंका होने लगी कि धुरियापार के किसान रूपम के परिजनों पर हमला कर उनकी हत्या कर सकते है। गोरखपुर में उस समय तैनात अंग्रेज कलेक्टर मिस्टर डब्लू, पैटर्सन ने मौके की नजाकत को भांपते हुए इनायत अली को पत्र भेज कर उनसे रूपम के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने को कहा। इनायत अली ने अंग्रेज कलेक्टर का आदेश मानने के बजाय अपनी सेना भेज कर पूरी नील कोठी को ही ध्वस्त करा दिया। इस दौरान कोठी में मौजूद सभी अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए। पूर्वी उत्तर से अंग्रेजों का पैर उखाड़ने का प्रयास योजनाबद्ध तरीके से इनायत अली आगे भी करते रहे।

इसी समय फैजाबाद के मुहम्मद हसन की क्रान्तिकारी सेना गोरखपुर के पास राप्ती नदी के किनारे पहुँच गयी। गोरखपुर के तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मि. वार्ड ने बहुत प्रयत्न किया कि राप्ती नदी में ही नावों को डुबो दिया जाए ताकि मुहम्मद हसन की क्रान्तिकारी सेना राप्ती नदी पार कर शहर में न पहुँच सके। लेकिन उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली। मुहम्मद हसन और उनके साथ के बागी सैनिकों को सुरक्षित नदी पार कराने के लिये सतासी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बाबू बन्धु सिंह सैनिकों के साथ नदी तट पर तैयार खड़े थे। उनकी नावों के नाविक भी साधारण मल्लाह नहीं थे। बल्कि सतासी राज्य के प्रशिक्षित सैनिक थे, जिन्होंने सकुशल मुहम्मद हसन की सेना को नदी पार करा दिया। उसने गोरखपुर से भागते हुए अंग्रेजी जत्थे पर गगहा के पास आक्रमण किया। किन्तु गोरखा सेना ने उनकी रक्षा की। गोपालपुर, बाँसी, मझौली के राजा तथा गोरखपुर के मियां साहब, हरसहाय नाजिर, सरदार सूरत सिंह आदि अंग्रेजों के विश्वासपात्र बने रहे। जिन्होंने उन्हें शहर से बाहर निकालने में मदद की।

गोरखपुर से पिपराइच होते हुय पड़रौना जाने वाले रास्ते पर कप्तानगंज स्थित है। ब्रिटिश शासन में कप्तानगंज में एक पुलिस थाना स्थापित किया गया था। इसीलिए इसका नाम कप्तानगंज पड़ा था। प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के प्रभाव से अछूता न रहने वाला यह इलाका उन दिनों खास चर्चित रहा। बारह अगस्त 1857 को मुहम्मद हसन ने अंग्रेजी सेना के विद्रोही सैनिकों के साथ लेकर कप्तानगंज पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यह इलाका जब अंग्रेजों के हाथों से निकल गया तो वहाँ पर फिर से अपना कब्जा जमाने के लिए सैनिकों की टुकड़ियाँ अंग्रेजों द्वारा भेजी गयी। लेकिन इन टुकड़ियों ने भी अंग्रेजों का साथ देना गंवारा न समझा और मुहम्मद हसन से जा मिल। इससे कप्तानगंज पर फिर कब्जा जमाने की अंग्रेजों की मंशा अधूरी रह गयी। मुहम्मद हसन के तेवर से अंग्रेजों में दहशत व्याप्त हो गया था।

मुहम्मद हसन के नायब नाजिम मुशर्रफ खान को अंग्रेजों ने इन्हें जनवरी 1858 में गिरफ्तार कर लिया और मुख्य बाजार में फाँसी पर लटका दिया।[14] इस दृश्य को देखने के लिये सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। सरकार के विरूद्ध विद्रोह करने वाले को गोली मारने का आदेश दे दिया गया था। कर्नल रोक्राफ्ट ने पैना गाँव का निरीक्षण किया तथा उस समय के जिलाधिकारी डब्लू0 पैटर्सन से भी सेना भेजने की गुजारिश की। हिरगोटा स्टीमर से कर्नल के पैना गाँव पहुँचने के कुछ समय पहले ही एक स्टेट तथा गोरखपुर से आयी सेना बरहज बाजार से होकर पैना गाँव में आ डटी। गाँव की नाकेबन्दी कर सेनानियों से आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी गयी। किसी के आत्म समर्पण न करने पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। राष्ट्र भक्तों ने भी इसका जवाब दिया लेकिन बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन वे अपना अधिकांश हथियार साथ ले जाने में सफल रहे। उसी दिन मि0 वर्ड के साथ सेना की एक टुकड़ी ने भी गाँव के प्रमुख मोर्चों पर आक्रमण

किया। दो माह के खुले संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए इस गाँव के तमाम सेनानी मारे गए। इसी बची स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया। जिससे उस सेना को भारी क्षति हुई। इससे कर्नल रोक्राफ्ट बौखला गये और उन्होंने गाँव पर गोली बारी करने तथा बम बरसाने के आदेश दे दिये। करीब 45 मिनट तक हुई गोली व बम बारी में पूरे गाँव में भारी तबाही मची। करीब 790 राष्ट्र भक्त मारे गए। ब्रिटिश सेना के 95 सैनिक भी मारे गए। घायल सेनानियो को बन्दी बनाकर गोरखपुर, वाराणसी तथा पटना आदि के जेलों में ठूस दिया गया। इन पर मुकदमा चला। कुछ को फांसी तथा कुछ को कालेपानी की सजा सुनायी गयी। अंग्रेजों ने गाँव की महिलाओं को नहीं बख्शा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जो महिलाओं ने अपना शील नहीं बचा पायी वे घाघरा नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। वहाँ उनके सम्मान के मन्दिर का निर्माण कराया गया, जिसे आज भी सती घाट के नाम से जाना जाता है।

अंग्रेजों ने शाहपुर स्टेट को सजा देने का निर्णय लिया। लेकिन वे शाह इनायत को गिरफ्तार न कर सके। इससे पेरशान अंग्रेजों ने शाहपुर स्टेट के एक मंत्री को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। मंत्री के अंग्रेजों से मिल जाने की खबर शाह इनायत को हो गयी और वे मंत्री को पकड़ने की जुगत में भिड़ गए। मंत्री को जब यह जानकारी मिली तो वह भाग कर अंग्रेजों की शरण में चला गया। उस मंत्री की ही मुखबिरी पर अंग्रेजी सेना ने शाहपुर राजमहल पर धावा बोल कर उसको चारों तरफ से घेर लिया। शाह इनायत गिरफ्तार कर लिया गये और उन्हें बसन्तपुर स्थित मोती जेल में फांसी दे दी गयी। इसके बाद अंग्रेजों ने शाहपुर स्टेट को जब्त कर नीलाम कर दिया।[15] नीलामी के जरिए बेतिया की महारानी जानकी कुंवरी ने तीन चौथायी हिस्सा जितवापुर के शिवराज चौधरी ने तीन चौथाई हिस्सा तथा एक चौथाई हिस्सा त्रिवेदी लाल ने लिया। बेतिया की महारानी ने उसमें से तीन गाँव शाह इनायत के परिवार को दे दिया ताकि उनके भरण पोषण का बन्दोबस्त हो सके। बाद में अंग्रेजों द्वारा भी शाह के पुत्र तारा को बेलवां में 51 बीघा जमीन दी गयी। लेकिन आगे चल कर इसे भी जब्त कर लिया गया।

नरहरपुर के किले को दोहरीघाट स्थित नील की कोठी (जहाँ नील बनाया जाता था) से तोप लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। किले में हाहाकार मच गया। भगदड़ और लूट का तांडव हुआ। हालांकि राजा सुरक्षित बच गए तथा तपसी कुटी में तपसी वेषधारी सन्यासी हो गये। राजा ने तपसी सेना का गठन किया। तपसी सेना ने लड़ाई का कार्य नहीं अपितु बगावत के विगुल का गाँव-गाँव शंखनाद किया जत्था बनाया इसी तपसी सेना ने बड़हलगंज से गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग को स्थापना की। किन्तु कुछ समय बाद तपसी वेशधारी राजा को उनके ही एक सिपहसालार ने मुखबिरी करके हत्या करा दी।

सतासी के राजा उदित नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए।[16] सतासी राज जब्त कर लिया गया। राजा उदित नारायण सिंह को कालापानी की सजा देते हुये अण्डमान टापू में निर्वासित कर दिया गया।[17] यही दशा चिल्लूपार बढ़यापार (राजा तेज प्रताप बहादुर चन्द) शाहरपुर और धुरियापार की भी हुयी। तिघरा, पांडेपुर और डुमरी के बाबुओं की जमीदारी छीन ली गयी। बन्धु सिंह एवं उनके साथ अन्य कइयों को फांसी दे दी गयी। निचलौल के राजा रंडुल सेन की पेंशन बन्द कर दी गयी क्योंकि उन्होंने क्रान्तिकारियों का साथ दिया था।[18]

पुरस्कृत लोगों में गोपालपुर के राजा का स्थान प्रथम था। उनको शाहपुर और दूसरों राज्यों का कुछ भाग मिला। दूसरे पुरस्कार विजेता में गोरखपुर के मियाँ साहब थे, जिनको अपने इमामबाड़े में अंग्रेजों और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए इलाका मिला। हर सहाय नाजिर जिन्होंने भागने के समय वर्ड को शरण दी थी और पीछे अंग्रेज अधिकारियों को विप्लव सम्बन्धी बहुत सी बातें बतलाए थी, को काफी पुरस्कार मिला। मझौली राज्य के इलाके के रूप में कोई पुरस्कार नहीं मिला। किन्तु उसके ऊपर जो बहुत बड़ा ऋण हो गया था। उसका दायित्व सरकार ने वापस ले लिया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा उसको चुकता करा दिया। नेपाल सरकार के प्रति भी ब्रिटिश सरकार ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की और गोरखपुर की तराई का कुछ और भाग उसको समर्पित कर दिया गया। डुमरी का जब्त राज्य सरदार सूरत सिंह को जिन्होंने क्रान्ति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, पुरस्कार में दे दिया गया।

अत: इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1857 की क्रान्ति में गोरखपुर के जनपदवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया था। प्रारम्भ हुई उसकी पराकाष्ठा भी 4 फरवरी, 1919 में चौरीचौरा नामक स्थान पर हुई जिसे चौरी चौराकाण्ड के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से महात्मा गाँधी जी को महत्वपूर्ण स्वदेशी आन्दोलन स्थगित करना पड़ा था। इसलिए भी इतिहास में गोरखपुर के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार भी किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय राजबली गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास, पृ0 220-21
2. ग्रोवर, बी0एल0 आधुनिक भारत का इतिहास, पृ0 253-61
3. पाण्डेय राजबली, तत्रैव, पृ0 262
4. Uttar Pradesh District, Gazetters. Gorakhpur (1985), P-36-37.
5. तत्रैव
6. सिंह ठाकुर नागेश्वर प्रसाद, नागकौशलोत्तर, पृ0 57 प्रकाशन-भारत प्रकाश यंत्रालय गोरखपुर, विक्रमी 1975
7. मणि विभूतिनारायण, श्रीनेत क्षत्रियों का इतिहास पृ0 57
8. तत्रैव
9. पाण्डेय राजबली, तत्रैव, पृ0 267, नेबिल एच0आर0 गोरखपुर गजेटियर पृ0 152
10. तत्रैव
11. नोबिल एच0आर0, तत्रैव, पृ0 147-148
12. पाण्डेय राजबली, तत्रैव, पृ0 262-67
13. पाण्डेय राजबली, तत्रैव पृ0 265
14. सिंह नागेश्वर, तत्रैव पृ0 62
15. Uttar Pradesh District, Gazetters. Gorakhpur (1985), P-39.
16. सिंह नागेश्वर, तत्रैव पृ0 62
17. तत्रैव
18. पाण्डेय राजबली, तत्रैव, पृ0 267

****

मेवाड़ की काष्ठ कला

लक्ष्मण लाल कुम्हार *

प्रस्तावना – काष्ठ का सम्बन्ध मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। मानव इसे विविध रूपों में समायोजित करने का प्रयास करता आ रहा है। काष्ठ को सामान्यत: दैनिक जीवन के अलावा कलात्मक स्वरूपों में भी स्थापित करने को अनेकानेक प्रयास किए है।

अत: इस काष्ठ कला को पूर्वकाल में 'दारू कला' भी कहा जाता था।[1] जिसका आशय था लकड़ी के बने शिल्प। पाटलीपुत्र की चार दीवारों काष्ठ से ही बनी हुई थी तथा उसके प्रत्येक अंश को लक्षण उत्कीर्णन से सजाया गया था।

लोक जीवन में काष्ठ शिल्प विभिन्न संस्कारों के अवसरों में आवश्यकता अनुरूप सिद्ध होते हैं। जैसे सिंहासन, देव विमान, रथिकाएँ, पालकियाँ, हाथी, घोड़े, देवी प्रतिमाएँ कठपुतली बाजोट आदि।

ऋग्वेद के त्वष्ट्रा, रथकार त्वष्ट्रा जैसे शब्द तत्कालीन काष्ठ शिल्पियों के वर्ग को वर्णित करते हैं। यही शब्द अथर्ववेद में भी मिलते हैं पुराणों में त्वष्ट्रा को विश्वकर्मा का पुत्र बताया गया है। स्वयं विश्वकर्मा के लिए भी वर्धकी शब्द का प्रयोग हुआ है। जिसका अर्थ बढ़ाई होता है। विष्णुपुराण के वंश वर्णन में प्रयास नामक आठवें वसु के पुत्र के रूप में विश्वकर्मा को देवताओं का बढ़ई बताया गया है। यह वर्णन वायु पुराण में भी आया है।[2]

काष्ठकला के प्रमुख रूप – काष्ठ मानव अभिव्यक्ति के माध्यम रूप में चित्र मूर्ति व स्थापत्य को आधार प्रदान करता रहा है, जो कालान्तर से वर्तमान तक भिन्न-भिन्न आयामों के साथ में प्रदर्शित हुआ है। राजस्थान की लोक कला परम्परा में कलाकार व शिल्पी ने अनुदीन नवीनता की खोज के साथ सार्थक प्रयास से कला व संस्कृति की विशालता को स्थापित किया है। इसलिए कारीगरी, दस्तकारी एवं कौशलता के मुख्य केन्द्र के रूप में बस्सी गाँव विश्व प्रसिद्ध है।[3] इनका प्रमुख कारण लोक जन में कला जिज्ञासा व अभिरुचि जिन्होंने अपने जीवन के हर पक्ष को कलागत तत्त्वों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए मेवाड़ की लोककला परम्परा में दृढ़ता व निरन्तरता प्रतीत होती है। काष्ठकार अपने कला साधना के बल पर काष्ठ को कला रूपों में संयोजित कर धार्मिक व सामाजिक जीवनधारा को रोचक बनाने में सफल हुआ। ऐसे ही काष्ठकला आयामों में कठपूतलियाँ, ईशर, गणगौर, तोरण, बाजोट, माणकथम्भ, चौपड़ा, कावड़, मुखौटे, लोकप्रतिमाएँ बेवाण, झूले आदि जिनका महत्त्व केवल, सामाजिक एवं धार्मिक ही नहीं बल्कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्ण एवं मूल्यवान है। यहाँ की प्रमुख लोक काष्ठकला परम्परा के अन्तर्गत आयातित होने वाले विभिन्न कला रूपों में निम्न है-

कठपतूली – कठपूतली की परम्प्रा दो हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका जन्म स्थान सौभाग्य से राजस्थान को ही माना जाता है।[4] ये काष्ठ के बने मूर्ति स्वरूप भारतीय मूर्तिकला की परम्परा से गहरा सम्बन्ध लिए हुए प्रतीत होती है। इन मानवाकृतियों के गोल-चपटे चेहरे लम्बी मोटी आँखें उभरे कान फूले हुए नथूने, लटके खुले होंठ तथा चपटी थोड़ी कनपटियाँ मुख्य विशेषता को लिए हुए है। काष्ठकार ने इसको गढ़कर मूर्ति रूप में ही नहीं डाला अपितु सुन्दर आलंकारिक वेशभूषा व आभूषणों को लोक चित्रण शैली में शुद्ध रंगों के प्रयोग से चित्रित कठपुतलियाँ लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। कठपुतली खेलों में सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता व नागौर के अमरसिंह राठौड़ का खेल सर्वाधिक लोकप्रिय है।[5]

तोरण – तोरण काष्ठकार द्वारा गीली लकड़ी का ही बनाया जाता है। ऊपर मध्यभाग में मयूर तथा दांये बांये सुन्दर चिड़िया बनाकर लगा दी जाती है। तोरण में लगी चिड़ियों की संख्या छ: होती है। इसका महत्त्व विशेषकर शादी में होता है। बारात आने से चार पाँच घण्टे पहले ही बनाया जाता है। इसे हल्दी से या लाल-पीले रंगों से रंग दिया जाता है। तोरण को मुख्य रूप से तलवार द्वारा बांदा (चटकाया या स्पर्श) किया जाता है। बारात लोटने के बाद शुभ समय पर इसे घर में उचित स्थान पर रखते समय मांगलिक गीत गाए जाते हैं।

माणकथम्ब – तोरण के अतिरिक्त विवाह के इस मांगलिक कार्यक्रमों में माणकथम्बों की भी अपनी महत्त्वपूर्ण परम्परा रही है। इसमें लगी काष्ठ की चिड़िया व मोर बहुत सुन्दर होते हैं। थम्ब मूलत: स्तम्भ के पर्याय है। वेदी स्थापना से पूर्व स्तम्भ खड़े करने की परम्परा आर्यो में भी रही है।

चौपड़े – यह लकड़ी का एक पात्र समान है, जिसमें विवाह या अन्य मांगलिक पर्वो पर कुंकूम, मूंग और अक्षत आदि रखने के लिए काम आते हैं। ये चौपड़े अधिकतर मोर के विविध आकार में मिलते हैं, जिसमें बैठा खड़ा पंखवाला, छतरवाला तथा सादा चौपड़े मुख्य है। पान के आकार के चौपड़ों का भी प्रचलन है। कहीं-कहीं सिन्दुरानी की चौपड़े कहलाती है। कुंकूम भरने के कारण इसे 'ककावटी' भी कहा जाता है।

बाजोट – राजस्थान में घर आये मेहमान का आदर सत्कार करने की परम्परा रही है, उन्हें भोजन करवाने के समय थाल बाजोट पर रखा जाता है। यह बाजोट सामान्यत: लकड़ी पर सुन्दर चित्रकारी से चित्रित होता है। इसके ऊपर शिल्पकारी भी की जाती है। गीत भी है। चमन्यों बाजोट्यों ने मोतीड़ा सू जड़ियों, ये बाजोट पर पायो से लेकर सोलह पायो तक में बनाए जाते है। इसे 'पीठिका' भी कहा जाता है।

झूले – झूलों की परम्परा लोक व अभिजात्य सभी समाजों में समान रूप से हैं। यहाँ मंदिरों में भगवान को झूलों में बिठाने की परम्परा रही है। श्रावण में छोटी तीज व बड़ी तीज पर झूलों का विशेष महत्त्व होता है। लकड़ी पर उत्कीर्णन अलंकरण किया जाता है। संस्कृत में 'मचली' या 'संचिका' शब्द इसके लिए आया है। नाट्यशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग हुआ है।[6]

बेवाण – बेवाण एक प्रकार का काष्ठ मन्दिर है। ये बेवाण रामरेवाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसे 'मिनीश्चर वुडन टेम्पल' भी कहते हैं। देवझूलनी एकादशी के दिन राजस्थान में लगभग सभी वैष्णव मन्दिरों में इसकी झांकी

*शोधार्थी (इतिहास) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

निकाली जाती है। ये बेवाण छः आठ या बारह से लेकर सोलह स्तम्भों तक के बनाएजाते हैं। इनमें चीप, गमटे तथा शिखर वाले बेवाण आदि।

कावड़ – स्थापत्य, चित्र व काव्य तीनों ही कलाओं का समायोजन कर एक सुन्दर कृति के रूप में स्थापित होता है। उसे 'कावड़' कहते हैं। इसे लोक जन में पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। इसका सम्बन्ध कावड़ियाँ भाटों से है। इसके दर्शन व वाचन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तथा सह कार्य करने की प्रेरणा देती है।[7]

कावड़ मन्दिरनुमा काष्ठकलाकृति है, जिसमें कई द्धार बने होते हैं। सभी हाटों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा के वाचन के साथ–साथ सभी कपाट भी खुल जाते हैं। सभी कपाट खुल जाने पर अन्त में राम, लक्ष्मण व सीता जी की भी मूर्तियाँ दर्शित होती है।जिनका पूजन किया जाता है। कावड़ पूरी लाल रंग में रंगी जाती है व उसके ऊपर फिर काले रंग में पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्णलीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है।[8] साथ ही शनि, ब्रह्मा, हनुमान लक्ष्मी, गरूड़ व लोकदेवताओं जैसे पाबूजी, रामदेवजी, हरिश्चन्द्र, गोपीचन्द, भरथरी को कथानुसार कावड़ में चित्रित करते हैं।[9] रंगों में धाकड़े व धोक का गोंद या अलसी का तेल मिलाकर लकड़ी को रंगा जाता है व कभी–कभी ऊपर से एक हाथ वार्निश कर दी जाती है।[10]

इनके अलावा मूर्तियाँ, देवदासियाँ, ईसर, गणगौर, गाडूले, पावड़िया आदि काष्ठ के कलात्मक रूप मेवाड़ में प्रचलित है।

निर्माण स्थल – राजस्थान की मारवाड़ रियासत के किशनगढ़ की नागौर उपशैलजी में किवाड़ों पर चित्रण के प्रमाण है।[11] काष्ठकार भी अपने आपको नागोर के मूल निवासी मानते हैं। चित्तौड़ से बूँदी–कोटा, ब्रॉड गेज रेल्वे लाईन तथा चित्तौड़गढ़ बूंदी पर्यटन राजमार्ग पर 24 कि.मी. दूर घने वनों से आच्छादित प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण बस्सी गाँव पुरातन काल से ही काष्ठ कला के हुनर में महारत हासिल किए हुए है।[12]

बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता स्वर्गीय प्रभातजी सुथार माने जाते हैं।[13] यहाँ के तत्कालीन शासक रावत गोविन्ददास जी कला प्रेमी थे। प्रभातजी सुथार ने बस्सी आने के बाद रावत गोविन्दराम को सन् 1652 में सर्वप्रथम एक आदमकद गणगौर बनाकर भेंट की। यह गणगौर बस्सी के रावत के पास आज भी सुरक्षित है।[14]

काष्ठ को विभिन्न कलात्मक रूपों में समायोजित करने का कार्य खेरादियों का पुश्तैनी धन्धा है। आज भी यहाँ करीबन 25 खेरादी परिवार कावड़ परम्परा से जुड़े हुए हैं। लेकिन रोजगार हेतु इस परिवार के लोग अन्य स्थानों पर जा बसने लगे हैं। जिसके कारण निर्माण स्थलों का विकास हुआ है जिसमें उदयपुर, चित्तौड़ भीलवाड़ा है।

काष्ठ निर्माण के औजार – काष्ठ कलरकृति के लिए निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है–

करोती	–	लकड़ी की कटाई की जाती है।
बासला (बासोला)	–	लकड़ी की घड़ाई की जाती है।
चौरसी	–	लकड़ी पर अलंकरण किया जाता है।
रेती (फाईल)	–	घिसाई की जाती है।
रंदा	–	समतल व सफाई की जाती है।
शिल्ली (शिल्ला)	–	औजारों की धार तेज की जाती है।
रेतमाल पेपर	–	बारीकी से सफाई के लिए।

प्रमुख रंग –

- **मिश्रित रंग–** गुलाबी, नीला, पान रंग, खाकी, नारंगी, स्याह रंग, आसमानी रंग, सुआ रंग, बेंगनी रंग, गोधुम रंग।
- **खनिज रंग–** हरिताल रंग, गोगुली रंग, हिंगलू रंग, गेरू, सफेद रंग, हरा मट्ट, सुनहरा, काला रंग, गजवर्ण आदि।
- **वानस्पतिक रंग–** काला, पीला, हरा लाल व नीला रंग।
- **धात्विक रंग–** सोने, चांदी व रांगे की हल से धात्विक रंग बनाकर प्रयोग में लिया जाता है।
- **तुलिका निर्माण–** तुलिका काष्ठ कला पर रंग रोगन के लिए महत्त्वपूर्ण है। तुलिका अच्छे व महीन कार्य के लिए गिलहरी की पूंछ के बालों से बनाई जाती है।

प्रमुख काष्ठकार –

स्व. प्रभातजी सुथार – प्रभात जी बस्सी की काष्ठकला के जन्मदाता माने जाते हैं। रावत गोविन्ददासजी 1652 में मालपुरा से प्रभात जी सुथार को भी साथ ले आए। यहाँ उन्हें रहने का मकान बनाकर दिया जिसे आजकल 'बड़ी गवाड़ी' कहते हैं। कृषि एवं पशु पालने के लिए 80 बीघा जमीन दी जिसे आजकल 'थरमामाल' कहते हैं।[15] प्रभात जी ने 1652 में रावत गोविन्ददासजी को एक आदमकद गणगौर बनाकर भेंट की।

मांगीलाल मिस्त्री – जन्म 1943 में बस्सी में हुआ। सेवा– लोककला मण्डल में काष्ठ शिल्पी के रूप में। इनकी पुतलियों ने 1965 में तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह रूमानिया में आयोजित हुआ उसमें प्रथम पुरस्कार मिला। तब वहाँ के अखबारों में लिखा था– भारत के जादूगर धागों से चलने वाली संप्राण तुतलिया करने आई है।[16] उन्होंने अनेकानेक आकार प्रदान किया इसका आकार माचिस की डिब्बी से 6 फीट तक रहा।

निष्कर्ष – काष्ठ प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा माध्यम है, जिस माध्यम ने मानव जीवन की सभी क्रियाओं को कलात्मक रूप के साथ जोड़ा है। कठपुतली, तोरण, माणकथम्भ, चोपड़, बाजोट, झूले, बेवाण, कावड़ आदि काष्ठ कला के प्रमुख रूप है। काष्ठ कला शैली काष्ठकारों की कला साधना का परिणाम है। इसे लोक कला धरोहर के रूप में स्थापित कर लोकजन को अपनी कल्पना शकित को काष्ठ चित्रण में चित्रित किया है।

काष्ठ चित्रण लोकजन की परम्पराओं से सम्बन्ध स्थापित कर इसका धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक व आर्थिक सभी पहलुओं की परिचयात्मक सिद्ध होती है।

काष्ठ कला शैली लोकभावनाओं का प्रत्यक्षीकरण है, जो भारतीय कला परम्परा भी रूपरेखा ने आधार स्वीकारा है। अतः राजस्थान की कला में काष्ठ कला परम्परा का कई दृष्टियों से अत्यधिक महत्त्व है। लोक कला में इसकी अहम् भूमिका है, जिसे राजस्थान की ख्याति देश–विदेश में प्रसारित की है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भानावत, महेन्द्र : भारतीय लोककला माध्यम, पृ. 32
2. भाटी, रामसिंह : राजस्थानी लोक परम्परा में कावड़ चित्रण का कलात्मक एवं तकनीकी अध्ययन, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन, पृ. 57 (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)
3. राव कनक सिंह : धरोहर, पृ. डी, 152
4. वही, पृ. 152
5. वही, पृ. 152
6. भाटी, रामसिंह : राजस्थान लोक परम्परा में कावड़ चित्रण का कलात्मक एवं तकनीकी अध्ययन, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन, पृ. 65 (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)

7. वही, पृ. 66
8. नीरज, जयसिंह, राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, पृ. 97
9. रोहित कुमार सिंह, सम्पादक, राजस्थान सुजस, पृ. 923
10. नीरज, जयसिंह : राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, पृ. 97
11. वही, पृ. 98
12. राजस्थान सुजस, पृ. 923
13. भल्ला, डॉ. एल. आर., सामयिक राजस्थान, पृ. 453
14. वही, पृ. 453
15. राजस्थान सुजस, पृ. 923
16. एक अनुठा काष्ठ शिल्पी, राजस्थान पत्रिका, दि. 2/12/95, डॉ. श्री कृष्ण जुगनू।

****

झाबुआ राजघराने का आदि पुरूष - 'केशवदास मारू'

प्रेम सिंह मोरे *

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश के सुदूर दक्षिणी-पश्चिमी छोर पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ है, आदिवासी भील-भीलाला-पटलिया बहुल झाबुआ जिला। महकते रसीले महुवे, रसभरे आम और रसासिक्त ताड़ के वृक्षों से भरपूर 6782 वर्गमील भू-क्षेत्र में फैले जिले में 624 वन क्षेत्र है। सन् 1961 की जनसंख्या के अनुसार इसकी आबादी 11 लाख 30 हजार 425 थी, जिसमें 85:66 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 166 है। 612 ग्राम पंचायतों में विभाजित झाबुआ जिले में आबाद ग्राम 1313 है।[1] शासन के विकास प्रयत्नों के फलस्वरूप यह जिला सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और प्रगति की दिशा में अग्रसर रहा है तथा नये आयामों को स्पर्श कर रहा है।

झाबुआ जिले की सीमाएं पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात राज्य से तथा दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है। झाबुआ जिला 21°30' से 22°55' उत्तरी अक्षांश तथा 73°30' से 75°1' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6793 वर्ग किलोमीटर है। जिले की समुद्रतल से ऊँचाई 428 मीटर तथा 714 मीटर के मध्य है।[2]

झाबुआ राज्य का अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास रहा है। झाबुआ राज्य की स्थापना यों तो केशवदास मारू के पौत्र महासिंह ने 1642 ई. में की थी किन्तु केशवदास (1584-1607 ई.) का इस क्षेत्र को आबाद करने का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अत: झाबुआ राज्य का आदि पुरूष होने के नाते केशवदास का उल्लेख यहां समीचीन होगा।

केशवदास मारू का अपना एक शानदार इतिहास रहा है। अकबर कालीन मनसबदारों में केशवदास मारू की गणना होती थी। केशवदास मारू दो सदी जात का मनसबदार था। आईन-ई-अकबरी तथा अकबरनामें में उसका उल्लेख 'केशवदास राठौड़' के नाम से ही लिखा गया है किन्तु आगे चलकर सम्राट जहांगीर के शासन काल में वह 'केशवदास मारू' के नाम से सुविख्यात हुआ एवं ख्यातों आदि के साथ ही समकालीन कागज-पत्रों में भी इसी नाम से उसका उल्लेख मिलता है।[3]

केशवदास मारू जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के पांचवें पुत्र वरसिंह के प्रपौत्र भीम का ज्येष्ठ पुत्र था। मुगल सम्राट अकबर का **सितारा उस समय बुलन्दी पर था, तब अन्य राठौड़ वीर भी एक-एक करके** मुगल सेना में सम्मिलित हुए तब समय पाकर केशवदास मारू भी शाही सेना में मनसबदार बन गया। सन् 1584 ई. तक उसकी गणना शाही सेना के उल्लेखनीय सेनानायकों मे होने लगी थी।[4]

सन् 1584 ई. के गुजरात अभियान में शाही सेना की ओर से केशवदास मारू ने विशेष वीरता प्रदर्शित की थी।[5]

मालवा से गुजरात जाने वाला मार्ग अपराध से भरा एवं संकटपूर्ण था। जहां विभिन्न अपराधिक जातियां लूटमार करती थी। अत: 1591-93 ई. के मध्य बदनावर और अमझेरा का परगना केशवदास मारू को जागीर के रूप में मिला जो जीवन पर्यन्त उसके अधिकार में रहा।[6] बदनावर और अमझेरा के परगनों से उसने लूटमार करने वाले चन्द्रभान और लाखा नायक को मार भगाया और 1594 ई. के लगभग घुलेट आदि स्थानों के आसपास के भागों पर केशवदास मारू का ही अधिकार हो गया। तब केशवदास मारू ने माही नदी के पश्चिम वाले प्रदेश को आबाद किया और उसे परगना रामगढ़ का नाम दिया।[7]

केशवदास मारू का भाग्योदय वस्तुत: जहांगीर के राज्यारोहण के बाद ही हुआ। अपने राज्यारोहण के उत्सव के अवसर पर अक्टूबर 1605 ई. के अंतिम सप्ताह में जहांगीर ने केशवदास मारू का मनसब बढ़ाकर डेढ़ हजारी जात कर दिया और कोई ग्यारह माह बाद ही 15 सितम्बर 1606 ई. को उसे बढ़ाकर डेढ़ हजारी जात 1500 सवार का कर दिया।[8]

सन् 1606 ई. में केशवदास मारू को मुगल सम्राट ने बंगाल-उड़ीसा के अभियान पर भेजा। जांबाज केशवदास मारू जगन्नाथपुरी जा पहुंचा और उसने जगन्नाथपुरी के मंदिर पर अधिकार कर लिया। केशवदास मारू की इस वीरतापूर्ण कार्यवाही का विवरण बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां ने जहांगीर की सेवा में लिख भेजा।[9] उड़ीसा से लौटने पर केशवदास 20 जुलाई, 1615 ई. को शाही दरबार में उपस्थित हुआ और उसने जहांगीर को चार हाथी भेंट किए।[10]

2 अगस्त, 1615 ई. के दिन केशवदास मारू के मनसब में 200 सवार बढ़ा दिए गए और तब उसका मनसब बढ़कर दो हजारी जात, 1000 सवार का हो गया। उक्त अवसर पर केशवदास को खिल्लत भी दी गई।[11]

डॉ. रघुबीरसिंह का केशवदास मारू के विषय में यह भी अभिमत है कि केशवदास मारू को संभवत: दक्षिण अभियान के लिए भी भेजा गया था। अपने मत की पुष्ठि के लिए डॉ. रघुबीरसिंह ने यह भी दर्शाया है कि तुजुक-ए-जहांगीरी में केशवदास के दक्षिण से लौटने का स्पष्ट उल्लेख है।

केशवदास मारू अनवरत पूर्ण निष्ठा से शाही सेवा करता रहा और अनेक शाही अभियानों में उसने अपना अभूतपूर्ण योगदान दिया था। अपने अंतिम समय में केशवदास मारू को विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। केशवदास के ज्येष्ठ पुत्र करण ने ही उसकी हत्या कर दी थी।[12]

केशवदास मारू की राजधानी बदनावर थी और वहीं उसने अपने निवास के लिए महल बनवाएं, उद्यान लगवाया और एक बहुत ही सुन्दर बावड़ी भी बनवाई थी, जिसकी जहांगीर ने बड़ी प्रशंसा की है।[13] केशवदास मारू की मृत्यु बदनावर में ही हुई थी। उसके दाह स्थल पर सतियों के स्मारक आज भी बदनावर में विद्यमान है।[14]

शाही दरबार में विशेष प्रयत्न करने पर सन् 1640 ई. के लगभग सम्राट शाहजहां ने रामगढ़ तथा उसके आसपास के परगने केशवदास मारू के पौत्र महासिंह को प्रदान कर दिए थे। तब महासिंह राठौड़ ने झाबुआ, थान्दला आदि स्थानों के नायकों को मार भगाया और उन सभी स्थानों पर

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, बजाग, जिला-डिण्डौरी (म.प्र.) भारत

अपना आधिपत्य स्थापित कर झाबुआ को अपनी राजधानी बनाया तथा यों झाबुआ राज्य की स्थापना की।[15]

केशवदास मारू मालवा में झाबुआ राजघराने का आदि पुरूष था। राजा महासिंह राठौड़ (1610–1677 ई.) को यदि झाबुआ राज्य का वास्तविक संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है, तो केशवदास मारू झाबुआ राज्य का प्रारम्भिक संस्थापक था। वह उस नींव के पत्थर के समान था, जिस पर झाबुआ राज्य के भावी शासकों ने राज्य की इमारत खड़ी की थी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. डॉ. के.के. त्रिवेदी: भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में झाबुआ जिले की भूमिका, पृ.1
2. डॉ. रेखा द्विवेदी तथा डॉ. सहदेवसिंह चौहान : मालवा के राठौड़, पृ. 123
3. ब्लाकमन तथा जेरेट कृत अंग्रेजी अनुवाद : आईन–इ–अकबरी, जि.1, पृ.594 क्रमांक 408
4. डॉ.रघुबीरसिंह का शोध–पत्र आलेख : 'अकबर कालीन विभिन्न केशवदास' – शोध पत्रिका, वर्ष 12, अंक 3, पृ. 8 राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 1961 ई.
5. अबुल फजल कृत : अकबरनामा, खण्ड 1–2
6. जहांगीरनामा, पृ. 472
7. बृजरत्नदास द्वारा अनुवादित : जहांगीरनामा, पृ. 472–73
8. ब्लाकमन तथा जेरेट कृत अंग्रेजी अनुवादित : आईन–इ–अकबरी, दूसरा संशोधित संस्करण, खण्ड 1, पृ.594
9. राखालदास बनर्जी : हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, भाग 2, पृ. 33–35
10. डॉ. रघुबीरसिंह का शोध–पत्र आलेख : 'अकबर कालीन विभिन्न केशवदास' – शोध पत्रिका, वर्ष 12, अंक 3, पृ. 12
11. बृजरत्नदास द्वारा अनुवादित : जहांगीरनामा, पृ. 365
12. कविराजा : संग्रह ग्रन्थ 2, पृ.219 – नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ (मालवा)
13. बृजरत्नदास द्वारा अनुवादित : जहांगीरनामा, पृ. 472–73
14. – वही –
15. केप्टन सी.ई.ल्यूआर्ड : झाबुआ स्टेट गजेटियर, 1908 ई., पृ. 2

****

कोरकुओं में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति एक अध्ययन (खालवा विकासखण्ड के संदर्भ में)

डॉ. मीना जैन * निकिता नागोरी **

प्रस्तावना – कोरकू मध्य भारत में पायी जाने वाली जनजाति है, जो मुख्यत: पूर्व निमाड, होशंगाबाद, बैतूल और मैलघाट में पाई जाती है। कोरकू जनजाति, कोल, सहारिया और बैगा को मिलाकर मध्यप्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का महज 26% है। मध्यप्रदेश में कोरकूओं की सर्वाधिक जनसंख्या पूर्व निमाड़ (खण्डवा) जिले के खालवा विकासखण्ड में पाई जाती हैं। खालवा ब्लॉक को पॉचवी अनुसूची में शामिल किया गया है।

इस जनजाति का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। कोर जिसका अर्थ है पुरूष और कु जिसका तात्पर्य है मुन्डा या कोल, कोरकू भाषा ऑस्ट्रोएशियाई परिवार से है और अब यूनेस्को के अनुसार विलुप्त होने के कगार पर मानी गई है। कोरकूओं ने स्थिर जीवन 19वीं सदी से प्रारंभ किया इससे पहले वे सतपुड़ा के जंगलों में भटका करते थे और घुमंतू खेती और शिकार पर निर्भर थे। कोरकूओं के 4प्रमुख प्रकार है, राज कोरकू, रूमा कोरकू, नहाल और पोथरिया। राज कोरकू राजपूत खून का मिश्रण है, जबकि नहाल भील खून का मिश्रण माने जाते है। कोरकूओं पर पहले गुप्त वंश ने राज किया और बाद में राजपूत, मौर्य, मुगल और अंग्रेजों ने 12वीं सदी के बाद गोंड राज कोरकुओं पर शासन किया। कोरकू प्रमुख रूप से सूर्य,चंद्रमा और महादेव को पूजते है, उनके प्रमुख देवी देवता है-डोंगरदेव(पहाडों का देवता) मुठुवा बाबा(बीमारियों का देव) और माता(खसरे, चेचक की देवी) भूमका कोरकूओं का प्रमुख पुजारी होता है, जबकि पड़ियार धार्मिक क्रियाकलाप करते है। गांव में एक ही भूमका होता है, पर पडियार अनेक हो सकते हैं।

पुरातन समय से कोदा,कुटकी,भंदली और सांवरिया कोरकुओं के परंपरागत अनाज रहे है। इनका विवरण कोरकुओं की लोक कथाओं में भी पाया जाता है। मात्र छिंटने से ये अनाज उग जाते है, ये अनाज वर्षो तक सड़ते भी नही है। बीसवीं सदी के प्रारंभ मे कुछ परिवारों ने ताप्ती नदी के किनारे गेहूँ उगाना शुरू किया। इसे उन्होंने शायद अपने जमींदारों से सीखा था। जो कोरकुओं को उनकी सादगी,वफादारी और मेहनत के कारण पसंद करते थे। कई दशको से कोरकू 98% खेत के मजदूर रहे है। आज भी यह प्रवृति जारी है। कोरकुओं के बीच काम करने वाली संस्था स्पंदन समाज सेवा समिति का अध्ययन दर्शाता है कि खालवा ब्लॉक के लगभग 3% कोरकू परिवार साल मे 2 बार पड़ोसी जिले हरदा और होशगांबाद में पलायन करते है और अत्यन्त अमानवीय परिस्थितियों में रहने और काम करने के लिए बाध्य होते है और नाना प्रकार के शोषण का शिकार होते है। इसका बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा संवेदनशील बच्चों,महिलाओं के स्वास्थ और पोषण पर पड़ता है।

वर्तमान समय में कृषि का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि अधिकतर कोरकू सोयाबीन,गेहूँ,चने जैसी नगदी फसले उगाने लगे है कोदा,कुटकी,भादली जैसै परम्परागत अनाज लुप्त होने की कगार पर है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से उन्हें नशीला बना दिया है। कई उदाहरण है जहॉ जानवर भी इसको खाने से बेहोश हो गए। कोरकू का आकर्षण भी इसके प्रति लगभग खत्म हो रहा है। यह कोरकूओं के खाद्य संकट का बड़ा कारण रहा है, जो इस समुदाय को कुछ दशकों से बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य –

- कोरकुओं के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति और चुनौतियों को ज्ञात करना।
- कोरकुओं के बीच शासकीय योजनाओं की प्रभावशीलता का पता लगाना।
- कोरकुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
- कोरकू जनजाति के परंपरागत खाद्यान्ह रीति-रिवाजों,प्रथाओं और परंपराओं में आए परिवर्तनों का अध्ययन।
- शासन और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं, गतिविधियों के संदर्भ में जागरूकता का अध्ययन करना।

6 वर्ष से कम के कोरकू बच्चों में कुपोषण – खालवा के कोरकू, पोषण के मायने में संवेदनशील समुदाय है। बच्चों के बीच कुपोषण व्यापक रहा है और साल दर साल सैकड़ों बच्चों को निगलता रहा है। डिस्ट्रिक्ट हैल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश के लगभग 12% 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे SAM के शिकार है। रिकार्ड दशति हैं कि मध्यप्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा कई दशकों से गंभीर कुपोषण के परिणामों को झेलता रहा है, खंडवा जिले का खालवा ब्लॉक इनमें से एक है। प्रत्येक वर्ष जब मानसून का आगाज़ होता है, तब कोरकू परिवारों को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि पिछली फसल से एकत्रित अनाज लगभग खत्म होने लगता है, मानसून उन लोगों को भी वापस ले आता है, जो मजदूरी के लिये पलायन कर जाते है। यह सब गरीब कोरकू परिवारों के खाद्य भंडार को खाली कर देते है। स्पंदन द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार खालवा के मात्र 23गांवों में 60से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण से मौत का शिकार हुए।

खण्डवा जिले में 1अक्टूबर 2016 को प्रकाशित 'पत्रिका'' स्थानीय अखबार के अनुसार अक्टूबर 2016 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10दिवसीय शिविर लगाया गया था जिसमें कुल 8288बच्चे बीमार मिले जिनमें से 353 कुपोषित, 343अति कुपोषित, 390बुखार, 204उल्टी-दस्त, 705सर्दी-खांसी, 325 खुजली, 42खून की कमी, 89अन्य बीमारी के निकले। जिनमें से 343बच्चों को एन.आर.सी. केन्द्र में भर्ती किया गया और 63बच्चों को जिला अस्पताल खण्डवा रेफर किया गया। 3 बालशक्ति केन्द्रों में 100 से अधिक बच्चे भर्ती है, जबकि हर साल 22 अरब रू कुपोषण खत्म करने के नाम पर खर्च हो रहे है।

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

खण्डवा के खालवा विकासखण्ड में कुपोषण से 3 माह में हुई मौते–

1. समोती पिता सूरज, 2वर्ष, जूनापानी,30 जुलाई
2. जयेश पिता शिवकरण, 16माह, ढाकना,5 अगस्त
3. कृष्णा पिता समतीलाल 2वर्ष, जूनापानी,10सितंबर
4. मोगिया पिता परसारम, 2वर्ष, मिरीखेड़ा,11सितंबर
5. अजय पिता प्रेम, 2वर्ष, मिरीखेड़ा,16सितंबर

जिला अस्पताल के बाल शक्ति केन्द्र के रिकार्ड के अनुसार पिछले 8साल में 32कुपोषित बच्चों की मौत हुई। 2009–10 मे 5 और 2011–12 में 6कुपोषित बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि 47बच्चों की मौतों में 55 लड़कियां मौत का शिकार हुई।

जिले में सरकारी आंकड़ो में कम हो रहा कुपोषण –

वर्ष	**अति कुपोषित बच्चे**
2013–14	2530
2014–15	2350
2015–16	2201

वर्ष 2016 में खालवा एन.आर.सी. केन्द्र में भर्ती बच्चे–

माह	**भर्ती बच्चे**	**खण्डवा रैफर**
अगस्त	100	35
सितंबर	136	41
अक्टूबर	46	11
नवम्बर	35	10

(स्रोत – एन.आर.सी. केन्द्र खालवा) 2

अप्रैल से जुलाई 2016 में 200कुपोषित बच्चे केन्द्र में आए हैं। मौजूदा स्थिति में यहां 3 से 6कुपोषित बच्चे केन्द्र में आ रहे है। 20बेड के खालवा बाल शक्ति केन्द्र में क्षमता से दोगुने बच्चों को रखना पड़ रहा है। अति कुपोषित बच्चों को खण्डवा के बालशक्ति केन्द्र रेफर किया जाता है। **(चित्र देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

उपरोक्त आंकड़ों को देखने पर स्वास्थ्य विभाग के जमीनी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और महिला बाल विकास के सुपोषण अभियान पर सवाल उठना स्वाभाविक है, इन मौतों के होने से पहले दोनों ही जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे? 8हजार से अधिक बच्चे बीमार मिलना इनकी कार्यशैली पर सवाल उठाता है।

कुपोषण का कारण – पिछले कई दशकों से कोरकुओं में कुपोषण और मौतों की खबरें आती रही है। महाराष्ट्र का मेलघाट क्षेत्र कुछ वर्ष पहले सुर्खियों में रहा। अब यह मध्यप्रदेश के पूर्वी निमाड़ (खण्डवा) जिले के खालवा विकासखण्ड का मामला सामने आया है। यह मेलघाट से ही जुड़ा क्षेत्र है। कोरकुओं के बीच निरंतर बढ़ती खाद्य असुरक्षा, 6वर्ष से कम उम्र के कोरकू बच्चों के बीच व्यापक कुपोषण का प्रमुख कारण रही है –

कुपोषित तंत्र– कुपोषण के दूर नहीं होने का सबसे बड़ा कारण सरकारी तंत्र का कुपोषित होना है। कई गांवों में साल में एक बार भी सरकारी डॉक्टर नही पहुँचते।

अंधविश्वास– खालवा में बच्चे के बीमार होने पर उसे स्वास्थ्य केन्द्र लाने के जगह चचुआ लगवाने, झड़वाने, और धागा बंधवाने में विश्वास रखते है।

अशिक्षा– खालवा की आबादी का एक बडा हिस्सा अशिक्षित है। खालवा में शिक्षा दर मात्र 36.8% है। और महिला साक्षरता दर भी महज 21.2% है। जो जिले में सबसे कम हैं। परन्तु कोरकूओं में 950का लिंग अनुपात जिले मे सर्वाधिक है।

पलायन– खालवा में रोजगार नहीं होने के कारण लोग पलायन कर दूसरे राज्य जाते है। इस दौरान छोटे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पाता।

महिलाओं में पोषण की कमी– खालवा की महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी के लक्षण मिलते है। इसका असर भी बच्चों पर पड़ता है जिसके कारण वे कुपोषित होते है।

- आंगनवाडी केन्द्रों पर थर्ड मील नहीं दिया जा रहा,
- न्यूट्री कार्नर की स्थापना नहीं हुई,
- कुपोषण के खिलाफ जागरूकता के लिए तय रथ जमीनी स्तर पर गायब,
- सुपोषण अभियान के स्नेह शिविर बने मजाक,
- आंगनवाडी केन्द्रों में डे–केयर सेंटर नियमित नहीं।

उगायी जाने वाली नगदी फसलें अधिकतर बेच दी जाती है। गेहूँ घरेलू इस्तेमाल के लिए उगाया जा रहा है, इसका बड़ा हिस्सा खाद–बीज या कृषि यंत्रों के लिए गए कर्ज चुकाने में निकल जाता है। जो बचता है वह भी आपातकाल में इस्तेमाल हो जाता है **जैसे**–बीमारी, शादी, त्यौहार या साप्ताहिक बाजार। ज़रूरत में नगद प्राप्ति के लिये यही एक जरिया बचता है।

कोरकुओं की रोजगार तक पहुॅच भी निराशाजनक है। मौसमी विवशतापूर्ण पलायन खालवा के कोरकुओं में एक सतत् समस्या रही है।

एक सीमांत कोरकू परिवार उपयुक्त कैलौरी और प्रोटीन की कमी के कारण संतुलित आहार से वंचित रहता है। जो मॉ और बच्चे के लिए जरूरी है वे गेंहू, ज्वार या मक्के की रोटी पर निर्भर रहते है इसके साथ दाल खायी जाती है। दाल तक पहुॅच भी घट रही है क्योंकि इसके दाम भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे है। बहुत कम परिवार सब्जियॉ उगाते हैं, साप्ताहिक बाजार के दिन वे ज्यादातर आलू, बैगन या ग्वार की फल्ली खरीदते है क्योंकि ये सस्ती होती है ये एक दो दिन चलती है। बारिश के समय उन्हें कुछ हरी पत्तेदार सब्जियॉ मिल जाती है जैसे–चिरोटिया, राजन या खांग ये जंगली स्वत: उगने वाली भाजिया हैं, अनेकों परिवार महिने में एक 2बार मुर्गी या मछली खाते हैं वह भी रूपए हाथ में हो तो। कोरकू गॉव में दूध की उपलब्धता नगण्य है। वे अधिकतर वही जानवर पालते है, जो उनकी खेती के लिए जरूरी है जैसे बैलों की जोड़ी। दशकों से कोरकू कुपोषण के प्रकोप से भयभीत रहे है वे इसे चीटीं की बीमारी कहते है। मांसपेशियां घटने के कारण बच्चे का सूख जाना और साथ ही उल्टी दस्त होना या बच्चे का चिडचिड़ा होने को वे दैविक प्रकोप मानते है। देवता को प्रसन्न करने और दुष्ट आत्मा को भगाने की कई रीतियां है, कोरकू इसे ठोकर कहते है। आज भी कोरकुओं को कुपोषित बच्चों के घरेलू देखभाल की जानकारी नही है। कई माताएं कपड़े में राख लेकर उसमें अपना पहला गाढ़ा दूध निचोड़कर फेंक देती है। स्तनपान सफेद दूध (उनके अनुसार साफ दूध) आने पर शुरू किया जाता है। अब कोरकुओं की नई पीढ़ी पहला गाढ़ा दूध (कोलेस्ट्रम) धीरे–धीरे अपनाने लगी है।

सुझाव – कोरकुओं के जीवन संस्कृति के सतत् अध्ययन और अवलोकन ने कोरकुओं के पोषणस्तर को सुधारने के लिए कई आयामों की पहचान की है जिस पर प्राथमिकता से गौर करना ज़रूरी है–

1. कोरकुओं की खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। वे निसंदेह पोषण संवेदन समुदाय हैं और सैकड़ों बच्चे खो चुके है।
2. ICDS को आंगनवाड़ियों के माध्यम से पूरक पोषण आहार सेवाओं के गुणात्मक सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् कोरकुओं की रोजगार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

तक पहुँच को और प्रभावी बनाना ज़रूरी है।

4. सामुदायिक और गृह आधारित चिकित्सकीय देखरेख प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।
5. बच्चों को खाना खिलाने तथा घरेलू देखरेख के प्रति माताओं के व्यवहार को बदलने वाली स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहला गाढ़ा दूध पिलाने पर जोर देना जरूरी है।
6. वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना पर जोर किसी भी कीमत पर माताओं को प्रसव पूर्व मिलने वाली मातृत्व सहायता योजना को दरकिनार नहीं करना चाहिए।
7. कोरकुओं में प्रचलित चाचुआ प्रथा के कारण कुपोषित बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के बजाए उसकी चमड़ी को गरम लोहे से दागा जाता है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार इससे बच्चें को सेप्टिसिमिया रोग हो सकता है। इसमें दिल और गुर्दे काम करना बंद कर देते है। अत: धरातल पर कार्यरत सरकारी स्वास्थ्यतंत्र को इस रूप में मजबूत करना चाहिए कि वह कोरकुओं के बीच अपने विश्वास को पुन: हासिल कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. खण्डवा जिले के विभिन्न विभाग।
2. समाचार पत्र दैनिकभास्कर, नईदुनिया, पत्रिका।
3. भारत सरकार एवं म.प्र. सरकार की प्रमुख विभागीय वेब साइट्स।
4. hhttps://www.ketto.org/fundraiser/helpkorku?utm_source=campaigner & utm_medium=fbpageshare &utm_campaign=helpkorku
5. hhttps://www.facebook.com/spandanforkorku/
6. hhttp://dyingkorku.in/
7. hhttps://en.wikipedia.org/wiki/Korku_people
8. hhttp://mptribalmuseum.com/tribes-korku.html

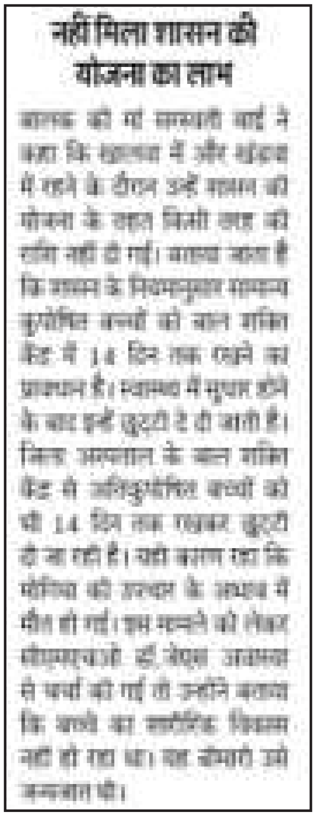
नहीं मिला शासन की योजना का लाभ

कुपोषित की 4390 रुपए में बंदरबाट

स्वास्थ्य विभाग का दावाः कुपोषण से एक भी मौत नहीं

कुपोषित 22 हजार तो अति कुपोषित 2100

आप ही पढ़िए, इन दो बच्चों की दास्तां...

आठ महीने की भारती, वजन सिर्फ चार किलो

तीन बार रहा है भर्ती, अब भी हालत ठीक नहीं

इतना सुस्त हो गया कि शरीर की हरकत हो गई बंद

दो भाइयों के एक-सा हाल, चाचुआ की संख्या में अंतर

****

जनजातीय समाज - परिवर्तन, प्रक्रियाऐं व प्रभाव (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

डॉ. रश्मि दुबे *

प्रस्तावना – भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में जनजातियां देश की 'सांस्कृतिक धरोहर' है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जनजाति को अनेक नामों से संबोधित किया है। जे.एच. हट्टन ने इन्हें 'आदिम जातियां' वेरियर एल्विन ने देश का 'मूल स्वामी', जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हुए हिन्दु तथा आर.के. दास ने इनके लिए 'दलित मानवता' आदि संज्ञाओं को उपयुक्त माना है। नृतत्व शास्त्री रिजले, लेके, ग्रिगसन, सोबर्ट, टेलेंट्स, सेंजविक, मार्टिन तथा ए.वी. ठक्कर ने इन्हें 'आदिवासी' नाम से पुकारा है। टेलेंट्स, सेल्जनिक व मार्टिन द्वारा जनजातियों को 'सर्वजीववादी' नाम दिया गया। बेन्स ने इन्हें 'वन्य–जाति' की संज्ञा दी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 खण्ड एक में अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार स्वीकार किया गया है। 'राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजाति समुदायों या जनजाति समुदाय के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जो जनजातियां, जनजाति समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूह परिगणित किए जाएंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलायेंगे। डी.एन. मजूमदार के अनुसार 'जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसका सामान्य नाम है जिसके सदस्य एक निश्चित् भू भाग पर निवास करते हैं, विवाह, व्यवसाय के विषयों में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं तथा जिन्होंने आदान–प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्त्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो। गिलिन ने जनजाति की व्याख्या इस प्रकार की है 'स्थानीय जनजातीय समूह का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है।'

परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन के कारक, परिवर्तन की गत्यात्मकता, परिवर्तन के उत्प्रेरक के परिप्रेक्ष्य में अनेक समाजशास्त्रियों व मानव शास्त्रियों ने क्षेत्रीय कार्य अध्ययनों द्वारा सामाजिक –सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनेक संबंधों/अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है इनमें हेनरी लेविस मार्गन का 'एक रेखीय उद्‌विकास' क्लॉड लेवी स्ट्राउस तथा ईवान्स प्रिचार्ड का 'संरचनावाद' व्ही गोर्डन चाइल्ड, जूलियन एच. स्टीवर्ड तथा लेस्ली ए. व्हाइट का 'नव उद्‌विकासवाद' हर्षकोविट्स का 'परसंस्कृतिग्रहण' रोजर्स एवं लेपियर का 'नवाचार' श्रीनिवास का 'संस्कृतिकरण' पष्चिमीकरण, स्पेंग्लर व पेरेटों का 'चक्रीय सिद्धांत' पिटरिम सोरोकीन का 'सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, अगस्त काम्टे का 'त्रिस्तरीय सिद्धांत, कार्लमार्क्स का 'वर्ग संघर्ष' थर्सटीन बेबलेन का 'प्राविधिक' माल्थस का 'जनसंख्यात्मक' डब्लू. आई. थामस का 'सात्मीकरण विलियम आगबर्न का 'सांस्कृतिक बिलम्बना तथा हर्बर्ट स्पेन्सर का 'उद्‌विकास' का सिद्धांत आदि प्रमुख हैं।

इसके अलावा वि–जनजातीयकरण अ–जनजातीयकरण/ जनजातीयता क्षयन एक परिवर्तन प्रक्रिया है। जिसके द्वारा जनजातीय समाजों में मौलिक जनजातीय सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है। यह वह भौतिक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जनजातीय समाज की मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन लाया जाता है।

जनजातीय समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उनकी अपनी प्रथाएं, धार्मिक, राजनीतिक आधार होते हैं। जिससे ही जनजातीय समाज को पहचाना जाता है। यही प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। जनजातीय समाज के संगठन का आधार टोटम होता है। टोटम के आधार पर संबंधों व गोत्र का निर्धारण होता है। समगोत्रीय विवाह जनजातियों में पूर्णतया वर्जित है। इनमें मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक दोनों परिवार पाए जाते हैं। जनजातीय समाज में अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता नहीं है। बहुपति, बहुपत्नि तथा एक विवाह की प्रथा पायी जाती है। जनजातियों में युवा गृह पाए जाते हैं। ये इनकी सांस्कृतिक पहचान होती है। इनकी धार्मिक व्यवस्था में अलौकिक शक्ति का स्थान होता है। अलौकिक शक्ति पर ये अटूट विश्वास करते हैं। जनजातियों के अपने परम्परागत नृत्य व संगीत होते हैं। इनकी अपनी जातीय पंचायत होती है जो प्राय: सभी मामलें का निपटारा करने में सक्षम होती है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है कोई भी समाज इससे अछूता नहीं है जनजातीय समाज में भी पिछले कुछ दशकों में परिवर्तन देखने को मिला है। जनजातीय समाज आम समाज से भिन्न होने के कारण उनमें हो रहे परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को हम निम्न रूप से समझने का प्रयास करेंगे–

हिन्दुकरण– जनजातीय समाज के सदस्य हिन्दु जातियों के संपर्क में सदियों से हैं, लगातार संपर्क में रहने के कारण हिन्दु जाति का प्रभाव उन पर व्यापक रूप से पड़ा है। हिन्दुकरण प्रक्रिया के कारण जनजातीय समाज में जाति निर्माण, सामाजिक संस्तरण, हिन्दु देवी देवता की पूजा, हिन्दू पर्व त्यौहार आदि का प्रारंभ हुआ है। उत्तराधिकार के नियम, विवाह, पारिवारिक सत्ता, महिलाओं की स्थिति आदि पर हिन्दुओं का प्रभाव पड़ा, इस प्रकार हिन्दुओं की अनेक प्रथाओं को अपनाने के कारण जनजातियों की अपनी मूलसंस्कृति भी प्रभावित हुई है। इसके लिये हिन्दूकरण की प्रक्रिया उत्तरदायी है।

संस्कृतिकरण– संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जनजातीय समाज के सदस्य उच्च हिन्दु जातीय जीवन पद्धति अपना लिए हैं। तथा उच्च हिन्दू जातीय संस्कृति का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण के प्रभाव स्वरूप जनजातीय संस्कृति बहुत अधिक प्रभावित हुई है। सभी जातियों में ब्राम्हण जाति श्रेष्ठ है तथा उनकी सभी क्रिया कलापों का अनुसरण जनजातियों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाया।जिससे वे भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

कर सकें। इसी प्रकार जनजातीय अपने आप को क्षेत्रीय योद्धाओं की संतान बताते हैं। इसी प्रकार वैश्य जाति का प्रभाव भी जनजातियों पर पड़ा है वे दुकानदारी करने लगे अन्य व्यवसाय को अपना पेशा मानने लगे तथा लक्ष्मी गणेश का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौरान जनजातियों की संस्कृति में ब्राम्हण क्षत्रीय वैष्य सभी उच्च जातियों का प्रभाव पड़ने से जनजातीय संस्कृति में उच्च जाति का सांस्कृतिक सम्मिश्रण देखने को मिलता है।

मुसलमानीकरण– जनजातीय समाज की संस्कृति में मुसलमान संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा है। इसका प्रमुख कारण मुगलकाल में जनजातीय समाज मुसलमान समाज के संपर्क में आए तथा जनजातीय समाज को धर्म परिवर्तन की स्थिति का सामना करना पड़ा झारखंड राज्य के कई ऐसे गांव है जो जनजातियों के थे। अब मुसलमानों के गांव बन गये। अनेक जनजातीय स्त्रियों को मुसलमानों से विवाह कर उनकी संस्कृति को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अत:स्पष्ट है कि जनजातीय परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका मुसलमानीकरण की भी है।

ईसाईकरण– ब्रिटिश शासनकाल में ईसाइ धर्म प्रचारक भारत आये तथा भोली–भाली जनजातियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया तथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाएं देकर ईसाइ धर्म में परिवर्तित करवा लिये जनजातियों की जीवन शैली अनुष्ठान विश्वास परम्परा सब ईसाई धर्म के अनुकूल हो गये। जनजाति अपने धार्मिक स्थल के बजाय गिरजाघर जाने लगे जो जनजातियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया वे ईसाइ पर्व त्यौहार मनाने लगे इस प्रकार ईसाईकरण प्रक्रिया का प्रभाव जनजाति समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण है।

परसंस्कृति ग्रहण – पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें संपर्क द्वारा एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपना लेती है। जब दो संस्कृतियां एक–दूसरे के संपर्क में आती हैं तब उनके बीच सांस्कृतिक तत्वों का आदान–प्रदान आरंभ होता है। लेकिन शनै:–शनै: जब एक संस्कृति के प्रभाव के कारण दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति में परिवर्तन आ जाता है।, तब इस प्रक्रिया को परसंस्कृति ग्रहण कहा जाता है। परसंस्कृति ग्रहण प्रक्रिया के कारण जनजातीय समाज की जीवन पद्धति में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं।

धार्मिक संस्थाएं– मंदिर गिरिजाघर, धार्मिक संस्थाओं का व्यापक प्रभाव जनजातियों पर पड़ा है। संपूर्ण जनजातियों के क्षेत्र में हिन्दु राजाओं द्वारा हिन्दू मंदिरों का निर्माण किया गया तथा विशेष पूजा व मेले का आयोजन किया जाता। इसका प्रभाव इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों पर भी पड़ा। संपूर्ण जनजाति क्षेत्रों में ईसाई धर्म द्वारा गिरिजाघरों की स्थापना की गई तथा जनजातियों को ईसाई बनाया गया। इस प्रकार जनजातीय संस्कृति पर विभिन्न धर्मो का प्रभाव पड़ने से उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवर्तन आया।

संचार माध्यम तथा आधुनिक शिक्षा – आवागमन की सुविधा बढ़ने से जनजातीय समाजों का संपर्क गैर जनजातीय समाजों से हुआ। जिससे जनजातीय लोग नगरीय लोगों के संपर्क में आए। इस प्रकार जनजातीय समाजों पर गैर जनजातीय संस्कृति का प्रसार हुआ। आधुनिक शिक्षा के कारण भी जनजातीय समाज में जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर गैर–जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों एवं वैज्ञानिक तत्वों को अपनाया गया है। आधुनिक शिक्षा के कारण जनजातीय समाजों में नई सूझ–बूझ, तर्क शक्ति, ज्ञान–विज्ञान का विकास हुआ है। नई सूझ–बूझ एवं दृष्टिकोण के कारण जनजातीय समाज के सदस्यों द्वारा अपनी परंपराओं, विश्वासों एवं रीति–रिवाजों का परित्याग किया जा रहा है तथा आधुनिक विचारों को अपनाया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण परंपरागत जनजातीय सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर नवीन तत्वों को अपनाया जा रहा है।

प्रजातांत्रिक मूल्य – जब भारत आजाद हुआ तब हमारे देश में प्रजातांत्रिक संविधान एवं सरकार की स्थापना की गई। प्रजातांत्रिक संविधान एवं सरकार का स्वरूप धर्म निरपेक्ष होता है। सभी धर्मो के संप्रदायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया तथा सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए गए। प्रजातांत्रिक मूल्यों के कारण जनजातीय समाजों के परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन आए। जनजातियों को मताधिकार प्रदान किया गया तथा सभी प्रकार के नागरिक अधिकार प्रदान किए गए।

नगरीकरण व औद्यौगिकीकरण– नगरीकरण व औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने जनजातीय समाज में परिवर्तन को तेजगति प्रदान की है। जहां एक ओर नगरीय संपर्क के कारण जनजातियों में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई वहीं आजादी के बाद कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई जिससे जनजातियों को विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ा। औद्योगिक समाज के संपर्क के कारण जनजातियों में अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना आई और फिर वे सभ्य संस्कृति की जीवन शैली को अपना कर अपनी हीनता की भावना को दूर करने का प्रयास करने लगे।

इस प्रकार पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, जनजातीयता ग्रहण, पुनर्जनजातीयकरण, पुर्नजागरण आदि प्रक्रियाओं के द्वारा भी जनजातीय संस्कृति प्रभावित हुई है। पर इस प्रकार के सभी परिवर्तनों से जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमें प्रयास इस प्रकार करने चाहिए जिससे जनजातीय संस्कृति को क्षति न पहुंचाते हुये उन्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ाना जिससे आवश्यकतानुसार परिवर्तन व विकास के साथ जनजाति अपनी मूल संस्कृति की रक्षा भी कर सके। यही जनजातीय विकास की दिशा में सही कदम होगा तथा राष्ट्र के विकास को भी सही दिशा मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जे. सिंह – आदिवासी दलित संस्कृति – यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2014
2. के. एस. श्रीवास्तव – परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दिल्ली 2013
3. एस.एन. चौधरी – आदिवासी विकास उपलब्धियाँ व चुनौतियाँ, कान्सेप्ट पब्लिकेशन व मनीष मिश्रा नई दिल्ली 2012
4. गया पाण्डेय – भारतीय जनजातीय संस्कृति – कान्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2007
5. के. ईश्वर – ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, क्राउन पब्लिकेशन, रांची 2002

****

जनजातीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव एवं सरकारी प्रयास

डॉ. रेखा माली *

प्रस्तावना – वर्तमान युग आधुनिकता और वैश्वीकरण का युग है। इस युग में विश्व जगत के सभी समुदाय और उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में आ रही है व एक दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित हो रही है, साथ ही उनको प्रभावित भी कर रही है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण की अवधारणा ने सम्पूर्ण विश्व को एक भूमण्डलीय गाँव (Global Village) में परिवर्तन कर दिया है। वैश्विक इतिहास में न्यूनतम ही ऐसे अवसर आए है, जब आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप किसी भी राष्ट्र या समाज के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव उत्पन्न किए है, जितने वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप आए है।

आर्थिक जरूरतों, सामाजिक गतिशीलता और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व को एक गांव स्वरूप लेने पर विवश कर दिया है, वैश्वीकरण एक एकीकृत संरचनात्मक आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है। जिसमें श्रम, पूंजी, सेवा और व्यापार का स्वतंत्रापूर्वक बिना किसी सामाजिक उत्तरदायित्व के आदान प्रदान हो।

भूमण्डलीकरण शब्द 1980 के दशक में सामान्य बोल चाल के रूप में अस्तित्व में आया, विश्व की अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी, जुड़ाव और परस्पर निर्भरता का विस्तार वैश्वीकरण का ही परिणाम है। वैश्वीकरण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है फलत: संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था एवं एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सके जिसमें विश्व के लिए सम्पूर्ण संसाधनों, पूंजी, तकनीक, ज्ञान एवं सूचना जनशक्ति और बाजारों का पारस्परिक विनियम सुलभ हो सके। वैश्वीकरण को भूमण्डलीकरण, सार्वभौमिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीयकरण की संज्ञा से संबोधित किया जाता है।

सम्पूर्ण विश्व को एक भूमण्डलीय गाँव में परिवर्तित करने वाली वैश्वीकरण प्रक्रिया में प्रमुखत: तत्वों का समावेश है–

1. विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में बिना किसी अवरोध के विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं का स्वतंन्त्र आदान–प्रदान कर, व्यापारिक प्रतिबन्धों में कमी लाना।
2. आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सतत् प्रवाह हेतु अनुकुलतम वातावरण तैयार करना।
3. विभिन्न देशों में पूंजी के समुचित एवं स्वतंत्र प्रवाह हेतु अनुकुल माहौल तैयार करना।
4. विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में श्रम का निर्बाध प्रवाह सम्भव बनाना।

अर्थात् इन आधारों पर एक राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को सरलतापूर्वक विश्व की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया (वैश्वीकरण) एकरूपता एवं समरूपता की वह प्रक्रिया है। जिसमें सम्पूर्ण दुनिया सिमट कर एक हो जाती है।

भारत जैसे लोककल्याणकारी एवं समाजवादी प्रेरणा वाले राष्ट्र में भूमण्डलीकरण एक सहज इच्छा की बजाय आर्थिक आवश्यकता ज्यादा थी। भारत को अपने सम्पूर्ण समाज कल्याण, समाज सुधार एवं सभी वर्गो के विकास हेतु इस प्रक्रिया से जुड़ना आवश्यक था चूंकि वह इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि आजादी का युग आर्थिक विकास का युग है और इस आर्थिक विकास में वैश्वीकरण एक विकल्प नहीं अपितु राष्ट्र विकास की एक आवश्यकता है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र को वैश्वीकरण प्रक्रिया ने इसके विकास को प्रभावित किया है, अत: वैश्वीकरण की लहर से भारत देश की जनजातियाँ भी अछुती नहीं पाई है। भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों में जनजाति समुदाय मानव सभ्यता का प्रारम्भिक प्रतिनिधित्व करने वाला समुदाय है। भारत की कुल जनसख्ंया का लगभग 9 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति के रूप में सूची बद्ध है। सम्पूर्ण भारत में जनजातीय समुदाय लगभग 527 समूहों से भी अधिक में विभक्त है। भारतीय समाज में आदिवासी समूह फैले हुए है लेकिन इनका विस्तार समान नहीं है। भारत के कुछ राज्यों में जनजातीय समूह कि नगण्यता है, तो वही दूसरी और कई राज्यों में जनजातीय जनसंख्या की अधिकता है। भारत में प्रमुखत: उडीसा, मध्यप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी बंगाल में जनजातीय समुदाय विस्तृता में पाए जाते है।

जनजातियों को वनवासी, पहारिया, आदिम जाति, जनजाति, अनुसूचति जनजाति जैसे अनेक नामों से संबोधित किया जाता है साथ ही संविधान में भी 'अनुसूचित जनजाति' शब्द ही इन समुदायों हेतु प्रयुक्त किया गया है। जनजाति शब्द से तात्पर्य जनसमूहों के उस वर्ग से लिया जाता है। जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित है, विकास और आधुनिकता व प्रगति की दौड़ से बाहर रहने और संपूर्ण जीवन के लिए सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भरता तथा आधुनिक सुविधाओं से विमुख, आवागमन और संचार साधनों की पहुंच से दूर होने के कारण ही यह समूह जनजाति समुदाय के रूप में पहचाना जाता है।

वर्तमान में शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात व संचार साधनों, सूचना तकनीकी और मोबाइल क्रांति ने जनजातीय, समुदाय को प्रभावित किया है। जिससे इनकी सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक धार्मिक, एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन प्रांरम्भ हो गए है। वर्तमान में भारतीय समाज अपने विकास और प्रगति की और शीघ्रता से बढ रहा है। जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज में विशाल स्तर पर बदलाव हो रहा है तो यह कहना कि जनजाति समुदायों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सही न होगा। वैश्वीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों

* व्याख्याता, पेसिफिक विश्व विद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत

की अर्थव्यवस्था को एकीकृत कर विश्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अत: जनजातीय समुदाय भी इस व्यापक वैश्वीकरण की लहर से प्रभावित हो रहा है, अब यह समाज सामाजिक गतिशीलता की और बढ़ रहा है, अब इन्हें आदिम, पिछड़ा, असभ्य कहना गलत होगा।

जनजातीय समाज के समूहों को आधुनिकता के प्रभाव से परिचित कराने एवं अपने समूहों को विकास और प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने में भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के बाद से भारतीय संविधान समाज के कमजोर वंचित और पिछडे वर्गो हेतु समाज कल्याण और सुरक्षा संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करता रहा है। लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था की विशेषता से युक्त भारत की सफलता का एक निर्धारक मापदण्ड जनजातीय समाज को विकास की और अग्रसर करना है।

भारत अपनी भौगोलिक विस्तृता, विशालजनशक्ति, वृहत बाजारीकरण के फलस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बन गया है और इस विश्व मंच पर इसका महत्व सतत् रूप से इस कारण भी बढ़ता ही जा रहा है। चूंकि यह वंचित वर्गो के विकास व कल्याण मानवाधिकारों, श्रमशक्ति का कल्याण एवं अधिकार विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे विषयों पर विश्व राष्ट्रों का ध्यान केन्द्रित कर उनके समाधान हेतु उन्हें अभिप्रेरित कर रहा है। अत: भारत सरकार जनजातीय समाज को प्रगति और विकास की दौड में शामिल करने हेतु अनेक नवीन नीतियों का निर्धारण कर रही है जिससे यह समूह भी मुख्यधारा से जुड सके। इसी फलस्वरूप जनजातीय समुदाय के लोगों को उद्योगों और निजी क्षेत्रों में भी वृद्धि की ऐसे में इस जनजातीय समूहों के सभी (श्रमिकों, कृषकों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं) वर्गो को लाभान्वित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा। जिससे इस जनजातीय समाज में शिक्षा की वृद्धि, आर्थिक स्थिति में सुधार पुरानी परम्पराओं और रूढ़ियों से पृथकता आदि लक्षण परिलक्षित हो रहे है। सरकार द्वारा इनके विकास के लिए - माडा योजना (मोडी फाइड् एरिया डवलमेंट अभिकरण, जनजाति उपयोजना क्षेत्र, आदिम जनजाति विकास के विशेष प्रोजेक्ट) एंव इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन भी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

भूमण्डलीकरण के प्रभाव से देश में बाजारीकरण की प्रक्रिया का प्रांरम्भ हुआ तो सरकार को अनके दायित्वों से छुटकारा मिला तो वह इस पिछडे जन समुदाय के कल्याण और विकास की और अधिक ध्यान केन्द्रित कर सका। जनजातियों के विकास में सरकार के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों ने भी अपना योगदान किया। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में पृथक-पृथक जनजाति विभाग की स्थापना की गई यह विभाग राज्य में विशेष रूप से जनजातीय विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समर्पित है। सरकार द्वारा इस समुदाय के विकास को केन्द्रिय महत्ता प्रदान करते हुए अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। 1993 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, भारत सरकार द्वारा 2006 में इस आयोग का पुनर्गठन किया तथा एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई जो अब पूर्ण रूप से देश के जनजातीय समूहों के विकास व उत्थान संबंधी कार्यो का संचालन करता है। इन समूहों के सर्वांगीण विकास हेतु 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से पृथक किया गया। निगम द्वारा जनजातियों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मित योजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने का कार्य निष्पादित किया जाता है। जिसमें उद्योगों की स्थापना से लेकर कृषिगत विकास तक को सम्मिलित किया गया है।

जनजातीय समाज में उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। जिसके फलस्वरूप इनमें उपभोक्तावादी प्रवृति का बढ़ना अभिजात् वर्ग का उद्भव और सामाजिक व राजनीतिक चेतना का विकास व जनजातीय समाज के विकास के लक्षण है। सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में जनजातीय वर्ग को विशेष आरक्षण प्रदत्त कर समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे है, परिणामत: यह समूह स्वयं के विकास के प्रति जागरूक हो रहा है, वही यह वैश्वीकरण के प्रभाव को स्वीकार भी कर रहा है। अत: सरकार द्वारा इस और विशेष ध्यान केन्द्रित कर इन समुदायों के हितों एवं कल्याण के लिए संचालित विकास योजनाओं का प्रभाव इन जनजातीय समुदायों पर आसानी से देखा जा रहा है।

जब हम इस जनजातीय समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात करते है। तो यह तथ्य उभर सामने आता है कि वैश्वीकरण और जनजाति समुदाय की संस्कृति का संबंध जुड चुका है और इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समुदायों की सभ्यता और संस्कृति को वृहद् स्तर पर प्रभावित किया है चूंकि यह वैश्वीकरण आर्थिक तत्व से सम्बन्धित अवधारणा ही नहीं वरन् सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव से भी संबंधित है। आज इन समुदायों के समूहों के रहन-सहन, पहनावा, खान-पान, धार्मिक मान्यताओं, परम्पराओं रीति रिवाजों एवं सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन आ चुका है। अत: अब इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव ने जनजातीय समाज की संस्कृति को परिवर्तन की धारा से जोड़ दिया है।

निष्कर्ष -वैश्वीकरण एक ऐसा विचार है जो अपनी सार्वभौमिकता के माध्यम से इस जनजाति समुदाय के परिवेश को प्रभावित कर रहा है, अत: जनजातीय समाज अपनी पुरानी स्थिति को त्याग कर नवीन आधुनिक प्रतिमानों से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। जिससे इनकी जीवनशैली में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। फलत: वैश्वीकरण से प्रभावित होकर ये अपने जीवन स्तर, शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्तर एवं व्यावसायिक स्तर को उच्च स्तर पर ले जाने हेतु प्रयासरत है। इनके विकास और कल्याण में भारत सरकार द्वारा निर्मित नीतियों व योजनाओं के अत्यन्त महत्ती भूमिका निभायी है। जिसके फलस्वरूप इन जनजातीय समूहों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश एवं गतिविधियों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। अत: इस संदर्भ में जनजातीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव उनके विकास की राह को आसान बना रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एन.के बोस - ट्राईबल लाइफ इन इंडिया।
2. विजय कुमार तिवारी - भारत की जनजातियाँ।
3. अभय कुमार - भारत का भूमण्डलीकरण।
4. अवस्थी और अवस्थी - भारतीय प्रशासन।

****

भारतीय युवा दशा -दिशा
'राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका एवं भागीदारी'

ज्योति सिंह (राफिया आबिद) *

प्रस्तावना - दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र 'भारत' देश जहाँ युवाओं का प्रतिशत 121 करोड़ की आबादी में लगभग आधा है। जिसके देश में इतनी संख्या युवाओं की होगी वहां राष्ट्र का निर्माण ही युवाओं पर आधारित हो जायेगा, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा, रचनात्मक शक्ति भरपूर है, इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमारे देश में जितने वीरांगनायें, क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने और आक्रमणों से रक्षा करने में भूमिका निभाई है वे सब युवा ही थी चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई हो, भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु हों।

शक्तिशाली युवा देश का नक्शा बदल सकता है क्योंकि भारत देश की रीढ़ 'युवा' है। किंतु विडम्बना है कि आज का युवा संघर्षरत् है अपने ख्वाबों को सच करने के लिए किंतु दिशा का ज्ञान उसे उसके ख्वाबों से भटका रही है। असीम ऊर्जा से ओतप्रोत युवा के मन में अशांति है, वह अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहा है। असमंजस में है।

भारत की सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में जिन युवा प्रेरकों का नाम याद आता है उनमें स्वामी विवेकानन्द जी का नाम महत्वपूर्ण है इन्होंने युवाओं को जागरुक करने एवं उनमें चेतना लाने के लिए 'शक्ति' की बात कही है। स्वामी विवेकानन्द जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। सन् 1897 में मद्रास में युवाओं को संबोधित करते हुए, कहा था, जगत में बड़ी-बड़ी विजयी जातियाँ हो चुकी है हमारी विजय की गाथा को महान सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता की विजयगाथा बताया है और अब समय आ गया है कि भारत फिर से विश्व पर विजय प्राप्त करे। यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक जो कि मेरी बात सुन रहा है। अपने-अपने मन में उसका पोषण करे और कार्यरुप में परिणित किए बिना ना छोड़े। हमारे सामने यही एक महान आदर्श है और हर एक को उसके लिए तैयार रहना चाहिए वह आदर्श है 'भारत की विश्व पर विजय। इससे कम कोई लक्ष्य या आदर्श नहीं चलेगा। उठो भारत तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करो। इस कार्य को कौन सम्पन्न करेगा। स्वामी जी ने कहा मेरी आशाएँ युवा वर्ग पर टिकी हुई है।

ऊर्जा से ओतप्रोत युवा, शक्तिशाली एवं मूल्यों को जल्द आत्मसात् करने वाला होता है, उसे हम जिस दिशा में घुमा देंगे वह उसी दिशा में चल पड़ेगा।

- भारतीय युवा राष्ट्र के लिए आधार स्तम्भ है। युवा चाहे तो देश की हवा के रुख को किसी भी दिशा में बदल सकते हैं।
- युवाओं की रचनात्मक क्षमता इस देश को दुनिया के उच्च पायदान पर पहुँचा सकती है, क्योंकि युवाओं में जोश है, कार्य की क्षमता तथा अदम्य उत्साह भी है।
- युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में कार्य में लिया जाए तो देश का विकास ज्यादा तीव्रगति से होगा। अमेरिका में ज्यादातर भारत के युवा ही हैं, जो वहाँ कार्य कर रहें हैं अगर हम कहें कि अमेरिका जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में गिना जा रहा है। उसमें भारतीय युवाओं का भी योगदान है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यही ऊर्जा अगर हम भारत देश में लगाए तो हमारा देश भी विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है किंतु विडम्बना है कि हमारे देश के युवाओं की दिशा ही दिशाहीन हो गई है। उन युवाओं की दशा को उस कगार में लाने का श्रेय भी हमारी ही समाज व्यवस्था को जाता है क्योंकि -
- हमारे युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वह राजनेता हो या कोई राजनीतिक दल।
- परिवार के संस्कार से आज का युवा विमुख हो रहा है।
- युवाओं का पारिवारिक सदस्यों के साथ Communication (संचार) नहीं है।
- युवाओं द्वारा सामाजिक मूल्यों के स्थान पर अपने ख्वाबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जा रहा है।
- कहते हैं 'साहित्य समाज का दर्पण है' किंतु आज जो साहित्य परोसा जा रहा है,वह युवाओं को उनकी सही दिशा से भटका रहा है।
- युवाओं द्वारा किया गया प्रयास, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में करने के लिए कई क्षेत्र प्रसासरत है जो अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए युवाओं को भ्रमित कर उसका उपयोग कर रही हैं।
- युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता तो होती है किंतु अनुभव की कमी होती है वह अपने माता-पिता एवं गुरुजनों के अनुभवों शिक्षा को आत्मसात नहीं कर पाता और गलत निर्णय ले बैठता है।
- संचार के माध्यमों ने युवाओं को हर क्षेत्र में आगे तो किया है किंतु युवाओं ने संचार के नकारात्मक पक्ष को ज्यादा आत्मसात किया है जिसका परिणाम आज समाज में अपराध में वृद्धि दिखाई दे रही है।
- आज का युवा हर कार्य में परिणाम जल्दी प्राप्त करना चाहता है उसमें धैर्य की कमी, जल्दी परिणाम की लालसा ने उसे उसके सही परिणाम से भटकाया है।
- युवाओं को आज हर प्रकार के नशे ने जकड़ रखा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और सही ऊर्जा का दोहन नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान में देखें तो युवाओं की दिशा भटकी हुई है आवश्यकता है उनकी सही दिशा तय करने की, समाज, माता-पिता, गुरुजनों सभी को आगे आना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जिन युवाओं के कंधे में है वो ही दिशाहीन होगा तो राष्ट्र का भविष्य क्या होगा?

किसी ने ठीक ही कहा है कि ....
'अपनी ही करनी का फल है
आपकी ही रुसवाईयाँ

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर, जिला - मण्डला (म.प्र.) भारत

आपके साथ चलेगी आपकी परछाईयाँ'

भारत का भविष्य तय है कि जो आज करेंगे वहीं हम कल पायेगें।

आवश्यकता इस बात की है कि –

1. युवाओं को जागरुक करना होगा।
2. परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है युवा परिवार से संबंध रहकर उनके दिए संस्कारों को आत्मसात करें। परिवार के बुर्जुग माता, पिता उनको सही दिशा दें।
3. शिक्षक 'राष्ट्र का निर्माता' हैं, वह राष्ट्र के युवाओं की ऊर्जा को नियन्त्रित कर सही दिशा में उनके ऊर्जा का दोहन करें। शिक्षा चाणक्य बन जाए तो हर आम युवा में चंद्रगुप्त मौर्य बनने की संभावना है।
4. समाज और सरकार को चाहिये कि युवाओं की रचनात्मक शक्ति को पहचान कर उसको सही दिशा दें।
5. युवाओं को स्वयं भी खुद पर विश्वास और ईमानदारी के साथ कार्य करेगें तो समाज में उसका शोषण नहीं होगा।
6. युवाओं को कृत संकल्पित होना होगा अपने लिए और अपने समाज राष्ट्र के लिये।
7. युवाओं को अपना लक्ष्य ऊंचा और सकारात्मक रखना होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा लगानी होगी।
8. युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता है, यह कार्य समाज, परिवार राजनीतिक दल का है।
9. युवाओं को स्वयं भी दूसरों के अनुभवों से सीखना होगा।

स्वामी विवेकानन्द जी भरपूर ऊर्जा से लबालब युवाओं को वे हमेशा प्रेरणा देते रहे वे कहते थे –

'कभी नहीं मत कहना, मैं नहीं कर सकता, यह कभी न कहना। क्योंकि तुम अनंत स्वरुप हो। तुम्हारे स्वस्थ्य की तुलना में देश–काल भी कुछ नहीं है तुम्हारी जो इच्छा होगी वही कर सकते हो, तुम सर्व शक्तिमान होय'

–व्यवहारिक जीवन में वेदांत प्र.15

स्वामी विवेकानन्द जी राष्ट्र निर्माण को एक महान लक्ष्य मानते थे और इसीलिए वे राष्ट्र निर्माण हेतु युवाओं को प्रेरणा देते थे कि 'तुम जो कुछ सोचोगे, तुम वही हो जाओगे यदि तुम अपने को दुर्बल सोचोगे तो दुर्बल हो जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान हो जाओगे।

–भारत में विवेकानन्द, प्र. 36

आज विवेकानन्द जी के विचार युवाओं के प्रेरणा के आधार स्तम्भ हैं किंतु विंडम्बना युवाओं को भ्रमित कर उनका उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में किया जा रहा है।

अब वक्त है युवाओं को एकजुट होने का वे खुद शोषण और उनकी ऊर्जा का दोहन करने वाले लोगों को अपने से दूर कर सकते हैं।
युवा स्वयं अपने बुलंद इरादे और हौसलों के साथ आगे बढ़ेगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी किसी ने ठीक ही कहा है–

'रास्ता चल के तुम्हारे पाँव तक आ जाएगा,
देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा
है अमावस काली कर बगावत रात से,
चाँदनी का एक दरिया गाँव तक आ जायेगा
गर हो इरादों में बुलंदी और हौसलों में जलजला
आसमां झुक कर तुम्हारे पाँव तक आ जायेगा।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत में विवेकानन्द (विवेकानन्द के भारतीय व्याख्यान) पृ. 252

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

फरहत मंसूरी * डॉ. अर्चना गौर **

प्रस्तावना –वर्तमान समय में महिला एवं विकास मंत्रालय बालिकाओं के कल्याण व विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। बालिका शिक्षा का हमारे देश में अत्यंत महत्व है। महिला शिक्षा न केवल परिवार अपितु समाज व राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। 2011 की जनगणना में म.प्र. का लिंगानुपात 930 है। कुल साक्षरता दर 70.66 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 80.53 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता दर 60.2 प्रतिशत है, जो भारत की स्त्री साक्षरता दर से भी 5.44 प्रतिशत कम है। अत: आवश्यकता है, ऐसी योजनाएं बनाने एवं क्रियान्वयन की जिससे छात्राओं को शिक्षित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनायें चलायी जा रही है, जिससे बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रस्तुत शोध पत्र में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य –

1. सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. योजनाओं से लाभान्वित छात्राओं की जानकारी प्राप्त करना।
3 छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका की जानकारी प्राप्त करना।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए निम्न योजनाए संचालित की जा रही हैं –

1. **राज्य छात्रवृत्ति योजना –** कक्षा 1 से 5वीं तक 150/- प्रदाय
2. **पिछड़ा वर्ग कल्याण –** कक्षा 7वीं से 12वीं तक 30 लाख विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति एवं 6.05 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।
3. **छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना –** शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं के लिए 2008-09 से छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गयी है।
4. **सुदामा प्री मैट्रिक योजना –** कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं को आर्थिक मदद हेतु 140/-, 9 से 12 माह हेतु प्रदाय
5. **स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना –** 10वीं व 11वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण निर्धन परिवार की छात्राओं को 550/- प्रति वर्ष।
6. **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना –** 12वीं में सर्वाधिक अंकों से उत्तीण होने वाली छात्रा को 50-
7. **पितृ हीन कन्याओं को छात्रवृत्ति –** वर्ष 2012-13 में उक्त योजनाओं में 87.21 हजार छात्र छात्राओं को 380 लाख रूपये प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।
8. **अल्पसंख्यक कल्याण –** वर्ष 2012-2013 में 12.34 हजार विद्यार्थीयों को पोस्ट मैट्रिक एवं 1.38 हजार विद्यार्थीयों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है।
9. **सायकिल वितरण –** राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बालक/ बालिका को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए कक्षा 9वीं से सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। 2013-2014 में 5.29 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
10. **गांव की बेटी योजना –** इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर सहायता करना है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी से पास करने वाली ग्रामीण लड़कियों को 10 महीने तक 500 रू. प्रति महिने दिए जाते हैं। अभी तक 60 हजार छात्रायें इस योजना से लाभान्वित हो चुकी है।
11. **प्रतिभा किरण योजना –** इस योजना का उद्देश्य ऐसे शहरी बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार लाना है, जिन्होंने कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी पास करने के बाद उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेश ले लिया है। इस योजना में पात्र बालिका को दस महीनों के लिए 500/- प्रतिमाह तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 750/- प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते है। 3.14 हजार छात्राएं लाभान्वित हुई है।
12. **लाडली लक्ष्मी योजना –** प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की गयी है। यह योजना 1 जनवरी 2006 के उपरांत जन्मी बालिकाओं के लिए है। अब तक 16 लाख बालिकाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है।
13. **साक्षर भारत योजना –** प्रदेश में केंद्र प्रवर्तित इस योजना का शुभारंभ 19 अप्रैल, 2010 को किया गया। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु की निरक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं अध्ययनशील समाज का निर्माण करना है।

छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की महत्वपूर्ण

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

भूमिका है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन स्तर में वृद्धि देखी गई है। महिलाए अब पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं शासन से लाभान्वित महिलाओं के कारण अन्य महिलाओं में भी जागरूकता आ रही है।

छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें नि:शुल्क पुस्तकें, नौकरियों में आरक्षण एवं शिक्षा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा छात्राओं के कौशल विकास के लिए अनेक व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। सरकारी सुविधाओं के कारण सामाजिक, पारिवारिक मानसिकता में परिवर्तन आया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय, म.प्र.
2. विभागीय प्रतिवेदन, उच्च शिक्षा विभाग, 2012-13
3. योजना और प्रशासन संस्थान, दिल्ली
4. डॉ. संगीता सिंघल, महिला सशक्तिकरण एवं सशक्त पक्ष बालिका शिक्षा, रिसर्च लिंक, अगस्त 2009

****

Geomorphology of Katghora Block Korba District, Chhattisgarh using Remote Sensing and GIS techniques

Bineeta Toppo *

Abstract - Geomorphological study is very effective tool in the management of natural resources and helps in various types of planning and development activities. In the present study area geomorphological map of Aharan River basin was prepared on 1:20,000 scales, using satellite imagery in the from IRS 1C LISS III FCC bands 2, 3 and 4 and Survey of India Toposheets and also validated by ground truth, since large part of the study area is inaccessible, remotely sensed data have played an important role in detailed mapping. The study area is mostly underlain by Archaean granite and gneissose rocks, Gondwana Supergroup, Quaternary and Recent alluvium are confined mainly to the river valleys. The criteria adopted for the identification and grouping of landforms of specific genetic type is the overall appearance, the shape/surface geometry, the underlying geology, relief forming processes and association of forms.
Keywords - Geomorphic Mapping, Landforms Denudational, Structural, Depositional.

Introduction - The geomorphological map portrays the form of the surface, the nature and properties of the surface material and indicate the kind and magnitude of the process involved. Geomorphological mapping allows an improved understanding of watershed management, groundwater exploration, land use planning, landscape, ecological planning etc. (Fairbridge, 1968).

A good deal of literature is made available on various aspects of geomorphological applications. The application of geomorphology and morphometric analysis of drainage basin was suggested by Horton (1932) followed by different workers namely Strahler, (1952, 1958), Schumm (1956), Chorley et al. (1957), Thornbury (1964), Clark (1966), Robinson (1968), Kumar (1973), Singh and Srivastava (1974), Subramanyan, (1976), Gardiner and Park (1982), Nautiyal (1994), Nag (1998), and others.

Study Area - The study area Katghora block forms a part of Korba district, Chhattisgarh. The study area lies which on the SOI Toposheet Nos. 64 J/6 , 64 J/7 , 64 J/10 , and 64 J/11 and it is fashioned between latitude 22° 27'55''N to 22° 53'3'' N and longitude 82° 27' 28'' E to 82° 37' 34'' E and covering an area of about 564 km^2.

The study area is mostly underlain by granite and gneissose rocks Archaean age and the of rocks of Gondwana Supergroup overlies these rocks.

Methodology- Multisource data inputs comprise of laboratory interpreted remote sensing data, relevant collateral data and conventional ground data. Remote sensing data standard IRS IC LISS III FCC generated from bends, 2, 3 and 4 has been analyzed and landform units have been interpreted and delineated using IRS imagery on 1:20,000 scales. The various landforms/ landscape units as recognized on data products were carefully delineated in order to generate sets of input data for the study. The criteria adopted for identification and grouping of landforms of specific genetic type are:

a) the overall appearance
b) the shape/ surface geometry
c) the underlying geology
d) relief forming processes and association of forms.

Results and Discussion - All the landform units have been grouped under three genetic types, viz, denudational , structural and depositional landforms. In all landform units as delineated on the map (Fig.1) under the three genetic types are described below:

A) Dendational landform -

1. Pediment - In the present study area pediment as a geomorphic feature are developed over the Gondwana rocks and are observable at various localities such as Bharmapara in the south-eastern part, at Bandhanpara and Tilsara in the northern part of the study area.

2. Pediment shallow - About 25% of the study area is covered by pediment shallow, these pediments shallow may be observable in central part, south-western part and north-eastern part of the study area near Bakimogra, Harrabhata and Jamchuwa localities.

3. Pediplain moderate - About 30% of the study area is covered by pediplain moderate. In the present study area geomorphic features developed over the Archaean granites and gneisses and Gondwana rocks. These pediplains moderate are observable in Achanakpur, Churrikala Dongatarai, Kahaniyapara villages of the present study area.

4. Denudational Hills - The denudational hill developed over the Archaean Granite and gneissoes. Which may be noticed at Manguru Pahar near Nagdabara and also in Palma Pahar and Hathibari Pahar near village Trikuti, which

*Research Scholar (Geology) Govt. Motilal Vigyan Mahavidhyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

lies in the northern and north-western parts of the study area.

5. Inselberg - Inselbergs in the study area are made up of Archaean granites and gneisses rocks. This unit is acting as surface runoff zone due to steep slope and groundwater prospects are very poor. Inselberg is observable near Gargaradih and Amakhakhra in the north-western part of the study area.

6. Pediment Inselberg Complex -In the present study area Pediment Inselberg Complex is developed over the Archaean granites and gniessoes rocks and is located at near Hardipara in the southern part of the study area.

7. Residual Hills - This geomorphic feature developed over Archaean rocks as well as on the Talchir formations and are seen in Dongar pahar near Domarmunda and also near Basantpur and Manikpur in the southern part of the study area.

8. Hill Top Weathered - In the present study area this geomorphic feature is developed over Archaean granite and gneissose rocks and has been identified and marked in the western part Hill of the study area at localities near Barbahri and Trikuti.

B) Depositional landforms -

9. Valley Fill Shallow - In the present study area the valley fills are confined to river and stream valleys. Groundwater prospects in valley fills are good to excellent because of the topographical location at the bottom of the hill and geological material consisting of highly porous material. Subsurface water potential is also good to excellent in the valley fills. These valleys fills lie along the Aharan and Hasdev river valleys.

10. Flood Plain - These landforms occurs as narrow patches on the either side of the river Aharan and Hasdev. Groundwater development prospect in this region are very goodThese are underlain by sand, silt, admixed with clay and form a potential aquifer in the area. In the present study area geomorphic features developed over Gondwana rocks and are located all along river banks.

11. Point Bar - Point bar is a depositional feature made of alluvium that accumulates on the inside bends of stream and river below the slip-off slope. Point bars are found in abundance in mature meandering stream. In the present study area the point bars developed over Gondwana rocks occurring at many places along the Aharan river.

C) Structural landforms -

12. Plateau Undissected - The above parameters indicate that the runoff is high over these units and thus it forms a poor potential zone. Developed over Gondwana rocks and this geomorphic feature is observable in western part of the study area near Palma Pahar.

13. Intermontane Valley - The intermontane valleys are mostly structurally controlled. Groundwater is poor to moderate in this zone. In the present study area this geomorphic unit is developed over the Archaean granite and gneissose rocks and be observable in western part of the study area near Harradih and Hathbari localities.

14. Escarpment Slope - Escarpments identified on the satellite image by their dark tone resulting due to shadow. It is developed over Gondwana rocks and in the north-western part of the study area near Palma Pahar.

15. Butte - Butte is often produced from mesa when the later is reduced in size through dissection and erosion. The diameter of the cap rocks is less than the height of the hill above terrain. One such butte is observed in the north-western part of the study area which is composed of Barakar formation

16. River Terraces - River terraces mark former valley floors and are seen along the Hasdev river Valley. Both bed rock and alluvial terraces are found to occur. The one which occurs near the western part of the study area is very good example of bed rock terrace. The alluvial terrace occurring at many places along the Hasdeo river valley and Aharan river course have terrace level 5 to 10 mts. They consist of fine alluvium.

Table.1. (See in the last page)

Summary and Conclusion - Remote sensing technology has been found useful in generating geomorphological map, because of the diverse and inaccessible terrain conditions. Landform units are classified under three principal genetic types viz., denudational, structural and depositional. Classification of landforms was based on characteristics like surface texture and cover material. The present landforms are the result of multiple cycles of erosion, diverse lithology and structure. The detailed landforms map can provide vital information for planning and management (Fairbridge, 1968) of the natural resources in the region, viz. by landscape ecologic planning etc. These can also help to improve the socio-economic conditions of the area through sustainable development.

References :-

1. Chorely, R.J. (1957) Climate and Morphology. Jour. Geol., Vol. 65, pp. 628-635.
2. Fairbridge, Rhodes, W. (1968) The encyclopedia of Geolmorphology, pp. 388-403.
3. Gardinar, V. and Park, C.C. (1978) Drainage basin morphometry review and assessment progress in physical geography, Pub. Pink. Publishing House, Mathura, pp. 135.
4. Horton, R.E. (1932) Drainage basin characteristic, An Geophys. Union Trans. Jour., Vol.13. pp.350-361.
5. Nag, S.K. (1998) Morphometric analysis using remote sensing techniques in the Chaka sub- Basin, Purlulia district, West Bangal, Photonirwachak , jour of ISRS, Vol. 26. No. 1 &2, march and june. 98. pp. 69-76.
6. Nautiyal, M.D. (1994) Morphometric analysis of a drainage Basin using aerial photograps. A case study of Khhairkula Basin district Dehradun, U.P. Photonirwachak, Journ. Of Ind. Soc. Of Remote sensing, Vol. 22. pp. 251-261.
7. Robinson, G. (1968) A consideration of relation of geomorphology and geography. Prof. Geographer, Vol. 12, No.2, pp. 5-15.

8. Schumm, S.A. (1956) Evolution of drainage system and slope in badland at Perth Amboy New Jercy Geol. Soc. Am. Bull., Vol. 67. pp. 597-646.
9. Shrinivasan, P. (1988) Use of Remote Sensing techniques for detail Hydrogeomorphological investigation in part of Narmadasagar Command Area M.P. J. Indian Soc. Remote Sensing, 16(1). pp. 55-62.
10. Singh, S. and Srivastava, R. (1974) A morphometric study of the tributary basin of upper. Reaches of Belan River. National Geogr., Vol. 1. pp. 35-37.
11. Strahler, A.N. (1952) Quantitative Geomorphology of Erosional Landscape. 19th international geological congress, Aligarh, Sec. 3, Vol. 3. pp. 345-354.
12. Strahler, A.N. (1958). Quantative Geomorphology in Fairbridge. R-W.ed. the Encyclopedia of Geomorphology, Rainhold Book, Crop. New York.
13. Subramanyan, V. (1976) Hill slope analysis of the Deccan trap around Sagar M.P. Geo. Surv. Ind. Pub. No.14. Proceeding of symposium on Deccan Trap and Bauxite held during 6th-10th Oct. 1976 at Pune Maharashtra, pp. 173-183.
14. Thornbury, W.D. (1964) Principal of Geomorphology, 2nd Ed. John Wiley and Sons, New York.

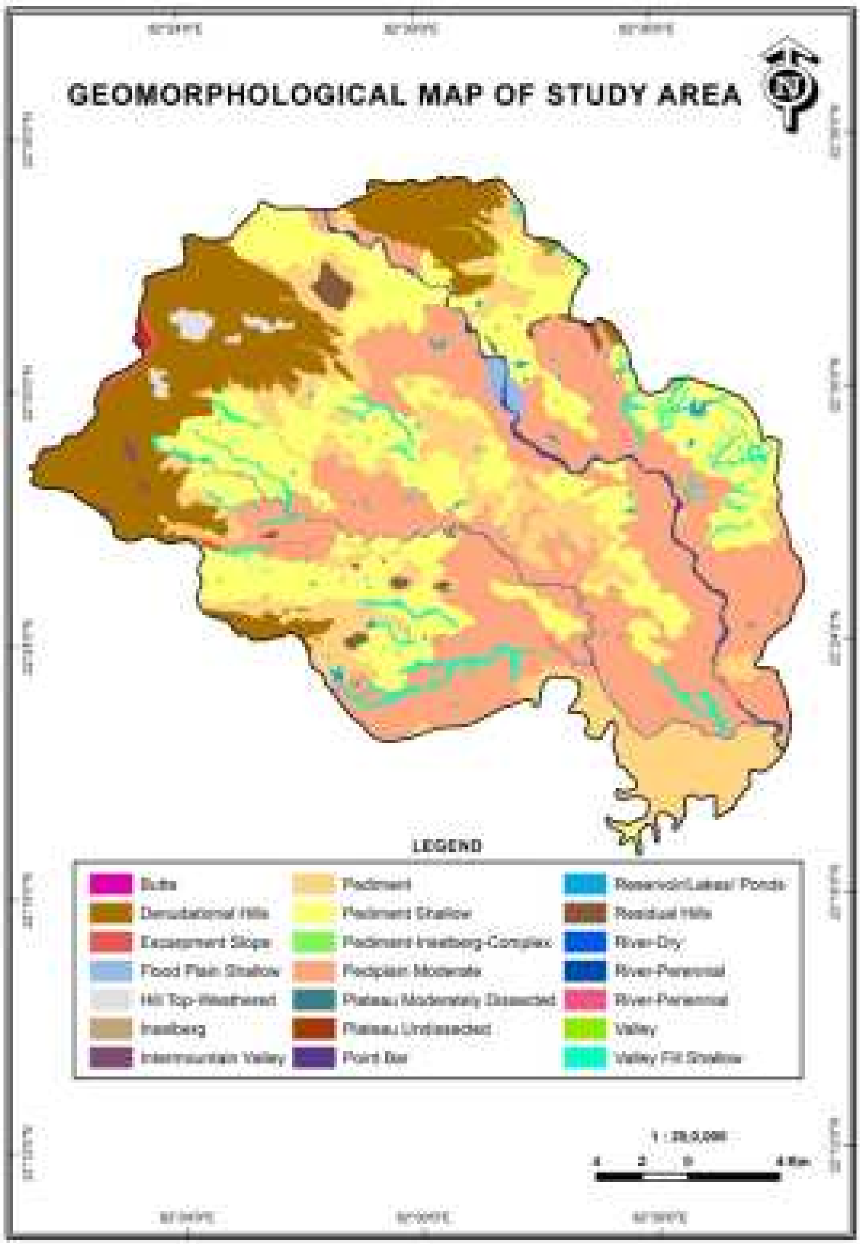

Fig.1 Geomorphological map of the study area

Table.1. Image Interpretation Characteristics of Geomorphic units of the Area

S. No.	Geomorphological unit	Tone	Texture	Drainage density	Vegetation	Association
1	Pediment	Light green	Fine	Moderate	Natural crop	Associated with pediment shallow, pediplain moderate and denudational hills
2	Pediment Shallow	Light green	Fine	Moderate	Natural crop	Associated with pediment and denudational hills
3	Pediplain Moderate	Medium to dark gray, sometimes reddish due to cultivation	fine	Moderate	Natural crop	Associated with pediment shallow, pediplain moderate and denudational hills, valley fill shallow
4	Denudational Hills	Light brown	Coarse to rough	High	Natural vegitation	Associated with pediment shallow, pediment and valley fill shallow
5	Inselberg	——-	Smooth and rounded	Moderate	Natural	Associated with pediment shallow and pediment
6	Pediment Inselberg Complex	———	Smooth and rounded	Moderate	Natural	Associated with pediment and pediment shallow
7	Residual hills	Dark greenish brown		Moderate	Natural vegetation	Associated with pediment
8	Hill top Weathered			Moderate	Natural	Associated with denudational hills
9	Valley Fill Shallow	Dark reddish tone	Fine	Low	Natural	Associated with pediment shallow and pediplain shallow
10	Intermontane Valley			Moderate	Natural	Associated with denudational hills
11	Flood Plain Shallow		Fine	Low	Natural	Associated with pediment shallow, pediplain moderate and point bar
12	Point Bar		Fine	Low	Natural vegetations	Associated with pediment shallow, pediplain moderate and flood plain shallow
13	Plateau Undissected	Yellowish brown	Moderate to fine	Absent	Natural vegetations	Associated with butte and Plateau Undissected
14	Escarpment Slope	Dark, reddish brown	Coarse to moderate	Nil	Natural vegetations	Associated with Plateau Undissected
15	Butte	Light yellowish brown	Smooth	Nil	Natural vegetations	Associated with Plateau Undissected

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

मण्डला जिले में जल संसाधन उपयोग -एक अध्ययन

डॉ. राम सिंह धुर्वे *

शोध सारांश – जो कुछ वर्तमान में है, ऐसा ही रहेगा या भविष्य कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकिकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिक उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। जल अभाव संभवत: इसकी बढ़ती हुई माँग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर लगभग 71 प्रति. धरातल पानी से आच्छादित है परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3 प्रति. ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धिता स्थान और समय के अनुसार भिन्न-भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आबंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े, संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस शोध पत्र में जल संसाधन के भौगोलिक वितरण एवं क्षेत्रीय उपयोग को बताने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना – मण्डला जिले में जल उपयोग की दृष्टि से सिंचाई का स्थान महत्वपूर्ण है। पौधों के विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ 26843 हेक्टेयर भूमि विभिन्न साधनों से सिंचित है। यह सम्पूर्ण फसल क्षेत्र का 56 प्रतिशत है। अव्यवस्थित, असमान एवं अपर्याप्त वर्षा के प्रभाव को सिंचाई के साधनों द्वारा कम किया जा सकता है। इस जिले के बहुत बड़े भाग में कृषि के लिए सबसे बड़े बाधक तत्व आर्द्रता की कमी है। सिंचाई का महत्व न केवल फसलों को बचाने के लिए अपितु अधिक उत्पादन एवं गहन कृषि के लिए हमेशा रहा है। सिंचाई के द्वारा फसल प्रतिरूप में विभिन्नता एवं परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके अतिरिक्त सिंचाई परिवर्तित प्रविधि रासायनिक खाद तो आधुनिक यंत्रों के उपयोग के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है।

सिंचाई परियोजनाओं का अतीत और इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि कृषि कार्य का। मानवीय सभ्यता के विकास और विस्तार के साथ-साथ सिंचाई के तौर तरीके और साधन बदलते चले गए। वर्तमान में सिंचाई परियोजनाओं यथा-बाँधों एवं जलाशयों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के समुचित विकास हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बहुउद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं एवं बाँधों के निर्माण को अनिवार्य माना जाने लगा।

अध्ययन क्षेत्र – मध्यप्रदेश राज्य के दक्षिण-पूर्व में मैकल के पठार में मण्डला जिला स्थित है। यह जिला $22^{o}12'$ उत्तरी अक्षांश से $23^{o}12'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{o}18'$ पूर्वी देशान्तर से $81^{o}51'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले का धरातल अत्याधिक ऊबड़-खाबड़ है जिसका अधिकांश भाग वनों से ढ़का है।

अध्ययन के उद्देश्य –बाँधों एवं जलाशयों के निर्माण जल संसाधन का बहुउद्देशीय उपयोग हेतु किया जाता है। जैसे सिंचाई, जलविद्युत की प्राप्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन को बढ़ावा देना एवं जल आपूर्ति आदि। अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

1. सिंचाई प्रतिरूपों का अध्ययन करना।
2. जल संसाधन की उपयोगिता एवं महत्व को प्रदर्शित करना।
3. कृषि अर्थव्यवस्था में सिंचाई के साधनों की यथार्थ स्थिति ज्ञात करना।

संकल्पनाएँ – प्रस्तुत अध्ययन निम्नांकित संकल्पनाओं पर आधारित है-

1. सिंचाई साधनों से जल संसाधन का कृषि कार्य में बहुत योगदान है।
2. सिंचाई के साधनों का विस्तार बहुत ही मंद गति से हो रहा है।
3. सिंचाई के दौरान जल का बहुत ज्यादा दुरूपयोग होता है।

शोध प्रविधि –

1. जिले की सिंचाई संबंधी जानकारी शासकीय कार्यालयों एवं इंटरनेट से ली गयी हैं।
2. जल संसाधन उपयोग संबंधित आँकड़े जिला सांख्यिकी पुस्तिका एवं इंटरनेट से प्राप्त किये गये हैं।
3. इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों को समाहित किया गया है।
4. इसमें मानचित्र, तालिका एवं रेखाचित्रों का समावेश किया गया है।

भारत में जल संसाधन – भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45 प्रतिशत जल संसाधनों का भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किमी. है। धरातलीय जल और पुन: पूर्तियोग भौम जल से 1869 घन कि.मी. जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60 प्रतिशत जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन कि.मी. है।

धरातलीय जल संसाधन – धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत हैं- नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों, जिनकी लंबाई 1-6 कि.मी. से अधिक है, को मिलाकर 10,360 नदियाँ है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 घन कि.मी. होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक, जलीय और अन्य दबावों

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय नैनपुर, जिला - मण्डला,म.प्र. (भारत)

के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन कि.मी. या 32 प्रतिशत जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है।

भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और जो मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेन्द्रित है। भारत में कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग एक-तिहाई भाग पर पाई जाती है जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60 प्रतिशत जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है।

सिंचाई के लिए जल की माँग -कृषि में, जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक-सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त हैं। उ.प. भारत एवं दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे प. बंगाल और बिहार में मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदा. के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ.प्र. में अधिक सफल हुई है।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोये गए क्षेत्र का 85 प्रतिशत भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेंहूँ और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। पंजाब एव हरियाणा में, कुँओं और नलकूपों द्वारा सिंचित हैं क्योंकि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे इन राज्यों में भौम जल में कमी आ जाती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, म.प्र., प.बंगाल, उ.प्र. आदि राज्यों में कुओं और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र का भाग बहुत अधिक है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेन्द्रण बढ़ गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ.प्र. में गहन सिंचाई से मृदा में लवणता बढ़ रही है और भौम जल सिंचाई में कमी आ रही है।

सिंचाई के साधन एवं सिंचित क्षेत्रफल - मण्डला जिले में धरातलीय एवं भूमिगत जल स्रोतों से सिंचाई होती है। धरातल का जल नदियों और तालाबों से तथा भूमिगत जल कुओं और नलकूपों द्वारा उपलब्ध होता है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के मुख्य तीन साधन हैं-नहर, तालाब एवं कुँआ। यहाँ सिंचाई साधनों के विकास की प्रगति में विभिन्नता है क्योंकि ज्यादातर सिंचाई कुँओं एवं नहरों के द्वारा होती है। इसके साथ ही तालाबों द्वारा सिंचाई में प्रगति हुई है। जिसे निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका क्रमाँक -01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका में स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा सिंचाई का क्षेत्रफल नैनपुर वि.ख. में की जाती है दूसरे स्थान पर बिछिया में तथा तीसरे स्थान पर मण्डला वि.ख. में की जाती है। सबसे कम सिंचाई का क्षेत्रफल घुघरी वि.ख. में है। इस वि.ख. में सिंचाई के साधनों का विकास न होने का मुख्य कारण यहाँ की असमान धरातल है तथा पानी की अपर्याप्तता है। जिससे यहाँ नहरों, कुँओं तथा तालाबों का निर्माण नहीं हो सका है। जिले में 21882 हे. क्षेत्र नहरों से, 4679 हे. क्षेत्र कुँओं से तथा 292 हे. क्षेत्र की सिंचाई तालाबों से की जाती है।

आरेख क्रमाँक -01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सिंचाई साधनों की संख्या एवं क्षेत्रफल-2011-12 (क्षेत्रफल हे. में)

नैनपुर में सिंचाई के कुल साधनों की संख्या तो कम है किन्तु यहाँ जिले में सबसे अधिक सिंचाई का क्षेत्रफल 17351 हे. है। इसका कारण थॉवर सिंचाई परियोजना का होना है। सबसे कम सिंचाई के साधनों वाले वि.ख. बीजाडाण्डी, घुघरी और मवई हैं। इनमें क्रमश: 41, 75 एवं 132 सिंचाई के साधन हैं जिनसे 176, 57 एवं 91 हे. क्षेत्र में सिंचाई होती है। जिले की कुल सिंचित क्षेत्र को निम्नानुसार प्रतिशत में दिखाया गया है।

तालिका क्रमाँक -02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

जिले में सबसे अधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल का 64.61 प्रतिशत नैनपुर वि.ख. में है। नहरों से 71.99 प्रतिशत व कुँओं से 34.15 प्रतिशत सिंचाई होती है। बिछिया वि.खं में नहरों से 13.26 एवं कुँओं से 7.09 प्रतिशत सिंचाई होती है। जो कुल सिंचित क्षेत्र का 12.04 प्रतिशत ही है। मण्डला वि.खं में नहरों से 5.09, कुँओं से 35.90 एवं तालाबों से 15.41 प्रतिशत सिंचाई होती है। जो जिले की कुल सिंचित क्षेत्र का 10.58 प्रतिशत ही है। मोहगाँव, घुघरी एवं मवई में बहुत ही छोटे नहर हैं परन्तु उनसे सिंचाई का क्षेत्रफल निरंक है। इन वि.ख. में कुँओं व तालाबों द्वारा ही सिंचाई संभव हुआ है। जो क्रमश: 4.59, 0.54 एवं 0.82 प्रतिशत है। इस तरह सिंचाई के साधनों की संख्या तथा सिंचित क्षेत्रफल में बहुत असमानताएँ हैं।

आलेख क्रमाँक -02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सिंचाई परियोजनाएँ - मण्डला जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 965556 हे. क्षेत्र की 2.17 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। यहाँ के सतही जल का 83 प्रतिशत जलावाह कृषि को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। साथ ही 16232 हेक्टेयर कृषि भूमि सतही जल एवं 4712 हे. कृषि भूमि, भूमिगत जल से सिंचित होती है।

1. **सतही जल पर आधारित सिंचाई परियोजनाएँ** - यहाँ की नदियों के जल को बाँध एवं जलाशयों का निर्माण कर रोका गया है। इन जलाशयों से नहरें निकालकर जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया गया है। लागत एवं प्रस्तावित सिंचाई के क्षेत्र के आधार पर सतही जल पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में रखा गया है। इस जिले में कुल 01 वृहद, 04 मध्यम एवं अन्य सभी लघु बाँध एवं जलाशय सिंचाई परियोजनाएँ हैं। इनसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। यहाँ के बाँधों से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। जिले के बाँध एवं जलाशयों का विवरण निम्नानुसार हैं-

अ. वृहद सिंचाई परियोजनाएँ – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाक्रम में वृहद सिंचाई परियोजनाओं के वास्तविक सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। इन योजनाओं से 17351 हे. भूमि की सिंचाई होती है। इसमें खरीफ एवं रबी की फसल उत्पन्न की जाती है।

थॉवर (राजीव सागर) बाँध –सन् 2002 में निर्मित यह सिंचाई परियोजना जिले के नैनपुर तहसील के झुलपुर गाँव में स्थित है। जो बैनगंगा की सहायक थॉवर नदी पर निर्मित यह गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इससे जिले के 11,105 हे. भूमि सिंचित होती है। इसकी क्षमता 18,211 हे. भूमि को सिंचित करने की है। यह परियोजना नैनपुर नगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यह बांध 990 मीटर लंबा तथा 27.10 मीटर ऊँचा है। इसके मुख्य नहर की लंबाई 48.0 किलोमीटर है। जिससे 10.19 क्यूमेक पानी छोड़ने की क्षमता है।

चित्र क्र. 01
थॉवर (राजीव सागर) बाँध

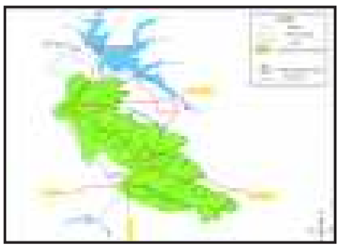

चित्र क्र. 02
थॉवर (राजीव सागर) बाँध

ब. मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ–जिले के उन भागों में जहाँ नहरें निर्मित नहीं की जा सकती या कुएँ आदि की व्यवस्था नहीं है वहाँ शासकीय साधनों के छोटे नालों को बाँधकर एवं जल एकत्र करके सिंचाई की जाती है। इसमें कुल 4 मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। इनसे 3233 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती है।

1. **मटियारी बाँध –** यह जिले के दूसरा बड़ा सिंचाई परियोजना है। बिछिया तहसील में अंजनिया के निकट मटियारी नदी पर यह परियोजना निर्मित है। इसकी जलग्रहण क्षेत्र 159 वर्ग किमी तथा जलग्रहण क्षमता 56800 हजार घनमीटर है। इसकी ऊँचाई 33.66 मीटर तथा लंबाई 1131 मीटर है। इससे कुल 8132 हे. भूमि पर सिंचाई की जाती है।

चित्र क्र. 03
मटियारी बाँध

चित्र क्र. 04
मटियारी बाँध

इसके अलावा बिछिया जलाशय, मझगाँव एवं धुँआधार बाँध अन्य प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ हैं।

स. लघु सिंचाई परियोजनाएँ – वर्तमान समय में जहाँ नहरें एवं सिंचाई के साधनों का अभाव है, वहाँ शासकीय साधनों से उप–नहरें तथा बंधिया बनाकर नहरें निर्मित कर सिंचाई की जाती है। इनकी कुल संख्या 16 से भी अधिक है, तथा वास्तविक सिंचाई क्षमता लगभग 6259 हेक्टेयर है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्त्रोतों के आधार पर छोटी–छोटी नहरों का निर्माण किया गया है। यहाँ इन परियोजनाओं से अधिकाधिक सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है। इनमें बरबसपुर, झालपानी, चिखलाटोला, मोहगाँव–माली, जन्तीपुर, झण्डाटोला, मेहरासिवनी, कोहानी देवरी, दलका बंडा, माँद, जमुनिया टोला, धनगाँव, कापा, चरगाँव, मानेगाँव आदि प्रमुख लघु सिंचाई परियोजनाएँ हैं।

2. भूमिगत जल पर आधारित सिंचाई योजनाएँ– इसके अंतर्गत भूमि के अंदर विभिन्न चट्टानी परतों में निहित जल सम्मिलित है। जिसे कुँओं, नलकूप आदि के माध्यम से निकालकर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जिले में उपलब्ध भूमिगत जल के आधार पर सिंचाई पंपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है।

सिंचित फसलें – खरीफ मौसम की मुख्य फसल धान है। इसलिए सिंचाई में विस्तार से ही खरीफ फसलों के उत्पादन एवं उसके क्षेत्र में वृद्धि के साथ–साथ रबी फसलों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि की जा सकती है। इस क्षेत्र में धान की खेती के लिए बोता पद्धति मुख्यत: प्रयोग में लायी जाती है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में रोपा पद्धति से फसल लगाते हैं।

कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण सिंचाई योजना का निर्माण कृषि उत्पाद और जनसंख्या की जीविका के लिए आवश्यक है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण सिंचाई साधनों में वृद्धिकर द्वि–फसली क्षेत्र में वृद्धि कर सिंचाई असमानताओं को दूर किया जा सकता है। यहाँ कुल सिंचाई साधनों की संख्या 3042 है। इसमें सर्वाधिक कुँओं की संख्या 2959 है, इसके बाद नहरें 75 एवं तालाब 8 हैं। जो कि यहाँ सिंचाई असमानता को स्पष्ट करती हैं।

सिंचाई का विकास – विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे मध्यम तथा गौण सिंचाई को महत्व मिला है। साथ–साथ 1976 में म.प्र. में उद्भव सिंचाई निगम की स्थापना से यहाँ मध्यम तथा गौण सिंचाई योजनाओं के कुँओं के खनन कार्य एवं नहरें आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अभियांत्रिक दृष्टिकोण से वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कर निर्मित योजनाओं का क्रियान्वयन आर्थिक लाभ की दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। यहाँ कृषि प्रमुख होने के कारण कृषि आधारित योजनाओं पर ही इस क्षेत्र का विकास निर्भर करता है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की प्रमुख आवश्यकता कृषि पर ही निर्भर है। इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं–

1. पड़ती एवं अकृषिगत भूमि को यथा संभव कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर निरा फसली क्षेत्र में वृद्धि करना।
2. सिंचाई साधनों में वृद्धि कर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना।

जलीय सिंचाई समस्याएँ – पानी की कमी के कारण सिंचाई के अलावा दुनिया के सामने अनेक खतरे मंडरा रहे हैं। पानी की समस्या से सामाजिक–आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2050 में नौ अरब अथवा अधिक की जनसंख्या के उपयोग के लिए खाद्य उत्पादन में 60 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। खाद्य उत्पादन के लिए भारी मात्रा में पानी और बिजली की जरूरत होती है। स्वतंत्रता पश्चात् मानसूनी वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता के कारण उपलब्ध जल को संचित कर एवं निकालकर उसका उपयोग सिंचाई के रूप में करने से प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अत: जनसंख्या के दबाव एवं आवश्कताओं के देखते हुये क्रमबद्ध योजनानुसार जल संसाधन का उपयोग होने लगा है, फिर भी निम्नलिखित समस्याएँ हैं।

1. वर्षा की कमी
2. जल का दुरूपयोग
3. जल प्रदूषण की समस्या

4. वित्तीय समस्याएँ
5. सिंचाई संबंधी समस्याएँ
अ. वैज्ञानिक सिंचाई पद्धति
ब. प्रशासकीय समस्याएँ

यहाँ जल का महत्वपूर्ण स्रोत वर्षा है। अत: मानसूनी वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता एवं असमान वितरण जल संसाधन की मुख्य समस्या है। ये आर्थिक, भौतिक एवं राजनैतिक प्रकार की है।

सुझाव – जल संपदाओं के विकास के लिए अनेक उपायों के साथ-साथ योजना एवं धन की आवश्यकता है। बढ़ती माँग से सतत् पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। जलसंरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने होंगे। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जलसंभर विकास-वर्षा जल संग्रहण, जल के पुन: उपयोग और लंबे समय तक जल की चक्रण और पुन: आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। सिंचाई संबंधी समस्याओं के निराकरण के उपाय एवं विकास हेतु कुछ सुझाव निम्नांकित हैं-

1. सिंचाई सुविधा में विस्तार की विषमताओं को दूर करना।
2. उपलब्ध जल द्वारा अधिकतम सिंचाई की व्यवस्था कर पैदावार बढ़ाना।
3. सिंचाई प्रणाली में सुधार एवं विस्तार की आवश्यकता।
4. प्रशासकीय समस्याओं को यथासंभव दूर करना।
5. धरातलीय विषमताओं को सुव्यवस्थित करना।
6. छोटे-छोटे बाँध बनाकर सिंचाई सुविधा का विस्तार करना एवं स्टाप बाँध का निर्माण करना।

उपसंहार – इस तरह सिंचाई के विकास तथा जल संसाधन का क्षेत्रीय विश्लेषण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि जिले में सिंचाई के विकास की गति मंद है एवं विकास की प्रगति सभी भागों में समान नहीं है। अत: अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास कर सिंचाई में तीव्रता लाने आवश्यकता की है। जिले के सभी नहरों व सिंचाई साधनों को पक्का करने के और अधिक प्रयास हो जाये तो जल का सदुपयोग अच्छे से किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, सविन्द्र (1995), पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, 20-ए, यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद, पृ.क्र. 512.
2. योजना, मासिक पत्रिका, जुलाई 2016।
3. hhttp://www.mppcb.nic.in/pdf/Revised_PH_ Halon_ Eng.pdf
4. hhttps://vimi.wordpress.com/2009/02/22/jal_ san saadhan/
5. hhttp://agricoop.nic.in/Agriculture% 20Contingency% 20Plan/MP/MP37_Mandla_07.06.2013.pdf
6. hhttp://indiawris.nrsc.gov.in/wrpinfo/index.php?title= Thanwar_Major_Irrigation_Project_JI01006
7. hhttp://indiawris.nrsc.gov.in/wrpinfo/index.php? title=Matiyari_ Major_Irrigation_ Project_ JI00910
8. hhttp://www.mpwrd.gov.in/documents/18/ac63db4a-a5bf-4520-96cd-1cac448593c1
9. http://agricoop.nic.in/Agriculture%20Contingency% 20Plan/MP/MP37_Mandla_07.06.2013.pdf

तालिका क्रमाँक -01

सिंचाई साधनों की संख्या एवं क्षेत्रफल-2011-12 (क्षेत्रफल हे. में)

विकासखण्ड	नहरों की संख्या		कुँआ		तालाब		कुल साधन	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
नैनपुर	9	15753	685	1598	1	0	695	17351
मण्डला	15	1115	780	1680	4	45	799	2840
मोहगाँव	5	0	447	215	0	0	452	215
घुघरी	7	0	68	39	0	18	75	57
बिछिया	5	2901	452	332	0	0	457	3233
मवई	1	0	131	38	0	53	132	91
निवास	19	1800	177	578	1	166	196	2544
बीजाडाण्डी	6	115	35	61	2	0	41	176
नारायणगंज	8	198	184	138	0	10	192	336
मण्डला जिला	75	21882	2959	4679	8	292	3042	26843

स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला मण्डला।

तालिका क्रमाँक -02

साधनवार सिंचित क्षेत्र-2011-12 (क्षेत्रफल हे. में)

विकासखण्ड	नहर		कुँआ		तालाब		कुल क्षेत्रफल	
	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
नैनपुर	15753	71.99	1598	34.15	0	0	17351	64.61
मण्डला	1115	5.09	1680	35.90	45	15.41	2840	10.58
मोहगाँव	0	0	215	4.59	0	0	215	0.80
घुघरी	0	0	39	0.84	18	6.16	57	0.21
बिछिया	2901	13.26	332	7.09	0	0	3233	12.04
मवई	0	0	38	0.82	53	18.15	91	0.34
निवास	1800	8.23	578	12.35	166	56.85	2544	9.47
बीजाडाण्डी	115	0.53	61	1.30	0	0	176	0.66
नारायणगंज	198	0.90	138	2.96	10	3.42	336	1.24
मण्डला जिला	21882	100	4679	1000	292	100	26843	100

स्रोत- जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला मण्डला।

****

उज्जैन नगर की गन्दी बस्तियों का स्थानिक वितरण

डॉ. ललित किशोरी तिवारी *

प्रस्तावना – 'यथा नाम तथा गुण' के अनुसार गंदी बस्ती शब्द से स्वंय का बोध होता है, जैसे कम स्थान में अधिक भवनों का निर्माण, जिनमें दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश लेशमात्र भी नहीं पहुँचता हो। फर्श सीलन युक्त हो, हवा का प्रवेश न हो, साथ ही दुर्गन्ध युक्त गटरें, नालियों और आसपास नालों का बहना, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होना वही गंदी बस्ती की श्रेणी में अपना नाम प्रकट करने की सार्थकता रखती है।

उज्जैन नगर में एक और जहाँ सुन्दर व भव्य इमारतें है, वहीं दूसरी और गंदी तथा घूटन भरी बस्तियाँ भी स्थापित हो गई है। इन गंदी बस्तियों में नगर की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग (कुल जनसंख्या का 18.5 प्रतिशत) निवास करता है। इन बस्तियों में निवास करने वाला अत्यंत निम्न आय वर्ग है। यह वर्ग सम्पूर्ण नगर में इधर उधर गंदी बस्तियों के रूप में फैला है।

उज्जैन नगर में जो गंदी बस्तियों विकसित हुई है, उनमें से अधिकांश बस्तियों नगर के मध्य भाग के आसपास औद्योगिक क्षेत्र, क्षिप्रा नदी के किनारे पर दिखाई देती है। 1981 के बाद से नगर में गंदी बस्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

उज्जैन नगर की जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ गंदी बस्तियों की संख्या तथा जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1901 में नगर की जनसंख्या मात्र 39892 थी। जो 1951 में बढ़कर 129819 हो गई और 1971 में 208256 जनसंख्या वृद्धि हो गई। गंदी बस्तियों की जनसंख्या 35000 हो गई तथा संख्या 20 थी, जो 1981 में बढ़कर 42187 और गंदी बस्तियों की संख्या 30 हो गई। यही 1991 में बढ़कर 66826 जनसंख्या तथा इनकी संख्या 71 हो गई। 2001 में परियोजनानुसार नगरीय जनसंख्या 1991 के आधार पर 367154 होने से लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि से 2001 में जनसंख्या 84826 से 500000 होगी।

तालिका (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

रेखाचित्र से स्पष्ट है कि वर्ष 1971 से 1981 में गंदी बस्तियों की जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है मगर 1991 में गंदी बस्तियों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण 1984 में तत्कालिन सरकार द्वारा इन बस्तियों को स्थायित्व प्रदान कर वहा के निवासियों को भूमि मालिकाना हक प्रदान करना है।

मानचित्र द्वारा उज्जैन नगर में वार्ड अनुसार जनसंख्या को व्यक्त किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि उज्जैन नगर के सी.बी.डी केन्द्र गोपाल मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्रों में घनत्व 139500-185033 प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस क्षेत्र में गंदी बस्ती एक भी नहीं है क्योकि इन्हे अपनी झोपडी बनाने के लिए कही भी रिक्त स्थान नहीं मिल पाता है।

तालिका (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

वर्ग क्रमांक 2 में वार्डो की कुल संख्या 3 है। इस वर्ग में 161930 नम्बर के वार्ड आते है। यह वार्ड मुख्यतया नगर केन्द्र भोपाल मंदिर के चारों ओर फैले है। इस वर्ग में भी एक गंदी बस्ती नहीं है।

वर्ग क्रमांक तीन में वार्डो की कुल संख्या 5 है। इस वर्ग में तीन वार्ड तो गोपाल मंदिर से पश्चिम की ओर तथा दो वार्ड पूर्व की ओर आते है। इसमे जनसंख्या का घनत्व 46500-93000 प्रतिवर्ग कि.मी है।

वर्ग क्रमांक चार अपने में सबसे व्यापक क्षेत्र को समाहित करता है। इसमे वार्डो की कुल संख्या 36 है। इसका घनत्व 46500 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी से कम है। इसमे नेगर की सम्पूर्ण 70 गंदी बस्तियां पाई जाती है क्योंकि इसमें औधोगिक क्षेत्र मंडी, प्रागंण वाले क्षेत्र है जहां रोजगार सुलभ है तथा नदी वाला क्षेत्र है, जहां पुरानी गंदी बस्तियां स्थित है।

नगर में वार्डानुसार जनसंख्या तथा मकानों का घनत्व प्रदर्शित किया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वर्ग क्रमांक 1 में है, जहां मकानों की संख्या 918 है तथा मकान रहवासियों का औसत घनत्व 12.09 है जो कि द्वितीय वर्ग से कम है। इसका मुख्य कारण है कि वर्ग क्रमांक 1 व्यवसायिक क्षेत्र है जिसमे अधिकांशतया व्यवसायी दिखाई देते है। तथा दूसरी या तीसरी मंजिल पर रहवासी क्षेत्र है द्वितीय वर्ग में रहवासियों की सर्वाधिक संख्या 13.33 है यह क्षेत्र अधिकांशतया आवासीय है द्वितीय वर्ग में 1585 मकान है।

तृतीय वर्ग में मकानों का रहवासियों की औसत संख्या 12.72 है, यहां 2659 मकान है।

वर्ग क्रमांक चतुर्थ में रहवासियों का औसत संख्या 11.54 है। इसका मुख्य कारण यह क्षेत्र नगरीय केन्द्र से दूर बसा उच्च रहवासी क्षेत्र है। यहाँ सभी वार्डो का औसत क्षेत्रफल 81.13 वर्ग किमी है।

इस वर्ग के किसी वार्ड में तो रहवासी औसत संख्या 7 और 8 है। यह क्षेत्र केन्द्रीय नगर की तुलना में खुला हुआ है तथा यहां अधिकांशतया औद्योगिक क्षेत्र, कालेज, स्कूल, दफतर, मण्डी प्रागंण आदि आते है।

नगर एक ओर जहां जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर आवास समस्या विशेष रुप निम्न तथा गरीब वर्ग के लिए भीषण रुप ले रही थी। जिन परिवारों को आवास उपलब्ध न हो सके वे परिवार गंदी बस्तियों में रहने के लिए बाध्य है। नगर की बढती हुई जनसंख्या नगर के मध्य भाग में स्थान न मिल रुकने के कारण नगर के बाहर स्थान उपलब्ध तथा सस्ते मकान जो मुख्तया टीन, बॉस, पुष्टे, प्लास्टिक, मिटटी आदि के बने होते है। उज्जैन नगर में जहां एक ओर उंची अंटालिकाएं एवं भव्य ईमारते है वही दूसरी ओर मकान गंदी बस्तियां विकसित हो रही है।

गंदी बस्तियों के बसने का मुख्य कारण सामान्यत: नगरीय क्षेत्र का फैलाव तथा औद्योगिक है, उज्जैन नगर में औद्योगिकरण की शुरुआत सन् 1891 में नजर अली मिल की स्थापना के साथ हुई। 1915 तथा 1929 में विनोद मिल्स तथा हीरा मिल्स की स्थापना हुई। इन मिलों में कार्य करने वाले मजदूरो ने ही संभवत: मिल क्षेत्र में अपनी अस्थायी झोपड़िया बनाई।

जो आगे चलकर इन गंदी बस्तियों में बदल गई। 1964 तक नगर की

*शासकीय आर्टस एवं कॉमर्स (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

सभी मिलो की स्थापना हो चुकी थी। इन मिलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। अत: उज्जैन के निकटवर्ती क्षेत्रों से अकुशल श्रमिको का इंदौर आना जारी रहा। इनमें प्रमुख औद्योगिक गंदी बस्तियों हीरा मिल की चाल, संजय नगर, राजीव नगर, सेंटपाल के सामने, फाजलपुरा, देसाई नगर, शांति नगर, इंदिरा नगर, राजेन्द्र नगर, श्रीराम नगर, निमवासा, बजरंगपुरा आदि। वैसे तो लगभग सभी गंदी बस्तियों में औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति रहते है, क्योंकि वर्तमान में उज्जैन नगर की मात्रा दो मिले चालू बाकी बंद पडीहै। पाईप फैक्ट्री, डालडा फैक्टी, मार्डन फुड बेकरी आदि बंद पडी है। इन फैक्टियों में कार्य करने वाले श्रमिकों को आय का साधन न रहने के कारण गंदी बस्तियों की ओर जाने लगे क्योंकि बस्तियों के आवासों का मूल्य न्यून होता है। एक यह कारण भी गंदी बस्तियों के बनने का है।

नोट हीरा मिल की चाल उज्जैन नगर की बहुत बडी गंदी बस्ती है परंतु नगर निगम द्वारा कागजो पर इसका उन्मूलन कर दिया। इस कारण उसे अपनी सूची में नहीं लिया है।

उज्जैन नगर में कुछ बस्तियां प्राचीनकाल से है, जैसे भेरुगढ थाने के सामने, जूना सोमवारिया, दानीगेट, हरिजन बस्ती, भेरुनाला, कामदारपुरा हम्मालवाडी भेरुग्गढ तोडी नृसिंह घाट झुग्गी झोपड़ी नाले के किनारे बेगमआदि है। इनमें से कुछ तो 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। अधिकांश बस्तियों के बच्चे मकानों का प्रतिशत अधिक है। इसमें पीढ़ियों से गरीबी के कारण लोग निवास करते आ रहे है। इन सभी बस्तियों का विकास नगर के केन्द्रीय भाग के निकट हुआ है।

नगर में तीव्र औद्योगिकरण के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या उज्जैन नगर के रोजगार के प्रति आकर्षित होने लगी। जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि के कारण इस समय नगर के सभी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का विकास होने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने वाली जनसंख्या प्रारंभ में रेल्वे प्लेटफार्म, फुटपाथ, पुल के नीचे तथा प्रमुख मार्गो के आसपास रहती है। कार्यस्थल की निकटता के कारण वही स्थान उनका स्थायी निवास बन जाता है जो धीरे धीरे गंदी बस्तियों का रुप ले लेता है।

नवीन गंदी बस्तियों में शांति नगर चूने के भटटे के पास वाल्मिकि नगर, दमदमा, कमला नेहरु नगर, गांधीनगर नागाझेश्री, इंदिरा नगर विक्रम नगर, श्रीकृष्ण कालोनी, विष्णुपुरा आदि आती है। ये बस्तियों पुरानी गंदी बस्तियों की अपेक्षा स्वच्छ है।

यहॉ पक्के, अर्द्धपक्के मकान कहीं कहीं दो से तीन मंजीले मकान, पक्की सडके एवं अन्य नारिक सुविधाए उपलब्ध है। इन बस्तियों में लोगों का रहन सहन का स्तर भी अन्य बस्तियों को अपेक्ष अच्छा है।

पुराने ग्रामीण निवास – नगर की बढती हुई जनसंख्या के कारण नगर का क्षेत्र जनसंख्या की तुलना में कम पडने लगा। नगर में जनसंख्या घनत्व 3908.36 प्रतिवर्ग किमी है। नगर का क्षेत्रीय विस्तार नगर निगम की सीमा को लांघने लगा। इस बढती जनसंख्या से निपटने के लिए म.प्र शासन के सहयोग से उज्जैन नगर पालिका निगम ने गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 3 के अंतर्गत सितम्बर 1990 में 20 ग्रामो को गंदी बस्ती क्षेत्र घोषित किया जो इस प्रकार –

मौजमखेडी, रघुपुरा, भेरुपुरा, खिलचीपुरा, जसदाबल, मुल्लापुरा, गोयलाखुर्द, मोहनपुरा शंकरपुरा, निमनवासा पंचासा, पण्डयाखेडी।

इन गांवो की 20000 के करीब जनसंख्या है। प्रति गांव 5 एवं 100 कच्चे मकान है। इस तरह कुल 2100 मकान है, प्रति गांव 5 एकड़ जमीन पर बसा है।

ये बस्तियां नगरीय गंदी बस्तियों से निम्न है। नगरीय बस्तियों में जहा क्षेत्रफल कम, जनसंख्या अधिक है, वही इन ग्रामीण बस्तियों का क्षेत्रफल अधिक जनसंख्या की कमी, शिक्षा का अभाव, कच्ची झोपड़िया **(मेप देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

जो मुख्तया लकडी, मिटटी गोबर आदि की बनी है, रहन सहन का निम्न स्तर कृषि मजदूरी में संलग्न जनसंख्या आदि यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इन बस्तियों में अभी भी बिजली एवं कच्ची सडक के अतिरिक्त अन्य नागरिक सुविधा का अभाव है। नगर के बाहरी मार्गो पर इनका बसाव अधिक है।

उज्जैन नगर की गंदी बस्तियां सम्पूर्ण नगर में इधर उधर फैली है। वर्तमान में नगर 70 बस्तियां है जिनमें 50 बस्तियां नगरीय क्षेत्र की है तथा 20 गंदी बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। इन गंदी बस्तियों में नगर की कुल जनसंख्या की 18.62 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

नगरीय क्षेत्र की 50 बस्तियों में 66826 व्यक्ति 7.97 वर्ग किमी पर रही है। अर्थात कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। 8384.69 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी रहते है, जहां 7312 मकान में रहते है।

उज्जैन नगर की 41.7 प्रतिशत गंदी बस्तियों में 0–500 तक की संख्या में लोग निवास करते है। भेरुगढ थाने के सामने अनुपात क्षेत्र की बस्ती नामदारपुरा, फाजलपुरा, रा.पनि कालोनी, कहारवाडी, नृसिंह घाट, बेगमगाम कालोनी, महाकाल प्रसुति गृह के पास, राजीव नगर, आदर्श राजीव नगर, वाल्मिकि नगर, दमदमा, कमला नेहरु नगर, गांधीनगर, कालापत्थर, अजाद नगर, होमगार्ड केम्प के पीछे आदि। इंदिरा नगर कालोनी नागेश्वर नगर, दुगा कालोनी आदि सम्मिलित है। कुल मिलाकर 20 गंदी बस्तियां शामिल है।

21.56 प्रतिशत बस्तियों में 500 से 1000 तक की जनसंख्या निवास करती है।

सान्दीपन मार्ग वाली बस्ती, अवन्तिपुरा, फाजलपुरा गली नं. 4, शांति नगर चूने के भटटे के पास, बजरंगपुरा दानीगेट, हरिजन बस्ती, श्रीरामनगर, संजय नगर, दुर्गा कालोनी, कमल कालोनी, राजीव नगर, सेंटपाल स्कूल के सामने। कुल मिलाकर इनमें 11 बस्तियों में लोग जीव व्यतीत करते है।

19.6 प्रतिशत बस्तियों में 1000–1500 की जनसंख्या है। **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

राजेन्द्र नगर, विष्णु कालोनी, दुर्गा कालोनी, ईदगाह, शंकरपुरा पावर हाउस के पास, राजीव गांधीनगर, विक्रम नगर रेलवे स्टेशन, न्यू इंदिरा नगर, बंगाली कालोनी, भेरुगढ तोडी, छमिया कब्रिस्तान। इस तरह ये कुल 10 गंदी बस्तियां है।

5.89 प्रतिशत बस्तियों में 1500–2000 तक की जनसंख्या है। ये बस्तियां इंदिरा गांधी खिलचीपुर जूना सोमवरा, शांति नगर। इस तरह यह कुल 3 बस्तियां है।

1.96 प्रतिशत बस्तियों में 2000 से 2500 तक कि जनसंख्या कामदारपुरा बस्ती में निवास करती है।

7.86 प्रतिशत बस्तियों में 2500 –3000 तक की जनसंख्या है। ये बस्तिया श्रीकृष्ण कालोनी, देसाई नगर, अम्बर कालोनी, भेरुनाला इस तरह कुल चार बस्तियां है।

1.96 प्रतिशत बस्ती में 3500 से 4000 तक की जनसंख्या कालियादेह गेट में निवास करती है।

नगर की 51 गंदी बस्तियों का विस्तृत अध्ययन करना संभव नहीं इसलिए नगर के विभिन्न भागों से कुछ प्रतिनिधि बस्तियों का चुनाव किया गया। इस प्रकार 30 गंदी बस्तियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध में यधपि औद्योगिकरण नगरो के विकास

का पर्यायवाची बन चुका था फिर भी इसका दूसरा पक्ष अत्यंत गंभीर है। सामाजिक प्रदूषण नामक व्यापक शब्द में चोरी, हिंसा, हत्या, जुआ, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, शराबखोरी आदि सम्मिलित है। ये नैतिक मूल्यों को गिराते है तथा सामाजिक चेतना को कमजोर बनाते है। यह सामाजिक प्रदूषण गंदी बस्तियों का अविभाज्य अंग है। इन नैतिक अपराधो में वैश्यावृति सबसे घृणित कार्य है। एक छोटे से कमरे में सम्पूर्ण परिवार का निवास, भाव गरीबी आदि बाते महिलाओं को इस अपराध की ओर ठकेलती है। पुलिस थानो से प्राप्त आकडो के आधार पर चोरी, बलात्कार, हत्या, मारपीट, छेडछाड संबंधी 70 प्रतिशत घटनाओ में गंदी बस्तियों के लोग अपराधी पाए गए। निरक्षरता इन सब अपराधों की जननी है।

जब तक मानसिकता नहीं बदलती सोच नहीं बदलता ये बदल नहीं सकते। गंदी बस्तियों के निवासियों का जीवन सबसे दुखद पक्ष यह है कि वे इस जीवन को स्वीकार कर लेते है। असंतुष्ट व्यक्ति कर्तव्यों के प्रति हमेशा उदासीन होता है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के परिवतन का प्रयास करना बदलाव की आशा निरर्थक है। अत: इनकी चेतना को जगाना होगा ताकि वे सुंदर स्वच्छ ध्येयवादी जीवन की ओर आकर्षित हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Bergel, E.E. - “The nature of slums” in Desai A.R. & Pillai S.D. PP 39-43 1995
2. Clinard M.B.S. Chatterjee - Urban Community Development in India, the Delhi Pilot Project in Turner R (Ed.)
3. Carter, N - The study of Urban Geography, Edward Arnald, London
4. Desai A.R. & Pillai S.D. - Slum of Urbanization popular Prakashan, Bombay 1970
5. Dickinson R.E - The West European City a Geographical Integration Roullage & Kegan Paul Ltd London 1962
7. Jain K.C. - Malwa througha the ages Delhi 1972
8. Kain, J.F. - “Post Ward changes in land use in the American City” in Moynihan D.P. (ed.) PP 81-92
9. बसंत सुरेशचन्द्र – नगरीय भूगोल, पृ 180–190
10. गांधी शांति प्रतिष्ठान – देश का पर्यावरण पृ. 53, 1984
11. संतराम – अलबरुनी का भारत प्रयाग 1924
12. सिंह ओमप्रकाश – नगरीय भूगोल
13. वाकणकर, वी.एस और आर्य एस.के. – मालवा एक सर्वेक्षण उज्जैन 1972
14. विध्यालकर एस – मध्यभारत: जनपद अभिनंदन ग्रंथ नई दिल्ली 1954

तालिका – गंदी बस्तियों में जनसंख्या वृद्धि

सन	नगर की कुल जनसंख्या	गंदी बस्तियों की जनसंख्या	कुल जनसंख्या में गंदी बस्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत
1971	208256	35000	16.80
1981	282203	42187	14.95
1991	362266	66826	18.44
संभावित	415603	87826	21.13
2001			

स्त्रोत – उज्जैर नगर पालिका निगम

उज्जैन नगर में वार्डनुसार
जनसंख्या, घनत्व तथा मकानों का घनत्व

वर्ग क्रमांक	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि.मी.	सम्मिलित वार्ड क्र.	वार्डो की संख्या	वार्डो का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	गंदी बस्तियों की संख्या	मकानों की संख्या	मकानों में रहवासियों की संख्या
1	139500 185033	31	01	0.06	निरंक	918	12.09
2	93000.139500	161930	03		निरंक	1585	13.33
3	46500.93000	1112132325	05	0.20	निरंक	2659	12.72
4	0.465600	1234567 8910141517 1820212224 2627282932 3334353637 3839404142 434445	36	0.59 81.13	70	27588	11.54
		45	**45**	**92.69**	**70**	**32750**	**12.42**

उज्जैन नगर – जनसंख्या गंदी बस्तियों में जनसंख्या

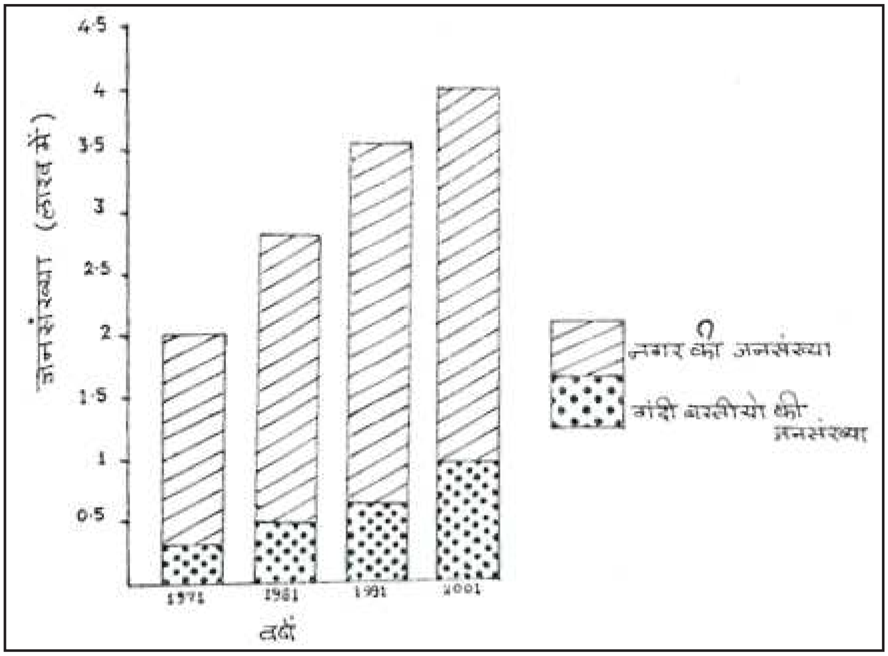

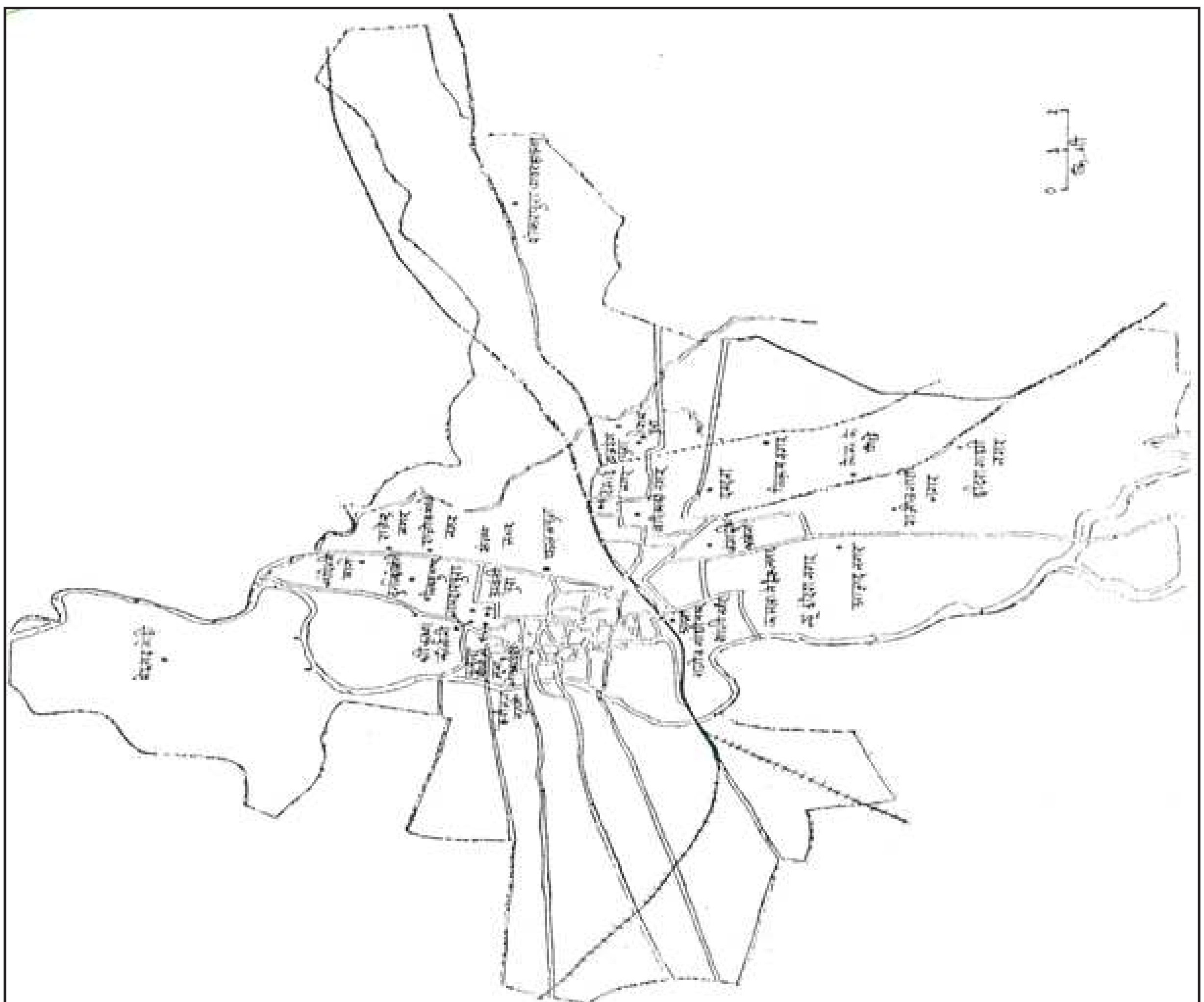

****

बैतूल जिले में कृषि संसाधन का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. प्रताप सिंह राजपूत *

प्रस्तावना – देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत एक विशाल देश है। विभिन्न राज्यों में प्राप्त आर्थिक विकास का स्तर ही अंतत: देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करता है किसी विशेष क्षेत्र में कृषि विकास का मुख्य रूप से अर्थ है। भूमि की उत्पादकता का लागत के उच्च स्तर के संदर्भ में महत्व कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादकता की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करना एवं आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करना है ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो पाए। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र का विकास इसलिए योजनाकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों एवं भूगोलविदों के लिए यह मुख्य चिंता का विषय रहा है। यह क्षेत्र उन्हें चुनौती प्रदान करता है ताकि सम्पूर्ण सुधार हेतु नए तरीके एवं रास्ते ढूंढे जा सके।

शोध का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध में सर्वप्रथम कृषि और संसाधन की प्रकृति और प्रकृति के मध्य संबंधी अध्ययन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है –

1 शोध क्षेत्र के विभिन्न भागों के भौतिक और सांस्कृतिक परिवेश में कृषि उत्पादन संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करना।
2 कृषि संसाधन के विकास की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
3 कृषि भूमि उपयोग के संभावित परिवर्तन का विश्लेषण करना।
4 कृषि उत्पादन क्षेत्र का निर्धारण करना।
5 भूमि उपयोग की दृष्टि से कृषि सुविधाओं इस क्षेत्र के कृषक आर्थिक प्रगति की ओर अग्रषित करना।

अध्ययन क्षेत्र – बैतूल जिला प्राकृतिक रूप से सम्पूर्ण जिला सतपुड़ा पठार पर औसत समुद्र तल से 365 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। सामान्य ऊँचाई लगभग 609 मीटर है। सतपुड़ा का पठार पूर्व में ऊँचा है और पश्चिम की ओर इसकी ऊँचाई धीरे-धीरे कम होती जाती है। दक्षिण की ओर बरार के मैदान और उत्तर में नर्मदा की घाटी में यह अत्यधिक ढालू हो गया है।

बैतूल जिले मध्यप्रदेश की पवित्र नदी के उद्गम स्थल का गौरव प्राप्त है। इसकी स्थिति 21°22 से 22 °23 उत्तरी अक्षांश एवं 77 °10 से 78 °33 देशान्तर के मध्य है। इस जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र का अमरावती जिला, पूर्व में छिन्दवाड़ा जिला, पश्चिम में खण्डवा और उत्तर में होशंगाबाद जिला स्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बैतूल जिला का क्षेत्रफल 1007800 हेक्टेयर भूमि है। जिले की अधिकतम लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 161 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लम्बाई केवल 106 किलोमीटर के लगभग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बैतूल जिले की कुल जनसंख्या 1575247 है। जिसमें 8 तहसील एवं 10 विकासखण्ड है और सम्पूर्ण जिले में 1395 गांव है।

भूमि उपयोग – भूमि उपयोग अध्ययन स्थानिक शोध संबंधी केन्द्रीय विषय होता है एवं संसाधन विकास योजना किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अनेक उपयोगों के संबंध में सटीक एवं मौलिक जानकारी पर निर्भर करती है। भूमि उपयोग का तरीका चार कारकों पर निर्भर करता है- भूमि, जल, हवा एवं मनुष्य यह बताता है कि मनुषय ने अपने अस्तित्व के लिए किस स्तर तक संघर्ष किया है। इसलिए भूमि उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन भूगोलविदों के लिए मुख्य अध्ययन का विषय रहा है ताकि मनुष्य एवं नैसर्गिक पर्यावरण के बीच संबंध को जाना जा सके। लोगों की बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती क्षमता एक कारण है, जिससे वे उच्च स्तर की तकनीक का उपयोग कर भूमि का अधिकाधिक लाभ उठा सके किसी दिए हुए स्थान एवं समय पर भूमि का उपयोग पांच समूहों के कारकों पर लिए गए निर्णय पर आधारित होता है। पर्यावरणीय तकनीकी, आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक। इन समूहों में से पर्यावरणीय एवं आर्थिक पक्ष का महत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि पर्यावरण विशेषता भूमि की प्रकृति मिट्टी का स्वभाव एवं भूमि उपयोग पद्धति क्षेत्र में अलग-अलग होती है। इस प्रकार आर्थिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रतिरूप को निर्धारित करता है। वह केवल आर्थिक कारक ही है जो ऊसर भूमि का प्रतिशत दो बार बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत एवं कुल बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत निर्धारण करता है। आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारक दोनों क्षेत्रों में रबी एवं खरीफ फसलों के अनुपात का निर्धारण करता है।

बैतूल जिले में वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिरूप विभिन्न कारकों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं एवं मेल मिलाप के फलस्वरूप पैदा हुआ है। जैसे कि भूमि की प्रकृति, कृषि के लिए पानी की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, किसानों की आर्थिक स्थिति इत्यादि। बड़े एवं व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो प्राकृतिक देन एवं तकनीकों में आए परिवर्तनों के फलस्वरूप मौजूदा भूमि उपयोग प्रतिरूप में एक निश्चित सुधार हुआ है। जो कि क्षेत्र के लाभ में है। प्रस्तुत अध्ययन बैतूल जिले में वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिरूप एवं उसमें आए परिवर्तनों का एक ब्यौरा प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत अध्ययन भूमि उपयोग वर्गीकरण पर आधारित है।

(सारणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

कुल बोया गया क्षेत्र – सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कुल बोया गया क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि उपयोग का एक प्रकार है, जो कुल बोए गये क्षेत्र का उच्च अनुपात भूमि की उच्च योग्यता एवं गुणवत्ता दर्शाता है। यह भूमि क्षेत्र में समाज के आर्थिक विकास के स्तर को भी दर्शाता है। कुल बोये गये क्षेत्र का उच्च अनुपात जनसंख्या के उच्च दबाव में परिणित होता है जबकि कुल बोया गया क्षेत्र इस प्राकृतिक संसाधन पर जनसंख्या का कम दबाव दर्शता है। सामान्यत: क्षेत्र में कुल बोया क्षेत्र का अनुपात तीन कारकों द्वारा निर्धारित होता है।भौतिक, संस्थागत,आर्थिक अध्ययन क्षेत्र में भूमि की प्रकृति, मिट्टी के गुण, सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता, कृषकों का सामाजिक,

* अतिथि विद्वान (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, सारनी (म.प्र.) भारत

आर्थिक स्तर एवं भूमि संसाधन पर जनसंख्या दबाव कुल बोए गए क्षेत्र के अनुपात को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले कारक है। इनमें मिट्टी के गुण, अवगुण एवं सिंचाई के पानी की उपलब्धता अत्यंत महत्व रखती है। अध्ययन क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र का 43.71 प्रतिशत कुल बोए क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

एक बार में अधिक बोया गया क्षेत्र–किसी भी क्षेत्र विशेष का कृषि विकास एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र के द्धारा नियंत्रित एवं निर्धारित होता है। दो बार बोए गए क्षेत्र का अधिक अनुपात उच्च कृषि विकास का सूचक है विशेष कर सिंचाई सुविधाओं का उच्च विकास वर्ष 2015-16 में उर्वरकों का उच्च उपयोग बीजों की उच्च उत्पादन श्रेणी का उच्च अनुपात एवं कृषि में यांत्रिक कारण का उच्च उपयोग 163979 हेक्टेयर भूमि दो बार बोये क्षेत्र के अंतर्गत है। जो कि वर्ष 2015-16 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.27 प्रतिशत है। जोकि राज्य के औसत से ज्यादा है।

सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र – सम्पूर्ण बोए क्षेत्र के अंतर्गत विशुद्ध कृषि क्षेत्र एवं एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र को शामिल किया गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र का अनुपात क्षेत्र में कृषि विकास के सामान्य स्तर को दर्शाता है क्योंकि कृषि विकास एवं सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र के अनुपात के बीच एक सीधा संबंध होता है। बैतूल जिले में सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र लगभग 2015-16 में 604555 हेक्टेयर है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 59.98 प्रतिषत है।

निष्कर्ष –किसी भी देश में कृषि उत्पादन विशेषकर खाद्यान्न उत्पादन मुख्य रूप से कृषि सुविधायं जैसे सिंचाई सुविधा, उर्वरकों का उपयोग, उच्च श्रेणी बीज के अंतर्गत क्षेत्र इत्यादि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन संसाधन का कृषि उत्पादन ऊर्जा में परिणित होता है। कृषि विभिन्न आर्थिक पक्षों के समायोजन पर निर्भर करती है और ये बेहतर तकनीकी समन्वय से ही संभव होगा है। कृषि में तकनीकी परिवर्तन से नयी कृषि पद्धति को बल मिलता है। जो कि शोध एवं खोज के द्धारा विकसित की गई होती है। इनका उद्देश्य किसानों को अच्छा आर्थिक फायदा देना एवं कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना होता है।

सुझाव –

1 खरीफ व रबी की फसलों का क्षेत्रफल 2015-16 में 440576 था इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
2 किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
3 जो भूमि शोध क्षेत्र में पढ़ती पड़ी है तो उसे कृषि योग्य बनाई जाए।
4 कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए।
5 मुर्गी पालन एवं मतस्य पालन के लिए प्रेरित करे।
6 उन्नत तकनीकि का बहुतायत में प्रयोग किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1 डॉ. माजिद हुसैन– कृषि भूगोल ।
2 डॉ. यू.वी. सिंह– मध्यप्रदेश में कृषि विकास प्रतिरूप का अध्ययन ।
3 एस.सी.जैन– भारत में कृषि विकास ।
4 डॉ. अली मोहम्मद – कृषि का भौगौलिक अध्ययन ।

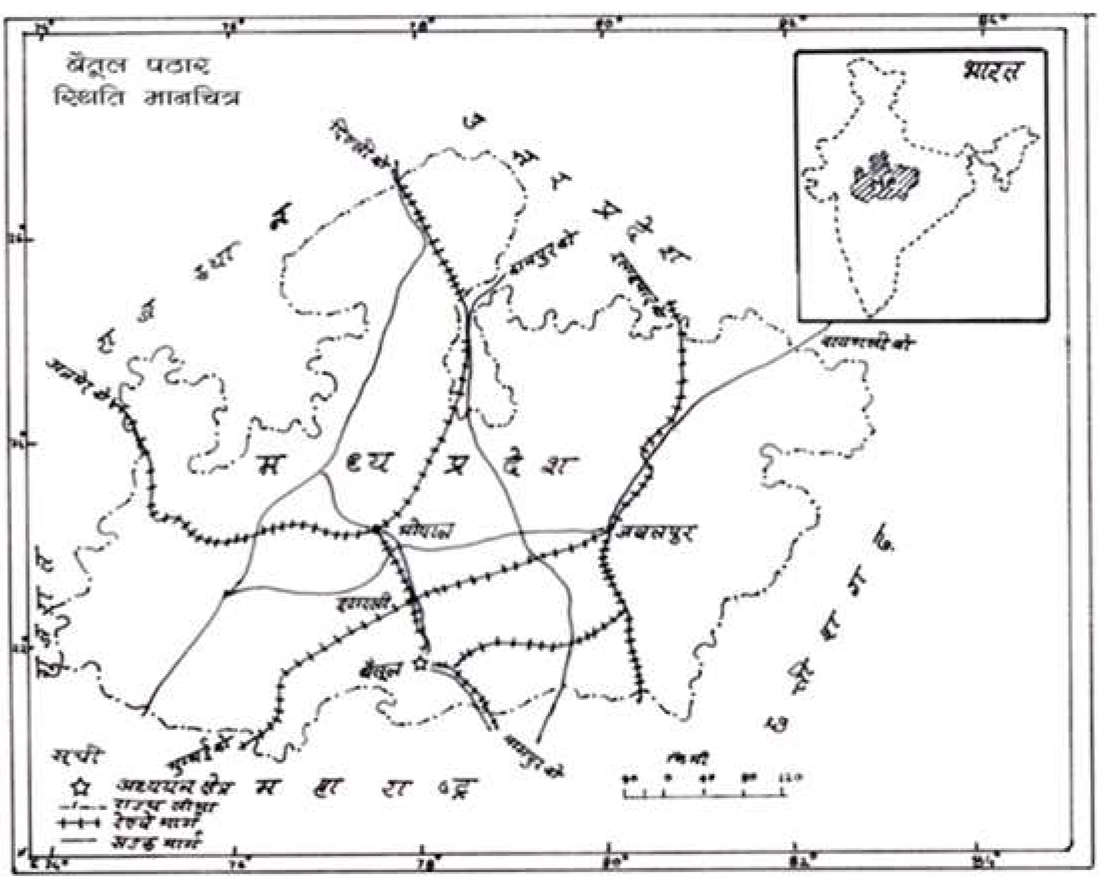

बैतूल जिला

भूमि उपयोग (2004-05 से 2015-16)

स. क्र.	भूमि उपयोग संवर्ग हेक्टेयर में	2004-05	प्रतिशत	2015-16	प्रतिशत	परिवर्तन
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1007800	100	1007800	100	
2	वन	396377	39.33	4084298	28.08	11.25
3	कृषि के अनुपलब्ध भूमि	72740	7.21	46852	4.64	2.57
4	कृषि बंजर भूमि	42432	4.21	25942	2.57	1.64
5	मस्तकित एवं चारागाहों अंतर्गत	27466	2.74			
6	दीगर झाड़ों के झुण्ड एवं झाड़ियां	4	0.0039			
7	पढ़ीत भूमि	67754	6.77	38765	3.84	2.93
8	निरा फसल क्षेत्रफल	401026	39.79	440576	43.71	3.92
9	दो फसली क्षेत्रफल	128490		163979		
10	कुल बोया गया क्षेत्रफल	529516		604555		

स्रोत - भू-अभिलेख विभाग बैतूल

****

Karnad's Interpretation of History : Tughlaq

Dr. Anurodh Chadar *

Introduction - Man's approach to life is determined by his surroundings and cultural set up. He observes incidents and situations imbibes ideas and instinctively allows his mind to be shaped accordingly. He reacts to the current phenomenon favourably or unfavourably according to his understanding or sensibility and possesses a natural urge to reorganise things as he wishes them to be so that it suits to his taste and which he considers proper and just. It is ingrained human sensibility that man loves order, beauty, systemic arrangement and experience which become the basis of his approach. This is reflected in the attitudes, notions of the people in all societies and governments. A clash of approaches is witnessed when objectives vary. But overall the basics of human sensibility remain the same throughout the globe.

Girish Karnad, therefore, revaluates the past-history, myth, tradition, custom- as he understood, it really was or as it could have been or as the contemporary sensibility wishes it to be.

Interpretation of History - In the series of Karnad's historical plays, his play *Tughlaq* (1964) is based on the story of the fourteenth century ruler of India. Muhammad-bin-Tughlaq. In *Tughlaq* Karnad highlights that idealism without practical realism could lead to disaster. The play was hailed for its contemporary relevance. Besides this, there are several reasons for its popularity. U.R. Anantha Murthy mentions one of these saying :

Another reason for Tughlaq's appeal Indian audience is that it is a play of the sixties and reflects as no other play perhaps does the political mood of disillusionment which followed the Nehru era of idealism in the country.[1]

The play opens with a dialogue between an old man and a young man who introduces Sultn Muhammad-bin-Tughlaq, the hero of the play. The playwright seems to have been influenced by Shakespeare in his manner of exposition of characters and human motives. Somewhat like Gloucester and Kent in Shakespeare's *King Lear* secondary characters introduce the king :

Old Man - I don't know. I we been alive a long time seen many Sultans but I never thought I would live to see a thing like this.

Young Man - Your days are over old man. What's the use of Sultan's who didn't allows a subject within a mile's distance. This King now he isn't afraid to be human.[2]

The scene throws light on the lurking suspicion between the Hindus and the Muslims in the year 1327 A.D. and hints that Tughlaq is immensely religious, he has no partiality for any particular community. That all are equal before justice is evident from his announcement to restore the property of Vishnu Prasad a Brahmin of Shiknar whose land has been illegally seized by the officers of the state. The Sultan's sense of justice and fair play is so strong that besides restoring the piece of land to Vishnu Prasad, he announces his decision to appoint the Brahmin in the service of the state. When the Sultan himself appears on the scene he makes yet another startling announcement which evinces his adherence to secularism. He proclaims :

……. This year the capital of my empire will be moved from Delhi to Daulatabad.

…… Your surprise is natural but I beg to realize that this is no mad whim of tyrant. My ministers and I took this decision after careful thought and discussion.

……. But for me the most important factor is that Daulatabad is a city of the Hindus and as the capital it will symbolize the bond between Muslims and Hindus which I wish to develop and strengthen in my kingdom. I invite you all the accompany me to Daulatabad.[3]

The assembly is shocked to hear the words "mad whim of a tyrant" The utterance is so suggestive that they are taken up by a crowd once the king leaves. The people gather there, indulge in gossip and the third man refers to Sheikh Imam-ud-bin as the King's arch-rival who has publicly proclaimed in Kanpur that the Sultan was guilty of killing his father and brother. The third man, significantly enough points at the certain physical resemblance between the King and the Sheikh-similar mannerism similar gestures etc. Thus the King and the Sheikh are drawn with subtle parallelism and contrasts between them. The crowd disperses. Only Aazam is left behind to see the Brahmin Vishnu Prasad. After some time the Brahmin appears and Aazam is stunned to discover that this Brahmin is Aziz a clever and cunning "dhobi" (washerman) who has disguised himself as Vishnu Prasad because he has suddenly realized that there was no future in being a "dhobi". Aazam is a pick-pocket and Aziz persuades him to be his assistant he

* Varishta Adhyapak (English) Govt. Excellence H.S.S. Silwani, Distt. Raisen (M.P.) INDIA

says -

Aziz - ….. I'll bet you a job under me. You know a Brahmin with a Muslim friend the Sultan will like that.

Aazam - No thanks, I'm quite happy.

Aziz - Come along. It won't be long. I don't intend to be a Brahmin all my life. There's money here and we'll make a pile by the time we reach Daulatabad.

Aazam : And then?

Aziz : How should I know?[4]

A.K. Sinha compares Aziz with Falstaff and Iago in Shakespeare's King Lear and Othello respectively. Aazam appears to be a Roderigo (a moneyed fool in Shakespeare's Othello) in the hands of this ever planning Iago.

In scene two the Sultan is theatrically confiding in his step-mother -

I pray to the Almighty to save me from sleep. All day long I have to worry about tomorrow but it's only when the night falls that I can step beyond all that.[5]

The emperor wants to climb up the tallest tree in the world and ask his people to confide in him and reveal their worries to him. He says -

But then how can I spread my branches in the stars while the roots have yet to find their hold in the earth? I wish I could believe in recurring births like the Hindu but I have only one life, one body and my hopes my people my God are all fighting for it. Tell me how dare I waste my time by sleeping?[6]

As the Sultan prepares to leave for Kanauj news arrives regarding the twin danger the march of Ain-ul-Mulk with his powerful army and that of the arrival of Shikh Imam in Delhi. Najib a politician and Barani a historian, two confidants of the Sultan warn him against Ain-ul-Mulk who might be a traitor and rebel against him. Muhammad who is apparently unruffled, decides to start for Kanauj the day after the next day. Jajib will look after the administration in his absence. Besides this he has invited Shihab-ud-din the Prince of Sampanshahar to be there. When he goes out to Kanauj, he says:

……. The Amir there doesn't like me very much so I thought inviting his son would be a nice friendly gesture.[7]

Third scene opens with Muhammad and Sheikh Imam-ud-din, an orthodox Muslim, standing in front of the Big Mosque. Sultan the clever manipulator has arranged a prayer meeting here in the honour of the Sheikh and also to listen to him. It is actually a trap laid cleverly by the Sultan. The people seeing through this stay away from the meeting. When the Sultan asks his servant to tell the Vizier to call the Khans, Amirs and Sardars to the meeting. Iman-ud-din remarks that he has not come there to speak to a assembly of courtiers. He demands :

…….. What's the point in my addressing a gang of bootliekers? I want to speak to the people who are willing to act who are willing to do something for Islam and the country. If no one comes today well no matter. I'll go to the market place tomorrow and speak there.[8]

The Sultan however, persuades the Imam to go as his envoy and dissuade Ain-ul-Mulk of Avadh from advancing towards Delhi at that moment. The Imam accepts this request although he does not trust the motives of the King and feels that he is left with no other alternative.

In scene four Karnad takes us back to the Sultan's palace where Muhammad Tughlaq returns from Kanauj. When his step-mother inquires about Sheikh Imam-ud-din, whom the Sultan himself has got murdered he poses frozen and speaks :

…… It was a terrible sight. They brought his body into my tent and I felt as though it was I who was lying dead there and that he was standing above me looking at me.[9]

This speech subtly brings out the parallelism and contrast between the Sultan and the Sheikh. The Sultan is indeed a master of conspiracy. That is why Ratan Singh comments:

I have never seen an honest scoundrel like your Sultan. He murders a man calmly and then actually enjoys the feeling of guilt.[10]

The Sultan is a wolf in a sheep's clothing. There is a world of difference between his thoughts and actions. Muhammad is a tactician for he just does not permit Ain-ul-Mulk work independently but gives him back the kingdom of Avadh and promises not to send him to Deccan. He also announces a state mourning for Imam-ud-din observing that when men like him die, it is a sin to be alive.

In scene five Ratan Singh the adopted brother of Shihab-ud-din a courtier has been with the Sultan in the "peace mission" Shihab-ud-din attends the secret meeting arranged by the Amirs and the royal courtiers to hold a discussion of the Sultan's policies and anti-muslim actions. The scene reminds us of the persuasion scene in Shakespeare's Julius Caesar. Shihab-ud-din who is to be instigated against the Sultan appears as Brutus being persuaded in Julius Caesar. The Amirs feel that the Sultan is taking them to Daulatabad just to weaken the muslims who are in a strong position in Delhi. The conspiracy is hatched. It is decided that the Sultan should be killed at the next meeting of the courtiers on Tuesday. For it the Muezzin's call to prayer will be the signal of attack.

Scene six takes us back to the palace of the Sultan Barani, who informs the Sultan that Ghyias-ud-din a descendant of the last Khalif Abassid is coming to call on him. Shihab-ud-din who is present at this moment compliments Muhammad for his wisdom. The Amirs observe that the sins of Delhi will be washed clean by the visit of descendant of the last Khalif. On the other hand the Sultan believes that by the time the young khalif visits Delhi, they will be in Daulatabad. Shihab-ud-din objects to the Sultan's plan and requests him :

I implore your Majesty not to move the capital to Daulatabad. I am not from Delhi myself and have no stake in it. But I Know the people of Delhi are very unhappy about the move.[11]

History repeats itself and with this aim in his mind Karnad reconstructs historical events to place before the

audience, readers and the country at large so as to enable them to draw conclusions from the facts and events.

The Sultan is every inch a shrewd politician. As a successful schemer of affairs, he is well-versed in the cunning art of polities and diplomacy. The announcements that he makes from time to time are intended to divert the attention of the simple and innocent people so as to attain clean chit in every matter. Admittedly he plays his role behind the curtain. He is eager to introduce copper currency on the pattern of China but he always seeks adequate opportunities to announce his new plans. He very well knows that in a country where there is the majority of the Hindus, it is and should be his prime concern to please the Hindus even at the cost of displeasure of the Muslims. It is no less significant on his part to pose to be an orthodox Muslim. He performs his prayers at due time though overbusy he might be in the state affairs.

The Sultan's decision to change the Capital is meant to please the Hindus. The Delhites do not appreciate his decision but he does not budge an inch from his resolution. To divert their attention he gives yet another piece of information to them so that their opinions may be divided between two issues. He declares "from next year, we shall have copper currency in our empire along with the silver dinars" and a copper coin will have the same value as a silver coin. He announces this perhaps to make cheap copper made coins easily accessible to them.

Karnad presents historical events almost in quite a natural way. The conspirators, who have already chalked out a plan to assassinate the Sultan are also up and doing. The hour of prayer arrives. As soon as the Muezzin's call begins, Muhammad unbuckles his sword and places it on the throne. Half way through the prayer, a commotion is heard off-stage. Taking this as a clue, Shiab-ud-din and the Amirs get up and pull our their daggers. But suddenly from behind the curtain about twenty loyalist Hindu soldiers rush in with spears capture the Amirs and drag them away- all except Shihab-ud-din. While all this is going on the Sultan goes on praying unconcerned. Muhammad steps down from the throne only after completing his prayer. He stabs Shihab-ud-din to death telling him ironically that he liked him "too much". He orders Najib to see that all those involved in the conspiracy are caught and beheaded their bodies stuffed with straw and hung up in the palace yard. He takes yet another step to make it public and orders :

………… Make a public announcement that there was a rebellion in the palace and that the nobles of the tried to assassinate the Sultan during prayer. Say that the Sultan was saved by Shihab-ud-din who died a martyr's death defending him. The funeral will be held in Delhi and will be a grand affair. Invite his father to and ensure that the he is treated with the respect due to the father of a loyal nobleman.[12]

The Shihab-ud-din's murder falsely declared as martyrdom evinces that politics is a game of rascals. The honour to be given to his father too is a part of the imperial policy. The hard-hearted emperor does not let his image of a noble king be tarnished at any cost. Barni's comment on the episode seems to be relevant and meaningful.

Oh God! Aren't even the dead free from your politics.[13]

Yet another announcement diverts the attention of common people. The Sultan orders everyone to leave Delhi for Daulatabad without delay. He wants Delhi to be vacated within a fortnight. He further orders a strict ban on holding prayer meetings in the capital and also orders Barani to take the dead body of Shiab-ud-din uncovered to the cremation place. When Barani asks, why? Muhammad answers, "I want my people to see his wounds". This scene reminds us of Shakespeare's famous play Julius Caeser in which the dead body of Julius Caesar is kept open at the public place. In the episode Karnad again presents Tuglhaq as a shrewd politician, who could kill his enemy easily in a single stroke without blood stain on his hands. He uses the dead body of Shiab-ud-din to impress upon people how grateful he is to his loyalists and secondly to show them he can teach a lesson to his conspirators. The episode serves two purposes- first to prove his nobility and generosity towards his loyals and secondly to give an implied indication how he fares well with the traitors.

Scene seven takes us to a camp on the Delhi-Daulatabad route Aziz, still dressed as Brahmin and Aazam fleece people mercilessly. This reminds us of Falstaff extracting a thousand pounds from Justice Shallow in Shakespeare's *Henry IV part II*. When Aazam warns Aziz that they will be caught one day, Aziz replies -

You are a hopeless case, you know Pathetic! You've been in Delhi for so many years and you're as stupid as ever. Look at me. Only a few months in Delhi and have discovered a whole new world politics. My dear fellow that's where our future is politics. It's beautiful world wealth success position power and yet it's full of brainless people, people with not an idea in their head.[14]

The conversation going on between Aziz and Aazam exhibits their cunningness and wickedness. They are rascals always involved in playing false tricks on people, exploiting them physically, mentally and financially. They do not seem to believe in earning money and power by adopting fair means. Aziz's statement provides sufficient background to believe that a wicked man may grow in power and pelf overnight if he follows foul means to do so. The scene ends with Aziz's suggestion to Aazam that instead of stealing copper coins they will make counterfeit copper coins.

In Scene VIII the playwright takes us back to the events that took place in the year 1332 A.D., five years after the shifting of the capital from Delhi to Daulatabad. It has been a painful experience for everybody since they had to suffer a lot during their journey. Detective reports reach the Sultan that only a particular industry is flourishing in his country and that is of making counterfeit copper coins. The report causes great trouble to the Sultan. Overwhelmed with anxiety and worry he passes sleepless nights. Moreover,

his people are not happy over the decision of shifting the capital and they even call him "Mad Muhammad" while the Sultan wants to be called "wise" again. At no cost can be admit that he has been wrong all those years for he still feels that he has something to give, something to teach. The mental conflict pinches deep into his mind. To add to his grief a man comes to inform the Sultan Vizier Muhammad Najib has been found murdered in his bed. The overall impression that one can gather from the events is that the Sultan is surrounded by conflicts, sad news and threats. The displeasure of his subject comes to the surface; the Sultan's image is tarnished to the extent of being called-'Mad'.

In scene IX Karnad produces dramatic relief. Aziz gives some pieces of advice to Aazam saying -

…… If you remain virtuous throughout your life no one will say a good thing about you because they won't need to. But start stealing and they'll say : What a nice boy he was! But he's ruined now ……. Then kill and they will beat their breasts and say : Heavens! He was only a petty thief all these days. Never hurt anyone.[15]

This funny remark can also be taken as an indirect comment on the fall of the Sultan himself. At this place Aziz reminds us of the Fool in Shakespeare's King Lear, Ghiyas-ud-din a descendant of Khalif Abassid is on his way to Daulatabad. Aziz and Aazam happen to see him and they murder him. Aziz searches Ghiyas-ud-din's luggage and takes out things which may prove that he is the grandson of Khalif so as to make his entry easy into Tughlaq's palace.

In scene X the playwright takes the audience back to the palace at Daulatabad where the Sultan realizes that if he does not withdraw the copper coins now, the whole economy of his Kingdom will be in shambles. Sultan is shocked to know from his step mother that it was she who had got Najib murdered. She makes him conscious of his degeneration when she reveals -

It's only seven years ago that you came to the throne. How glorious you were then, how idealistic how full of hopes. Look at your kingdom now. It's become a kitchen of death-all because of him.[16]

The Sultan not believing his step mother feels shocked to hear of the murder of his loyal courtier. It seems he takes it to be a wrong decision on the part of the step- mother. That is why he orders that she should be stoned to death publicly the next day. The orders issued by the Sultan may be justified if we interpret this episode in terms of dispensing justice. Secondly, he must have ordered her death penalty in order to look just and sincere in performing his imperial duties. Barani brings the news that Ghiyas-ud-din Abbasid will be visiting Daulatabad in the next month or so.

In the XI scene, we are taken to a plain outside the fort of Daulatabad where crowds of dejected citizens have gathered. They seem tired and hungry as they had undertaken long journey from Delhi to Daulatabad. At that time an announcer appears and announces that Ghiyas-ud-din is expected to arrive soon; hence a huge prayer meeting will be conducted. But the hungry people want food not prayer. Surprisingly enough Azis disguised as Ghiyas-ud-din appears on the scene. The Sultan steps down the fort to welcome him but there is a chaos when a Hindu woman identifies Aziz as the one who did not help her when her son was seriously ill and as such liable for her child's death.

The episode seeks to expose the difficulties which the citizens had to face during their journey. Still more they might be feeling dissatisfied with the unpleasant decision of shifting the capital. Chaos disorder and mismanagement cause trouble and grievance to the people. The Ghias-ud-din visit issue reflects treachery on the part of Aziz who in disguise of the descendant of the last Khalif shows his lust for honour and power. His wickedness and evil passions are intended to tease people and deserve condemnation.

Scene XII takes us to the palace. Aazam wants to escape so that they may avoid punishment for their false tricks. He asks Aziz to go along with him. He has arranged two horses by bribing the servants of the palace. He has also discovered a secret passage from the palace to go outside the city. The scene throws light on the character of Aazam who is so cunning that in a short time he arranges to flee from the palace of safety. He is a loyal friend too for he convinces his friend Aziz to go along with him but he does not agree to it. The scene also shows the mental condition of the Sultan who is suffering from insomnia according to Aziz and Aazam. Karnad seeks to highlight how the conspirators in days of imperial rule schemed against the royalties. He also exposes the facility of the palace servants who arrested the traitors and conspirators in their conspiracies.

The last scene of the play abounds in chaos, murder scenes, disorder and shamble. Disguised identities are revealed. Tragic element is blended with humorous situations. Witty remarks are heard. On one hand poetic justice is maintained when Aazam the wicked person is found dead while the other accomplice, Aziz is rewarded for his witty remarks. Aazam is found murdered at the mouth of a secret tunnel from the palace. The famine riots have already broken out Daulatabad is shambles. Even Barani wants to leave the place. Then Muhammad asks Aziz who he is. Aziz is obviously frightened and confesses his guilt but he displays his characteristic wit and humour when he says :

…….. What is I am a dhobi. Your Majesty? When it comes to washing away filth no saint is a match for a dhobi.[17]

Muhammad laughs and admits that the man is a genius. When the Sultan asks Aziz what punishment should be given for his guilt Aziz replies that he should be made an officer in his state. The Sultan appoints him an officer in the army in Deccan saying that perhaps a state office really would be the best punishment for him. Muhammad also announces that :

There is only place to go back to now Delhi. Back to Delhi. Barani I have to get back to Delhi with my people.[18]

Muhammad suddenly feels tired and sleepy. For five years he has not got sound sleep. Now suddenly it is coming back. The Muezzin's call to prayer is heard and as that call fades away the Sultan suddenly opens his eyes and looks around dazed and frightened as though he cannot understand where he actually is.

The play comes to an end with Sultan's realization of his blunders, failures both in politics and in personal relations. From the very beginning he has been a usurper who came to the throne after getting his father and brother murdered during prayer time. The prayer plays a significant role throughout the play. Though the prayer is a symbol of the performance of religious act meant to bring holiness of heart and peace of mind yet in the play Tughlaq the performance of prayer symbolizes committing murder and planning intrigues. The Sultan himself was planned to be murdered by Shiab-ud-din and Amirs at the prayer time. The Muezzin's call is a call for death or murder. The phrase reminds us of the opening line of Gray's "Elegy Written in a Country Churchyard".

'The curfew tolls the knell of parting day'

The murder scenes in the play resemble those in Shakespeare's play Julius Caesar. Implicitly there are traces of the influence of Shakespeare on the plays of Karnad.

Conclusion - Significant interpretation of *Tughlaq* by Vijay Dharwadkar shows how Karnad defies the traditional presentation of drama as either tragic or comic, rather adapts the heroic and the satiric. This satiric mode employs irony, invective and ridicule for the purpose of attack; the heroic mode adopts an idealistic, romantic or sentimental stance for the purpose of celebration P. Ramamoorthy points out to the theatricality of *Tughlaq* and his need of an audience as an actor and the subtlety with which he performs compared to Aziz who is like Tughlaq but only gross in his approach. Rita Kothari in her assessment of *Tughlaq* refers to Jan Muhammad, Mircea Eliade and Ashish Nandy who pointed out to the mythic, circular time that can be used to resist the linear mode of history established by West to justify colonization on the orient/colony through the liberal humanist rational tradition *Tughlaq*, to an extents, is the Indian equivalent of Rushdie's *Midnight's Children*. The play in a way records post in dependence Indian history, its subtle maneuvering at the hand to India politicians and *Tughlaq's* character simultaneously brilliantly portrays the idealistic Gandhi, The Visionary but unpredictable Nehru, Jinnah, and the autocratic, ruthless Indian Gandhi. Initially, even Gandhi's spirit of 'Satyagraha' is portrayed through the character of Tughlaq. The play thus embodies this play with history. And when Rita Kothari equals Tughlaq to Nehru in their secularism, she is not completely uncritical when she points out to Nehru's realization of "efficacy of religion as an electoral instrument."

References :-

1. Quoted by Mukesh Ranjan Varma, Girish Karnad's Tale-Danda, Presentness of the past, points of view, Vol.X, Num.2 Ed. K.K. Sharma, Ghaziabad, Winter, 2003, p.58.
2. Girish Karnad's Tughlaq, New Delhi, Oxford University Press, 2003, p.1.
3. Ibid, p.3-4.
4. Ibid, p.8.
5. Ibid, p.10.
6. Idem.
7. Ibid, p.16.
8. Ibid, p.19-20.
9. Ibid, p.27.
10. Ibid, p.28.
11. Ibid, p.39.
12. Ibid, p.43-44.
13. Ibid, p.44.
14. Ibid, p.50.
15. Ibid, p.57.
16. Ibid, p.65.
17. Ibid, p.82.
18. Ibid, p.84.

(1-18). Unpublished Ph.D. Thesis of Anurodh Chadar, entitled "Myth and Modern Sensibility : A Study in the Plays of Girish Karnad, 2012 [Chapter-3(i)], Department of English, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.), India.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

Relevance Of ICT In Education For Sustainable Development

Dr. Manjari Agnihotri *

Introduction - Sustainable development refers as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs." For sustainable development, education may be considered as one of the fundamental need for every type of sustainable development. In ancient times, students used to go to Gurukuls to get education and tried to maintain the sustainability, but in this computer age, the pattern, system, method of teaching is changed due to social, economic and intellectual development. But the challenges are ahead to overcome because whatever is created by this generation, its consequences will be faced by the future generation. The field of education which is the base of all progress must be furnished in such a way that the coming generation will take birth with silver spoons in their mouths. In 21st century, ICT based education is very economic, time saving, interacting and quality based. But for the sustainable development, education should be based on the participatory design, interdisciplinary, contextual themes dealing with local and global issues etc. These are such tools and services which facilitate the problems and obstacles coming in the way of development. There may be some barriers which may create some hindrances in the contribution of sustainable development through ICT based education. But the tireless efforts may lead the future to the path of success.

First the question arises in our mind what is sustainable development? Sustainable development is the overarching paradigm of the United Nations. The concept of sustainable development was described by the 1987 Bruntland Commission Report as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

For such type of development, ICT in education is considered as an omnipotent tool for making the present generation aware. So education, ICT and sustainable development are considered complementary components of 21st century. Education is considered as the inseparable part of life. It opens the doors of success and bright future for everyone. While ICT helps and develops ESD tools and materials for decision makers, teachers and students to contribute in making education relevant for today's world. Both of them education and ICT provide a firm platform to the society for its sustainable development not only in the field of education but also covers the sphere of environment, society and economy.

In ancient periods students used to go to Gurukuls to attain education in the lap of nature directly or indirectly for sustainable development of environment. But such type of education makes them perfect only for practical wisdom. Gradually, the need of education is realized for all the sections of the society. So the concept of schooling aroused. But in this computer age, every field of learning is connected with ICT education. The pattern, the system and the method of teaching is changed due to social, economic, environmental and intellectual development. The efforts are made for the better future and sustainable development. In this concern the use of ICT in education is considered the best tool to provide a perfect knowledge and awareness to the society.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) use the term ICTs, or information and communication technologies, to describe: "…the tools and the processes to access, retrieve, store, organize, manipulate, produce, present and exchange information by electronic and other automated means. These include hardware, software and telecommunications in the forms of personal computers, scanners, digital cameras, phones, faxes, modems, CD and DVD players and recorders, digitized video, radio and TV programmes, database programmes and multimedia programmes" (UNESCO Bangkok, 2003, p.75, in Anderson, p.5).

It generates a mob with ICT literate citizens with more efficiency, innovating capacity and competitiveness to work for sustainability. Children are coming with computer knowledge even from primary school education. In higher education they need not to study the basics of fundamentals of computer. They enter the college campus with Wi-Fi connectivity. Lectures are delivered through smart classes and virtual classes. The use of internet connects the educational field with global world. Every type of due information and knowledge is in our hands to its faster services. The online facilities have reduced the distance and time. Investment, medical technical, civil, political, social, business, net banking, shopping every field is making itself beneficial for future security. Government bodies, private sectors, NGOs, development agencies are collaborating with each other for sustainable development.

For example—in higher education the vital role of ICT tries to make it perfect. It promotes its maximum use in

*Asst. Professor (English) Govt. Girls College, Sehore (M.P.) INDIA

semester system, online pattern, teaching through smart classes, virtual classes for the betterment of students, Wi-Fi connected college campuses, distribution of smart phones to students. The concept behind it is the maximum involvement of generation to the interdisciplinary programmes, contextual programmes dealing with local or global issues, personality development and skill development programmes, ICT based interactive programmes. E-learning, E-training, E-tutors are connecting everyone globally. So, ICT in education, undoubtedly, is that foundation on which the building of e-knowledge is erected firmly. The expensive education is made inexpensive and easily available. At many places, the colleges have made available the facility of virtual classes by which a student can satisfy his curiosities by discussing the matter face to face. Now most of the instructors and professors use YouTube to show students different kinds of videos related to their subject to make the concept clear. No need to carry heavy books. The world of whole knowledge is in their hands in the form of mobile, laptop, tablet etc. When students and teachers communicate on these channels, they get meaningful, purposeful and useful result as well as conclusions, e.g. when a teacher from Asia communicate with the teacher from Europe, both can exchange their views about education system and teaching methods which they never practiced before. Besides these, students can attempt online exam, take admission, submit fees, get every information on the website and portal of education, give presentation, share group messages, participate in mass communication, receive feedback etc. Consequently, ICT has played a large part in fostering literacy. This advance technology is opening the gates of success in the medical and technical fields also.

But many barriers obstruct the sustainable development because such type of education is creating only knowledgeable mob because it is not totally aware of sustainable development. Unfortunately the self-centered generation is misguided and misled by the provide facilities and the motto of sustainable development “We hold the future in our hands. Together, we must ensure that our grandchildren will not have to ask why we failed to do the right things, and let them suffer the consequences (UN Secretary General Ban Ki-Moon, 2007) is not achieved. Somewhere this ICT in education is interrupted due to some reasons such as some less expert teachers, unaware and untrained adult teachers, and problem of electricity and internet connectivity in remote areas, misuse of Wi-Fi connections in college campuses, students from rural and urban areas having less knowledge of ICT, problems in online admissions and fees transactions, server problem, etc. The excessive use of internet on mobile phones allowed for students in colleges can create a sustainable development? It is perhaps leading directly or indirectly to the immortal path, cyber-crime, isolation in families, tensions, separation from the social, moral and ethical values, feeling of insecurity and impatience leading to the cases of suicide. Excessive use of papers is directly related to environmental harassment and deforestation. Now it is clear that the effectiveness of ICT based education depends on the way in which it is used and for what purpose it is used and applied for. We are trying to copy the foreign system but the climatic conditions, the pattern, the lifestyle, the way of teaching, schooling, environment everything is different in the Indian pattern.

Still the future is in our hands. We may endeavor to secure the sustainable development with some proper, accurate and practical planning. The government, NGO’s civil societies as well as individuals must hold the responsibilities for a more sustainable future. Some of these suggestions may be helpful for maintaining sustainability

- Skill development and training programmes based on ICT should be held not only for the staff but for students also.
- The electricity supply and internet connectivity should be proper.
- Some general educational programmes should be introduced such as—documentary programmes, quiz shows, educational cartoons, audio-visual clips etc. Such type of education may create the sense of preservation of the planet in minds of young generation.
- It should be designed and implemented properly because ICT based education can promote the acquisition of the knowledge and skill that will firmly erect the learning capacity for the sustainable development.
- The policymakers and planners of education system should have Indian condition and learning capability of every student. If they succeed in germinating the seeds of technology in every Indian mind with moral, ethical, social and environmental values the sustainable development will be gifted to the future generation.
- Some awareness programmes for gender equity, environmental protection preservation and restoration natural resource conservation, social and economic development of the country should be organized.

Now to sum up it is calculated that education plays a vital role and an essential ingredient for a more sustainable future. It is only through education that the next generation of citizens, voters, learners, workers, professionals and leaders are prepared life-long learning. Without education, progress and durability towards a more sustainable future will be compromised. So endless efforts in the field of ICT based education may lead us to the sustainable development and may secure the future of our coming generation.

References:-

1. UNESCO Education for Sustainable Development Sourcebook.
2. How Information and Communications Technologies Can Support Education for Sustainable Development (Leslie Paas IISD Associate, January 2008).
3. ICT in Education by Victoria L. Tinio.

मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में स्त्री-विमर्श

प्रीति शुक्ला *

प्रस्तावना – स्त्री-पुरुष का संबंध समाज का नियामक मानदण्ड है। पुरुष द्वारा स्वयं को सशक्त और स्त्री को निशक्त मान लेना उचित नहीं हैं। स्त्री का पुरुष को सशक्त बनाकर प्रतिक्रिया स्वरुप उत्तेजित होना या आत्मघाती व्यवहार करना उचित नहीं है। ये परिस्थितियाँ संतुलित समाज के विकास का सबसे बड़ा अवरोध है। संसार परिवर्तनशील है उत्तरोत्तर बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर स्त्री समाज परिवर्तन के नाम पर पुरुष समाज के प्रति विरोधमूलक हो जाता है, तब समाज की धुरी, परिवार का स्वास्थ्य संतुलित नैसर्गिक विकास असंभव हैं।[1]

देश में समानता के सिद्धांत की संवैधानिक व्याख्या के तहत स्त्री को 'महत्वहीन' समझना अन्यायपूर्ण है। स्त्रियाँ अब खामोश नहीं है। वे समाज के प्रत्येक स्थान पर भागीदारी चाहती है। अपने लिए समान अवसर की माँग पर प्रतिबद्ध है। यहीं कारण है कि साहित्य में उन पर पर्याप्त विमर्श हो रहा है और साहित्यिक प्रतिभाएँ उभरकर सामने आ रही है। साहित्य के सार्वभौमिक मानदण्डों पर खरा उतरने वाला स्तरीय साहित्य भी सामने आने लगा है।

मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी लेखनी के जरिए नारी मुक्ति के संघर्ष को विचारोत्तेजक धार दी है– 'आज आजादी माँगने से मिलती कहा है! आजादी तो हम औरतों को छीनकर लेनी होगी, परन्तु समता के नाम पर परिचम से उधार ली हुई समता की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। समता की बात करके औरतें, मर्द बन जाना चाहती है, जबकि उसे मर्द नहीं, विवेकशील, विचारवान औरत बनना है और यह नये और पुराने के संतुलित समन्वय से संभव होगा।'[2]

आज स्त्री को यह जानने का अवसर मिला कि जब वह बाहरी देश के लोगों से संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है, तो अपने देश, समाज व परिवार में वह क्यों अधिकारविहीन रहे। स्वतंत्रता के पश्चात् की बदलती परिस्थितियों ने भी स्त्री में जागरुकता उत्पन्न की। औद्योगिकीकरण ने जहाँ हमारी भौतिक सुख-सुविधाओं को बढ़ाया वही मध्यवर्ग की समस्याएं भी बढ़ी। बढ़ती मँहगाई में आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भरता परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रही। पुरूष के लिए अब यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी पत्नी, बेटी व बहन को भी आत्मनिर्भर बनाए और इसके लिए आवश्यक है, शिक्षा! जैसे ही स्त्रियाँ शिक्षित होने लगी उनमें आत्मनिर्भरता, विश्वास व जागरूकता उत्पन्न होने लगी अब वे महसूस करने लगी कि उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है, जिसे कुंठित व शोषित करने का पुरुषों को कोई अधिकार नहीं है। पश्चिम तथा भौतिक वाद ने भी स्त्रियों को स्वतंत्रता व समानता के लिए प्रेरित किया। शिक्षा ने स्त्रियों को बाहरी दुनिया से परिचित करवाया, नौकरियों के माध्यम से वे नयी-नयी जगह जाने लगी, नये लोगों के संपर्क ने उनमें आत्मविश्वास को जन्म दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनिवार्य विवाह के स्थान पर एक विकल्प पहली बार भारतीय लड़की को मिला और इनमें से कई ने इसे ही अधिक सुगम समझा, कितने ही माता-पिता ने कभी लड़की की शिक्षा का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से तो कभी लड़की के व्यक्तित्व के विकास की बात सोचकर या तो उसके विवाह का इन्तजार करते हुए अपनी लड़की को अर्थोपार्जन के खुले अवसर प्रदान किए और इस तरह परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया और जब दायरे बढ़े तो परिचयों के नये दायरे भी अप्रत्यक्ष रुप में या उदासीन होकर स्वीकार कर लिए गए।

समकालीन कथा लेखिकाओं में अग्रणी मैत्रेयी पुष्पा बीसवीं सदी के अंतिम दशक की सबसे सक्रिय और विलक्षण कथाकार है। आपकी पीढ़ी की ज्यादातर गद्य लेखिकाएं पुराना राग अलापते हुए नई बात तो कहना चाहती है पर मैत्रेयी की तरह जोखिम उठाने से डरती है। प्रकाशकों का मानना है, मैत्रेयी जनता के लिए लिखती है, बुद्धिजीवियों के लिए नहीं। बल्कि वह क्लास की नहीं मॉस की लेखिका है। यद्यपि आज हिन्दी जगत में स्त्री-विमर्श की ढेरों कहानियाँ, उपन्यास लिखे व पढ़े जा रहे हैं, परन्तु सच तो यह है कि पहले राजा राममोहन राय, विवेकानंद आदि पुरुषों ने बदलाव की दिशा में संदेश देकर प्रयत्न तो किए पर वे पूर्णत: सफल नहीं हुए। उसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि तब स्त्रियाँ इतनी जाग्रत नहीं थी। वह उस समय सुन व पढ़ लेती थी पर जीवन में लागू नहीं कर पाती थी। परन्तु अब बदलाव की ऐसी हवा चल रही है जिसमें सांस लेने वाली स्त्री सब कुछ स्वीकार कर उस बदलाव को अपने जीवन में उतार रही है। नारी के जीवन में खोया हुआ भीषण ज्वालामुखी जाग गया है। उसकी अतृप्तियों, कुण्ठाओं, विषमताओं, प्रेरणाओं, संघर्षों या अंतर्विरोधों ने उसे समाज में स्वतंत्र रुप से खड़े होने का संबल दिया। तभी तो आपने अपने कथात्मक लेखन से 'स्त्री-विमर्श' को एक नया आयाम दिया और एक नये स्त्री समाज की स्थापना की।

मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में स्त्री-विमर्श का अध्ययन कुछ वर्गो के आधार पर किए जाने का प्रयास किया गया है जैसे-वर्गगत, परिवारगत, नारी का अंतर्द्वन्द्व आदि।

वर्गगत, में आर्थिक आधार व सामाजिक आधार पर समाज के वर्ग संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया है। जहाँ गाँव वहाँ समाज होता है, जहाँ समाज होता है वहाँ वर्ग होता है और जहाँ वर्ग होता है, वहाँ वर्ग संघर्ष भी होता हैं। मैत्रेयी की कहानियों में भी वर्ग संघर्ष का चित्रण मिलता है। यह वर्ग संघर्ष आर्थिक, धार्मिक तथा जातीय कारण से होता है। 'रिजक' कहानी में 'सिकंदरा और खिल्ली के अहीरों में वर्ग संघर्ष मिलता है। ऐसा बैर की ब्याह काज, पाँत-पंगत तो कहे कौन, मौत-गमी तक में आना जाना नहीं। रंजिश निभाने के लिए सूत सलाह रखा जाता है, यह बात कोई खिल्ली सिकंदरा के अहीरों से सीखे। मजाल है कि कुत्ता, बिल्ली, माछी, मच्छर तक उड़कर जाए

* शोधार्थी (हिन्दी) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

एक दूसरे की सीमा में। हाट–बाजार भी मिल जाते थे तो मुँह फेर लेते थे, एक दूसरे को देखते ही वर्ग संघर्ष गाँवों में आज भी हैं।[3]

बेरोजगारी– बेरोजगारी समाज की बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के प्रमुखत: दो प्रकार है।

एक अशिक्षितों की बेरोजगारी और दूसरी शिक्षितों की बेकारी। अशिक्षितों को यदि काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगार कहते हैं और शिक्षित को अगर काम नहीं मिला तो उसे बेकार कहते हैं। '**साँप–सीढ़ी**' कहानी का राजन शिक्षित है। उसने नागपुर में रेलवे स्टेशन मास्टर के पद के लिए टेस्ट दिया है। मात्र परीक्षा देने से काम नहीं होता है, साथ ही रिश्वत भी देनी पड़ती हैं। अपने पिता सुरजनसिंह को वह खेती बेचने के लिए मजबूर करता है।

आर्थिक विपन्नता के कारण– ग्रामीण जीवन में भी आर्थिक विपन्नता पायी जाती हैं। विवाह जैसे अवसर पर गाँवों में कर्ज लिया जाता है। महाजन या साहूकार इस कार्य को तत्पर हैं। 'ताला खुला है पापा' कहानी के जगदीश चौबे अपनी बेटी के ब्याह के लिए मड़ोरा के महाजन से कर्ज लेते है। महाजन का कर्ज चुका नहीं पाने पर वह उनकी भैस खोलकर ले जाता है, फसल आने पर खलिहान से अनाज लेकर जाता है, फिर भी कर्ज ज्यों का त्यों बना रहता है। गहने बेचे जाते हैं। गाँवों में आर्थिक विपन्नता के कारणों में एक प्रमुख कारण दहेज हैं। दहेज देने के लिए किसान को खेत भी बेचने पड़ते हैं।

मैत्रेयी ने अपने कहानी संग्रह में ग्रामीण जीवन के साथ नारी–विमर्श को केन्द्र में रखकर अपनी कहानियों की निर्मिती की है। मैत्रेयी पुष्पा साहित्यकारों से अपेक्षा करती है, कि वे ऐसे साहित्य का सृजन करे जिससे नारी की परिस्थिति में परिवर्तन आए। साहित्य के साथ मीडिया भी समाज को दिशा देने के अपने उत्तरदायित्व से विमुख होता जा रहा है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने कहानी संग्रह में स्त्री–विमर्श के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया है, जैसे–मूल्यबोध, नैतिकता राजनीति में नारी का स्थान, धर्म, संस्कृति, जाति व्यवस्था, आर्थिक विषमता शिक्षा, सामाजिक समस्याएँ, अंध विश्वास, विवाह, दहेज आदि।

नारी विमर्श के विभिन्न आयामों का अवलोकन मैत्रेयी पुष्पा ने कुछ आधारों पर करने का प्रयास किया गया है। जैसे– वर्गगत, परिवारगत आदि।

मैत्रेयी पुष्पा के कहानी साहित्य में चित्रित आर्थिक स्थिति –

अर्थोत्पादन के साधनों का चित्रण – मैत्रेयी पुष्पा के कहानियों का परिवेश ग्रामीण जीवन हैं। गाँवों में अर्थोत्पादन का प्रमुख साधन कृषि तथा कृषिपूरक अन्य व्यवसाय है। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में किसान तथा उसका परिवार और उसकी आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्रण मिलता है। महिलाओं का अपने परिवार के पोषण के लिए योगदान भी सराहनीय है। **'मन नाँहि दस–बीस'** कहानी में कृषि में आते हुए परिवर्तन का वर्णन आया है। जिला नियोजन अधिकारी स्वराज वर्मा को आनंदसिंह कहते हैं– 'वैज्ञानिक तरीके से खेती की प्रगति को देखने जाना होगा, सर! 'कैश क्रॉप्स' किसान के लिए खुशहाली का वरदान सिद्ध हुई है, उन्हीं के निरीक्षण के लिए चलिए साहब। सोयाबीन की खेती ने किसान को सुदृढ़ आर्थिक आधार दिया है, गेहूँ –चने की उपज उन्नत खादों से कई गुनी बढ़ गयी है।'[4] **'सफर के बीच'** कहानी का पात्र गिरराज शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, किन्तु घर की आर्थिक विपन्नता के कारण अनेक बाधाएँ आती हैं। अम्मा गिरराज के हाथ में गहने देते हुए कहतीं हैं ले, इसे बेचकर चला लेना काम। तू घबराना मत गिरराज। गिरराज ने कहा, कहाँ से लाई अम्मा! तब अम्मा कहती है, तुझे क्या! तू निरिफकिर होकर पढ़ा करा।'[5]

ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार खेती है। 'साँप–सीढ़ी' कहानी का राजन नौकरी के लिए रिश्वत देने के लिए पिता को खेती बेचने के लिए कहता है। राजन के पिता सुरजन सिंह ने अनेक कठिनाईयों में भी खेती नहीं बेची थी। बचपन में राजन को डाकू उठाकर ले गए थे तब सुरजन सिंह बड़े हिम्मत के साथ उनसे लड़े थे, तब भी डाकुओं की माँग को पूरी करने के लिए खेत बेचे नहीं थे। राजन के पिता बेटे को नौकरी के पीछे न लगकर खेती करने के लिए कहते हैं। राजन नौकरी का महत्व बताते हुए कहता है, 'खेती–खेती! साला जुआ का खेल, लागत लगाकर सुमिरत रहो देवताओं को कि कोई कुदरती विपता न आ गिरे।'[6]

ओले, सूखा, चेंपा, इल्ली पाला साले सौ झंझट। अम्मा नौकरी वाला आदमी भरपेट खाता है और टाँग फैलाकर सोता है।'

भारतीय ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार कृषि है। ग्रामीण जीवन में आर्थिक संबंधों से ज्यादा भावनिक संबंध को महत्व दिया जाता है। ग्रामीण व्यक्ति पर समाज, जाति तथा पंचायत का नियंत्रण है। प्रकृति की गोद में जीने वाला ग्रामीण समाज सादा और सरल जीवन जीता है। संयुक्त परिवार ग्रामीण जीवन की शक्तिशाली ईकाई है। गाँवों में स्त्री शिक्षा कम होने से उनका स्तर निम्न है। 'भारत के साढ़े पाँच लाख गाँवों के विकास के कार्यक्रम होने के बाद भी वहाँ गरीबी व बेरोजगारी न केवल बनी हुई है बल्कि बढ़ रहीं है। गाँव में कोई अच्छा अध्यापक, डॉक्टर, कृषि अनुसंधानकर्ता, औद्योगिक परिवार व बुद्धिजीवी रहने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण लोग हर वर्ष गाँव छोड़ कर शहरों में जाकर बसते हैं। अज्ञान, अशिक्षा, कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अंधश्रद्धा, रूढ़ि, परंपरा, महिलाओं का शोषण आदि ग्रामीण जीवन में भी देखा जाता है'[7]

मैत्रेयी पुष्पा के कहानी साहित्य में सामाजिक स्थिति –

एकल परिवार– वर्तमान युग में सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। ग्रामीण तथा नगरी जीवन में रिश्तों में संकीर्णता आई हैं, इसी संकीर्ण मानसिकता का परिणाम हैं, एकल परिवार। नौकरी करने वाले पति–पत्नी को बच्चों के पालन पोषण की समस्या पैदा होती है। सदस्यों की संख्या कम होने के कारण आज ऐसे परिवार पसंद किए जा रहे है। मैत्रेयी पुष्पा के कहानी साहित्य में एकल परिवार का चित्रण आया है। '**अपना–अपना आकाश**' कहानी में वृद्धा कैलाशों देवी को उसके बेटे रखने के लिए तैयार नहीं है। एकल परिवार में वृद्धों को बाधा माना जाने लगा हैं। रात में बहू पति से कहती हैं, 'भेजने को तो उन्हें वृन्दावन भी भेज सकते थे, लेकिन वृन्दावन पास है। वे लौट सकती थीं। इसी कारण सबने मिलकर बंगलौर का चुनाव किया था। कोई पूछेगा तो कह सकेंगे– उनका मन भगवद्–भक्ति में रम गया था सो गृहस्थ का मोह त्याग गयी।

कितना आसान तरीका मुक्ति का, उनकी और परिवार की... दोनों की।'

आज के समय में एकल परिवार के कारण परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की विडंबना हो रही है। शायद यही कारण है कि सरकार भी वृद्धाश्रम बनाने लगी है।

संयुक्त परिवार– संयुक्त परिवार ग्रामीण जीवन की शक्तिशाली ईकाई है। ऐसे परिवार आज की नव समाजवादी संकल्पना में टूट रहे है। अच्छे सामाजिक विचार तथा एकता की स्थापना, संयुक्त परिवार में मिलती हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए सहायता मिलती है। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्राप्त होता है। ग्रामीण जीवन में परिवर्तन, नागरी संस्कृति का विकास तथा विश्व भूमंडलीकरण के कारण एकल परिवार बढ़ रहे हैं।

आज भी ग्रामीण परिवेश में संयुक्त परिवार पाये जाते हैं। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में संयुक्त परिवार का चित्रण मिलता है।

'**सफर के बीच कहानी**' में गिरराज सहित चार भाई बहन तथा माता–पिता संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस परिवार का कृषि ही मुख्य व्यवसाय हैं। गिरराज पढ़ लिखकर जिलाधिकारी बनता है। जिलाधिकारी बनने के बाद उसके भाई जीवन भर उससे सहायता लेते रहे हैं।

वर्तमान समय में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। '**साँप–सीढ़ी**' कहानी की सुमन बी.ए. पास हैं, वह संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती हैं। आजाद तबीयत की सुमन ने राजन को रेलवे में नौकरी पाने के लिए खेत बेचकर पैसे देने के लिए कहा। खेत राजन के पिता के नाम पर हैं। राजन अपने पिता को खेत बेचने के लिए मजबूर करता है, खेत बेचकर भी पैसे नहीं जुटा पाते हैं तब राजन और परिवारजन सुमन के मैके से पैसे माँगने की बात करते हैं, तब सुमन अपना सामान बाँधकर घर से निकल जाती है, किन्तु गाँव में संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती हैं।

'**उजदारी**' कहानी में सोमू के पिता की मृत्यु होने के बाद उसके चाचा सोमू तथा उसकी माँ को घर से निकालने का प्रयास करते हैं। जेठजी के सामने पर्दा करने वाली बहू ने किवाड़ की आड़ में खड़े होकर कह दिया– 'रोटी–कपड़ा पर जिंदगी बेचनी होगी तो यहीं घर नहीं। यहाँ तो मैं आधे की मालकिन हूँ। एक बलिश्त जगह माँगकर अपना ही हक कम कर रही हूँ। इतने में भी समझ लो। तब सोमू तथा उसकी माँ को मारने का षडयंत्र किया जाता है, घर के सामने कुँआ खोदने का बहाना कर उन दोनों को उसी गड्ढे में नींद की गोलियाँ देकर सुलाना चाहते, कभी न जागने के लिए। सोमू की अम्मा ने अपना हिस्सा माँगा था तो उसे देने के बजाय उसे परिवारजन मौत देना चाहते हैं। इस तरह समाज में स्वार्थी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं।

पारिवारिक संबंध – लाभ और हानि– मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में विभिन्न प्रकार के परिवारों का चित्रण आया है। पुष्पा जी ने भारतीय गाँवों में बसे जन जीवन का वर्तमान संदर्भों के साथ यथार्थ वर्णन किया है। परिवार में मानव का सभी दृष्टि से पालन–पोषण होता है। परिवार में मानव को ज्ञान प्राप्त होता है, उसे संस्कार मिलते हैं। सदस्यों के साथ आपसी संबंधों की स्थिति भावनाओं पर आधारित होती हैं। वंश वृद्धि तथा आर्थिक सुरक्षा मिलती हैं। जैसे–जैसे समाज आर्थिक संबंधों के आधार पर कायम होने लगा है वैसे–वैसे पारिवारिक संबंधों में दरार पैदा होने लगी है। पारिवारिक संबंध का मुख्य आधार भावनिक होते हुए आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। पारिवारिक संबंध में लाभ भी हैं, और हानि भी है।

आर्थिक स्थिति पारिवारिक संबंध में तनाव पैदा करती हैं। '**साँप–सीढ़ी**' कहानी का पात्र राजन शिक्षित हैं, रेलवे में नौकरी के लिए प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना चाहता है। रिश्वत देने के लिए अपने पिता सुरजन सिंह को खेती बेचने के लिए मजबूर करता है। पिता जब खेती बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके साथ हाथापायी भी करता है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बाप–बेटे के संबंधों में दरार पैदा होती हैं।

आधुनिक समाज में पारिवारिक संबंधों में दूरिया पैदा होती नजर आ रही है। रिश्ते को बोझ समझा जा रहा हैं।

'**बोझ**' कहानी के गोलू को उसके माता–पिता क्रेश में आया के पास भेजते हैं। पिता नौकरी के लिए तथा माँ क्लब में जाती हैं। बच्चे के पालन पोषण करने में कोताही बरतते हैं। गोलू के पिता गोलू को लेने देर से पहुँचे तब आया कहती हैं, 'अरे सुना साब, आपका बच्चा जब न तब कच्छे में पेशाब कर देता है। दस बार उन्हीं का कपड़ा तो नहीं बदलते रहेंगे। यह तो इतना बड़ा है, इससे छोटे नहीं करते। बखत से टट्टी–पेशाब की आदत नहीं डाली। धन्य हैं रे पढ़े–लिखे माँ बाप।'[8]

जाति व्यवस्था की स्थिति– मनुस्मृति ने चातुर्वण्य व्यवस्था का प्रतिपादन किया और इसी वर्णव्यवस्था का परिणाम जातिव्यवस्था के रूप में दिखाई देने लगा हैं। स्वाधीनता के बाद भी जाति भेद समाप्त नहीं हुआ हैं। शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता आदि के परिणामस्वरूप जातिभेद समाप्त होना चाहिए था, किन्तु नहीं हो पाया यह दुःख की बात हैं। नौकरी में आरक्षण की नीति का परिणाम भी जातिभेद में देखा जाने लगा हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी कहानियों के माध्यम से वर्तमान समय में जातिभेद की स्थिति क्या हैं तथा आज उसका नगर तथा गाँवों में क्या स्वरूप हैं, इसे स्पष्ट किया है।

जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने का कार्य राजनीति भी कर रही है। आज जब भी चुनाव आता है, तब जाति के आधार पर वोट माँगें जाते हैं। '**शतरंज के खिलाड़ी**' कहानी में गाँव के प्रधान पद का चुनाव आया है, तब प्रचार के लिए वोटों की गुहार लगायी जाती है, 'मालिक ने ही बताया था, राम, कृष्ण और शिवाजी की तस्वीर वाले कैलेंडर ब्राह्मण, बनियों कुर्मी, क्षत्रियों के लिए है। बुद्ध भगवान और बाबा अम्बेडकर की 'फोटू' वाले छोटी कौम यानी हरिजनों में बाँटे जाएँगें।'[9]

समग्र आकलन – मैत्रेयी पुष्पा ने हिन्दी कहानी साहित्य में गाँव की महिलाओं का सामाजिक स्थान प्रस्तुत किया है। 'चिह्नार', 'ललमनियाँ' तथा 'गोमा हँसती है', यह तीन कहानी संग्रह ग्रामीण जीवन के समग्र आँचल को वास्तविकता के साथ प्रस्तुत करते है। इन कहानियों से अविस्मरणीय पात्र देने का कार्य मैत्रेयी पुष्पा ने किया हैं। कहानियों में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। नारी विमर्श तथा ग्रामीण जीवन साहित्य के केन्द्र में पाया जाता है।

नगरीय जीवन में बढ़ते एकल परिवार के कारण वृद्ध माता–पिता के जीवन यापन की समस्याओं का अंकन किया है। अपनी कहानियों के माध्यम से ग्रामीण राजनीति की स्थिति का यथार्थ अंकन किया है। वोट प्राप्त करने के लिए जातीय राजनीति की जाती है, धर्म का सहारा लिया जाता है और ग्रामीण जनता को बहला फुसलाकर लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। कहानियों में नारी शिक्षा की स्थिति पर विचार व्यक्त हुआ है।

शिक्षा मानव जीवन के विकास में आवश्यक होती है लेकिन समाज में लड़की को पढ़ाने के प्रति अनास्था दिखाई देती है। आश्चर्य की बात है कि यह अनास्था शिक्षित माता–पिता में भी पायी जाती है। लेखिका इस स्थिति में परिवर्तन चाहती है।

मैत्रेयी पुष्पा के कहानी साहित्य में धर्म और राजनीति का चित्रण प्राप्त होता है। सांप्रदायिक कटुता का दर्शन शहर में ही अधिक होता है। आज भी यदि सांप्रदायिक दंगे हुए तो उसका असर शहर में ही ज्यादा दिखाई देता है। कहानियों में हिन्दू–मुस्लिम सामंजस्य के उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं इसका कारण है, कहानियों में ग्रामीण जीवन का वर्णन अधिक है। मैत्रेयी ने कहानियों में आरक्षण पर भी विचार व्यक्त किया है। महिला आरक्षण का पुरूष वर्ग किस तरह फायदा उठाता है यह अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए आरक्षण आया है। पुरूष अपने अधिकार बरकरार रखने का भरसक प्रयास करता है। कानून की पूर्ति के लिए गाय जैसी महिला को चुनाव में खड़ा कर पुरुष अपनी सत्ता को चलाता है। '**फैसला**' कहानी की वसुमती को उसका पति अपना फैसला लेने नहीं देता है। इसके विरोध में वह अपने पति को ही वोट नहीं देती है। इससे स्पष्ट

होता है कि नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही है।

कहानी साहित्य में धार्मिक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। महिलाएँ धर्म के प्रति श्रृद्धा रखती है। देवी-देवता के प्रति आस्था पूजा-पाठ, व्रत उपास का वर्णन इन कहानियों में आया है। ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण महिलाओं का दोयम स्थान है। इसमें परिवर्तन की अपेक्षा मैत्रेयी पुष्पा रखती है। स्त्री को अपने परिवार के किसी पुरूष पर निर्भर रहना पड़ता है। शादी-ब्याह जैसे अहम फैसले भी परिवार का पुरूष ही लेता है, लड़की की राय नहीं ली जाती है।

नब्बे के दशक में मैत्रेयी पुष्पा ने हिन्दी कहानी लेखकों में अपनी पहचान बनायी हैं। मैत्रेयी पुष्पा के कहानी साहित्य का परिवेश गाँव हैं। भाषागत बिंब दृश्यों को सजीव करते हैं, इससे कथारस में वृद्धि होती हैं। इनकी कहानियों में लोकगीतों का दर्शन होता है। भले ही इनकी कहानियों में गाँव है। गाँव में सांस्कृतिक विरासत काफी बड़ी है। इनकी कहानियाँ पढ़कर बुंदेलखंड के गाँवों का सजीव चित्रण सामने उभरता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महादेवी वर्मा- श्रृंखला की कड़ियॉ पृ. 17
2. पत्रिका-आजकल, मार्च-2013, पृ. 24
3. मैत्रेयी पुष्पा ललमनियाँ, रिजक पृ. 67
4. मैत्रेयी पुष्पा - चिह्नार, मन नॉहि दस बीस: पृ. 50
5. मैत्रेयी पुष्पा- चिह्नार सफर के बीच: पृ. 111
6. मैत्रेयी पुष्पा - गोमा हँसती हैं, सॉप सीढ़ी पृ. 88
7. रामजी यादव - भारत में ग्रामीण विकास पृ. 133
8. मैत्रेयी पुष्पा लालमनियाँ - बोझ पृ. 86
9. मैत्रेयी पुष्पा - गोमा हँसती है, शतरंज के खिलाड़ी पृ. 20
10. महादेवी वर्मा - श्रृंखला की कड़ियॉ, पृष्ठ 17
11. पत्रिका - आजकल, मार्च-2013, पृ. 24
12. मैत्रेयी पुष्पा - चिह्नार, सफर के बीच: पृ. 111
13. मैत्रेयी पुष्पा - गीत हँसती है, साँप सीढ़ी: पृ. 88
14. रामजी यादव - भारत में ग्रामीण विकास पृ. 133
15. मैत्रेयी पुष्पा - गोमा हंसती है: उज्रदारी पृ. 109
16. मैत्रेयी पुष्पा - लालमनियॉ: बोझ: पृ. 86
17. मैत्रेयी पुष्पा - गोमा हंसती है: शतरंज के खिलाड़ी पृ. 20
18. मैत्रेयी पुष्पा - चिह्नार, मन नॉहि दस-बीस पृ. 54
19. मैत्रेयी पुष्पा - चिह्नार, मन नॉहि दस-बीस पृ. 55
20. मैत्रेयी पुष्पा - ललमनियॉ: रिजक: पृ. 67
21. मैत्रेयी पुष्पा - गोमा हंसती है: बिछड़े हुए पृ. 52
22. मैत्रेयी पुष्पा - गोमा हंसती है: बिछड़े हुए पृ. 52
23. मैत्रेयी पुष्पा - ललमनियॉ: रिजक: पृ. 67

****

राजतंत्र में आय-व्यय का प्रबन्धन (महर्षि श्री शुक्राचार्य रचित शुक्रनीति के संदर्भ में)

डॉ. विम्मी बहल * डॉ. अनिल शिवानी **

प्रस्तावना - व्यवसायिक जगत की वर्तमान व्यवसाय लेखा प्रणाली वैज्ञानिक विकसित परिष्कृत एवं विशिष्टिकृत हो गई है। इस लेखा प्रणाली में व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक लेखा-जोखा बहीखातों से इतर कम्प्यूटर लैपटाप,पैनड्राइव,सी.डी एवं अन्य कई साफ्टवेयर में तैयार कर रखा जाता है। जो उनके व्यवसायिक गतिविधियों के परिणाम को दर्शाता है। विकास का प्रभाव यद्यपि लेखा प्रणालियों पर भी रहा है। जिससे वर्तमान में लेखा संधारण के लिए विभिन्न बही खाते, बड़ी-बड़ी अलमारियों,संदूकों रोशनाई कलम आदि की आवश्यकता नहीं रही है। तथापि विकास के मूल में इतिहास रहा है। प्राचीनकाल से ही लेखा व्यवस्थाओं संबंध में आचार्यों एवं ऋषियों द्वारा नीतियाँ निर्धारित की गई थी, जो सिद्धांतों के अनुरुप, परिस्थिति एवं मानव सभ्यता के साथ विकसित होती हुई परिष्कृत एवं सटीक होकर शुद्धता के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। जिससे आज के व्यवसायिक जगत के लिए विभिन्न प्रकार का विशलेषण सरल एवं शीघ्रता से किया जाना संभव हो गया है।

- **नीति विद्या -** राजा या राज्य के मूल के विषय में जो स्थिति बतलाई गई है,वही स्थिति राजनीति विद्या के मूल के प्रसंग में भी है।राजा के दो रूप है। देवांश एवं राक्षांश। औचित्य को धारण करने वाला राजा देवांश होता है और अनौचित्य को धारण करने वाला राक्षांश होता है।[1] राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजापालन,दुष्टों का दमन एवं धर्म को स्थापित करते हुए कोष संवर्धन तथा भू-अर्जन करना है ।[2]

महाभारत में यह कहा गया है जब धर्म विप्लव के कारण प्रजा में अनाचार का अत्याधिक उत्कर्ष हो गया तब सन्त्रस्त देवतागण ब्रह्मा के यहाँ पहुँचे और उनसे धर्म उद्धार के लिए प्रार्थना की, तदन्तर ब्रह्मा ने एक नीति शास्त्र की रचना की जिसे एक लाख अध्याय में बाँटकर 'दण्डनीति'आदि सहित सभी उपयोगी विषयों का समावेश किया गया था।[3] इसके पश्चात् सर्व श्री नारद,बृहस्पति,भार्गव, भारद्धाज,भीष्म,पाराक्षर मनु तथा शुक्राचार्य एवं अन्यान्य ऋषियों द्वारा उस ब्रह्म नीति शास्त्र को संक्षिप्त बनाया गया और राजाओं के उपयोग के लिए देशकाल के अनुरुप उसका संक्षेप किया । शोध-पत्र महर्षि शुक्राचार्य द्वारा रचित 'शुक्रनीति' के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है[4] प्रस्तुत शोध पत्र में राजतंत्र का आय-व्यय का प्रबंध के अंतर्गत राजकीय आय-व्यय के अभिलेख, लिखने,संधारित करने तथा इनमें संलग्न कर वसूली में कोषाध्यक्ष के कार्य व्यवहार व्यवस्था को प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान लोकतंत्र में यही कार्य चुनी हुई सरकार द्वारा वार्षिक बजट बनाकर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराया जाता है। लेकिन राजतंत्र में यह व्यवस्था भिन्न थी महर्षि शुक्राचार्य द्वारा रचित 'शुक्रनीति' में इसका उल्लेख निम्नानुसार किया गया है।

- **मंत्रिपरिषद -** 'शुक्रनीति' में यह कहा गया है, कि स्वतंत्र राजा स्वेच्छाचारी हो जाता है,और अनुचित कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए राजा को राजकार्य संचालन के लिए सुयोग्य सहायक सदस्यों को नियुक्त करना चाहिए इसी को ही हम मंत्री परिषद कहते हैं।[5] शुक्रनीति सार के अनुसार इसमें सदस्यों की संख्या दस होना चाहिए । ये सदस्य है पुरोधा,प्रतिनिधि, प्रधान,सचिव,मंत्री,प्रांडविवाक,पण्डित,सुमन्त्र अमात्य तथा दूत।[6]

दान्तस्तु साधनो यस्तु व्यवहार विशरदः।
धनप्राणी ऽ तिकृपणः कोशाध्यक्षः स एव हि।। 153 पे: 79

उपरोक्त सदस्यों में सुमन्त्र का कार्य कोषाध्यक्ष का होता है। जो अर्थागम एवं अर्थखर्च के कार्यो को सुचारू रूप से जानने वाला होता है। विनम्र स्वभाव वाला धनी,व्यवहार में चतुर एवं धन की प्राण के समान रक्षा करने वाला तथा अत्यन्त कृपण हो उन्हें ही कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त करना चाहिए।

- **कोषसंचय-**

येन केन प्रकारेण धनं सञ्चिनुयान्नृपः।
तेन संरक्षयेद्राष्ट्ं बलं यज्ञादिकाः क्रियाः।। 2
बल प्रजारक्षणार्य यज्ञार्थ कोशसंग्रहः।
परजेह च सुखदो नृपस्यान्यश्र दुःखदः।।3 पेज 201

एक राजा को राज्य संचालन एवं प्रजापालन के लिए किसी भी प्रकार से धन एकत्र करना चाहिए एवं प्राप्त धन का उपयोग राष्ट्र संचालन, प्रजापालन, सेना एवं संसारिक कार्यो की रक्षा करना चाहिए। अतः उक्त कार्य के लिए जो कोष संचय किया जाता है वह राजा के लिए सुखप्रद होता है। इससे भिन्न कार्यो के लिए कोष संग्रह दुःखप्रद होता है। शुल्क एवं कर एक बार ही लेना चाहिए बारम्बार नहीं क्योंकि ऐसा करने से प्रजा का पीड़ा होती है एवं असंतोष फैलने की संभावना बनी रहती है।[7]

कोष संग्रह -

दण्डमूमागशुल्कैस्तु बिना कोशाद् बलस्य च।
संरक्षण भवेतफ सम्यग् यावद्दिशतिवत्सरम्।। 13
तथा कोशस्तु संधायःस्त्रजारक्षणक्षमः।
बल मूलो भवेत् कोशः कोशमूलं बलं स्मृतम।। 14

कोष का मूल सेना है अर्थात् सेना द्वारा कोष संग्रह होता है और सेना तथा कोष की रक्षा करने से कोष तथा राष्ट्र की वृद्धि एवं शत्रुओं का नाश होता है और प्रजा की रक्षा करने से पूर्वोक्त कोश तथा राष्ट्र वृद्धि एवं शत्रु नाश से तीनों होता है।[8]

* सहायक प्राध्यापक, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

उपरोक्त व्यवस्था हेतु कोश संग्रह करने के लिए राजा द्वारा निम्न करों का आरोपण कर धन अर्जित करना रहा है।

1. **शुल्क –** जो लोग धान्य ,स्वर्ण,वस्त्र रसादि द्रव्य आदि का व्यवसाय करते हैं,उनमें जिसका जैसा कार्य हो और धन लगा हो उसके अनुरुप बराबर न्यून या अधिक अंश में लाभंश में से जो द्रव्य राजा को मिलता हो उसे शुल्क कहते हैं।(9)

2. **चुंगी –** नगर बाहर से क्रय की गई वस्तु एवं नगर के बाहर विक्रय की गई वस्तु के नगर में आने पर एवं बाहर जाने पर जो कर वसूला जाता है उसे चुंगी कर कहते हैं। सभी वस्तुओं पर प्राय: एक बार ही चुंगी कर लगाया जाता है।(10)

3. **माल गुजारी –** राज्य में स्थित कृषि भूमि पर कृषकों द्वारा फसल उगाकर,धन अर्जन किया जाता है। उस पर माल गुजार (लगान एकत्रित करने वाला)के द्वारा भूमि की जोत एवं कृषक की पैदावार को दृष्टिगत रखते हुए कृषक से लगान एकत्र कर राज खजाने में जमा कराता है।(11)

4. **सिंचाई कर –** राज्य में तड़ाग (तालाब),बावड़ी,कूप के जल से खेतों की सिंचाई करने पर फसल का तृतीयांश,वर्षा द्वारा सिंचाई होने पर चतुर्थांश,नदी से सिंचाई होने पर उपज का आधा भाग एवं बंजर भूमि से होने वाली आय का छठा भाग राजा को ग्रहण किया जाना चाहिए।(12)

5. **खदान से कर –** राज्य में स्थित भूमि के गर्भ से यदि खनिज निकाला जाता है तो सोने पर आधा अंश, चाँदी पर तृतीयांश,ताबा से चतुर्थांथ, लोहा एवं सीसा पर षष्ठांश तथा रत्नों से आधा अंश के रुप कर ग्रहण करना चाहिए।(13)

6. **पशुधन से आय –** पशुधन से वृद्धि होने पर आठवां भाग कर रुप में राजा द्वारा लिया जाता है।

7. **भूमिकर –** राज्य में दुकान स्थापित कर व्यापार अथवा रोजगार करने वालों से दुकान की भूमि पर आकार के अनुसार कर ग्रहण किया जाता है।(14)

8. **यात्री कर –** राजा द्वारा यात्रियों से मार्ग की सुरक्षा रख रखाव एवं सफाई के लिए कर लिया जाता है।(15)

9. **उपायन –** उपायन के अनगित राजा द्वारा को भेंट नजराना था राजा के अधीन अन्य राज्य से जो द्रव्य प्राप्त होता है, उसे उपायन कहते हैं।(16)

10. **जुर्माना –** अपराध करने पर राजा द्वारा अपराधियों पर जुर्माना लगा कर द्रव्य खजाने में जमा कराया जाता है।(17)

इस प्रकार राजा को सभी प्राकर के कर ग्रहण कर नौकर की भांति उसकी रक्षा करना चाहिए एवं राज्य संचालन में नीतिगत रुप से व्यय करना चाहिए।

- **अर्थव्यय –**

यन्निमित्तो भवेदायो व्ययस्तन्नामपूर्वक:।।
व्ययश्चैव समुद्दिष्टो व्याप्यव्यापकसंयुक्त:। 336 पेज 108

जिस निमित्त (विभाग) से जो आय होता है व्यय की उसी निमित्त (विभाग) के नामे होता है अर्थात जिस विभाग से आय होती है। इस विभाग से व्यय भी होता है और आय की भांति व्यय भी स्वल्प तथा बहु विषयक होता है।(18)

पुनरावर्तक: स्वत्वनिवर्तक इति द्विधा।।337।।
व्ययो यन्निध्युपनिधीकृतो विनिमयीकृत:।
सकुसीदाकुसीदाध मर्णिकश्चावृत: स्मृत: 338।। पेज 108

व्यय दो प्रकार के होते हैं (1) पुनरावर्त्तक व्यय (फिर लौटकर आने वाला) एवं दूसरा स्वत्वनिवर्त्तक (देने वाले के स्वत्व को निवृत्त करने वाला)(19)

1. **पुनरावर्त्तक व्यय –** जो व्यय निधि,उपनिधि या विनिमय रुप में हुआ है एवं सूद सहित या बिना सूद का ये सब पुनरावर्त्तक संज्ञक कहलाते हैं। निधि कृत व्यय उसे कहते है। जो पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है। इसको अत्यंत कष्ट पड़ने पर भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अत: यह भी एक प्रकार का व्यय है।(20)

उपनिधिकृत व्यय – उपनिधि व्यय वह है, जो दूसरे के पास रखा हुआ है। विनिमय कृत व्यय उसे कहते हैं,जो दिए हुए मूल्यादि से बदले में मिला हुआ है। सूत पर जो धन दिया जाता है। उसे ऋण कहते हैं,एवं बिना सूत के जो धन दिया जाता है, उसे याचित (हाथा उधार) कहते हैं। सूत पर दिए जाने वाले धन को आधमर्णिक व्यय कहते हैं।(21)

2. **स्वत्वनिवर्तक व्यय –** स्वत्वनिवर्तको द्वेधा त्वैहिक: पारलौकिक :। पेज 106 स्वत्व निवर्तकों व्यय से आशय जिसे पर व्यय किया जा रहा है उसके स्वत्व को निवृत कर दिया जाता है। स्वत्व निवर्तक व्यय भी दो प्रकार के होते है पहला-ऐहिक एवं द्वितीय पारलौकिक ।(22)

ऐहिक – 'शुक्रनीति में ऐहिक व्यय के चार भेद बताए गए हैं।(23)

1. **प्रतिदान–**किसी वस्तु के मूल्य रुप मे जो द्दव्य दिया जाता है, उसे प्रतिदान कहा जाता है।(24)

2. **पारितोषिक–** सेवा तथा शूरता एवं विभिन्न विषय प्रतियोगिता आदि से प्रसन्न होकर जो द्दव्य दिया जाता है वह पारितोषिक कहलाता है।(25)

3. **वेतन–** सेवकों एवं भृत्यों को भरण पोषण से द्दव्य दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं।(26)

4. **उपभोग्य व्यय–** धान्य,वस्त्र,गृह बगीचा मो गज रथ घोड़े तथा विद्या राज्य आदि उपार्जन के लिए और धन आदि उपार्जन के लिए एवं इन सब की रक्षा के लिए जो व्यय किया जाता है,वह 'उपभोग्य' कहलाता है।(27)

5. **भोग्य व्यय–** राज्य के राजा द्वारा राज्य संचालन में जो व्यय किया जाता है इसे भोग्य व्यय कहा जाता है। इन व्ययों के निम्न व्यय शामिल है।(28)

सोना,चाँदी,निष्क (मोहर-स्वर्ण मुद्रा)के रखने के स्थान (खजाना), रथघोड़े गज, जौ ऊँट,बकरे,भेढ़ें आदि के लिए एवं इनके अध्यक्षों के लिए पृथक-पृथक बने हुए स्थान (गौशाला),अस्तबल एवं ग्रह आदि और बाघ (बाजे),षस्त्र,अस्त्र धान्य,सभार (नाना प्रकार की सामग्री), के स्थान सैन्य बल स्थान तथा मंत्री,शिल्पी नाट्य (नाटक संबंधी),वैद्य,मृग,पाक,पक्षी इनके लिए स्थान एंव संचालन के जो व्यय है। इन सभी की गणना भोग्य व्यय के अंतर्गत की जाती है।(29)

6. **पारलौकिक व्यय–** राजा के द्वारा राज्य में प्रजा एवं स्वयं के लिए धार्मिक एवं अध्यात्मिक मूल्य स्थापित करने के लिए अनुष्ठान एवं धार्मिक गतिविधियां संचालन में जो व्यय होता हैं। वह पारलौकिक व्यय कहलाते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं। जप, होम (यज्ञ),पूजन तथा दान।(30)

लेखा शास्त्र गणक की नियुक्ति – राजा के आय-व्यय लिखने हेतु शास्त्र गणक की नियुक्ति की जाती रही है। शब्द तथा अर्थ के तत्वज्ञ गणना करने में कुशल,निर्दोष, नाना प्रकार की लिपियों के ज्ञाता एवं संदेहरहित एवं लक्षण से युक्त गणक तथा लेखक की नियुक्ति राजा को करना चाहिए।(31)

- **लेखा शास्त्र –**

व्याप्यव्यापकभेदैद्य मूल्यमानादिभि: पुथक्।।
विशिष्टसंज्ञितैस्तद्धि यथायैर्बहुभेदयुक् ।। पेज 105

राजाओं के आय व्ययादिक लेखे,आय व्यय लेखक द्धारा व्याप्य (अल्पविषयक) एवं व्यापक (बहुविषयक) के अनुसार पृथक-पृथक मूल्य और मान (तौल) के अनुसार अनेक प्रकर से लिखा जाता है।(32)

प्रतिवर्ष,प्रतिमास,प्रतिदिन जो नगद,सोना चाँदी पशु धान्य आदि से प्राप्त होता है। वह आय कहलाता है। जो सोना, चाँदी धान्य,नगद आदि धन दूसरे के अधीन कर दिया जाता है। वह व्यय कहलाता है। आय-व्यय लेखक वापस आने वाले और न वापस आने वाले आय तथा व्यय को लिखे।(33)

- **बहीखाते के लेखन –** बहीखाते में पहले संपूर्ण आमदनी किसी बारे में जो व्यय हुआ है,उसे लिखे और बही के बायीं और आय एवं दाहिनी और व्यय लिखने चाहिए। पहले जो वस्तु प्राप्त हो उसे लिखे उसके पश्चात् उसकी संख्या तथा उसके बाद विवरण के साथ जैसा द्रव्य,स्थान हो उसे लिखे। आय कितने हैं और व्यय कितने हैं। किस द्रव्य का कितना शेष है, इन सबका ज्ञान विशिष्ट संज्ञक पूर्वांक व्यापक लेख विशेष से होता है। अत: शेष,आय -व्यय का ज्ञान बहीखाते से ही होता है।(34)
- **परीक्षण –** गणक अथवा लेखक को दैनिक,मासिक वार्षिक विवरण क्रमानुसार लिख कर राजा के समक्ष उपस्थित होकर दिखावे। लेखे का परीक्षण,मंत्री सुमन्त्र आदि द्धारा किया जाता है। संतुष्ट होने के उपरांत लेखे के अंत में आप की अपनी मोहर लगायी जाती है। और यह अंगीकृत करने योग्य है ऐसा लिखा जाता है। तद्गुपरांत अंत में राजा के समक्ष रखा जाता है। राजा उन लेखों पर 'मैंने देख लिया' और यह अंगीकृत है। ऐसा लिखे और उस पर उसक मोहर लगाना चाहिए।(35)
- **निष्कर्ष –** शुक्रनीति के तहत प्रस्तुत शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में प्रचलित आय-व्यय लेखन प्रणाली एवं प्रबंधन प्राचीनकाल से व्यवहार में लाई जाने वाली प्रणाली का ही विकसित रुप है। मूल में वही है। शनै: शनै: मानव सभ्यता,शिक्षा आर्थिक एवं समाज व्यवहार का विकास होने पर लेखन प्रणालियों का स्वरुप बदलता गया और भविष्य में जो भी विकास की ओर अग्रसर होते हुए प्रवृत होती रहेगी। इससे स्पष्ट होता है, कि प्राचीनकाल में भी धन की महत्ता अत्यधिक थी। जिसे व्यवस्थित रुप में उपयोग करते हुए लेखों में संचारित किया जाता था, ऐसा 'शुक्रनीति' के अनुसार स्पष्ट ज्ञात होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्रनीति,नीति विद्या/पृष्ठ 43
2. वही/ पृष्ठ 43
3. शुक्रनीति,नीति शास्त्र,दण्ड नीति/पृष्ठ 12
   दण्ड -नीति रेका विद्याा इत्यौषनसा:।
   तस्यों हि सर्व विद्यारम्भा: प्रतिबद्धा:। अर्थषास्त्र पृ.10
4. शुक्रनीति शास्त्र-
   ब्रह्माध्याय-साहस्राणां शतं चक्रे स्वबुद्धिवम्।
   तन्नार देन शक्रेण गुरुणा भार्गविण च।।
   भारद्धाज -विषालाक्ष-भीष्म -पाराषरैस्तया।
   संक्षिप्त मनुना चैव तथा चान्थैर्महषिभि:।
   प्रजानामयुषो हासं विज्ञान च महात्मना।
   संक्षिप्त विष्णु -गुप्तेन नृपााणमर्थ -सिद्धेये।।
7. शुक्रनीति अध्याय चतुर्थोध्याये:/श्लोक 2,3
8. शुक्रनीति अध्याय चतुर्थोध्याये:/श्लोक 13,14
18. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 337
19. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 338
20. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 340
21. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 341
22. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 342
23. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 343
24. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 344
25. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 345
26. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 346
27. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 347
28. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 348
29. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 349
30. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 350
31. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 351
32. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 321
33. शुक्रनीति द्वितीयो अध्याये:/ श्लोक 322

****

जगदीश गुप्त के काव्य में बिम्ब विधान

डॉ. मंजुला जोशी *

प्रस्तावना – नयी कविता के सशक्त रचनाकारों में जगदीश गुप्त जी का नाम आता है। आपका जन्म रविवार, दिनांक 05 जुलाई, 1926 को हुआ। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम.ए. की डिग्री प्रथम श्रेणी से प्राप्त कर स्वर्णपदक प्राप्त किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कई वर्षो तक कार्य किया एवं कई विद्यार्थी आपसे लाभान्वित हुए।

आपकी रूचि कविता, मूर्तिकला एवं चित्रकला में बहुत अधिक थी। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बनाने में आपकी माँ का विशेष योगदान रहा। पिता की अल्पायु में मृत्यु होने के कारण सारे संस्कार, स्वभाव, शिक्षा गुण माँ ने ही दिए। जीवन के दु:खों ने ही माँ को काव्य के निकट ला दिया। कविता की प्रेरणा माँ से ही प्राप्त हुई। माँ ने ही भाषा का संस्कार एवं आदमी की परख प्रदान की।

इलाहाबाद वैसे भी चिन्तन की भूमि है। जहां रहकर व्यक्ति स्वयं ही चैतन्य हो जाता है। तब गुप्तजी अपनी लेखनी से भला दूर कैसे रह पाते। गुप्त जी के आठ काव्य संग्रह, कला एवं पुरातत्व पर केन्द्रित दो पुस्तके एवं सम्पादित काव्य संग्रह इत्यादि प्रकाशित हुये है।

नयी कविता के संदर्भ में जगदीश गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। आप नयी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। नयी कविता के बिम्ब अनुभव सिद्ध बिम्ब हैं। ये बिम्ब समाज, देश तथा परिवेश के सत्य से स्फूर्त होकर कवियों के अन्तरंग जीवन व्यापारों तथा अन्तरंग सत्य के उद्घाटक बनकर आये हैं। बिम्ब विधान से तात्पर्य उन भावनात्मक शब्द चित्रों से है, जो जीवन के व्यावहारिक पक्ष और कल्पना के शाश्वत लोक से सम्बद्ध हो। अनुभूति का बिम्ब से निकट का सम्बन्ध है। नयी कविता के बिम्ब ज्ञान विज्ञान की अनन्त दिशाओं को पार करते हुए आन्तरिक अनुभूति और बाह्य यथार्थ से समन्वित होकर आए हैं। इसीलिए बिम्ब हमारे चेतन अस्तित्व की प्रथम अभिव्यक्ति कहे जाते हैं। अनुभव और चिन्तन के अनेक स्वरूप आज नयी कविता के अंग बन गए हैं। नयी कविता आधुनिक हिन्दी कविता की नवीनतम उपलब्धि है।

बिम्ब काव्य की जीवन्तता का महत्वपूर्ण उपादान है। बिम्ब विधान सम्पूर्ण काव्य में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। दिनकरजी के शब्दों में – 'चित्र कविता का एक आवष्यक गुण है, प्रत्युत कहना चाहिए कि यह कविता का एकमात्र शाश्वत तत्व है, जो उससे कभी नहीं छूटता।'[1]

काव्य संरचना के शैल्पिक प्रतिमानों में बिम्ब का विशिष्ट स्थान है।

ड्राइवन बिम्ब को काव्य का प्राण-तत्व स्वीकारते हुए कहते हैं कि – 'बिम्ब विधान कविता की उत्कृष्टता नहीं, उसका प्राण तत्व है।'[2]

काव्य का उद्देश्य केवल अर्थ ग्रहण कराना ही नहीं, बल्कि बिम्ब ग्रहण कराना भी होता हैं।

'बिम्ब काल्पनिक या वास्तविक वस्तुओं या घटनाओं के रंग, रूप, ध्वनि, गीत, आकार-प्रकार से परिपूरित चित्र का नाम हैं।'[3]

'काव्य बिम्ब एक प्रकार इन्द्रिय शब्द चित्र है, जो किसी अंष तक अलंकृत होता है तथा जो पाठक के मन में वैसा ही संवेग जगा सकने में समर्थ होता हैं।'[4]

'बिम्ब वह है जो बुद्धि और भावना विषयक पूरे जटिल तंत्र को क्षणमात्र में प्रस्तुत कर देता है।'[5]

बिम्ब वर्गीकरण के मुख्यत: तीन आधार माने जाते हैं – 1) वस्तु का आधार, 2) ऐन्द्रियता का आधार और 3) अभिव्यंजना पद्धति का आधार।

डॉ. शम्भुनाथ चतुर्वेदी ने बिम्बों को दो भागों में विभाजित किया है – ऐन्द्रिय और मानस बिम्ब '[6]

बिम्बों का वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :-

1. दृष्य बिम्ब –
   क) स्थिर, ख) गतिशील, ग) व्यापार विषयक।
2. मानस बिम्ब –
   क) भावानुमोदित, ख) विचारानुमोदित ग) वैज्ञानिक एवं यांत्रिक
3. संवेध बिम्ब –
   क) स्पर्श संवेध, ख) श्रवण संवेध, ग) ध्राण संवेध,
   च) वर्ण-संवेध, ड) आस्वाद संवेध

1. दृश्य बिम्ब – दृश्यात्मकता प्रत्येक बिम्ब का वैशिष्ट्य है। बिम्ब का चाक्षुष सम्बन्ध भी उसी दृश्यात्मक से है। दृश्य बिम्बों का सम्बंध चाक्षुष-गति से होने के कारण उन्हें स्थिर और गतिशील भी माना गया है। स्थिर दृष्य बिम्ब मात्र चित्र बोध कराते हैं, जबकि गतिशील बिम्ब क्रिया व्यापार से सम्बन्धित होते हैं।

शम्बूक में स्थित बिम्ब अवध नगरी के वस्तु सौन्दर्य को प्रस्तुत करता है –

मुद्रिका के स्वर्ण तल-सा
दीप्त सरयू नीर,
नगीने सी अवध नगरी
जड़ी मरकत होकर
दूर तक चोकोर वस्त्रों से
बिछे वन खेत
श्वेत चांदी चूर -सी
फैली हुई थी रेता।' [7]

2. गतिशील बिम्ब – बिम्ब काव्य में गतिशीलता लाते हैं। वहीं चिन्तन की क्रियाशीलता को परिलक्षित करते हैं। मानवोचित भावों की अभिव्यक्ति

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

हेतु प्रकृति का सहारा लिया है।

गुप्तजी के काव्य में गंगा के किनारे रहने का मोह छूटा नहीं हैं। वे गंगा के किनारे आए बाढ़ के दृश्य को स्पष्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार है –

खुले पाल डोली नैया,
मटमैले जल में परछाई,
धुंधली–धुंधली बनती–मिटती,
ल्हराती सांपों की नाई।[8]

'गोपा–गौतम' स्त्री पुरूषों के सम्बन्धो को लेकर लिखा गया संवाद काव्य है। दस वर्ष तक यशोधरा का नि:संतान रहना और दाए–बांए व्यंग्य बाणों के प्रहार निश्चय ही यशोधरा के लिए कष्टकर हैं –

दृश्य बिम्ब –

'दाए–बाए सबकी आँखे,
गूढ़ व्यंग्य करती रहती है
शंकाओं के तूहिन–पात से
मेरा मन घेरती रहती हैं।'[9]

3. **मानस या भाव बिम्ब** – मानस बिम्ब का सम्बन्ध मानवीय चेतना के बौद्धिक एवं भावात्मक स्तर से हैं, विविध भावों और मन: स्थितियों को मूर्त करने वाले बिम्ब उतने ही आकर्षक होते हैं, जितने ऐन्द्रिक बिम्ब, भिन्नता यह है कि इन्हें उपमानों के सहारे आकृति प्रदान की जाती है –

'थकित आत्मविश्वास ढह रहा।
मत के आतप से काया ही,
ओले–सी जा रही गली है।
इस जीवन से मौत भली है।'[10]

गुप्तजी का 'मा' कविता संग्रह मानवीय भावनाओं या यूं कहें कि वात्सल्य रस से ओतप्रोत है तो अतिष्योक्ति नहीं होगा। बड़े भावपूर्ण शब्दों में वे कहते हैं –

'मेरी ओर देखकर
गाय की तरह
निहाल होती हुई
वे कह उठती थी
मेरा बेटा। मेरा बच्चा।'[11]

4. **विचार बिम्ब** – जैसा कि नाम से स्पष्ट है वैचारिक मन्थन का विचार बिम्ब है। लोकतान्त्रिक मूल्यों की विखण्डनात्मक स्थिति एवं खोखली सामाजिक संकीर्ण आस्थाओं पर व्यंग्य करता 'शम्बूक' का विचार बिम्ब उल्लेखित है –

मैं था,
मिट्टी का एक जिन्दा घड़ा,
जिसे लोहे की चोट से,
तोड़ा गया।
फिर चुपके से
गली के अंधियारे
कोने में
टोटके–सा छोड़ा गया।[12]

मनव–मन ही तो सारे विचारों की जड़ है, वहा अपने ताने–बाने बुनता है और वैचारिक मन्थन करता है।

'किसी समय मन कर उठता है मन से विद्रोह
चूर–चूर होकर रह जाता है सब माया मोह
कभी किसी को निर्ममता में भी मिलती है तृप्ति
कभी–कभी अच्छा लगने लगता है अत्याचार
कभी–कभी सुखमय जीवन भी बन सकता है भारी।'[13]

5. **संवेध बिम्ब** – संवेध बिम्बों का सृजन ऐन्द्रिय संवेदना के आधार पर होता है। स्पर्श प्राण, नाद, वर्ण, एवं आस्वाद ऐन्द्रिय वृत्तियाँ है। कवि वृत्तियों के संवेदन विषय बनाकर काव्य में रूपान्तरित करता है। वस्तुत: संवेदना बोधात्मक होने के कारण चित्राकारिता से भिन्न हो जाता है।

देह लहरी या कि लहर को देता पवन झकझोर
अविरल बोल कि जल में वर्षा की बूंदों का शोर
शरमाते से गात कि जैसे छुईमुई के पात।
सुनो हमारी बात
यह चांदी –सी रात।[14]

6. **नाद या श्रव्य बिम्ब** – प्राकृतिक उपादानों की ध्वनि को चित्रांकन के रूप में उभारा गया है। वहीं गंगा के किनारे के खेत जो गंगा की धारा से कवि मन को प्रभावित करते हैं –

'हरे खेत कछार के,
कुछ धार के
इस पार के,
कुछ धार के–
उस पार के
हरे खेत कछार के।'[15]

7. **धाण एवं वर्ण बिम्ब** – गुप्तजी की कविता में धाण एवं वर्ण बिम्ब का भी प्रयोग हुआ है। प्रकृति की फैलती सुगन्ध शम्बूक में द्रष्टव्य है –

भर गया वन प्रान्त
स्निग्ध सुगन्ध से
रोम पुलकित
राम के सम्बन्ध से।[16]

स्वप्न बिम्ब – मानव–मन का सपनों से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कुछ सुप्तावस्था के स्वप्न होते हैं, कुछ जागृत अवस्था के स्वप्न, सुप्तावस्था के स्वप्न जहां कल्पना–लोक में विचरण करते हैं, वहीं जागृत–अवस्था के स्वप्न जीवन के पथरीले पथ पर अदम्य साहस से चलने का स्वप्न देखता है।

जीवन के पथरीले पथ पर
मैं असहाय मनोरथ–रथ पर
मेरी अकलुष–अभिलाषा को एक हृदय अविकार मिल गया।
मुझे स्वप्न साकार मिल गया।[17]

प्रणय व्यापार सम्बन्धी – प्रणय व्यापार संबंधी बिम्ब भी गुप्जी के काव्य में देखने को मिलते हैं। कहीं प्रकृति को माध्यम बनाकर प्रणय भावना व्यक्त हुई है।

'धरा के पास केवल आंसुओं के अनमने कण थे
उन्हीं में झिलमिलाते चाँद के प्रतिबिम्ब उन्मत थे
नयन में प्यार भर कर कौन बरसाता हृदय आया,
कि सब कुछ उन क्षणों में लीन था, जीवन वहीं क्षण थे।
गगन का द्वार दिखलया प्रणय का रश्मि–रथ देकर।
संवारा चांदनी ने चांद को आलोक पथ देकर।'[18]

वैज्ञानिक बिम्ब – नयी कविता पर वैज्ञानिक युग का अत्यधिक प्रभाव है। विज्ञान मनोविज्ञान, रसायन और राजनीतिक क्षेत्र से भी नयी कविता ने सामग्रियां ली हैं, उन्होंने विज्ञान बोध को भलीभांति पहचान सौन्दर्य के

नये-नये अन्वेषण किए हैं।

वैज्ञानिक यंत्र युग से गृहित बिम्बों में अत्याधिक प्रयुक्त उपकरण साइरन रेडियन, मोटर रेल, प्लेटफार्म, टेलीविजन, अणु, एटम आदि का प्रयोग हुआ हैं। इस वैज्ञानिक युग में सर्वत्र यांत्रिक व्यवस्था विराजमान है। सिर्फ मानव-मन को छोड़कर -

यंत्र-बाहु यंत्र चरण यंत्र-हृदय यंत्र-बुद्धि
सब कुछ यंत्रित केवल इच्छाऐं अनियंत्रित
अहों-रात्रि सुबह-शाम
क्षुधा-काम।[19]

ऐतिहासिक एवं पौराणिक बिम्बों का भी नयी कविता में विशेष प्रयोग हुआ हे। 'गोपा गौतम' में गौतम को होने वाला सन्देह गोपा के अन्तर्मन को पीड़ित करता है। वह कह उठता है।

'अन्ततः आप भी तो
रघुवंशी राम की परम्परा के वाहक हैं।
ऐसे का गर्हित संदेह पर
कर दिया जिन्होंने
निर्वासित वनान्त में
अपनी आसन्न प्रसवा
शुभा धर्मपत्नी को।[20]

नयी कविता के बिम्ब अनुभव सिद्ध हैं, फिर जगदीश गुप्त जैसे प्रखर कवि के काव्य में इनका चित्रण बड़ी कुशलता से हुआ है।

नयी कविता की स्त्रोतस्विनी एक ओर मानव मनोविज्ञान तथा क्षणवादी चेतना-पुलिनों के आन्तरिक सत्यों को छूती हुई आगे बढ़ी है। नयी कविता की बिम्ब सम्पदा श्रेष्ठ और असीम हैं।

1. रामधारी सिंह दिनकर : चक्रवाल (भूमिका), पृष्ठ 02
2. ड्रहव : द पोईटिक इमेज, पृष्ठ 25
3. स्टीफन : जे. ब्राडन : वर्ल्ड ऑफ इमेजरी, पृष्ठ 1-2
4. सी.डे. लेविस : नोईटीक मेज, पृष्ठ 22
5. एजरा पाउण्ड : लिटरेरी एलेज, पृष्ठ 8
6. डॉ. शम्भुनाथ चतुर्वेदी : नयी हिन्दी काव्य और विवेचना, पृष्ठ 334
7. जगदीश गुप्त : शम्बुक, पृष्ठ 17
8. जगदीश गुप्त : नाव के पांव, पृष्ठ 80
9. जगदीश गुप्त : गोमा गौतम, पृष्ठ 80
10. जगदीश गुप्त : आदिम एकान्त, पृष्ठ 121
11. माँ के लिए, पृष्ठ 6
12. जगदीश गुप्त : शम्बुक, पृष्ठ 76
13. जगदीश गुप्त : नांव के पांव, पृष्ठ 27
14. जगदीश गुप्त : आदिम एकान्त, पृष्ठ 61
15. जगदीश गुप्त : आदिम एकान्त, पृष्ठ 51
16. जगदीश गुप्त : शम्बुक, पृष्ठ 25
17. जगदीश गुप्त : आदिम एकान्त, पृष्ठ 88
18. जगदीश गुप्त : आदिम एकान्त, पृष्ठ 88
19. जगदीश गुप्त : शब्द-दंश , पृष्ठ 81
20. जगदीश गुप्त : गोपा गौतम, पृष्ठ 76

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

दिनकर की काव्य विषयक आलोचना एवं प्रगतिशील पक्ष

डॉ. रेखा सनवाल *

प्रस्तावना – आलोचना शब्द 'लुच' धातु से बना है। लुच का अर्थ है 'देखना' अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। आलोचना शब्द का अभिप्राय है–किसी साहित्यिक रचना के भाव एवम् कला पत्र में निहित गुणों और दोषों की परख करना है। इस विद्या का उद्‌भव और विकास आधुनिक युगीन अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ है।

जैसा कि आप जानते हैं कि दिनकर जी बहु प्रतिभा एवं समर्थ काव्य और गद्य लेखक रहे हैं। उनके आलोचनात्मक निबंधों में हमें काव्य विषयक मान्यताओं के आधार पर अन्य कवियों पर समीक्षात्मक निबंध मिलते हैं जिनमें मैथिलीशरण, पंत, प्रसाद तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि प्रमुख हैं। इसके लिए उन्होंने प्राय: व्याख्यात्मक एवं तुलनात्मक आलोचना पद्धति को अधिकाधिक रूप से माध्यम बनाया है। 'छायावाद' में दिनकर जी ने प्रसाद जी को 'छायावाद' का सबसे समर्थ एवं सफल कवि माना है। जिसका प्रमुख कारण प्रसाद जी की गम्भीर विचारधारा थी। जिसमें वे व्यष्टि एवं समष्टि के चेतना मुक्त सफल जीवन की कल्पना करते हैं, यही कारण है कि उन्हें उनके विपरीत विचारधारा वाले लोग भी सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। दिनकर जी के शब्दो में 'प्रसाद जी अपनी समस्त दार्शनिकता,ज्ञान, गरिमा और विद्या के भाव को लेकर इस कुहासे में समृद्ध साधक के समान बैठे हुए थे तथा उन्हें वे लोग भी सिर नवाते थे, जो इस नई दुनिया के खिलाफ थे।[1]

दिनकर जी का विचार था, 'छायावाद हिन्दी में उदाय वैयक्तिकता का पहला विस्फोट था। यह केवल साहित्य शैलियों के ही नहीं अपितु समान जीवन की परम्पराओं,रूढियों, वस्त्र निर्धारित मर्यादाओं एवम् मनुष्य की चिन्ता को सीमित करने वाली तमाम परिपाटियोंके विरूद्ध जन्मे हुए एक व्यापक विद्रोह का परिणाम था तथा मनुष्य की दबी हुई स्वतन्त्रता की भावना को प्रत्येक दिशा में उत्प्रेरित करने का क्रांन्तिकारी प्रयास था।'[2]

दिनकर जी 'साकेत' को एक प्राचीन तथा राष्ट्रव्यापी कथानक पर आधारित महाकाव्य मानते हैं, जो भारतीय माानस को हर समय प्रभावित करता रहा यसांकेत' के पात्र प्राचीन काल के होते हुए भी उनमें नवीनता का क्रान्तिकारी भाव परिलक्षित होता है। गुप्त जी ने राम, बाल्मीकि, भवभूति तथा तुलसी के राम से क्रमिक रूप से भिन्न तथा संवेदना एवम् अनुभूति के प्रेरक हैं, जो समाज को सदैव परिवेश के अनुकूल नवचेतनायुक्त आदर्श प्रस्तुतकरते हैं। वर्तमान परिवेश में बुद्धिमान तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे धार्मिकमान्यताओं की अपेक्षा वैज्ञानिक मान्यताएँ अधिक श्रेष्ठ एवं उपयुक्त सिद्ध हो रही है। अत: गुप्त जी पर इसका प्रभाव पडना भी स्वाभाविक था और उसी का परिणाम है कि उन्होंने 'सांकेत' का नायक ऐसे राम को बनाया, जो अवतार की अपेक्षा युग–पुरूष के रूप में समान को अधिक सक्रिय योगदान प्रदान कर सके। दिनकर जी गुप्त जी को अपने इस आशय की पूर्ति में अधिक सीमा तक सफल मानते है, जिसकी पुष्टि के लिए उन्होंने गुप्त जी की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की हैं–

'भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया
नर की ईश्वरता प्राप्त कराने आया
संदेश यहा मैं नहीं स्वर्ग का लाया
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया'

दिनकर जी ने गुप्त जी की नारी विषयक मान्यताओं का भी बड़ा ही स्पष्ट और प्रभावकारी चित्र प्रस्तुत किया है। वे गुप्त जी को ऐसा कवि मानते हैं जो राजनैतिक एंवम् साहिंत्यिक विचारधाराओं का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर, प्राचीन धार्मिक मान्यताओं की नवीनता के सांचे में परिष्कृत करने में पूर्णरूपेण सिद्ध हस्त रहे।

दिनकर जी के शब्दो में–'उन्होंने नारी के प्रति अपनी निश्छल सहानुभूति प्रकट करके पुरूषों के भीतर ये प्रेरणा जागृत भी की हमें स्वेच्छा से नारियों को उनके अधिकार समर्पित कर देने चाहिए।'[2]

गुप्त जी एक सफल राष्ट्रकवि की यशरूपी भूमिका लगभग 60 वर्षो तक निभाते रहे, जिसमें उन्होंने एक सचेतक की भाँति विश्व के किसी भी राष्ट्र् से आने वाले प्रभावशाली विचारों को सहर्ष अपनाया है तथा इस बीच जो भी बडी घटनाएं घटी उन्हें काव्य में समाहित करने का सफल प्रयास किया। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनकर जी ने गुप्त जी को एक राष्ट्रकवि के रूप में पूर्ण योग्य और सफल कवि पाया है।

हिन्दी जगत में खडी बोली छायावादी परम्परा के सर्वश्रेष्ठ कवि स्व. जय शंकर प्रसाद जी के महाकाव्य 'कामायनी' के संबंध में दिनकर ने अपना विचार व्यक्त करते हुए पाठकों का ध्यान कामायनी के तत्व के साथ–साथ प्रगीतात्मकता की ओर भी आकृष्ट किया है। दिनकर जी ने लिखा है–'अपार संख्या तो उन्हीं आलोचको की है, जो कथानक की दिव्यता और शैव दर्शन के वैभ्राज्य के सिवा 'कामायनी' में और कुछ देख ही नहीं पाते।'[3]

दिनकर जी ने 'कामायनी' काव्य में एक अनपढ़ मनुष्य के सफल जीवन यात्रा की झाँकी पायी है क्योंकि मनु गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पश्चात् कालान्तर में श्रद्धा के प्रिय मृग की बलि चढ़ा देते हैं। श्रद्धा के गर्मिणी होने के समाचार से गृह त्याग कर चले जाते हैं। इस पर पेमाकुल होकर बलात्कार करने के प्रयास में अपमाणित और मूर्च्छित होते हैं। अन्त में श्रद्धा के सहारे त्रिलोक पहुँच जाते हैं। मानवता और मृदुलता का उदय उसमें श्रद्धा

* सहायक प्राध्यापक, केम्ब्रिज कॉजेल ऑफ एज्यूकेशन, बिरार, जिला – झजर (हरियाणा) भारत

एवं बुद्धि के समन्वय से प्रस्फुटित होता है। इस तथ्य के लिए दिनकर जी की निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं-'बुद्धि यथैष्ठ नहीं है। मनुष्य यदि शान्ति चाहता है तो उस धर्म का सहाय चाहिए जिसे वह पीछे छोड चुका है।'[4]

'कामायनी' छायावाद काव्यधारा का महाकाव्य होते हुए भी छायावाद के समस्त गुण ढोषों से परिपूर्ण है, क्योंकि छायावाद सत्य से अधिक कल्पनायुक्त से अधिक स्वप्न, कोलाहल से अधिक एकान्त तथा निष्कम्प सौन्दर्य का अन्वेषक रहा है। इस संबंध में दिनकर जी के विचार इस प्रकार हैं – 'छायावादियों ने केवल लक्षण ही सोने के नहीं गढे उन्हें रखने की मंजुबा भी उन्होंनें सुवर्ण की ही रच डाली।'[5] इस काव्य की पुष्टि प्रसाद जी की निम्न पंक्तियों में दर्शनीय है-

'जलदागम भारूत से कपित पल्लब-मद्दश्य हथेली,
श्रद्धा को धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली।'

दिनकर जी के अनुसार प्रगतिवाद कोई धारा न होकर छायावाद का ही एक रूप है, जिसके भीतर से राजनीतिवाद सुनाई पडती है। दिनकर जी का विश्वास है कि खड़ी बोली में कविता का जागरण अब तक एक ही बार हुआ है। जिसका रूप छायावाद का अभ्युत्थान है, तद्गुपरान्त जो भी परिवर्तन सामने आया वह छायावाद की ही प्रक्रिया मात्र है-खड़ी बोली में कविता का जागरण एक ही बार हुआ और वह या छायावाद उसके बाद से जो भी हुआ है। वह छायावाद के परिपाक की प्रकिया मात्र है।'[6]

परन्तु छायावाद की एक बेजोड़ देन हमारे सामने आयी, वह खडी शैली को मृदुल बनाने की है जिसके आधार पर खड़ी बोली समाज, साहित्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर सकी। दिनकर जी के शब्दोंमें 'छायावाद युग की सबसे बड़ी देन यह रही है कि उसके मंत्र-गृह में एक समय कर्कश समझी जाने वाली खड़ी बोली गलकर मोम हो गयी।'[7]

दिनकर जी यह मानते हैं कि अनुभूतियों के अनुरूप छंद विधान होना चाहिए। उनका कथन है-'अगर आज हमारी मनोदशाओं का मेल,प्राचीन अथवा प्रचलित शब्दों से नहीं बैठता है तो हमें इसका अधिकार होना चाहिए कि अपने अनुरूप हम नये छन्दों का विधान कर लें, जिसके माध्यम से हमारी अनुभूतियाँ पूरे बल और चमत्कार के साथ प्रकट हो सके।'[8]

'बलिशाला ही हो मधुशाला' निबंध में दिनकर जी ने माखनलाल के काव्य की समीक्षा की है और उनमें सूकियों जैसे प्रेम-विहवलता को देखा है। इस संबंध में उनका कथन है कि 'सूकियों का प्यार कल्पना पर आधारित है जबकि माखनलाल जी का व्यवहारिकता पर इसके लिए उन्होंने रूपक प्रस्तुत किया है। खाली आग से जलकर सीखने वाले हृदय की आह उस आह की बराबरी नहीं कर सकती जो दमन की प्रत्यक्ष ज्वाला में पडकर तडपने वाले हृदय से निकलती है। दमन जनित यातनाओं को माखन लाल ने आराध्य के वरदान के रूप में अंगीकार किया और उन्हें शुद्धि का मार्ग भी मान लिया। इसी यातना में उनका विरह बजता है, उनकी आध्यात्मिक वेदना बोलती है तथा भक्ति-विहवल हृदय पुण्य-स्नान करता है।'[9]

दिनकर जी ने सियारामशरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओ का विवेचन बड़े ही तर्कपूर्ण एवं प्रभावकारी ढंगसे किया है जिसमें सौन्दर्य की अपेक्षा सत्य पर विशेष ध्यान केंन्द्रित किया है। दिनकर जी के शब्दों में- 'सियारामशरण जी कला की आराधना कम, विचारों का सेवन अधिक है। उनका उद्देश्य सौन्दर्य-सृष्टि नहीं, प्रत्युत कविता के माध्यम से सत्य का प्रतिपादन है। प्रसन्नता उन्हें इसलिए नहीं होती कि सुन्दर सुरों में गति है प्रत्युत् इसलिए कि उनका गान-सार संयुक्त है। हिन्दी संसार में उन्हें जो सुयश मिला है, वह भी निरूकता निर्माण के लिए नहीं, प्रत्युत् विचारों की शुद्धता एवं भावों की पवित्रता के कारण ही।'[10]

आज के पाठक रीतिकालीन कविता के अध्याय से निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दिनकर के अनुसार रीतिकाल की कविताएँ बुरी नहीं, निस्तेज हैं। इस काल में रूप की दृष्टि तो हुई किन्तु कवियों ने अपने हृदय की बेचैनी नहीं लिखी और घनानन्द तथा बोधा को छोड दें तो लगता ही नहीं कि रीतिकाल के कवियों का अपना भी कोई प्रेम था।'[11]

लेकिन इसका निदान उस समय देखने को मिलता है, जब हिन्दी साहित्य में सूफी प्रेम का प्रभाव पडा। जिसमें परिणामस्वरूप हिन्दी कविता में नई अदा, नई तडप और बेचैनी पैदा हुई जिसने इसे सजीव बनाया। यह भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की विशेषता रही है कि जो उसके सम्पर्क में आया उससे उसने अनुकूल अंश में समन्वित कर लिया। इसका उदाहरण हमें भारतेन्दु और घनानन्द के काव्यो में स्पष्ट में मिलता है।

कुल मिलाकर रीतिकाल का मूल्यांकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि रीतिकालीन कविता की भी अपनी विशेषताएँ हैं, भले ही वे आज के पाठक के मनोनुकूल न पडती हों। इस संदर्भ में दिनकर जी के विचार है-'रीतिकाल चाहे जितने भी निर्जीव सौन्दर्य का काल पडा हो, किन्तु वह हिन्दी के आधुनिक काल की पार्श्वभूमि में पडता है और उनमें नवीनता के बीज जहाँ-तहाँ अवश्य मिलते हैं।'[12]

'प्रयोगवाद' नामक निबंध में दिनकर जी ने प्रगतिशील विचारधारा की भ्रमात्मक स्थिति का वर्णन किया है। जो किसी क्रान्ति के बहाव में आकर यह प्राप्ति की चेष्टा करने लगे अथवा जो कालान्तर में मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। दिनकर जी ने लिखा है-'इस आन्दोलन के सिलसिले में पहले तो वे सभी लोग एक वृत में गिने गये, जो साम्राज्यवाद, शोषण और औपनिवेशिकता के विरूद्धथे, किन्तु आगे चलकर यह वृत और छोटा बना दिया गया। अब उसमें केवल वही साहित्यकार गिने जाते हैं। जिनका लक्ष्य मार्क्सवादी दर्शन की आराधना है।[13]

साहित्य में वैज्ञानिकता के पक्ष पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए दिनकर ने कहा है कि सृष्टि यंत्र के सद्दश्य नहीं है और विज्ञान की कसौटी पर साहित्य का समुचित मूल्यांकन करना टेढ़ी खीर के समान है। 'भविष्य की कविता' शीर्षक कविता में दिनकर जी साहित्य के बदलते स्वरूप की चर्चा करते हैं क्योंकि उन्होंने विज्ञान के प्रभाव को पाश्चात्य साहित्य में स्पष्ट रूप से देखा है और उसी के आधार पर उन्होंने यह आभास किया है कि विज्ञान के प्रभाव से साहित्य (रीतिकाल छायावाद और प्रगतिवाद आदि)में प्रयुक्त रंगीनियों, कोमलताओं और भावनाओं की गर्मी का परित्याग कर काल्पनिक के स्थान पर स्थुलता की ओर अग्रसर होगा। इसकी झलक दिनकर जी के निम्न शब्दों में मिलतीहै-'जातियो में दार्शनिक और वैज्ञानिक का ज्यों-ज्यों विकास होता है, त्यों-त्यों संवेग की गर्मी और कविता का आदेश घटता जाता है। विज्ञान के विकास का प्रभाव यह होता है कि साहित्य की शैली में सुनिश्चिता तो आती है किन्तु उसका आवेशमय प्रभाव क्षीण हो जाता है।'[14]

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दिनकर जी कविता में नये छंद, नयी भाषा, नयी लय, नया चित्र लाने के समर्थक हैं। उनके विचार में इनसे साहित्य में नया मोड़ आता है और साहित्य का भण्डार भी बढता है। दिनकर जी के मत से भावी कविता को सम्मान मिलेगा, क्योंकि वह कल्पना जगत या रीति से ऊपर उठकर भौतिकता में होने वाले कोलाहल और कुण्ठाओं का चित्र प्रस्तुत करेगी जो प्राय: हर मनुष्य के मन में आन्दोलन पैदा कर रहे हैं। उन्होने लिखा है-'भावी कविता केवल शैली के कारण पूजी नही जाएंगी।

उसकी पूजा का कारण यह होगा कि वह मनुष्य के आत्म निरीक्षण की कविता होगी, वह अपने अस्तित्व के भीतर आप निमग्न होने की कविता होगी, वह मन के भीतर चलने वाली मनोवैज्ञानिक प्रकिया की कविता होगी। उस कविता में मिठास और रंगीनी कम, बौद्धिक चिन्तन की कठोरता अधिक होगी।'[15]

दिनकर जी ने प्राचीन काल के साहित्य से लेकर नव्यतम साहित्य एवं अनेक विदेशी भाषा के साहित्य का गहन अध्ययन किया है। इस व्यापक एवं गहन अध्ययन का प्रभाव उनकी आलोचनाओं पर भी पडा है। इसी के परिणामस्वरूप उनके काव्य एवं गद्य कृतियों में बौद्धिक विकास के साथ–साथ शैली में भी प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'मिट्टी की ओर पृष्ठ संख्या 20
2. डॉ.रामधारी सिंह दिनकर, पंत, प्रसाद, और मैथिलीशरण पृष्ठ संख्या 30
3. डॉ.रामधारी सिंह दिनकर,पंत,प्रसाद,और मैथिलीशरण पृष्ठ संख्या 43
4. डॉ.रामधारी सिंह दिनकर,पंत,प्रसाद,और मैथिलीशरण पृष्ठ संख्या 44
5. डॉ.रामधारी सिंह दिनकर,पंत,प्रसाद,और मैथिलीशरण पृष्ठ संख्या 60
6. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'मिट्टी की ओर पृष्ठ संख्या 15–16
7. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'मिट्टी की ओर पृष्ठ संख्या 26
8. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'मिट्टी की ओर पृष्ठ संख्या 84
9. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'मिट्टी की ओर पृष्ठ संख्या 117
10. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर ' मिट्टी की ओर पृष्ठ संख्या 125
11. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'मिट्टी की ओर पृष्ठ संख्या 134
12. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'काव्य की भूमिका' पृष्ठ संख्या 2
13. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'काव्य की भूमिका' पृष्ठ संख्या 23
14. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'काव्य की भूमिका' पृष्ठ संख्या 62
15. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 'काव्य की भूमिका' पृष्ठ संख्या 71

****

दिनकर का बाल साहित्य - एक विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. रेखा सनवाल *

प्रस्तावना – दिनकर जी ने जिस प्रकार काव्य और गद्य की विविध विधाओं में प्रौढ़ रचनाएँ लिखकर हिन्दी साहित्य को समृद्ध और गौरवान्वित किया उसी प्रकार उनका गद्य में लिखा हुआ बाल-साहित्य भी कम समृद्ध और उपादेय नहीं है। इनके द्वारा रचित बाल-साहित्य मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार का है-जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ राष्ट्रीयता, समन्वयात्मकता और ज्ञानवर्द्धन है। दिनकर जी ने अपने बाल साहित्य में ऐतिहासिक एवं पौराणिक सन्दर्भ को अपनी मेधा और कल्पना की प्रबल शक्ति से सामयिक बना दिया है।

दिनकर जी का बाल-साहित्य एवं उनके प्रकार – दिनकर जी ने गद्य में बाल-साहित्य की कुल दो पुस्तकें लिखी हैं। प्रथम 'चित्तौर का साका' जिसका रचना-काल सन् 1949 है। द्वितीय 'भारत की सांस्कृतिक कहानी'जिसका रचना-काल सन् 1955 है। दिनकर जी राष्ट्र प्रेमी थे। अत: उनके बाल-साहित्य में भी राष्ट्र प्रेम की भावना समुन्नत रस में मिलती है। उन्होंने अपने बाल-साहित्य में राष्ट्र की आवश्यकतानुसार बहुमुखी विषयों का निरक्षण किया है। जिसके माध्यम से उन्होंने बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ उनमें देश प्रेम और बलिदान की भावना को कूट-कूट कर भरने का सफल प्रयास किया है। दिनकर जी ने बाल-साहित्य गद्य और पद्य दोंनों रसो में लिखा है। जो मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की हैं। दिनकर के पद्य बाल- साहित्य की पुस्तकें इस प्रकार है:-

1. 'धूप छांह
2. 'मिर्च का मजा' तथा
3. 'सूरज का ब्याह'।

उनके गद्य बाल-साहित्य की दो पुस्तके प्रकाशित हैं।

1. 'चित्रौर का साका तथा 2. 'भारत की सांस्कृतिक कहानी'

जहाँ वे एक तरफ चित्रौर का साका के माध्यम से परोपकार तथा राष्ट्र के हित में युद्ध एवं बलिदान की शिक्षा देना चाहते हैं। वहीं भारत की सांस्कृतिक कहानी में उन्होंने धार्मिक,राजनैतिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयो पर अपना विचार व्यक्त कर देश के भावी नागरिकों अर्थात् बच्चों का मनोरंजन के साथ-साथ भविष्य निर्माण करने का प्रयास किया है, जो कि प्राचीनता लिए हुए भी आधुनिकता के अति समीप बड़ा ही ओजस्वी तथा प्रभावकारी है।

दिनकर जी ने अपने ऐतिहासिक बाल-साहित्य की पुस्तक 'चित्तौर का साका' को तीन साका में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक साका में अलग-अलग विषय हैं। 'चित्तौर का साका' में तीन महान् वीरों की घटनाएँ अंकित हैंजो अपने वीरता त्याग और बलिदान के लिए विश्व के इतिहास में सुप्रसिद्ध है। इसमें महाराजा भीम सिंह, हठी हम्मीर तथा मेवाड मुकुट राणा सांगा से सम्बन्धित युद्धों का चित्रण किया गया है। दूसरे साका में शिशोदिया वंश की छुट-पुट घटनाएं तथा पन्नाधाय का अपूर्व बलिदान है, जो इतिहास प्रसिद्ध है। तीसरा साका राजा उदय सिंह तथा गोरव के अन्तिम शिखा महाराजा प्रताप के जीवन की अमर गाथा है, जो आज भी भारत की गरिमा और त्याग के दीपक के रूप में भारत के इतिहास में जगमगा रहा है। चित्तौर का साका नितांत ऐतिहासिक है परन्तु राष्ट्र प्रेम,गौरव तथा परोपकार की भावना से ओत-प्रोत है। दिनकर जी के शब्दो में शर्त अपमानजनक थी, किन्तु नगर वासियों पर आए हुए संकट को दूर करने के लिए भी भीम सिंह ने इस सुधार के साथ शर्त को स्वीकार कर लिया कि रानी पद्मिमनी किसी ऐसी जगह पर छिप कर ख़डी रहेगी, जहाँ से उनका प्रतिबिंब आइने में दिखाई पड़ता हो।'

जहाँ चित्तौर वंश के राजाओं का मनोबल और त्याग चरम कोटि का है वही उनके सेना की कर्तव्यपरायणता, साहस और वीरता का भी अपना विशिष्ट स्थान है, जो कि शत्रुओं का कलेजा कांपने, मनोबल गिराने तथा रण-क्षेत्र को छोडकर तित्तर-बित्तर होने को बाध्य कर देता है।इसके प्रमाण दिनकर जी के निम्न गद्यांश से स्पष्ट हो जाता है- 'हर-हर महादेव' का नारा लगाते हुए राजपूत काल बनकर दुश्मनों की छावनी पर टूट पड़े। कहते हैं उस दिन सिर्फ पाँच हजार राजपूतों ने पठानों के चक्रव्यूह में घुसकर ऐसा प्रलय मचाया कि पठान जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे और अलाउद्दीन का महीनों से डाला हुआ घेरा,बात की बात में तहस-नहस हो गया।

ये है भारतीय ललनाओं का उच्च आदर्श एवं उनका उत्सर्गमय जीवन जो अपने गौरव और आत्म सम्मान की रक्षा में सदैव संलग्न दिखायी पड़ती है। इसके द्वारा हम यह देखते हैं कि भारतीय नारियों में चेतना का संचार होगा तथा परतंत्रता के कारण उत्पन्न निराशा आत्म ग्लानि और हीनता की भावना से ऊपर उठकर देश की रक्षा,सम्मान,परोपकार और नर-नारी के सच्चे कर्तव्य का पालन कर सकेगी।

दिनकर जी भारत के भावी नागरिकों को राष्ट्र के प्राचीन गौरव, पूर्वजों की निष्ठा और दृढ़ प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए हठी हम्मीर के शब्दों से कहते है- 'मैं बप्पा रावल और खुमान, समरसी तथा लखुमनी जैसे नर-नाहरों का वंशधर हूँ और मेरी नसों में वही लहू प्रवाहित हो रहा है, जो उन प्रात: स्मरणीय वीरों की धमनियों में प्रवाहित होता था। लीजिए मेरी यह अंतिम प्रतिज्ञा है कि या तो दुष्ट मुंज का मस्तक अपने भाले पर टांगे हुए मैं आपके चरणो में अपना अभिनन्दन अर्पित करने को वापस फिरूंगा या फिर कैलबारा आकर आपको अपना मुख ही नहीं दिखाऊँगा।'[3]

चित्रौर का दूसरा साका पुरूषों की वीरता के साथ-साथ उनसे भी

* सहायक प्राध्यापक, केम्ब्रिज कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, बिरार, झज्जर (हरियाणा) भारत

बढ़कर नारियों की सच्चरित्रता का गुणगान है। जब-जब राजपूतों पर संकट आया उनकी नारियां आगे बढ़कर पुरूषों के कन्धों से कन्धा मिलाकर संकट की बेला में आगे आती है। इतना ही नहीं, गम्भीर से गम्भीर परिस्थितियों में वे सारा भार अपने ऊपर उठा लेती हैं। इस प्रकार अपने जीवन का उद्देश्य केवल एक पक्षीय ना रखकर बहुपक्षीय रखती है।

भारत के इतिहास में पन्ना धाई का नाम बेजोड़ एवं स्वर्णिम अक्षरों मेंअंकित है। और कहानी आज भी भारतीय जनमानस की प्रेरिका बनी हुई हैं। पन्ना दासयी नारी होते हुए भी अत्यंत दूरदर्शी थी, जो अपने अनुभव के आधार पर भविष्य में आने वाले संकट को पूर्व ही ताड़ लेती थी।

पन्ना धाई के अपूर्व बलिदान का दृश्य उस समय सामने आता है, जब वह उदय सिंह की सेज पर अपने पुत्र को बलिदान हेतु सुला देती है। दिनकर जी के शब्दों में 'उसने निश्चित रूप से समझ लिया था कि हत्यारा बलबीर उदय सिंह को खोजते हुए उसके कक्ष में आता ही होगा। अतएव जल्दी-जल्दी उसने पेट से जन्में हुए ठीक उदयसिंह की ही उम्र के बालक को उदय सिंह की सेज पर सुला दिया और स्वयं आसन्न संकट की प्रतीक्षा करती हुई वहीं पास में खड़ी हो गई।'

चित्तौर के तीसरे साका के माध्यम से दिनकर जी ने पाठकों को अपने अनुभव के आधार पर यह बताया है कि शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम विपत्तियाँ हैं। मनुष्य की आयु से ही शिक्षा का संबंध नहीं है। जहाँ एक ओर आराम और राजमहल में पला हुआ व्यक्ति संसार की सभी प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। जिसके लिए उन्होंने अकबर का प्रमाण दिया जो कि बारह वर्ष की लघु आयु में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करता है। दिनकर जी कहते हैं- 'मुसीबतों की शिक्षा जीवन की सबसे बडी शिक्षा होती है। विपतियाँ ही विद्यालय हैं, जहाँ पर सीखे हुऐ पाठ मनुष्य को जीवन भर काम देते हैं।'

दिनकर जी का उच्च कोटि का बाल-सांस्कृतिक साहित्य है। इसमें उन्होंने पुराण काल से लेकर अब तक की संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाओं का अलग-अलग शीर्षक से सूत्रवत किया। इसमें विषय क्रम निम्न प्रकार से रखा है।

1. संस्कृति क्या है ?
2. हिन्दू संस्कृति कैसे जन्मी?
3. आग्नेय जाति की देन
4. द्रविड जाति
5. द्रविडों की देन
6. मिली-जुली संस्कृति
7. महावीर और बुद्ध का विद्रोह
8. हिन्दू धर्म और इस्लाम तथा
9. भारत और यूरोप का मिलन

इस प्रकार यदि हम गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस छोटी-सी पुस्तक में दिनकर जी ने वेद और पुराणों से प्रारम्भ करके आधुनिक काल तक के धर्म और संस्कृति को अत्यंत आकर्षक ढंग से संजोया है, जिसमें अनेक धर्मों और जातियों के परस्पर सम्पर्क से निर्मित नयी सभ्यता और संस्कृति का समन्वित रूप है।

सर्वप्रथम दिनकर ने संस्कृति का अर्थ समझाते हुए संस्कृति और सभ्यता दोनों पर्यायवाची शब्दों में भेद को स्पष्ट किया है। जिनका साधारण रूप से हम एक दूसरे का रूप समझते हैं। दिनकर जी ने अंतर समझाते हुए लिखा है 'सभ्यता मनुष्य का वह गुण है, जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है, जिससे वह अपनी भीतरी उन्नती करता है, दया-माया और परोपकार सीखता है, गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आन्नद लेने की योग्यता हासिल करता है।' इस तरह दिनकर जी का विचार स्पष्ट होता है कि जो कुछ हमारे पास है, जिस पर हम सरलता से दृष्टिपात नहीं कर सकते हैं। वह संस्कृति है।'[4]

'हिन्दू संस्कृति कैसे जन्मी नामक शीर्षक में दिनकर जी ने पाठक का ध्यान भारत के प्राचीनतम् इतिहास की ओर खींचते हुए स्पष्ट किया है कि भारत सभ्यता और संस्कृति में दुनिया के प्राचीनतम् सभ्य देशों में से है जिसकी सभ्यता और संस्कृति के लगभग आठ हजार वर्ष पूर्व के प्रमाण मोहन जोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई से प्राप्त होते हैं। सच पूछिए तो भारत में सभ्यता और संस्कृति का प्रारम्भ आग्नेय जाति से हुआ। जिसमें हब्सी मंगोल और बाद में द्रविड तथा आर्य जाति की संस्कृतियाँ समाहित होती रही।

दिनकर जी ने कर्म पर विशेष बल दिया है और आराम को व्यक्ति और राष्ट्र का महान शत्रु बताया है। इस प्रकार समकालीन समाज में व्यापत निराशा और अकर्मण्यता को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है-'देश और जाति में ताकत तभी तक रहती है, जब तक मुसीबतें उन पर आती रहती हैं। जब तक संघर्ष और चिन्ता में रहना पडता है। आराम जैसे आदमी का दुश्मन है वैसे ही वह देशों का भी दुश्मन है।'[5]

विज्ञान तथा बुद्धिवान का प्रभाव दिनकर जी पर भली भाँति पड़ा है। इसलिए वे धर्म को भी बुद्धिवाद की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। इस सम्बन्ध में उनका विचार इस प्रकार है-'विज्ञान और बुद्धिवाद ये मनुष्य को यह सिखा देते हैं कि असम्भव बातों पर विश्वास मत करो, सोच समझ कर उन्हीं बातों को मानो जो तुम्हारी बुद्धि में समा सकती हैं। हर चीज को पहले शंका की दृष्टि से देखो और जब शंका का समाधान मिल जाए तभी उस चीज को कबूल करो। यहाँ तक कि धर्म भी शंका से ऊपर नहीं हो। धर्म की पहचान भी बुद्धि से की जानी चाहिए और अगर बुद्धि की समझ में धर्म ही आता हो तो धर्म ही छोड देने की चीज है।'[6]

दिनकर जी ने लिखा है कि 'आज हम जिस हिन्दू धर्म को मानते हैं, वह इन्हीं पण्डितों और साधुओं के द्धारा सुधारा हुआ हिन्दू धर्म है। इस हिन्दू धर्म में बुद्धिवाद भी है क्योंकि आज का हिन्दू अंधा बनकर किसी बात में विश्वास नहीं करता, वह धर्म की बातों को भी बुद्धि की कसौटी पर जाँच करता है। इस नये हिन्दू धर्म में उदारता भी है क्योंकि वह न तो हठ करता है कि ईश्वर निराकार है और न इसी बात की जिद्द करता है कि वह साकार है। यह हिन्दू धर्म इस्लाम और ईसाईयत का भी आदर करता है और यही कारण है कि अब लोग इस नये हिन्दुत्व को संसार के सभी धर्मो की भूमिका कहते हैं।'[7]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. 'चित्तौर का साका'-रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ सख्या-2
2. 'चित्तौर का साका' -रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ सख्या-4
3. 'चित्तौर का साका' -रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ सख्या-6
4. द्रष्टव्य भारत की सांस्कृतिक कहानी, पृष्ठ संख्या-39
5. द्रष्टव्य भारत की सांस्कृतिक कहानी, पृष्ठ संख्या-39
6. द्रष्टव्य भारत की सांस्कृतिक कहानी, पृष्ठ संख्या-55-56
7. द्रष्टव्य भारत की सांस्कृतिक कहानी, पृष्ठ संख्या-56

****

संस्कृत और प्राकृत साहित्य के विकास में मुनि श्री प्रणम्यसागरजी का योगदान

डॉ. संगीता मेहता *

प्रस्तावना – भाषितमर्हज्जिनवरदेवैर्गुम्फितमेतद् गणधरदेवैः।
भक्तिवशोऽहं श्रुतयुतवाणीं नौमि सदा भारति पथि गन्तुम्।।
–शारदाष्टकम्–1

अर्हन्त जिनेन्द्र देवभाषित श्रुत को ही गणधरो ने गुम्फित किया है। मोक्ष पथ पर चलने के लिए श्रुत सहित वाणी जिन भारती को मैं सदैव भक्तिपूर्वक नमन करता हूँ।

श्रुताराधक, श्रमणसंस्कृति के पुरोधा, तन से तेजस्वी, मन से मनस्वी और ऊर्जस्विनी लेखनी के पर्याय, स्वनाम–धन्य मुनि पुंगव प्रणम्य सागर जी की बहुआयामी रचना धर्मिता प्रणम्य है।

जिनवाणी की साधना और आराधना में तत्पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने स्वपर कल्याण की भावना से प्राचीन जैनागमों को आत्मसात किया तथा जनजन के हितार्थ पूर्वाचार्यो द्वारा रचित ग्रन्थों का अध्ययन, मनन तथा चिन्तन कर उनमें निहित गूढ तत्ववों तथा अर्थो को उद्घाटित करने के लिए नवसृजन करके संस्कृत, प्राकृत साहित्य को समृद्ध किया।

संस्कृत, प्राकृत, और हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में गद्य, पद्य, धर्म और दर्शन के साथ ही मानव जीवनपयोगी समसामयिक विषयों पर अत्यंन्त प्रेरक और उपादेय लगभग अर्धशतक कृतियों का सृजन किया।

जैन संस्कृति का सरंक्षण एवं संवर्धन, धार्मिक, शैक्षिक, बौद्धिक एवं समाजोत्थान के अनेक कार्यक्रम मुनि श्री प्रणम्यसागरजी की सुदूर दृष्टि एवं सर्वतोमुखी रचनाधर्मिता के परिचायक है। संस्कृत, प्राकृत, रचनाधर्मिता इनमें शीर्षस्थान पर है। जैन धर्म और दर्शन के मर्म को हृदयंगम करने के लिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की छत्रछाया में संस्कृत और प्राकृत भाषा का गहन अध्ययन किया। तप, संयम साधना और ज्ञान में वैराग्य को परिष्कृत किया।

जैनागम और जैन शास्त्रों का सतत स्वाध्याय किया। तदनन्तर मौलिक ग्रन्थों का सृजन किया। पूर्वाचार्य प्रणीत सिद्धांत ग्रंन्थों पर संस्कृत, प्राकृत जिनवाणी को तो समृद्ध किया ही साथ ही जन जन के कल्याण का पथ प्रशस्त किया।

मुनि श्री की रचनाओं में अनुशासित श्रमण, तपस्वी साधक, विनयशील शिष्य, चिन्तक, विचारक, अध्यामवेत्ता दार्शनिक, समाजकल्याणकारक, जैन संस्कृति उन्नायक तथा सत्पथप्रदर्शक आदि स्वरुप के दर्शन होते है। निस्संदेह आप स्वनामधन्य प्रणम्य हैं।

संस्कृत रचना धर्मिता – श्रायस पथ, स्तुति पथ, श्रीवर्धमान स्तोत्र, दार्शनिक प्रतिकमण तथा अनासक्त योगी (अप्रकाशित) आदि स्वतंत्र मौलिक सृजन सहृदय कवि श्रमण श्री प्रणम्य सागरजी की संस्कृत रचनाधर्मिता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

श्रायस पथ – जनजन के श्रेयस का पथ प्रशस्त करने वाली काव्य कृति श्रायस पथ संस्कृत में रचित है। 225 पद्यमय श्रायसपथ का विविध सत्रह छन्दों में गुम्फन है। मंगलाचरण के रुप में पंचपरमेष्ठी एवं जिनवाणी का वन्दन कर पूर्वाचार्यो एवं गुरुपंरम्परा के नमन से काव्यारंभ किया है।

दुर्जन स्वभाव, श्रायसपथ, देव आगम, गुरु महिमा, कर्मविचार, उपयोग कथन, अंहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत, योगविचार, आत्मचिंतन प्रेरणा, दीक्षा महिमा, आलौकिक मुनिवृत्ति, आत्मचिंतन प्रेरणा, दीक्षा के परिप्रेक्ष्य में विवेचन कर सामान्य सम्बोधन किया है, जिसमें देश, काल, राष्ट्रभाषा, कृषि, कर्तव्य अकर्तव्य बोध, समसामयिक विषयों एवं समस्याओं के निराकरण आदि विषयों का सटीक और सार्थक विवेचन है।

सहज बोधगम्य और प्रासादिक भाषा में समायोजित ये विषय श्रावक और श्रमणोपयोगी है, साथ ही हर आयु वर्ग के जन की समस्या का समाधान करने में समर्थ है।

साहित्यिक सौन्दर्य से मण्डित यह रचना माधुर्य गुण, वैदर्भी और पांचाली रीति से अन्वित है तथा चित्रालंकार शब्दालंकार तथा अर्थालंकार से सज्जित है। मुरजबन्ध चित्रालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेषादि शब्दालंकार, उपमा रुपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत विरोधाभास और उदात्त आदि कवि के प्रिय अलंकार है। आर्याअनुष्ट्रप, उपजाति, वंशस्थ, मालिनी, द्रुतविलम्बित शार्दूलविक्रीडित आदि छन्दों के सुष्ठु प्रयोग है।

भक्ति, आराधना, तप और ज्ञान, धर्म, दर्शन और जीवन का अद्‌भुत समन्वय श्रायस पथ में है।

स्तुति पथ – आराध्य के प्रति आराधक के हृदय की अन्तः प्रेरणा से अनुस्यूत मनोहर तथा अध्यात्म सौरभ से सुवासित शब्द सुमनों की माला है 'स्तुतिपथ'। श्रुतोपासक श्रमण श्री प्रणम्यसागर जी ने स्तुतिपथ में दस अष्टकों की रचना करके काव्य की अष्टक परम्परा को पुनः नवजीवन और नवप्रवाह प्रदान किया है।

जिनशासन की जयवन्तता की अभिव्यक्ति से कृति का मंगलाचरण 5 पद्यों में किया है। तदनन्तर तीर्थंकर महावीर आ. भरतमुनि, शारदा (जिनवाणी), आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य समन्तभद्र, आचार्य शान्तिसागर, आचार्य ज्ञानसागर, आचार्य विद्यासागर, मौन का महत्व तथा निजबोध की स्तुति है। अंत में आचार्य श्री ज्ञानसागर प्रशस्ति पत्र एवं आचार्य विद्यासागर की पूजन निबद्ध है।

सर्वप्रथम 'वीराष्टकम्' में नौ पद्यों में तीर्थंकर महावीर का गुणस्तवन करते हुए उनके पंचकल्याणक एवं अनन्तगुणों का उदात्त वर्णन है, जो अनुप्रास, उपमा, रुपक, आदि अलंकारों से मण्डित, माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति से समन्वित तथा भाषा सौष्ठव से परिपूर्ण है। यह स्तुति वसन्ततिलका छन्द में निबद्ध है। अंतिम छन्द द्रुतविलम्बित है।

'भरताष्टकम्' में आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरतराज की वन्दना है। राजा भरत के चक्रवर्तीत्व, श्रेष्ठ कर्तृत्व, यश एवं वैराग्य आदि का शब्दांकन नौ पद्यों में समाहित है। इसमें आठ पद्य उपजाति तथा अंतिम पद्य मालिनी छन्दोबद्ध है।

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

'शारदाष्टकम्' में अर्हन्त भाषित और गणधरों द्वारा गुम्फित श्रुतयुत वाणी की अर्चना है। शारदाष्टकम् के प्रत्येक पद्य में प्रकृति के विविध उपादानों नदी, पर्वत सूर्य, नक्षत्र, पक्षियों का कलरव आदि से तादात्म्य स्थापित करके प्रकृति के अद्भुत और श्रेष्ठ वैभव से भी सर्वोपरि और आनंददायी कवि को जिनवाणी लगती है। जिनवाणी के प्रति कवि की अनन्य भक्ति के प्रस्फुटन में सांगरुपक की अनायास योजना अत्यंत मनोरम है। स्यात्पदासना, नवलब्धिदायक, केवलज्ञान आदि अनेक गुणों की मूर्ति सरस्वती स्तवन श्री छन्द में निबद्ध है।

'कुन्दकुन्दाष्टकम्' में शुद्धोपयोगी, सत्पथप्रतिष्ठापक, पूर्वाचार्यो द्वारा स्तुतं एवं वन्द्य आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्यिक और आध्यात्मिक अवदानों का निबंधन आठ स्रग्विणी छन्दों में है।

'समन्तभद्राष्टकम्' में तर्क आगम और नयनिष्णात, न्यायाक्ष, देवागम, आदि सद्ग्रंथों के रचियता द्रग्द्रविण आचार्य समन्तभद्र का गुणस्तवन 9 आर्या छन्दों में संयोजित है।

'शान्त्याष्टकम्' में तप:पूत, उपसर्गजयी, महाव्रती आचार्य शान्तिसागरजी का वंशवृत्त जीवन एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व नौ पद्यों में समाहित है।

'ज्ञानाष्टकम्' में अध्यात्ममूर्ति, शुद्धात्मवृत्ति, करुणामूर्ति, आचार्यवर्य ज्ञानसागरजी के वंशवृत्त, जीवन एवं अद्वितीय व्यक्तित्व एवं कर्तव्य का अंकन 8 वसंततिलका एवं 1 मालिनी छन्द में किया है।

गुरु के प्रति भक्त की अनन्यभक्ति की अभिव्यक्ति और प्रणम्य की विनम्रप्रणति है ' विद्याष्टकम्'। 'तस्मादहं' भगवताप्यमनुभामि शस्यो' कहकर वे भगवान से भी अधिक प्रशस्य आचार्य को मानते हैं। आचार्य गुरु के वंश और विशिष्ट गुणों का स्तवन कर गुरुगणों की चिरस्थाई कीर्ति की कामना तथा गुरु आशीष से इष्ट वृद्धि की प्रार्थना करते हैं।

'मौनाष्टक' में नौ पद्यों में मौन का स्वरुप, महत्व और फल गुम्फित है। मौन आत्मचिंतन की प्रक्रिया है। मौन परमार्थ का मित्र है। मौन से ही सर्वसिद्धि, वचन सिद्धि, सुखवृद्धि, तथा संयमवृद्धि होती है। अल्पशब्दों में मौन के महाफल की अभिव्यक्ति से परिपूर्ण यह अष्टक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा कल्याणकारक है।

निज अर्थात आत्मा का बोध कराने वाली स्तुति 'निजबोधाष्टकम्' 8 उपजाति छन्द में निबद्ध है। निज अर्थात् स्वरुप का बोध ही स्वर्गापवर्ग की प्राप्ति का हेतु है।

'आचार्य ज्ञानसागर प्रशस्ति पत्र में विविध छन्दोबद्ध 27 पद्य हैं। आगमचक्षु, ज्ञानार्णव आचार्य ज्ञानसागर जी का वंशवृत्त, अनुसरणीय जीवन एवं व्यक्तित्व, वैदुष्य तथा साहित्यिक अवदान का यह एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक दस्तावेज है। संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी भाषा में महाकाव्य टीकाकृतियों आदि विधाओं में सृजनशीलता के उदाहरण वीरोदय, जयोदय आदि महाकाव्यों का भी इसमें नामोल्लेख है।

प्रणम्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज पूजन' 9 शार्दूलविक्रीडित छन्द में निबद्ध है तथा जयमाला के 24 पद्यों में दोहा चौपाई का संस्कृत में नवप्रयोग किया। गुरु के प्रति अर्चना की लयात्मक, संगीतात्मक अभिव्यक्ति का मधुर निदर्शन यह पूजन है।

'स्तुति पथ' देव शास्त्र और गुरु की स्तुतियों का स्तोत्र काव्य है। भाव और भाषा का मंजुल समन्वय सभी स्तुतियों में आद्यन्त दृष्टिगत होता है। स्तुतियों में गेयता और लयात्मकता है। आराध्य के समग्र जीवन और अनन्त गुणों को अष्टक विधा में समाहित कर सिन्धु को बिन्दु में समाहित करने का प्रयास वन्दनीय है। ये स्तुतियां अनुष्टुप, आर्या, वसन्ततिलका, उपजाति, स्रग्विणी, शार्दुलविक्रीडित, वंशस्थ, श्री, मालिनी, मन्दाक्रान्ता आदि छन्दों में निबद्ध है। स्तुति के अन्त में छन्द परिवर्तन कवि के रचना कौशल का उत्तम निदर्शन है। अनुप्रास, यमक, उपमा, रुपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदात्त, आदि अलंकारों के अनायास प्रयोग से सज्जित स्तुतियां प्रसाद और माधुर्यगुण से मण्डित है तथा वैदर्भी और पांचाली रीतिरन्वित है। भाषा भावानुगामिनी और शैली प्रौढ व प्रांजल है।

श्री वर्धमान स्त्रोत – श्रुताराधक मुनि प्रणम्य सागर प्रणीत श्री वर्धमान स्त्रोत 64 पद्यों में आबद्ध देवभाषा संस्कृत में रचित स्तोत्र काव्य है। इस में भगवान महावीर की स्तुति पूजन विधान के रुप में है जो तीन वलय में समाहित है। इसके प्रथम वलय में 8 पद्य, द्वितीय वलय में 24, तथा तृतीय वलय में 32 पद्य है। कुल 64 पद्यों में अर्हन्तों तीर्थंकरों की चौसठ ऋद्धियों का कथन है। इस स्तोत्र का प्रत्येक छन्द स्वयं में ही एक ऋद्धि मंत्र है।

मानतुंगाचार्य प्रणीत भक्तामरस्तोत्र इस रचना का प्रेरणा स्तोत्र है। इस स्तोत्र का प्रथम शब्द 'वर्धमान' है। इसके प्रथम वलय के प्रथम पद्य में श्री वर्धमान जिनेन्द्र के चरण कमलों की स्तुति है। यह स्तुति एकाग्रता उत्कृष्ट पुण्यफल दायी, बुद्धि विकासिनी, लक्ष्मीप्राप्ति वंशवृद्धिकर, इच्छित फलदायी तथा सर्वानिष्ट गृह निवारक है। द्वितीय वलय में भगवान महावीर को कालसर्प निवारक बताया। उनका नाम स्मरण तथा प्रतिमा दर्शन मात्र ही कालसर्प योग को दूर करने के लिए पर्याप्त है। इसमें 'वैद्यस्त्वमेव तव वाक् च रसायन' कहकर भगवान महावीर को वैद्य एवं उनके वचनों को रसायन की संज्ञा दी है।

भगवान महावीर के जन्म एवं केवल ज्ञान के दस अतिशयों का वर्णन है, साथ ही वीर अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान इन पांच नामों की सार्थकता का कथन है।

तृतीय वलय में विविध विषय है। भगवान वर्धमान की यह स्तुति आधि– व्याधि, रोग– शोकादि विनाशक, गुण, सम्पदा, मित्र मनोरथ, सौभाग्य आदि तथा सर्वसिद्धि प्रदायी आत्मगुण संवर्धक और रत्नत्रयप्रदायी है। इस स्त्रोत का पाठ करने और सुनने से निर्विध्न इच्छित कार्य सफल होते है।

दीपावली पूजन विधि से प्रारंभ इस कृति में व्यापार के बहीखाते में अंकित किए जाने वाला लिखित सिद्धि यंत्र, मंगलाष्टक स्त्रोत का काव्यमय हिन्दी अनुवाद, महावीर विधान, अभिषेक विधि शान्तिधारा एवं नित्यनियम विधि के समावेश से यह पूर्णता को प्राप्त है और अज्ञ को विज्ञ बनाने में सक्षम है।

पूजन विधान में लयात्मकता है। भाषा प्रसाद गुण मण्डित है। स्तुति पढ़ते ही उसका अर्थ सहज ही ग्राह्य हो जाता है। इससे स्तोत्रकार का प्रयोजन फलीभूत होता है।

दार्शनिक प्रतिक्रमण – संयमाराधक श्री प्रणम्यसागरजी ने श्रावकों अर्थात् गृहस्थों के लिए सरल और सुबोध संस्कृत प्राकृत और हिन्दी भाषा में दार्शनिक प्रतिक्रमण की रचना की।

श्रावक की आध्यात्मिक पहचान प्रतिक्रमण और सामयिक है। जीवन में प्रतिपल असावधानीवश लगने वाले अन्तरंग और बाह्य दोषों का शोधन मोक्षमार्गी के लिए आवश्यक होता है। श्रावक के षडावश्यकों में तप है। अन्तरंग तप में प्रायश्चित का ही एक भेद प्रतिक्रमण है। कृत दोष निराकरण प्रतिक्रमण भूतकाल में जो दोष लगे हैं, उनके शोधनार्थ प्रायश्चित, पश्चाताप व गुरु के समक्ष अपनी निन्दा व गर्हा करना प्रतिक्रमण कहलाता है। जिन दर्शन में जन्म लेने वाले और विशेषत: श्रृद्धा रखने वाले सभी दार्शनिक है , जिन्होंने दर्शन प्रतिमा मात्र को ग्रहण किया है, वे दार्शनिक है। इन सभी दार्शनिक श्रावकों के लिए यह प्रतिक्रमण पाठ है।

मुनि प्रणम्य सागर जी ने सरल संस्कृत, प्राकृत भाषा में हिन्दी अनुवाद

सहित प्रतिक्रमण पाठ की रचना की। जिससे मुमुक्षु श्रावक गृहस्थ होकर भी श्रमण की तरह प्रतिकमण कर आत्म शोधन कर सके। यथा –

श्री मज्जिनपदाभ्यासं प्रतिपद्यागसां जये।
मनोवाक्का येन करिष्यामि प्रतिक्रमम्।। दार्शनिक प्रतिक्रमण पद्य 1

सर्वप्रथम भगवान के चरणों में अपने पापों पर विजय प्राप्त करने के लिए मनवचन और काय से प्रतिक्रमण करने का संकल्प लिया है। प्रतिक्रमण की प्रक्रियामें भव्यजीव स्वयं की निंदा तथा स्वकृत पापों के लिए क्षमा याचना तथा सभी जीवों को क्षमा करता है।

दैवसिक प्रतिक्रमण के लिए पंचपरमेष्ठी को नमन जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड तथा 15 कर्मभूमियों में विद्यमान अर्हन्त व तीर्थंकर, चौबीस तीर्थंकरों एवं सर्वसिद्धों का वन्दन किया है। प्रतिक्रमण में श्रावक के आठ मूल गुण है –

पंच य अणुव्वयाइं जलगालणं रायभत्तविरदी य।
जिणदसणं विजाण पक्खियभव्वस्स स अट्ठगुणं।। पद्य 13

श्रावक को अंहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पांच मूल गुण, पानी छानना, रात्रिभोजन त्याग, तथा जिन दर्शन का पालन तथा सप्त व्यसन त्यागपूर्वक प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना चाहिए।

ईष्ट प्रार्थना में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग तथा द्रव्यानुयोग को नमन किया है। श्री सिद्ध भक्ति में अष्टगुण युक्त सर्वसिद्धों को नमन किया है।

श्री श्रुत भक्ति में एक सौ बारह करोड, तैरासी लाख, अट्ठावन हजार और पांच पद प्रमाण श्रुतज्ञान को प्रणाम किया है। श्री आचार्य भक्ति में, छत्तीस गुणयुक्त, श्रुतपारगामी तप, ध्यान, ज्ञान, तथा मोक्षमार्गोपदेशक गुरुओं को वन्दन किया है। अंत में देवशास्त्र गुरु की आसादनाएं बताई है।

यह दार्शनिक प्रतिक्रमण मात्र प्रायश्चित न होकर समग्र जैन धर्म और संस्कृति की उपादेयता तथा कर्तव्य–अकर्तव्य की सम्पूर्ण आचार संहिता है। जो प्रतिशब्द में निर्मल आत्मबोध कराने की सामर्थ्य रखती है। इसमें संस्कृत और प्राकृत भाषा का माधुर्य एवं प्रासादिकता सहायक ही बनती है।

अनासक्त योगी – श्रमण की तप: पूत पावन चर्या का व्यमय चित्रांकन है 'अनासक्त योगी' संस्कृत, प्राकृत भाषा में रचित मुनि प्रणम्य सागर प्रणीत अनासक्त योगी अप्रकाशित कृति **है**।

श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य विद्यासागर जी एवं उनके गुरु आचार्य श्रीज्ञानसागरजी आचार्य द्वय के जीवन चरित्र और विशेष प्रसंगों का साहित्यिक शैली में निबंधन है। गद्य पद्यनिर्मित इस चम्पू काव्य में 10 सर्ग हैं। सर्वप्रथम तीन सर्गों में विद्याधर (आचार्य विद्यासागर जी का बचपन का नाम) का वंश वृत्त, जन्म गृहस्थ संस्कारों में पालन पोषण, मुनि समागम, वैराग्य का कारण एवं आचार्य देवभूषण जी के पास जाने का निश्चय आदि का वर्णन है।

चतुर्थ सर्ग की विषय वस्तु गद्यपद्यात्मक प्राकृत में है। पांचवें से सातवें सर्ग तक आचार्य विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी का सम्पूर्ण जीवन चरित चित्रित है। जन्म, अध्ययन, व्रत, दीक्षा, आचार्य पदारोहण के साथ अपने शिष्य को दीक्षित कर आचार्य पद देना, फिर उन्हीं को आचार्य बनाकर विनयपूर्वक उन्हीं के चरणों में सल्लेखना ग्रहण आदि का वर्णन है। आठवें सर्ग में गुरु समाधि के बाद एकाकी साधना कर आगे बढना, ज्ञान, ध्यान और तप की प्रधानता के साथ साधक की तपस्या का यथार्थ वर्णन किया गया है। यथा –

सोपवासेन सद्ध्यानवह्निप्रज्वालने रत:।
चतुर्विंशति होरानितान्तैकासनेन स:।। अनासक्त योगी 8/6

नवम सर्ग में साधु जीवन में आने वाले उपसर्ग परीषह आदि सहन करते हुए वैराग्य प्रभावना वृद्धि का वर्णन है। दशम सर्ग आचार्य गुरुवर के गुणस्तवन के रुप में है। इस सर्ग में अनेक साधु साध्वियों को दीक्षा तीर्थ निर्माण की प्रेरणा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली का निर्माण आदि कार्यों एवं उनके समग्र अवदानों का विशद प्रतिपादन है।

ललित शैली में रचित अनासक्त योगी साहित्यिक सौन्दर्य से समन्वित श्रेष्ठ चम्पू काव्य है। विदित इतिहास में सम्भवत: यह प्रथम कृति है, जिसमें किसी श्रमण ने अपने गुरु के विशद इतिहास एवं समग्र जीवन चरित और अवदानों का संयोजन संस्कृत प्राकृत, एवं हिन्दी भाषा में किया हो। अनासक्त योगी के रुप में कवि का यह प्रयास प्रणम्य है।

प्राकृत रचना धर्मिता –

तित्थयर भावणा – 'तित्थयर भावणा' का प्रणयन मुनि प्रणम्यसागर जी ने प्राकृत में किया। तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कराने वाली सोलह कारण भावनाओं का चित्रण कवि ने 131 गाथाओं में किया है। जैन साहित्य में सोलह कारण भावनाओं पर स्वतंत्र रुप से प्राकृत भाषाओं में रचित यह आद्य मौलिक कृति है।

स्व पर कल्याण की शुभभावनाओं से मुनि श्री ने 13 गाथाओं का हिन्दी पद्यानुवाद शब्दश: अन्वयार्थ और विशद व्याख्या लिखकर सर्वजन ग्राह्य बना दिया है। विषय को स्पष्ट समझाने के लिए यथा स्थान पूर्ववर्ती आचार्यों के कथनों को भी उद्धृत किया है।

षट्खण्डागम और तत्त्वार्थसूत्र की परम्परा में तित्थयर भावना नामक आगम ग्रंथ की रचना की। सोलह भावनाओं के नाम क्रमश: इस प्रकार है–

सम्मत विसोही, विणय भावणा, विरदियार, सील भावणा, णाण भावणा, संवेग भावणा, तवो भावणा, पासुक भावणा, साहुसमाहि भावणा, वेज्जावच्च भावणा, अरिहंत भावणा, आइरिय भावणा, बहुसुदभत्ति, पवयणभत्ति, आवस्सयारिहाणि भावणा, मग्ग पहावण भावणा, और पवयण वच्छलता भावणा।

प्राकृत विद्या पाठ्यक्रम – 'अमिअ पाउअकव्वं' प्राकृत काव्य अमृत के समान मधुर है। आचार्य राजशेखर ने काव्यमीमांसा में संस्कृत को काव्य पुरुष का मुख तथा प्राकृत को बाहु कहा है। अनुयोगद्वारसूत्र में प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं को ऋषिभाषित कहकर समान रुप से सम्मानित किया है:

स्वकया पा'ा चेव भणिईओ होति दोण्णिवा
सर मण्डलम्मि गिज्जन्ते पसस्था इसिभासिया।। सूत्र – 127

प्राचीन जैनागम प्राकृत भाषा में ही रचित है। वर्तमान में प्राचीन प्राकृत ग्रंथों की नव सृजन परम्परा को प्रवाहित करने में श्रुतोपासक प्रणम्य सागर जी का अवदान स्तुत्य है, उन्होंने न केवल प्राकृत में रचनाएं की अपितु जनजन को प्राकृत का अवबोध कराने के लिए प्राकृत विद्या पाठ्यक्रम की रचना की जिससे सभी जन प्राकृत भाषा का ज्ञान कर प्राचीन आगमों का स्वाध्याय कर ज्ञानार्जन कर सके।

इसमें प्राकृत के संज्ञा सर्वनाम शब्दों के विभक्ति रुप, क्रियापदों के धातु रुपों और प्राकृत सामान्य नियमों का ज्ञान कराया है तथा प्रत्येक पाठ के बाद अभ्यास श्रृंखला है। अंत में द्रव्यसंग्रह की प्रारंम्भिक 14 गाथाओं का अन्वय अर्थ और व्याकरणात्मक विश्लेषण दिया है। 'प्राकृत विद्या पाठ्यक्रम' प्राकृत भाषा के जिज्ञासुओं तथा स्वाध्यायीजनों के स्वत: षिक्षण में भी अत्यंत उपयोगी है।

संस्कृत प्राकृत टीका एवं अनुवाद साहित्य – पूर्वाचार्यो द्वारा प्रणीत महनीय ग्रंथों एवं शास्त्रों पर टीका करना अत्यंत ज्ञानसाध्य और श्रमसाध्य कार्य है। सरस्वती पुत्र मुनि श्री प्रणम्यसागर जी ने प्राकृत और संस्कृत में

रचित आचार्य कुन्दकुन्द, उमास्वामी, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अमृतचन्द्र, आचार्य विद्यासागर आदि के गौरवग्रंन्थों का मन्थन करके ज्ञान का नवनीत टीका, भाष्यानुवाद आदि के रुप में व्यक्त किया। प्रत्येक टीका में अन्वयार्थ, शब्दार्थ, टीकार्थ, व्याख्या, व्याकरणपरक, व्युत्पत्तियों, पूर्व शास्त्र एवं आगमोक्त संदर्भ और परिभाषाएं, प्रश्नोत्तर, शंका और जिज्ञासा समाधान सरल और बोधगम्य भाषा में करके ग्रंथ के मूल हार्द को और विषय को सर्व ग्राह्य बना दिया।

लिंगशीलपाहुड पर नन्दिनी टीका – मुनि प्रणम्यसागरजी ने कुन्दकुन्दाचार्य विरचित प्राकृत ग्रंथ लिङ्गशील पाहुड' की संस्कृत में 'नन्दिनी टीका' की रचना की। लिङ्गपाहुड की 22 गाथाओं में 22 विषयों का वर्णन है। इसमें श्रमणलिंग को लक्ष्य रखकर मुनिधर्म का निरुपण है साथ ही विपरित कार्य करने वाले श्रमणों को धिक्कारा एवं पशुतुल्य भी कहा है। शील पाहुड की 40 गाथाओं में शील अर्थात् आत्मस्वभाव की महिमा का प्रतिपादन है। शील ही विषयासक्ति को दूर कर मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। नन्दिनी टीका को पढकर कुन्दकुन्दाचार्य प्रतिपादित विषय के गूढार्थ जिज्ञासुओं को शीघ्र ही स्पष्ट हो जाते हैं।

समाधि तन्त्र पर आर्हतभाष्य – अध्यात्म मर्मज्ञ मुनि प्रणम्यसागरजी ने समाधितन्त्र पर 'आर्हतभाष्य' की रचना कर हिन्दी अनुवाद भी किया है। आचार्य पूज्यपाद विरचित समाधितन्त्र अध्यात्म का प्रकाश पुंज है। आ. कुन्दकुन्दसे प्रवाहित अध्यात्म धारा के प्रवाह को मुनि प्रणम्यसागर जी ने अद्यपर्यन्त अक्षुण्ण बनाए रखा है। आर्हत भाष्य में आत्मा के स्वरुप को प्रकाशित किया मंगलाचरण में वे स्वयं कहते हैं –

रुचिर प्रभयाभासुर्भास्यं भासयते यथा।
भाष्यमार्हतमेतच्च भाषितं हि मया तथा।। पद्य 1

समाधितन्त्र में भास्य आत्मस्वरुप को प्रकाषित करने के लिए विस्तृत व्याख्या के साथ कहीं कहीं पद्य के एक से अधिक अर्थ करके भी विविध भावों को उद्घाटित किया है। टीकांत में मूल श्लोक, उद्धरण सूची, गाथानुक्रमणिका, पारिभाषित शब्द कोष से भाष्य और भी महत्वपूर्ण बन गया है।

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय की मंगलाटीका – श्रुतोपासक मुमुक्षुप्रणम्य सागर जी ने अमृतचन्द्राचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय' पर संस्कृत में 'मंगलाटीका' तथा दोहानुवाद का सृजन किया। श्रावक और श्रमण का पथप्रदर्शक यह अद्भुतग्रन्थ मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अध्ययन से प्रत्येक आत्मा मंगलमय बन जाय, इस भावना से इसका मंगलटीका नाम सार्थक है।

'पुरुषार्थसिद्ध्युपाय' जैसे महनीय ग्रंथ पर संस्कृत में रचित यह प्रथम टीका है। टीकार्थ एवं विशेषार्थ के साथ अन्त में टीकाकार प्रशस्ति है, जिसमें टीका सृजन के प्रयोजन आदि का कथन है। इसकी प्रत्येक पंक्ति का प्रारंभ 'मुनि प्रणम्यसागरविरचितमंगलाटीकेयं' कथन के एक एक अक्षर से किया है। मंगलटीका मूल ग्रंन्थ के विषय के अतिस्पष्ट करते हुए मूलाम्नाय को पुष्ट करती है।

भक्ति संग्रह – आचार्य कुन्दकुन्द एवं आचार्य पूज्यपाद विरचित प्राकृत एवं संस्कृत भक्तियां श्रावक एवं श्रमणों दोनों के लिए प्रतिदिन क्रिया में उपयोगी है। इनमें कुछ भक्तियों की संस्कृत टीका केवल आचार्य प्रभाचन्द ने की। उनमें कुछ भक्तियों की प्रथम बार संस्कृत टीका मुनि प्रणम्य सागर जी ने की यथा प्राकृतनिर्वाण, भक्ति संस्कृत लघुचैत्यभक्ति, संस्कृत पंचमहागुरु भक्ति, संस्कृत लघुयोगभक्ति, संस्कृत लघु आचार्य भक्ति, ईर्यापथ भक्ति, संस्कृत समवशरण भक्ति आदि। टीका में 22 में से 15 संस्कृत तथा 7 प्राकृत भक्ति सम्मिलित है।

चैतन्यचन्द्रोदय की चन्द्रिका टीका – आचार्य श्री विद्यासागरजी ने चन्द्रिका टीका भव्य जीवों के उद्धार की इच्छा से 'चैतन्यचन्द्रोदय' संस्कृत शतक काव्य 114 उपजाति छन्दों में निबद्ध किया। उनके सुशिष्य मुनि प्रणम्य सागर जी ने रचकर इसके हार्द को प्रकाशित किया। प्रणम्यते कहकर मंगलाचरण में पंच चैतन्य प्रकाशित करने वाली चन्द्रिका टीका का प्रारंभ किया। विशिष्ट व्याख्या पद्धति से विषय को संपुष्ट किया है जो अत्यंत सार्थक है।

बारसाणुवेक्खा की कादम्बिनी टीका – श्रुताराधक श्रमण प्रणम्यसागरजी ने आ. कुन्दकुन्द द्वारा प्राकृत में रचित बारसाणुवेक्खा पर संस्कृत 'कादम्बिनी' टीका का प्रणयन किया। बारसाणुवेक्खा पर यह सर्वप्रथम संस्कृत टीका है, जिसे टीकाकारने परमपूज्य गुरुवर विद्यासागरजी की छत्रछाया में रहकर पूर्ण की। इसमें गाथा की प्रतिशब्द की विस्तृत व्याख्या है।

आचार्य श्री विद्यासागरजी ने इसका पद्यानुवाद किया है। इस टीका को सर्वग्राह्य और सर्वव्यापी बनाने के लिए मूलगाथाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी किया है।

प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की संस्कृत टीका नीतिपथ – जिनवाणी साधक मुनि श्री प्रणम्यसागरजी ने राजर्षिअमोधवर्ष मुनिराज प्रणीत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका 'नीतिपथ' नामक टीका लिखी। इसमें सरल प्रश्नोत्तर शैली में रचित 29 श्लोकों में 63 प्रश्नोत्तर है। इसमें व्यवहारिक सिद्धांतों का निरुपण है। अत: यह युवा पीढी के नैतिक उत्थान में उपयोगी है। जिज्ञासु जन नीतिज्ञ बने, नैतिक चरित्र निर्माण हो। यही नीतिपथ की रचना का प्रयोजन है।

तत्त्वार्थसूत्र पर आधारित तत्त्वसंदीपनी टीका – जिनाराधक श्री प्रणम्यसागर जी ने 'तत्त्वार्थ सूत्र' पर' तद्भव संदीपनी टीका' की रचना संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में मिश्रित रुप से की है। 'तत्त्वार्थसूत्र' जैन धर्म और दर्शन का नवनीत है, यह प्रथम, सूत्रात्मक ग्रन्थ है। भगवान महावीर की दीर्घकालीन परम्परा में तत्त्वार्थ सूत्र पर उभयभाषा मिश्रित यह प्रथम टीका है, जो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह अप्रकाशित है।

आत्मानुशासन पर स्वस्ति टीका – आत्मशिल्पी मुनि प्रणम्य सागर जी ने आचार्य गुणभद्र विरचित 'आत्मानुशासन' पर स्वस्ति टीका का सृजन किया। अध्यात्म और वैराग्य प्रधान ग्रन्थ पर 270 श्लोंकों में रचित यह टीका प्रत्येक शब्द की निरुक्ति परक व्याख्या, समास प्रयोग, क्रियापद कथन, विस्तृत व्याख्या आदि विशेषताओं से समाहित सर्वग्राह्य है।

आत्माराधना के साथ आध्यात्मिक साहित्य सृजन साधना का अद्भुत समन्वय जहां एक ओर मुनि श्री प्रणम्यसागरजी के चिन्तन की अतल गहराइयों को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर तत्त्वदर्शन, प्राचीन आगम और शास्त्रों तथा भाषाओं का तलस्पर्शी ज्ञान एवं सृजन सौष्ठव की अभिव्यक्ति करता है। आध्यात्मिक उर्जा का प्रवाह उनके अन्तस् से सतत प्रवाहित होता रहता है। उनकी तप:पूत वाणी और सारस्वत लेखनी से नि:सृत समस्त वाङ्मय प्रशस्त ज्ञान पुंज है। सिद्धांत, न्याय, दर्शन आदि में निष्णात मनीषि के स्वानुभूत तप से अनुस्यूत सरस्वतीपुत्र, सुयोग्य शिष्य की सृजनशीलता न केवल संस्कृत प्राकृत रचनाधर्मिता अपितु समग्र रचनाधर्मिता प्रणम्य है। आधुनिक संस्कृत और प्राकृत साहित्य के विकास में मुनि श्री प्रणम्यसागरजी का योगदान अद्वितीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

रामायण में वर्णित आर्थिक जीवन का स्वरूप

डॉ. चारू मिश्रा *

प्रस्तावना – धन का महत्व प्रतिपादित करते हुए बाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि जिसके पास धन है, उसी के मित्र होते हैं,जिसके पास धन का संग्रह है, उसी के सब भाई-बन्धु बनते हैं। जिसके पास पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और वही विद्धान् समझा जाता है।[1] जिसके पास पर्याप्त अर्थ है वही पराक्रमी कहा जाता है, वही विद्धान् माना जाता है, वही भाग्यशाली और गुण सम्पन्न समझा जाता है।[2] जिसके पास धन है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसके लिए सब कुछ अनकूल बन जाता है। परन्तु धनहीन व्यक्ति किसी अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता हुआ, उसे धन के बिना नहीं पा सकता है।[3] हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शाम और दम ये सब धन से ही सफल होते हैं।[4]

1. बाल्मीकि रामायण – युद्धकाण्ड – 83/35
   यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवा:। यस्यार्था: स पुमाँल्लोके यस्यार्था: स च पण्डित:।।
2. बाल्मीकि रामायण – युद्धकाण्ड – 83/36
   यस्यार्था: स च विक्रान्तो यस्यार्था: स च बुद्धिमान्। यस्यार्था: स महाभागो यस्यार्था: स गुणाधिका।।
3. बाल्मीकि रामायण –युद्धकाण्ड – 83/38
   यस्यार्था धर्म कामार्थास्तस्य सर्व प्रदक्षिणम्। अधनेनार्थकामेन नार्थ: शक्यो विचिन्वता।।
4. बाल्मीकि रामायण –युद्धकाण्ड – 83/39
   हर्ष: कामश्च दर्पश्च धर्म: क्रोध: शमो दम:। अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप ।।

राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति जनता और राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहता था, आर्थिक असंतुलन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, किसी घर में अन्न वस्त्र की बेकारी तथा किसी में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं था। उस रामायणानुसारी राज्य के आर्थिक जीवन के स्वरूप पर प्रकाश डालना उचित होगा।

वस्त्राभूषण, श्रंगार-प्रसाधन, आसन-शयन, उत्सव-समोराह आदि में वैभव का उनमुक्त प्रदर्शन दृष्टिगोचर होता था। नर-नारी दोनों रसिक एवं सहृदय शारीरिक सज्जा के प्रेमी थे। जीवन को नीरस न बनने देने के लिए आमोद- प्रमोद का महत्व सुविदित था। राम राज्य में लोग कितने सुखी थे इसका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्री राम के शासनकाल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं होता था और रोगों की आशंका नहीं थी। सम्पूर्ण जगत में कही चोरों का, डकैतों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अन्त्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सब लोग सदा ही प्रसन्न रहते थे। सभी धर्मपरायण थे और श्रीराम पर ही बारम्बार दृष्टि रखते हुए कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाते थे।[1]

कोशल प्रदेश धन-धान्य पूर्ण था। वहाँ आम्रवन के उद्यान थे। जलाशय सदा भरे रहते थे और गाय, भैंस, आदि पशु बहुत अधिक थे।[2] राम राज्य में दुर्भिक्ष का भी भय नहीं रहता था।[3] गिरिव्रज (वसुमती) नगरी के समीप मागधी (शोणभद्र) नदी के किनारे-किनारे हरे-भरे अन्न के खेत थे।[4] वत्स देश (प्रयाग) भी अन्न से संपन्न था।[5]

1. बाल्मीकि रामायण – युद्धकाण्ड – 128/98, 99, 100
   न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयम्। न व्याधिजं भयं चासीद् राम राज्यं प्रशासति।।98।।
   निर्दस्युरभवल्लोको नानार्थ: कश्चिदस्पृशत्। न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते।।99।।
   सर्व मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत्। राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम्।।100।।
2. बाल्मीकि रामायण – अयोध्या काण्ड – 50/8, 9, 10, 11
   ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनाञ्शिवान्। अकुतश्चिदभयान् रम्यांश्चैत्यूपसमावृतान्।।8।।
   उद्यानाम्रवणोपेतान् सम्पन्नशलिलाशया न्। तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान्।।9।।
   रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्माघोषाभिनादितान्। रथेन पुरूष व्याघ्र कोसलानत्यवर्तत।।10।।
   मध्ये न मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम् राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां यौधृतिमतां वर:।।11।।
3. बाल्मीकि रामायण – बालकाण्ड – 1/90
   प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्ट: पुष्ट: सुधार्मिक:। निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जित:।।
4. बाल्मीकि रामायण – बालकाण्ड – 32/10
   सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मन:। पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी।।
5. बाल्मीकि रामायण – अयोध्या काण्ड – 52/101
   स लोकपाल प्रतिमाप्रभाव- स्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीम्।
   तत: समृद्धान् शुभसस्यमालिन:। क्रमेणवस्त्सान् मुदितानुपागमत्।।

बाल्मीकि रामायण में विविध प्रकार के जंगलो (अरण्य) का वर्णन मिलता है जिनसे पता लगता है कि उस समय भूमि का बहुत बड़ा भाग जंगलो से घिरा हुआ था। श्री राम जब विश्वामित्र के साथ वन जाते हैं या श्री

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अनौगी, कन्नौज (उत्तरप्रदेश) भारत

राम जब 14 वर्ष के लिए वन जाते हैं तो उन्हें विविध प्रकार के जंगल मिलते हैं, जो बागों एवं उद्यानों से भिन्न थे। राम कहीं वृक्षों से घिरा नीला जंगल देखते हैं ,कहीं विविध गंध युक्त पुष्पों के कारण सुगन्धित जंगल देखते हैं। इन जंगलो से अनेक लाभ थे। प्रथम तो इनसे लकड़ी प्राप्त होती थी[1] जिसके विविध उपयोग थे। इन जंगलो से फल-फूल मिलते थे। मधु[2], चन्दन, गोंद, अगरु आदि वस्तुएँ इन जंगलो के विविध वृक्षों से प्राप्त होती थीं। वृक्षों की छाल से वल्कल बनते थे जो मुनियों के परिधान होते थे। इन्ही जंगलों में रहने वाले विभिन्न पशु-पक्षियों के भी अनेक उपयोग होते थे।

बाल्मीकि रामायण की आर्थिक जीवन-झांकी से एक बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि उस समय समस्त भूमि का जंगलो, उद्यानों, वाटिकाओं और खेतों में आदर्श बँटवारा था जिससे एक ओर प्रचुर मात्रा में वन पदार्थ प्राप्त होते थे[3] और वर्षा ठीक समय पर उचित मात्रा में होती थी।[4] फलत: देश धन-धान्य से पूर्ण था।

बाल्मीकि रामायण में कोष एकत्रित करने तथा उसको जनहित में कुशलतापूर्वक व्यय करने के निर्देशन उभरे हुए हैं। यथा-रघुनन्दन! क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम हैं? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता।[5]

1. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 54/7
   दारूणि परिभिन्नानि वनजैरूपजीविभि:। छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमा:।।
2. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 56/8
   पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण। मधूनि मधुकारीभि: सम्भृतानि नगे नगे।।
3. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 94/8, 9, 10
   आम्रजम्बवसनैर्लोध्रै: प्रियालै: पनसैर्ववै:। अंकोलैर्भव्यतिनिशैर्बिल्वतिन्दुकवेणुभि।।8।।
   काश्मर्यारिष्ट वरणैर्मधूकैस्तिलकैरपि। बदर्यामलकैर्नीपैर्वेत्र धन्वनबीजकै:।।9।।
   पुष्पवद्भि फलोपेतैश्छायावद्भिर्मनोरभै:। एवमादि भिराकीर्ण: श्रियं पुष्यतं गिरि:।।10।।
4. बाल्मीकि रामायण - उत्तारकाण्ड - 41/20
   हर्षश्चाभ्यधिको राजन् जनस्य पुरवासिन:। काले वर्षति पर्जन्य: पातयन्नमृतं पय:।।
5. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 100/54
   आयस्ते विपुल: कच्चित् काच्चिदल्पतरो व्यय:। अपात्रेषु न ते कच्चित् कोषो गच्छति राघव।।

रामायण काल में अर्थ का विशेष महत्व दर्शाया गया है। श्रीराम ने भरत से मिलने पर सबसे पहले राजकोष, कृषि, और पशुओं के बारे में पूछा कि तात,कृषि और गौ-रक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतशील होता है।[1] उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम सब लोगों का भरण पोषण करते हो न? क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए।[2] क्या तुम्हारे सभी दुर्ग(किले) धन-धान्य, अस्त्र-शस्त्र, जल, यंत्र (मशीन), शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं।[3] देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तुम्हारा धन खर्च होता है न?[4]

महर्षि बाल्मीकि ने कोष वृद्धि के लिए सुसाधनों का ही निर्देश दिया है। रामायण से स्पष्ट होता है कि कोषगत धन संग्रह के लिए किसी अनुचित साधन को नहीं अपनाया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए केवल न्यायोचित रीति से ही कोष वृद्धि की जाती थी।[5] विशेष अवसरों पर अन्य राजाओं, सामन्तों तथा प्रजाजनों से उपायन रूप में प्राप्त धन से भी कोष वृद्धि की जाती थी।[6] शम्बूक वध के समय अगस्त्य मुनि ने भी कुछ स्वर्गाभूषण श्रीराम को भेंट किये थे।[7] इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल्मीकीय रामायण में आर्थिक जीवन के चतुर्मुखी विकास के लिए एक समृद्ध कोष की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है।

1. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 100/47
   कच्चित् ते दयिता: सर्वे कृशिक्षोरक्षजीविन:। वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते।
2. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 100/48
   तेषां गुप्तिपरीहारै: कच्चित् ते भरणं कृतम्। रक्षा हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषेयवासिन:।
3. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 100/53
   कच्चिद् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकै:। यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पधनुर्धरै:।।
4. बाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड - 100/54
   देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यगतेषु च। योधेषु मित्रवर्गेषुकच्चित् गच्छति ते व्यय:।।
5. बाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड - 7/13
   ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन्।।
6. बाल्मीकि रामायण - युद्धकाण्ड - 128/70
   सर्वरत्नसमायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्। मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदित:।।
7. बाल्मीकि रामायण - उत्तारकाण्ड - 76/47
   दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करम्। प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणामुत्तामम्।।

वाल्मीकि रामायण में वर्णित आर्थिक जीवन की दृष्टि से भारत पर्याप्त समुन्नत था। लोग यदि केवल भौतिकवादी विचारधारा लेकर चलते तो सहज ही आधुनिक अर्थों में अपने जीवन स्तर को काफी ऊँचा उठा सकने की क्षमता रखते थे। वे आज के विकसित कहे जाने वाले देशों से किसी प्रकार भौतिक सुखों में कम नहीं रहते।

मानव जीवन का सर्वाधिक श्रेयस्कर धर्म है, जीवन धारण करना। जीवन धारण करने के लिए उसे कठिन परिश्रम कर अर्थोपार्जन करना पड़ता है,जिससे वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। महाभारत के अनुसार आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 'वार्ता' (कृषि, पशुपालन, और वाणिज्य) आवश्यक है।[1] वस्तुत: ये तीन ही समस्त आर्थिक जीवन को अपने अन्दर समाहित किये हुए हैं। डॉ. जोगेन्द्रचन्द्र सिकदर ने कहा है कि अर्थ का विज्ञान 'वार्ता' की उत्पत्ति ही मानव की वृत्ति से हुई है, वृत्ति अर्थात् कृषि, कला, विद्या, उद्योग, व्यापार आदि।[2] वार्ता का आश्रय लेने वाले राष्ट्र के व्यक्तियों का आर्थिक जीवन सुखी रहता है। भीष्म पितामह कहते है कि - 'दारिद्रयं पातकं लोके' अर्थात संसार में दरिद्रता बड़ा पाप है। उन्होंने आपद् धर्म को छोड़कर अलग-अलग वर्णो की दृष्टि से अर्थोपार्जन के अलग-अलग साधन बतलाये हैं - ब्राह्मण धन का संग्रह दान लेकर करे, क्षत्रिय शत्रु को जीतकर अर्थ प्राप्त करे, वैश्य न्यायपूर्वक अर्थ का उपार्जन

करे और शूद्र शुश्रूषा के द्वारा धनोपार्जन करे।[3]

1. महाभारत – सभापर्व – 5/80
   वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते।
2. भगवती सूत्र एक अध्ययन – डॉ0 जोगेन्द्र चन्द्र सिकदर, पेज– 312
3. महाभारत–शान्ति पर्व – 283/1 (पूना की प्रति)
   प्रतिग्रहता विप्रे क्षत्रिये शस्त्रनिर्जिताः।
   वैश्ये न्यायार्जिताश्चैव शूर्द्रे शुश्रषार्जिताः।।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रामायण, गीता प्रेस, गोरखपुर ,विक्रमसंवत् 2024
2. भारत का विकास(आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक),मार्क पब्लिशर्स ,जयपुर प्रथम संस्करण 2009
3. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, डॉ. ओमप्रकाश।
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली द्वितीय संस्करण 1989
5. रामायणकालीन राज्यादर्श,कला प्रकाशन , न्यू साकेत कॉलोनी, बी. एच. यू. वाराणसी प्रथम संस्करण 2009

****

New Formations In Art World

Prof. Pintu Mishra *

Abstract - Visual Art is directly related to our sense of sight. The main object of visual art is to awake first eyes with its color and pictures them to mind. As music first transmits, rhythm modulation & sense of sound in our ears and as words accumulate it and pleases our mind. The manner of enjoying the pleasures of music is quit different for one who is acquainted with the grammar of music. The modern art can be enjoyed with brain as music.

Introduction - Art is a visual language it has its own grammar by which we enhance our visual experiences and arouse the attitude for enjoying the taste of figure and color then only it is possible to have pleasures of at so called well educated people of contemporary society do not even try know the tendency of modern art and blame the modern art and artist saying it an art that is unintelligible. In reality they visualize art with brain instead of eyes, where as art is directly related to sense of sight language is directly linked with brain first we learn grammar of language to know it increase the knowledge of the language then only we are able to enjoy (pleasure of) literature. If we have not learnt the language it is not the fault of language but ours. The modern art has its own language which an individual artist creates. Some of the artist creates their own script then only he is able to produce original creation (Art). It is necessary to know the modern art, to identify its trends and develop aptitude for enjoying out.

There are a lot of myths related to modern art. Once the art critic Bleming criticized Piccaso, the faith of modern art, Vehemently. It aroused a lot of debates in public. It is essential to analyses the social condition between these two wars for studying modern art.

The audience will have to cast off the conservativeness for enjoying pleasures of art. Art has never been realistic instead has been original. Indian art has been (nature original and idealistic instead of realistic). We will have to understand its nature then only we will be able to enjoy the worldwide spread modern art.

Paper- Even the well educated people in civilized society say that modern Art is unintelligible or they expert the artists to express their drawing in words or they expert verbal expression of their drawings. They think the modern art can be enjoyed only of we know the hidden element best know to the artist himself. Such questions related to modern art are prevalent in society. They believe that the faces & complexions should be akin to what we see, the different parts of the body should be as described in the texts of anatomy and the light and shade in the painting should be similar to that photograph in the studio.

Visual Art is directly related to our sense of sight. The main object of visual art is to awake first eyes with its color and pictures them to mind. As music first transmits, rhythm modulation & sense of sound in our ears and as words accumulate it and pleases our mind. The manner of enjoying the pleasures of music is quit different for one who is acquainted with the grammar of music. The modern art can be enjoyed with brain as music.

Art is a visual language it has its own grammar by which we enhance our visual experiences and arouse the attitude for enjoying the taste of figure and color then only it is possible to have pleasures of at so called well educated people of contemporary society do not even try know the tendency of modern art and blame the modern art and artist saying it an art that is unintelligible. In reality they visualize art with brain instead of eyes, where as art is directly related to sense of sight language is directly linked with brain first we learn grammar of language to know it increase the knowledge of the language then only we are able to enjoy (pleasure of) literature. If we have not learnt the language it is not the fault of language but ours. The modern art has its own language which an individual artist creates. Some of the artist creates their own script then only he is able to produce original creation (Art). It is necessary to know the modern art, to identify its trends and develop aptitude for enjoying out.

There have been hundreds of styles. The followers of each school have defined art through their own way that their style may be the best one. But above all we are bound to accept that art is an activity originated from brain, it is an organization of figures and sketches. The organization of these figures gets inspiration & motivation from these experiences. The brain of an artist receives them through eyes. These figures, experiences are not mainly mechanical but are synthesized. The experiences go with the status or these experiences are rich or poor according to the richness

* Principal, Subharti Institute of Fine Arts & Fashion Design S.V.S.U., Meerut (U.P.) INDIA

or poverty of the brain. So to think nature of art the true copy of anything would be controlling art into closed boundaries and limiting it into mechanicals creations.

The artist highlights such hidden things that are generally out of sight the temperaments which are often forgotten on such resonances that are not tasted by anyone. That is why an artist is a creator. He recreated his own world. Soon he understands the different moods of nature and does not control it in the boundaries of external similarity or as seen in photography. He makes his creation lively not by coping nature as it is seen but going deep into the synthesis of figures, and perceiving the soul and essence of nature.

Some are of the opinions that it is mocking. It excites sexual appeal so it has bad and immoral effect. But when we think deeply it will be found that art has always been progressing with the principles of life and there is no importance of contemporary principles of morality in this effort. The seriousness in art acquaints its viewers with the reality of figures and there by vastness of creation. It results in freedom from boundaries and self realizations, which cannot be called immoral effect. It is experiences of achieving pleasures going beyond to physical features. The sexual representation of figures in art is not reality, it is only a business. Art does not aim at teaching moral lessons still its effect is up grading.

There are a lot of myths related to modern art. Once the art critic Bleming criticized Piccaso, the faith of modern art, Vehemently. It aroused a lot of debates in public. It is essential to analyses the social condition between these two wars for studying modern art.

The audience will have to cast off the conservativeness for enjoying pleasures of art. Art has never been realistic instead has been original. Indian art has been (nature original and idealistic instead of realistic). We will have to understand its nature then only we will be able to enjoy the worldwide spread modern art.

References :-

1. Personal Survey

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

शाजापुर जिले में प्राथमिक एवं माध्यमकि स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों का समालोचनात्मक अध्ययन

बालेन्द्र श्रीवास्तव * डॉ. एम. के. तिवारी **

प्रस्तावना – सर्वशिक्षा अभियान – आशा की एक किरण – शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सन् 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत के 18 राज्यों तथा 272 जिलों में लागू किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश के 34 जिलों में इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन व सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति ने सर्वशिक्षा अभियान की नींव 2002-2003 में रखी गई। जिसका लक्ष्य 11 लाख बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना तथा उन्हें माध्यमिक शिक्षा तक सतत् बनाए रखना है।सर्व शिक्षा अभियान ने निम्न लक्ष्य को आधार मानकर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव किए-

1. सार्वभौमिक शैक्षिक सुविधाएं।
2. सार्वभौमिक नामाकंन।
3. सार्वभौमिक ठहराव।
4. सार्वभौमिक शैक्षिक उपलब्धता।

सामान्यत: लोकव्यापी प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है –

1. लोकव्यापी पहुंच सुनिश्चित कराना अर्थात्! प्रत्येक बच्चे को 1 कि.मी की दूरी में प्रा.शिक्षा की सुविधा और 3 कि.मी की दूरी में मा. शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो।
2. लोकव्यापी नामाकंन सुनिश्चित कराना अर्थात् 5 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चें किसी प्राथमिक/माध्यमिक शाला में दर्ज हो।
3. लोकव्यापी ठहराव सुनिश्चित कराना अर्थात् प्रत्येक बच्चा कक्षा में निरंतर उपस्थित रहकर अपनी 8 वर्ष तक की शिक्षा पूर्ण करे।
4. लोकव्यापी उपलब्धि सुनिश्चित कराना अर्थात् प्रत्येक एक बच्चा अपनी आयु व कक्षा अनुसार सीखने के न्यूनतम अधिगम् प्राप्त करें।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य – सभी राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों में 1998 में यह संकल्प किया कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा एक मिशन के रूप में स्वीकार करके संचालित की जानी चाहिए। इसको समग्रह तथा अभिसारी उपागम के रूप में ग्रहण किया गया। इस सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान योजना विकसित की गई जिसमें सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इसे नवम्बर 2000 में मंजूर किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य इस प्रकार है।-

1. 6-14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे-
   अ- 2003 तक स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना/ब्रिज कोर्स में जाए।
   ब- सन् 2007 तक सभी बच्चों की पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाये।
   स- सन् 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
2. जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल।
3. 2007 तक प्राथमिक स्तर पर सभी लड़के व लड़कियों और सामाजिक वर्ग के अंतरों को और प्रारभिंक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना।
4. सन् 2010 तक सर्वव्यापी बनाना।

सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा समयबद्ध के सार्वजनिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक ऐतिहासिक कदम है। यह अभियान समयबद्ध ढंग से संचालित किया गया है। यह सम्पूर्ण देश में गुणशाली बेसिक शिक्षा का एक कार्यक्रम है। इस अभियान के द्वारा 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी तथा गुणशाली प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान विद्यालय प्रणाली के सुधार के लिए प्रयासरत है। साथ ही यह लिंगभेद तथा सामाजिक दूरियों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं –

1. यह बेसिक शिक्षा द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करने का एक प्रयास है।
2. यह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक संकल्प की एक अभिव्यक्ति है।
3. यह केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय शासन की साझेदारी का एक संकल्प है।
4. यह प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए राज्यों के लिए एक अवसर है।
5. यह सामुदायिक स्वामित्व पर बल देता है।
6. यह संस्थागत क्षमता के निर्माण पर बल देता है। जिससें गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
7. इसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।
8. सर्वशिक्षा अभियान के ढॉचे में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना को आधार बनाया जाता है।
9. इस अभियान की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

सर्वशिक्षा अभियान की प्रमुख उपलब्धियां

1. शिक्षा गारंटी शालाओं के द्वारा एक किलोमीटर के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई गई।
2. लोक सम्पर्क अभियान, प्रवेश उत्सव, जनशिक्षा योजना, मॉ-बेटी मेला, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से शत्-प्रतिशत बच्चों को शाला से जोड़ने का प्रयास किया गया।

* व्याख्याता, डाईट शाजापुर व शोधार्थी, पहेर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** प्राचार्य, मेवाड कन्या शिक्षा महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

3. मध्यान्ह भोजन, दत्तकपुत्रीयोजना एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बच्चों के शाला में ठहराव के विशेष प्रयास किए गए।
4. बच्चों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने हेतु शालाओं के वित्तीय सहयोग, शिक्षकों एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।
5. जनभागीदारी के माध्यम से शाला प्रबंध की प्रकियाओं का विकेन्द्रीयकरण किया गया। **(तालिका देखें अन्तिम पृष्ठ पर)**

जबकि उपरोक्त उद्देश्य के संदर्भ में वार्षिक कार्ययोजना एवं UDISE से प्राप्त आंकड़ो का सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ होने वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक की स्थिति का वर्ष वार विश्लेषण करने पर हम पाते हे कि सकल पहुंच दर (GAR) का मान प्राथमिक विद्यालय में **77.08** प्रतिशत से बढ़कर **99.15** प्रतिशत एवं माध्यमिक विद्यालय में **75.52** प्रतिशत से बढ़कर **98.38** प्रतिशत हो गया है।

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी वर्ष 2001-2002 में **1477** थी जो बढ़कर वर्ष 2009-2010 में **1921** हो गई है। तथा जिले में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी वर्ष 2001-2002 में **711** थी जो बढ़कर वर्ष 2009-2010 में **1072** हो गई है। औसत रूप से सर्व शिक्षा अभियान के कारण सकल पहुंच की स्थिति में औसत **25** प्रतिशत की वृध्दि चयनित जिले में परीलक्षित हुई हैं।

सकल नामांकन दर (GER) का मान प्राथमिक विद्यालय में **85.01** प्रतिशत से बढ़कर **102.9** प्रतिशत एवं माध्यमिक विद्यालय में **82.07** प्रतिशत से बढ़कर **98.4** प्रतिशत दिया गया है। तथा जिले में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या भी वर्ष 2001-2002 में **168432** थी जो बढ़कर वर्ष 2009-2010 में 208036 हो गई है। तथा जिले में माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या भी वर्ष 2001-2002 में **47243** थी जो बढ़कर वर्ष 2009-2010 में **80568** हो गई है। औसत रूप से सर्व शिक्षा अभियान के कारण सकल पहुंच की स्थिति में औसत **18** प्रतिशत की वृध्दि चयनित जिले में परीलक्षीत हुई हैं।

ठहराव दर सूचकांक प्रा. विद्यालय की 73.53 से बडकर 91.66 प्राप्त होती है तथा जिले में प्राथमिक विद्यालयों में अपनी पडाई बीच में ही छोडने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या भी वर्ष 2002-2003 में **14594** थी जो कम होकर वर्ष 2009-2010 में मात्र 328 ही रह गई है। तथा माध्यमिक विद्यालयों का सकल नमांकन सूचकांक सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ होने के वर्ष 2001-2002 में **68.43** था, जो सर्व शिक्षा अभियान पूर्ण होने के वर्ष 2009-2010 में बढ़कर **86.54** प्राप्त हुवा है तथा जिले में माध्यमिक विद्यालयों में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोडने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या भी वर्ष 2002-2003 में **6963** थी जो कम होकर वर्ष 2009-2010 में मात्र 299 ही रह गई है। औसत रूप से सर्व शिक्षा अभियान के कारण सकल पहुंच की स्थिति में औसत **20** प्रतिशत की वृध्दि चयनित जिले में परीलक्षित हुई हैं

सकल उपलब्धि सूचकांक अंतर्गत शाजापुर जिले का प्रा. विद्यालय की कक्षा 5 वीं का परीक्षा परिणाम 78.88 प्रतिशत से बढ़कर 93.80 प्रतिशत प्राप्त होता है तथा कक्षा 8 वीं का परीक्षा परिणाम 82.34 प्रतिशत से बढ़कर 98.90 प्रतिशत प्राप्त होता है। निशुल्क पाठयपुस्तक योजना के तहत वर्ष 2001-02 में प्रा0वि0 के 47150 एवं मा0वि0 के 3578 छात्रों को पाठयपुस्तक वितरित की गई थी, जबकी वर्ष 2009-10 में यह संख्या प्रा0वि0 के 142691 एवं मा0वि0 के 44371 हो गई।इसी प्रकार गणवेश वितरण योजना, साइकिल वितरण योजना, स्वास्थ्य परीक्षण योजना, आदि की दर में भी बढ़ोत्तरी को माना है।

प्रत्येक शाला के लिए भवन की व्यवस्था की गई है। शाला की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराए गए है। प्रत्येक शाला में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक की गई। शालाओं में टी.एल.एम. फर्नीचर, खेल सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर शिक्षण, आदि हेतु सामग्रीयां उपलब्ध करवाई गई है।शालाओं के भवन के रखरखाव हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है।

अत: सभी लोगों ने यह स्वीकार किया है कि सर्वशिक्षा अभियान के कारण पहुंच नामाकंन, ठहराव एवं उपलब्धि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

वर्ष	शा.प्रा.वि.	अशा.प्रा.वि.	योग प्रा.वि.	शा.मा.वि.	अशा.मा.वि.	योग मा.वि	GARPS	GARMS
2001-02	1144	333	1477	548	163	711	77.08	75.52
2009-10	1568	353	1921	712	360	1072	99.15	98.38

वर्ष	नामांकन प्रा.वि	नामांकन मा.वि	GER P.S.	GER M.S.
2001-02	**168432**	47243	95.01	69.4
2009-10	208036	80568	105.13	108.11

वर्ष	Retension Rates P.S.	Retension Rates M.S.
2001-02	73.53	68.43
2009-2010	91.66	86.54

वर्ष	Droup Out P.S.	Droup Out M.S.
2001-02	14594	6963
2009-2010	328	299

वर्ष	result 5 b.	result 5 g.	result8 b.	result 8 g
2001-02	81.86	75.9	80.35	84.33
2009-2010	94	93.6	99.5	98.3

वर्ष	**Textbook** p.s.	**Text book** m.s.	**Uniform** p.s.	**Uniform** m.s	**Teacher** Training p.s.	**Teacher** Trainingm.s.	**Stationary**	**Stationary**
2001-02	47150	3578	9068	49	40.23	21.34	1582	12
2009-2010	142691	44371	78904	21925	72.8	85.0	142691	44371

****

शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका का एक अध्ययन

डॉ. अंजनी कुमार मिश्र *

प्रस्तावना – पुरातन से लेकर अध्यतन शिक्षा का क्रमिक विकास होता रहा है । प्राचीन काल में गुरूओं का आश्रम ही विद्यालय की भूमिका का निर्वहन किया करता था। उस समय शैक्षिक कार्य को पुण्य का कार्य माना जाता था। जिसमें शिक्षक अपने छात्रों में ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार किया करता था। किन्तु वर्तमान परिस्थिति में शिक्षण कार्य में शिक्षक की उपस्थिति जरूरी नहीं रह गयी है। वैदिक काल में विद्यार्थी गुरूकुल (आश्रम) में विद्या अध्ययन हेतु जाता था। परन्तु आज संचार क्रान्ति के युग में शिक्षक छात्रकुल (विद्यार्थी के घर पर) विद्या अध्यपन हेतु पहुँच रहा है। जिसका सारा श्रेय इलेक्ट्रानिक मीडिया को जाता है । शिक्षक विघुत संचालित संयंत्र की भूमिका में है। इन्ही माध्यमो से छात्र बिना किसी त्रुटि के रूचि पूर्ण तरीके से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर ले रहा है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों की भूमिका होती है अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रविधि या साधनों से है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को विद्यार्थी तक पहुँचाया जाता है।

औपचारिक शिक्षा में साधनो हेतु प्रत्यक्ष शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, किन्तु शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सहायक साधनों जैसे रेडियो इण्टरनेट एंव दूर संचार आदि को भी प्रयोग में लाया जाता है।इलेक्ट्रानिक माध्यम से शिक्षक-शिक्षार्थी आमने - सामने नहीं होते व प्रत्यक्ष शिक्षण भी नहीं होता अत एव इसमें अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है जिसका सम्बन्ध अनुदेशन विधियों से होता है।शिक्षण के अमुद्रित साधनो जैसे- रेडियो दूरदर्शन, अडियो, विडियो, कैसेट, टेलीकान्फ्रेसिंग, विडियो टेक्स्ट आदि के सम्वन्ध में जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में इलेक्ट्रानिक माध्यम निर्माण केन्द्र इगनू के संचार प्रखण्ड के अंर्तगत कार्य कर रहा है। यह एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है। अमुद्रित माध्यमो को निम्न वर्गो के अंर्तगत रखा गया है। - A शैक्षिक रेडियो B शैक्षिक दूरदर्शन C इण्टरनेट D अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम। आधुनिक इलेक्ट्रानिक माध्यम के रूप में रेडियो सबसे सस्ता व सर्व सुलभ साधन है। शिक्षक के कक्षा शिक्षण में केवल 60 विद्यार्थी जबकि रेडियो शिक्षण द्वारा बहूत लोग एक साथ सुन व समझ सकते है। यह माध्यम परम्परागत शिक्षण की भाति रूचिकर, नवीन उत्साह व खुशी, एकाग्रचित्तता, सूक्ष्मता से सुनने की योग्यता,बोलने व वार्तालाप में विश्वासपूर्ण दृढ़ता जैसी क्षमताओं का विकास भी किया जा सकता है। विद्यालयी प्रसारण हेतु रेडियों ने 1937 में कलकत्ता रेडियो केन्द्र द्वारा तथा भारत में दूरदर्शन का प्रादुर्भाव 1959 से माना जाता है जबकि जनवरी 2000 मे दूरदर्शन ने अपना ज्ञान दर्शन नामक शैक्षिक चैनल प्रारम्भ किया था आज इन माध्यमो की उपादेयता अनिवार्य होती जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा देश-विदेश से प्राप्त होने वाली नित नई जानकारी प्राप्त की जा सकती है और वर्तमान प्रौधौगिकी के युग में शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। सुमन्त 1986 ने उत्कल विश्वविद्यालय से अपने पी0एच-डी0के दौरान इसकी उपादेयता पूर्व मे ही सिद्ध कर चुके है। अत एव इलेक्ट्रानिक माध्यमो को अध्यतन उपयोगी व महत्वपूर्ण बनाए जाने के लिए और अधिक अध्ययन आवश्यकता है। जिससे भविष्य में इसके विकास में सराहनीय योगदान दिया जा सके।

समस्या कथन – शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका का अध्ययनकरना।

अध्ययन के उद्देश्य – परिषदीय (वित्तपोषित) व अपरिषदीय (स्वावित्तपोषित) विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका का अध्ययनकरना।

अध्ययनकी परिकल्पना – परिषदीय (वित्तपोषित) व अपरिषदीय (स्वावित्तपोषित) विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका में कोई सार्थक अन्तर नही है।

शोध अभिकल्प – प्रस्तुत अध्ययनविवरणात्मक सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया है।

न्यादर्श एंव न्यादर्शन तकनीक – प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के रूप में हाईस्कूल के कक्षा 10 में अध्ययनरत 60 विद्यार्थियों का चयन लाटरी सिस्टम के पर्ची खिचान प्रविधि द्वारा किया गया है ।

प्रयुक्त उपकरण – आकडो के संकलन हेतु स्वानिर्मित साक्षात्कार अनुसूची व अवलोकन प्रविधि का उपयोग किया गया है।

परिसीमन – प्रस्तुत अध्ययनमें समय, श्रम ,व धन के अपव्यय को ध्यान रखते हुऐ बदलापुर तहसील के चार विद्यालयों से 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें दो परिषदीय (वित्तपोषित) व दो अपरिषदीय (स्वावित्तपोषित) विद्यालय है।

प्रयुक्त संख्यिकी – आकडो के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि व टी प्राप्तांक की गणना की गयी है। **(तालिका देखे अगले पृष्ठ पर)**

विश्लेषण व व्याख्या – तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिषदीय वित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी 30 विद्याथियों की शैक्षिक उपलब्धि पर इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रभावो का मध्यमान 24.9 मानक विचलन 3.95 व मानक त्रुटि .38 और अपरिषदीय स्वावित्त पोषित मान्यता प्राप्त 30 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रभावों का मध्यमान 38.0 मानक विचलन 4.7 व मानक त्रुटि .38 की गणना से प्राप्त टी प्राप्तांक का मान 11.78 प्राप्त हुआ जो सार्थकता स्तर

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, जिला, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ.प्र.) भारत

.001 से प्राप्त मान से बहुत अधिक है। जिसके आधार पर पूर्व निर्मित शून्य परिकल्पना परिषदीय (वित्तपोषित) व अपरिषदीय (स्वावित्तपोषित) विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका में कोई सार्थक अन्तर नहीं है निरस्त होती है। जिसका सम्भवत: कारण यह है कि स्ववित्त पोषित हाईस्कूल (अपरिषदीय) में मान्यताप्राप्त वित्तपोषी संस्थाओं (परिषदीय) की अपेक्षा अधिक अनुशासित व अध्ययन- अध्यापन का माहौल रहता है क्योंकि कि वहा के शिक्षकों पर संस्थान के मुखिया की उपस्थिति का दबाव रहता है और वर्तमान शिक्षण के दौर में इलेक्ट्रानिक मीडिया की उपस्थिति कि चर्चा विद्यालयीय परिवेश में प्रयुक्त होती रहती है तथा दूसरे विद्यालयों की परिस्थितियों से होड़ सी लगी रहती है।

शैक्षिक निहितार्थ - प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता छात्र /छात्राओं के साथ -साथ अध्यापकों, अभिभावकों तथा समाज के अन्य वर्गो के लिए महत्व पूर्ण हो सकती है क्योंकि शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपकरणों की भूमिका देखी गयी जिसमें विशेष कर विद्यार्थियों ने इस बात को स्वीकार किया कि रेडियो दूरदर्शन व इण्टरनेट तथा प्रोजेक्टर आदि से किए गए शिक्षण कार्य शैक्षिक उपलब्धि की वृद्धि में विशेष भूमिका का निर्वहन करते है।

अत एव शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रानिक मीडिया के साधनों का प्रयोग किया जाए तो शैक्षिक उपलब्धि निश्चित ही बढ़ जायेगी। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक उपलब्धि के सम्बर्द्धन में इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका महत्व पूर्ण है। यदि अध्यापक अपने शिक्षण में ऐसे क्रान्तिकारी सहायक साधनों का उयोग करते है, तो छात्रों के अधिगम स्तर का उन्नयन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल J.C. (2008) शैक्षिक तकनीकी एंव प्रबन्ध गोविन्द प्रकाशन लखीमपुरखीरी।
2. कुलश्रेष्ठ एस.पी. (1999) शैक्षिक तकनीक के आधार, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
3. कपिल एच.वी. (2009) सारिव्यकी के मूलतत्व, अग्रवाल पब्किकेशन्स आगरा।
4. शर्मा आर.ए. (2013) शिक्षा अनुसंधान एंव शोध प्रक्रिया, आर. लाल बुक डिपो आगरा।
5. शर्मा आर.ए. (2013) शैक्षिक तकनीकी के आधार आर. लाल बुक डिपो आगरा।
6. सोढ़ी कृष्णा (1980) जनसंचार माध्यमो का विकास मे योगदान एवरेस्ट प्रेस दिल्ली।

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी प्राप्तांक
परिषदीय वित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी	30	24.9	3.95	.38	11.78
अपरिषदीय स्वावित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी	30	38.0	4.7		(0.001परसार्थक)

****

The Dowry Prohibition Act, 1961

Deeksha Dubey *

Introduction - An Act to prohibit the giving or taking of Dowry by **"The Dowry prohibition Act 1961"** Be it in acted by parliament in the twelfth year of the Republic of India as follows -

Definition of Dowry - In this Act "Dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly –

(a) By one party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) By the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person.

At or before[1] (or any time after the marriage[2]) In connection with the marriage of the said parties but does not include dower or mahr in the case of persons to whom the muslim personal Law (Shariat) applies.

Dowry prohibition Act, 1961 extends come into force on such date[3] as the central Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definition of "Dowry" is not restricted to agreement or demand for payment of dowry before and at the marriage but also includes demands made subsequent to marriage[4].

Penalty For giving or Taking dowry - If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be panishable[5] with imprisonment for a term which shall not be less than five[6] years, and with fine which shall not be less than fifteen thousand rupees or the amount of the value of such dowry, which ever is more.

Provided that the court may, for adequate and special reason to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than[7] five years.

Nothing in sub-section shall apply to, or in relation to –

(a) Presents which are given at the time of marriage to the bride (without any demand having been made in that behalf).

Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this Act.

(b) Presents which are given at the time of a marriage to the bridegroom (without any demand having been made in that behalf).

Provided further that where such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom, or on whose behalf, such presents are given.

Penalty for demanding dowry - If any person demands, directly or indirectly, from the parents or other relatives or guardian of a bride or bridegroom, as the case many be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six month, but which may extend to two years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

Provided that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months.

Ban on advertisement -

If any person -

(a) Offers, through any advertisement in any newspaper, periodical, journal or through any other media, any money or both as a share in any business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative.

(b) Prints or publishes or circulates any advertisement referred to in clause (a).

He shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend to five years, or with fine which may extend to fifteen thousand rupees.

Agreement for giving or taking dowry to be void - Any agreement for the giving or taking of dowry shall be void.

Dowry to be for benefit of the wife or her heris -

(1) When any dowry is received by any person other than the woman in connection with whose marriage it is given, that person shall transfer it to the woman -

a. If the dowry was received before marriage, within three month after the date of marriage. or

b. If the dowry was received at the time of or after the marriage within three month after the date of it's receipt. or

c. If the dowry was received when the woman was a minor, within three month after she has attained the age of eighteen years and pending such transfer shall hold it in trust for the benefit of the woman.

*B.A. , L.L.B. (VII Semester) Global Jindal Law University, Sonipat (Hariyana) INDIA

(2) If any person fails to transfer any property as required by sub section (1) within the time limit specified therefore, he the shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less six months, but which may extend to two years or with fine[10] .

(3) Where the wom1an entitled to any property under sub-section (1) dies before receiving it, the heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being.

Provided that where such woman dies with in seven years of her marriage, otherwise than due to natural causes, such properly shall –

(a) If she has no children, be transferred to her parents. or

(b) If she has children, be transferred to such children and pending such transfer, be held in trust for such children.

Cognizance of offences - Cognizance of offences. Not with standing anything contained in the code of criminal procedure, 1973 (2 of 1974) –

(a) no court inferior to that of a presidency magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

(b) no court shall take cognizance of any such offence except on a complaint made within one year from the date of the offence.

(c) It shall be lawful for a presidency magistrate or a magistrate of the first class to pass any sentence authorized by this Act on any person convicted of an offence under this Act.

Offences to be Non-cognizable, bailable and Non-compoundable - Offences to be non-cognizable, bailable and non-compoundable every offence under this Act shall be non-cognizable, bailable and non-compoundable.

The Dowry Prohibition Rules 1985 - G.S.R. 664 (E), dated 19th August, 1985 - The Central Government makes the following rules called namely-

(1) These rules called The Dowry Prohibition Rules 1985, (Maintenance of Lists of Presents to the Bride and Bridegroom).

(2) They shall come into force on the 2nd day of October, 1985 being the date appointed for coming into force of Dowry Prohibition Act, 1984 (63 of 1984).

References :-

1. Subs. by Act 43 of 1986, sec.2, for "or after marriage" (w.e.f. 19.11.1986).
2. Subs. by Act 63 of 1984, sec 2(a), for "as consideration for the marriage of the said parties, but doesn't include" (w.e.f.2.10.1985).
3. Come into force on 1.07.1961, vide S.O. 1410, dated 20th June, 1961.
4. State of Andhra Pradesh V. Raj Gopal Asawa, AIR 2004 SCW 1566.
5. Subs. by Act 63 of 1984, sec 3(a), for certain words (w.e.f.2.10.1985).
6. Subs. by Act 43 of 1986, sec 3(a), for certain words (w.e.f.19.11.1986).
7. Subs. by Act 43 of 1986, sec 3(b), for "Six months" (w.e.f.19.11.1986).
8. Ins. by Act 43 of 1986, sec 4 (w.e.f.19.11.1986).
9. Subs. by Act 63 of 1984, sec 5(b), for sub-section (2) (w.e.f.2.10.1985).
10. Ins. by Act 43 of 1986, sec 5 (a) (i) (w.e.f.19.11.1986).

****

ICT And Next Generation Libraries

Devendra Prasad Kushwah *

Abstract - This paper explains how Libraries are facing new challenges because of information explosion especially in this digital era where so many new information sources have been raised. The reading habits of Users have been changing frequently, ICT skills of users making a tremendous change in their reading habits thus the demands and expectations of readers are increasing as well as changing. These changes may take a new hike in near future. To cope with this new challenges libraries and library professionals are also experimenting and searching for new tools. Hence libraries are turning in to information centers, e-libraries, digital libraries, and virtual libraries. So many new tools and practices are being adopted in Modern Library Management Systems. ICT has been playing a very important role in facing new challenge, in developing new tools and techniques for meeting increasing expectations of users. This paper is therefore, an attempt to examine the demands of users in next generation and requirements of new practices and tools in libraries. This is an effort to assess how next generation libraries will take new shapes with the help of ICT.

Key word - Libraries, Library Services, ICT tools for Libraries, Readers assessment, New trends in libraries, Cloud Computing, Social networking sites.

Introduction - We will first discuss the concept of ICT and concept of Next Generation Libraries. Then we will see what changes may take place in Next Generation Libraries.

Information Communication Technology (ICT) is an umbrella term, widely used outside the U.S., to encompass all rapidly emerging, evolving and converge computer, software, networking, telecommunications, Internet, programming and information systems technologies. Historically, many of these fields developed separately, in different companies, departments and R&D groups, and at different times. With rapid improvements in computer processing power, networking technology advances, programming interface improvements, worldwide adoption of Internet Protocols, integration into organizational important operations, and improved workforce and user capacity, notwithstanding, these fields are rapidly converging. ICT is becoming more recognized as a field as this convergence takes place more frequently across the globe, and the demand for professionals who have the knowledge and skills to manage the growing number of crossroads is increasing. ICT is technology that supports activities involving information. Such activities include gathering, processing, storing and presenting data. Growing these activities also involve collaboration and communication. Hence IT has become ICT: information and communication technology.

The computers generations, Libraries have also been started a travel towards development. By the time human experiences, human thought process and technology made a huge difference between the ancient libraries and current library and information centers and the travel is still on towards next generation libraries.s

Cloud Computing - Cloud computing is the delivery of computing services over the Internet. Cloud services allow individuals and businesses to use software and hardware that are managed by third parties at remote locations. Examples of cloud services include online file storage, social networking sites, webmail, and online business applications. The cloud computing model allows access to information and computer resources from anywhere that a network connection is available. Cloud computing provides a shared pool of resources, including data storage space, networks, computer processing power, and specialized corporate and user applications. Cloud computing is a model for enabling suitable, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management try or service provider interaction. This cloud model promotes availability and is composed of five important characteristics, three service models, and four deployment models.

Improvement Of User Service Model In University Libraries - With the rapid development of various IT technologies, users' information requirements are growing personalized. And now more and more libraries advocated user-centered services. So librarians should my and study users' information requirements frequently. And only in this Way, they can master the basic demands of their users. And further, library can develop yourself according to such information and improve users' satisfaction. University library, as we all know, is famous for its academic and

* Librarian, Govt. College, Harsud, Distt. - Khandwa (M.P) INDIA

teaching influences. And IT technology has been the driving force of library development. What's more, librarians can keep using new technology to develop library and optimize library service. With the expansion of Cloud Computing Application, this paper proposed to apply Cloud Computing in libraries. By establishing a pubic cloud among many university libraries, it not only can conserve library resources but also can improve its user satisfaction. And it can be illustrated in figure.

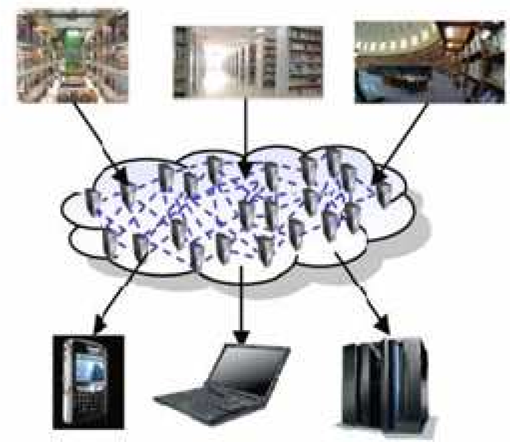

Figure - Application of Cloud Computing in University Library

Social Networking - Since their introduction, social network sites (SNSs) such as MySpace, Facebook, Byword, have attracted millions of users, many of whom have integrated these sites into their daily practices. As of this writing, there are hundreds of SNSs, with various technological affordances, supporting a wide range of interests and practices. While their key technological features are fairly consistent, the cultures that emerge around SNSs are varied. Most sites support the maintenance of pre-existing social networks, but others help strangers connect based on shared interests, political views, or activities. Some sites cater to diverse audiences, while others attract people based on common language or shared racial, genital, religious, or nationality-based identities. Sites also vary in the extent to which they incorporate new information and communication tools, such as mobile connectivity, blogging, and photo/video-sharing. Scholars from disparate fields have examined SNSs in order to understand the practices, implications, culture, and meaning of the sites, as well as users' betrothal with them. This special theme section of the Journal of Computer-Mediated Communication brings together a unique collection of articles that analyze a wide spectrum of social network sites using various methodological techniques, theoretical traditions, and analytic approaches. By collecting these articles in this issue, our aim is to show window some of the interdisciplinary scholarship around these sites. The purpose of this introduction is to provide a conceptual, historical, and scholarly context for the articles in this collection. We begin by defining what constitutes a social network site and then present one perspective on the historical development of SNSs, drawing from personal interviews and public accounts of sites and their changes over time. Following this, we review recent scholarship on SNSs and attempt to contextualize and highlight key works. We conclude with a description of the articles included in this special section and suggestions for future research.

Conclusion - The challenges rose because of new coming sources of information (which has been changing the types of Library holding as well), ICT awareness of users (because of same, reading habits and demands of users has been changing) and coming of new technologies (which has been making a great impact over Library Management Systems and practices) could be solved through the following strategies

Organizing public awareness forum such as library orientation, conferences, symposia, workshops to create awareness and educate librarians and users on the cloud computing and social networking services and applications. Embracing current change in order to remain relevant and adapt to the new ICT driven environment. Imbibing a maintenance culture so as to manage the few available ICT facilities effectively. Provision of stable power supply will develop and facilitate the effective use of these tools. Pro-active training of librarians to acquire 21st century skills to adapt to the changing ICT environment. Government should take an active role in providing ICT facilities to institutions. Educating the public on the issue of copyright law and outrage.

References:-

1. Wellman, Barry (2012). Networked: The New Social Operating System. MIT. ISBN 0262017199.
2. Kaplan Andreas M., Haenlein Michael, (2010), Users of the world, unite! The challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1 (page 61)
3. Jue, Arthur L., Jackie Alcalde Marr, Mary Ellen Kassotakis (2010). Social Media at work: how networking tools propel organizational performance (1st ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. ISBN 978-0470405437.
4. Shirky, Clay (2008). Here Comes Everybody. New York: Penguin Press. ISBN 978-1- 59420-153-0. OCLC 458788924.
5 http://www.lsrj.in/UploadedArticles/249.pdf 6 https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_51_cc_e.pdf
7 http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf
8 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/321/1/12824.pdf
9 http://www.ais.up.ac.za/digi/docs/alhaji_paper.pdf
10 https://www.rgpv.ac.in/PDF/E_Journals.pdf
11 http://www.caul.edu.au/content/upload/files/caul-doc/citf2012report-clift.pdf
12 http://www.dialogic.com/~/media/products/docs/whitepapers/12023-cloud-computing-wp.pdf

****

साम्प्रदायिक हिंसा और पुलिस

डॉ. भरत कुमार चौधरी *

प्रस्तावना – पुलिस की मौजूदगी एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं वरन् एक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता भी है। प्राचीनकाल से ही हमारे समाज में पुलिस की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता रही है। एक संस्था के स्वरूप में पुलिस की उत्पत्ति और विकास प्रमुख रूप से राज्य के प्रभुत्व सम्पन्न वर्गो की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। एक राष्ट्र में एक समान पुलिस ढाँचा अथवा संगठन राष्ट्रीयता की भावना को सशक्त करने वाला अति महत्त्वपूर्ण कारक माना जाता है। वर्तमान समय में तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गयी है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि पुलिस व्यवस्था के अभाव में समाज के अस्तित्व पर ही संकट आ जायेगा।

यू.पी.ए. की पिछली दो सरकारों ने अपने कार्यकाल के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा की समस्या के निदान हेतु एक विस्तृत और व्यापक कानून बनाने का प्रयास किया था, जो कतिपय कारणों से सफल नहीं हो पाया और अब तो निकट भविष्य में ऐसे किसी कानून के अस्तित्व में आने की सम्भावना भी कम ही दिखाई देती है। पर इस पूरी प्रक्रिया ने एक बहस को जरूर जन्म दिया था जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है।

साम्प्रदायिक हिंसा के विरूद्ध बिल के बहाने सर्वप्रथम इसके द्वारा बढ़े अधिकारों का उपयोग करने वाली संस्थाओं की क्षमता, दृढ़ इच्छाशक्ति और पूर्व में उनके द्वारा विधि से प्राप्त अधिकारों के उपयोग अथवा दुरूपयोग के इतिहास को खंगालना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश **जे.एस.वर्मा** ने साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी बिल के ड्राफ्ट को तैयार करने पर आयोजित एक संगोष्ठी में प्रश्न उठाया कि क्या हमारे देश के मौजूदा कानून साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है? वे सम्भवत: यह पूछना चाहते थे कि अगर हमारे राष्ट्र में पूर्व में विद्यमान कानूनों की तरह ही इस नवीन कानून को क्रियान्वित करने के लिए भी दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का अभाव रहा तो इसका परिणाम भी अन्य कानूनों जैसा ही हो गया तो? अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश की वह संस्था अथवा संगठन जिनको मुख्यतया इन प्रावधानों का उपयोग करना है **वह इसके योग्य है भी या नहीं?** न्यायालयों तक पहुँचने से पूर्व पुलिस इस नए कानून का सद्उपयोग या दुरूपयोग करेगी।

इस सन्दर्भ में पिछला अनुभव बताता है कि कानून में उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग पुलिस ने इस प्रकार किया कि दंगों में पीड़ितों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गो के हृदय में सदैव यह कसक रही कि भारतीय राष्ट्र की पुलिस ने वह सब नहीं किया जो उसे ऐसी स्थिति में करना चाहिए था और उसने वह सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया, और यह निर्णय परिणाम था उस खूनी विभाजन के साये में मिली आजादी का जिसने साम्प्रदायिकता के बीज बो दिए थे और भारत को दो विपरीत ध्रुवों में विभक्त कर दिया था। 1961 में आजादी के बाद जबलपुर में सबसे भयानक साम्प्रदायिक दंगे हुए और उसके बाद प्रति 2-3 वर्ष में भारत के किसी न किसी भाग में इस तरह की साम्प्रदायिक घटनाएँ घटित होती रही। इन सभी में एक अनुभव बार-बार दुहराया गया हर बार पुलिस पर यही आरोप लगे कि उसने हिंसा के दौरान अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए वह सब नहीं किया, जो उससे भारतीय संविधान और सरकार द्वारा निर्मित कानून-नियम अपेक्षा करते हैं। 1984 के सिक्ख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद कांड, या गुजरात दंगों के बाद भी सरकार द्वारा दोषी पुलिस व्यवस्था के विरूद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

साम्प्रदायिक हिंसक घटनाओं के दौरान पुलिस पर सदैव पक्षपात के आरोप लगे हैं कि वे अपनी कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती हैं। इन आरोपों को लगाने में सिर्फ मुसलमान संगठन ही नहीं वरन् मानवाधिकारों संगठनों से सम्बद्ध लोग स्वतंत्र मीडिया और विभिन्न जाँच कमीशन के प्रतिवेदन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भी यदि हम सरकारी आंकड़ों पर ही विश्वास करें तब भी हम यही पायेंगे कि हर दंगे में मरने वालों में अधिकतर संख्या मुसलमानों की रही थी, न कि सिर्फ ज्यादा बल्कि अधिकांशत: मामलों में तीन चौथाई से भी अधिक और पुलिस द्वारा कार्यवाही भी ज्यादा मुसलमानों के विरूद्ध ही हुई। अर्थात् दंगों के दौरान मृतकों की अधिक संख्या मुसलमानों की, मुसलमानों की तलाशी व गिरफ्तारी में भी इनका प्रतिशत ही अधिक रहा। मैंने एक शोध-पत्र के अध्ययन के दौरान मुसलमानों में पुलिस के प्रति अविश्वास का रवैया अधिक गहरा पाया।

सरकार का प्रमुख कर्तव्य ही अपने नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा करना है और सरकार का सबसे प्रत्यक्ष या दृश्यमान अंग पुलिस है। जो इस भूमिका को निभाता है। लेकिन इन साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण ही रहा और इस दंश को अल्पसंख्यक वर्गो ने बखूबी झेला है। 1984 में हुए सिक्ख विरोधी दंगों में सिक्खों के अनुभव भी कुछ ऐसे ही थे। जब दिल्ली जैसे शहर में भी पुलिस ने मुसीबत में फंसे सिक्खों की सहायता करने के बजाय बलवाइयों की ही सहायता की।

मैंने सिर्फ एक उदाहरण सम्प्रदायिक दंगों का दिया है। सामान्य परिस्थितियों में भी पुलिस का व्यवहार कानून और मानवाधिकार विरोधी होता है। यह एक सामान्य से अनुभव की बात है कि पुलिस थानों में जाने

* असिस्टेंट कमांडेंट (सशस्त्र सीमा बल) गृह मंत्रालय, भारत सरकार

वाला कोई भी आम नागरिक वहाँ जाने से या तो कतराता है या फिर अच्छे अनुभव लेकर नहीं लौटता।

मैंने ऊपर जिन परिस्थितियों का जिक्र किया है, उनमें किसी में भी वर्तमान विधियों की अपर्याप्तता अथवा अक्षमता तो जिम्मेदार है ही लेकिन इसके पीछे एक प्रमुख मूल कारण है और वह है पुलिसकर्मियों के मन में बैठी गहरी दुर्भावना और नकारात्मक सोच जो पुलिस की खाकी वर्दी पहनने के बाद हिन्दू या मुसलमान होने की सोच से उन्हें घेरे रहती है। भारतीय के मानवीय समाज में आज भी कुछ ऐसे अवयव है, जो **'हम'** और **'वे'** की भावना मनोग्रंथि से ग्रस्त है।

पुलिस के अधिकांश अधिकारियों व कार्मिकों की नकारात्मकता से त्रस्त यह सोच कि दंगा सदैव मुसलमान ही शुरू करते हैं और दंगे को रोकने के लिए उनके पास सबसे सरल उपाय है और वह है मुसलमानों के साथ सख्ती। इसलिए अधिकांश उन दंगों में भी, जिनमें शुरूआत हिन्दू हमलावर द्वारा की जाती है, तो भी पुलिस की कार्यवाही मुसलमानों के विरूद्ध ही होती दिखती है। एक सामान्य पुलिसकर्मी के मन में यह बात इतनी गहरी पैठ बनाए होती है कि आमतौर पर मुसलमान हिंसक और क्रूर होता है। इसी कारण उसके लिए यह मान पाना कि कोई दंगा हिन्दुओं ने शुरू किया या किसी दंगे के हमलावर हिन्दू हो सकते हैं यह लगभग असम्भव है। उनकी यह पूर्व मान्यता होती है कि एक सामान्य हिन्दू आमतौर पर स्वभाव से ही उदार और अहिंसक होता है। और यही निम्न श्रेणी की मानसिकता कितने भी अच्छे बने कानून जो साम्प्रदायिकता से निपटने के लिए काफी है को असशक्त एवं पंगु बना देती है। और उसमें प्रमुख भूमिका रहती है, पुलिस की जो इन कानूनों को महत्वहीन स्वरूप प्रदान करती है।

भारतीय समाज का सत्य जानने वाले मेरी इस बात से शायद सहमत हो सकें कि साम्प्रदायिक दंगे भड़क तो सकते हैं लेकिन वे लम्बे तभी खिंचते हैं, जब सरकार चाहती हो, अगर कोई भी दंगे या साम्प्रदायिक घटना 24 घण्टे से अधिक चलता है तो इस बात की दृढ़ता से जांच होना अनिवार्य है कि सरकार का कोई अंग उसमें शामिल तो नहीं है। अर्थात् सरकार को चाहिए कि वह साम्प्रदायिक घटनाओं के समय पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही पर पैनी दृष्टि रखे। साथ ही इस समस्या से निजात पाने के लिए पुलिसकर्मियों के लिए कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए जाए जो उनके उस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में सहायक हो तथा जो कानून और अधिकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु बने हैं उनका प्रयोग पुलिस उनकी हिफाजत के लिए करें न कि उनके खिलाफ। साथ ही ऐसे वैधानिक एवं सशक्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है कि इन कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए।

साम्प्रदायिक हिंसा भारतीय समाज का अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा है। अतः इससे निजात् पाने हेतु पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, जवानों को समाज में मानवीयता को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए अपनी निष्पक्षता को धारित करते हुए सकारात्मक व्यवहार के साथ कार्य करना इस समस्या को समाधान में एक सबल और सहायक पक्ष होगा।

'न धर्म, न जाति, सर्वोपरि है मानवता, जय हिन्द'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 1.9411 (2015) October to December 2016, Vol. II

मीडिया का सामाजिक सरोकार

डॉ. सीमा कदम *

प्रस्तावना – मीडिया से आशय ऐसी तकनीक या उपकरण से है, जिसके द्वारा संदेश, जनसंचार एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। सामाजिक जनसंचार शास्त्री जे. कार्नर के अनुसार – 'मीडिया बड़े पैमाने पर उत्पादन, वृहद स्तर पर विषमवर्गीय जनसमूहों में द्रुतगामी वितरण करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जिन उपकरणों या तकनीक का उपयोग किया जाता है, उसे (जनसंचार माध्यम) मीडिया कहा जाता है'। मीडिया अपने शुरूआत से ही जनमुखी रहा है, उनके बातों को अभिव्यक्त करने वाला, उनकी पीड़ा को शब्द देने वाला। प्राचीन काल में रोम में, राजनीतिक जीवन के विवरण लिखने और उन्हें प्रचारित करने की प्रथा अस्तित्व में थी। 3 जुलाई 1841 के 'टाईम्स आर्फ इंडिया' में छपे एक लेख के अनुसार इन विवरणों में सामान्य जन–जीवन के चित्र और दृश्य भी दिखते थे। एक लेख/विवरण के अनुसार अपने 63 परिवार जनों के साथ एक व्यक्ति राजधानी में, अपनी मांग मनवाने के लिए, सत्याग्रह करने हेतु पहुँचा था। एक दूसरे लेख/विवरण के अनुसार एक गुलाम का जब वध किया गया तो, उसका कुत्ता उसके शव के पास बैठा रहा और जब शव को नदी में फेंक दिया गया, तब कुत्ता उसको किनारे पर लाने की कोशिश करता रहा................ आशय यह कि सम्राटों, तानाशाहों के जमाने में भी लोक–पीड़ा को, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले पत्रकार, लेखक आज की भाषा में कहें मीडिया –कर्मी थे। पर आज के इस आधुनिक मीडिया तकनीक के जमाने में 'सामाजिक जिम्मेदारी' के प्रति एक लापरवाही भरा नजरिया सामने आ रहा है, इस संदर्भ में हाल ही में घटी कुछ घटनाओं का जिक्र कतई अप्रसंगिक नहीं होगा–

1. 27 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले की इस तरह से टी. वी. रिपोर्टिंग की गई की सुरक्षाबलों की मुश्किल उससे बढ़ी और टी. वी. रिपोर्टिंग करने वालो को हिदायद दी गयी की वे अमुक सावधानी बरतें।
2. दिल्ली में एक काम वाली महिला की खबर इस प्रकार प्रस्तुत की गयी कि उस महिला ने आत्म हत्या कर ली। बाद में न्यायालय में वह निर्दोष साबित हुई। झूठ खबर ने एक परिवार तबाह किया।
3. पठानकोट में हुए आतंकी हमले में फिर वही चूक उजागर हुई। उस चैनल पर कार्यवाही का निर्णय भी हुआ पर एनवक्त पर उसे रोक दिया गया।
4. पिछले दिनों म.प्र. के एक बड़े शहर में देश के दो बड़े टी. वी. चैनलों के संवाददाताओं को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ब्लैकमेलिंग करते थे मीडिया– कर्मी होने के नाते इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी।
5. एक टी.वी. ैनल के प्रमुख ने तो एक बड़ी राशि की मांग ही कर दी कि उसके पास उसके व्यापार से संबंधित जानकारी हैं, पैसे दे नहीं तो वे न्यूज़ चला देंगे, इस प्रमुख को एक मामले में जेल भी हुई, पर वह अपने काम में उसी तरह से लगा हुआ है।

उद्देश्य –

1. मीडिया की जनता, समाज, देश के प्रति क्या जवाबदेही है, इसका अध्ययन करना।
2. व्यावसायिकता और सामाजिकता इनके टकराहट के करणों का अध्ययन करना।
3. संवेदनशील सामग्री के प्रति बरते जाने वाले रवैये का अध्ययन। विश्लेषण करना।
4. मीडिया–मालिक, मीडिया–कर्मीयों के आपसी संबंधों की पड़ताल करना।
5. सत्ता, मीडिया के अंतर्संबंधों की पड़ताल करना।
6. समाज के विभिन्न वर्गो के प्रति मीडिया के दायित्वों को रेखांकित करना, विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि – विषय के अनुसार ही शोध–प्रविधि का चयन किया जाता है। समाजशास्त्रीय विषय की शोध–प्रविधि के विश्लेषण के औजार भी इसी के अनुसार होंगे मसलन घटनाओं का कारण और परिणाम के आधार पर, उनके पारस्परिक संबंध का अध्ययन। घटना और सामान्य कार्य व्यवहार में अंतर है। घटनाओं की श्रृंखला सामान्य कार्य व्यवहार, दृष्टिकोण को बताती है, इसकी परख हेतु वैज्ञानिक आधार का सहारा लिया गया, वैज्ञानिक आगमन और निगमन प्रणाली पर 'मीडिया के सामाजिक सरोकार के तथ्य को परखा गया। निगमन प्रणाली में सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाते है और आगमन प्रणाली में विशिष्ट से सामान्य की ओर। घटनाओं, सामान्य कार्य व्यवहार, जन–धारणा, प्रभाव को अनुभव की कसौटी पर कस विश्लेषण किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहें मीडिया कर्मियों, विशेषज्ञों, लेखकों, संपादकों, पाठकों से विचार विमर्श कर भी विषय का विश्लेषण/अध्ययन किया गया। मनौवैज्ञानिक विश्लेषण का भी सहयोग लिया गया। प्रश्नावली तैयार कर मीडिया से, समाज से जुड़े लोगों से उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों से एक खांका खिंचा गया। प्राप्त तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया। संबंधित साहित्य का भी अध्ययन किया गया।

साहित्य समीक्षा – हमारे देश में मीडिया प्रशिक्षण के लिए अनेक संस्थाएँ कार्यरत है, उनके पाठ्यक्रमों में अनेक मीडिया विशेषज्ञों की पुस्तकें शामिल है। सामाजिक दायित्व भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके बाद भी अनेक मीडिया संस्थान, मीडिया कर्मी इस दायित्व पर पांव रख अपने स्वार्थ साधने

* सहायक प्राध्यापक, मा.च. शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

में लगे रहते है। मीडिया विशेषज्ञ लक्ष्मेंद्र चोपड़ा की पुस्तक इसी जवाबदेही के प्रति नकारात्मक रवैये की ओर इशारा करती है। लक्ष्मेंद्र चौपड़ा दूर-दर्शन के उच्च अधिकारी रहें है, अपने अनुभव के आधार पर अपनी पुस्तक 'जनसंचार का समाज शास्त्र में उन्होंने कहा है -मीडिया एक सामाजिक घटना है। संचार के प्रत्येक क्रांतिचरण ने मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया है'। वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र पाल सिंह के मीडिया मीमांसा में प्रकाशित लेख में उन्होंने पत्रकारों की नैतिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए इस बात को रेखांकित किया है कि आज पूरे देश में ऐसे पत्रकारों की कोई कमी नहीं है, जो इस तरह के गैर जिम्मेदार कार्य में संलग्न है, यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसमें कमी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। अपने एक लेख 'गैरजिम्मेदार टी. वी. रिपोर्टिंग' में पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने जिम्मेदारी की बात पर जोर देते कहा कि -मुबंई हमलों के बाद एक बार फिर से मीडिया के लिए एक पेशेवर संगठन की जरूरत बढ़ती जा रही है ताकि वह मीडिया और उसमें काम करने वाले लोगों के लिए एक मानदंड तय करे, उनकी आचार संहिता तय करे और उसे लागू करने की नैतिक जिम्मेदारी भी उठाए। अनेक मीडिया विद्धानों की इस संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध है। सुधीर पचौरी, दिलीप मंडल, सच्चिदानंद जोशी, रामशरण जोशी, कृपाशंकर चौबे, उल्लेखनीय है।

विश्व के संदर्भ में अनेक ऐसी घटनाओं का जिन्हें मीडिया द्धारा हवा दी गयी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनसे सामाजिक स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ा।

संचार की सामाजिक भूमिकाओं के रेखांकन क्रम में अब हम आधुनिक जनसंचार माध्यमों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य पर विचार करेंगे। संचार माध्यम मानव समाज के विकास के प्रमुख अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

समाजशास्त्री हरबर्ट स्पेंसर ने समाज को जीव के रूप में रूपायित कर सामाजिक विकास की कल्पना की थी। स्पेंसर के मत में सैन्यवाद से उद्योगवाद के माध्यम से एकीकृत व्यवस्था की स्थापना से समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व प्रजातीय वर्गो के लिये शांति से रहना संभव हुआ है। हरबर्ट स्पेंसर के मत में समाज सदा प्रगति की और बढ़ता है। कार्ल मार्क्स ने अंतिम सामाजिक व्यवस्था के पूर्ण विकास के विचार प्रस्तुत करते समय एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जिसमें सामाजिक व्यवस्था ने पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर ली है, उस समाज मे, 'प्रत्येक से उसकी सामर्थ्य के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार,' का नियम प्रचलित होगा। अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि सामाजिक परिवर्तन चेतन और सुव्यवस्थित प्रयत्नों द्धारा लाए जा सकते हैं।

लेस्टर एफ़ .वार्ड ने कहा है कि चेतन नियोजन के उद्देश्यात्मक प्रयत्नों द्धारा प्रगति के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से बुद्धि भावना को जीत सकती है, ताकि प्रभावी नियोजन संभव हो सके।

चार्ल्स ई. एल्वुड, लुडविग स्टीन, एल.टी. हाबहाउस ने भी प्रगति की प्रक्रिया मे शिक्षा और ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा था- विवेक द्धारा भौतिक तत्वों पर नियंत्रण पाकर प्रगति के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते है। मानवीय प्रयास विवेक के नियंत्रणाधीन होते है, अत: प्रकृति में बौद्धिक तत्वों को विकसित कर इसे विकास कि प्रक्रिया में प्रमुख घटक के रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता है। निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक अभिकरण के रूप में जनसंचार माध्यमों की इस प्रक्रिया में महती व अनिवार्य भूमिका है। क्योंकि जनसंचार सूचनाओं और विचारों के आदान-प्रदान की दो तरफा प्रविधि है। प्रगत तकनॉलॉजी की आधुनिक दुनिया में जनसंचार माध्यम ज्ञान तथा ज्ञान के उपयोगकर्ताओं के सम्पर्क में महती भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि कितनी कुशलता से सूचना व तकनीक सभी नागरिकों तक पहुंचाई जा सकती है।

विकास के इस नये बहुपक्षीय प्रादर्ष के आधार में उस समाज की सहभागिता तथा सहमति महत्वपूर्ण है, जिसके लिए विकास की योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस प्रादर्श में विकास कि प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाजशास्त्री डॉ. श्यामाचरण दुबे के शब्दों में - 'आधुनिक विकास को एक मानवीय आधार दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि ग़रीबी और उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हुए बिना न तो जनतंत्र का कोई मतलब है, न ही विकास का।' इस स्तर पर जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस प्रकार है :

1. समाज के सदस्यों को विकास की संभावनाओं से परिचित कराना।
2. समाज को आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।
3. विकास संदर्भ में नवाचारों का आकलन व अध्ययन करना।
4. विकास प्रक्रिया में सामाजिक सामुदायिक सहभागिता व स्थानिक तत्वों को प्रोत्साहन देना।
5. विकास प्रक्रिया के अनुभवों का आदान-प्रदान।
6. विकास प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता को बढावा देने के लिए 'स्थानीय समूहों को उन्ही की भाषा, संस्कृति व परिवेश के अनुसार प्रेरणा।
7. विकास संबंधी सूचनाओं का स्थानीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय राष्ट्रीय व वैश्विक सभी स्तरों पर व्यापक प्रचार-प्रसार।
8. विकास नियोजन में नीति-निर्धारकों तथा आमजनों के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करना।
9. विकास योजनाओं के ईमानदार, सुनियोजित तथा सफल क्रियान्वयन हेतु सामाजिक निगरानी व नियंत्रक की भूमिका।
10. विकास हेतु आवश्यकतानुसार पारंपरिक सामाजिक मुल्यों में लोकतांत्रिक व सहचर्य पद्धति से परिवर्तन करते हुए सामूहिक सामाजिक मनोवृत्ति का निर्माण करना।
11. सामाजिक विकास के लक्ष्यों की अनुशासित ढंग से प्राप्ति के लिए सहभागी स्वभाव तथा रचनात्मक व्यक्तियों के निर्माण हेतु वास्तविक जनशिक्षा का प्रचार कर चेतना का विस्तार करने के लिए।

मीडिया माध्यम की इन भूमिकाओं के संबंध में सामाजिक दायित्व को कसे तो पाएगे-

1. इस प्रविधि द्धारा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावशाली सकारात्मक ढंग से लागू कर नये मूल्य प्रचलित किए जा सकते है।
2. पारंपरिक समाज को भी लोकतांत्रिक साहचर्य की भावना के साथ प्रगति हेतु प्रेरित किया जा सकता हैं।
3. आधुनिकिकरण के लक्ष्यों और कार्यक्रमों की व्यापक जनस्वीकृति हेतु सामाजिक वातावरण बनाया जा सकता हैं।
4. सामाजिक जड़ता के विरूद्ध सक्रिय व सुखी जीवन का आकर्षक विकल्प प्रचारित किया जा सकता है।
5. प्रगति के लिए अनिवार्य जागृत जनमत तैयार किया जा सकता है।
6. विकास हेतु आम जनों की चेतना के विस्तार के लिए इस प्रविधि द्धारा सुगमतापूर्वक संवादात्मक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है।
7. मनोरंजन के साथ विकास का संदेश बड़े सशक्त ढंग से जन-जन तक

पहुंचाया जा सकता है।

8. स्थानीय संस्कृति के तत्व होने से इस प्रविधि का उपयोग विकास के मार्ग में आने वाली अशिक्षा तथा निरक्षरता जैसी बाधाओं को दूर करने में किया जा सकता है।
9. संवादात्मक पद्धति होने के कारण संदेश प्रसार में निरक्षरता बाधक नहीं बनती।
10. प्रविधि में विकास हेतु स्थानीय लोक संस्कृति के प्रयोगों की प्रभावशाली संभावनाएं होने के कारण संदेशो में लोकप्रियता व लोक मनोरंजन के तत्व बने रहते हैं तथा संदेश समाज के सभी वर्गो तक सहजता से पहुँच जाते है।
11. इस प्रविधि में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संवाद स्थिति होने के कारण तुरंत फीडबैक प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार यह प्रविधि सामाजिक नियोजन के नीति निर्धारकों तथा आम जनों के बीच सेतु का कार्य करती है।
12. त्वरित फीडबैक प्राप्ति की सुविधा के कारण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

उपसंहार –मीडिया को अपनी प्रभावशाली विशेषताओं तथा संभावनाओं के साथ–साथ यह ध्यान रखना होगा कि उसकी अपनी भी सीमाएं है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि उपकरण एक माध्यम हैं। इनका उपयोग एक औजार के रूप में हो सकता है। यह उसकी जवाबदेही है कि इस औजार का उपयोग समाज के हित में हो, जनसंचार माध्यमों का सामाजिक विकास के सषक्त औजार के रूप में उपयोग तभी हो सकता है, जब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण खोजे जायें। ये प्रश्न है–

1. इस औज़ार पर नियंत्रण करने वाले के सामाजिक उद्देश्य और न्यस्त हित क्या है ?
2. जनसंचार माध्यमों के उद्देश्यपूर्ण उपयोग में उनकी क्षमताएं कितनी है ?
3. क्या वे माध्यमों का उपयोग सार्थक व कल्पनाशील ढंग से कर सकते है ?
4. क्या उन्हें लक्षित समाज की समस्याओं व संस्कृति का सही–सही ज्ञान है ?
5. और, अंत में–कहीं वे मात्र आर्थिक लाभ कमाने के व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही तो इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहें ?

ये प्रश्न सामाजिक विकास में जनसंचार माध्यमों की व्यापक भूमिका से संबंधित है। यह समझने की आवश्यकता है कि लोक कल्याण के लिए मात्र आर्थिक लाभ कमाने के स्थान पर संचार माध्यमों की व्यापक सामाजिक भूमिका के उपयोग की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जनसंचार का समाजशास्त्र लेखक –लक्ष्मण चोपड़ा।
2. हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका लेखक – सनत कुमार।
3. मीडिया मीमांसा 'मुंबई पर हमला' प्रकाशक –मा.च.रा. पत्रकारिता एवं संचार वि.वि. भोपाल।
4. दृश्यांतर दूरदर्शन पत्रिका संपादक – अजित राय।
5. मीडिया का अंडरवर्ल्ड लेखक – दीलिप पांडे।
6. पत्रकारिता के नये परिदृश्य लेखक – कृपाशंकर चौबे।
7. हंस मीडिया विशेषांक संपादक – राजेन्द्र यादव।
8. मीडिया जनतंत्र और आतंकवाद लेखक – सुधीश पचौरी।

****

राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं का उभरता नेतृत्व

डॉ. हरिचरण मीना*

शोध सारांश – राजस्थान मे नागोर मे सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना 1959 को हुई। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को प्रादुर्भाव आजादी के पूर्व होने के संकेत भी मिलते है। राजस्थान की विभिन्न रियासतो यथा बीकानेर, सिरोही, करौली, भरतपुर इत्यादि में आजादी के पूर्व से ही संसार पंचायत अधिनियम बने हुए थे। आजादी के बाद राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 बना, 1956 में बलवन्त राय मेहता समिति की पहल पर पंचायती राज अधिनियम के प्रस्ताव को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर अगस्त 1958 में आन्ध्रप्रदेश में प्रयोगात्मक रूप से कुछ भागों में प्रारम्भ किया गया । 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य में नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंड़ित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायत राज की शुरूआत की गई। जिसमें मेहता समिति के अनुरूप त्रि–स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। उस समय यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिनिधित्व यदि निर्वाचित नही हो तो उसमे प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन किया जाये ।

पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा पंचायती राज के त्रि–स्तरीय संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया जिसमें महिला नेतृत्व का उदय हुआ।

शब्द कुंजी – पंचायतीराज, प्रादुर्भाव, रियासत, अधिनियम, अनुसूचित जाति, दलित सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, ब्रिटिश काल, अस्पृश्यता, अतिशुद्ध, पदानुक्रम, स्वतंत्रता, मताधिकार।

प्रस्तावना – पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ देश मे सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 1959 से हुआ। भारतीय संविधान के 73 वॉं संशोधन अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाकर 23 अप्रेल 1994 मे सम्पूर्ण राजस्थान मे त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। जिसमे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग व महिलाओ के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। राजस्थान में पंचायती राज की तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं का राजनैतिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित हुआ। इस शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान मे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं मे प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप होने वाले राजनैतिक व सामाजिक विकास एवं उनके उभरते नेतृत्व को जानना है।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का प्रादुर्भाव आजादी के पूर्व से ही होने के संकेत मिलते है। आजादी के पूर्व बीकानेर ऐसी पहली देशी रियासत थी जहाँ 1928 मे ही पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतो को वैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया था। इसी प्रकार तत्कालीन जयपुर राज्य में भी ग्राम पंचायत अधिनियम 1938 में पारित किया गया, जिसे 1943 की संविधान सुधार समिति के सुझावों के अनुरूप 1944 में संशोधित रूप में पुन:पारित करके कार्यान्वित किया गया। इसी प्रकार सिरोही राज्य में 1943, भरतपुर में 1944 एवं करौली में 1949 मे पंचायत अधिनियम पारित किया गया।

आजादी के बाद राजस्थान के निर्माण के समय (30मार्च 1949) सम्पूर्ण राजस्थान के 31244 गॉंवो में कुल 1622 ग्राम पंचायतें थी यह संख्या बहुत कम थी, अत: शीघ्र ही नया पंचायती राज कानुन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 के नाम से 1 जनवरी 1954 से सम्पूर्ण राजस्थान में लागु किया गया। यह अधिनियम द्वारा राज्य मे 32275 ग्राम पंचायतें तथा 211 तहसील पंचातयतें स्थापित की गई। इस अधिनियम की बहुत बड़ी देन तहसील व पंचायतें थी। जिनके द्वारा जनता को एक सीढ़ी और बढ़कर ग्रामीण शासन को और शक्तिशाली बनाने का अवसर प्राप्त हुआ ! इस दिशा में राजस्थान ने भारत में अन्य राज्यों का पथ–प्रदर्शन किया।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारम्भ किया गया, जिससे विकास कार्यो में जनसहभागिता प्रारम्भ हुई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में ग्रामवासियों को विकास का महत्व और विकास प्रक्रिया मे उनकी भूमिका को समझाकर लोकतंत्र की नीव को मजबूत किया गया। 1952 से 1957 तक अमेरिका के ब्लाक मॉडल अपनाकर खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी बनाये गये। 1956 में गठित बलवन्त राय मेहता समिति की पहल पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसके प्रतिवेदन को स्वीकार कर अगस्त 1958 मे आन्ध्रप्रदेश में प्रयोगात्मक तौर पर कुछ भागों में प्रारम्भ किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायत राज की शुरूआत की। इस प्रकार राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसे देश में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। मेहता समिति के अनुरूप त्रि–स्तरीय पंचायत राज की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 निर्मित कर 10 सितम्बर 1959 से लागु किया। 1960 में प्रथम बार विधिवत चुनाव कराकर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद नाम से त्रि–स्तरीय

* व्याख्याता (समाज शास्त्र विभाग) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

संस्थाए स्थापित की गई।

भारतीय संविधान के 73वे संशोधन अधिनियम 1993 के प्रावधानो के अनुसार 1993 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाकर 23 अप्रेल 1994 से सम्पूर्ण राजस्थान में प्रभावशाली कर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रभाव में आने से पूर्व मे प्रभावी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं 'राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959' निष्प्रभावी हो गये है। अब तीनों संस्थाएं एक ही अधिनियम से शामिल होगीं। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाये। इन नियमों के नियम 374 द्वारा पुराने निर्मित 54 नियमों को निरसित किया गया है। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पंचायत सर्कल मे ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है अधिनियम 1994 के अध्याय 2 (क) में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्कस के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव या गाँवो के समूह से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों मे पंजीकृत व्यक्ति होंगे।

पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत एक सरपंच और इतने वार्ड पंचो के प्रत्यक्ष निर्वाचन से मिलकर बनेगी, जितने वार्ड होंगे। 3000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में 9 वार्ड होंगे। यदि किसी पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 3000 से अधिक हो तो प्रत्येक 1000 या उसके भाग के लिए 2 वार्डो की बढ़ोतरी होगी।

उपखण्ड स्तर पर एक पंचायत समिति होगी जिसका मुखिया प्रधान होगा। एक लाख तक की जनसंख्या वाले पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगें और जिस पंचायत समिति की जनसंख्या एक लाख से अधिक होगी उसमे प्रत्येक 15 हजार के लिए दो निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय जिले के ऐसे प्रयोगों का उपवर्जित करते हुए जो तत्संयम प्रकृत किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका मां किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित किये गये है सम्पूर्ण जिले पर अधिकारिता रखेगी।

पंचायतीराज की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

इन संस्थाओं के चुनावो के आयोजन का दायित्व राज्य के निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियाँ राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में अधीन विहित रीति से तैयार भी और रखी जाएगी।

पंचायतीराज अधिनियम 1994 के द्वारा महिलाओ को राजनीति मे आने के प्रवेश द्वार खोले गये। 1994 के अधिनियम के लागू होने से पहले महिलाओ की पंचायतराज की राजनीति मे भागीदारी नगण्य थी। उक्त अधिनियम के तहत पंचायतराज की त्रि स्तरीय व्यवस्था मे तीनो स्तरो पर 33 प्रतिशत पद महिलाओ के लिए आरक्षित किये गये। जिसे बाद मे राजस्थान सरकार द्वारा 50 प्रतिशत पद महिलाओ के लिए आरक्षित कर दिए गये। प्रारम्भ में महिलाओ के प्रतिनिधि के द्वारा इन पदो का कार्य किया जाता था। जिसके परिणामस्वरूप राजनीति मे नये तथाकथित पद अस्तित्व मे आने लगे जैसे- सरपंचपति, सरपंचपुत्र, प्रधानपति, प्रधानपुत्र, प्रमुखपति, प्रमुखपुत्र इत्यादि। जब सरकार द्वारा महिला जनप्रतिनिधि के पदो का कार्य उनके पति, पुत्र या परिजनो द्वारा के जाने पर सख्त रोक लगाई तो महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं का कार्य स्वयं द्वारा किया जाने लगा तब महिला नेतृत्व उभरने लगा। वर्तमान मे राजनीति मे शिक्षित महिलाए अपने पद का कार्य स्वयं करने लग गयी हैं। जिससे महिलाओ मे यह आत्मविश्वास भी बढा है कि वे भी राजनैतिक रूप से एक अच्छा नेता साबित हो सकती हैं।

समकालीन आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ने महिलाओ को सामाजिक संरचना में स्वायत्रता को प्रोत्साहन प्रदान किया है। परम्परात निम्न सामाजिक प्रस्थिति से वे उच्च आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सैद्धान्तिक रूप से प्राप्त कर सकती है। वयस्क मताधिकार, आरक्षण की व्यवस्था, नारी उन्मूलन, संवैधानिक प्रावधान आदि परम्परागत प्रस्थितिकीय विभेदीकरण पर आघात पहुचाँकर महिलाओं को पुरूषो के समकक्ष स्थिति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते है।

साथ ही इन्हे राजनीतिक दृष्टि से अधिक जागरूक, सहभागी और सक्रिय होने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम इन जातियों, जनजातियो एवं महिलाओ के लिए राजनीतिक सहभागिता की दिशा में मील के पत्थर सिद्ध हुए है। इन अधिनियमों द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को इनकी जनसंख्या के अनुपात मे पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय स्वायतशाषी संस्थाओ में प्रत्येक स्तर पर स्थान आरक्षित किये गये है। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओ में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओ की भागीदारी सामाजिक न्याय एवं कल्याण का प्रमुख घटक है। यदपि इस दिशा में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओ की भागीदारी सामाजिक न्याय एवं कल्याण का प्रमुख घटक है। यदपि इस दिशा में 1954 से ही इस प्रकार के प्रयास आरम्भ हो गये थे जब डॉ. के.एन. माच्यू, जगजीवन राम, गुलजारी लाल नन्दा, गुरूमुख निहाल सिंह, केशवदास मालवीय और श्री मन्नाराम की समिति ने 19 जुलाई 1954 को अपने प्रतिवेदन मे अनुसूचित जाति एवं जनजातियो के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे जाने का सुझाव दिया। दुर्भाग्यवश यह सिफारिश आयोजित नही हो पायी। बलवन्त राय मेहता समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायत में दो सदस्य (यदि निर्वाचित न हो) अनुसूचित जातियों के मनोनीत किये जाए तथा पंचायत समिति स्तर पर जिन पंचायत समिति क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पाँच प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उस वर्ग का भी एक साथ सुनिश्चित किया जाए। इन सिफारिशो को अमल मे लाया गया।

पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत महिलाओ को सभी पदो पर 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं। उसे राजस्थान सरकार ने बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया हैं। जिसके परिणमस्वरूप पंचायती राज के वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख तक के 50 प्रतिशत पद महिलाओ के लिए आरक्षित हैं। उन पदो पर तो महिला प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकती हैं एवं निर्वाचित हो सकती है। इसके अलावा अन्य सामान्य पदो पर भी महिला चुनाव लड़ कर निर्वाचित हो सकती है।

नवीन पंचायतीं राज अधिनियम 1994 में मनोनयन के स्थान पर कानुनी रूप से पंचायत के त्रि-स्तरीय व्यवस्था में तीनों स्तरो पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं को प्रदत्त इस आरक्षण में पंचायती राज संस्थाओ में इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। इस प्रतिनिधित्व मे पंचायती राज की धुरी के रूप में ग्राम पंचायत कर प्रमुख स्थान है। जहाँ सदियों की घर के चारदीवारी के बंधन से मुक्त होकर महिलायों

को सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अवसर मिलने लगा।

निष्कर्ष – इस प्रकार निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, खण्ड स्तर पर प्रधान, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला स्तर जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य निर्वाचन का प्रावधान किया गया तथा प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के आरक्षण प्रावधान में महिला नेतृत्व उभरा है। जिसमें उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है। पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत महिलाओ को सभी पदो पर 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं। उसे राजस्थान सरकार ने बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया हैं। जिसके परिणमस्वरूप पंचायती राज के वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख तक के 50 प्रतिशत पद महिलाओ के लिए आरक्षित हैं। उन पदो पर तो महिला प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकती हैं एवं निर्वाचित हो सकती है। इसके अलावा अन्य सामान्य पदो पर भी महिला चुनाव लड़ कर निर्वाचित हो सकती है। इस प्रकार राजस्थान मे पंचायतीराज मे महिला नेतृत्व तेजी से उभर रहा है जो कि सामाजिक न्याय, समानता और महिला उत्थान के शुभ संकेत कहे जा सकजे हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:–

1. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 धारा 12 (1)
2. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 धारा 13 (2) का परनुरूप
3. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 धारा 11
4. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 धारा 17 (1) (2)
5. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 धारा 18 (1)
6. शर्मा, रविन्द्र, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स जयपुर 1985 पृ. 105
7. गहलोत, सुखबीर सिंह, राजस्थानी पंचायती राज मानुन, युनिक ट्रेडर्स जयपुर 2000 पृ.5–8
8. मल डॉ. पूरण, पंचायतीराज एवं दलित नैतृत्व, आविष्कार पब्लिशर्स जयपुर 2004 पृ. 13–14
9. मिश्रा, नन्दलाल, नमी पंचायतीराज व्यवस्था और ग्रामीण विभाग, बी.एस.शर्मा एंड ब्रदर्स, आगरा 2001 पृ. 12–14
10. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी. भारतीय सामाजिक समास्याए साहित्य मब्न पब्लिकेशन आगरा 2005 पृ. 275–278
11. रेवन्कर, रतन, द इंडियन कास्टीट्यूशन ए केस स्टडी ऑफ बैकवर्ड क्लासेज फेयरलीग डिकिन्सन युनिवर्सिटी प्रेस 1971 पृ. 111–114
12. गहलोत, सुखबीर सिंह, राजस्थानी पंचायती राज मानुन, युनिक ट्रेडर्स जयपुर 2000 पृ. 12–14
13. रामप्यारे, हरिजन यूवकों का राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशंस नई दिल्ली 1991 पृ. 29–31

****

Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638
ISSN 2320 - 8767, E -ISSN 2394 - 3793
Impact Factor - 1.9411

MEMBERSHIP CUM AUTHOR'S BIO-DATA FORM

(Photocopy of this form may be used)

Name (Author / Member) : Mr/Mrs/Ms/Prof/Dr : ....

Name of Co-Author(s) : ....

Designation : .... Subject : ....

Name of College/University/Institution : ....

Home / Official Address : ....

....

State : ....Pin : .... Country : ....

Tel. No. (Res. /Office) : ....Mobile : ....

E-mail Address : ....

Sign....

1. MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper.
   * Institutions Rs. 1,300/- per annum (without publication of paper)
   * Membership for Author Rs. 800/- for 1 Year.
   * Membership for Co-Author Rs. 800/- for 1 Year.
   * Publication of paper each after membership Rs. 900/- (2000 Words)
2. For Remittances can pay printing amount through DD/Cheque in favor of **'NAVEEN SHODH SANSAR'** payable at Neemuch (M.P) and send it by Registered Post. Fill information regarding Demand Draft.

D.D. No. : ....Amount .... Name of Bank ....Date : ....

OR

You can cash deposit / Online fund transfer on **NAVEEN SHODH SANSAR** Current A/c.

Bank Detail :-
NAVEEN SHODH SANSAR
Current A/c. no.:- 32768184328
Bank Name :- State Bank Of India
Branch :- Neemuch (M.P)
IFSC code:- SBIN0030055

Editor - Ashish Sharma
Add:- "Shri Shyam Bhawan"
795, Vikas Nagar Extension 14/2, Neemuch
(M.P) - 458441 Mob:- 09617239102
Email ID :- nssresearchjournal@gmail.com
Website :- www.nssresearchjournal.com

Note- Copyright form & Author's Guide line are availble on our web-site
{All disputes are subject to exclusive jurisdiction of NEEMUCH Court Only (M.P.)}